ग्रामीण विकास और सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण : फतेहपुर जनपद का एक प्रतीकात्मक अध्ययन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी0 फिल्0 उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

निर्देशक

डा0 आर0 सी0 तिवारी, एम0 ए0, डी0 फिल्

प्रोफेसर, भूगोल विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

प्रस्तुतकर्ता

श्रीमती अनुपम बाजपेयी, एम0 ए0

भूगोल विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

1998

साभार

कितने ही अनाम नामों के नाम, अनुनय निदर्शन निर्धारणोपरान्त मैं सर्वप्रथम श्रद्धेय गुरुवर डॉ0 रामचन्द्र तिवारी, प्रोफेसर–भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, के प्रति सतत स्नेहिल सुपथ प्रदर्शन हेतु हार्दिक आभार ज्ञापित करती हूँ, जिनके कुशल निर्देशन में प्रस्तुत शोध प्रबन्ध पूर्ण हो सका है।

समूची आभार अन्विति की पूर्णता हेतु मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय–भूगोल विभागाध्यक्ष तथा प्रोफेसर डॉ0 सविन्द्र सिंह द्वारा वस्तु–निष्ठ–विन्यस्त संयोजनाओं तथा अन्य विभागीय सुविधाओं हेतु हृदय से ऋणी हूँ। मैं डॉ0 कुमकुम रॉय, डॉ0 भोलानाथ मिश्र, डॉ0 ब्रह्मानन्द सिंह, डॉ0 सुधाकर त्रिपाठी और डॉ0 वन्दना शुक्ला, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद को ही साधुवाद देती हूँ जिन्होंने अपने उत्तम सुझावों द्वारा मेरे शोध मार्ग को अत्यन्त सुगम बनाने में अतुलनीय सहयोग दिया।

मैं श्री अनिल श्रीवास्तव एवं मुहम्मद अब्दुर्रहमान, विकास भवन, फतेहपुर, श्रीमती लालमोती सिंह, प्रधानाचार्या–बहुआ, फतेहपुर, डॉ0 अशोक श्रीवास्तव, डॉ0 मधुबाला श्रीवास्तव, राजू रस्तोगी, अनुराग सिंह, मनीष द्विवेदी– फतेहपुर तथा शैलेन्द्र गुप्ता (इन्जीनियर) फैज़ाबाद, की हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने अध्ययन क्षेत्र से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख संग्रहण में मुझे अभूतपूर्व सहयोग दिया है। मैं श्रीमती सावित्री अग्निहोत्री एवं श्री महाराज नारायण तिवारी और उन समस्त ग्राम वासियों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने क्षेत्र सर्वेक्षण में विभिन्न प्रकार से सहयोग प्रदान किया।

जिन विद्वानों एव लेखकों की पुस्तकों, शोध प्रबन्धों, निबन्धों, प्रपत्रों एवं विषय से सम्बन्धित अन्य रचनाओं से यत्किंचित भी साहाय्य समुपलब्ध हुआ उनके प्रति अत्यन्त नमन एवं विभिन्न प्रकाशको व पुस्तकालयों के अधिकारी वृन्द के सौहार्द हेतु अनन्य आभार मेरा पुनीत कर्तव्य है।

मैं अपने मित्रों श्रीमती आशा त्रिपाठी, श्रीमती कमला सिंह (अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायलय, इलाहाबाद), कु0 शशिप्रभा वर्मा, कु0 वन्दना वर्मा, कु0 सविता पाण्डेय, कु0 ज्योति श्रीवास्तव, कु0 अनिता सिंह एवं अनुजतुल्य प्रमोद तिवारी, शशि शेखर तिवारी और आदर्श चतुर्वेदी (अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायलय, इलाहाबाद) के प्रति आभार प्रकट करती हूँ जिन्होने समय–समय पर सम्यक् सुझाव देकर उत्साह वर्धन किया है। लेखन सामग्री के पुनर्लेखन हेतु श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव एवं मानचित्रण हेतु मु0 अनवर नईम सिदि्दिकी की मैं भूयशः आभारी हूँ।

मैं अपने श्वसुर स्व0 श्री कमलेश कुमार दीक्षित के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ जिनकी उत्कट

इच्छा को पूर्ण करने का मैंने अपना भरपूर प्रयास किया है। मै माँ श्रीमती आशा दीक्षित, अनुजतुल्य आशीष कुमार दीक्षित, अनुजातुल्य शुचिता दीक्षित के साथ–साथ मैं जननी श्रीमती रन्नो बाजपेयी एवं जनक श्री गंगाराम बाजपेयी, अग्रज श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा भाभी श्रीमती राधा बाजपेयी की विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने शोध कार्य के दौरान मुझे पारिवारिक उत्तरदायित्वो से मुक्त रखा और शोध कार्य हेतु सदैव प्रेरणा देते रहे।

मेरे सहयात्री श्री मनीष कुमार दीक्षित का सहयोग ही मुझे इस अध्ययन पथ पर अग्रसर करता रहा है। इस पथ पर प्रदत्त अतुलनीय सहयोग हेतु मैं उनकी जीवन पर्यन्त कृतज्ञ रहूँगी। मेरी अभीष्ट लालसा है कि आपका यह अक्षुण्ण प्रेम एवं सहयोग मुझे आजीवन प्राप्त होता रहे।

पौष, पंचमी, विक्रम सवत् 2055

15 दिसम्बर, 1998

अनुपम बाजपेयी

(अनुपम बाजपेयी)

अध्याय –7

अध्याय –8

List of Figures

अध्याय – 1
ग्रामीण विकास और सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण की संकल्पना

1.1 प्रस्तावना :–

भारत गॉवों का देश है। इसकी तीन चौथाई जनसख्या गॉवों में रहती है। अतः भारत के विकास के लिए ग्रामीण विकास आवश्यक है। इसी को दृष्टिगत करके भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओ में ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गयी है किन्तु आज भी समाज में सम्पन्न और विपन्न की खाई स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। स्पष्ट है कि इस प्रकार का एकांगी विकास किसी भी समाज, क्षेत्र या देश के लिए लाभप्रद न होकर हानिप्रद ही होगा। अत· विकास की नयी रणनीति के अनुसार विकास का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण समाज के उपेक्षित एवं विपन्न लोगों को विकास के अधिक अवसर प्रदान कर उनके सामाजिक–आर्थिक जीवन स्तर को ऊँचा उठाना एव सामाजिक–आर्थिक विषमता को दूर करना है। इसके अर्न्तगत ग्राम्य जीवन में सुधार के अतिरिक्त अनिवार्य आवश्यकताओं से सम्बन्धित सुविधायें जिसमें भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि का विकास सम्मिलित है। इस प्रकार के विकास का वास्तविक लाभ समाज के सबसे गरीब वर्ग को ही प्राप्त होना अभीष्ट है (मिश्रा एवं सुन्दरम, 1979, पृ0 1)।

अत. स्पष्ट है कि देश की सम्पूर्ण सामाजिक–आर्थिक समुन्नति एवं समृद्धि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास अनिवार्य हैं। एतदर्थ देश में ऐसे नियोजन की आवश्यकता है जिससे क्षेत्रीय संसाधनो का अनुकूलतम उपयोग करके ग्रामीण समाज के विपन्न लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाया जा सके साथ ही इनकी सामाजिक–आर्थिक उन्नति सुलभ एवं सुनिश्चित हो सके। इसीलिए प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में ग्रामीण विकास के साथ–साथ सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण पर विशेष बल दिया गया है।

1.2 ग्रामीण विकास, अर्थ, विषय क्षेत्र और उद्देश्य :–

स्वतन्त्रता उपरान्त राष्ट्र के समक्ष सबसे बडा मुद्दा 'ग्रामीण विकास' का रहा है। यहाँ सर्वप्रथम 'ग्रामीण–विकास' शब्द का अर्थ स्पष्ट करना आवश्यक है। वास्तव में 'ग्रामीण विकास' दो शब्दों क्रमश· 'ग्रामीण' और 'विकास' के मेल से विनिर्मित हुआ है। इसमें 'ग्रामीण' का तात्पर्य ग्राम से है जबकि 'विकास' का आशय कालक्रमानुसार समुन्नति से है। इस प्रकार विकास एक व्यवहारिक संकल्पना है जिसका आशय प्रगति, उत्थान एवं सभी क्षेत्रों में वांछित रूपान्तरण से है।

जहॉ कुल कर्मशील जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कृषि व कृषि मजदूरों की श्रेणियो से सम्बन्धित होता है तथा आर्थिक मेरूदण्ड कृषि ही है, ग्रामीण क्षेत्र कहे जाते हैं (त्रिपाठी, 1981, पृ0 4)।

'ग्रामीण' शब्द का अभिप्राय उस क्षेत्र से है जहॉ अनगरीय (Non Urban) जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र मे प्राथमिक आर्थिक क्रियाये प्रधान होती हैं, पेशे के रूप में लोग अधिकांशतः शस्य कृषि, पशु उत्पादों एव वृक्षों तथा उनसे सम्बन्धित क्रियाओं पर निर्भर होते हैं (मिश्रा एवं सुन्दरम, 1979, पृ0 428)।

श्री निवास के अनुसार (1992) विकास, जो कि एक व्यवहारिक संकल्पना है, के तीन प्रमुख लक्ष्य हैं—1. लोगों के जीवन स्तर मे सुधार, 2. आत्म सम्मान पूर्वक जीवन निर्वाह हेतु अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण तथा 3. समान विकास के चयन की स्वतन्त्रता में वृद्धि। इस प्रकार 'विकास' एक निश्चित समयावधि मे होने वाला धनात्मक परिवर्तन है और 'ग्रामीण विकास' से तात्पर्य नगरीय क्षेत्रों से हटकर ग्रामीण परिवेश मे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का कृषि और तत्सम्बन्धी क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति का जीवन स्तर में उत्थान करना है।

'ग्रामीण विकास' एक प्रक्रिया है, जिसका लक्ष्य नगरीय क्षेत्रों से बाहर रहने वाले लोगों का सम्मिलित प्रयास से विकास करना है (कॉप, 1972, पृ0 515—533)।

'ग्रामीण विकास' से आशय ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निम्न आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने और आत्म निर्भर बनाने से है (उमा लाले, 1974, पृ0 20)।

'ग्रामीण विकास' निर्धन ग्रामीण स्त्री, पुरुष तथा उनके पाल्यों की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्हें योग्य बनाने की व्यूह रचना है (चैम्बर्स, 1983, पृ0 147)।

उपर्युक्त समस्त विद्वानों के विचारों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 'ग्रामीण विकास' का आशय ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, आवास एवं सामाजिक सेवाओं में सुधार, आवागमन एवं संचार साधनों में सुधार, आय के वितरण, आय और आर्थिक अवसरों के ग्रामीण एवं नगरीय असन्तुलन में सुधार आदि से है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने 'ग्रामीण विकास' के महत्व को बहुत पहले ही समझ लिया था। उनके अनुसार 'ग्रामीण विकास' से तात्पर्य आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी गॉव, शराबखोरी, छुआछूत से मुक्त, साफ सुथरा गॉव जिसमें अस्वच्छता नहीं है, ऐसा स्वस्थ गॉव जिसमें बेरोजगारी नहीं है, ऐसा ग्रामोद्योग से भरा पूरा गॉव जहाँ कचेहरियों में जाकर मुकदमें नहीं लडे जाते वरन् उन्हें पंचों के न्याय से मिल बैठकर सुलझाया जाता है ऐसे शान्तिप्रिय, अहिंसक गॉव।

इस प्रकार स्पष्ट है कि 'ग्रामीण विकास' का अर्थ एवं विषय क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है क्योंकि इसके अन्तर्गत ग्रामीण लोगों से सम्बन्धित सम्पूर्ण विकास, यथा— कृषि विकास, औद्योगिक विकास, आवागमन एवं संचार साधनो का विकास, अधः संरचनात्मक सुविधाओं का विकास तथा इन सम्पूर्ण क्षेत्रों में होने वाले भावी विकास नियोजन और सामाजिक रूपान्तरण आदि से है।

इस प्रकार 'ग्रामीण विकास' के निम्नलिखित उद्देश्य स्पष्ट होते हैं—

1. सर्वप्रथम ग्रामीण विकास का उद्देश्य सभी ग्रामीण वासियों के लिए प्राथमिक आवश्यकताओं

(भोजन, वस्त्र, आवास) को उपलब्ध कराना।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में सदा संरक्षण हेतु तकनीकी ज्ञान का उपयोग।

3 ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के विभिन्न क्षेत्रो–बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाओं एंवं कृषि यन्त्रों के उपयोग मे समुचित वृद्धि।

4. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योगों का समुचित विकास कर रोजगारपरक अवसरों में वृद्धि।

5 ग्रामीण क्षेत्रो मे सडकों से असम्बद्ध मार्गो को सम्बद्ध कर उनको विकसित करना तथा सचार साधनों (डाक, तार, सार्वजनिक दूरभाष आदि) की संख्या में वृद्धि।

6. ग्रामीण क्षेत्रों में अधः संरचनात्मक सुविधाओं, यथा–शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक, विद्युत, भण्डारण इत्यादि का विकास कर उनकी संख्या में वृद्धि।

7 ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के मध्य सामाजिक–आर्थिक वैषम्य उत्पन्न करने वाले कारणों को खोजना तथा उन्हें समाप्त करने हेतु प्रयास करना।

8 ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को पूर्णतया आत्मनिर्भर बनाना।

ग्रामीण विकास के उद्देश्यों से स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास से तात्पर्य मात्र कृषि विकास ही नहीं वरन् सम्पूर्ण सामाजिक–आर्थिक विकास एवं परिवर्तन से है।

1.3 ग्रामीण विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :–

भारत का विकास ग्रामीण विकास के बिना सम्भव नहीं है। स्वतन्त्रता पूर्व से ही इस तथ्य से हमारे नेता पूर्णतः परिचित थे। इसीलिए स्वतन्त्रता सग्राम का एक आधार यह भी था कि गॉव को कैसे प्रशासन एव विकास की एक सूक्ष्म और प्रभावशाली इकाई के रूप में विकसित किया जा सके। आधुनिक भारत में ग्राम विकास की ओर सर्वप्रथम ध्यान राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी और गुरूदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर का गया जिन्होने क्रमशः 'ग्राम श्री' और 'ग्रामस्वावलम्बन' को स्थापित कर 'ग्राम विकास' के क्षेत्र में आधारभूत कार्य किया। गॉधी जी भारत में गॉवों का सम्पूर्ण रूपान्तरण करना चाहते थे। इसके लिए उनकी मान्यता थी कि ग्रामीण जनता को शहरों की तरफ आव्रजन करने के बजाय स्वतः एक वैकल्पिक इकाई के रूप में विकसित होना चाहिए (मिश्रा, 1982, पृ0 1–40)।

'ग्रामीण विकास' से सम्बन्धित महात्मा गॉधी के कुछ प्रमुख कथन दृष्टव्य है (कुरूक्षेत्र, वार्षिक अंक, 1994, पृ0 14–15) –

"जब हम ग्रामीणोन्मुख हो जायेगें तब हम पश्चिमी मशीनों द्वारा बनायी गयी वस्तुओं की नकल नहीं चाहेंगे, बल्कि नये भारत के अपने सपने के अनुसार हम अपनी ऐसी जरूरतें पैदा करेगें जिससे कि देश में निर्धनता, भूख और बेकारी के लिए कोई जगह न बचे।"

"भारत को राजनीतिक आजादी तो मिल गयी है.........लेकिन उसे अभी सामाजिक, नैतिक

और आर्थिक आजादी हासिल करना बाकी है। वह भी शहरों और कस्बों से भिन्न, इसके 7 लाख गॉवों के सन्दर्भ में।"

"जिस दिन मैं गॉव से गरीबी दूर करने में कामयाब हो जाऊँगा, मैं समझूँगा कि मैंने स्वराज प्राप्त कर लिया।"

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि गॉधी जी दूरदर्शी थे और उन्होंने इस वास्तविकता को समझ लिया था कि ग्रामीण विकास से ही भारत का वास्तविक विकास हो सकता है। इस तथ्य को तत्कालीन अन्य राजनीतिक नेताओ ने समझा और स्वतन्त्रता के उपरान्त देश मे ग्रामीण विकास हेतु सर्वप्रथम मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। जिसके अन्तर्गत 1950–51 से 1992–97 तक विभिन्न पचवर्षीय योजनाये क्रियान्वित की गयीं। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं मे ग्रामीण विकास हेतु शाश्वत प्रयास किये गये हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत किये गये प्रयत्नों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है (योजना, 15 दिसम्बर 1994, पृ0 2–4) –

पहली पंचवर्षीय योजना (1951–52 से 1955–56) को विकास योजनाओं का प्रारम्भिक प्रयोग समझा जाता है। इस योजना के निर्धारित प्रमुख उद्देश्य कृषि एवं सिंचाई का विकास, ऊर्जा स्रोतो का विकास, उद्योगों को उत्साहित करना तथा आवागमन एवं संचार के साधनों का विकास आदि है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में सर्वागीण विकास की मंशा से सामुदायिक विकास प्रखण्डों की स्थापना की गयी और सभी विकास कार्यक्रमों को एक विशेष प्रशासनिक तन्त्र द्वारा क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया।

दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956–57 से 1961–62) का प्रमुख उद्देश्य अपेक्षाकृत पूर्व की योजना से अधिक विस्तृत एवं महत्वाकांक्षी योजना बनाना है। इसमें आम नागरिक की आय में वृद्धि, उसके जीवन स्तर में कम से कम 25% की समृद्धि, बुनियादी एवं वृहद उद्योगों का विकास, रोजगार के अवसरों का विस्तार एवं आय और सम्पत्ति की असमानता में कमी को महत्व दिया गया। इसी समय 'पंचायती राज प्रणाली' लागू की गयी। दुर्भाग्यवश इस समयावधि में देश को लगातार गम्भीर सूखे की स्थिति से गुजरना पडा। परिणामतः 'सघन कृषि विकास कार्यक्रम' एवं 'हरित क्रान्ति' जैसी योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में अन्न उत्पादन में द्रुत एवं क्रमिक वृद्धि लाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर लागू किया गया।

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1960–61 से 1965–66) में राष्ट्रीय आय में 5% की वृद्धि करना, पूँजी निवेश पर आधारित विकास को सुदृढ करना, अन्न उत्पादन में स्वावलम्बन, उद्योग एवं निर्यात को सशक्त करना, बुनियादी उद्योगों मे राष्ट्र को दस वर्ष में स्वावलम्बी बनाना, रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि को सुनिश्चित करना, आय एवं सम्पत्ति की असमानता में कमी लाना एवं आर्थिक शक्ति का अधिकाधिक सरल वितरण करना। प्रथम एवं द्वितीय योजनाओं की सफलता एवं असफलता को ध्यान में रखकर तृतीय योजना में अनेक ऐसे विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा भी

तैयार की गयी जो क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधन स्रोतों पर आधारित थे, जैसे– कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं मरूभूमि क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के उत्तरार्ध (1965–66) में राष्ट्र में आन्तरिक एवं वाह्य संकटों के कारण 1965–66 को 'प्लान होलिडे' माना गया। इन संकटों के कारण ही 1966 से 1968 तक देश में वार्षिक योजनायें क्रियान्दित की गयीं किन्तु इस समयावधि में ग्रामीण विकास हेतु कोई विशेष प्रावधान न किया जा सका वरन् पूर्व की तीनों योजनाओं के अधूरे कार्यक्रमों को पूरा करने का प्रयत्न किया जाता रहा।

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969–70 से 1973–74) में कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, क्षेत्रीय असमानता को दूर करना, आर्थिक एवं मूल्य वृद्धि को नियन्त्रित करना एवं विदेशी सहायता में 50% की कमी लाना, सहकारी समितियों के तत्र को सुदृढ करना, चौदह वर्ष तक के बालक–बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य तथा व्यावसायिक शिक्षण को विशेष महत्व दिया गया। इस योजनावधि में 'लधु कृषक विकास कार्यक्रम' एवं 'सीमान्त कृषक विकास कार्यक्रम' को क्रियान्वित कर एक खास समूह को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया गया। 'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' भी इसी योजनावधि में क्रियान्वित किया गया।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–75 से 1978–79) का प्रमुख उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के उपभोग के स्तर में सुधार के उपाय करना था। इसी योजनावधि में 'अन्त्योदय कार्यक्रम' और 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' क्रियान्वित किये गये।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980–81 से 1984–85) में सामान्य उद्देश्य के साथ–साथ ग्रामीण विकास हेतु बेरोजगारी एवं अर्धबेरोजगारी दूर करने के कडे एवं सघन उपाय, निर्धनतमवर्ग के परिवारों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष सहायता एवं अनुदान देकर ऊँचा उठाना, आवश्यक आवश्यकता, जैसे–शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, प्राथमिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा सहित प्राथमिक चिकित्सा, ग्रामीण परिवहन एवं ग्रामीण आवास सुविधा को विकसित करना और कमजोर तथा निर्धन वर्ग के लोगों पर विशेष ध्यान देना आदि उद्देश्य सम्मिलित थे। इस योजनावधि में उपर्युक्त समस्त पंचवर्षीय योजनाओं में क्रियान्वित किये गये कार्यक्रमों को एकीकृत कर 'समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम' के रूप में कार्यान्वित करने का एकजुट प्रयास किया गया। इसमें गरीबी एवं बेरोजगारी पर प्रत्यक्ष और सीधे प्रहार की रणनीति अपनायी गयी और प्रशासन को संवेदनशील बनाने के लिए कारगर प्रयास किया गया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–86 से 1989–90) में आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय जैसे आयोजना के मूलभूत सिद्धान्तों का पालन करते हुए खाद्यान्न उत्पादन,

रोजगार और उत्पादकता बढाने की नीतियों और कार्यक्रमों पर अधिक जोर दिया गया। इस योजनावधि मे भी छठी योजना के सभी कार्यक्रमो –समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण महिला एवं शिक्षा विकास कार्यक्रमों को और सघन रूप से क्रियान्वित किया गया। इसी समय ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम का विलय करके 'जवाहर रोजगार कार्यक्रम' शुरू किया गया जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों और अल्प बेरोजगारों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार का सृजन करना तथा लोगों के समग्र जीवन स्तर मे सुधार करना था।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1991–92 से 1996–97) में ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता दी गयी। इसमे जनसख्या नियन्त्रण, रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा प्राथमिक और अधिक पिछडे जनपदों के विकास के लिए अधिक साधनों की व्यवस्था की गयी। इस योजनावधि में मृदा अपरदन, बंजर भूमि और परती भूमि का विकास एवं उपयोग, जल संरक्षण, सिंचाई, ग्रामीण सडकों तथा घरों के निर्माण आदि को प्राथमिकता दी गयी।

नवीं पंचवर्षीय योजना (1996–97 से 2001 ई0) में उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर में छूट की व्यवस्था कर बचत को बढावा दिया गया है। इसमें नवीन उद्योगों की स्थापना और वर्तमान उद्योगों का विस्तार आदि का लक्ष्य रखा गया है जिससे रोजगार के नवीन अवसर पैदा होगें और लोग बेहतर जीवन बिता पायेगे। इस योजनावधि मे न्यूनतम साझा कार्यक्रम, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना, गगा कार्य योजना, ड्रिप सिंचाई योजना, खाद्यान्न की कीमतों में बढ़ोत्तरी, इंदिरा आवास योजना और कस्तूरबा गॉधी शिक्षा योजना आदि योजनाओं के द्वारा ग्रामीण विकास को बढावा दिया जायेगा (कुरूक्षेत्र, अप्रैल 1997, पृ0 26–67)।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त ग्रामीण विकास को बराबर प्राथमिकता दी जा रही है।

1.4 ग्रामीण विकास एवं सूक्ष्म स्तरीय नियोजन :–

15 अगस्त 1997 से राष्ट्र को स्वतन्त्र हुए पूरे 50 वर्ष हो गये और इस बीच यहाँ पर आठ पंचवर्षीय योजनाये क्रियान्वित की जा चुकी हैं तथा इस समय नौवीं पंचवर्षीय योजना कार्यरत है। ये सभी योजनाये देश के सम्पूर्ण विकास से सम्बद्ध रही हैं किन्तु इस विकास का केन्द्र बिन्दु सदैव ही 'ग्रामीण विकास' रहा है। ग्रामीण विकास पर इतना केन्द्रित होने के बावजूद अब तक विकास के अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी है जिसका प्रमुख कारण सूक्ष्म स्तरीय नियोजन पर गौर न करना है। नियोजन की रणनीति में आई. जी. पटेल का कथन है कि 'रणनीति का अर्थ अनिवार्यतः सोंच–समझकर चुनाव करना है। किसी समस्या पर आक्रमण करने के लिए उचित प्रहार बिन्दु और प्रहार की रणनीति' की तैयारी अत्यावश्यक है। स्पष्ट है कि विकास की प्रक्रिया हेतु नियोजन

की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है किन्तु यह नियोजन सूक्ष्म स्तरीय होना आवश्यक है। विकास हेतु नियोजन की लघुतम इकाई क्या हो, यथा—जनपद, विकास खण्ड, न्याय पचायत, ग्राम सभा या ग्राम। इस पर अभी तक विद्वान एकमत नहीं हो पाये हैं तथापि सभी विद्वान एकमत से वृहद स्तरीय केन्द्रीय नियोजन की अपेक्षा लघुस्तरीय स्थानीय नियोजन को महत्वपूर्ण मानते है।

स्थानीय नियोजन के लिए अब व्यापक बल खण्ड स्तर पर दिया जा रहा है, क्योंकि विकास प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए विकास की लघुस्तरीय इकाई विकासखण्ड को बनाया गया है, जो विकास प्रक्रिया को आधारीय सहयोग प्रदान करते हैं, क्योंकि विकासखण्ड जिला प्रशासन और गॉव प्रशासन के बीच की कडी है (सेन, 1972, पृ0 4—9)।

यद्यपि कोई भी भौगोलिक क्षेत्र नियोजन के लिए एक उपयुक्त इकाई होता है, तथापि प्रशासनिक असुविधाओ, आकडों के एकीकरण में कठिनाई तथा योजना प्रबन्ध में आने वाली असुविधाओ के कारण इसे प्रशासनिक इकाई में परिवर्तित कर दिया गया है (यादव, 1988, पृ0 1—30)।

सूक्ष्म स्तरीय नियोजन, नियोजन प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण का अभ्यास है जिसका लक्ष्य लोकतान्त्रिक विकास के साथ संवृद्धि करना है (त्रिपाठी, 1991, पृ0 15)।

उपर्युक्त कथनों से सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के महत्व की जानकारी होती है। वास्तव में नियोजन प्रक्रियाओं का जनपद स्तर पर समुचित क्रियान्वयन नहीं हो पाता है अतः ग्रामीण विकास हेतु एक ऐसी इकाई की आवश्यकता है जो जनपद और ग्राम के मध्य की इकाई हो। इसके लिए विकासखण्ड उपयुक्त हो सकते हैं परन्तु नियोजन प्रक्रिया में स्थानीय जनता की सक्रिय भागीदारी हेतु ग्राम सभा या न्याय पंचायत अधिक उपयोगी इकाई सिद्ध हो सकती है। हाल के वर्षो मे प्रशासनिक दृष्टि से भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण 'जवाहर रोजगार योजना' का क्रियान्वयन है। इसमे कार्यो का निर्धारण ग्रामसभा द्वारा किया जाता है जिससे विकास हेतु नियोजित धनराशि को सीधे ग्रामीण वासियों तक पहुँचाया जा सकेगा। इससे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का स्थानिक आवश्यकताओं के अनुरूप उपयोग कर ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हो सकेगी। निष्कर्षतः कह सकते है कि नियोजन की इकाई अधोमुखी न होकर उपरिमुखी होनी चाहिए तभी 'ग्रामीण विकास' के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

1.5 ग्रामीण विकास एवं सामाजिक—आर्थिक रूपान्तरण :—

रूपान्तरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो परम्परागत एवं अर्ध परम्परागत क्रम में एक निश्चित एवं वांछित अर्थ व्यवस्था की ओर संकेत करती है। रूपान्तरण के अन्तर्गत मानव की आर्थिक गतिविधियों के कारण भूतल में होने वाले परिवर्तनों, उभरते प्रतिरूपों की प्रवृत्ति और आयाम तथा

उनके माध्यम से किसी देश या क्षेत्र के वर्तमान सामाजिक–आर्थिक पर्यावरण मे होने वाले विकासों का अध्ययन व व्याख्या की जाती है (तिवारी, 1984, पृ0 139)।

ग्रामीण विकास और सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना और उनके सामाजिक जीवन में गुणात्मक सुधार से है। चूँकि हमारा राष्ट्र गॉवों का समूह है जिसमें लगभग 50% गॉव दुर्गम स्थानों पर स्थिति है तथा सामाजिक–आर्थिक पिछड़ापन इन गॉवों की विशेषता है अतः हमारे राष्ट्र हेतु ग्रामीण विकास और सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण से सम्बन्धित आदर्शों का विशेष महत्व है। इन उद्देश्यों की ओर राजनीतिज्ञो, समाज सुधारकों एवं प्रशासकों का ध्यान आकृष्ट हुआ है जिसके परिणामस्वरूप ही ग्रामीण विकास के क्षेत्र मे अनेकानेक कार्यक्रमों की शुरूआत की गयी है। इन कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण लोगों की सामाजिक गुणवत्ता में सुधार करना है।

आज का ग्रामीण समाज भी नवीन वैज्ञानिक युग से सामन्जस्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगो के आर्थिक स्तर मे उन्नयन के साथ–साथ उनके खान–पान, वेश–भूषा, और आवास स्तर में सुधार देखा जा रहा है। साथ ही साथ ग्रामीण समाज में सामाजिक कुरीतियों, यथा– छुआछूत, जाति–पॉति, बाल–विवाह, विधवा–विवाह, बालिकाओं की शिक्षा, बाल–श्रम, पर्दा–प्रथा, सती–प्रथा, आदि के उन्मूलन में मदद मिली है। ग्रामीण समाज, यद्यपि धीरे–धीरे परन्तु सही दिशा में एक ऐसे समाज के निर्माण की ओर बढ रहा है जिसमें समानता होगी, खुशहाली होगी, सामाजिक न्याय होगा एवं सभी को समान विकास का अवसर सुलभ होगा। वास्तव में ग्रामीण विकास का अर्थ मात्र आर्थिक समृद्धि से ही नहीं है वरन् इसका आशय मानव मूल्यों मे गुणात्मक सुधार से है। इस प्रकार विकास किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में होने वाला धनात्मक बदलाव का प्रतीक है जबकि रूपान्तरण दोनों रूपों का द्योतक है। अतः ग्रामीण विकास हेतु आर्थिक समुन्नति जितनी आवश्यक है उतनी ही सामाजिक गुणवत्ता की सवृद्धि भी। इसीलिए ग्रामीण विकास और सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण मे अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। अतः ग्रामीण विकास में दोनों का ही समन्वय आवश्यक है जिसके परिणामस्वरूप ही ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास सम्भव हो सकेगा।

1.6 वर्तमान अध्ययन के उद्देश्य :–

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही प्रशासन ग्रामीण विकास के लिए शाश्वत प्रयत्नशील है जिसके लिए उसने कई प्रयास किये, यथा– सर्वप्रथम उसने योजना आयोग का गठन कर पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू किया, सामाजिक संगठनों को प्रोत्साहित किया, शिक्षाविदों से विचार विमर्श किया तथा प्रशासन को और सशक्त किया किन्तु इतने प्रयत्नों के बावजूद ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अभीष्ट सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण का लक्ष्य अभी भी बहुत दूर दिखता है। आज भी

ग्रामीण शब्द पिछडेपन का प्रतीक माना जाता है और संभ्रान्त नगरीय वर्ग के लोग इसका उपयोग सीधे–साधे ग्रामवासियों के उपहास के लिए करते हैं इसीलिए ग्रामीण कहलवाने में लोग हीनता का अनुभव करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रो के इतना अधिक पिछडे होने का प्रमुख कारण पारम्परिक कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर होना है जो आज भी मानसून की अनिश्चितताओं का शिकार है, जिससे कृषि उत्पादकता प्रभावित होती है। धन एवं शिक्षा के अभाव मे कृषक–उन्नत बीजों, उर्वरकों, कीटनाशक दवाओ, नवीन कृषि यन्त्रों के प्रयोग व प्रशासन द्वारा कृषि विकास हेतु दी जा रही अनेकानेक सुविधाओ से वचित रह जाते है। अत ग्रामीण विकास हेतु कृषि के साथ–साथ पारिवारिक एवं गैर पारिवारिक उद्योगों का विकास तथा कृषकों का शिक्षित होना परमावश्यक है। ज्ञातव्य है कि ग्रामीण क्षेत्रो के अविकसित होने के कारणो के अभिज्ञान तथा उन कारणों के निदान हेतु सलाह देने की उत्कृष्ट इच्छा प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का प्रमुख उद्देश्य है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मे भारत के राज्यो मे प्रमुख उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद को एक प्रतिदर्श मानकर स्वतन्त्रता प्राप्ति से अब तक ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले विकास और ग्रामीण समाज मे होने वाले सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनो के निरूपण का प्रयास किया गया है। एतदर्थ ग्रामीण क्षेत्रो के विकास हेतु पूर्व क्रियान्वित एव वर्तमान समय में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की सफलता और विफलता एवं ग्रामीण समाज में व्याप्त अनेक सामाजिक बुराइयों के अविर्भाव के कारणों का आंकलन करने का हर सम्भव प्रयत्न किया गया है जिनके सुधार से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की गति को तीव्र किया जा सकता है। इस शोध प्रबन्ध में निम्नलिखित तथ्यों पर विशेष बल दिया गया है--

1 ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विभिन्न आर्थिक क्षेत्रो, यथा–कृषि, उद्योग, परिवहन एवं सचार साधनों के विकास तथा सदुपयोग हेतु क्रियान्वित अनेक योजनाओं का मूल्यांकन।

2 ग्रामीण क्षेत्रो मे व्याप्त सामाजिक बुराइयो के निवारण हेतु क्रियारत योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निरूपण।

3 ग्रामीण क्षेत्रो में जनसंचार और प्रचार माध्यमों द्वारा ग्रामीण आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण मे योगदान की जानकारी।

4. ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही योजनाओ की प्रकृति, प्राथमिकतायें एवं प्रभावों का मूल्यांकन तथा उनको कारगर बनाने के लिए अपेक्षित सुझावों का संकलन।

5. प्रशासनिक कार्यालयों से उपलब्ध साक्ष्यों की सत्यता एवं प्रामाणिकता का परीक्षण।

6. सरकार एवं प्रशासन द्वारा चलायी जा रही योजनाओं से लाभान्वित ग्रामीण वर्गो की पहिचान।

7 ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रति ग्रामीण जनता की प्रतिक्रिया एव सवेदनशीलता।

8. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु प्रशासन द्वारा प्रदत्त मौलिक एवं आधारभूत सुविधाओं का

विवरण तथा ग्रमीण आर्थिक–सामाजिक विकास में योगदान।

9 ग्रामीण क्षेत्रो में संचालित विभिन्न येाजनाओ मे स्थानीय जनता की सहभागिता मे अवरोधों का विवरण।

10 ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विकास योजनाओ का ग्रामीण सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण मे योगदान।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में उपर्युक्त बिन्दुओ के सम्यक् विवेचन का प्रयास किया गया है। एतदर्थ गंगा–यमुना द्वाब के निचले क्षेत्र मे स्थित फतेहपुर जनपद को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है जो भौगोलिक सुविधाओं के बावजूद उत्तर प्रदेश का आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से एक पिछडा हुआ क्षेत्र माना जाता है।

सम्पूर्ण विषयवस्तु 9 अध्यायो में विभाजित है।

प्रथम अध्याय मे ग्रामीण विकास के सैद्धान्तिक पक्ष की विवेचना के अतिरिक्त वर्तमान अध्ययन के उद्देश्य, शोध विधितन्त्र तथा साक्ष्य विश्लेषण एवं निरूपण का विवरण दिया गया है।

द्वितीय अध्याय में अध्ययन क्षेत्र की स्थिति, भूगर्भिक संरचना एवं उच्चावच, भू–आकृतिक प्रदेश, अपवाह प्रतिरूप, जलवायु, मृदा, प्रकृतिक वनस्पति, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, ग्रामीण नगरीय सरचना, व्यावसायिक संरचना, आयु–लिंग संरचना, साक्षरता स्तर और भाषायी एवं धार्मिक सरचना को निरूपित किया गया है।

तृतीय अध्याय में सेवा केन्द्रो के चयन, उनके मापन–आधार, केन्द्रीयता, पदानुक्रम, सेवा क्षेत्रो के विस्तार के साथ–साथ सन् 2021 ई0 तक एक सुदृढ एवं अविच्छिन्न सेवा केन्द्रों के तन्त्र का परामर्श दिया गया है जिससे क्षेत्र में संतुलित आर्थिक–सामाजिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

चतुर्थ अध्याय मे कृषि विकास के प्रमुख अवयव–भूमि उपयोग प्रतिरूप, सिंचाई प्रणाली, शस्य प्रतिरूप, शस्य–गहनता, कृषि उत्पादकता, पशु संसाधन एवं कृषि विकास तथा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण का विस्तृत विवरण दिया गया है।

पंचम अध्याय मे ग्रामीण औद्योगीकरण, नवीन औद्योगिक नीति और उद्यमियों को प्राप्त सुविधायें, औद्योगीकरण के फलस्वरूप आय वृद्धि, शिक्षा प्रसार, स्वास्थ्य और स्वच्छता परिवर्धन तथा क्षेत्र के विकास के लिए सम्भावित एव प्रस्तावित उद्योगों की समीक्षा की गयी है।

षष्टम अध्याय में अवागमन एव संचार साधनों के प्रतिरूप को विस्तृत रूप से विश्लेषित किया गया है। इसमे क्षेत्र में सडक और रेल परिवहन, डाकघर, तारघर, सार्वजनिक दूरभाष तथा अन्य जनसंचार सेवाओं का अध्ययन क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक रूपान्रण पर पडने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया गया है।

सप्तम् अध्याय में अध्ययन क्षेत्र के अध· सरचनात्मक सुविधाओं–शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार

कल्याण, बैक, ग्रामीण विद्युतीकरण और भण्डारण तथा इनके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में हुए सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण का विवरण दिया गया है।

अष्टम् अध्याय में ग्रामीण विकास के स्थानिक प्रतिरूप को निरूपित करते हुए अध्ययन क्षेत्र के विकसित, विकासशील तथा पिछडे क्षेत्रो को परिसीमित किया गया है और अभिलक्षित व्यापक सामाजिक समस्याओं को क्षेत्रीय सर्वेक्षण से सग्रहीत साक्ष्यों के विश्लेषण से प्राप्त परिणामों के आधार पर परिवर्तित प्रतिरूप को निरूपित किया गया है।

नवम् अध्याय में अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण विकास एवं सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण को प्रभावित करने वाले तथ्यों के विश्लेषण के उपरान्त अध्ययन क्षेत्र में सम्यक् सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु नवीन व्यूह नीति का प्रस्ताव किया गया है जिससे ग्रामीण वासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

1.7 शोध विधितन्त्र :–

1.7.1 साक्ष्य संग्रहण :–

अध्ययन क्षेत्र में सम्बन्धित विषय के अध्ययन हेतु प्रमुख रूप से तीन स्रोतों से साक्ष्य संग्रहीत किये गये हैं– (अ) लिखित अभिलेख, (ब) मानचित्र एवं (स) व्यक्तिगत सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार।

(अ) लिखित अभिलेख :–

प्रस्तुत अध्ययन में फतेहपुर जनपद गजेटियर 1980, जिला जनगणना हस्तपुस्तिका 1981 और 1991 की अप्रकाशित जनगणना रिपोर्ट, जिला सांख्यिकीय पत्रिका 1986, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, समाजार्थिक समीक्षा पत्रिका 1994–95, औद्योगिक–प्रेरणा 1990–91, एक्शन प्लान वर्ष 1988–89 से 1994–95, लघु/लघुत्तर इकाइयों की पुस्तिका वर्ष 1988–89, विकास वर्तिका अक्टूबर 1990, आदि सरकारी सस्थाओं द्वारा प्रकाशित पुस्तकों एवं अभिलेखों का प्रयोग किया गया है। इनके अतिरिक्त इतिहास, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की पुस्तकों तथा कुरूक्षेत्र और योजना आदि पत्रिकाओ का भी उपयोग किया गया है। इस सम्बन्ध में अध्ययन क्षेत्र से जुड़ी शोधो और रिपोर्टो का भी उपयोग किया गया है।

(ब) मानचित्र :–

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मे अनेक प्रकार के मानचित्रों का उपयोग किया गया है जिनमें जिला गजेटियर मानचित्र, जिला जनगणना हस्तपुस्तिका के मानचित्र, सांख्यिकीय पत्रिका के मानचित्र, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित 1:50,000 एवं 1:25,000 मापक पर निर्मित मानचित्र आदि प्रमुख है।

(स) व्यक्तिगत सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार :–

प्राथमिक साक्ष्य व्यक्तिगत सर्वेक्षण, साक्षात्कार और प्रश्नावली आदि से संग्रहीत किये गये है ।

1.7.2 सामग्री विश्लेषण एवं निरूपण :–

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में प्रायः विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग किया गया है । साथ ही विश्लेषण की पुष्टि हेतु सारणियों और मानचित्रो का सहारा लिया गया है जो स्थानिक प्रतिरूप को स्पष्ट करने मे विशेष रूप से सहयोगी सिद्ध हुए है । शोध प्रबन्ध में प्रायः कोरोप्लेथ मानचित्रों का उपयोग किया गया है । शोध प्रबन्ध मे लेखाचित्रों, आलेखों तथा सांख्यिकीय तकनीकों का भी आश्रय लिया गया है ।

वर्तमान समय मे सूक्ष्म स्तरीय नियेाजन को विशेष उपयोगी माना जा रहा है इसीलिए प्रस्तुत अध्ययन में स्वाभाविक रूप से विकासखण्ड को जो कि आज जनपद और ग्राम के मध्य की एक विकास इकाई के रूप मे जाना जाता है, को प्रतिदर्श इकाई के रूप में उपयोग में लाया गया है किन्तु कहीं–कहीं पर विकासखण्ड स्तर पर साक्ष्य उपलब्ध न होने पर तहसील स्तर के साक्ष्यों का उपयोग किया गया है । इसी प्रकार सूक्ष्म विवेचन अथवा अधिक विश्वसनीयता हेतु ग्राम अथवा परिवार स्तर के साक्ष्यो का संग्रह प्रश्नावली विधि द्वारा किया गया है ।

ध्यातव्य है कि अध्ययन क्षेत्र में कुछ स्थानो के दो नाम हैं एक शासकीय और दूसरा प्रचलित । इससे शोधकार्य में कुछ समस्या का सामना करना पडा है, उदाहरणार्थ–जिला जनगणना 1991 (अप्रकाशित) में भिटौरा विकासखण्ड मे शासकीय नाम छेउँका और हथगॉव विकासखण्ड में चकअजनई का नामोल्लेख मिलता है जबकि इनके प्रचलित नाम क्रमशः हुसैनगंज और ठाकुरपुर है । छेउँका का हुसैनगंज प्रचलित नाम तो है ही साथ ही यह क्षेत्र का विकसित सेवा केन्द्र भी है जो अपने आस–पास के क्षेत्र को विभिन्न सेवाये प्रदान करता है । इन दोनों के अलावा अन्य कई स्थानों के भी शासकीय और प्रचलित नाम मिलते है । प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में अध्ययन की सुगमता के दृष्टिकोण से सामान्यतः दोनों ही नामो का उल्लेख किया गया है परन्तु लोकप्रियता हेतु प्रचलित नामों को वरीयता दी गयी है ।

समूचे शोध प्रबन्ध में यथासम्भव सरल एवं बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया गया है तथा संदर्भ ग्रथों का उल्लेख मूल पाठ में कोष्ठक के भीतर लेखक के उपनाम, वर्ष एवं पृष्ठ संख्या सहित तथा अध्याय के अन्त में उनका सम्पूर्ण विवरण लेखकों के उपनामों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थापित कर दिया गया है ।

REFERENCES :

Chambers, Robert, 1983 Rural Development : Putting the Last Eirst (Longmans Group Ltd) p.147

Copp, J.H. 1972 Rural Soceology and Rural Development, Vol. 37, No.4 (December), pp. 515-533

Mishra, R.P. and Sundaram, K V. 1979 : Rural Development : "Perspective and Approaches" Sterling Pvt Ltd, New Delhi. P. 1.

Mishra, R P. 1982 · The Changing Perception of Development Problems Pariyojan. Val 3, No 2, pp. 1-40.

Sen, L K 1972 The Need For Micro Level Planning in India Readings in Micro Level Planning and Rural Growth Centers, NIRD Hydarabad, pp. 4-9.

Tripathi, D.N. 1989 . Rural Development : Concept and Objectives, Kurukshetra, Vol 30, No. 5, p. 14.

Tripathi, S. 1991 · Integrated Rural Development : A Case Study of Gorakhpur District unpublished D Phill Thesis, Allahabad University Allahabad, p 15.

Tiwari, R C. 1984 Settlement System in Rural India : A Case Study of the Lower Ganga-Yamuna Doab Allahabad Geographical Society, Allahabad, p. 139

Uma Lale, 1974 : The Design of Rural Development.: An Analysis of Programmes and Projects in Africa (Baltimore) John Hoppins University press), p. 20

Yadav, H.S. 1988 : Integrated Rural Development : A Case Study of Allahabad District, Unpublished, D. Phill. Thesis, Allahabad University, Allahabad, pp. 1-30.

कुरूक्षेत्र, 1994 : ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय, कृषि भवन नई दिल्ली, वार्षिक अंक, अक्टूबर, पृ0 14–15.

कुरूक्षेत्र, 1997· ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय, कृषि भवन नई दिल्ली, अंक 6, अप्रैल, पृ0 26–67.

अध्याय – 2
अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक विश्लेषण

2.1 प्रस्तावना :–

जनपद का नामकण इसके मुख्यालय फतेहपुर नगर के नाम पर पडा है। स्थानीय लोक कथाओं के आधार पर यह नाम इब्राहिम शाह द्वारा राजा सीतानन्द पर विजय (फतह) करने के कारण रखा गया। एक अन्य किम्वदन्ती के अनुसार इसकी स्थापना फतेहमन्द खान द्वारा की गयी जिसके कारण इसका नाम फतेहपुर पडा (जिला गजेटियर, फतेहपुर, 1980, पृ0 1)।

सन् 1801 में अंग्रेजों ने जनपद पर अपना अधिकार कर लिया। सन् 1826 में दोआब के परगनो को सगठित करके जनपद को वर्तमान स्वरूप मिला (जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, 1981, पृ0 1)। इन परगनो में अयाह, शाह, बिन्दकी, धाता, एकडला, फतेहपुर, गाजीपुर, हसवा, खागा, खखरेरू, कोरा, कुटिया, गुनीर, कुटिला, मुत्तौर, तप्पा जार तथा कल्यानपुर को शामिल किया गया। सन् 1894 में खागा तथा खखरेरू को हथगॉव के परगने में मिला दिया गया। सन् 1895 में कल्यानपुर परगने को कोरा मे शामिल कर दिया गया। वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ में जनपद चार तहसीलों–फतेहपुर, खजुहा, गाजीपुर और खागा में विभक्त था। फतेहपुर में हसवा तथा फतेहपुर परगना, खजुहा तहसील मे बिन्दकी, कुटिया, गुनीर, कोरा तथा तप्पा जार, गाजीपुर तहसील में गाजीपुर, अयाह, शाह तथा मुत्तौर एवं खागा तहसील में हथगॉव, कुटिला, एकडला और धाता सम्मिलित थे। सन् 1925 में गाजीपुर तहसील को फतेहपुर तहसील में मिला दिया गया जबकि खजुहा तहसील का मुख्यालय बिन्दकी स्थानान्तरित कर दिया गया, जिसने अपना नाम उस तहसील को दे दिया (जिला गजेटियर, फतेहपुर, 1980, पृ0 2)। इस प्रकार जनपद फतेहपुर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हो सका। आज यह जनपद 3 तहसीलों (बिन्दकी, फतेहपुर एवं खागा) तथा 13 विकास खण्डों में विभाजित है (सारणी 2.1 एवं चित्र 2.1)।

2.2 स्थिति एवं विस्तार :–

फतेहपुर गंगा–यमुना दोआब के पूर्वी भाग मे स्थित है। इस जनपद का अक्षांशीय विस्तार 25° 26′उ0 से 26° 14′ उ0 तथा देशान्तरीय 80° 13′ पू0 से 81°21′ पू0 के बीच पाया जाता है। यह आयताकार रूप में विस्तृत है। उत्तर–दक्षिण की तुलना में पश्चिम से पूर्व इसका विस्तार अधिक है। पश्चिम से पूर्व लम्बाई लगभग 100 किमी0 है जबकि उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई लगभग 40 किमी0 है। जनपद की उत्तरी सीमा गंगा नदी के सहारे उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ बनाते है जबकि इसकी दक्षिणी सीमा यमुना नदी के सहारे हमीरपुर और बांदा द्वारा निर्धारित होती है। उत्तरी–पश्चिमी सीमा कानपुर जनपद द्वारा तथा दक्षिणी–पूर्वी सीमा कौशाम्बी जनपद द्वारा

LOCATION MAP
N
INDIA
0 400
km
U.P.
UTTAR PRADESH
80 0 80
km
LOCKNOW
DISTRICT FATEHPUR
ADMINISTRATIVE UNITS
KANPUR
DISTT UNNAO
DISTT RAE BARELI
DISTT PRATAPGARH
DISTT HAMIRPUR
DISTT BANDA
DISTT KAUSHAMBI
GANGA RIVER
YAMUNA RIVER
DEOMAI
BINDKI
KHAJUHA
MALWAN
AMAULI
BHITAURA
TELYANE
FATEHPUR
HASWA
HATHGAON
BAHUWA
ASOTHAR
AIRAYAN
KHAGA
BIJAIPUR
DHATA
DISTRICT BOUNDARY
TAHSIL ,,
BLOCK ,,
NYAY PANCHAYAT ,,
DISTRICT HEADQUARTER
TAHSIL ,,
BLOCK ,,
URBAN AREA
10 0 10 20
km
15'
30'
45'
81°
15'

Fig. 2.1

सारणी 2 1

जनपद फतेहपुर : प्रशासनिक सगठन, 1991

क्रम सं0	तहसील	विकासखण्ड	क्षेत्रफल वर्ग किमी0	जनसख्या 1991	जिला मुख्यालय से विकासखण्ड की दूरी (किमी0)	न्याय पचायत संख्या	ग्राम सभा सख्या	कुल ग्राम सख्या	आबाद ग्राम संख्या	गैर आबाद सख्या	पु0 स्टेशन सख्या
1.	बिन्दकी	देवमई	227.58	104,460	64	8	71	96	86	10	1
		मलवां	341.78	157,187	15	9	85	116	109	07	2
		अमौली	350.89	124,023	82	8	88	105	99	06	1
		खजुहा	334 55	143,160	51	9	85	107	100	07	1
2	फतेहपुर	तेलियानी	246 68	105,149	—	9	68	110	101	09	—
		भिटौरा	333.04	148,699	13	14	100	162	147	15	1
		हसवा	324.42	146,469	13	12	69	98	84	14	1
		बहुआ	283.73	120,682	26	11	74	101	89	12	1
		असोथर	368.16	130,088	34	09	52	57	56	01	2
3.	खागा	हथगाँव	264.59	141,727	53	13	102	237	170	67	1
		ऐरायां	304.17	132,639	34	11	73	117	108	09	1
		विजयीपुर	367.59	130,988	44	10	78	98	94	04	1
		धाता	294.38	125,957	74	09	90	112	109	03	1
		योग ग्रामीण	4041.48	1,711,228	—	132	1035	1516	1352	164	14
		नगरीय	78.53	188,013	—	—	—	—	—	—	5
	योग जनपद		4,120.01	1,899,241	—	132	1035	1516	1352	164	19

स्त्रोत :— सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1993, पृ0 17—21

निर्धारित की जाती है। जनपद का सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल 4120.01 वर्ग किमी0 है जो समूचे प्रदेश के क्षेत्रफल का 1.43% तथा मण्डल के क्षेत्रफल का 27% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जनपद का प्रदेश मे बयालिसवा और मण्डल मे दूसरा स्थान है (सामाजार्थिक–समीक्षा, फतेहपुर, 1994–95, पृ0 1)।

2.2.1 प्रशासनिक स्वरूप :–

प्रशासन व्यवस्था एवं विकास की दृष्टि से सम्पूर्ण जनपद को 3 तहसीलों, 13 विकासखण्डों, 132 न्याय पंचायतों (चित्र 2.1) 1035 ग्राम पंचायतों, 1516 ग्रामों (1352 आबाद ग्राम) 6 कस्बों, 2 नगर परिषदों और 4 नगर पंचायतों, 19 थानो और 3 कोतवालियों में विभाजित किया गया है (सारणी 2 1)।

2.3 भूगर्भिक संरचना :–

खनिज संसाधन आधार के लिए किसी क्षेत्र की संरचना का सम्यक् ज्ञान आवश्यक होता है। मिट्टियो की बनावट एवं खनिज पदार्थ, चट्टानो की बनावट पर निर्भर करती है इसी प्रकार कृषि विकास, जनसंख्या वितरण, परिवहन व औद्योगिक विकास एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर भी क्षेत्र के उच्चावच का विशेष प्रभाव पडता है। अत किसी क्षेत्र के सर्वांगीण अध्ययन हेतु उस क्षेत्र की सरचना एवं उच्चावच का अध्ययन आवश्यक है।

जनपद फतेहपुर गगा और यमुना के दोआब मे स्थित हैं अतः इस जनपद का समूचा क्षेत्र उपजाऊ गंगा–यमुना के जलोढ से निर्मित है। ऐसा अनुमान है कि इस जलोढ मिट्टी का जमाव प्लीस्टोसीन काल में हिमालय के उत्थान के दौरान निर्मित अग्रगर्त में अवसादन के कारण हुआ। जनपद मे जलोढ की मोटाई 300–500 मी0 के बीच पायी जाती है। यह जलोढ़ मिट्टी बालू, रेत तथा चिकनी मिट्टी आदि से निर्मित है। कुछ स्थानों पर सामान्यतः प्रचीन कॉप मिट्टी में कंकड परतों के रूप मे पायी जाती है। तलछटीय जमाव बहुत कुछ बाढ मैदान से उत्पन्न स्थिति को इंगित करता है जिसमें गंगा और यमुना अपनी सहायक नदियों के साथ प्रवाह मार्ग को परिवर्तित करती रही है (जिला गजेटियर, फतेहपुर, 1980, पृ0 6–7)। खनिज की दृष्टि से फतेहपुर जपद खनिज विहीन है। खागा क्षेत्र के उसरैले भाग में ककड पाया जाता है। गंगा नदी से बालू और यमुना नदी से मोरम प्राप्त होती है जिसका उपयोग भवन निर्माण में होता है। यमुना की बालू की आपूर्ति इस जनपद से कानपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ, लखनऊ, बराबंकी तथा फैजाबाद को होती है (सामाजार्थिक समीक्षा, फतेहपुर, 1994–95, पृ0 5)।

भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से फतेहपुर जनपद को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है–

2.3.1. समतल क्षेत्र :–

चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जनपद का मध्यवर्ती क्षेत्र समतल है इसमें तेलियानी और बहुआ विकास खण्ड का लगभग सम्पूर्ण भाग सम्मिलित है। इनके अतिरिक्त देवमई का मध्यवर्ती क्षेत्र, मलवां के गंगा से संलग्न क्षेत्र को छोडकर लगभग सम्पूर्ण क्षेत्र, अमौली का पूर्वी एवं दक्षिणी तथा उत्तर–पश्चिम का कुछ क्षेत्र छोडकर लगभग सम्पूर्ण भाग समतल है। इसी प्रकार खजुहा विकासखण्ड का पश्चिमी एवं पूर्वी भाग, भिटौरा का मध्यवर्ती भाग (एक संकरी पट्टी के रूप में) तथा हसवा विकासखण्ड का मध्यवर्ती और उत्तरी पूर्वी भाग को छोड़कर सम्पूर्ण भाग समतल है। असोथर विकासखण्ड के उत्तरी क्षेत्र के मात्र छुट–पुट खण्ड ही समतल है। हथगॉव का मध्यवर्ती क्षेत्र, ऐराया का दक्षिण–पश्चिम क्षेत्र तथा उत्तर का कुछ क्षेत्र समतल भूभाग के रूप में है। इसी प्रकार विजयीपुर का सम्पूर्ण उत्तरी पश्चिमी एवं मध्यवर्ती क्षेत्र और धाता का दक्षिणी–पश्चिमी और उत्तरी–पश्चिमी भूभाग को छोडकर सम्पूर्ण भाग समतल भूभाग के अन्तर्गत आता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में असोथर विकासखण्ड में सबसे कम समतल भूभाग है जबकि तेलियानी और बहुआ में सर्वाधिक समतल भूभाग उपलब्ध है यह क्षेत्र जनपद का विकसित क्षेत्र है जिसमें गहन कृषि और फलदार वृक्ष मिलते है।

2.3.2 झील एवं जलभराव क्षेत्र :–

इस क्षेत्र की सतह नीची है जिसमें वर्षा ऋतु में पानी भर जाता है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र मे इस प्रकार का क्षेत्र भिटौरा के मध्यवर्ती भाग से लेकर दक्षिण तक तथा हसवा का उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र, ऐरायां विकासखण्ड का मध्यवर्ती और पश्चिमी क्षेत्र, विजयीपुर का मध्य–पूर्वी भाग का कुछ क्षेत्र तथा धाता विकासखण्ड का उत्तरी और उत्तरी–पश्चिमी क्षेत्र इत्यादि सभी स्थानो में मिलता है। इन सभी स्थानों मे वर्षा ऋतु में पानी भर जाने से दल–दल बन जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में मात्र धान की फसलें उगायी जाती हैं। ये मत्स्यपालन के लिए भी उपयुक्त क्षेत्र होते हैं।

2.3.3 वन एवं बीहड़ भूमि :–

वर्तमान समय में जनपद में वनो का भाग बहुत कम है। थोड़े बहुत जो वन मिलते हैं वह उन्ही भागों में हैं जहॉ पर कृषि सम्भव नही है। इन वनों में विशेषकर जलौनी लकड़िया एवं कटीली झाडिया मिलती हैं। जनसंख्या के दबाव के कारण वन के अधिकांश भाग वनविहीन होते जा रहे हैं। जो कुछ वन मिलते हैं वे प्रमुखत· दलदली क्षेत्रों (Water Logged Areas) में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त जिन अन्य स्थानों में वन मिलते हैं उनमें दरियाबाद, ललौली, रेय, सेमरी, मानिकपुर, सेमौरी, रसूलपुर, भण्डारा तथा लमेहटा आदि के आस–पास के भाग उल्लेखनीय हैं।

Source: Fatehpur District Development Plan 1990 AD. Govt. of U.P. Vol. III, Planning Atlas, State Planning Institute Lucknow and Fatehpur oct 2'1989

Fig 22

2.3.4 तराई क्षेत्र :–

सर्वविदित तथ्य है कि जनपद फतेहपुर पूर्ण रूपेण गंगा–यमुना की जलोढ मिट्टी से आच्छादित है। अतः इन नदियो के तट के किनारे बाढ से निर्मित सिमटी उपजाऊ मिट्टी से बना भाग तराई क्षेत्र कहलाता है। इसका ढाल नदियो की ओर रहता है। इसमें पर्याप्त नमी रहती है इसीलिए इसमें गेहूँ, सरसो, लाही और अलसी की अच्छी उपज होती है।

2.4 उच्चावच :–

प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से जनपद फतेहपुर गंगा–यमुना और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित एक समतल मैदानी भूभाग है। गंगा की एकमात्र सहायक पाण्डु नदी है जबकि यमुना की प्रमुख सहायक नदियां रिन्द, नन, ससुर खदेरी बडी और छोटी हैं। ये सभी नदियां अपनी–अपनी प्रमुख नदियो मे मिलकर जनपद के सम्पूर्ण जल को प्रवाहित करती हैं। इस भूभाग का सामान्य ढाल उत्तर–पश्यिम से दक्षिण–पूरब की ओर है। पश्चिम से पूरब क्षेत्र का मुख्य ढाल है जबकि उत्तर से दक्षिण क्षेत्र का पूरक ढाल है। अध्ययन क्षेत्र में भिन्न–भिन्न स्थानों पर भिन्न–भिन्न ऊँचाई मिलती है। इन स्थानों में जहानाबाद के निकट स्थित कोड़ा का नाम सर्वप्रमुख है जहाँ जनपद की सर्वाधिक, 132 59 मी0 से भी अधिक ऊँचाई मिलती है। इसी प्रकार जनपद के पूरब में स्थित मंझिले गॉव की समुद्र तल से ऊँचाई लगभग 120.55 मी0 है। राष्ट्रीय राजमार्ग के सहारे स्थित ऊँचाई सम्पूर्ण क्षेत्र की ढाल प्रवणता को प्रदर्शित करते है। क्षेत्र के पश्चिमी किनारे पर अधिकतम ऊँचाई 121.36 मी0 तथा पूर्वी किनारे पर न्यूनतम ऊँचाई 105.15 मी0 मिलती है। मध्यम स्तर की ऊँचाई औग नामक स्थान पर 119.48 मी0 है। इनके अतिरिक्त मलवां की समुद्र तल से ऊँचाई 117.65 मी0, फतेहपुर की 111 25 मी0, थरियांव की 107.29 मी0 और कटोघन की 105.77 मी0 पाई जाती है (जिला गजेटियर, फतेहपरु, 1980, पृ0 3)।

2.5 भू–आकृतिक प्रदेश :–

मुख्य प्रवाह प्रणाली, मिट्टियो की बनावट और ढाल प्रवणता के आधार पर अध्ययन क्षेत्र को तीन प्रमुख भू–आकृतिक प्रदेशों में बाटा जा सकता है–

2.5.1 गंगा खादर :–

इस भूभाग का निर्माण प्रतिवर्ष बाढ के समय नदियों द्वारा लायी गयी जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। जब बाढ़ के समय नदियों का जल, क्षेत्र मे फैल जाता है तो नदियों के जल में घुली मिट्टी सिल्ट के रूप में सतह पर जमा हो जाती है। इस जमी हुयी मिट्टी की पर्त को खादर कहते है। पश्चिम में इसकी चौडाई अधिक पायी जाती है जबकि पूरब की ओर इसकी चौड़ाई सकरी होतीं जाती है।

इसे भिन्न–भिन्न स्थानों पर भिन्न–भिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे–कछार, कतरी और कच्छौहा इत्यादि। इसमे अनेक प्रकार की आकृतिया– नदी विसर्प, झील और नदी की रेत मिलती है। इसमें रबी, खरीफ, जायद अर्थात सभी फसले उत्पादित होती हैं। खादर मैदान छोटी नदियों और नालो द्वारा निर्मित ऊबड–खाबड ढाल वाले अनुपजाऊ मिट्टियों से निर्मित भाग हैं जो केन्द्रीय बागर भूमि से अलग स्थित है। इस क्षेत्र मे मिलने वाले ऊॅचे भाग गाँव और पुरवों के बसाव के लिए उपयुक्त स्थल प्रदान करते है।

2.5.2 बांगर प्रदेश :–

बांगर प्रदेश गंगा–यमुना और उसकी सहायक नदियों की बाढ़ सीमा से ऊपर स्थित समतल मैदान है जो गंगा और यमुना के भृगु (Cliff) के मध्य पाया जाता है इस भाग को उच्च भूमि और निम्न भूमि के रूप में पुनर्विभाजित किया गया है–

(अ) उच्च भूमि :–

भरपूर जल निकास वाला अधिक उपजाऊ तथा बलुई दोमट (Sand Loam) मिट्टी से आच्छादित क्षेत्र है।

(ब) निम्न भूमि :–

यह क्षेत्र विभिन्न ताल, झील और दलदल आदि से आच्छादित है। यहॉ पर चिकनी मिट्टी पाई जाती है। इस भूमि मे यत्र–तत्र रेह और ऊसर के अनुपजाऊ छोटे–छोटे क्षेत्र भी मिलते है जो गॉवों के बसाव के लिए उपयुक्त क्षेत्र हो सकते है।

2.5.3 यमुना खादर :–

यह क्षेत्र उच्च भृगु (Cliff) तथा वास्तविक नदी प्रवाह के बीच मिलता है और उत्खात भूमि से आक्रान्त है। यह यमुना खादर गगा खादर की तरह न तो उपजाऊ है और न ही कृषि योग्य है। इसीलिए इसमे गंगा खादर की तुलना मे जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है (जायसवाल, 1964, पृ0 17)।

2.6 अपवाह प्रतिरूप :–

जनपद की प्रवाह प्रणाली मुख्यत. गंगा, यमुना तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है (चित्र 2 3)। अध्ययन क्षेत्र में गंगा की एकमात्र सहायक नदी पाण्डु है जिसका प्रवाह उत्तर–पूर्व की ओर है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियो में रिन्द, नन ससुर खदेरी बड़ी और छोटी नदियां हैं

N
FATEHPUR DISTRICT
DRAINAGE
PANDU R
RIND R.
GANGA RIVER
YAMUNA RIVER
SASUR KHADERI BARI RIVER
SASUR KHADERI CHHOTI R.
BM 119.5
BM 117.4
124
119
114
BM 110.6
BM 106.6
106
117
BM 104.6
111
105
RIVERS
LAKES/ JHILS/ TALS
BM/Δ HEIGHT IN METRES FROM MSL
10
0
10
20
km

Fig. 2.3

जिनका प्रवाह दक्षिण–पूर्व की ओर है (समाजार्थिक समीक्षा, फतेहपुर, 1994–95, पृ0 6)। दोनों नदियां कानपुर जनपद की सीमा से प्रवेश करती हुई दक्षिण–पूर्व की ओर एक–दूसरे के सामानान्तर प्रवाहित होती हुई अध्ययन क्षेत्र की सीमा छोडते ही कौशाम्बी एवं इलाहाबाद जनपद में प्रवेश कर जाती है।

2.6.1 गंगा नदी प्रवाह :–

अध्ययन क्षेत्र में गंगा नदी का सम्पूर्ण बहाव लगभग 112 किमी0 मिलता है। गंगा की एकमात्र सहायक नदी पाण्डु है जो जनपद के उत्तर–पश्चिम किनारे के अति छोटे क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यहॉ पर विस्तृत खादर भूमि मिलती है जो रबी में अत्यधिक फसलें प्रदान करती है और गर्मियों के समय में खरबूज, तरबूज तथा सब्जियां आदि उगाने में प्रयोग की जाती है। सामान्य रूप से गंगा और यमुना नदियों का प्रवाह मार्ग पश्चिम से पूर्व की ओर है किन्तु गंगा का प्रवाह असनी, भिटौरा, शिवराजपुर में दक्षिण से उत्तर की ओर होने से इन स्थानों पर गंगा का विशेष महत्व है अतः इन स्थानो पर धार्मिक पर्वों पर स्नान हेतु अनेक घाट बने हुए हैं (समाजार्थिक समीक्षा, फतेहपुर, 1994–95, पृ0 2)।

2.6.2 यमुना नदी प्रवाह :–

यमुना नदी जनपद की दक्षिणी सीमा बनाती है। यह अत्यधिक विस्तृत और लम्बी प्रवाह (लगभग 165 किमी0) वाली है। इसके प्रवाह क्षेत्र मे ऊबड–खाबड़ एवं उत्खात भूमि मिलती है। इसका सम्पूर्ण प्रवाह क्षेत्र 388.8 वर्ग किमी0 है। जैसा कि पूर्वोल्लिखित है कि इसकी प्रमुख सहायक नदियां रिन्द, नन, और ससुर खदेरी बडी व छोटी है जो दक्षिण–पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। रिन्द नदी अलीगढ जनपद की एक झील से निकलती है और टेढ़ी–मेढ़ी गति से बहती हुई अनेक कन्दराओं एवं खड्डों का निर्माण करती हुयी सराय टोली गाँव के पास फतेहपुर जनपद में प्रवेश करती है। यह जनपद मे केवल 48 किमी0 की लम्बाई में बहती है एवं दरियाबाद–गंगोली के बीच यमुना नदी में मिल जाती है, यहॉ पर धारा सकरी और बहाव अति तीव्र है। नन नदी कानपुर जनपद की रनियां झील से निकलती है तथा मानेपुर ग्राम के पास फतेहपुर जनपद में प्रवेश करती है। इसका कुल प्रवाह क्षेत्र 16 किमी0 है। यह रिंठवा के पास यमुना नदी में मिल जाती है।

2.6.3 ससुर खदेरी नदी :–

इस नदी के सम्यक् अध्ययन के लिए इसको दो भागों में विभक्त किया जा सकता है– बड़ी शाखा– मानपुर गॉव के पास से निकलती है तथा गौली होती हुयी जनपद की सीमा को छोड़कर आगे निकल जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र जनपद के दक्षिणी–पूर्वी भाग में फैला है। छोटी शाखा–

भिटौरा विकास खण्ड से एक छिछले नाले के रूप मे निकलकर कोटर के पास यमुना में मिल जाती है यह जनपद के दक्षिण–पश्चिम के बहुत ही लघु क्षेत्र को आच्छादित करती है।

उपर्युक्त नदियो के साथ ही साथ अनेक झील और दलदल आदि अध्ययन क्षेत्र की प्रवाह प्रणाली के निर्माण में सहयोग देते हैं। जनपद के मध्यवर्ती निम्न मैदान के पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र मे इनकी अधिकता है। ये झीलें वर्षा ऋतु मे अत्यधिक मात्रा में जल का संचयीकरण कर लेती हैं जिससे इनसे छोटी–छोटी नदियों एवं नालों का निर्माण होता है। जनपद की प्रमुख झीलों में क्रमशः मुरौना, फर्सी, गुढी, मकनपुर, छीतमपुर, मलवां, लखना, सुखेली, महरहा, कंसपुर, कुरवा, अमीना, विलौना, अम्तरा, टेनी, मझटेनी, सिम्रहटा, मोहीद्दीनपुर, सलेमपुर, अजौली, बछरौली, खडगपुर, हवेली, गोवर्धनपुर, लक्ष्मीताल, सूपा और मथमैय्या आदि का नाम उल्लेखनीय है। इनमे से अधिकांश झीलें ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं (जिला गजेटियर, फतेहपुर, 1980, पृ0 6)।

2.7 जलवायु :–

सामान्यतः जनपद की जलवायु उष्ण मानसूनी प्रकार की है। इसके कारण वर्ष में तीन ऋतुए 1. ग्रीष्म ऋतु– मार्च से मध्य जून तक, 2. वर्षा ऋतु– मध्य जून से अक्टूबर तक और 3. शीत ऋतु– नवम्बर से फरवरी तक मिलती है। ग्रीष्म ऋतु झुलसाने वाली गर्मी, धूल भरी और अत्यधिक कष्टकारी 'लू' हवाओ से युक्त होती है तथा वर्षा ऋतु आर्द्रता के अधिक होने के कारण उमस भरी होती है, जबकि शीत ऋतु ठण्डी, शुष्क व आनन्ददायक होती है।

2.7.1 तापमान :–

सारणी 2.2 से स्पष्ट है कि जनपद मे जनवरी वर्ष का सबसे ठण्डा महीना होता है इस माह का औसत तापमान 16.15° से0 ग्रे0 (अधिकतम 23.4° से0 ग्रे0 और न्यूनतम 8.9° से0 ग्रे0) पाया जाता है। शीतल हवाओं के चलने पर यह तापमान कभी–कभी और भी नीचे गिर जाता है जिससे रात्रि अत्यधिक ठण्डी और तुषारयुक्त हो जाती है। फरवरी के बाद बहुत शीघ्रता से तापमान बढता है फलत. मई माह का प्रतिदिन का तापमान 42.3° से0 ग्रे0 तक पहुँच जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उष्ण एवं शुष्क मौसम होता है तथा इसमें चलने वाली 'लू' अत्यधिक गर्म और कष्ट कारक होती है। इस समय अधिकतम तापमान 45° से0 ग्रे0 रहता है किन्तु जैसे ही ग्रीष्म ऋतु समाप्त होती है और मानसून (जून के अन्त में) आगमन होता है, तापमान कम होने लगता है। जुलाई और अगस्त में अधिकतम तापमान क्रमशः 33.8° से0 ग्रे0 और 32.1° से0 ग्रे0 तथा न्यूनतम तापमान क्रमशः 26.7° से0 ग्रे0 और 25.9° से0 ग्रे0 पाया जाता है। अगस्त की तुलना में सितम्बर और अक्टूबर माह के अधिकतम तापमान में थोडी वृद्धि होती है किन्तु अक्टूबर से अधिकतम एवं न्यूनतम दोनों ही तापमानों में निरन्तर गिरावट आने लगती है जिससे दिसम्बर माह का अधिकतम तापमान 24.5°

सारणी 2 2

जनपद फतेहपुर : जलवायुविक विशेषताएं

क्रम सं0	माह	तापमान अधिकतम (सेग्रे0)	न्यूनतम (सेग्रे0)	हवा की गति किमी0/घण्टा	आर्द्रता प्रतिशत में 0830 hrs	वर्षा सेमी0 के दिन	वार्षिक वर्षा	मेघाच्छादन
1	जनवरी	23.4	8.9	3.1	74	2.04	2.1	2.3
2.	फरवरी	26 6	11.1	4.1	67	1.67	1.7	1.9
3.	मार्च	33.1	16.3	5.5	47	1.00	1.0	1.4
4.	अप्रैल	38.6	22.1	5.7	37	0.61	0.5	1.3
5.	मई	42.3	27.3	6 4	39	0.47	0.5	1.3
6.	जून	40.1	28.8	7.0	54	6.68	5.0	3.4
7.	जुलाई	33.8	26.7	5 9	81	28 93	12.6	5.7
8.	अगस्त	32.1	25.9	4.8	86	28.01	13.7	5.9
9.	सितम्बर	32.7	25.0	4.0	82	14.44	8.1	3.9
10.	अक्टूबर	32.8	20.0	2.5	69	3.91	2.0	1.5
11.	नवम्बर	29.0	12.7	2.3	63	0.16	0.3	0.8
12.	दिसम्बर	24.5	9.0	2.5	72	0.59	0.6	1.3
वार्षिक औसत/योग		32.4	19.5	4.5	64	88.51	48.1	2.5

Source : (1) Climotological Tables of Observatories in India, Indian Meteorological Deptt. (1967)

(2) Agricultural Atlas of Uttar Pradesh (Nainital : G.B. Pant Uni. 1973, p.p. 106-107

न्यूनतम 9° से0 ग्रे0 तक पहुँच जाता है।

2.7.2 वायुदाब और हवाएं :-

वायुदाब एवं हवाओं की गति और दिशा पर अध्ययन क्षेत्र में वर्षा और आर्द्रता आदि की मात्रा निर्भर करती है। दिसम्बर और जनवरी में वायुदाब 1020 मिलीबार पाया जाता है। परन्तु पश्चिमी अवदाबों के कारण कभी-कभी यह वायुदाब 1012 मिलीबार तक गिर जाता है। मई माह मे जनपद का वायुदाब लगभग 1000 मिलीबार होता है किन्तु बाद में धरातल के अत्यधिक गर्म होने के कारण तथा N I.T.C. के उत्तर की ओर बढने के कारण इसकी प्रवृत्ति पश्चिम की ओर बहुत दूर तक बढाने वाली होती है। वर्षा ऋतु को छोडकर इस ऋतु में हवाओं की दिशा सामान्यतया पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी होती है। सारणी 2.2 के अनुसार अध्ययन क्षेत्र मे हवाओं की वार्षिक औसत गति 4.5 किमी0 प्रति घंटा पायी जाती है। जनवरी माह मे हवाओं की गति 3.1 किमी0 प्रति घंटा होती है जबकि मई-जून माह में यह बढ़कर 6 4 और 7 किमी0 प्रति घंटा तक पहुँच जाती है जो नवम्बर माह में पुनः घटकर मात्र 2.3 किमी0 प्रति घटा हो जाती है। मई और जून की हवाएं शुष्क, गर्म और धूलभरी होती है, इन्हें ही मध्य गगा के मैदान में 'लू' कहते है। कभी-कभी ग्रीष्म ऋतु में इनकी गति लगभग 100 किमी0 प्रति घंटा तक होती है जिसे आंधी कहते हैं। ध्यातव्य है कि पूर्वी, उत्तरी-पूर्वी और दक्षिणी-पूर्वी हवाएं सामान्यतया वर्षायुक्त, मेघगर्जन और तूफान युक्त होती है किन्तु वर्षाऋतु के उपरान्त ये हवाएं सामान्य गति से चलने लगती हैं।

2.7.3 आर्द्रता और वर्षा :-

ये दोनों ही तत्व जलवायु के सबसे महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि ये किसी भी स्थान या क्षेत्र की वनस्पति, मिट्टी और कृषि को पूर्णतया प्रभावित करते हैं। सारणी 2.2 से स्पष्ट है कि फतेहपुर जनपद की आर्द्रता का वार्षिक औसत 64% है। अप्रैल माह में यहाँ पर सबसे कम आर्द्रता लगभग 37% और अधिकतम अगस्त माह में लगभग 86% मिलती है। वर्ष के 3 माह क्रमश· जुलाई, अगस्त, सितम्बर जो कि वर्षा वाले कहलाते हैं, में औसत आर्द्रता लगभग 83% मिलती है और यही आर्द्रता उच्च तापमान से मिलकर मौसम उमस भरा और कष्टकारक बना देती है। ग्रीष्म मानसून के चले जाने पर साधारणतः आर्द्रता गिरती है और दिसम्बर-जनवरी तक तो यह उच्च स्थानों पर नाममात्र की ही अकित की जाती है। ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के समय कभी-कभी आर्द्रता 30% से भी कम हो जाती है जिससे मौसम शुष्क हो जाता है।

फतेहपुर जनपद उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की तुलना में सबसे कम वर्षा वाला जनपद है। किन्तु यदि अलग से जनपद की वर्षा का अध्ययन करें तो ज्ञात होता है कि यहाँ वर्षा मध्यम स्तर की है जिसका वार्षिक वर्षा लगभग 88.5 सेंमी0 है। इसमें से लगभग 92.61% वर्षा वर्ष के चार

महीनों (मध्य जून से – मध्य अक्टूबर तक) में मिलती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसून की दक्षिणी–पश्चिमी शाखा से प्राप्त होती है। वर्षा से सम्बन्धित कुल प्राप्त आकड़ों पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि नवम्बर–अप्रैल सबसे शुष्क माह (क्रमशः 0 16 सेंमी0 और 0.61 सेंमी0) है जबकि जुलाई सबसे अधिक वर्षा (28.93 सेंमी0) वाला माह है। जनवरी माह में भूमध्यसागरीय चक्रवातों से लगभग 2.0 सेंमी0 वर्षा होती है जो कि रबी की फसल के लिए बहुत लाभकारी है। किन्तु यही चक्रवात भयंकर आंधी–तूफान से मिलकर फरवरी–अप्रैल माह में कभी–कभी खड़ी फसल के लिए बहुत नुकसान देय होते हैं। ऋतु विज्ञानवेत्ताओं द्वारा ऐसा अनुमान किया गया है कि क्षेत्र में कुल मिलाकर सम्पूर्ण वर्ष में लगभग 48 दिन वर्षा वाले होते है जिनमें लगभग 41 दिन वर्षा ऋतु में मिलते हैं। अध्ययन क्षेत्र में वर्षा का वितरण पूरब से पश्चिम की ओर कम होता जाता है, उदाहरणार्थ– खागा में 97 सेमी0, फतेहपुर में 88.5 सेंमी0 और बकेवर में 82 सेंमी0 वार्षिक वर्षा मिलती है। कुछ अपवादों को छोडकर फतेहपुर जनपद के अधिकांश क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा प्राप्त होती है किन्तु जहॉ पर वर्षा कम होती है वहॉ पर सिंचाई की व्यवस्था से कृषि की जाती है।

2.8 मृदा :–

फतेहपुर जनपद द्वाब क्षेत्र का भाग है जिसके कारण गंगा और यमुना नदियों द्वारा बिछायी गयी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से सम्पन्न है। गंगा–यमुना की यह मिट्टी अपनी पदार्थ भिन्नता, निर्माण की प्रक्रिया में अन्तर और अन्य विशेषताओं के कारण अध्ययन क्षेत्र में कई प्रकार की मिट्टियों को जन्म देती है। अध्ययन क्षेत्र में बलुई व भ्रूड मिट्टी 2%, दोमट 47%, मटियार 7%, सीगी मिट्टी 15%, कावर मिट्टी 12%, तराई एवं कछार 5%, तथा चाचर एवं अन्य प्रकार की मिट्टी 12% पाई जाती है (समाजार्थिक समीक्षा, फतेहपुर, 1994–95, पृ0 2)। जनपद की इस मृदा भिन्नता को दृष्टिगत करते हुए क्रमशः तीन उपविभागों में विभाजित किया गया है (चित्र 2.4)।

2.8.1 गंगा खादर और नवीन कछारी मिट्टी :–

इस मिट्टी का विस्तार अध्ययन क्षेत्र के कुल क्षेत्र विस्तार के लगभग 30,000 हे0 अर्थात 9.88% भाग में है। जनपद में इसका विस्तार गंगा नदी के पश्चिम से पूरब की ओर लगभग 5 किमी0 चौड़ी एक सकरी पेटी के रूप में मिलता है। नदी के पास तक यह भूरे रंग की मिलती है किन्तु ज्यों ही इसके उच्च किनारे को पार करते हैं इसका रंग धूसर भूरे से पीले भूरे में बदल जाता है। इस प्रकार की मिट्टी में रबी और जायद की फसलें–ककड़ी, खीरा, तरबूज और कुछ सब्जियां उगायी जाती है। नदियों के ऊँचे–ऊँचे किनारे होने के कारण तथा मिट्टी के कम उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर निम्न कोटि की फसल ज्वार, बाजरा, अरहर आदि खरीफ में तथा जौ, चना, लाही

GANGA RIVER
YAMUNA RIVER
10 0 10 20
km
Ganga Khadar
Recent Alluvium
Ganga Flats
Ganga Uplands
Ganga Flats (Malmographic)
Ganga Lowlands
Yamuna Khadar
Yamuna Uplands (Kakar)
Yamuna Flats (Karwa)
Yamuna Lowlands (Kabar)
after C.L.Mehrotra et al,1972

Fig. 2.4

आदि की मिली–जुली फसले रबी मे उत्पन्न की जाती हैं। स्मरणीय तथ्य है कि इस सम्पूर्ण प्रदेश मे जल की कमी अथवा सतह से अधिक गहराई मे जल मिलने के कारण बहुत सी समस्याओं का सामना करना पडता है।

(अ) गंगा की समतल भूमि :–

इस मृदा उपप्रदेश का विस्तार प्रमुखत बिन्दकी एव खागा तहसीलों में मिलता है। यह कुल क्षेत्र के लगभग 193,828.6 हे0 अर्थात 45 6% क्षेत्र मे विस्तृत है। वर्षा ऋतु मे जल के संचय के कारण इसकी भूमि का कुछ क्षेत्र क्षारीय मिट्टी के अन्तर्गत आता है। यह मुख्य रूप से खागा तहसील मे मिलती है। इस अल्प क्षारीय क्षेत्र को छोडकर शेष पूरा क्षेत्र फसल उपज की दृष्टि से बहुत अच्छा है क्योकि इस सम्पूर्ण उपप्रदेश मे पर्याप्त सिचाई के साधन अर्थात नहर और कुओं की व्यवस्था है।

(ब) गंगा उच्च भूमि :–

इस मृदा उपप्रदेश का विस्तार जनपद के मध्यवर्ती भाग में लगभग 75,000 हे0 अर्थात 14.38% क्षेत्र मे एक चौडी पेटी के रूप में पाया जाता है। इस पेटी का विस्तार दक्षिण–पूरब की ओर कौशाम्बी जनपद की सीमा तक विस्तृत विभिन्न परगनों–फतेहपुर, तेलियानी, हसवा और धाता तथा पश्चिम के कुछ क्षेत्रों, पश्चिम के कुछ क्षेत्रो, यथा–देवमई, अमौली और खजुहा में पाया जाता है। इस मिट्टी का रंग पीला भूरा है जो कि बलुई, चिकनी उपजाऊ मिट्टियों से मिलकर मोटी और दानेदार परत का निर्माण करती है। इस मिट्टी मे जहॉ कही भी सिंचाई की उचित व्यवस्था है सभी प्रकार की फसले उगायी जाती है। इसी कारण यह भाग जनपद का सबसे समृद्ध क्षेत्र है।

(स) गंगा निम्न भूमि :–

इस मृदा उपप्रदेश का विस्तार लगभग 50,000 हे0 अर्थात 10.23% भूमि पर मिलता है। इस पेटी का आकार तश्तरीनुमा है जिसका फैलाव अध्ययन क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में है। इसके अन्तर्गत बिन्दकी और फतेहपुर तहसीलें हैं। साथ ही इसमे कोडा और गाजीपुर परगनों का कुछ भाग आता है। वर्षा ऋतु के समय में यह क्षेत्र प्रचुर मात्रा मे जल का संचय कर लेता है जिसके परिणामस्वरूप यहॉ बडी मात्रा में झीलें, बडे तालाब तथा छोटे–छोटे तालाब पाये जाते हैं। यहॉ पर जल प्रवाह मे नियमितता पायी जाती है किन्तु जहॉ पर जल स्थिर हो जाता है वहाँ की मिट्टी क्षारीय हो जाती है। यह धीरे–धीरे ऊसर भूमि में परिवर्तित हो जाती है एवं कृषि के अयोग्य हो जाती है। इस सम्पूर्ण प्रदेश की प्रमुख फसल खरीफ की धान फसल है।

2.8.2 यमुना खादर और उच्चभूमि :–

इसका विस्तार गंगा खादर की अपेक्षा कम क्षेत्र पर पाया जाता है। इस क्षेत्र में बडे–बडे विस्तृत खड्ड मिलते है। यह उत्खात भूमि कंकरीली व पथरीली सरचना वाली मिट्टी से निर्मित है। ये मिट्टियॉ फतेहपुर तहसील के यमुना से सलग्न सम्पूर्ण क्षेत्र में नदी के सहारे एक पेटी के रूप मे पायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त इनका विस्तार नन नदी के आसपास वाले क्षेत्र में भी मिलता है। खागा तहसील में इनका विस्तार यमुना से संलग्न दोनों विकासखण्डों विजयीपुर और धाता में मिलता है। धाता में इसका क्षेत्र धुर दक्षिणी भाग मे केन्द्रित है। हर वर्ष वर्षा ऋतु में जब यमुना मे बाढ आती है तो यमुना खादर भूमि के कन्दरा खड्ड दृढता से अपरदित होते हैं। यमुना खादर क्षेत्र उतना उपजाऊ नहीं है जितना कि गगा खादर। यहॉ मुख्यतः मोटे अनाजों की कृषि की जाती है।

यमुना खादर से संलग्न उच्च भूमि की मिट्टी एक सकरी पेटी के रूप में लगभग 43,150.8 हे0 अर्थात 10.15% क्षेत्र में विस्तृत है। सामान्यतः यह मिट्टी लाल रंग की होती जो बुन्देलखण्ड की राकर (Rakar) मिट्टी से मिलती है। यह क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट बहुल होती है। इस क्षेत्र में जल की कमी के कारण मोटे अनाज की फसले जैसे– चना, ज्वार, बाजरा, सरसों, मक्का, रेडी तथा सब्जियॉ आदि उगायी जाती है।

(अ) यमुना की समतल भूमि और निम्न भूमि :–

यमुना समतल भूमि का विस्तार यमुना खादर उच्च भूमि से दूर मिलता है। इसका फैलाव अध्ययन क्षेत्र में लगभग 41,410.7 हे0 अर्थात 9 74% भाग पर है। स्थानीय भाषा में इसे पद्वा और मरवा नाम से जानते हैं जो कि बुंदेलखण्ड की परवा व मार मिट्टी से बहुत साम्यता लिए हुये है। इसका रंग सतह पर भूरे रग से धूसर भूरा तथा गहरा भूरा मिलता है। जबकि सतह के नीचे इसका रग पीला मिलता है। इस मिट्टी मे विभिन्न प्रकार की फसले–धान, चना, बेझर, और सरसों आदि उत्पादित होती हैं। यमुना निम्न भूमि सामान्यतया अध्ययन क्षेत्र के भीतरी भागों मे स्थित है। इसका रंग भूरे से गहरा धूसर रग वाला होता है। इसमे वर्ष पर्यन्त 33% मिट्टी मिलती है और परिमिति रूप में यह मध्यम क्षेणी की क्षारीय मिट्टी होती है। इस उप प्रदेश की मिट्टी बुंदेलखण्ड की मार अथवा काबर (Kabar) से बहुत साम्य रखती है। यह मिट्टी नमी मिलने पर फैलती है और सूखने पर इसमें दरार पड जाती है। इसमें गहराई तक जोताई करनी पड़ती है। यह मिट्टी उपजाऊ और अच्छी फसल देने वाली होती है। इसमें सिंचाई की उचित और पर्याप्त सुविधा की आवश्यकता होती है।

जनपद की उपर्युक्त समस्त मिट्टियो के विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि यहॉ की मिट्टियां कुछ क्षेत्रों में मृदा अपरदन तो कुछ भागों में जल की कमी की समस्या से ग्रस्त है। इनमें नाइट्रोजन एवं जीवांश की कमी मिलती है। इनमे यत्र–तत्र विस्तृत ऊसर क्षेत्र मिलते हैं जिन्हें जिप्सम आदि के प्रयोग से पुनुरुद्धार करने की आवश्यकता है।

2.9 प्राकृतिक वनस्पति :–

प्राचीन समय मे फतेहपुर जनपद मे उष्ण कटिबन्धीय पतझड वनों का बहुत ही सघन आवरण उपलब्ध था किन्तु जनसख्या वृद्धि के कारण नित नवीन बस्तियॉ बसने एवं कृषि के प्रसार से ये वन धीरे–धीरे नष्ट होते गये। वर्तमान समय मे ऐसा कोई नहीं है जिसे विशेष वन के नाम से अभिहित किया जा सके। आज की उपलब्ध वनस्पति के अन्तर्गत वन, चारागाह, बाग–बगीचा और झाडिया आदि सभी सम्मिलित है जो जनपद के लगभग 13,759 हे0 अर्थात 2 92% क्षेत्र मे मिलते है। यदि विकासखण्ड स्तर पर वनस्पति के वितरण का आकलन करें (सारिणी 4 2) तो स्पष्ट होता है कि ऐराया विकासखण्ड मे सर्वाधिक 5 55% वन मिलते है जबकि असोथर और अमौली विकासखण्डो मे इनका विस्तार सबसे कम (क्रमश 1 46% तथा 1.50% क्षेत्र) पाया जाता है। जनपद में ऐराया के बाद क्रमशः तेलियानी 5 23% का स्थान है। इसमें चारागाह क्षेत्र सबसे अधिक मिलता है। इनके अतिरिक्त मिलवा 4 39%, भिटौरा 3 52%, हसवा 3.48%, बहुआ 3.40%, खजुहा 2 29%, हथगॉव 2 29%, विजयीपुर 1 95 %, देवमई 1 92%, धाता 1.86%, अमौली 1.50% और असोथर 1 46% आदि है। इस प्रकार जनपद के 6 विकासखण्डों में वनस्पति का प्रतिशत क्षेत्रीय औसत (2 92%) से अधिक है जबकि 7 विकासखण्डों में यह कम है। यद्यपि सम्पूर्ण क्षेत्र में मूल प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो चुकी है तथापि दोनों मुख्य नदियों– गंगा और यमुना तथा उनकी सहायक नदियो के किनारे ढाक, बबूल आदि के पेड तथा सरपत, कांस आदि पाये जाते है। क्षेत्र के अन्य वृक्षों मे प्रमुखतया आम, महुआ, कैथा, नीम, आंवला, अमरूद, पपीता, नींबू, जामुन, कटहल, पीपल और बरगद आदि मिलते है। इनके अतिरिक्त गगा खादर क्षेत्र मे सरपत और एक भद्दी मोटी घास जो क्षेत्रीय भाषा मे हाथी घास कहलाती है, मिलती है। सन् 1991–92 के आकडों के अनुसार फतेहपुर जनपद में वन, चारागाह, बाग–बगीचो एव झाडियों के अन्तर्गत मात्र 2.92% क्षेत्र सम्मिलित था जो प्रादेशिक (17 42%) ओर राष्ट्रीय (19 47%) औसत की तुलना में बहुत ही कम है। इससे पर्यावरण पर बढते खतरे का स्पष्ट सकेत मिलता है।

2.10 जनसंख्या वृद्धि :–

जनसख्या जो कि मानव संसाधन के रूप मे मानी जाती है, चाहे युद्ध काल में शारीरिक रूप से स्वस्थ और प्रशिक्षित सैनिकों की बात हो या शन्ति काल में आर्थिक उत्पादन हेतु परिश्रमी और लगनशील श्रमिकों की, किसी क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास में प्रमुख कारक है। किसी देश मे उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और जनसंख्या के बीच का संतुलन उसके सुखी वर्तमान और स्वर्णिम भविष्य का परिचायक है परन्तु उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनो से अधिक जनसख्या उसके विकास की प्रवृत्ति को शिथिल कर उसमें बेरोजगारी, गरीबी, जीवन मूल्यों में ह्रास आदि को जन्म देती है। डा0 ज्ञानचन्द के अनुसार तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या

सारणी 2 3

जनसख्या वृद्धि – कुल/ग्रामीण

जनगणना वर्ष	कुल जनसख्या	दशकीय वृद्धि प्रतिशत मे	ग्रामीण जनसंख्या	दशकीय वृद्धि प्रतिशत में
1847	511,132			
1853	679,787	33 0		
1865	681,053	0 19	628,384	1.46
1872	663,877	−2 52	628,384	1.46
1881	683,745	2 99	637,584	1 46
1891	699,157	2.99	654,727	2,69
1901	686,391	−1 83	649,687	−0.77
1911	676,939	−1 38	448,782	−0.14
1921	652,392	−3 63	625,133	−3 65
1931	688,789	5 58	656,636	5.04
1941	806,944	17 15	763,066	16.21
1951	908,985	12 65	861,348	12.88
1961	1,072,940	10 04	1,030,183	19.60
1971	1,278,254	19 14	1,206,346	17.10
1981	1,572,421	23 01	1,431,129	18.63
1991	1,899,241	20 78	1,711,228	19.57

स्रोत –

(1) Census of India

(2) District Gazetteer, Fatehpur

(3) सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1993, पृ0 22

GROWTH OF POPULATION
TOTAL POPULATION
RURAL POPULATION
POPULATION (in lakh)
20
18
16
14
12
10
8
6
1881
91
1901
11
21
31
41
51
61
71
81
91
CENSUS YEARS

Fig 2.5

आर्थिक विकास की सबसे बडी बाधा है।

सामान्यत. जनसख्या वृद्धि की सकल्पना का व्यवहार एक निश्चित अवधि मे एक क्षेत्र मे रहने वाले लोगो की सख्या मे परिवर्तनार्थ किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र की जनगणना का सर्वप्रथम प्रयास ब्रिटिश शासन काल के दौरान सन् 1847 मे किया गया। सारणी 2.3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उस समय (सन् 1847) जनपद फतेहपुर की कुल जनसंख्या 511,132 थी पुनः 6 वर्ष पश्चात अर्थात सन् 1853 में जनगणना की गयी जिसमे यह जनसख्या बढकर 679,787 हो गयी। इस प्रकार इन 6 वर्षो मे जनसख्या मे 33% की वृद्धि हुई। तत्पश्चात 12 वर्ष के अन्तराल पर सन् 1865 मे यह जनसख्या बढकर 681,053 पहुँच गयी किन्तु इस समयावधि में वृद्धि दर मात्र 0.19% ही रही। पुन 1872 मे जनगणना हुयी लेकिन इस समयावधि मे जनसंख्या घटकर 663,877 हो गयी। इस प्रकार इसमे 2 52% का ह्रास हुआ जिसके लिए उस समय व्याप्त अकाल और महामारी को उत्तरदायी माना गया। ध्यावव्य है कि सन् 1872 मे ही जनपद में सर्वप्रथम ग्रामीण जनगणना का शुभारम्भ हुआ और उस समय जनपद की कुल ग्रामीण जनसंख्या 628,384 आकी गयी।

सम्पूर्ण भारतवर्ष की ही तरह सन् 1881 से जनपद फतेहपुर की जनगणना नियमित रूप से की जाती रही है। सारणी 2 3 और चित्र 2 5 द्वारा फतेहपुर जनपद मे सन् 1881 और 1991 के बीच जनसख्या की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया गया है। जनपद की जनसख्या सन् 1881 में 683,745 थी अर्थात 1872 की तुलना मे इसमें 2 99% की वृद्धि हुयी जबकि इसी समय (सन् 1881) क्षेत्र की ग्रामीण जनसख्या 637,584 थी अर्थात इसमे 1872 की तुलना 1.46% की वृद्धि हुयी। 1891 में कुल जनसख्या बढकर 699,157 हो गयी। इस प्रकार इसमे 2.25% की वृद्धि हुई जबकि 1891 में ही ग्रामीण जनसख्या बढकर 654,727 हो गयी जिसमें 2 69% वृद्धि देखी गयी। सन् 1891 के पश्चात जनसख्या में वृद्धि की अपेक्षा निरन्तर ह्रास आरम्भ हुआ जो तीन दशकों अर्थात 1901 से 1921 तक कायम रहा और 1921 मे कुल जनसंख्या घटकर 652,392 ही रह गयी। सबसे अधिक ह्रास दर 1911–21 में 3.63% की अकित की गयी। इसी प्रकार सन् 1921 में ग्रामीण जनसंख्या घटकर 625,133 रह गयी और इसमें 1911–21 दशक के दौरान 3.65% का ह्रास हुआ। इस समयांवधि मे जनसख्या ह्रास का प्रमुख कारण उच्च मृत्युदर को माना गया और इस अतिशय मृत्युदर के प्रमुख कारण महामारी, अकाल, खाद्यान्न पदार्थो की कमी और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था। जनसंख्या ह्रास का प्रमुख कारण (1911–21) प्रथम विश्व युद्ध (1914–18) का होना भी था। सन् 1921 के बाद जनसंख्या सहज गति से अनवरत बढने लगी परिणाम स्वरूप सन् 1931 में कुल जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या बढकर क्रमशः 688,789 और 656,636 हो गयी। इस प्रकार इन दोनों में क्रमशः 5.58% और 5.04% की दशकीय वृद्धि हुयी। पिछले वर्षो की तुलना में सन् 1941 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि क्रमशः 17.15% और 16.21% की वृद्धि हुयी। इसमें कुल जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या बढ़कर क्रमश. 806,944 और 763,066 हो गयी। इसी प्रकार सन् 1951 में

कुल जनसख्या और ग्रामीण जनसख्या बढकर क्रमश 908,985 और 861,348 हो गयी तथा इन दोनो मे क्रमश. 12 65% और 12 88% की वृद्धि हुई। ध्यातव्य है कि 1931–41 के दशक की तुलना मे 1941–51 के दशक मे जनसख्या वृद्धि दर मे मामूली कमी परिलक्षित होती है जिसका प्रमुख कारण द्वितीय विश्व युद्ध (1939–45) तथा आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता को माना गया। किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जनसख्या वृद्धि की गति तीव्र हुई जिससे सन् 1961 में जनपद की कुल जनसख्या और ग्रामीण जनसख्या बढकर क्रमशः 1,072,940 और 1,030,183 तक पहुँच गयी। इस प्रकार दोनो मे क्रमश 18.04% और 19.60% की वृद्धि हुयी। सन् 1971 मे कुल जनसख्या और ग्रामीण जनसख्या बढकर क्रमश 1,278,254 और 1,206,346 हो गयी तथा इन दोनो में क्रमश· 19 14% और 17 10% की दशकीय वृद्धि हुयी। सन् 1981 में जनपद की कुल जनसख्या और ग्रामीण जनसख्या बढकर क्रमश 1,572,421 और 1,431,129 हो गयी। इस प्रकार इन दानो मे ही क्रमश· 23 01% और 18.63% की जनसंख्या वृद्धि हुयी। स्मरणीय है कि सन् 1971–81 के दशक में कुल जनसख्या की प्रतिशत वृद्धि (23.01) स्वातंत्रयोत्तर काल में सर्वाधिक रही। पिछली जनगणना (1991) के दौरान कुल जनसख्या और ग्रामीण जनसंख्या बढ़कर क्रमशः 1,899,241 और 1,711,228 हो गयी तथा इन दोनो मे क्रमश. 20.78% और 19.57% की वृद्धि देखी गयी। इस तरह 1891 से 1991 के बीच अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या में ढाई गुना से भी अधिक की वृद्धि हुयी। यदि जनसख्या वृद्धि से सम्बन्धित ग्राफ (चित्र 2.5) का अवलोकन करें तो ज्ञात होता है कि इस समयावधि (1981–1991) में कुल जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या को प्रदर्शित करने वाले वक्रो की प्रवृति लगभग एक सी रही है।

जनसख्या वृद्धि के स्थानिक अध्ययन हेतु विकास खण्ड स्तर पर 1971–81 और 1981–91 दशको की प्रतिशत वृद्धि को लिया गया है। सारणी 2 4 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 1971–18 के दशक में जनपद की ग्रामीण जनसंख्या में औसत प्रतिशत वृद्धि 18 63% थी। क्षेत्र में सर्वाधिक जनसख्या वृद्धि 22.68% मलवा विकास खण्ड मे मिलती है जबकि सबसे कम विजयीपुर विकास खण्ड की 14.34% रही। इन दोनो विकास खण्डो के अतिरिक्त अन्य विकास खण्डों में क्रमशः तेलियानी (22.26%), खजुहा (21 99%), हथगॉव (21.53%), देवमई (20.79%), भिटौना (20 67%), असोथर (20.48%), हसवा(20.17%), अमौली (20.06%), धाता (20.05%) ऐराया (17.20%) और बहुआ (15 20%) का वृद्धि मे स्थान रहा। इस प्रकार जनपद के कुल 13 विकास खण्डो मे से 10 मे प्रतिशत वृद्धि कर क्षेत्रीय औसत (18.63%) से अधिक और शेष 3 विकास खण्डों मे औसत से कम रही। इसी प्रकार 1981–91 के दशक में जनपद की ग्रामीण जनसंख्या की औसत प्रतिशत वृद्धि दर 19.57 रही। इस सन् में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि (23.20) ऐरायां विकास खण्ड में मिलती है जबकि सबसे कम अमौली विकास खण्ड की 13.54% रही। इन दोनों विकासखण्डों के अतिरिक्त अन्य विकासखण्डों में क्रमश. तेलियानी (22.63%), हसवा (22.13%),

सारणी 2.4

जनपद फतेहपुर : जनसख्या वृद्धि

क्रम सं0	विकासखण्ड	दशकीय वृद्धि (प्रतिशत में)	
		1971–81	1981–91
1	देवमई	20 79	17.79
2.	मलवां	22.68	21.20
3.	अमौली	20.06	13.54
4.	खजुहा	21.99	21.02
5.	तेलियानी	22.26	22.63
6	भिटौरा	20.67	19.79
7	हसवा	20 17	22.13
8.	बहुआ	15.20	19.79
9.	असोथर	20 48	18.66
10	हथगॉव	21 53	19.96
11.	ऐरायां	17 20	23.20
12.	विजयीपुर	14 34	18.70
13.	धाता	20.05	16.05
	ग्रामीण	18.63	19.57
	नगरीय	96 49	33.06
	जनपद	23.01	20.78

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1986 एवं 1993 पृ0 20

मलवा (21.20%), खजुहा (21 02%), हथगॉव (19 96%), भिटौरा (19.79%), बहुआ (19.79%), विजयीपुर (18 70%), असोथर (18.66%), देवमई (17 79%)और धाता (16.05%) का प्रतिशत वृद्धि मे स्थान रहा। इस प्रकार 1971–81 और 1981–91 के दशकों मे जनसख्या वृद्धि के अध्ययन से स्पष्ट है कि अमौली विकासखण्ड जहॉ पर 1971–81 में जनसंख्या वृद्धि 20.06% की हुयी वहॉ 1981–91 मे यह मात्र (13 54%) ही रही अर्थात इसमें 6.52% का ह्रास देखा गया है। अमौली की ही तरह जनसख्या वृद्धि की प्रवृति देवमई, मलवा, खजुहा, भिटौरा, असोथर, हथगॉव और धाता मे भी दृष्टव्य है जबकि तेलियानी, हसवा, बहुआ, ऐराया और विजयीपुर आदि सभी ऐसे विकासखण्ड है जिनकी जनसंख्या वृद्धि 1981 की तुलना मे 1991 में काफी अधिक रही है। जनसंख्या वृद्धि मे सबसे अधिक ह्रास अमौली विकासखण्ड मे देखने को मिलता है जिसका प्रमुख श्रेय उच्च शैक्षिक विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपयुक्त व्यवस्था को जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शैक्षिक स्तर में सुधार लाकर जनसख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है।

2.11 जनसंख्या घनत्व :–

जनसख्या घनत्व से तात्पर्य सामान्यत किसी ईकाई क्षेत्र में उपलब्ध लोगों की संख्या से है। जनसख्या घनत्व, संसाधनो पर जनसख्या के वास्तविक दबाव को द्योतित करता है (ट्रिवार्था, 1953, पृ0 94)। सारणी 2 5 और चित्र 2 5 ABCD द्वारा सन् 1991 में फतेहपुर जनपद की जनसख्या के गणितीय घनत्व, कृषि घनत्व, कायिक घनत्व और पोषकीय घनत्व को प्रदर्शित किया गया है जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है–

2.11.1 गणितीय घनत्व :–

अध्ययन क्षेत्र मे सर्वप्रथम 1847 मे जनगणना हुई और उस समय क्षेत्र का गणितीय घनत्व 313 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 था जो 1991 में बढकर 461 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 हो गया। विकासखण्ड स्तर पर 1991 के जनसंख्या घनत्व के विश्लेषण के आधार पर जनपद के विकासखण्डो को निम्न चार वर्गो मे विभाजित किया जा सकता है (सारणी 2.5 और चित्र 2.6A)–

(अ) अति उच्च घनत्व क्षेत्र :–

इस जनघनत्व क्षेत्र के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र का एकमात्र विकासखण्ड हथगॉव आता है जो सम्पूर्ण जनपद के लगभग 6.55% क्षेत्र को आवृत्त किये हुए है। यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व 536 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 पाया जाता है। यहॉ पर सर्वाधिक जनघनत्व मिलने का प्रमुख कारण उपजाऊ मिट्टी, कृषि विकास, परिवहन और संचार सुविधाओं का प्रसार तथा पारिवारिक उद्योगों का फैलाव है।

सारणी 2 5

फतेहपुर जनपद   जनसख्या घनत्व, 1991

(व्यक्ति/वर्ग किमी0)

क्रम स0	विकासखण्ड	गणितीय घनत्व	कृषि घनत्व	कायिक घनत्व	पोषकीय घनत्व
1	देवमई	459	426	388	576
2	मलवा	460	441	562	525
3	अमौली	353	584	535	495
4	खजुहा	428	444	590	533
5	तेलियानी	426	593	554	456
6	भिटौरा	446	486	427	539
7	हसवा	451	472	415	554
8	बहुआ	425	401	578	458
9	असोथर	353	579	531	407
10.	हथगॉव	536	566	480	621
11.	ऐराया	436	517	437	565
12	विजयीपुर	356	432	568	469
13	धाता	428	496	422	602
	जनपद	461	487	431	562

स्रोत :- सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1993, पृ0 22

1 गणितीय घनत्व = कुल जनसख्या / कुल भौगोलिक क्षेत्र

2. कृषि घनत्व = कृषि मे सलग्न कुल जनसंख्या / कुल कृषित क्षेत्र

3. कायिक घनत्व = कुल जनसंख्या / कुल कृषि योग्य क्षेत्र

4 पोषकीय घनत्व = कुल जनसख्या / खाद्यान्न फसलो में संलग्न कुल क्षेत्र

N
A
DISTRICT FATEHPUR
ARITHMETIC DENSITY
1991
GANGA
RIVER
YAMUNA RIVER
PERSONS/km²
501 - 550
451 - 500
401 450
351 - 400
10 0 10 20
km

N
B
DISTRICT FATEHPUR
AGRICULTURAL DENSITY
1991
GANGA
RIVER
YAMUNA RIVER
PERSONS/km²
551 - 600
501 - 550
451 - 500
401 - 450
10 0 10 20
km

Fig. 2.6

आदि सभी मे अति उच्च कृषि घनत्व अर्थात 551–600 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 के मध्य मिलता है। यह अध्ययन क्षेत्र के लगभग 30 44% क्षेत्र को आच्छादित करता है। इस क्षेत्र मे अति उच्च कृषि घनत्व का प्रमुख कारण कृषि योग्य भूमि का सीमित होना (अमौली, असोथर,) तथा जनसंख्या के अधिक दबाव (हथगॉव विकास खण्ड) का पाया जाना है।

(ब) उच्च कृषि घनत्व क्षेत्र :–

अध्ययन क्षेत्र का एकमात्र ऐराया विकासखण्ड इस वर्ग के अन्तर्गत आता है। यहॉ पर कृषि घनत्व 517 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 पाया जाता है। यह सम्पूर्ण क्षेत्र के लगभग 7.53% क्षेत्र में विस्तृत है।

(स) मध्यम कृषि घनत्व क्षेत्र :–

इस वर्ग के अन्तर्गत भिटौरा, हसवा और धाता विकासखण्ड आते है जो अध्ययन क्षेत्र के लगभग 23 55% क्षेत्र को अधिकृत किये हुए है। यहॉ पर कृषि घनत्व का औसत 451–500 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 के मध्य मिलता है।

(द) निम्न कृषि घनत्व क्षेत्र :–

अध्ययन क्षेत्र के शेष 5 विकासखण्डो (देवमई, मलवा, खजुहा, बहुआ और विजयीपुर) मे कृषि घनत्व 401–450 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 के मध्य मिलता है। यह क्षेत्र जनपद के 38.48% भाग पर फैला है। कृषि की दृष्टि से यह जनपद का पिछडा हुआ क्षेत्र है।

2.11.3 कायिक घनत्व :–

गणितीय घनत्व और कृषि घनत्व के बाद कायिक घनत्व का विशेष महव है जिसे कुल जनसंख्या को कृषित क्षेत्र द्वारा विभाजित कर प्राप्त किया जाता है। यह कृषि क्षेत्र पर बढ़ते दबाव को इंगित करता है। जनपद के कायिक घनत्व का औसत 431 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 है। इसके आधार पर जनपद के विकासखण्डों को निम्न पॉच वर्गो में विभाजित किया जा सकता है (सारणी 2 5 और चित्र 2.6C)–

(अ) अति उच्च कायिक घनत्व :–

जनपद के 5 विकासखण्डों (मलवा, खजुहा, तेलियानी, बहुआ और विजयीपुर) में अति उच्च कायिक घनत्व मिलता है। जो 551–600 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 के मध्य पाया जाता है। यह अध्ययन क्षेत्र के 38.95% भाग को आवृत्त करता है। इस समूचे क्षेत्र में कृषि भूमि पर सर्वाधिक

N Ⓒ

DISTRICT FATEHPUR
PHYSIOLOGICAL DENSITY
1991

RIVER GANGA

RIVER YAMUNA

PERSONS/km²

551 – 600
501 – 550
451 – 500
401 – 450
351 – 400

10 0 10 20

Fig. 2.6

जनसंख्या का दबाव पाया जाता है जिसका प्रमुख कारण जहाँ एक तरफ कृषित क्षेत्र की कमी है वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या का सघन केन्द्रीकरण है।

(ब) उच्च कायिक घनत्व :-

इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाले अमौली और असोथर विकासखण्डों मे कायिक घनत्व 501-550 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 के मध्य मिलता है। यह वर्ग अध्ययन क्षेत्र के कुल क्षेत्र का 27 79% भूभाग को आच्छादित करता है।

(स) मध्यम कायिक घनत्व :-

अध्ययन क्षेत्र के मात्र हथगॉव विकासखण्ड मे मध्यम कायिक घनत्व मिलता है जिसका औसत 480 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 है यह अध्ययन क्षेत्र के 6.55% भाग पर विस्तृत है।

(द) निम्न कायिक घनत्व :-

इस घनत्व वर्ग का विस्तार भिटौरा, हसवा, ऐरायां और धाता विकासखण्डों में है जहाँ कायिक घनत्व का औसत 401-450 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 के मध्य मिलता है। इस प्रकार यह जनपदीय क्षेत्र के 31.08% भाग को अधिकृत किये हुए है।

(य) अति निम्न कायिक घनत्व :-

अध्ययन क्षेत्र मे सबसे कम कायिक घनत्व देवमई विकासखण्ड में मिलता है। यहाँ पर यह घनत्व 388 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 है। यह अध्ययन क्षेत्र के 5.63% भाग को आवृत्त किये हुए है।

2.11.4 पोषकीय घनत्व :-

पोषकीय घनत्व के माध्यम से किसी क्षेत्र की जनसंख्या को उपलब्ध पोषाहार के स्तर अथवा खाद्यान्न क्षेत्र पर जनसख्या के दबाव का अनुमान किया जा सकता है। फतेहपुर जनपद में पोषकीय घनत्व का औसत 562 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 मिलता है। स्थानिक विश्लेषण की दृष्टि से इसे निम्न 5 वर्गो में विभक्त किया जा सकता है (सारणी 2.5 और चित्र 2 6D)-

(अ) अति उच्च पोषकीय घनत्व :-

अध्ययन क्षेत्र के दो विकासखण्ड क्रमश. हथगॉव और धाता में अति उच्च पोषकीय घनत्व मिलता है। यह घनत्व 601-650 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 के बीच मिलता है। इस वर्ग का विस्तार अध्ययन क्षेत्र के 13.83% क्षेत्र पर प्राप्त होता है। ये जनपद के उच्च जनसंख्या सकेन्द्रण के क्षेत्र हैं

तथा यहाँ खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र का औसत अपेक्षतया कम पाया जाता है।

(ब) उच्च पोषकीय घनत्व :–

जनपद के देवमई, हसवा और ऐरायां विकासखण्ड इस वर्ग में समाहित हैं। यहाँ पोषकीय घनत्व 551–600 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 के मध्य मिलता है। यह अध्ययन क्षेत्र के 21.18% भाग पर फैला हुआ है।

(स) मध्यम पोषकीय घनत्व :–

इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाले विकासखण्डों में मलवां, खजुहा और भिटौरा आदि सम्मिलित हैं। यहाँ पोषकीय घनत्व 501–550 व्यक्ति प्रतिवर्ग के बीच मिलता है। यह जनपदीय क्षेत्र के 24.98% भूभाग पर विस्तृत है।

(द) निम्न पोषकीय घनत्व :–

यह घनत्व क्षेत्र अमौली, तेलियानी, बहुआ और विजयीपुर आदि विकासखण्डों में विस्तृत है। इस सम्पूर्ण क्षेत्र में पोषण घनत्व 451–500 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 मिलता है। यह क्षेत्र जनपद के लगभग 30.90% भाग पर विस्तृत है।

(य) अति निम्न पोषकीय घनत्व :–

इसके अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र का एकमात्र विकासखण्ड असोथर सम्मिलित है। यहाँ पोषकीय घनत्व 407 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 पाया जाता है। यह क्षेत्र के मात्र 9.11% भाग पर विस्तृत है। यहाँ पर निम्न पोषण घनत्व मिलने का प्रमुख कारण इस विकासखण्ड का यमुना के कटावग्रस्त क्षेत्र में स्थित होना है, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या का वितरण विरल पाया जाता है तथा कृषि क्षेत्र का औसत अधिक है।

2.12 ग्रामीण नगरीय संरचना :–

किसी भी क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र का विकास उसके सामाजिक–आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक है। जो क्षेत्र जितना ही अधिक नगरीय होगा वह सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से उतना ही अधिक समृद्ध होगा। सन् 1981 की जनगणनानुसार म्युनिसिपल कारपोरेशन, कैण्टोमैण्ट बोर्ड और नोटीफाइड एरिया, नगर माने जाते है। इसके अतिरिक्त वे स्थान–1. जहाँ की न्यूनतम जनसंख्या 5,000 है, 2. जहाँ 75% से अधिक श्रमिक अकृष्य कार्य में संलग्न हैं तथा 3. जहाँ जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 है, उन्हें नगर के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। भारत

सारणी 26

ग्रामीण नगरीय सरचना, 1991

क्रम सं0	जनपद/तहसील/ कस्बा	योग ग्रामीण–नगरीय	कुल जनसंख्या व्यक्ति	पुरूष	स्त्री
	फतेहपुर जनपद	योग	1,899,241	1,009,369	889,872
		ग्रामीण	1,711,228	909,040	802,188
		नगरीय	188,013	100,329	87,684
1	बिन्दकी तहसील	योग	577,464	307,793	269,671
		ग्रामीण	528,830	281,863	246,967
		नगरीय	29,484	15,836	13,648
	जहानाबाद नगर क्षेत्र	नगरीय	19,150	10,094	9,056
2.	फतेहपुर तहसील	योग	775,930	414,222	361,708
		ग्रामीण	651,087	347,567	303,520
		नगरीय	117,675	62,783	54,892
	बहुआ नगर क्षेत्र	नगरीय	7,168	3,872	3,296
3.	खागा तहसील	योग	545,847	287,354	258,493
		ग्रामीण	531,311	279,610	251,701
		नगरीय	9,039	4,821	4,218
	किशुनपुर नगर क्षेत्र	नगरीय	5,497	2,923	2,574

स्रोत :– साख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1993, पृ0 22 एव 105

में नगर की परिभाषा सन् 1961 से सदा एक सी रही है परन्तु सन् 1981 की जनगणना में अकृषि कार्यो में संलग्न श्रमिको की परिकल्पना में मत्स्य, पशुपालन आखेट और बागवानी आदि में लगे श्रमिकों को कृषि सेक्टर मे समाहित किया गया है जबकि सन् 1961 एवं 1971 की जनगणना मे उन्हे अकृषि सेक्टर मे सम्मिलित किया गया था (चान्दना, 1987, पृ0 197–198)। अध्ययन क्षेत्र से सम्बन्धित प्रस्तुत ग्रामीण नगरीय संरचना के सन्दर्भ में यहॉ के शहरों और कस्बों में जो जनसंख्या रहती है उसे नगरीय जनसंख्या मान लिया गया है। सन् 1991 की जनगणनानुसार अध्ययन क्षेत्र की नगरीय जनसख्या 188,013 है जो कुल जनसंख्या का 9.90% है। सारणी 2.6 से स्पष्ट है कि कुल नगरीय जनसंख्या में से फतेहपुर शहर की जनसंख्या सर्वाधिक (117,675) है। इस प्रकार कुल नगरीय जनसंख्या का 62.59% भाग अकेले फतेहपुर नगर में निवास करता है तथा शेष 37.41% नगरीय जनसंख्या 5 कस्बों मे निवास करती है। इनमे बिन्दकी नगरपालिका में नगरीय जनसख्या 15.68%, खागा टाउन एरिया मे 4.80%, जहानाबाद टाउन एरिया मे 10.19%, बहुआ टाउन एरिया में 3.81%, तथा किशुनपुर टाउन एरिया मे 2 92%, नगरीय जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में कुल 6 नगरीय केन्द्र हैं जिनमें फतेहपुर नगर भी शामिल है। सन् 1981 में जनपद फतेहपुर की कुल जनसंख्या 1,572,421 थी जिसमें से 141,292 अर्थात 8.98% जनसंख्या नगरीय थी। इसमे से 60.04% जनसख्या अकेले फतेहपुर नगर में निवास करती थी। शेष 39.96% जनसंख्या जनपद के अन्य 5 कस्बों मे सग्रहीत थी। इससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र की नगरीय जनसंख्या में 1981–91 के दशक के दौरान 0.92 % की मामूली वृद्धि हुई है। वास्तव में क़ानपुर और इलाहाबाद जैसे बडे नगरों की समीपता का इस पर प्रभाव रहा है, जिनकी जनसंख्या में इस दौरान तीव्र वृद्धि का संकेत मिलता है।

2.13 व्यावसायिक संरचना :–

जीविका निर्वाह हेतु की जाने वाली आर्थिक क्रियाओ को व्यवसाय की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। किसी भी क्षेत्र की व्यावसायिक सरचना का ज्ञान आवश्यक होता है क्योंकि इससे सम्बन्धित क्षेत्र की कार्यशील तथा अकार्यशील जनसंख्या के अतिरिक्त वहाँ की प्रमुख आर्थिक क्रियाओं, विकास का प्रारूप और उसके स्तर का पता चलता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यावसायिक संरचना किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या की आजीविका हेतु की जाने वाली विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है।

सारणी 2.7 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में केवल 38.09% जनसंख्या कार्यशील वर्ग में आती है जबकि शेष 61.91% भाग अकार्यशील जनसंख्या का है। विकासखण्ड स्तर पर कार्यशील जनसंख्या भिटौरा विकासखण्ड में सर्वाधिक (42.19%), मिलती है तथा सबसे कम कार्यशील जनसंख्या खजुहा विकासखण्ड (34.91%), में मिलती है। इन दोनों चरम मानो के मध्य क्रमशः

सारणी 2.7

कार्यशील एव अकार्यशील जनसंख्या, 1991

(प्रतिशत में)

क्रम स0	विकासखण्ड	कुल जनसख्या (प्रतिशत मे)	
		कार्यशील जनसंख्या	अकार्यशील जनसंख्या
1	देवमई	37.28	62.72
2.	मलवां	35 98	64.02
3.	अमौली	36.09	63.91
4	खजुहा	34 91	65.09
5	तेलियानी	40 58	59.42
6	भिटौरा	42 19	57.81
7.	हसवा	39.55	60.45
8	बहुआ	36 07	63.93
9	असोथर	35 53	64.47
10	हथगॉव	40.04	59.96
11	ऐरायां	35 24	64.75
12	विजयीपुर	40 46	59.54
13.	धाता	41 31	58.69
	जनपद	38 09	61.91

स्रोत :— सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1993, पृ0 25

धाता (41.31%), तेलियानी (40.58%), विजयीपुर (40.46%), हथगाँव (40.04%), हसवा (39.55%), देवमई (37.28%), अमौली (36.09%), बहुआ (36.07%), मलवां (35.98%), असोथर (35.53%) और ऐरायां (35.24%) आदि विकासखण्डों का स्थान है। इस प्रकार जनपद के 6 विकासखण्डों में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत क्षेत्रीय औसत (38.09%), से अधिक पाया जाता है।

इसी प्रकार सारणी 2.7 से यह भी स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में 61.91% जनसंख्या अकार्यशील है। विकासखण्ड स्तर पर इसका सर्वाधिक सकेन्द्रण खजुहा में (65.09%) पाया जाता है जबकि भिटौरा विकासखण्ड में सबसे कम (57.81%) अकार्यशील जनसंख्या मिलती है। इन दोनों चरम मानों के बीच क्रमश. ऐरायां (64 75%), असोथर (64.47%), मलवां (64.02%), बहुआ (63.93%), अमौली (63.91%), देवमई (62 72%), हसवा (60.45%), हथगाँव (59.96%), विजयीपुर (59.54%), तेलियानी (59.42%) और धाता (58.69%) विकासखण्ड पाये जाते हैं। इस प्रकार जनपद के 7 विकासखण्डों में अकार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत जनपदीय औसत (61.91%) से अधिक पाया जाता है।

उपर्युक्त कार्यशील एवं अकार्यशील जनसंख्या के विस्तृत विवरण से ज्ञात होता है कि क्षेत्र में अभी भी कार्यशील जनसंख्या का औसत प्रतिशत 50 से भी कम (38.09%) है। अध्ययन क्षेत्र के कुल 13 विकासखण्डों में आधे से भी अधिक (53.85%) विकासखण्डों में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत क्षेत्रीय औसत से भी कम पाया जाता है। इससे अध्ययन क्षेत्र की पिछडी अर्थव्यवस्था का संकेत मिलता है। जिसमें बेरोजगारी की संख्या के अधिक होने के साथ–साथ कर्मकरो पर अकर्मकरो के पालन–पोषण का तीव्र भार है। इससे जनपद के मानव संसाधन अथवा श्रम शक्ति के भलीभॉति उपयोग न किये जाने का भी आभास मिलता है।

सारणी 2.8 तथा चित्र 2 7 के अवलोकन से क्षेत्र की कार्यशील जनसंख्या के विभिन्न व्यावसायों में संलग्नता का विस्तृत अभिज्ञान होता है। इन व्यवसायों को 5 प्रमुख वर्गो में विभाजित किया गया है, जैसे– कर्मकर कृषक, कृषि श्रमिक, सीमान्त कर्मकर, अन्य कर्मकर और व्यापार एवं वाणिज्य आदि। जनपद की सर्वाधिक जनसंख्या (51.31%) कृषि कार्यो में संलग्न है। अध्ययन क्षेत्र के कुल 13 विकासखण्डों में से विजयीपुर का इस दृष्टि से सर्वप्रथम स्थान है जिसकी 55.27% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। इसके उपरान्त क्रमश. धाता (54.66%), असोथर (54.38%), ऐरायां (53.60%), हथगॉव (52.90%), भिटौरा (51.75%), देवमई (51.71%), अमौली (51.37%), हसवा (51.38%), खजुहा (48.53%), तेलियानी (45.38%), मलवा (47.03%) और बहुआ (46.07%) विकासखण्डों का स्थान है। अध्ययन क्षेत्र के 9 विकासखण्डों में कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत क्षेत्रीय औसत (51.31%) से अधिक मिलता है। इस विवरण से अध्ययन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में कृषि पर निर्भरता का स्पष्ट संकेत मिलता है।

सारणी 2 8

ग्रामीण व्यावसायिक संरचना (कार्यशील जनसख्या प्रतिशत मे), 1991

क्रम सं0	विकासखण्ड	कर्मकर कृषक	कृषि श्रमिक	सीमान्त कर्मकर	अन्य कर्मकर	व्यापार एव वाणिज्य	कुल कर्मकर संख्या
1.	देवमई	51.71	24.35	12.36	9.19	2.39	38,944
2.	मलवां	47 03	24.29	11.33	13 81	3.54	56,562
3.	अमौली	51.37	19.85	16 20	9 81	2.77	44,761
4.	खजुहा	48.53	23.86	15.08	9.75	2.77	49,972
5.	तेलियानी	47 38	23 56	14.51	11 95	2.60	42,667
6.	भिटौरा	51.75	17.10	20.42	8 43	2.30	62,735
7	हसवा	51.38	22 35	15.50	8.20	2 57	57,935
8.	बहुआ	46.07	29 84	12 25	9.30	2 54	43,524
9.	असोथर	54.38	25.27	9.60	8.11	2.64	46,216
10.	हथगाँव	52.90	18.71	15.54	10.09	2.76	56,742
11.	ऐरायां	53,60	19,15	10.35	12.33	4.57	46,743
12.	विजयीपुर	55.27	23.32	14 54	5.38	1.49	52,996
13.	धाता	54.66	27.45	8.87	6.95	2.07	52,029
	जनपद	51.31	22.74	13.76	9.59	2.60	651,826

स्रोत :— सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर,1993, पृ0 24—25

FATEHPUR DISTRICT
RURAL OCCUPATIONAL STRUCTURE
1991
N
RIVER GANGA
RIVER YAMUNA
10
0
10
20
km
70,000
50,000
25,000
WORKERS
Cultivators
Agricultural Labourers
Marginal Farmers
Others
Trade and Commerce

अध्ययन क्षेत्र की व्यावसायिक सरचना मे द्वितीय स्थान कृषि श्रमिकों का है जिसमें कार्यशील जनसख्या का 22.74% लगा हुआ है। विकासखण्ड स्तर पर सर्वाधिक कृषि श्रमिक का प्रतिशत बहुआ (29.84%) मे है तथा सबसे कम भिटौरा (17.10%) में मिलता है। इन दोनो चरम मानों के मध्य क्रमशः धाता (27.45%), असोथर (25.27%), देवमई (24.35%), मलवां (24.29%),खजुहा (23.86%), तेलियानी (23.56%), विजयीपुर (23.32%), हसवा (22.35%), अमौली (19.85%), ऐरायां (19.15%) और हथगॉव (18.71%) विकासखण्डों का स्थान है। इस प्रकार जनपद के 8 विकासखण्डों में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत जनपदीय औसत (22.74%) से अधिक मिलता है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि श्रमिकों की बडी सख्या इसकी पिछडी अर्थव्यवस्था की द्योतक है। इससे यह भी सकेत मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रो में एक बडा समूह भूमिहीन लोगों का है जो श्रम को कृषि कार्यो में लगाकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं।

जनपद की व्यावसायिक संरचना मे तृतीय स्थान सीमान्त कर्मकरों का है। एक व्यक्ति यदि वर्ष के अधिकांश समय मे (कम से कम 183 दिन) किसी आर्थिक क्रिया में लगा हुआ है तो उसे मुख्य कर्मकर या 'कार्य करने वाला' माना जाता है किन्तु यदि उसके काम करने के दिनों की सख्या 6 महीनों से कम पायी जाती है तो उसे 'सीमान्त कर्मकर' माना जाता है। इसी तरह वह व्यक्ति जो वर्ष भर किसी भी आर्थिक उत्पादन की प्रक्रिया मे नही रह पाया है उसे 'बेरोजगार' या 'कार्य न करने वाले' की श्रेणी में रखा जाता है (मिश्रा, इन्दू, 1990, पृ0 135)। इस प्रकार सीमान्त कर्मकरो की स्थिति लगभग कृषि श्रमिकों की ही तरह होती है। जनपद में कुल कार्यशील जनसंख्या का 13.76% भाग सीमान्त कर्मकरों के रूप मे पाया जाता है। क्षेत्र में सर्वाधिक सीमान्त कर्मकर भिटौरा (20.42%) तथा सबसे कम धाता (8.87%) मे मिलते है। इसके अतिरिक्त क्रमशः अमौली (16.20%), हथगॉव (15.54%), हसवा (15 50%), खजुहा (15.08%), विजयीपुर (14.54%), तेलियानी (14.51%), देवमई (12.36%), बहुआ (12 25%), मलवां (11.33%), ऐरायां (10.35%) और असोथर (9.60%) आदि विकासखण्डो का स्थान है। अध्ययन क्षेत्र में 7 विकासखण्डों में सीमांत कर्मकरों का प्रतिशत क्षेत्रीय औसत (13.76%) से अधिक पाया जाता है। फतेहपुर जनपद मे सीमान्त कर्मकरों की इस बडी संख्या से मानव श्रम के अनुपयोग और बेरोजगारी का स्पष्ट आभास मिलता है।

अध्ययन क्षेत्र की व्यावसायिक संरचना मे चतुर्थ स्थान अन्य कर्मकरों का है जिसमें पशुपालन एवं वृक्षारोपण, खदान, पारिवारिक एवं गैरपारिवारिक उद्योगों, निर्माण कार्य तथा यातायात संग्रहण एवं संचार आदि कार्यो में संलग्न जनसंख्या को सम्मिलित किया गया है। जनपद में कुल कार्यशील जनसख्या का मात्र 9.59% अन्य कार्यो मे लगा है। अन्य कर्मकरों का सर्वाधिक प्रतिशत (13.81) मलवां विकासखण्ड में मिलता है जिसका प्रमुख कारण यहॉ पर कृषि भूमि की कमी है। साथ ही यहॉ वृहद एवं मध्यम उद्योगों का भी विकास हुआ है। क्षेत्र में अन्य कर्मकरों का सबसे कम प्रतिशत

(5 38%) विजयीपुर मे मिलता है। इन दोनो चरम मानों के मध्य क्रमशः ऐरायां (12.33%), तेलियानी (11.95%), हथगॉव (10.09%), अमौली (9 81%), खजुहा (9.75%), बहुआ (9.30%), देवमई (9 19%), भिटौरा (8.43%), हसवां (8 20%), असोथर (8.11%) और धाता (6 95%) आदि विकासखण्डो का स्थान है। इस प्रकार क्षेत्र के 6 विकासखण्डों में अन्य कर्मकरों का प्रतिशत क्षेत्रीय औसत (9.59%)से अधिक पाया जाता है।

जनपद की व्यावसायिक संरचना के पांचवे वर्ग में व्यापार एवं वाणिज्य मे सलग्न जनसंख्या को रखा गया है जिसका क्षेत्रीय औसत (2.60%) सबसे कम है। इसका प्रमुख कारण इस वर्ग में संलग्न जनसख्या में पुरुष प्रधानता का होना है। इसमे औरतों की सहभागिता न के बराबर पायी जाती है तथा ग्रामीण क्षेत्रो मे तो इसका लगभग सर्वथा लगभग अभाव ही है। अध्ययन क्षेत्र में व्यापार एवं वाणिज्य में संलग्न जनसख्या का सर्वाधिक प्रतिशत (4.57) ऐरायां मे मिलता है जबकि विजयीपुर में इसका प्रतिशत सबसे कम (1 49) है। इन दोनों चरम मानों के मध्य क्रमश. मलवां (3 54%), अमौली (2.77%), खजुहा (2.77%), हथगॉव (2.76%), असोथर (2.64%), तेलियानी (2.60%), हसवा (2.57%), बहुआ (2.54%), देवमई (2.39%), भिटौरा (2.30%) और धाता (2.07%) आदि विकासखण्डों का स्थान है। जनपद के 6 विकासखण्डों में व्यापार एवं वाणिज्य में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत क्षेत्रीय औसत (2 60%) से अधिक तथा 6 विकासखण्डों में कम मिलता है जबकि तेलियानी विकासखण्ड मे व्यापार एव वाणिज्य में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत (2 60) क्षेत्रीय औसत (2 60%) के बराबर पाया जाता है।

जनपद की व्यावसायिक संरचना के इस विवरण से स्पष्ट है कि यहॉ पूर्णतया प्राथमिक व्यवसायो की प्रधानता है जबकि वर्तमान समय मे द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर के व्यवसायों को विकसित करने की आवश्यकता है क्योकि ऐसा करके ही क्षेत्र की विभिन्न गम्भीर समस्याओ, जैसे– गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण और अशिक्षा इत्यादि से छुटकारा पाया जा सकता है। इसी प्रकार क्षेत्र की व्यावसायिक सरचना मे परिवर्तन के लिए पारिवारिक एवं गैरपारिवारिक उद्योगो की स्थापना और उनके विकेन्द्रीकरण पर सरकारी एवं निजी उद्यमियों का समुचित ध्यान आकर्षित करना होगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रो में उपलब्ध अनेकानेक संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए लोगों को अग्रसर करना होगा। इन सब प्रयासो के परिणामस्वरूप ही यहॉ की जनसंख्या कृषि से इतर कार्यो मे संलग्न हो सकेगी तथा कृषि निर्भरता कम हो सकेगी।

2.14 आयु–लिंग संरचना :–

आयु संरचना, संभाव्य श्रम आपूर्ति और क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का एक सूचकांक है (तिवारी, 1984, पृ0 45)। इस प्रकार आयु–लिंग सरचना सामाजिक प्रारूप एवं आर्थिक क्रिया–कलापों के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण कारक है। सारणी 2.9 के अवलोकन से स्पष्ट है कि

सारणी 2 9

आयु लिग संरचना

क्रम सं0	आयु वर्ग	1971			1981		
		पुरूष	स्त्री	कुल जनसख्या का प्रतिशत	पुरूष	स्त्री	कुल जनसख्या का प्रतिशत
1	0—14	43 00	42 96	42.98	41 82	42 42	42 10
2	15—59	50 30	51.28	50 76	51 27	51 30	51 28
3.	झ 60	6 70	5 77	6 26	6 91	6 28	6 61

स्रोत :— सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1986 एव 1993, पृ0 28

सारणी 2.10

जनपद फतेहपुर : लिंग–अनुपात एवं साक्षरता, स्तर 1991

क्रम सं0	विकासखण्ड	महिलायें/1000 पुरुष	साक्षरता प्रतिशत (1981)			साक्षरता प्रतिशत (1991)		
			पुरुष	स्त्री	कुल जनसंख्या	पुरुष	स्त्री	कुलजनसंख्या
1.	देवमई	879	45.3	18.3	32.6	66.9	36.0	52.6
2.	मलवां	861	44.1	16.7	31.3	66.3	33.7	51.3
3.	अमौली	878	42.8	16.0	30.2	65.7	36.6	52.2
4.	खजुहा	889	37.7	15.6	27.3	63.6	34.3	49.9
5.	तेलियानी	881	38 4	12.1	26.0	61.3	26.3	45 1
6.	भिटौरा	881	33.7	7.0	25.3	53.2	18.5	37.0
7.	हसवा	877	30 1	7.0	20.8	55.7	20.5	39.4
8.	बहुआ	856	38.4	10.5	25.3	58.3	23.5	42 4
9.	असोथर	869	36.6	9.8	24.2	54.6	21.5	39.4
10.	हथगाँव	916	31.9	6.9	19.8	52.5	17.8	35.9
11.	ऐरायां	907	31.5	6.3	19.3	52 1	17.4	35 6
12.	विजयीपुर	878	33.0	6.5	20.4	53.4	16.8	36.8
13.	धाता	897	33.7	7.3	20.9	59.2	22.7	42.0
	ग्रामीण	882	36.8	10.6	24.4	58.6	24.9	42.9
	नगरीय	873	50.5	31.6	41.7	71.6	48.7	61.0
	जनपद	881	38.9	12.4	26.0	59.9	27.2	44.7

FATEHPUR DISTRICT
RURAL SEX RATIO
1991
N
GANGA RIVER
YAMUNA RIVER
No of Females per 1000 Males
901 - 925
876 - 900
851 - 875
10
0
10
20
km

जनपद फतेहपुर में 0–14 आयु वर्ग में पुरुषों और स्त्रियों दोनों के प्रतिशत में 1971 की अपेक्षा 1981 मे कमी आयी है। क्षेत्र में 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग में पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों के ही प्रतिशत में वृद्धि हुयी है। 60 से अधिक आयु वर्ग वाली जनसंख्या जिसमें वृद्ध एवं सेवानिवृत्त लोग सम्मिलित है, मे पुरुषों का प्रतिशत लगभग स्थिर रहा है जबकि स्त्रियों के प्रतिशत में आंशिक परिवर्तन (0.51%) आया है। यदि कुल आयु वर्ग जनसंख्या का अवलोकन करें तो ज्ञात होता है कि 0–14 आयु वर्ग में 1971 की अपेक्षा 1981 में आंशिक कमी (0 88%) आयी है जबकि 15–59 आयु वर्ग मे आंशिक वृद्धि (0.52%) हुयी है। इसी प्रकार 60 से अधिक आयु वर्ग में भी मामूली वृद्धि (0.35%) देखी गयी है। इससे स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में यद्यपि जनसंख्या में प्रति दशक वृद्धि तो हो रही है तथापि 15–59 आयु वर्ग जो कि मुख्यतः कार्यशील जनसख्या का द्योतक है, सर्वाधिक है और ऐसा अनुमान है कि भविष्य में भी इस आयु वर्ग की जनसंख्या का ही वर्चस्व बना रहेगा। यहॉ पर आयु–लिंग संरचना में आयु वर्गानुसार जनसंख्या का उल्लेख इसलिए अपेक्षित है क्योंकि मनुष्य की आयु उसकी आवश्यकताओं, कार्यक्षमता तथा विचारों इत्यादि सभी को प्रभावित करती है अतः आयु मनुष्य की क्षमता का सूचक है (चान्दना, 1981, पृ0 126)।

लिंग संरचना के अन्तर्गत मुख्यतः प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का अध्ययन किया जाता है। रमरणीय तथ्य है कि इस प्रकार की सरचना को जनसंख्या प्रवास, विवाह और जन्मदर तथा मृत्युदर आदि सभी कारक प्रभावित करते हैं। सारणी 2.10 एवं चित्र 2.8 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 1991 की जनगणनानुसार प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 881 है जबकि ग्रामीण जनसंख्या में यह अनुपात 882 प्रति हजार प्राप्त होता है। चित्र 2.8 के अनुसार जनपद में सर्वाधिक लिंगानुपात हथगॉव और ऐरायां विकासखण्ड में 901–925 के मध्य मिलता है। द्वितीय स्थान पर देवमई, अमौली, खजुहा, तेलियानी, भिटौरा, हसवा, विजयीपुर और धाता आदि विकासखण्ड हैं। यहॉ पर स्त्री–पुरुष अनुपात 876–900 के बीच मिलता है। क्षेत्र में सबसे कम लिंगानुपात मलवा, बहुआ, और असोथर में मिलता है। यहाँ पर यह अनुपात 851–875 के मध्य प्राप्त है। इससे यह ज्ञात होता है कि भारत व प्रदेश की तरह ही जनपद फतेहपुर में भी पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम है।

2.15 साक्षरता स्तर :–

साक्षरता का सम्बन्ध बुनियादी तौर पर लोगों के जीवन से है। लोगों की मौलिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति करना ही इसका ध्येय है। लिखने और पढ़ने की विद्या के विकास के पश्चात सांस्कृतिक प्रगति में साक्षरता का महत्व बहुत बढ़ गया है। यही कारण है कि जनसंख्या भूगोल में साक्षरता आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति का एक विश्वसनीय सूचकांक माना जाता है। साक्षरता का गरीबी उन्मूलन, मानसिक पृथकता समाप्तिकरण, शांतिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के

FATEHPUR DISTRICT
RURAL LITERACY
1991
N
GANGA RIVER
YAMUNA RIVER
RURAL LITERACY
(in per cent)
51 - 55
46 - 50
41 - 45
36 - 40
10
0
10
20
km

निर्माण और जनसांख्यिकीय प्रक्रिया के स्वतन्त्र क्रियाशीलता में भारी महत्व है (चान्दना और सिद्धू, 1980, पृ0 98)। साक्षरता के अभाव में जनसंख्या में वृद्धि होती है जिससे ग्रामवासी गरीबी, बीमारी और बेरोजगारी आदि गुरुतर समस्याओं का सामना करता है। इसके अभाव के कारण ही वर्तमान समाज में व्याप्त अनेकानेक सामाजिक बुराइयों में वृद्धि हुयी है और ग्राम विकास सम्बन्धी योजनायें विफल हुयी हैं क्योंकि ये अपने कल्याण हेतु क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के प्रति धनाभाव के कारण उनके लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि साक्षरता और ग्रामीण विकास तथा सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन में घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः जो क्षेत्र जितना अधिक साक्षर होगा वह उतना ही सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होगा।

सन् 1991 के अनुसार फतेहपुर जनपद के साक्षरता का कुल प्रतिशत 44.7 है जो कि प्रादेशिक प्रतिशत (41.71) से अधिक और राष्ट्रीय प्रतिशत (52.11) से कम है। इसी प्रकार ग्रामीण साक्षरता का प्रतिशत (42.9) कम और नगरीय साक्षरता का प्रतिशत (61) अधिक है। सारणी 2.10 से ज्ञात होता हैं कि अध्ययन क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की साक्षरता अत्यन्त निम्न है, उदाहरणार्थ– पुरुषों की कुल साक्षरता 59.9% है जिसमें ग्रामीण साक्षरता 58.6% तथा नगरीय साक्षरता 71.6% है जबकि स्त्रियों की कुल साक्षरता 27.2% है जिसमें 24.9% ग्रामीण और 48.7% नगरीय साक्षरता है। ध्यातव्य है कि जनपद में 1981–91 के दौरान साक्षरता के प्रतिशत मे सम्यक् वृद्धि हुयी है। सारणी 2.10 से स्पष्ट है कि 1981 में साक्षरता 26% थी जिसमें 24.4% ग्रामीण और 41.7% नगरीय साक्षरता का औसत था। इसी वर्ष पुरुष साक्षरता 38.9% थी, इसमें 36.8% ग्रामीण और 50.5% नगरीय साक्षरता थी। इसी तरह 1981 में स्त्रियों की कुल साक्षरता मात्र 12.4% थी इसमें 10.6% ग्रामीण और 31.6% नगरीय थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि 1981–91 में साक्षरता प्रतिशत में वृद्धि लगभग प्रत्येक स्तर पर हुयी है किन्तु सर्वाधिक वृद्धि स्त्रियों की कुल साक्षरता प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों की स्त्री साक्षरता प्रतिशत में देखी जाती है, जो इससे लगभग दोगुने से भी अधिक है।

सारणी 2.10 व चित्र 2.9 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विकासखण्ड स्तर पर क्षेत्र में साक्षरता का सर्वाधिक प्रतिशत (52.6) देवमई विकासखण्ड में मिलता है। इसके उपरान्त अमौली (52.2%), और मलवां (51.3%), विकासखण्डों का स्थान है। इस सम्पूर्ण क्षेत्र में साक्षरता का प्रतिशत 51–55 के मध्य मिलता है। यह जनपद का सर्वाधिक साक्षर क्षेत्र है, इसकी स्थिति पश्चिम में कानपुर जनपद की सीमा के सहारे पायी जाती है। इसका प्रमुख कारण शिक्षण संस्थाओं की समुचित व्यवस्था तथा जीविका निर्वहन (कृषि और उद्योग) की उचित व्यवस्था तथा नगरीकरण का प्रभाव है। इसके बाद खजुहा विकासखण्ड का स्थान है जहाँ पर साक्षरता प्रतिशत 46–50 के मध्य पाया जाता है। यह एक मध्यम साक्षरता का क्षेत्र है। तेलियानी बहुआ और धाता 3 ऐसे विकासखण्ड हैं जहाँ पर साक्षरता का प्रतिशत 41–45 के मध्य मिलता है, इस तरह ये निम्न

हथगॉव, ऐरायां और विजयीपुर आदि सभी में साक्षरता का प्रतिशत 35–40 के मध्य मिलता है, ये अति निम्न साक्षरता के क्षेत्र हैं।

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवरण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में जहाँ एक तरफ साक्षरता का स्तर नीचा है वहीं महिलाओं विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की स्थिति और भी चिंतनीय है। यह आर्थिक–सामाजिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है।

2.16 भाषायी एवं धार्मिक संरचना :–

भाषा के माध्यम से लोग पारस्परिक विचार–विनिमय एवं स्व अनुभूतियों का आदान–प्रदान करते हैं। भाषा एक व्यक्ति को समाज के अनुरूप तैयार करने का सशक्त माध्यम है। इसके द्वारा व्यवहार सम्बन्धी संचार की समस्या का समाधान होता है। एक निश्चित स्तर के पश्चात समाजीकरण की प्रक्रिया भी भाषा के माध्यम से ही संचालित होती है। सामाजिक अन्तःक्रिया को भी भाषा सरल बना देती है। भाषा के इन्हीं महत्वों को दृष्टिगत करते हुए अध्ययन क्षेत्र में भाषायी संरचना के निरूपण का प्रयास किया गया है। सन् 1981 की जनगणनानुसार जनपद की कुल जनसंख्या 1,572,421 थी। इसमें 91.55% हिन्दी भाषियों की है। दूसरे स्थान पर उर्दू भाषा है जो क्षेत्र की 8. 44% जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। शेष 0.1% जनसंख्या में पंजाबी, बंगाली और अन्य भाषा के बोलने वाले सम्मिलित हैं (सांख्यिकीय पत्रिका, फतेहपुर, 1993, पृ0 27)।

इस विवरण से स्पष्ट है कि जनपद में हिन्दी और उर्दू भाषा बोलने वालों का वर्चस्व है तथा अन्य भाषा–भाषायियों का स्थान लगभग एक सा है।

धर्म, मानव व्यवहार के परिष्करण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है अर्थात प्रत्येक धर्म अपने अनुयायियों के आचार–विचार और जीवन पद्धति को निश्चित दिशा प्रदान करता है। धर्म में मानसिक और शारीरि दोनों ही प्रकार की क्रियाओं द्वारा अलौकिक सत्ता के प्रति विश्वास का समावेश होता है। इसे जहाँ अलौकिक शक्ति से साक्षात्कार या पहुँचने का माध्यम माना जाता है वहीं इससे मानव को अपनी पाशविक प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण करने का अवसर मिलता है। इससे समाज में अमन, चैन और व्यवस्था बनाने में भी मदद मिलती है। धार्मिक मूल्यों द्वारा व्यक्ति को भावनात्मक सुरक्षा प्राप्त होती है। धर्म के उपर्युक्त सन्दर्भ में ही अध्ययन क्षेत्र की धार्मिक संरचना के विवेचन का प्रयास किया गया है। सन् 1981 की जनगणनानुसार अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या 1,572,421 में से सर्वाधिक जनसंख्या (87.08%) हिन्दू धर्मावलम्बियों की है। क्षेत्र में 12.86% जनसंख्या के साथ मुस्लिम धर्मावलम्बी द्वितीय स्थान पर है। तीसरे स्थान पर इसाई (0.5%) चौथे स्थान पर सिक्ख (0.01%) मतानुयायी आते हैं। जैन धर्मावलम्बियों का जनपद में सर्वथा अभाव है तथा अन्य धर्मो से सम्बन्धित जनसंख्या क्षेत्र में न के बराबर है (सांख्यिकीय पत्रिका, फतेहपुर, 1993, पृ0 27)। इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषायिक संरचना की ही तरह धार्मिक संरचना में भी हिन्दू

और मुस्लिम धर्मावलम्बियों का ही वर्चस्व है तथा इसाई और सिक्ख बहुत ही कम संख्या में क्षेत्र में मिलते है और जो है भी, वे प्रमुखतया जनपद के नगरीय क्षेत्रों में ही निवास करते हैं।

उपर्युक्त भाषायी एवं धार्मिक विविधता का अध्ययन क्षेत्र की आर्थिक एवं सामाजिक संरचना पर स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है।

REFERENCES :

Chandna, R.C. 1981 : Introduction to Population Geography, Kalyani Publication, New Delhi, p. 126.

Chandna, R.C. & Sidhu, M.S. 1980 : Introduction to Population Geography Kalyani Publication, New Delhi, p. 98.

Jaiswal, S.N.P. 1964 : Service Centres of the Eastern Part of the Ganga-Yamuna Doab, Unpublished D. - Phill. Thesis, Agra University Agra, p. 17.

Mishra, P. 1980 : Uttar Pradesh District Gazetteers, Fatehpur, Dist, Govt. of U.P., Lucknow, p. 1.

Mishra, Indu, 1990 : Human Settlement System and Regional Development in Allahabad District : The Problem and Policies, Unpublished D. Phill thesis of Allahabad University, Allahabad, pp. 120-135.

Tiwari, R.C. 1984 : Settlement System in Rural India, A Case Study of the Lower Ganga-Yamuna Doab, Allahabad Geographical society, p. 45.

Trewartha, G.T. 1953 : A Case For Population Geography, Annals of Asociation of American Geogrephers. Vo. 43, p. 94.

गुप्त, रवीन्द्र, 1981 : जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, जनपद फतेहपुर, पृ0 1.

चान्दना, आर. सी0, 1987 : जनसंख्या भूगोल, कल्याणी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ0 197–98.

सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1993 : संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0 प्र0, पृ0. 27.

समाजार्थिक समीक्षा, जनपद फतेहपुर,1994–95, :संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0 प्र0, पृ01.

अध्याय 3
ग्रामीण विकास एवं स्थानिक–कार्यात्मक संगठन

3.1 प्रस्तावना :–

किसी भी क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक व सास्कृतिक क्रियाओं में समानता नहीं पायी जाती है। इस असमानता का एक प्रमुख कारण ऐसे अधिवास केन्द्रों के असमान वितरण से सम्बद्ध है जो विकास की प्रक्रियाओ को प्रेरित करने मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा जिनके माध्यम से नवाचार और नूतन प्रविधि रिसाव प्रक्रिया द्वारा शनैः–शनैः दूरदराज मे स्थित ग्रामीण अंचलों एवं उनके निवासियो तक पहुँचते रहते हैं। ये केन्द्र लघु एवं वृहदाकार दोनों ही प्रकार के होते हैं किन्तु दोनों का ही कार्य अपने चतुर्दिक स्थित अधिवास समूहो एवं उनके निवासियों को अपने केन्द्रीय कार्यो द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाये प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त ये सेवा केन्द्र क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और सास्कृतिक विकास मे घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। आकार में ये सेवा केन्द्र लघु ग्रामीण हाट से लेकर कस्बा, नगर और महानगर तक होते हैं। ये केन्द्र सामाजिक तथा सास्कृतिक क्रोड (Hearth) के रूप में भी कार्य करते हैं जिससे सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तन मे मदद मिलती है। इनमें खाद्य तथा उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय तथा विनिमय के अतिरिक्त प्रशासनिक, वाणिज्यिक, शैक्षणिक, चिकित्सीय, मनोरंजन, परिवहन एव संचार सम्बन्धी सुविधाओं का समूहन पाया जाता है जिनसे आकृष्ट होकर समीप के क्षेत्रो के लोग इन केन्द्रो में गमनागमन करते है। जो सेवा केन्द्र जितना ही बडा होता है उसका सेवा क्षेत्र उतना ही विस्तृत होता है तथा वह उतनी ही विशेषीकृत उच्च स्तरीय सेवायें अपने पृष्ठ प्रदेश के निवासियों को प्रदान करता है। सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन में उत्प्रेरक होने के कारण ग्रामीण सेवा केन्द्रों की अहम भूमिका होती है। प्रस्तुत अध्याय के अन्तर्गत फतेहपुर जनपद के सेवा केन्द्रों के अभिनिर्धारण, पदानुक्रम वर्गो मे वर्गीकरण, स्थानिक वितरण, सेवा क्षेत्रो के सीमांकन, स्थानिक कार्यिक रिक्त क्षेत्रो की पहचान के अतिरिक्त एक सुनियंत्रित सेवा केन्द्रो के तन्त्र का प्रस्ताव किया गया है जिससे क्षेत्रीय विषमताओ को दूर करने के साथ–साथ सतुलित ग्रामीण विकास को बल मिल सकेगा।

3.2 केन्द्र स्थल सिद्धान्त और ग्रामीण विकास :–

केन्द्रीय स्थल अध्ययन की विस्तृत एव वास्तविक विवेचना के लिए आधारशिला तैयार करने का प्रयास करते हुए सुप्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री वाल्टर क्रिस्टालर ने 'Central Places in Southern Germany 1933' मे अपने केन्द्र स्थल सिद्धान्त का प्रणयन किया (क्रिस्टालर, 1933, पृ0 147)। यद्यपि उनसे पूर्व ही केन्द्रीय स्थानों के विकास एवं स्थापन पर मार्क जैफर्सन ने अपने विचार देते हुए नगरों के लिए 'केन्द्रीय स्थान' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था (जैफर्सन, 1931,

पृ0 253)। क्रिस्टालर महोदय ने यह सिद्धान्त कुछ शर्तो के साथ प्रस्तुत किया जैसे– 1. सिद्धान्त हेतु एक समतल मैदान हो जिसमें धरातल, मृदा, उत्पादकता समान हो, 2. जनसंख्या क्रयशक्ति समान रूप से वितरित हो, 3. परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास सर्वत्र समान हो तथा 4. किसी भी स्थान को प्राथमिक उत्पादन (अनाज, लकडी और कोयला) मे अपेक्षाकृत विशेष सुविधा न प्राप्त हो। इन दशाओं में प्रत्येक केन्द्र स्थल का बाजार क्षेत्र गोलाकार होगा। ध्यातव्य है कि इस गोलाकार स्वरूप को यदि स्पर्शीय रूप से सटाकर देखा जाय तो विभिन्न नजदीकी केन्द्र स्थलों के बाजार क्षेत्रों के वृत्तों के मध्य असेवित क्षेत्र शेष बचा रहेगा जो किसी भी केन्द्र स्थल की बाजार सेवा से वंचित रह जायेगा। इसके विपरीत परिस्थितियों में यदि सम्पूर्ण क्षेत्र को वृत्तों के अन्दर समाहित किया जाय तो कुछ क्षेत्र उभयनिष्ठ होगे जिन्हें अगल–बगल के दोनों केन्द्रों से वस्तु या सेवा उपलब्ध होगी फलतः ये उभयनिष्ठ क्षेत्र समीपस्थ केन्द्र स्थलों की प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र बन जायेंगे।

इस समस्या से बचने के लिए ही क्रिस्टालर ने बाजार क्षेत्रों का स्वरूप गोलाकार की जगह षट्भुजाकार (Hexagonal) निर्धारित किया। इससे एक तरफ न केवल उपर्युक्त समस्या का निदान हो जाता है बल्कि दूसरी तरफ षट्भुज ही एकमात्र ऐसी आकृति है जो वृत्त के सर्वाधिक सन्निकट है। क्रिस्टालर द्वारा प्रस्तुत इस षट्भुज प्रतिरूप के माध्यम से 'पदानुक्रमीय व्यवस्था' का ढांचा बनाया जा सकता है। केन्द्र स्थल सिद्धान्त पदानुक्रमीय व्यवस्था के कारण ही महत्वपूर्ण रहा है। इस पदानुक्रमीय व्यवस्था में क्रमशः 7 किमी0 की दूरी पर बाजार पुरवा, 12 किमी0 पर कस्बा केन्द्र, 21 किमी0 पर काउण्टी नगर, 36 किमी0 पर जनपदीय नगर, 108 किमी0 पर प्रादेशिक मुख्य नगर और 186 किमी0 पर प्रादेशिक राजधानी नगर स्थित होंगे। इनमें जनसंख्या क्रमशः 800, 1500, 3500, 9, 000, 27, 000, 90, 000, 300, 000 होगी। क्रिस्टालर ने दक्षिण जर्मनी के केन्द्र स्थलों की केन्द्रीयता के परिकलन हेतु टेलीफोन सख्या को आधार बनाते हुए निम्न सूत्र का उपयोग किया है–

$$Z_z = T_z - E_z \frac{Tg}{Eg}$$

यहाँ,

Z_z = केन्द्र स्थल की केन्द्रीयता,

T_z = केन्द्र स्थल में टेलीफोनों की संख्या,

E_z = केन्द्र स्थल की जनसंख्या,

Tg = सेवा क्षेत्र में टेलीफोनो की सख्या,

Eg = क्षेत्र में नागरिकों की संख्या,

इसके साथ ही साथ क्रिस्टालर ने अपने सिद्धान्त को और अधिक मौलिक बनाने के लिए 'K' मान ('K' Value) का उपयोग किया है। जो किसी बड़े केन्द्र स्थल और उसके द्वारा सेवित निचले स्तर के केन्द्र स्थलों के मध्य अनुपात को अभिव्यक्त करता है। उनके अनुसार किसी क्षेत्र के समूचे पदानुक्रम के लिए एक स्थिर एवं अचर 'K' मान होता है। उन्होंने तीन भिन्न प्रकार के 'K' मानों का उपयोग किया है–

'K'=3 मान– इसके माध्यम से बाजारों का वितरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि इसमें प्रत्येक केन्द्र स्थल अपने चतुर्दिक स्थित सेवा क्षेत्र को अधिकाधिक सेवाये प्रदान करता है। इसमें केन्द्र स्थलों की संख्या 1,3,9,27,81,एवं 243 की ज्यामितीय श्रेणी में वृद्धि होती है।

'K'=4 मान– यह पदानुक्रम तन्त्र यातायात प्रधान क्षेत्र के लिए उपयुक्त होता है। इसमें निचली श्रेणी के केन्द्र स्थल षट्भुज की भुजाओं के मध्य बिन्दुओं पर स्थित होते हैं। जिसमें केन्द्र स्थलों की संख्या 1,4,16,64 एवं 256 की ज्यामितीय श्रेणी वृद्धिं होती है।

'K'=7 मान– इसमें केन्द्र स्थलों की संख्या 1,7,49,343, और 2401 के अनुपात में बढ़ती है। यह नियम प्रशासकीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जिसमें छोटे स्तर के 6 केन्द्रस्थल बड़े स्तर के केन्द्रस्थल के प्रभाव के भीतर स्थित होते है।

इस प्रकार नगर अथवा केन्द्र स्थलों की अवस्थिति, संगठन और विकास में भूमिका की सम्यक समीक्षा के सन्दर्भ में क्रिस्टालर के 'केन्द्र स्थल सिद्धान्त' को मौलिक महत्ता प्रदान की जाती है जो आगामी सिद्धान्तों का मार्गदर्शक होने के साथ–साथ आज के आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यही कारण है कि स्थानिक–कार्यात्मक नियोजन में इसका परिमार्जित रूप अनेक प्रकार से दिखलाई पडता है।

3.3 विकास ध्रुव सिद्धान्त और ग्रामीण विकास :– आर्थिक विकास से सम्बन्धित 'विकास ध्रुव सिद्धान्त' सर्वप्रथम, फ्रान्सीसी अर्थशास्त्री पेरॉक्स महोदय ने 'NOTE SUR LA NOTION DE POLE DE CROISSANCE 1955' में प्रस्तुत किया जिसका प्रकाशन ECONOMIC APPLIQUE में हुआ (पेराक्स, 1955, पृ0 180–218)। इस सिद्धान्त के मूल में मार्क जैफर्सन के केन्द्र स्थल से सम्बन्धित विचार तथा क्रिस्टालर और लॉश के केन्द्रस्थल सिद्धान्तों का आधार रहा है (लॉश, 1939)। पेरॉक्स महोदय ने अपने सिद्धान्त में विकास ध्रुव (Growth Pole) का अर्थ 'अभिवृद्धि केन्द्र' से न लेकर 'विकास केन्द्र' से लिया है तथा क्रिस्टालर की ही तरह इसे विकास के एक उत्प्रेरक केन्द्र के रूप में स्वीकार किया है। इन्होंने विकास का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए बताया है कि यह एक ऐसा केन्द्र है "जिससे अपकेन्द्रीय शक्तियां बाहर की ओर फैलती हैं और जिसकी ओर अभिकेन्द्रीय शक्तियां आकर्षित होती हैं।" आपने यह भी बताया है कि इस केन्द्र से जो विकास होगा वह क्षेत्र विशेष के सामाजिक–आर्थिक विषमता को दूर करने वाला होगा। साथ ही यह विभिन्न आकृतियों वाला होगा, जैसे– समांगी आकृति (Homogeneous Shape), आर्थिक आकृति

वाला होगा। साथ ही यह विभिन्न आकृतियो वाला होगा, जैसे– समांगी आकृति (Homogeneous Shape), आर्थिक आकृति (Economic Shape) और क्षेत्रीय शक्तियों की आकृति (Shape of field force) इत्यादि। इन तीनों रूपो में क्षेत्रीय शक्ति की आकृति (Shape of field force) सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। स्मरणीय है कि क्रिस्टालर एवं लॉश की तरह पेरॉक्स ने भी यह बताया कि सर्वप्रथम विकास महानगर में होता है तत्पश्चात विकास की किरणें समीपस्थ नगरों में पहुॅचती हैं जहॉ से ये क्रमश कस्बों और गॉवों में पहुॅचती हैं और जब वहॉ पर भी विकास पूर्ण हो जाता है तो ये पुनः महानगर की ओर वापस होने लगती है। इस तरह किसी भी क्षेत्र की विकास प्रक्रिया चक्रीय रूप से सम्पन्न होती है।

इस प्रकार विकास ध्रुव सिद्धान्त किसी क्षेत्र के विकास के लिए आधार स्तम्भ का कार्य करता है। चूॅकि पेरॉक्स महोदय एक अर्थशास्त्री थे अत· उन्होनें इस सिद्धान्त में स्थानिक (Spatial) पक्ष पर सम्यक् ध्यान नहीं दिया था। बाद के विद्वानो ने इसे भौगोलिक समष्टि (Space) के लिए उपयोगी बनाया। इन विद्वानो मे बेरी (1958), मोरिल (1962) और बोडविले (1966) का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

चूॅकि विकास ध्रुव में कुछ ऐसे उद्योग अथवा आर्थिक कार्य स्थित होते हैं जो नवीकरण और विकास के उत्प्रेरक होते हैं अत इनसे प्रादेशिक नियोजन एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन मिलता है। ये विकास ध्रुव विभिन्न उद्योगो के मध्य अग्रतः और पश्चतः बन्धताओ को स्थापित कर विकास को बढावा देते हैं। विकास के नवाचारों एवं नये विचारों का प्रसरण इन्हीं के द्वारा किसी क्षेत्र में सम्पन्न होता है। संतुलित प्रादेशिक विकास हेतु किसी क्षेत्र में विभिन्न स्तर के विकास केन्द्रों का एक क्रमबद्ध जाल विकसित कर तथा उनके निकट अधः संरचनात्मक और विकासोत्प्रेरक सुविधाओं को उपलब्ध कराकर नियोजन की प्रक्रिया को कारगर और सफल बनाया जा सकता है। यही कारण है कि ग्रामीण विकास मे आज इन केन्द्रो को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है (तिवारी, 1997, पृ0 261–277)। आर0 पी0 मिश्र (1964) ने विकास ध्रुव के तीन प्रमुख कार्य बताये है– 1. सेवा केन्द्र के रूप मे, 2. विकास उत्प्रेरक केन्द्र के रूप में एवं 3. सामाजिक अन्योन्य क्रिया बिन्दु के रूप में। इन विकास ध्रुवो को कई सोपानिक वर्गों में बांटा जाता है, जैसे– राष्ट्रीय स्तर पर विकास ध्रुव, प्रादेशिक स्तर पर विकास केन्द्र, उपप्रादेशिक स्तर पर विकास बिन्दु, लघु प्रादेशित स्तर पर सेवा केन्द्र तथा स्थानीय स्तर पर केन्द्रीय ग्राम।

3.4 सेवा केन्द्रों का निर्धारण :–

1933 में क्रिस्टालर के मौलिक प्रयास के उपरान्त केन्द्र स्थल सिद्धान्त के विकास में अगस्त लॉश (1954), बी0 जे0 एल0 बेरी और डब्ल्यू एल0 गैरिसन (1958), बान्स स्टोन फोल्के (1970) आदि विद्वानों का महत्वूपर्ण योगदान रहा है। भारतीय भूगोलविदों ने भी सेवा केन्द्रों के

निर्धारण में सामान्यतः केन्द्रीय सेवाओं की संख्या, केन्द्रीयता सूचकांक, जनसंख्या आकार, कार्यशील जनसंख्या का कुल जनसंख्या में प्रतिशत, कार्यशील जनसंख्या का तृतीयक कार्यो में संलग्न जनसंख्या से प्रतिशत, जनसंख्या आकार में परिवर्तन, कार्याधार जनसंख्या, आवागमन एवं संचार साधनों की उपलब्धता आदि चरों का उपयोग किया है। इन भारतीय विद्वानों में ए0 एन0 कार (1962), के0 एन0 सिंह (1966), एस0 वनमाली (1970), एल0 के0 सेन (1971), डब्ल्यू खान (1976), कुमार और शर्मा (1977), आर0 एल0 सिंह एवं आर0 पी0 बी0 सिंह (1978), आर0 सी0 तिवारी (1980) और बलराम (1986) आदि प्रमुख हैं।

अध्ययन के क्षेत्र में केन्द्र स्थलों का निर्धारण शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन एवं संचार साधन, वित्त एवं व्यापार और प्रशासनिक सेवा समूहों के अन्तर्गत आने वाली सेवाओं में से कुल 37 सेवाओं पर आधारित गणनाओं तथा तृतीयक कार्यों में जनसंख्या के आधार पर किया गया है। एतदर्थ अध्ययन क्षेत्र में केवल उन्हीं अधिवासों को सेवा केन्द्रों के रूप में चयन किया गया है जिनमें अधोलिखित सुविधायें उपलब्ध हों। चयनित सेवा केन्द्रों को पुनः विकसित और विकासशील वर्गो में विभाजित किया गया है। नीचे विकसित और विकासशील सेवा केन्द्रों की पहचान हेतु निम्न में से किसी एक विशेषता का उपलब्ध होना आवश्यक है।

3.4.1 विकसित सेवा केन्द्र :-

(अ) पॉच में से कोई तीन सेवाये तथा 10% कार्यकर जनसंख्या तृतीयक व्यवसायों में संलग्न (इस 10% का मापदण्ड क्षेत्रीय औसत के आधार पर किया गया है)।

(ब) पॉच में से कोई दो सेवाये एवं 15% कार्यकर जनसंख्या का तृतीयक व्यवसायों में लगा होना।

(स) पॉच में से कोई एक सेवा एवं कम से कम 20% कार्यकर जनसंख्या का तृतीयक व्यवसायों द्वारा जीविकोपार्जन।

(द) 25% कार्यकर जनसंख्या का तृतीयक व्यवसायों द्वारा भरण–पोषण।

(य) सभी 5 सेवाये एवं 5% कार्यकर जनसंख्या का तृतीयक व्यवसायों में लगा होना।

3.4.2 विकासशील सेवा केन्द्र :-

(अ) पॉच में से कोई तीन सेवायें।

(ब) दो सेवाये एवं 5% कार्यकर जनसंख्या का तृतीयक व्यवसायों से संलग्नता।

(स) एक सेवा एवं 10% कार्यकर जनसंख्या का तृतीयक व्यवसायों में लगा होना।

(द) 15% कार्यकर जनसंख्या परन्तु सेवा रहित अधिवास।

उपर्युक्त आधार पर फतेहपुर जनपद में कुल 135 विकसित सेवा केन्द्रों तथा 256 विकासशील सेवा केन्द्रों को चयनित किया गया है (सारणी 3.1 और चित्र 3.1)।

सारणी 3 1

जनपद फतेहपुर सेवा केन्द्र, 1991

क्रम स0	पदानुक्रम	सेवा केन्द्र	जनसख्या 1991	केन्द्रीयता मान
1	प्रथम क्रम	फतेहपुर	114,675	456.0
2	द्वितीय क्रम	बिन्दकी	29,484	234.0
3.		खागा	9,039	196.0
4		कोडा जहानाबाद	19,150	161.0
5	तृतीय क्रम	रजीपुर छिवलहा	3,172	146.9
6.		बहुआ	7,168	122.0
7.		अमौली	5,157	122.0
8		हसवा	7,974	116.0
9.		किशुनपुर	5,497	97.0
10		कस्बा हथगॉव	2,781	95.6
11.		धाता	11,977	92.5
12.		ललौली	13,557	90.9
13.		खजुहा	4,236	87.9
14.		छेउँका उर्फ हुसैनगज	5,662	87.0
15.		मलवां	4,215	86.0
16.		असोथर	12,366	85.3
17		विजयीपुर	3,868	82.8
18		शाह	9,552	82.6
19.		जोनिहॉ	2,235	80.6
20.	चतुर्थ क्रम	औंग	2,769	75.0
21.		शहजादपुर खागा	6,945	72.8
22.		अल्लीपुर बहेरा	1,536	69.6
23		खखरेरू	5,970	68.6
24.		गोपालगंज	1,250	66.2
25.		गाजीपुर	7,367	65.3
26.		बहरामपुर	2,894	63.9
27.		बकेवर बुजुर्ग	1,838	63.7
28.		हरसिंहपुर	1,352	61,3

क्रमशः....

29		अकबरपुर	245	61.3
30		पौली	4,068	61.3
31		तारापुर भिटौरा	3,810	60.4
32		देवमई	6,044	60.3
33		मुहम्मदपुर गौती	8,169	59.8
34		ऐराया	3,595	56.0
35		सराय बकेवर	1,068	51.1
36		जमरावा	9,048	49.3
37		रेवारी बुजुर्ग	1,577	49.2
38		चांदपुर	6,719	48.2
39.		दमापुर	1,032	48.2
40.		भैसौली	3,538	47.6
41		बहादुरपुर खागा	4,656	47.5
42.		सुल्तानपुर घोष	2,978	47.5
43.		कोराई	4,776	45.8
44		दतौली	4,765	45.6
45		रामपुर थरियाव	9,402	45 4
46		सवत	7,297	44.9
47		शिवराजपुर	1,320	44.9
48.		डिघवारा	1,593	44.2
49		असनी	1,415	43.5
50.		कटोघन	4,579	43.3
51.		खदरा	1,799	43.1
52		मवई	4,017	43.0
53.		टेनी	4,098	42.5
54		लक्ष्मीपुर	5,758	42.3
55.		तेलियानी	579	41.5
56		शाखा	5,599	41.0
57.		सहिली	1,632	41.0
58.	पचम क्रम	बेलाई	779	39.5
59		मौहार	6,509	38.6
60		सराय मोहन सलेमपुर	1,015	38.2

क्रमशः...

61	गढा	11,239	37.5
62	सिधाव	3,033	36.5
63.	ओखरा कुवरपुर	3,112	36.2
64.	अजमतपुर	1,358	36.0
65.	मऊपारा	3,271	35.7
66	डिघरूआ	3,050	35.5
67.	देवरी बुजुर्ग	1,755	35.3
68	मुसाफा	3,276	33.4
69	बिलन्दपुर	1,064	32.8
70.	चकजाफरअली	3,070	32.6
71.	बारा	1,553	32.1
72	अढौली	1,650	32.0
73.	उमरौली कल्यानपुर	2,171	30.6
74	कंसपुर गुगौली	2,412	30.4
75	छिवली	858	30.2
76	चक बरारी	2,606	30.1
77	चुरियानी	2,205	29 5
78	खरगसेनपुर मय भदवा	3,665	29.2
79.	जजमोइया	700	29 0
80	नरैनी	4,445	28.2
81.	आलमपुर	1,158	27.9
82	दरियामऊ	1,522	27.6
83.	गौरा	2,386	27.3
84.	कोट	3,431	27.0
85	शाहजहॉपुर	2,666	27.0
86.	हरदो	5,398	26.9
87.	महरहा	3,036	26.8
88	खास मऊ	3,782	26.5
89	बरारी	402	26.4
90	मौली	795	26.4
91.	परसिद्धपुर	1,420	26.3

क्रमशः....

92.	चकस्करन	760	25.8
93	मेवलीबुजुर्ग	1,007	25.7
94.	गुनीर	5,773	25.4
95.	लतीफपुर	1,318	25.3
96.	बुढवा	2,713	25.1
97	चकइटैली	800	25.0
98.	औरई	6,028	24.9
99.	चक्की	3,471	24.5
100.	बुदवन	4,836	24.5
101	आरामपुर	569	24.4
102	दुगरई	2,168	24.3
103	खेसहन	1,677	24.0
104	बहरौली	1,677	23.8
105	टेसाहीबुजुर्ग	2,149	23.5
106	सनगांव	5,717	23.4
107.	अफोई	958	23.2
108	बरनपुर	1,723	23.0
109	रामपुर	2,508	23.0
110	नरैचा	2,377	22.9
111	पट्टीशाह	3,166	22.8
112	मुत्तौर	2,804	22.8
113	बेरागढीवा	2,625	22.8
114	टिकरा	1,696	22.7
115.	बन्थरा	2,710	22.4
116.	रेवारी	1,634	22.4
117	धरमपुरसातो	5,886	22.2
118	असदार तारापुर	3,199	21.9
119.	चखेरी	2,164	21.9
120.	मुबारकपुर गेरिया	1,149	21.6
121	सठिगवा	1,004	21.1
122	अमौरा	2,822	20.5
123	बडागॉव	4,655	19.7

क्रमश..

123.	बड़ागॉव	4,655	19.7
124.	धमनाखुर्द	1,081	19.6
125.	त्योंजा	1,665	19.5
126.	कोटिया	4,406	19.3
127.	गढ़ी	2,972	19.0
128.	अल्लीपुर	2,376	18.6
129.	खटौली	1,385	17.9
130.	पिलखिनी	2,168	17.7
131.	टिकारी	2,77.1	17.5
132.	छींछा	988	17.5
133.	रमुआपंथुआ	6,264	17.0
134.	सुकेती	2,520	16.8
135.	लद्गवां	1,299	15.0

CENTRALITY	HIERARCHICAL ORDER	NO OF SERVICE CENTRES RURAL	URBAN	TOTAL
> 320	I	0	1	1
161 - 320	II	0	3	3
81 - 160	III	13	2	15
41 - 80	IV	38	0	38
< 40	V	78	0	78
		Total 129	6	135

Fig. 3.1

किसी केन्द्र की केन्द्रीयता का आभास काफी हद तक उसके जनसंख्या आकार से किया जा सकता है परन्तु यह सदैव आवश्यक नही है कि जनसंख्या आकार में बडे केन्द्र की केन्द्रीयता भी सदैव अधिक तथा छोटे केन्द्र की केन्द्रीयता अपेक्षाकृत कम होगी (सिंह, 1979, पृ0 321)। इस तरह केन्द्रीयता का सम्बन्ध किसी बस्ती विशेष में पाये जाने वाले कार्यो की संख्या एवं विशेषता से है जबकि केन्द्रीय कार्य वे कार्य होते हैं जो अपनी प्रकृति व स्वभाव के कारण कुछ ही बस्तियों में पाये जाते हैं। इन केन्द्रीय कार्यो की विशेषता व गुणों को दो प्रमुख तथ्य प्रभावित करते हैं– 1. बस्ती मे पाये जाने वाले केन्द्रीय कार्यों की संख्या एवं 2. इन कार्यों का स्तर। इन्हीं केन्द्रीय कार्यों के आधार पर किसी भी क्षेत्र की केन्द्रीयता का सही आकलन किया जा सकता है। केन्द्रीयता आकलन में अनेक विद्वानों ने सराहनीय प्रयास किये है जिनमें क्रिस्टालर (1933), ब्रश (1953), गाडलुण्ड (1956), मार्शल (1964) तथा भारतीय भूगोलविद ओम प्रकाश सिंह (1979) आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। केन्द्रीयता का महत्व इसलिए और भी बढ जाता है कि इसी के आधार पर क्षेत्र के सेवा केन्द्रो के पदानुक्रम का निर्धारण किया जा सकता है।

अध्ययन क्षेत्र में सेवा केन्द्रो की केन्द्रीयता को ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग किया गया है (गाडलुण्ड, 1956, पृ0 12–14)–

$$C = \frac{N\ 100}{P}$$

यहॉ,

C = अभीष्ट केन्द्रीयता,

N = सेवा केन्द्र पर व्यापार में संलग्न व्यक्तियों की संख्या,

P = प्रदेश की कुल वाणिज्यिक जनसंख्या।

गाडलुण्ड महोदय द्वारा प्रतिपादित इस सूत्र का उपयोग करके अध्ययन क्षेत्र के सेवा केन्द्रों की केन्द्रीयता का मापन किया गया है। साथ ही इन केन्द्रों में उपलब्ध सेवाओं के केन्द्रीयता अंकमान का परिकलन किया गया है। पुनः दोनो केन्द्रीयता मानों को जोडकर अध्ययन क्षेत्र में 135 विकसित और 256 विकासशील सेवा केन्द्रों का निर्धारण किया गया है।

3.6 सेवा केन्द्रों की केन्द्रीयता :–

सेवा केन्द्रों की केन्द्रीयता का आकलन एक व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया है जो सेवा केन्द्रों के तुलनात्मक महत्व पर प्रकाश डालती है। इसके साथ यह इसके परिमाणात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं को भी स्पष्ट करती है.उदाहरणार्थ– यदि किसी सेवा केन्द्र का केन्द्रीयता मान अधिक है तो इससे स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि अमुक केन्द्र अन्य केन्द्रों की तुलना में उस क्षेत्र की अधि

सारणी 3.2

केन्द्रीय सेवा समूह और सेवाये

सेवा समूह	क्रम सं0	सेवाये	अंकमान
अ – शिक्षा	1	जूनियर बेसिक स्कूल	1
	2	सीनियर बेसिक स्कूल	2
	3	हायर सेकेण्ड्री स्कूल	3
	4	डिग्री कालेज	13
	5	पालीटेक्निक तथा टेक्निकल स्कूल	18
	6	ट्रेनिग कालेज	18
ब – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7	अस्पताल	7
	8	क्षय रोग अस्पताल	26
	9	ऑख अस्पताल	26
	10	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	4
	11	मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र	6
	12	परिवार कल्याण केन्द्र	8
	13	चिकित्सालय	4
	14	पजीकृत चिकित्सा व्यवसायी	3
स – पशु समुदाय	15	पशु चिकित्सालय	5
	16	पशु सेवा केन्द्र	4
	17	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	8
	18	कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	8
	19	भेड विकास केन्द्र	8
	20	बकरा विकास केन्द्र	6
	21	सुअर विकास केन्द्र	13
द – परिवहन एव सचार	22	बस स्टेशन	13
	23	बस स्टाप	2
	24	रेलवे स्टेशन	9
	25	डाकघर	2
	26	डाकघर एवं तारघर	5
	27	दूरभाष केन्द्र	5
य – वित्त एव व्यापार	28	बाजार	
	अ –	साप्ताहिक	6

		ब —	द्विसाप्ताहिक	3
		स —	दैनिक	3
	29		सहकारी बैक	4
	30		भूमि विकास बैंक	15
	31		अन्य राष्ट्रीयकृत बैक	3
र — प्रशासनिक	32		विकासखण्ड मुख्यालय	7
	33		तहसील मुख्यालय	15
	34		जनपद मुख्यालय	26
	35		कस्बा क्षेत्र	11
	36		पुलिस स्टेशन	6
	37		पुलिस चौकी	5

ाक से अधिक जनसंख्या को अपनी सेवा से सेवित कर रहा है। इससे यह भी मालूम हो जाता है कि उस सेवा केन्द्र द्वारा सम्पादित होने वाला सेवा कार्य अधिक गुणात्मक महत्व वाला है। केन्द्रीयता को मापने का सर्वप्रथम प्रयास जर्मनी के विद्वान क्रिस्टालर महोदय (1933) द्वारा किया गया है जिन्होंने दूरभाष संयोजनों के आधार पर केन्द्रीयता मापने का प्रयास किया। तत्पश्चात ग्रीन (1948) ने आकर्षण शक्ति के साथ–साथ परिवहन सम्बद्धता को आधार बनाकर केन्द्रीयता मापन का कार्य किया। बेरी और गैरिसन (1958) ने विशिष्ट कार्यो, उनकी कार्याधार जनसंख्या एवं पदानुक्रम के आधार पर केन्द्रीयता मापन का सुझाव दिया। सिद्धाल (1961) ने फुटकर और थोक व्यापार के आधार पर तथा प्रेस्टन (1971) ने फुटकर व्यापार एवं औसत पारिवारिक आय के आधार पर केन्द्रीयता मापन का प्रस्ताव किया। इसके अतिरिक्त कार्टर (1955), डंकन (1955), उलमैन (1960) और कार (1962) इत्यादि विद्वानो ने किसी स्थान पर प्रतिपादित होने वाले समस्त कार्यो के आधार पर केन्द्रीयता की परिगणना की है। भारतीय भूगोलविदों में प्रकाश राव (1974) और जगदीश सिंह (1976) दोनों ने ही केन्द्रीयता की गणना कार्यो की संख्या के आधार पर किया है किन्तु ओ0 पी0 सिंह (1971) ने केन्द्रो की परस्पर सयोजकता के आधार पर केन्द्रीयता का मापन किया है। एल0 एस0 भट्ट (1967) ने हरियाणा के करनाल क्षेत्र के लिए केन्द्रीयता का मापन प्रदेश के कुल अधिवासों की संख्या तथा सेवाओ वाले कुल अधिवासों की संख्या के आधार पर किया है। अध्ययन क्षेत्र में विभन्न 37 सेवाओ के केन्द्रीयता अंकमान को ज्ञात करने के लिए इन्हीं के सूत्र का उपयोग किया गया है, जो अग्रलिखित है–

$$W_1 = \frac{N}{F_1}$$

यहाँ,

W_1 = कार्य का अंकमान

N = प्रदेश या क्षेत्र मे कुल अधिवासों की सख्या एवं

F_1 = कार्य सम्पन्न करने वाले कुल अधिवासो की संख्या।

उपर्युक्त सूत्र के आधार पर प्राप्त प्रत्येक अंकमान को पुन. 2 से विभाजित करके अध्ययन क्षेत्र की 37 मे से प्रत्येक सेवा का वास्तविक अंकमान ज्ञात किया गया है जो सारणी 3.2में प्रदर्शित है।

3.7 सेवा केन्द्रों का पदानुक्रम :–

पदानुक्रम से अभिप्राय बस्तियो को उनके आकार अथवा उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यो एवं सुविधाओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करने से है। आजकल प्राशासकीय स्तर

सारणी 3.3

जनपद फतेहपुर सेवा केन्द्रो का पदानुक्रम एव सेवा केन्द्रो की सख्या, 1991

क्रम सं0	विकासखण्ड	केन्द्रीयता मान						
		320	161–320	81–160	41–80	< 40		
		I	II	III	IV	V	योग	घनत्व/किमी0
1.	देवमई		1		5	4	10	4.2
2.	मलवां			1	5	10	16	4 7
3.	अमौली			1	1	8	10	2 8
4.	खजुहा		1	2		7	10	2 9
5.	तेलियानी	1			4	9	14	5 4
6	भिटौरा			1	4	3	8	3.4
7.	हसवा			1	2	8	11	3.4
8.	बहुआ			2	2	6	10	3.6
9.	असोथर			2	1	3	6	1.5
10.	हथगाँव			2	3	4	9	3.3
11.	ऐरायां		1		7	4	12	3.7
12	विजयीपुर			2	2	6	10	4.2
13.	धाता			1	2	6	9	3.3
	योग जनपद	1	3	15	38	78	135	3 3

मे राष्ट्रीय राजधानी, राज्य राजधानी, कमिश्नरी नगर, जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, परगना मुख्यालय, विकासखण्ड मुख्यालय आदि नामों का उपयोग होता है। इसी प्रकार पुरवा, ग्राम, कस्बा, नगर और महानगर आदि शब्दो का प्रयोग बस्तियों के आरोही क्रम में पदानुक्रम का बोध कराते हैं। इसी तरह महानगर, नगर, कस्बा, ग्राम और पुरवा आदि अवरोही क्रम में पदानुक्रम का बोध कराते है। ध्यातव्य है कि भूगोल विषय मे पदानुक्रम शब्द को क्रिस्टालर महोदय ने अपने 'केन्द्र स्थल सिद्धान्त 1933' के माध्यम से महत्व दिलवाया था। वर्तमान समय में क्षेत्रीय अध्ययन में पदानुक्रम की महत्ता पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है जिसे सम्पूर्ण क्षेत्र को उपक्षेत्रों मे बांटकर उसका सही तरह से अध्ययन किया जा सके। इसी क्रम में फतेहपुर जनपद का भी सही–सही अध्ययन करने के लिए जनपद के सेवा केन्द्रो को उनकी केन्द्रीयता के आधार पर 5 पदानुक्रमों मे रखा गया है (सारणी 3 3 एवं चित्र 3.1)। इसमें सेवा केन्द्रो के पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों को निधारित करने के लिए उनके केन्द्रीयता सूचकांक सांतत्य को खण्डित करने वाले बिन्दुओ, जिन्हे प्राकृतिक अवरोध बिन्दु भी कहते हैं, को सीमा माना गया है। सारणी 3.1 व चित्र 3.1 दोनों से ही यह ज्ञात होता है कि जनपद फतेहपुर, जो कि अधोमुखी प्रसरण का सबसे बड़ा केन्द्र है, सर्वाधिक केन्द्रीयता अंक (456) लेकर प्रथम श्रेणी का एकमात्र सेवा केन्द्र है। बिन्दकी, खागा और कोडा जहानाबाद द्वितीय श्रेणी के सेवा केन्द्र है जिनमें बिन्दकी और खागा दोनों ही तहसील मुख्यालय है और जहानाबाद अध्ययन क्षेत्र के पश्चिमी भाग का प्रमुख बाजार केन्द्र, लघु एवं कुटीर उद्योग केन्द्र तथा कस्बा क्षेत्र (Town Area) है। जनपद में तृतीय श्रेणी के 15 सेवा केन्द्र हैं जिनमें से 9 विकासखण्ड मुख्यालय–बहुआ, अमौली, हसवा, हथगॉव, धाता, खजुहा, मलवां, असोथर और विजयीपुर आदि हैं। ये सभी अपन अवरोही क्रम में केन्द्रीयता अंक के साथ उल्लिखित हैं जबकि शेष 6 क्रमशः रजीपुर छिवलहा, किशुनपुर, ललौली, छऊँका उर्फ हुसैनगंज, शाह और जोनिहां मुख्यतः बाजार केन्द्र व परिवहन केन्द्र के रूप में विकसित हुए हैं। किशुनपुर तो कस्बा क्षेत्र भी है। इस तरह स्पष्ट है कि तृतीय श्रेणी के सेवा केन्द्र मुख्यतः विकासखण्ड मुख्यालय, कस्बा क्षेत्र और मुख्य बाजार केन्द्र के रूप में विकसित हुए है। ये सभी सेवा केन्द्र शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आवागमन एवं संचार साधन, बैंक, विपणन और भण्डारण आदि सुविधाओं से परिपूर्ण है। चतुर्थ श्रेणी के सेवा केन्द्रों की सख्या 38 है इनमें 4 विकासखण्ड मुख्यालय– भिटौरा, देवमई, ऐराया और तेलियानी के रूप मे विकसित है। ये सेवा केन्द्र मुख्यतः बडे बाजार, आवागमन केन्द्र, सहकारी बैंक, पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी, न्याय पंचायत, डाकघर, सीनियर बेसिक स्कूल, मातृ एव शिशु कल्याण केन्द्र, पंजीकृत चिकित्सक की सुविधाओं और कुटीर उद्योग आदि केन्द्रीय कार्यो द्वारा अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रो को अपनी सेवाये प्रदान करते हैं। इसी तरह से जनपद में पांचवी श्रेणी के 78 सेवा केन्द्र चयनित किए गए है जो सम्पूर्ण जनपद में बिखरे हुए मिलते हैं। ये सेवा केन्द्र प्रमुखतया ग्रामीण बाजार, जूनियर और सीनियर बेसिक स्कूल, औषाद्यालय, उर्वरक

वितरण केन्द्र और न्याय पचायत तथा शाखा डाकघर द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करते है। इसके साथ ही ये सेवा केन्द्र पारिवारिक उद्योग जैसे आटा चक्की, धान कुट्टी, तेलधानी, दुग्ध तथा इसी तरह की दैनिक उपयोग की वस्तुओ के माध्यम से अपने सेवा क्षेत्र को सेवाये प्रदान करते है। इस विवरण से स्पष्ट है कि सभी पांचो श्रेणी के सेवा केन्द्र अपनी–अपनी क्षमता के अनुसार अपने से छोटे श्रेणी के सेवा केन्द्रो को सेवा प्रदान करते है जिससे इनमें एक सोपानिक सम्बन्ध बन जाता है। ध्यातव्य है कि वृहद सेवा केन्द्रो की ही तरह लघुतर सेवा केन्द्र या ग्रामीण अंचल भी वृहद सेवा केन्द्रों को विभिन्न प्रकार की दैनिक उपभोग की वस्तुए जैसे–हरी साग–सब्जियां, दुग्ध और खाद्यान्न आदि प्रदान कर उन्हे पोषित करते हैं। यही से नगरों और वृहद केन्द्रों में स्थित विभिन्न उद्योगो के लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है। इस प्रकार इन वृहद एवं लघु सेवा केन्द्रों में अधोमुखी और उपरिमुखी दोनों ही तरह के अन्योन्याश्रित सोपानिक सम्बन्ध मिलते हैं। इस तरह ये सेवा केन्द्र अध्ययन क्षेत्र के विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हुए ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं।

3.8 जनसंख्या आकार और केन्द्रीयता में सम्बन्ध :–

जनसंख्या आकार और केन्द्रीयता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं अतः ये दोनों ही परस्पर अन्तर्सम्बन्धित है। यह सम्बन्ध धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार का होता है। साधारणतः जिस क्षेत्र की तृतीयक कार्यो मे संलग्न जनसंख्या अधिक होती है और उस क्षेत्र मे उपलब्ध सेवाओं की संख्या भी अधिक होती है तो उस क्षेत्र या स्थान का केन्द्रीयता अंकमान भी अधिक होता है किन्तु कभी–कभी इसके अपवाद भी मिलते हैं अर्थात जनसंख्या कम होने पर भी केन्द्रीयता अंकमान अधिक होता है जो निश्चय ही सम्बन्धित क्षेत्र में उपलब्ध अधिकाधिक सेवाओं के कारण होता है। इन दोनों ही स्थितियो के कई उदाहरण अध्ययन क्षेत्र में मिलते है जिसे सारणी 3.1 से स्पष्ट किया जा सकता है। इस सारणी से चयनित कुछ उदाहरण इस प्रकार है– प्रथम श्रेणी का सेवा केन्द्र फतेहपुर जनपद है जिसकी तृतीयक कार्यो में संलग्न जनसंख्या का केन्द्रीयता मान 30 है। चूँकि इसमें सम्पूर्ण जनपद की उपलब्ध सेवाये संग्रहीत हैं अतः इसका सकल केन्द्रीयता मान भी सर्वाधिक (456) है। इसी तरह खागा जिसकी कुल जनसंख्या 9,039 है, का केन्द्रीयता मान 196 है जबकि खागा की तुलना मे जहानाबाद की जनसंख्या (19,150) के अधिक होने पर भी इसका केन्द्रीयता मान केवल 161 है। इसी तरह अकबरपुर सेवा केन्द्र (मलवां विकास खण्ड) जो कि अध्ययन में चतुर्थ श्रेणी के सेवा केन्द्र के रूप में चयनित किया गया है, की कुल जनसंख्या मात्र 245 है किन्तु यहाँ पर उपलब्ध सेवाओं के सकेन्द्रण के फलस्वरूप इसका केन्द्रीयता मान 61.3 पाया जाता है। चित्र 3.2 (Scatter Diagram) जो कि जनसंख्या आकार और केन्द्रीयता से सम्बन्धित है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या आकार और केन्द्रीयता मान के बीच

CORRELATION BETWEEN CENTRALITY SCORE AND POPULATION - SIZE
V
IV
III
II
I
200
100
40
10
4
1
0.5
0.1
POPULATION IN THOUSAND
10
50
100
500
CENTRALITY SCORES

Fig. 3.2

मे धनात्मक सहसम्बन्ध पाया जाता है।

3.9 सेवा केन्द्रों का स्थानिक प्रतिरूप :–

सारणी 3.4 तथा चित्र 3.1 से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अध्ययन क्षेत्र में सेवा केन्द्रों का अधिकांश सकेन्द्रण जनपद के मध्यवर्ती भाग मे परिवहन साधनों के सहारे पाया जाता है। जनपद के कुल 135 सेवा केन्द्रों मे से सर्वाधिक (17) मलवा विकासखण्ड में मिलते हैं तत्पश्चात क्रमश तेलियानी (14), ऐरायां (12), हसवा (11), देवमई (10), अमौली (10), खजुहा (10), बहुआ (10), विजयीपुर (10), हथगॉव (9), धाता (9), भिटौरा (8) और असोथर (6) विकासखण्डों का स्थान है। ध्यातव्य है कि मलवां विकासखण्ड में सबसे अधिक सेवा केन्द्रों के केन्द्रीकरण का सर्वप्रमुख कारण जनपद में इसका एकमात्र वृहद एवं मध्यम औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पाया जाना है दूसरे इस विकासखण्ड की आवागमन एवं संचार साधनों के सन्दर्भ में उत्तम स्थिति पाई जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग इसके मध्य से होकर गुजरता है जिससे यह कानपुर, इलाहाबाद आदि प्रदेश के प्रमुख शहरों के साथ–साथ दिल्ली, कलकत्ता आदि वृहद नगरों से भी जुडा हुआ है। यह सडक मार्गो द्वारा जनपद के अन्य ग्रामीण क्षेत्रो से भी भलीभॉति अभिगम्य है। इसे उत्तरी रेलवे की सर्वप्रमुख रेलवे लाइन की उत्तम सुविधा भी प्राप्त है। यह कानपुर के औद्योगिक नगर के सन्निकट स्थित है जिसका इसके आर्थिक ढॉचे पर स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। इसी तरह तेलियानी और ऐरायां में क्रमशः 14 और 12 सेवा केन्द्रो की अवस्थिति मे फतेहपुर नगर की सन्निकटता तथा आवागमन साधनों की उपलब्धता का योगदान है जबकि ऐरायां के लिए खागा तहसील की अवस्थिति, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा अन्य सडक मार्गो की सुविधा का होना लाभकारक है। इसके साथ ही ये दोनों विकासखण्ड कृषि विकास के साथ–साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों से सम्पन्न हैं। इसके विपरीत असोथर विकासखण्ड में सेवा केन्द्रो की कमी में जललग्नता, बाढों द्वारा क्षति, अनुपजाऊ मिट्टी, ऊबड–खाबड धरातल तथा आवागमन एवं संचार साधनों के अभाव का योगदान है। जनपद में सेवा केन्द्रों का अधिकाश सकेन्द्रण परिवहन मार्गो विशेषकर सडकों एवं रेलमार्गो के सहारे मिलता है। इस वितरण में भूमि की उर्वरता, कृषि उत्पादकता, औद्योगिक विकास तथा अन्य अधः संरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता का भी प्रभाव देखा जाता है।

सारणी 3.4 से यह भी ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र के कुल 256 विकासशील सेवा केन्द्रों में से सर्वाधिक केन्द्र (29) मलवां विकासखण्ड में मिलते हैं। तत्पश्चात क्रमशः हथगाँव (28), खजुहा (26), तेलियानी (24), ऐरायां (21), भिटौरा (19), अमौली (18), विजयीपुर (18), देवमई (17), हसवा (15), बहुआ (15), धाता (15) और असोथर (11) सेवा केन्द्रों का स्थान है। इन सेवा केन्द्रों का वितरण भी आवागमन एवं संचार साधनों, भूमि उर्वरता, सिंचन सुविधा, कृषि उत्पादकता तथा आर्थिक विकास से प्रभावित है।

सारणी 3.4

जनपद फतेहपुर विकसित एव विकासशील सेवा केन्द्र, 1991

विकासखण्ड	ग्रामो की संख्या	कस्बो की संख्या	विकसित सेवा केन्द्र	विकासशील सेवा केन्द्र
देवमई	86	1	9	17
मलवां	109		17	29
अमौली	99		10	18
खजुहा	100	1	9	26
तेलियानी	101	1	13	24
भिटौरा	147		8	19
हसवा	84		11	15
बहुआ	89	1	9	15
असोथर	56		6	11
हथगॉव	170		9	28
ऐरायां	108	1	11	21
विजयीपुर	94	1	9	18
धाता	109		8	15
योग जनपद	1,352	6	129	256

3.10 सेवा केन्द्रों का सेवा क्षेत्र :–

प्रत्येक सेवा केन्द्र अपने केन्द्रीय कार्यो द्वारा अपने समीपवर्ती क्षेत्रों की सेवा करता है। ये सेवा क्षेत्र दो प्रकार के होते है– वृहद एव लघु। वृहद सेवा क्षेत्रों मे केन्द्रीय कार्यो की संख्या अधिक होती है, जबकि लघु सेवा क्षेत्रो मे केन्द्रीय कार्यो की सख्या कम होती है। जो सेवा केन्द्र जितना ही बडा होता है तथा वहॉ जितनी ही विशेषीकृत एव अधिक सेवाये संग्रहीत होती हैं उसका सेवा क्षेत्र उतना ही विस्तृत पाया जाता है। इसके विपरीत छोटे स्तर के सेवा केन्द्रों में उपलब्ध सेवाओं की सख्या कम होती है और उनका स्तर नीचा होता है। इसी कारण इनके द्वारा सेवित क्षेत्र का क्षेत्र विस्तार कम होता है। सेवा केन्द्रो की सेवाओं के महत्व के सम्बन्ध में डिकिन्सन (1934) महोदय ने कहा है कि किसी केन्द्र का किसी स्थान पर बने रहना उन कार्यों तथा सेवाओं पर निर्भर करता है जिनके द्वारा वह अपने समीपवर्ती क्षेत्र की सेवा करता है (डिकिन्सन, 1934, पृ0 19–31)। सेवा केन्द्रो द्वारा सेवित प्रदेश को प्रभाव प्रदेश, पूरक प्रदेश या पृष्ठ प्रदेश भी कहते है (तिवारी, 1997, पृ0 96–109)। सेवा केन्द्र और उसके सेवा क्षेत्र मे गहन सम्बन्ध पाया जाता है। जहॉ एक तरफ सेवा केन्द्र अपने पृष्ठ प्रदेश के आर्थिक–सामाजिक विकास को नयी दिशा प्रदान करता है वहीं सेवा क्षेत्र का आर्थिक तन्त्र सेवा केन्द्र के प्रतिपालन मे मददगार होता है। किसी क्षेत्र के ग्रामीण नियोजन तथा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण की रूपरेखा तैयार करने में इन सेवा क्षेत्रों की प्रकृति को ध्यान में रखा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने अनेकानेक मात्रात्मक एव गुणात्मक विधियो द्वारा सेवा क्षेत्रों के परिमापन का प्रयास किया है। इन विद्वानों में क्रिस्टालर (1933) और लॉश (1938) ने केन्द्रीयता एव पदानुक्रम के आधार पर, रेली (1931) ने दो विकास केन्द्रो के मध्य आकर्षण शक्ति को आधार मानकर, पी0 डी0 कनवर्स (1949) ने जनसख्या के आधार पर, ग्रीन (1952) और गाडलुण्ड (1956) ने बस सेवाओं के आधार पर तथा बेरी महोदय ने दो सेवा केन्द्रों के बीच की परिमापित दूरी तथा उनके केन्द्रीयता मान के आधार पर सेवा क्षेत्रों का परिसीमन किया है। प्रस्तुत अध्ययन मे सेवा क्षेत्रो का निर्धारण बेरी (1967) महोदय द्वारा दिये गये सूत्र के द्वारा किया गया है, जो अग्रलिखित है –

$$L_S = \frac{D}{1 + \sqrt{\frac{AC}{BC}}}$$

यहॉ,

L_S = A केन्द्र स्थल के प्रभाव क्षेत्र की B केन्द्र की सीमा, ——→ ?

AC = A केन्द्र स्थल का केन्द्रीयता सूचकांक,

BC = B केन्द्र स्थल का केन्द्रीयता सूचकांक,

सारणी 3 5

जनपद फतेहपुर सेवा केन्द्रो का प्रभाव क्षेत्र, 1991

ानुक्रमवार सेवा क्षेत्र	सेवा केन्द्रों की सख्या	क्षेत्र वर्ग किमी0	जनसख्या	जनपद के क्षेत्र का प्रतिशत	जनपद की जनसख्या का प्रतिशत
फतेहपुर	135	4,120.01	18,991,241	—	—
फतेहपुर शहर	58	1,999 15	917,657	48 52	48 32
बिन्दकी	32	690 08	382,061	16 75	20 12
खागा	30	966 14	195,403	23 45	21 28
कोडा जहानाबाद	15	464 64	404,120	11 28	10 28

GANGA
RIVER
YAMUNA
RIVER
Jahanabad
Amauli
Bindki
FATEHPUR
Shah
Bahuwa
Asothar
Khaga
Kishangarh
Dhata
Index
DISTRICT HEDQUARTER
SECOND ORDER
THIRD ORDER
FOURTH ORDER
10
0
10
20
km

D = A एवं B केन्द्र स्थलों के मध्य की दूरी,

उपर्युक्त सूत्र का प्रयोग करते हुए जनपद फतेहपुर के द्विस्तरीय सेवा केन्द्रों के सेवा क्षेत्रो को निर्धारित किया गया है जिसमें फतेहपुर के अलावा बिन्दकी, खागा और कोडा जहानाबाद सेवा केन्द्र सम्मिलित हैं (सारणी 3.5 और चित्र 3 3)।

प्रथम :–

फतेहपुर नगर प्रथम श्रेणी का सेवा केन्द्र है। यह जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र (4120.01 वर्ग किमी0) में नियन्त्रण रखता है जिसके अन्तर्गत विभिन्न स्तर के 135 विकसित तथा 256 विकासशील सेवा केन्द्र स्थित हैं। यह कार्य वह उच्चस्तरीय एवं विशेषीकृत शैक्षिक, चिकित्सीय, प्रशासनिक, बैकिग और आवागमन एवं सचार सम्बन्धी सेवाये उपलब्ध कराकर सम्पादित करता है। ध्यातव्य है कि फतेहपुर नगर आवागमन के साधनो जैसे– राष्ट्रीय राजमार्ग–2, राजकीय राजमार्ग–13 तथा अन्य सडक मार्गो और बडी लाइन के रेलमार्ग द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से भलीभॉति जुडा है।

द्वितीय – फतेहपुर शहरी सेवा क्षेत्र :–

यह अध्ययन क्षेत्र के लगभग मध्य मे स्थित है तथा जनपद की दो नगर पालिकाओं मे से प्रथम नगर पालिका है। द्वितीय स्तर के सेवा क्षेत्रों में से सबसे वृहद सेवा क्षेत्र है। इस सेवा क्षेत्र में फतेहपुर नगर अपने प्रभाव मे स्थित 58 सेवा केन्द्रों के माध्यम से जनपद के लगभग आधे क्षेत्र (48. 52%) और आधी जनसंख्या (48.32%) को सेवाये प्रदान करता है। चिंत्र 3.3 से स्पष्ट होता है कि इसके अन्तर्गत जनपद के कुल 13 विकासखण्डों मे से 6 विकासखण्डों का लगभग पूरा–पूरा क्षेत्र सम्मिलित है। ये विकासखण्ड क्रमश तेलियानी, भिटौरा, हसवा, बहुआ, असोथर और हथगॉव आदि है। इस शहरी सेवा क्षेत्र से ही होकर राष्ट्रीय राजमार्ग–2, राजकीय राजमार्ग–13 और उत्तरी रेलवे की रेलवे लाइन गुजरती है। इस सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित विभिन्न सेवा केन्द्र अन्य महत्वपूर्ण सडक मार्गो द्वारा फतेहपुर नगर से सम्बद्ध हैं। जनपद का प्रशासनिक मुख्यालय होने के साथ–साथ फतेहपुर नगर एक प्रमुख शैक्षणिक, व्यापारिक एवं चिकित्सीय केन्द्र भी है। फतेहपुर के अलावा बहुआ इस क्षेत्र का दूसरा नगरीय केन्द्र है। यहॉ जनपद के कुल 4 महाविद्यालयों में से 3 महाविद्यालय (2 फतेहपुर शहरी क्षेत्र में तथा 1 हथगाँव ग्रामीण क्षेत्र में), ऑख और कुष्ठ रोग के अस्पताल तथा जनपदीय चिकित्सालय इसी सेवा क्षेत्र मे है। जनपदीय कारागार, प्रधान डाकघर, बैक मुख्यालय तथा टी0 वी0 रिले केन्द्र स्थित है। इस तरह फतेहपुर नगर शहरी सेवा क्षेत्र को उच्चस्तरीय प्रशासकीय, शैक्षिक, चिकित्सीय, व्यापारिक, बैकिंग एवं परिवहन की सुविधायें प्रदान करता है। यह नगर विभिन्न परिवहन मार्गो द्वारा इस सेवा क्षेत्र में स्थित विभिन्न सेवा केन्द्रों से भलीभॉति जुडा है। सेवा क्षेत्र से ही नगर को खाद्यान्न, हरी सब्जी और दुग्ध आदि की आपूर्ति होती

है।

बिन्दकी सेवा क्षेत्र :–

यह द्वितीय स्तर का एक प्रमुख सेवा क्षेत्र है। बिन्दकी जनपद की दो नगरपालिकाओं में से द्वितीय नगरपालिका है। बिन्दकी सेवा केन्द्र के सेवा क्षेत्र में कुल 32 सेवा केन्द्र सम्मिलित हैं। यद्यपि यह जनपद के 16.75% क्षेत्र पर विस्तृत है परन्तु यह उसकी 20.12% जनसंख्या को विभिन्न सेवाये प्रदान करता है। इस सेवा क्षेत्र का विस्तार प्रमुखतः मलवां और खजुहा विकासखण्डों के लगभग सम्पूर्ण भाग पर पाया जाता है। इस सेवा क्षेत्र के केन्द्र बिन्दकी को तहसील मुख्यालय, नगरपालिका, महिला महाविद्यालय, चिकित्सालय, डाक एवं तारघर, बैंक तथा पुलिस स्टेशन आदि की सुविधाये प्राप्त है। यह सेवा क्षेत्र बांदा से कानपुर जाने वाले सड़क मार्ग एवं रेलवे मार्ग से अच्छी तरह सम्बद्ध है। जनपद का एकमात्र वृहद एवं मध्यम स्तर का औद्योगिक क्षेत्र मलवां विकासखण्ड है जिसमे बिन्दकी रोड और बरौरा प्रमुख केन्द्र हैं। इसके अलावा लघु उद्योगों जैसे– चावल मिल, दाल मिल व आटा मिल तथा कुटीर उद्योग का विकास भी बिन्दकी एवं उसके सेवा क्षेत्र में स्थित विभिन्न केन्द्रों में बहुतायत से हुआ है। इस सेवा क्षेत्र के औद्योगिक रूप से विकसित होने की अच्छी सम्भावना है।

खागा सेवा क्षेत्र :–

यह सेवा क्षेत्र भी द्वितीय स्तर के सेवा केन्द्र खागा के चतुर्दिक जनपद के 23.45% क्षेत्र पर फैला है तथा इसकी 21.28% जनसंख्या को विभिन्न सेवाये प्रदान करता हैं। इसके प्रभाव क्षेत्र में विभिन्न स्तर के कुल 30 सेवा केन्द्र स्थित हैं। इसका विस्तार जनपद के पूर्वी भाग में पाया जाता है। इसमें ऐरायां, विजयीपुर और धाता विकासखण्डो के लगभग सम्पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस सेवा क्षेत्र के विकास में तहसील मुख्यालय, नगरीय क्षेत्र (टाउन एरिया), राष्ट्रीय राजमार्ग–2 एवं रेलमार्ग की परिवहन सुविधा और इलाहाबाद नगर की समीपता का महत्व है। जनपद के 6 नगरीय केन्द्रों से 2– खागा और किशुनपुर इसी सेवा क्षेत्र में स्थित हैं। खागा नगर अपने सेवा क्षेत्र को डाकघर, तारघर, सिनेमाघर, विद्यालय (प्राथमिक एवं उच्चतरमाध्यमिक विद्यालय) चिकित्सालय, डिस्पेन्सरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैंक और पुलिस स्टेशन आदि की सेवाये प्रदान करता है। यह एक प्रमुख बाजार केन्द्र है जहॉ ग्रामीण क्षेत्रों से लोग दैनिक उपभोग की वस्तुओं का क्रय–विक्रय करने के लिए आते हैं। इस सेवा क्षेत्र में कुछ लघु एवं पारिवारिक उद्योगों के अलावा कृषि पर्यावरण की भी प्रधानता है।

जहानाबाद सेवा क्षेत्र :–

यह सेवा क्षेत्र भी द्वितीय स्तर के केन्द्र जहानाबाद द्वारा निर्मित है। इसका क्षेत्र विस्तार

जनपद की पश्चिमी सीमा के सहारे एक लघु क्षेत्र पर पाया जाता है। मुख्य राजमार्ग और रेलमार्ग से दूर होने के बावजूद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (मुगल काल का प्रशासनिक केन्द्र) तथा कानपुर औद्योगिक महानगर की सन्निकटता ने इसके विकास को प्रोत्साहित किया है। यह सेवा केन्द्र जनपद के 11.28% भाग पर विस्तृत है जिसमे जहानाबाद केन्द्र अपने अधीनस्थ 15 सेवा केन्द्रों के साथ जनपद की 10.28% जनसंख्या को विभिन्न सेवाये प्रदान करता है। इसका क्षेत्र विस्तार अमौली विकासखण्ड के सम्पूर्ण भाग तथा देवमई के लगभग आधे क्षेत्र पर पाया जाता है। जहानाबाद कस्बा अपने सेवा क्षेत्र को चिकित्सालय, डिस्पेन्सरी, सिनेमाघर, तारघर, बैंक, शिक्षा तथा बाजार आदि की सेवाये उपलब्ध कराता है। यहॉ लघु एव पारिवारिक उद्योगों का विकास हुआ है जिनको प्रोत्साहित कर यहॉ औद्योगीकरण हेतु समुचित परिस्थितियां विकसित की जा सकती हैं।

3.11 प्रस्तावित सेवा केन्द्र :–

अध्ययन क्षेत्र की सामाजिक–आर्थिक प्रगति हेतु सेवा केन्द्रों के एक सुगठित तन्त्र का होना आवश्यक है। एतदर्थ सर्वप्रथम यह निरीक्षण करने की आवश्यकता है कि वर्तमान सेवा केन्द्रों के तन्त्र में कितने स्थानिक–कार्यात्मक अन्तराल उपलब्ध हैं जिसके कारण यह विकास के उत्प्रेरक के रूप में यथेष्ट भूमिका नहीं निभा पा रहा है। चित्र 3.1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जनपद में अधिकांश सेवा केन्द्रो का राकेन्द्रण अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी भाग विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग–2, रेलमार्ग तथा कृषि उत्पादकता से प्रभावित पाया जाता है। अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी भाग में न केवल इसका वितरण विरल है वरन् इसमें सेवा कार्यो की कमी पायी जाती है। बहुत से अधिवाश यथेष्ट कार्याधार जनसंख्या के बावजूद पर्याप्त मात्रा में सेवाओं के अभाव में सेवा केन्द्र का स्तर नहीं प्राप्त कर पाये है। एक विशेष बात जो समूचे अध्ययन क्षेत्र के लिए लागू होती है वह सेवा केन्द्रों के नियामिक तंत्र के अभाव से जुडी है जिसके कारण उच्च स्तर के सेवा केन्द्र के अधीन पर्याप्त मात्रा मे उससे निचले स्तर के सेवा केन्द्रों का विकास नहीं हो पाया है। इससे उच्च स्तरीय सेवा केन्द्र विकास के उत्प्रेरक के बजाय आर्थिक शोषण के केन्द्र बन गये हैं जिससे जनसमुदाय एवं पूँजी का विपरीत दिशा में प्रवाह हो रहा है। वास्तव मे वर्तमान परिस्थितियों के उच्च स्तरीय सेवा केन्द्र बड़े वट वृक्ष की भॉति अपने नीचे स्तर के सेवा केन्द्रो को बढने का मौका ही नहीं दे रहा है। संतुलित सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु इस प्रक्रिया को बदलने की आवश्यकता है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर लेखिका ने फतेहपुर जनपद में सेवा केन्द्रों के नियोजन हेतु सेवा कोशिकाओं (Service Cells) के मध्य 5 किमी0 (सेवित जनसंख्या 8,000), सेवा केन्द्रों (Service Centers) के मध्य 10 किमी0 (जनसख्या 40,000), विकास बिन्दुओं (Growth Points) के बीच 25 किमी0 (जनसंख्या 1 लाख), विकास केन्द्रों (Growth Centers) के बीच 40 किमी0 (जनसंख्या 4 लाख) तथा विकास ध्रुवों (Growth Poles) के बीच 70 किमी0 (जनसंख्या 20 लाख) की दूरियों

सारणी 3 6

जनपद फतेहपुर प्रस्तावित सेवा केन्द्र, 2021 A. D.

पदानुक्रम	संख्या	सेवा केन्द्र का नाम
प्रथम क्रम	1	फतेहपुर
द्वितीय क्रम	6	कोडा जहानाबाद, बिन्दकी, हसवा, खागा, बहुआ, किशुनपुर
तृतीय क्रम	19	देवमई, औग, मलवा, अमौली, चॉदपुर, खजुहा, जोनिहॉ, तेलियानी, छेउँका उर्फ हुसैनगंज, बहरामपुर, शाह, असोथर, ललौली, रजीपुर छिवलहा, हथगॉव, मुहम्मदपुर गौती, पौली, विजयीपुर, धाता
चतुर्थ क्रम	56	मुसाफा, बकेवर बुजुर्ग, खदरा, कल्यानपुर, मौहार, अमौरा, शाहजहॉपुर, जफरापुर, कपिलनई किशुनपुर कापिल, बन्थरा, डिधरूआ, दपसौरा, गौरा, खूंटा, बारा, अजमतपुर, सनगाव, दमापुर, चकबरारी, तारापुर भिटौरा, असनी, मवई, बेरा गढीवा, पिलखिनी, रमुआ पन्थुआ, खेसहन, मुरांव, धरमपुर सातों, मौली, अयाह, गाजीपुर, चकस्करन, सुकेती, दतौली, देवलान, मुत्तौर, ऐझी, पट्टीशाह, सवन्त, बैगांव, योहन, ऐरायां सादात, अल्लीपुर, कटोधन, कस्बा सोहन, खासमऊ, टेनी, अन्जना, भैरवं, गढा, खखरेरू, मुबारकपुर गेरिया, खैरई, जाम, अढ़ौली, कोट इत्यादि।
पंचम क्रम	187	भैंसौली, आलमपुर, जाफरपुर, सिठौरा, शाहजहॉपुर खालसा, सरायलंगर, परसदेपुर, सुजावलपुर टिकरा, छिवली, बरिगवां, सराय बकेवर, अभयपुर बढहार, शिवराजपुर, गोधरौली, रामपुर, हरसिंहपुर, पहुर, शाहजहॉपुर, नानामऊ, साई, करनपुर गंगौली, गुनीर, रेवारी बुजुर्ग, महरहा, तेन्दुली, अकबरपुर, दरवेशपुर, चकमादा, गोपालगज, ओखरा कुअरपुर, इब्राहिमपुर, इटरौरा, पिलखिनी, कोटिया, बिरनई, जजमोइया, बुढवा, देवरी बुजुर्ग, गोहरानी, बिजौली, नरैचा, धमना खुर्द, सठिगवां, साल्हेपुर, अरईपुर मडराव, सेलावन, गढ़ी, चक जाफरअली, छीछा, खुरमाबाद, बेंता, शिवरी, इसनापुर, दरियाबाद, तपनी, ओंझी, खरगसेनपुर भदवां, असवार तारापुर, चखेरी, वाहिदपुर, सरांस खरगू, मेवली बुजुर्ग, सूपा, अलादादपुर, बरारी, कोराई, बिलुदपुर, कोढ़ई, सहली, ढकौली, मलाका, जीखापुर, किशुनदासपुर, नौगांव, जमरांवा, गनेशपुर, लकड़ी, लतीफपुर, बरनपुर, फरीदपुर, उसरैया, सराय मोहन, सलेमपुर औरेई, छिछनी, भैरवां, सातों पीट, नरैनी, लदगवां, रसूलपुर, बरौहा, खटौली, चुरियानी, बड़ागांव, पैना कलां, शाखा, लम्हेटा, सिंधाव, कोंडार, कधिया, बेंसडी, जमालमऊ, बेरूई, आनन्दीपुर, सरायं खलिस, हरनावा, सरकण्डी, अमिलियापाल, गौसपुर, चम्पतपुर, कुल्ली, निजामुद्दीन, अकबरपुर चिरई, चक इटैली, सरौली, दरियापुर, गौरा, पैगम्बरपुर रिकौहा, चक

बाकरपुर, मंगरेमऊ, मोहम्मदाबाद, रामपुर मवई, चक मूसेपुर, कासिमपुर, शाहपुर, लक्ष्मीपुर, डिघवारा, मऊयारा, सराय करमौन, सलेमपुर, कुल्हड़िया, त्योंजा, जसराजपुर, मण्डवा, रतनसेनपुर गौंती, आशीषपुर, अफोई, सुल्तानपुर घोष, अल्लीपुर बहेरा, अल्लीपुर, बहलोलपुर, छीमी, कृपालपुर, बुदवन, सग्रामपुर सानी, बहादुरपुर खागा, शहजादपुर खागा, हरदों, कस्बा सोहन, मंझिल गांव, पुरइन, अमावां, उमरा, नरौली, टेसाही बुजुर्ग, त्रिलोचनपुर, कूडा, सिल्मी गढ़वा, शाहजहॉपुर, सेलहरा, रामपुर, पहाडपुर, सरौली, एकडला, दरियामऊ, आरामपुर गुरगौला, रक्षपालपुर, चचींडा, सोथरापुर, लोहारपुर, शिवपुरी, कुल्ली, गुरसण्डी, उकाथू, आलमपुर गेरिया, पुरमई, जहॉगीर नगर, डेण्डासई, शाहपुर, हरहासपुर, चक शाहजहॉपुर, अहमदपुर कुसुम्भा, कल्यानपुर कचरौली, नरसिंहपुर कबरहा, पल्लावां, बम्हरौली इत्यादि।

FATEHPUR DISTRICT
SPATIAL ORGANISATION OF SERVICE CENTRES
RATIONALISED AND PROPOSED, 2021 AD
10 0 10 20
km
N
TO KANPUR
TO GHATAMPUR
TO RAE BARELI
TO BANDA
TO ALLAHABAD
GANGA RIVER
YAMUNA RIVER
Deomai
Jahanabad
Amauli
Bindki
Malwan
Bhitaura
Husainganj
FATEHPUR
Haswa
Hathgaon
Bahuwa
Lalauli
Asothar
Khaga
Bijaipur
Kishunpur
Dhata
I Growth Pole
II Growth Centre
III Growth Point
IV Service Centre
V Service Cell
Railways (Existing)
Bridge Proposed (Permanent Bridge)
Roads (Existing)
Roads (Proposed)
Bridge (Existing)
Railway (Proposed)

Fig. 3.4

का सुझाव दिया है।

सेवा केन्द्रों के प्रकार्यात्मक नियोजन हेतु सेवा कोशिकाओं का विकास केन्द्रीय ग्रामों के स्तर पर, सेवा केन्द्रों को न्याय पचायत के स्तर पर, विकास केन्द्रों का तहसील/परगना स्तर पर तथा विकास ध्रुव जनपद स्तर पर करने का प्रस्ताव है। एतदर्थ सेवा कोशिकाओं में सीनियर बेसिक स्कूल, शाखा डाकघर, ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र, अनुरोध बस स्टाप, प्राथमिक ऋण समिति, कुटीर एवं लघु उद्योग, साप्ताहिक बाजार, उर्वरक, बीज एवं कृषि उपकरण की दुकाने, फुटकर स्टोर, नाई, लोहार, बढ़ई, दर्जी, कुम्हार आदि की दुकानों की सुविधाये उपलब्ध होनी चाहिए। सेवा केन्द्रो में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्रामीण पालीटेक्निक, उप डाकघर, ग्रामीण डिस्पेन्सरी (मातृ एवं शिशु परिचर्या इकाई सहित), बस स्टाप, सहकारी बैंक, ग्रामीण औद्योगिक आस्थान, द्वि–साप्ताहिक बाजार, पशु पालन उपकेन्द्र, कीटनाशक विक्रय केन्द्र तथा सामान्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानों आदि की सुविधाये उपलब्ध होनी चाहिए।

इसी प्रकार विकास बिन्दुओं में डिग्री कालेज, तकनीकी संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, शल्य सुविधाओं सहित अस्पताल, डाक एवं तारघर, टेलीफोन एक्सचेंज, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीयकृत बैंक, मध्यम स्तरीय उद्योग, पशु संवर्धन केन्द्र, थोक विनियमित बाजार, पुलिस स्टेशन तथा औषधि की दुकानों आदि की सुविधाओ की आवश्यकता है।

मुख्यत. तहसील स्तर पर विकसित केन्द्रों को तकनीकी वैज्ञानिक संस्थान, स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, पब्लिक पुस्तकालय, वाचनालय, अस्पताल, पशु चिकित्सालय, डाक और तार कार्यालय, टेलीफोन सेवाये, रेलवे स्टेशन, शीतालय, व्यावसायिक बैंक, भूमि विकास बैंक, पुलिस स्टेशन, नगर निगम आदि की सुविधाओं से सुसज्जित किया जाना चाहिए।

प्रथम स्तर पर जिला मुख्यालय पर स्थित विकास ध्रुव में विशिष्ट सेवाओं जैसे विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, कम्प्यूटर केन्द्र, पूर्ण विकसित अस्पताल, क्षय रोग अस्पताल, कुष्ठ अस्पताल, पशु अस्पताल, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, सिनेमाघर, खेलकूद केन्द्र, आडिटोरियम, प्रधान डाकघर, टेलीफोन एक्सचेज, रेलवे जंक्शन, परिवहन डिपो, बीमा कार्यालय, प्रथम स्तरीय भारी उद्योग, औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि का संग्रहण ग्रामीण विकास हेतु लाभकारी हो सकता है।

उपरोक्त आधार पर सन् 2021 ई0 तक फतेहपुर जनपद में 1 विकास ध्रुव, 6 विकास कन्द्रों, 19 विकास बिन्दुओं, 56 सेवा केन्द्रों और 187 सेवा कोशिकाओं के विकसित किये जाने का सुझाव दिया गया है (सारणी 3.6 एवं चित्र 3.4)। इस प्रकार वर्तमान सेवा केन्द्रों की कुल संख्या जो 1991 में 135 थी वह सन् 2021 ई0 तक बढकर 269 हो जायेगी। इन सेवा केन्द्रों की अवस्थिति के निर्धारण में जहाँ एक तरफ स्थानिक–कार्यात्मक अन्तराल को आपूरित करने का प्रयास किया गया है वहीं दूसरी तरफ आवागमन एवं संचार साधनों की उपलब्धता, अधिवासों की केन्द्रीय

स्थिति तथा अभिगम्यता आदि की सेवा केन्द्रों के चयन में सहायता ली गई है। ध्यातव्य है कि 2021 ई0 में भी प्रथम श्रेणी के एक ही सेवा केन्द्र (विकास ध्रुव) का प्रस्ताव किया गया है जो जनपद के मुख्यालय फतेहपुर में अवस्थित होगा, यह सम्पूर्ण क्षेत्र की सेवा करेगा। किन्तु द्वितीय श्रेणी के सेवा केन्द्रो जिनकी संख्या वर्तमान समय में 3 है को बढाकर 2021 ई0 तक 6 करने का प्रस्ताव है, इनमे 3 पूर्व विकसित (बिन्दकी, खागा और कोडा जहानाबाद) केन्द्रों के अलावा 3 नये केन्द्रों (हसवा, बहुआ और किशुनपुर) का प्रस्ताव है जिनके वर्तमान स्तर में वृद्धि की गई है। इन 3 सेवा केन्द्रों के विकसित हो जाने से द्वितीयक स्तर के सेवा केन्द्रों के वितरण में अध्ययन क्षेत्र की विषमता दूर हो सकेगी। इसी प्रकार तृतीय स्तर के 19 विकास बिन्दुओं के विकास का सुझाव है इनमें 12 पूर्व विकसित केन्द्रों (मलवां, अमौली, खजुहा, जोनिहा, हुसैनगंज, शाह, असोथर, ललौली, रजीपुर छिवलहा, हथगॉव और विजयीपुर) के अलावा 7 नये केन्द्रों (देवमई, औंग, चांदपुर, तेलियानी, बहरामपुर, मोहम्मदपुर गौंती और पौली को चुना गया है। इनकी अवस्थिति को निर्धारित करते समय क्षेत्रीय असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी के वर्तमान 38 सेवा केन्द्रों (सारणी 3.1 एवं चित्र 3 1) के स्थान पर 56 केन्द्रों का प्रस्ताव किया गया है। इस श्रेणी में भी वर्तमान केन्द्रों के अलावा कुछ नये केन्द्रो का चयन किया गया है। पंचम श्रेणी के 78 विकास बिन्दुओं की संख्या वर्तमान समय से जानबूझ कर दो गुना से भी अधिक (187) रखी गयी गई है ताकि क्षेत्र में ग्रामीण विकास को समुचित दिशा प्रदान की जा सके। ये केन्द्र स्थानिक–कार्यात्मक संगठन के सबसे निचले स्तर पर काम करते हुए नवाचारो एवं नूतन विचारों को सुदूरवर्ती ग्रामों तक पहुॅचाने मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसलिए इन केन्द्रों पर सर्वाधिक ध्यान देने की आवश्यकता है इन विभिन्न स्तरीय सेवा केन्द्रों को पक्की सडकों से सम्बद्ध करने के अतिरिक्त इनमें संचार, बिजली, पेयजल आदि सुविधाओं को विकसित करने की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए चित्र 3.4 में नये परिवहन एवं संचार मार्गों का भी प्रस्ताव किया गया है जिसमे वर्तमान कच्ची सडको को पक्का बनाने, सड़को को चौड़ा करने, नये पुलों का निर्माण करने आदि का सुझाव है। ध्यातव्य है कि प्रस्तावित सड़क मार्गो के विकसित हो जाने पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर परिवहन भार को कम किया जा सकेगा। इसी प्रकार जनपद में एकाकी रेलमार्ग होने के कारण दक्षिणी अंचल का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है अतः यहॉ एक नये रेल मार्ग को विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है जो जनपद को बांदा और रायबरेली आदि जनपदों से सीधा सम्पर्क स्थापित करने में सहायक होगा। यह रेलमार्ग राजकीय राजमार्ग के समानान्तर विकसित होगा। साथ ही चिल्ला घाट के अस्थाई सेतु की जगह पर एक स्थाई पुल विकसित करने की आवश्यकता है क्योंकि प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में पीपे के अस्थाई पुल के बह जाने से तेन्दवारी पुल का भार बढ जाता है और लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पडता है। इससे इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास प्रभावित होता है।

3.12 सेवा केन्द्र और सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण :–

ग्रामीण क्षेत्रो के सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण मे सेवा केन्द्रों की अत्यन्त निर्णायक भूमिका होती है। वास्तव मे किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति हेतु कृषि मे संस्थागत एवं तकनीकी सुधार, औद्योगिक इकाइयो के सृजन, बुनियादी सुविधाओ के विकास और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, नवाचारों एव नूतन विचारो के सम्प्रेषण मे इन सेवा केन्द्रों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सुविधा, ऊर्जा एवं आवास की व्यवस्था के साथ–साथ सामाजिक कुरीतियो को दूर करने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मे भी ये केन्द्र सहायक होते है। प्रयोगों से यह बात लगभग सिद्ध हो चुकी है कि किसी भी विकास को कारगर बनाने के लिए समुचित पर्यावरण की आवश्यकता है जिसके लिए जन सहयोग और सहभागिता आवश्यक है। जब तक लोग विकास के प्रति स्वय भलीभॉति परिचित नहीं होंगे, उनमें अच्छे बुरे की सम्यक् पहचान नहीं होगी तथा वे विकास कार्यक्रमों को पूरा समर्थन नहीं देंगे। विकास योजनायें अपने अभीष्ट लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकेंगी। यह कार्य सबसे निचले स्तर के सेवा केन्द्रों को सबल बनाकर किया जा सकता है। वास्तव मे विकास कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में इन केन्द्रों में भरपूर अधः संरचनात्मक सुविधाओ को विकसित किया जाना आवश्यक है। अतः जिस क्षेत्र में इन केन्द्रों का जितना ही सुदृढ तत्र होगा उसके उतने ही विकसित होने की संभावना है। विकास की गति को उत्प्रेरित करने के साथ--साथ इन केन्द्रों के माध्यम से पिछडे क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित कर क्षेत्रीय विषमता को दूर करने में भी मदद मिलती है।

REFERENCES :

Balram, 1986 : Spatial System of Rural settlement in Hamirpur District (U.P), Unpublished D. Phil Thesis, University of Allahabad, pp. 278-311

Berry, B.J.L. 1958 : A Note On Central Place Theory and Range of Goods, Economic Geography, Vol. 34, pp: 304-311.

Berry, B.J.L. and Garrison, W L 1958 : Recent Developments or Central Place Theory, Regional Science Association, pp. 107-120.

Berry, B.J.L 1967 : Geography of Market Centres and Retail Distribution, Englewood, Cliffs, Prentice Hall, p 144.

Bhatt, L.S., et. al. 1967 Micro-Level Planning : A Care Study of Karnal Area, Haryana, India, New Delhi.

Brush, J.E. 1953 : The Hierarchy of Central Places in South - Western Wisconsin, Geographical Review, Vol. 43, pp. 380-402.

Carter, H L 1955 · Urban Grades and Spheres of Influence in South - West Wales, Scotland, Geographical Magazine, Vol. 71, p. 43.

Christaller, W. 1933 : Die Zentralen Orte in Suddeutschland, Jena, Translated by C.W. Baskin Central Places in Southern Germany (New Jersey), p. 147.

Converse, P.D. 1949 : New Law of Retail Gravitation, Journal of Marketing, strokkarck Fronk, pp. 493-496

Dickinson, R.E. 1934 . The Distribution of Functions of the Smaller Urban Settlement in East Anglia, Geogrophy, Vol. 18, p. 19-31.

Duncun, J.S. 1955 : New-Zeland Towns as Seruvice Centres N.Z.G., Vol. 11, pp. 119-138.

Godlund, S 1956 : The Functions and Growth of Bus Traffic within the Sphere of Urban Infleuence, Lund Studies in Geography, Series B. Human Geography. No.18, pp. 12-14.

Green, F.H.W. 1948 : Moter. Bus Centres in South-West England Considered in Relation to population and Shopping Facilities, Trans Inst Br. Geog Vol. 14, pp. 57-59.

Green, F.H.W. 1952 : Bus Services as an Index of Changing urban Hinterland. T.P.R.Vol. 22, pp. 345-356.

Jefferson, M. 1931 · The Distribution of the World's City Folk, Geographical Review, Vol. 21, p. 453.

Kar, N.R 1962 . Urban Hierarchy and Central Function Around The City of Calcutta and its significance in K. Norbery (ed). Proceedings of

the I.G U. Symposium is Urban Geography, Lund.

Khan, W et. at. 1976 Plan for Integrated Rural Development in Pauri Garhwal, N I.C D. Hyderabad, pp. 15-21.

Kumar, A. and Sharma N. 1977 . Rural Centre of Services, Geographical Review of India, Vol. 39, No 1, pp. 19-28.

Losh, August, 1939 : The Economic of Location Translated by W. H. Woglom and W. F. Stolper, Yale University, Press, New Haven, 1954. (Originally Published in Germany Fischer, Jena, 1939).

Losh, August, 1938 : Southern Economic Journal, Vol. 5, pp. 71-78.

Marshall, J.E. 1964 · Model and Reality in Central Place Studies, Professional Geographei, Vol, 16, p 5.

Mishra, R P et al 1964 : Regienal Development Planning in India, A New Strategy, Vikas Pub House, New Delhi, pp. 180-218.

Morril, R.L. 1962 Simulation of Central Place Pattern Over Time, Lund Studies in Geography, Series B, Human Geography, No. 24.

Perroux, F. 1955 · 'Note Sur Law Notion De Pale De' croissance, Translated by Mishra, R.P, Sundaram, K V. and Rao V.L.S.P. (eds) Regional Development Planning in India, A New Strategy, New Delhi, 1976. pp. 180-218.

Prakash, Rao. V L.S. 1974 . Planning for an Agricultural Region, in R.P. Misra et al ,1974 Regional Development Planning in India . A New Strategy, Vikas Pub House New Delhli.

Preston, R E. 1971 : The Structure of Central Place System, Economic Geography, Vol 47, p 43.

Reilly, W. J 1931 : The Law Retail Gravitation, New-york.

Sen, L K.1971 Planning Rural Growth Centres for Integrated Area Development, N.I C D , Hyderabad, p. 92.

Siddal, W.R. 1961 . Whole Sale Retail Trade Ratio as Indiees of Urban Centrality, Economic Geography, Vol. 3, p. 37.

Singh, K.N. 1966 Spatial Pattern of Central Places in the Middle Ganga Valley, India, N G.J.I Vol. 12, pp. 218-226.

Singh, R.L. and Singh : Spatial Planning in Indian Perspective, Varanasi, R.P.B. 1978 N.G.S.I. Research Publication No. 28.

Singh, J 1976 · Nodal Accessibility and Central Place Hierarchy : A Case Study in Gorakhpur Region, National Geographer, Vol. 11, No. 2, pp. 101-112

Singh, O.P. 1971 : Towards Determining Hierarchy of service Centres : A Methodology for Central Place Studies N.G.J.I. Vol. 17. Part 4, pp. 165-177.

Singh, J. 1984 Central Place and Spatial Organisation in Back-word Economy, Gorakhpur Region, Utter Bharat Bhoogol Parisad, Gorakhpur, p. 5.

Tiwari, R.C. 1980 Spatial Organisation of Service Centres in the Lower Ganga - Yamuna Doab, National Geographer, Vol. 15, No. 2, pp. 123-124.

Ullman, E.L. 1960 · Trade Centres and Tributary Areas of Philliphines, Geographical Review, Vol 50, pp. 203-218.

Wanmali, S. 1970 · Regional Planning for Social Facilities, A Case Study of Eastern Maharashtra, N I C.D., Hyderabad, p 19.

तिवारी, रामचन्द्र, 1997 · अधिवास भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पृ0 96–109 एवं 261–277.

सिंह, ओ0 पी0, 1979 : नगरीय भूगोल, तारा पब्लिकेशन्स, कमच्छा वाराणसी, पृ0 374.

अध्याय 4
कृषि विकास एवं सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण

4.1 प्रस्तावना :–

प्राचीन काल से ही कृषि मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रमुख साधन रही है। आधुनिक काल मे भी इससे मनुष्य के लिए खाद्यान्न, वस्त्र तथा गृह निर्माण सम्बन्धी पदार्थो की आपूर्ति होती है। मानव की सास्कृतिक विकास की प्रक्रिया मे कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि आज भी विकासशील देशो में कृषि आर्थिक आय का प्रमुख स्त्रोत है तथा सामाजिक स्तर को निर्धारित करने मे भी इसकी अहम भूमिका है। भारत ऐसे विकासशील देशों की समृद्धि, योजनाओं की सफलता, विदेशी मुद्रा अर्जित करने के माध्यम और राजनीतिक स्थिरता आदि सभी में कृषि विकास का प्रमुख योगदान है। हमारे राष्ट्र की 70% श्रमिक शक्ति कृषि पर आश्रित है तथा कुल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का 35% योगदान पाया जाता है। ग्रामीण विकास के तीन महत्वपूर्ण उद्देश्यो–अधिकतम रोजगार, आर्थिक विभिन्नता तथा स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग की सफलता कृषि विकास पर ही आधारित है। देश की जनसंख्या के एक बडे भाग के कृषि पर आश्रित होने के कारण ग्रामीण विकास और कृषि विकास एक दूसरे के पूरक माने जाते है क्योंकि दोनो के ही द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो के लोगों का आर्थिक और सामाजिक स्तर निर्धारित होता है। शोध प्रबन्ध के प्रस्तुत अध्याय में कृषि के विभिन्न पहलुओं, जैसे –भूमि उपयोग प्रतिरूप, सिंचाई प्रणाली, शस्य प्रतिरूप, शस्य सयोजन, शस्य गहनता, उर्वरकों का उपयोग, कृषि उत्पादकता तथा कृषि विकास और सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण पर प्रभाव आदि का अध्ययन किया गया है।

4.2 भूमि उपयोग प्रतिरूप :–

भूमि एक प्राकृतिक ससाधन है। मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में भूमि संसाधन का महत्वपूर्ण स्थान है (दत्त, 1988, पृ0 157)। भूमि उपयोग प्रतिरूप का आशय किसी क्षेत्र की समस्त भूमि के विभिन्न रूपो में उपयोग से है। भूमि उपयोग प्रतिरूप का विश्लेषण शुद्ध बोया गया क्षेत्र, वर्तमान परती तथा अन्य परती भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि, ऊसर और कृषि के अयोग्य भूमि, वन–चारागाह, बाग, वृक्ष, झाडियों के अन्तर्गत क्षेत्र तथा कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लायी जाने वाली भूमि इत्यादि रूपों में किया जाता है। भूमि उपयोग प्रतिरूप का अध्ययन विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने किया है जिनमें जी0 पी0 मार्स (1864), कार्ल ओ सावर (1919), डब्ल्यू0 डी0 जोन्स एवं फिन्च (1925), बक (1937), डी0 स्टैम्प (1962) तथा एम0 सफी (1962–1972) आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। जनपद के भूमि उपयोग प्रतिरूप को सारणी 4.1 द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 4.1

जनपद फतेहपुर : सामान्य भूमि उपयोग प्रतिरूप

भूमि उपयोग	1970–71 क्षेत्र (हे0)	1970–71 %	1984–85 क्षेत्र (हे0)	1984–85 %	1991–92 क्षेत्र (हे0)	1991–92 %
शुद्ध बोया गया क्षेत्र	293,065	68.54	294,849	70.97	287,063	69.63
वर्तमान परती + अन्य परती भूमि	25,084	5.87	34,326	8.26	44,009	10.67
कृषि योग्य बंजर भूमि	21,908	5.12	15,026	3,61	13,131	3.18
ऊसर और कृषि के अयोग्य भूमि	25,624	5.99	14,326	3.45	12,355	3.00
वन, चारागाह, बाग, वृक्ष, झाड़ियां	19,382	4.54	14,810	3.57	12,031	2.92
कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि	42,516	9.94	42,133	10.14	43,663	10.60
योग जनपद	427,589	100.00	415,470	100.00	412,252	100.00

सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर,1976, 1986, 1993

इस सारणी के अध्ययन से स्पष्ट है कि जनपद फतेहपुर में शुद्ध बोये गये क्षेत्र में लगभग लगातार वृद्धि हुयी है। सन् 1970—71 में सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के सन्दर्भ में शुद्ध बोये गये क्षेत्र का प्रतिशत मात्र 68.54 था जो 1984—85 में बढकर 70.97 हो गया। वर्ष 1991—92 में इसमें अल्प ह्रास देखा गया तथा यह प्रतिशत 69.63 हो गया। इसी तरह वर्तमान परती भूमि तथा अन्य परती भूमि के क्षेत्र में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुयी है। इसका योगदान सन् 1970—71 में 5.87% था जो 1984—85 में बढकर 8.26% तथा 1991—92 में 10.67% हो गया। इसके विपरीत कृषि योग्य बंजर भूमि के प्रतिशत में इन वर्षो में निरन्तर कमी आयी है। सन् 1970—71 में यह 5.12% था जो 1984—85 में घटकर 3.61% और 1991—92 में 3.18% ही रह गया। ऊसर एवं कृषि के अयोग्य भूमि के प्रतिशत क्षेत्र में भी इस दौरान निरन्तर ह्रास देखा गया है जो सन् 1970—71 में 5.99% से घटकर 1984—85 में 3.45% तथा 1991—92 में 3% पहुँच गया। जनपद में वन, बाग—बगीचा और झाडियों के अन्तर्गत उपलब्ध भूमि के प्रतिशत मे भी निरन्तर कमी आयी है। सन् 1970—71 में जनपद के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सन्दर्भ में इसका प्रतिशत 4.54 था जो 1984—85 में 3.57 तथा 1991—92 में घटकर 2.92% हो गया। इसके विपरीत जनपद में कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लायी जाने वाली भूमि के प्रतिशत में निरन्तर वृद्धि हुयी है जिससे विनिर्माण एवं अधिवास सम्बन्धी क्रियाओं में बढ़ोत्तरी का स्पष्ट संकेत मिलता है। वर्ष 1970—71 में इसके अन्तर्गत मिलने वाली कुल भूमि का प्रतिशत 9.94 था जो 1984—85 में 10,14 तथा 1991—92 में बढकर 10.60% हो गया। इससे अध्ययन क्षेत्र में हाल के वर्षो में तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव का आभास मिलता है।

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवरण से स्पष्ट है कि वर्तमान परती तथा अन्य परती भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि, ऊसर एवं कृषि के अयोग्य भूमि, वन तथा चारागाह, बाग—वृक्ष और झाड़ियों आदि के अन्तर्गत क्षेत्र में जहाँ 1970—71 से 1991—92 के दौरान निरन्तर ह्रास द्वारा हुआ है वही शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल में मन्द वृद्धि (हाल में घटाव) तथा कृष्येतर कार्यों में लगी भूमि के प्रतिशत क्षेत्र में बढोत्तरी हुयी है। इससे जहाँ अध्ययन क्षेत्र में कृषि भूमि के उच्चतम स्तर तक पहुँचने का संकेत मिलता है, वहीं कृषि भूमि और पर्यावरण पर बढ़ते दबाव का भी आभास मिलता है।

4.2.1 भूमि उपयोग का स्थानिक प्रतिरूप :—

सारणी 4.2 एवं चित्र 4.1 के अनुसार जनपद के भूमि उपयोग का स्थानिक प्रतिरूप अनेक विभिन्नताओं से परिपूर्ण है। सन् 1991 के अनुसार शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्षेत्रफल (79.99%) अमौली विकासखण्ड में है। इसके बाद क्रमशः देवमई (76.50%), बहुआ (76.11%), असोथर (72.42%), खजुहा (72.40%), तेलियानी (69.77%), धाता (69.06%), विजयीपुर (68. 81%), हथगाँव (67.09), भिटौरा (66.41), ऐरायां (60.44%) तथा मलवां (58.94%) विकासखण्डों

सारणी 4.2

जनपद फतेहपुर : भूमि उपयोग का स्थानिक प्रतिरूप, 1991—92

(प्रतिशत मे)

विकासखण्ड	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	वर्तमान परती + अन्य परती	कृषि योग्य बंजर भूमि	ऊसर और कृषि के अयोग्य भूमि	वन, चारागाह, बाग —वृक्ष, झाडियॉ	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि
देवमई	76.50	7 78	2.77	2 61	1.92	8 42
मलवां	58.94	19.57	2.71	3 02	4.39	11 37
अमौली	79.99	10.01	2.99	1 69	1 50	7 82
खजुहा	72.40	9 06	4.18	2.36	2.29	9.72
तेलियानी	69.77	8.24	4.20	2.29	5.23	10.27
भिटौरा	66.41	9.28	3 07	4 28	3.52	13 44
हसवा	72.62	11.40	1.60	2.28	3.48	8.62
बहुआ	76.11	6.81	2.16	2.19	3.40	9.33
असोथर	72.42	8.46	3.70	1.90	1.46	12.06
हथगॉव	67.09	12.16	4.08	3.55	2.29	10.83
ऐरायां	60 44	10.63	4.62	6.40	5.55	12.37
विजयीपुर	68.81	11.56	2.57	3.40	1.95	11.71
धाता	69.06	12.26	2.92	3.22	1.86	10.68
जनपद	69.63	10.67	3.18	3 00	2.92	10.60

सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1993, पृ0 35—36

DISTRICT FATEHPUR
GENERAL LANDUSE
1991-92
10 0 10 20
km
N
RIVER GANGA
RIVER YAMUNA
Radial Scale Reduced To 1/3rd of Actu
HECTARES
40,000
30,000
20,000
NET SOWN AREA
FALLOW LAND
NON AGRICULTURAL LAND
CULTIVABLE WASTE
USAR AND BARREN LAND
FOREST PASTURE GARDEN TREES AND BUSHES

का स्थान है।

अमौली विकासखण्ड का शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल के संदर्भ में जनपद मे द्वितीय स्थान है। यहाँ की भूमि उर्वर है तथा यमुना और गगा नदियो से भरपूर सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। यहाँ नलकूप (25%) एवं नहर (1.35%) आदि से सिचाई की उचित व्यवस्था है। इसके विपरीत मलवा विकासखण्ड मे जनपद का सबसे कम शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल (58.94%) मिलता है। यहाँ पर शुद्ध भूमि कम मिलने का प्रमुख कारण विकासखण्ड की सर्वाधिक ऊँचाई, अल्पविकसित सिचाई व्यवस्था तथा जनपद का एकमात्र प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र होना है।

1991–92 के अनुसार वर्तमान परती तथा अन्य परती भूमि के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्र (19 57%) मलवां विकासखण्ड में पाया जाता है। इसके बाद क्रमश· धाता (12.26%), हथगॉव (12 16%), विजयीपुर (11 56%), हसवा (11 40%), ऐराया (10.63%), अमौली (10 01%), भिटौरा (9.28%), खजुहा (9.06), असोथर (8 46%), तेलियानी (8.24%), देवमई (7.78%) तथा बहुआ (6.81%) विकासखण्डों का स्थान है।

इस विवरण से स्पष्ट है कि जनपद के मलवां विकासखण्ड में वर्तमान परती तथा अन्य परती भूमि का प्रतिशत (19 57) सर्वाधिक है। यह विकासखण्ड जनपद का एक उच्च्य क्षेत्र है जिसका ढाल तीव्र है। क्षेत्र मे पानी का बहाव बहुत तेज रहता है। सिचाई की असुविधा है तथा कटावग्रस्त क्षेत्र अधिक है। यह एक उदीयमान औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ कृषि से इतर कार्यो मे झुकाव के कारण भूमि के प्रति उदासीनता मे वृद्धि हो रही है। इसके विपरीत बहुआ विकासखण्ड मे न्यूनतम परती भूमि (6.81%) मिलती है। यहाँ सिचाई की सुविधा का पर्याप्त विकास हुआ है जिसमे निचली गंगा नहर का प्रमुख योगदान है।

कृषि योग्य बजर भूमि के अन्तर्गत वर्ष 1991–92 में ऐरायां विकासखण्ड (4.62%) का सर्वोच्च्य स्थान था जिसके बाद अवरोही क्रम में क्रमश· तेलियानी (4.20%), खजुहा (4.18%), हथगॉव (4.08%), असोथर (3.70%), भिटौरा (3.07%), अमौली (2.99%), धाता (2.92%), देवमई (2.77%), मलवां (2.71%), विजयीपुर (2.57%), बहुआ (2.16%) और हसवा (1.60%) आदि का स्थान है।

ऐरायां विकासखण्ड में कृषि योग्य बजर भूमि के सर्वाधिक जमाव का प्रमुख कारण इसके मध्यवर्ती, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों का दलदली क्षेत्र के रूप में पाया जाना है। इन दलदली क्षेत्रों का उद्धार कर कृषि योग्य भूमि में वृद्धि की जा सकती है। इसके विपरीत हसवा विकासखण्ड में सबसे कम कृषि योग्य बजर भूमि (1 60%) मिलती है। यह विकासखण्ड लगभग पूरी तरह समतल एवं उपजाऊ क्षेत्र के रूप में पाया जाता है, जिससे कृषि योग्य भूमि की मात्रा अधिक पायी जाती है।

ऊसर एवं कृषि के अयोग्य भूमि के अन्तर्गत भी सन् 1991–92 में सबसे अधिक क्षेत्र (6.40%) ऐरायां विकासखण्ड में पाया गया है। इसके बाद क्रमशः भिटौरा (4.28%), हथगॉव

(3.55%), विजयीपुर (3 40%), धाता (3 22%), मलवा (3.02%), देवमई (2.61%), खजुहा (2 36%), तेलियानी (2.29%), हसवा (2 28%), बहुआ (2.19%), असोथर (1.90%) और अमौली (1.69%) आदि विकासखण्ड हैं।

जनपद का 2.92% क्षेत्र वन, चारागाह, बाग–बगीचा एवं झाड़ियों के अन्तर्गत पाया जाता है, जिसमें ऐरायां का (5.55%) सर्वप्रमुख स्थान है। इसके उपरान्त क्रमशः तेलियानी (5.23%), मलवां (4.39%), भिटौरा (3.52%), हसवा (3 48%), बहुआ (3.40%), खजुहा (2.29%), हथगॉव (2.29%), विजयीपुर (1.95%), देवमई (1.92%), धाता (1.86%), अमौली (1.50%) तथा असोथर (1.46%) आदि विकासखण्डों का स्थान है।

ऐराया विकासखण्ड में बाग–बगीचो के रूप में अमरूद और बेर के बाग मिलते है। इसके विपरीत असोथर विकासखण्ड में कटावग्रस्त क्षेत्र के अधिकता के कारण समतल भूमि का अभाव पाया जाता है। जिससे वन क्षेत्रों की कमी पायी जाती है। अध्ययन क्षेत्र में वन एवं बाग–बगीचों के क्षेत्र की कमी तथा कृषि और जनसंख्या दबाव के कारण उनका उत्तरोत्तर ह्रास एक चिंता का विषय है, जिससे पर्यावरण को खतरा बढता जा रहा है। गगा और यमुना आदि नदियों के कटावग्रस्त क्षेत्रों, सडक, रेललाइन और नहर आदि के किनारे वृक्षारोपण तथा सामाजिक वानिकी ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित कर वन एवं बाग–बगीचों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है।

अध्ययन क्षेत्र में 10.60% क्षेत्र कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि के रूप में पाया जाता है। जिसका सर्वाधिक प्रतिशत (13.44) भिटौरा में उपलब्ध है। इसके उपरान्त क्रमशः ऐरायां (12 37%), असोथर (12.06%), विजयीपुर (11.71%), मलवां (11.37%), हथगॉव (10.83%), धाता (10.68%), तेलियानी (10.27%), खजुहा (9 72%), बहुआ (9.33%), हसवा (8 62%), देवमई (8.42%) तथा अमौली (7.82%) आदि विकासखण्डों का स्थान है।

इससे भिटौरा विकासखण्ड में आवासीय तथा परिवहन आदि कृष्येतर कार्यों में अधिक भूमि के पाये जाने का बोध होता है। जनसंख्या के बढते दबाव, नगरीकरण, परिवहन एवं संचार साधनो के विकास आदि के कारण कृष्येतर भूमि के क्षेत्र में और भी अधिक वृद्धि की सम्भवना है। इसका सीधा असर शुद्ध बोये गये क्षेत्र पर भी पडेगा जिसके उत्तरोत्तर ह्रासोन्मुख होने की सम्भावना है। इसका असर पर्यावरण पर भी पड़ेगा।

4.3 सिंचाई प्रणाली :–

सिंचाई कृषि का अभिन्न अंग है। सिचाई के अभाव मे भूमि का भरपूर लाभ नहीं मिल पाता है। सिंचाई पर ही कृषि क्षेत्र की फसल उत्पादकता और कृषि सघनता निर्भर करती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहॉ पर वर्षा का अभाव या वर्षा का असमान वितरण मिलता हो। जनपद फतेहपुर इसी प्रकार का क्षेत्र है। इस जनपद की वर्षा मौसमी और अनियमित है, इसीलिए यहॉ की कृषि में

सारणी 4 3

जनपद फतेहपुर · सिंचित क्षेत्र, 1991—92

(प्रतिशत मे)

क्रम सं0	विकासखण्ड		शुद्ध सिंचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत		
		शुद्ध सिंचित क्षेत्र	नहर	नलकूप	अन्य
1.	देवमई	59.48	27.26	32.06	0.16
2.	मलवा	65.30	27 01	37.00	1.29
3.	अमौली	27.17	1 35	25.00	0 82
4.	खजुहा	47.93	26 25	18.82	0.86
5.	तेलियानी	69.52	42.49	25.34	1.69
6	भिटौरा	66 30	40 37	23.02	2 91
7	हसवा	59 10	19 01	38.34	1.75
8	बहुआ	55 95	36 75	18.93	0.27
9.	असोथर	28.59	23 68	4.77	0.14
10.	हथगॉव	65 20	19.24	44.75	1.21
11.	ऐरायां	62.29	12.20	47.49	2.60
12.	विजयीपुर	32.37	7 31	24.00	1.06
13.	धाता	49.54	9.52	37.80	2.22
	जनपद	50.72	21 72	27.74	1.22

स्रोत ·— सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1993, पृ0 38

DISTRICT FATEHPUR
IRRIGATION
1991-92
10
0
10
20
km
N
GANGA RIVER
YAMUNA RIVER
HECTARES
30,000
20,000
10,000
NET IRRIGATED AREA
RADIAL SCALE REDUCED TO 1/3rd OF ACTUAL
Unirrigated Area
Irrigated Area Tube Well
Canals
Other Sources

DISTRICT FATEHPUR
CANALS
RIVER GANGA
LOWER
GANGA
CANALS
WEST
ALLAHABAD
BRANCH
Ghatampur Disty
Silauli Disty
Digh Disty
FATEHPUR
BRANCH
Khaga Disty
Haswa Disty
Ghazipur Disty
Sujanpur Disty
RIVER YAMUNA
10
0
10
20
km

सिचाई की अत्यधिक आवश्यकता पडती है। एक अनुमान के अनुसार जनपद में मिलने वाला कुल भूमिगत जल लगभग 10950 लाख घन मी0 है। जिसमें से 4710 लाख घन मी0 जल का उपयोग हो रहा है जो कुल उपलब्धता का मात्र 43% है इसमे और अधिक वृद्धि की सम्भावना है (समाजार्थिक समीक्षा, फतेहपुर, 1994–95, पृ0 6)। अत जनपद में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। नहर, नलकूप, कुए और तालाब जनपद मे सिंचाई के प्रमुख साधन हैं (सारणी 4.3, एवं चित्र 4 2)।

4.3.1 नहर :–

सारणी 4.3 और चित्र 4.2 तथा 4.3 से स्पष्ट है कि जनपद में सिंचाई के साधनों में नहरों का नलकूपों के बाद द्वितीय प्रमुख स्थान है। सन् 1991–92 में जनपद के कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र (50 72%) का 21.72% नहरो द्वारा सिचित था जबकि 27 74% क्षेत्र नलकूपों द्वारा सिंचित था। जनपद मे नहरों की कुल लम्बाई 1453 किमी0 है। यहॉ पर नहर दो प्रमुख शाखाओं में प्रथम पश्चिमी इलाहाबाद शाखा और द्वितीय फतेहपुर शाखा के रूप में पायी जाती हैं। पश्चिमी इलाहाबाद शाखा की दो उपशाखाएं हसवा एवं खागा है जो जनपद के उत्तरी भाग को सिंचित करती है। फतेहपुर शाखा की दो सहायक क्रमशः गाजीपुर और सुजानपुर शाखाएं जनपद के दक्षिणी भाग का सिंचन करती है। घाटमपुर शाखा की सुजौली प्रमुख सहायक शाखा है जो जनपद के दक्षिणी पश्चिमी भाग की भी सिंचाई करती है।

(अ) नहर सिंचित क्षेत्र का स्थानिक प्रतिरूप :–

सारणी 4.3 और चित्र 4.2 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में कुल शुद्ध बोये गये क्षेत्र का 50 72% भाग सिंचित है जिसमें नहरों का योगदान 21 72% सम्मिलित है। विकासखण्ड स्तर पर नहर सिचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत (42.49) तेलियानी में मिलता है। दूसरे स्थान पर भिटौरा (40 37%) और तीसरे स्थान पर बहुआ (36.75%) है। ये तीनों ही विकासखण्ड फतेहपुर तहसील के भाग है। इनके अतिरिक्त क्रमशः देवमई (27.26%), मलवां (27.01%), खजुहा (26.25%), असोथर (23.68%), हथगॉव (19.24%), हसवा (19.01%), ऐरायां (12.20%), धाता (9 52%), विजयीपुर (7.31%) और अमौली (1.35%) विकासखण्डों का स्थान है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि तेलियानी विकासखण्ड में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र (42 49%) पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण इसके उत्तरी भाग में नहर की मुख्य शाखा (इलाहाबाद शाखा) का पाया जाना है। साथ ही इसके मध्य एवं दक्षिणी भाग में डीघ उपशाखा भी पायी जाती है। इसी के कारण इस विकासखण्ड के सम्पूर्ण भाग में नहर सिंचाई व्यवस्था का विस्तृत फैलाव पाया जाता है। नहर सिंचाई व्यवस्था के साथ–साथ इस विकासखण्ड की सिंचाई में नलकूपो का भी प्रमुख स्थान है (सिंचित क्षेत्र 25.34%)। इसके विपरीत अमौली में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र की

मात्रा मात्र 1.35% मिलती है। इसका प्रमुख कारण इस विकासखण्ड में यमुना नदी व नन नदी द्वारा सम्पूर्ण मध्य पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्र का सिंचित होना है। विशेषकर रिन्द नदी द्वारा सम्पूर्ण उत्तरी तथा पूर्वी भाग की सिंचाई होती है। ये दोनों ही नदियां दक्षिण की ओर बहती हुयी यमुना में मिल जाती हैं। स्पष्ट है कि यहॉ पर नदियों द्वारा सीधे सिंचाई की सुविधा है अतः नहरों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में नलकूपों का अधिक वितरण पाया जाता है जो 25% क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा प्रदान करते हैं।

4.3.2 नलकूप :–

सारणी 4.3 और चित्र 4.2 से स्पष्ट है कि जनपद के सिंचाई के साधनों में नलकूपों का सर्वप्रमुख स्थान है। ये जनपद की समूची शुद्ध कृषि भूमि के 27.74% क्षेत्र को सिंचित करते हैं।

(अ) नलकूप सिंचित क्षेत्र का स्थानिक प्रतिरूप :–

विकासखण्ड स्तर पर जनपद में ऐरायां विकासखण्ड में सबसे अधिक (47.49%) क्षेत्र नलकूपो द्वारा सिंचित है। इसके उपरान्त क्रमशः हथगॉव (44.75%), हसवा (38.34%), धाता (37.80%), मलवा (37%), देवमई (32.06%), तेलियानी (25.34%), अमौली (25%), विजयीपुर (24%), भिटौरा (23.02%), बहुआ (18.93%), खजुहा (18.82%) और असोथर (4.77%) आदि विकासखण्डों का स्थान है।

ऐरायां विकासखण्ड में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल का प्रमुख कारण यहॉ पर नहरों के कम विकास (12.20% क्षेत्र) का होना है। इसकें अतिरिक्त इस क्षेत्र की भूमि और भूमिगत जल की अनुकूलता भी है, जिन्होंने नलकूपों के विकास हेतु अच्छी दशाए उपस्थित की है। इसके विपरीत असोथर में नलकूपों द्वारा सबसे कम सिंचित क्षेत्र (4.77%) पाया जाता है। इस विकासखण्ड में नहरों का एक जाल सा बिछा हुआ है। जिसमें फतेहपुर मुख्य नहर, घाटमपुर उपशाखा तथा उसकी सहायक शाखा जो पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत है, का प्रमुख स्थान है। इसके अतिरिक्त विकासखण्ड के दक्षिणी किनारे से लगी हुयी यमुना नदी बहती है। इसके ऊबड–खाबड़ क्षेत्र में नलकूपों की संख्या बहुत कम पायी जाती है। यहॉ की भूमि नलकूप बोरिंग के लिए उपयुक्त नहीं है अतः जहाँ देवमई में 70 हजार से 75 हजार रूपये की लागत से नलकूप की व्यवस्था कर ली जाती है, वहीं असोथर में भूमिगत जल की अधिक गहराई तथा भूमि के कंकरीले–पथरीले होने से नलकूप की बोरिंग में 1 लाख से 1.5 लाख रूपये तक व्यय करने पड़ते हैं जिसे सामान्य कृषक के लिए वहन करना सम्भव नहीं है।

4.3.3 सिंचाई के अन्य साधन तथा स्थानिक प्रतिरूप :–

इसमें तालाब, झील पोखर और कुएं आदि आते हैं। इसके अन्तर्गत 1991–92 में शुद्ध

कृषित क्षेत्र का मात्र 1.26% भाग लगा हुआ था। विकासखण्ड स्तर पर इन साधनों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र भिटौरा विकासखण्ड में (2.91%) मिलता है। इसके बाद क्रमशः ऐराया (2.60%), धाता (2.22%), हसवा (1.75%), तेलियानी (1 69%), मलवां (1.29%), हथगॉव (1.21%), विजयीपुर (1.06%), खजुहा (0 86%), अमौली (0.82%), बहुआ (0.27%), देवमई (0.16%) और असोथर (0.14%) आदि का स्थान है।

4.4 शस्य प्रतिरूप एवं शस्य साहचर्य प्रदेश :–

प्रदेश में उपजाऊ जलोढ मिट्टी, समतल भूमि, पर्याप्त वर्षा और सिंचाई की सुविधा होने के कारण प्राचीन काल से ही कृषि की जाती रही है। क्षेत्र का 71% आर्थिक आय का स्रोत कृषि ही है तथा क्षेत्र की लगभग 80% जनसख्या का भरण–पोषण कृषि पर आधारित है। कृषि कार्य में लगे हुए लोगों की अधिक संख्या एव अत्यधिक जनसंख्या के कारण यहॉ प्रति परिवार कृषि भूमि का औसत 0.25 से 1.67 हे0 के बीच पाया जाता है जो बहुत ही कम है। कुल जनसंख्या में 84% जनसंख्या ऐसी है जिनके पास 2 हे0 से भी कम भूमि उपलब्ध है। यह भूमि कृषि क्षेत्र का लगभग 46.4% भाग आच्छादित किये हुए है। 5 हे0 तक की भू–जोतों के अधीन सम्पूर्ण भूमि का 8.81% क्षेत्र सम्मिलित है। जो कृषि क्षेत्र के 20 8% क्षेत्र को घेरे हुए है। स्पष्ट है कि जनपद में भू–जोतो के आकार में पर्याप्त भिन्नता पायी जाती है। इसका प्रमुख कारण आर्थिक एवं सामाजिक असमानता, सिचाई सुविधाओं की अनियमितता आदि से संबद्ध है।

4.4.1 शस्य प्रतिरूप :–

फतेहपुर जनपद का शस्य प्रतिरूप एक परम्परागत विकासशील आर्थिक तंत्र का द्योतक है। यहॉ कृषि क्षेत्र का अधिकाश भाग खाद्यान्न फसलों के अधिकार में है जिनका उपयोग प्रमुख रूप से स्थानीय खाद्य आपूर्ति एवं नजदीकी बाजार के लिए ही हो पाता है। मुद्रादायिनी फसलों का औसत प्रतिशत लगभग न के बराबर (मात्र 1) पाया जाता है (सिंह एवं सिंह, 1968, पृ0 87)। सन् 1984–85 मे 87.9% क्षेत्र खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत था। इसके अतिरिक्त 6.5% क्षेत्र दलहन, 2 6% क्षेत्र तिहलन और मात्र 3% क्षेत्र व्यापारिक फसलों के अन्तर्गत था। वर्ष 1992–93 में 86.1% क्षेत्र खाद्यान्न, 7.1% क्षेत्र दहलन, 3.5% तिलहन और 3 3% क्षेत्र व्यापारिक फसलों के अन्तर्गत लगा हुआ था (समाजार्थिक समीक्षा, फतेहपुर, 1994–95, पृ0 14)। इससे खाद्यान्न फसलो के अन्तर्गत लगे क्षेत्र के घटाव का आभास मिलता है।

(अ) शस्य प्रतिरूप का स्थानिक वितरण :–

जनपद में शस्य प्रतिरूप के स्थानिक वितरण को प्रदर्शित करने के लिए गेहूँ, धान, दलहन,

सारणी 4.4

जनपद फतेहपुर शस्य प्रतिरूप, 1991—92

(सकल कृषित क्षेत्र का प्रतिशत)

विकासखण्ड	गेहूँ	धान	दलहन	तिलहन	ज्वार, बाजरा एवं मक्का	गन्ना	जौ	आलू	अन्य
देवमई	32.74	17.59	16.15	10 82	5.00	4.96	2 58	1.07	9.10
मलवां	38.74	22 13	15 10	7 68	5.36	2.09	2 68	0.82	5.40
अमौली	20 97	3 91	36.67	12 80	11.20	3 43	4 80	0 34	5.88
खजुहा	30 06	14 79	27 28	6 10	5 42	4.09	4.00	0.94	7 32
तेलियानी	37.94	31 20	18 42	3 61	3.11	1 75	1 39	2 50	0.08
भिटौरा	41.20	27 97	13.32	2.61	4.33	1.24	3 31	1 27	4 74
हसवा	36.18	23.90	15.70	3.13	6.14	0.68	3.13	2 04	9.91
बहुआ	33.18	25.15	22.06	4.14	5.19	2.59	2.18	1.11	4.50
असोथर	23.73	11.84	40.04	3.58	12.46	0.54	4.98	0.37	2.46
हथगाँव	42.14	26.18	14.23	2 98	5.36	0.77	2.78	1.51	4.05
ऐरायां	39.27	33.25	12.42	2.48	4.34	0.65	2.21	1.63	3.75
विजयीपुर	21.44	14.12	36 88	2.35	12.83	3.66	6.04	0.54	2.14
धाता	24.82	21.49	23.98	1.10	8.68	13.03	3.31	0.81	2.78
जनपद	32 30	20.65	23.01	4.97	7 18	2 92	3.41	1.11	4.46

सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1993, पृ0 39—45

DISTRICT FATEHPUR
CROPPING PATTERN
1991-92
N
10
0
10
20
km
RIVER GANGA
RIVER YAMUNA
HECTARES
40,000
30,000
20,000
RADIAL SCALE REDUCED TO 1/3rd OF ACTUAL
Wheat
Rice
Pulses
Oil Seeds
Juar
Sugar Cane
Others

तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, गन्ना, आलू आदि फसलो को सम्मिलित किया गया है (सारणी 4 4, चित्र 4.4)।

(1) गेहूँ :–

यह रबी की सर्वप्रमुख फसल है जो जनपद के सर्वाधिक कृषित क्षेत्र(32.30%) पर बोयी जाती है। जनपद के प्रत्येक विकासखण्ड मे गेहूँ प्रथम वरीयता प्राप्त फसल के रूप में बोया जाता है। इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल (42.14%) हथगॉव मे मिलता है। इसके बाद क्रमशः भिटौरा (41.20%), ऐराया (39.27%), मलवा (38 74%), तेलियानी (37.94%), हसवा (36.18%), बहुआ (33.18%), देवमई (32.74%), खजुहा (30 06%), धाता (24.82%), असोथर (23 73%), विजयीपुर (21.44%), अमौली (20 97%) आदि विकासखण्डों का स्थान है। जनपद के उत्तरी एवं मध्यवर्ती क्षेत्र में इसका अधिक वितरण पाया जाता है।

(2) धान :–

यह खरीफ की सर्वप्रमुख फसल है। गेहूँ के बाद यह जनपद की दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। 1991–92 मे जनपद के कृषित क्षेत्र का 20.65% भाग इसकी कृषि में लगा था। विकासखण्ड स्तर पर इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल (33.25%) ऐरायां में मिलता है। इसके उपरान्त क्रमशः तेलियानी (31 20%), भिटौरा (27.97%), हथगॉव (26.18%), बहुआ (25.15%), हसवा (23.90%), मलवां (22 13%), धाता (21.49%), देवमई 17 59%, खजुहा (14 79%), विजयीपुर (14.12%), असोथर (11 84%) तथा अमौली (3.91%) आदि विकासखण्डों का स्थान है। सामान्यतया इसकी कृषि जनपद के मध्यवर्ती भाग मे अधिक की जाती है।

(3) दलहन :–

गेहूँ और धान के बाद दलहन जनपद की तीसरी प्रमुख फसल है। यह रबी (चना, मटर) और खरीफ (अरहर, उडद एवं मूँग) दोनों ही शस्य ऋतुओं में उगायी जाती है। 1991–92 मे जनपद के लगभग 23.01% कृषि क्षेत्र पर इसका विस्तार था। विकासखण्ड स्तर पर इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल (40.04%) असोथर मे मिलता है। इसके बाद क्रमशः विजयीपुर (36.88%), अमौली (36.67%), खजुहा (27.28%), धाता (23.98%), बहुआ (22.06%), तेलियानी (18.42%), देवमई (16.15%), हसवा (15.70%), मलवां (15.10%), हथगाँव (14.23%), भिटौरा (13.32%) और ऐराया (12.42%) आदि विकासखण्डों का स्थान है। दलहन की कृषि शुष्क कृषि के रूप में उन भागों में की जाती है, जहॉ सिंचाई के साधनों का समुचित विकास नहीं हो पाया है। इसमें अध्ययन क्षेत्र का दक्षिणी यमुना के किनारे का क्षेत्र प्रमुख है।

(4) तिलहन :–

इसकी कृषि रबी में लाही, सरसों, तोइया, अलसी के रूप में तथा खरीफ में मूँगफली और तिल के रूप में की जाती है। वर्ष 1991–92 में अध्ययन क्षेत्र का 4.97% कृषित क्षेत्र इसके अन्तर्गत लगा हुआ था। स्थानिक स्तर पर इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल (12.80%) अमौली में मिलता है। इसके बाद क्रमशः देवमई (10.82%), मलवां (7 68%), खजुहा (6.10%), बहुआ (4.14%), तेलियानी (3 61%), असोथर (3.58%), हसवा (3 13%), हथगॉव (2.98%), भिटौरा (2.61%), ऐरायां (2.48%), विजयीपुर (2 35%) और धाता (1 10%) आदि विकासखण्डों का स्थान है। तिलहन की कृषि अध्ययन क्षेत्र के पश्चिमी भाग मे अधिक लोकप्रिय है, जहॉ इसे मुद्रादायिनी फसल के रूप में उगाया जाता है।

(5) ज्वार, बाजरा एवं मक्का :–

ये खरीफ की प्रमुख फसले है जिनका विस्तार अध्ययन क्षेत्र के कुल कृषित क्षेत्र के 7.18% भाग पर पाया जाता है। विकासखण्ड स्तर पर इनका सर्वाधिक क्षेत्रफल (12.83%) विजयीपुर में मिलता है। इसके बाद क्रमश· असोथर (12 46%), अमौली (11.20%), धाता (8.68%), हसवा (6 14%), खजुहा (5.42%),मलवां (5.36%), हथगॉव (5.36%), बहुआ (5 19%), देवमई (5%), ऐरायां (4.34%), भिटौरा (4 33%) और तेलियानी (3.11%) आदि विकासखण्डों का स्थान है। इनकी कृषि मोटे अनाज के रूप में की जाती है तथा अधिकतर वर्षा पर आधारित है।

(6) जौ :– जनपद के कुल कृषि क्षेत्र के मात्र 3.41% भाग पर जौ बोया जाता है। इसकी कृषि यमुना के किनारे असिंचित भागों में की जाती है। मोटे अनाज के रूप मे यह गरीबो का खाद्यान्न है। स्थानिक स्तर पर इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल (6.04%) विजयीपुर में मिलता है। इसके बाद क्रमशः असोथर (4.98%), अमौली (4.80%), खजुहा (4%), भिटौरा (3.31%), हसवा (3.13%), हथगॉव (2.78%), मलवा (2.68%), देवमई (2 58%), ऐरायां (2.21%), बहुआ (2.18%) और तेलियानी (1.39%) आदि विकासखण्डों का स्थान है। गेहूँ की कृषि के विकास के पूर्व जौ अध्ययन क्षेत्र का प्रमुख खाद्यान्न था परन्तु अब इसका कृषि क्षेत्र सिकुडता जा रहा है।

(7) गन्ना :–

जनपद के सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र के मात्र 2.92% भाग पर गन्ने की कृषि की जाती है। स्थानिक स्तर पर इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल (13.03%) धाता में मिलता है। इसके बाद क्रमशः देवमई (4. 96%), खजुहा (4.09%), विजयीपुर (3.66%), अमौली (3.43%), बहुआ (2.59%), मलवां (2.09%), तेलियानी (1.75%), भिटौरा (1.24%), हथगॉव (0.77%), हसवा (0.68%), ऐरायां (0.65%), असोथर (0 54%) आदि विकासखण्डों का स्थान है। इसकी कृषि एक प्रमुख मुद्रादायिनी फसल के रूप में

की जाती है।

(8) आलू :–

यह जनपद के कुल कृषित क्षेत्र के मात्र 1.11% क्षेत्र पर उत्पादित होती है। स्थानिक स्तर पर इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल (2.50%) तेलियानी में मिलता है। तत्पश्चात क्रमशः हसवा (2.04%), ऐराया (1.63%), हथगॉव (1.51%), भिटौरा (1.27%), बहुआ (1.11%), देवमई (1.06%), खजुहा (0.94%), मलवां (0.82%), धाता (0.81%), विजयीपुर (0.54%), असोथर (0.37%) और अमौली (0.34%) आदि विकासखण्डों का स्थान है। इसका प्रयोग प्रमुखतः सब्जी के रूप में होता है तथा यह एक मुद्रादायिनी फसल है।

(9) अन्य फसलें :–

उपर्युक्त फसलों के अतिरिक्त जनपद के लगभग 4.46% कृषित क्षेत्र पर अन्य फसलें उगायी जाती हैं। स्थानिक स्तर पर ये फसले हसवा (9.91%), देवमई (9.10%), खजुहा (7.32%), अमौली (5.88%) और मलवां (5.40%) आदि विकासखण्डों के 5% से अधिक कृषित क्षेत्र पर बोयी जाती हैं। इनमें कोदों, सांवा आदि खरीफ की शीघ्र तैयार होने वाली फसलों के अतिरिक्त जायद में उगायी जाने वाली सब्जियों आदि को सम्मिलित करते है।

इस विवरण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के शस्य प्रतिरूप में खाद्यान्न फसलों की प्रधानता पायी जाती है। यह एक पिछड़ी हुई कृषि अर्थव्यवस्था का परिचायक है। जनपद में मुद्रादायिनी फसलों के अन्तर्गत समुचित क्षेत्र नहीं पाया जाता है। चारा की फसलों, फलों एवं सब्जियों की खेती आदि का नितान्त अभाव पाया जाता है जिससे किसान के अपनी आय के बढाने के स्रोत अत्यन्त सीमित हो जाते हैं। इससे एक तरफ जहॉ उसके समय का भरपूर उपयोग नहीं हो पाता है वहीं दूसरी तरफ उसकी आमदनी नहीं बढ पाती है।

4.4.2 शस्य साहचर्य प्रदेश :–

शस्य साहचर्य या फसल संयोजन कृषि की एक दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता को निरूपित करता है। शस्य साहचर्य से अभिप्राय एक ही क्षेत्र में अनेक फसलों तथा अनेक क्षेत्रों में एक ही फसल के उगाये जाने से होता है। किसी भी फसल के अनुपात के आवश्यकतानुसार अधिक होने पर भी उसे अकेले नहीं उगाया जा सकता है। बोयी जाने वाली फसल हमेशा शस्य संयोजन में उगायी जाती है (वीबर, 1954, पृ0 175–200)। शस्य साहचर्य का अध्ययन अनेक भूगोलवेत्ताओं ने संख्यात्मक विधि द्वारा किया गया है जिसमें पावनाल (1953), वीवर (1954), दोई (1957), जानसन (1958), थामस (1963), बनर्जी (1964), कोपेक (1964), सिंह हरपाल (1965), अथवाले

DISTRICT FATEHPUR
CROP COMBINATION REGIONS
1991-92
N
WRPOS
PWOJB
WPROJ
WRPOJ
WRPOJ
WRPJB
WRPJ
WRP
WRPJB
WRPJ
PWRJB
PWRJ
WPRJ
RIVER GANGA
RIVER YAMUNA
10 0 10 20
km
W Wheat
R Rice
P Pulses
O Oilseeds
J Juar
S Sugarcane
B Barley

(1966), त्रिपाठी तथा अग्रवाल (1968) अय्यर (1969), चौहान (1971), शर्मा (1972), नित्यानन्द (1972) और राय (1989) आदि विद्वानो के योगदान उल्लेखनीय हैं। इनमें से भारतीय विद्वानो ने प्रमुखत· दोई की विधि का अनुसरण किया है।

अध्ययन क्षेत्र मे शस्य साहचर्य प्रदेशो के निर्धारण हेतु वीवर महोदय द्वारा प्रतिपादित विधि का प्रयोग किया गया है। चित्र 4 5 मे प्रदर्शित की गयी 7 फसलो को शस्य साहचर्य के निर्धारण हेतु चयनित किया गया है। इसमे उन्हीं फसलो की गणना की गयी है जिनका स्थानीय प्रतिशत मान 4 से अधिक पाया जाता है। चित्र 4.5 से स्पष्ट होता है कि जनपद मे तृ– शस्य साहचर्य प्रदेश है, ये निम्नलिखित है –

1. पंच–शस्य साहचर्य :–

इसमें देवमई, मलवां, अमौली, खजुहा, तेलियानी, भिटौरा, हसवा और असोथर आदि विकासखण्ड सम्मिलित है।

2. चर्तु–शस्य साहचर्य :–

इसमे हथगॉव, ऐरायां, विजयीपुर, और धाता आदि विकासखण्ड शामिल है।

3. तृ–शस्य साहचर्य :–

इसके अन्तर्गत एकमात्र बहुआ विकासखण्ड है।

चित्र 4.5 से यह भी स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में पंच–शरय साहचर्य की प्रधानता है जिसके अन्तर्गत जनपद के 13 विकासखण्डों मे से 8 विकासखण्ड समाहित हैं। शेष 5 मे से 4 विकासखण्डों मे चर्तु–शस्य साहचर्य और 1 मे तृ–शस्य साहचर्य प्राप्त होता है। दूसरे इससे यह भी ज्ञात होता है कि जनपद की सर्वप्रमख फसल गेहूँ है, द्वितीय स्थान चावल का है। इसके बाद क्रमश· दलहन, तिलहन, ज्वार, बाजरा और गन्ना आदि फसलों का स्थान है।

4.5 शस्य–गहनता :–

शस्य–गहनता से आशय उस फसल क्षेत्र से है जिस पर वर्ष में एक फसल के अतिरिक्त अन्य कई फसले उगायी जाती है (सिह, 1988, पृ0 151)। वास्तव में सकल बोये गये क्षेत्र और शुद्ध बोये गये क्षेत्र के अनुपात को ही शस्य–गहनता कहते हैं। जनपद की शस्य–गहनता का औसत 133.58 है, जिसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया गया है–

$$\text{शस्य गहनता} = \frac{\text{सकल बोया गया क्षेत्र}}{\text{शुद्ध बोया गया क्षेत्र}} \times 100$$

DISTRICT FATEHPUR
CROP INTENSITY
1991-92
N
RIVER GANGA
RIVER YAMUNA
IN PER CENT
171 - 190
151 - 170
131 - 150
110 - 130
10 0 10 20
km

चित्र 4.6 से स्पष्ट है कि स्थानीय दृष्टि से मलवां विकासखण्ड में सर्वाधिक शस्य–गहनता 171–190 (173 68) के बीच मिलती है। द्वितीय स्थान पर तेलियानी विकासखण्ड है जहॉ शस्य–गहनता 151–170 के बीच हैं। इन दोनों विकासखण्डों के अतिरिक्त बहुआ, देवमई, ऐरायां, हथगॉव, भिटौरा, हसवा आदि 6 विकासखण्डों मे शस्य–गहनता 131–150 के मध्य मिलती है। क्षेत्र के शेष 5 विकासखण्डो–खजुहा, धाता, विजयीपुर, असोथर और अमौली आदि का स्थान है। यहॉ पर शस्य–गहनता 110–130 के मध्य प्राप्त होती है। इस प्रकार देवमई, मलवां, तेलियानी, भिटौरा, बहुआ, हथगॉव, ऐरायां आदि विकासखण्डो में शस्य–गहनता का औसत क्षेत्रीय औसत (133.58) से अधिक है जबकि शेष विकासखण्डों मे इसकी मात्रा क्षेत्रीय औसत से कम है। सामान्यतया यमुना के किनारे के भागो में उत्खात भूमि और सिंचाई साधनों के अभाव में शस्य–गहनता कम पायी जाती है।

4.6 उर्वरकों का उपयोग :–

फसल उत्पादकता वृद्धि के लिए जिस प्रकार से उर्वर भूमि, विकसित सिंचन व्यवस्था, बीजों के उत्तम किस्मों का उपयोग और वैज्ञानिक तकनीक आवश्यक है। उसी प्रकार उर्वरको का समुचित उपयोग भी फसल उत्पादकता वृद्धि में सहायक होता है। चित्र 4.7 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग 102.8 किग्रा0/हे0 देवमई में होता है जबकि 8 विकासखण्डों क्रमशः हथगॉव, तेलियानी, ऐरायां, खजुहा, विजयीपुर, भिटौरा, हसवा और बहुआ में यह 76–100किग्रा0 /हे0 के मध्य मिलता है। क्षेत्र के शेष 4 विकासखण्डों क्रमशः मलवां, धाता, अमौली और असोथर आदि में उर्वरकों का उपयोग 50–75 किग्रा0/हे0 के मध्य मिलता है।

4.7 कृषि उत्पादकता :–

कृषि उत्पादकता को सम्पूर्ण कृषि निर्गत के सूचकांक तथा कृषि उत्पादन में लगाये गये कुल आगत सूचकांक के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उत्पाकता को कृषि निर्गत और किसी एक प्रमुख आगत, जैसे– भूमि, श्रम अथवा पूँजी के बीच के परिवर्ती सम्बन्धों के रूप में व्यक्त किया जाता है, जबकि अन्य सम्पूरक कारक यथावत पाये जाते है (डेवेट एवं सिंह, 1966, पृ0 661)। अर्थशास्त्र में उत्पादकता को प्रति इकाई आगत पर निर्गत के रूप में बताया जा सकता है (पण्डित ,ए0 डी0, 1965, पृ0 187)। कुछ अन्य विद्वानों का सुझाव है कि कृषि उत्पादकता को प्रति इकाई (हे0) में उत्पादित उपजों की मात्रा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। "It is Expressed Quantitative value or Quantaum of Production per unit." इस प्रकार कृषि उत्पादकता के सम्बन्ध में अनेक संकल्पनायें प्रचलित हैं। साथ ही इसके परिकलन हेतु अनेक विधियों का उपयोग किया गया है, क्योंकि कृषि की उत्पादकता को प्रभावित करने में अनेक

DISTRICT FATEHPUR
USE OF FERTILIZERS, 1991-92
N
RIVER GANGA
RIVER YAMUNA
IN KILOGRAMS
101 – 125
76 – 100
50 – 75
10 0 10 20
km

कारकों, जैसे–भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं तकनीकी आदि का योगदान रहा है।

4.7.1 कृषि उत्पादकता मापन की तकनीक :–

कृषि उत्पादकता को मापने और उसको परिमाणात्मक रूप देने में देश–विदेश के विभिन्न विद्वानों ने अनेक प्रयास किये हैं जिनमें थाम्सन, केण्डाल, स्टैम्प, हिरिक्स, लिमिसिस, बरटोम, होटिन, गर्ग, गांगुली, सप्रे, देश पाण्डेय, डबरिंग, सफी, बक, भाटिया, इनेदी, सिन्हा, सिंह, तथा माजिद हुसैन आदि विद्वानों ने कृषि क्षमता तथा कृषि उत्पादकता नामक शीर्षकों के अन्तर्गत इसके परिकलन हेतु विभिन्न विधियों को सुझाया है। यहॉ अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन समस्त उपागमों को निम्न 9 वर्गो में विभाजित किया गया है (तिवारी एवं सिंह, 1998, पृ0 137–138)–

1. प्रति इकाई उत्पादन से प्राप्त आय पर आधारित विधि,
2. प्रति इकाई श्रमिक लागत उत्पादन पर आधारित विधि,
3. प्रति इकाई उत्पादन से प्रति व्यक्ति उपलब्ध अन्न पर आधारित विधि,
4. कुल कृषि लागत उत्पादन अनुपात आधारित विधि,
5. प्रति एकड़ उपज तथा कोटि गुणांक पर आधारित विधि,
6. फसल क्षेत्र तथा प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन पर आधारित विधि,
7. भूमि की वहन क्षमता पर आधारित विधि,
8. विभिन्न फसलों की क्षेत्रीय उत्पादकता का सूचकांक,
9. मृदा के रूप में कृषि उत्पाद का मूल्य।

4.7.2 कृषि उत्पादकता का स्थानिक प्रतिरूप :–

फतेहपुर जनपद में कृषि उत्पादकता मापने के लिए प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन (किग्रा0) को आधार बनाया गया है। चित्र 4.8 से स्पष्ट है कि जनपद में प्रति व्यक्ति औसत खाद्यान्न उत्पादन 313.4 किग्रा0/व्यक्ति है और प्रामाणिक विचलन 34.86 है। जनपद के पांच विकासखण्ड क्रमशः तेलियानी, बहुआ, असोथर, मलवां, भिटौरा आदि ऐसे हैं जहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन औसत (313. 4 किग्रा0)से अधिक है जबकि 8 विकासखण्ड क्रमशः ऐरायां, हसवा, वियजीपुर, खजुहा, देवमई, धाता, हथगॉव, और अमौली आदि ऐसे है जहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन औसत (313.4 किग्रा0) से कम है। चित्र 4.8 से स्पष्ट है कि सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादकता स्तर तेलियानी (401 किग्रा0) में मिलता है जो औसत (313.4 किग्रा0) से काफी अधिक है। इसके विपरीत सबसे कम उत्पादकता स्तर वाला विकासखण्ड अमौली है जिसका उत्पादन 278 किग्रा0/व्यक्ति है। जनपद में उत्पादकता स्तर मे अधिक परिवर्तनीयता मिलती है जो 401 से 278 किग्रा0/व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन से स्पष्ट हो जाता है। तेलियानी विकासखण्ड में सबसे अधिक उत्पादकता स्तर होने का प्रमुख कारण बाढ़

DISTRICT FATEHPUR
CROP PRODUCTIVITY
1991-92
N
RIVER GANGA
RIVER YAMUNA
KILOGRAMS/PERSON
383.12 – 417.98
348.68 – 383.12
313.38 – 348.68
278.68 – 313.38
248.68 – 278.54
10 0 10 20
km

रहित क्षेत्र.का होना है जिससे यहॉ खरीफ की फसल अच्छी हो जाती है। दूसरे तेलियानी में नहरों का घना जाल भी है जिसके कारण रबी की फसल भी पर्याप्त मात्रा में उगायी जाती है। इसके विपरीत अमौली विकासखण्ड में सबसे कम कृषि उत्पादकता स्तर प्राप्त होता है। यहाँ रिन्द नदी और सदा प्रवाहित यमुना नदी के किनारे की भूमि ऊबड–खाबड़ होने के कारण अमौली के नदी तटीय क्षेत्र के अधिकांश भाग में सघन कृषि सम्भव नहीं है। इनके अतिरिक्त ऐरायां विकासखण्ड में 306 किग्रा0/व्यक्ति उत्पादन का प्रमुख कारण नहरों से सिंचाई की सुविधा तथा गंगा नदी से लगा हुआ भूभाग है। यहाँ पर उर्वरकों का उपयोग भी अच्छा (96.2 किग्रा0/हे0) होता है। हसवा, विजयीपुर, खजुहा, देवमई, धाता और हथगॉव आदि सभी विकासखण्डों में नहर सिंचाई सुविधा का अच्छा विकास हुआ है। जनपद के दो विकासखण्डों में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन माध्य से एक प्रामाणिक विचलन जोड़ने के बीच मिलता है। ये क्रमशः मलवां (325 किग्रा0) और भिटौरा (321 किग्रा0) है। बहुआ और असोथर दो विकासखण्ड ऐसे है जहॉ पर प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन माध्य से 2 प्रामाणिक विचलन के परास (Range)में मिलता है। इन दोनों में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न क्रमशः 354 किग्रा0 और 349 किग्रा0 है।

4.8. पशु संसाधन :–

कृषि प्रधान देश की समृद्धि का आधार पशुपालन है। पशुपालन पर ही डेरी उद्योग आधारित है। डेरी उद्योग ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। एक तरफ पशुपालन से दूध, घी, मक्खन, अण्डा तथा मांस की प्राप्ति होती है तो दूसरी ओर बैल, घोड़ा, ऊँट तथा हाथी से करोड़ों हार्स पावर ऊर्जा की बचत होती है। पशुधन की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का प्रथम स्थान है (कुरूक्षेत्र, अगस्त, 1994, पृ0 11)।

ग्रामों में पाले जाने वाले पशुओं में दुधारू, बोझा ढोने वाले, खेतों मे काम करने वाले तथा आवागमन एवं परिवहन के काम आने वाले पशु आते हैं। दुधारू पशुओं में गाय, भैंस, बकरी तथा बोझा ढोने वाले पशुओ में गधा, ऊँट, घोडा, और खच्चर आदि का स्थान है। इनके अतिरिक्त सूअर, खरगोश, भेंड, मुर्गी व कुक्कुट आदि का पालन मांस, अण्डा तथा ऊन आदि के लिए किया जाता है।

4.8.1 पशु संसाधन का स्थानिक प्रतिरूप :–

सारणी 4.5 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र पशु संसाधन की दृष्टि से एक सम्पन्न क्षेत्र है। सारणी 4.5 के अनुसार सन् 1988 में अध्ययन क्षेत्र में गोवंशीय पशुओं की संख्या 417,184 थी, इनमें 410,323 ग्रामीण पशु तथा 6,861 नगरीय पशुओं का योग है। इनमें सबसे अधिक गोवंशीय पशु (166,017) फतेहपुर तहसील में पाए जाते है। तत्पश्चात क्रमशः खागा (134,188) और बिन्दकी

सारणी 4.5

जनपद फतेहपुर पशु संसाधन, 1988

पशुधन एवं कुक्कुट	बिन्दकी	फतेहपुर	खागा	ग्रामीण	नगरीय	योग
गोवंशीय शुद्ध	110,118	166,017	134,188	410,323	6,861	417,184
गोवंशीय क्रासबीड	1,674	5,292	1,921	8,887	400	9,287
महिषवंशीय	108,043	85,339	123,663	317,045	7,903	324,948
भेड़ देशी	16,526	44,656	33,415	93,997	2,208	96,205
बकरा एवं बकरी	85,620	88,598	64,872	339,090	9,460	248,550
घोडे एवं टट्टू	571	1,617	866	3,054	218	3,272
सुअर देशी	12,595	32,676	24,443	69,714	1,610	71,324
सुअर क्रासबीड	1,184	1,537	404	3,125	166	3,291
अन्य पशु	25,054	28,662	27,140	80,856	1,767	82,623
कुल पशु	361,305	453,754	410,992	1,226,091	30,593	1,256,684
मुर्गियां एवं कुक्कुट	22,430	33,122	47,620	103,222	4,444	107,666

सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1993, पृ0 59—71

(110,118) तहसीलों का स्थान है। इसी प्रकार जनपद में गोवंशीय क्रासबीड पशुओं की कुल संख्या 9,287 है, इसमें 8,887 ग्रामीण तथा 400 नगरीय पशु सम्मिलित हैं। इनकी अधिक संख्या फतेहपुर तहसील (5,292) में पाये जाती है। इसके बाद खागा (1,921) और बिन्दकी (1,674) तहसीलों का स्थान है। इसी तरह जनपद में महिषवंशीय पशुओं का कुल योग 324,948 है, जिनमें 317,045 ग्रामीण और 7,903 नगरीय पशु सम्मिलित हैं। सबसे अधिक महिषवंशीय पशु खागा तहसील (123,663) में पाये जाते हैं। तत्पश्चात बिन्दकी (108,043) और फतेहपुर (85,339) तहसीलों का क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान है। जनपद में मिलने वाली देशी भेड़ों की कुल संख्या 96,205 है, जिनमें 93,997 ग्रामीण और 2,208 नगरीय देशी भेडें शामिल है। इनमें फतेहपुर तहसील का प्रथम (44,656), खागा का द्वितीय (33,415) और बिन्दकी का तृतीय (16,526) स्थान है। अध्ययन क्षेत्र में कुल बकरों और बकरियों की संख्या 248,550 है, इसमें 339,090 ग्रामीण और 9,460 नगरीय अंचलों में प्राप्त है। इनकी सर्वाधिक संख्या फतेहपुर तहसील (88,598) में पायी जाती है। तत्पश्चात क्रमशः बिन्दकी (85,620) और खागा (64,872) तहसीलों का स्थान है। घोड़े और टट्टू की कुल संख्या जनपद में 3,272 मिलती है, जिसमें 3,054 ग्रामीण तथा 218 नगरीय है। इनकी सबसे अधिक संख्या फतेहपुर तहसील (1,617) में मिलती है। तत्पश्चात खागा (866) तथा बिन्दकी (571) तहसीलों का स्थान है। देशी सुअरों की संख्या जनपद में 71,324 हैं, जिसमें 69,714 ग्रामीण तथा 1,610 नगरीय क्षेत्रों में प्राप्त है। इनकी सबसे अधिक संख्या फतेहपुर तहसील (32,676) में पायी जाती है। तत्पश्चात क्रमशः खागा (24,443) तथा बिन्दकी (12,595) तहसीलों का स्थान है। अध्ययन क्षेत्र में क्रासबीड सुअरों की कुल संख्या 3,291 है, इसमें 3,125 ग्रामीण तथा 166 नगरीय क्षेत्र मे पाये जाते है। इनकी सबसे अधिक संख्या फतेहपुर तहसील 1,537 में पायी जाती है। बिन्दकी (1,184) और खागा (404) तहसीलों का क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान है। जनपद में मिलने वाले अन्य पशुओ की कुल संख्या 82,623 है जिसमें 80,856 ग्रामीण तथा 1,767 नगरीय अन्य पशुओं का योग है। जनपद में सबसे अधिक इनकी संख्या फतेहपुर तहसील (28,662) में मिलती है। खागा (27,140) और बिन्दकी (25,054) तहसीलों का क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान है।

उपर्युक्त पशुओं की कुल संख्या जनपद में 1,256,684 है, इनमें 1,226,091 ग्रामीण और 30,593 नगरीय अंचलों में पाये जाते हैं। यहाँ भी 453,754 पशुओं की संख्या के साथ फतेहपुर तहसील का प्रथम स्थान है। तत्पश्चात द्वितीय स्थान खागा तहसील (410,992) का तथा तृतीय स्थान बिन्दकी तहसील (361,305) का पाया जाता है। सारणी 4.5 से यह भी स्पष्ट होता है कि जनपद में मुर्गे, मुर्गीयां एवं कुक्कुट की कुल संख्या 107,666 है, जिसमें 103,222 ग्रामीण और 4,444 नगरीय क्षेत्रों में पाये जाते है। इसमें प्रथम स्थान खागा तहसील (47,620) का है। तत्पश्चात फतेहपुर (33,122) का द्वितीय और बिन्दकी (22,430) का तृतीय स्थान है।

4.9 कृषि विकास एवं सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण :–

अध्ययन क्षेत्र एक परम्परावादी कृषि प्रधान क्षेत्र है। सदियों से ही कृषि का क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषि पर ही लोगों विशेषकर कृषकों की समृद्धि निर्भर करती रही है। स्वतन्त्रता के बाद योजनाबद्ध विकास के शुरू होने के साथ–साथ कृषि विकास को प्राथमिकता दी गयी है, जिसके लिये लघु एवं वृहद स्तर पर योजनाएं शुरू की गयी हैं। यद्यपि इनसे ग्रामीण अंचलों की गरीबी और सामाजिक पिछडेपन को पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सका है, परन्तु ऐसा भी नहीं है कि कृषि विकास के ये कार्यक्रम पूर्णतः निष्प्रभावी रहे हैं। सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई है, नये बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों और कृषि यंत्रों के प्रयोग से कृषि उत्पादन बढा है तथा कृषि आय में वृद्धि हुयी है। इस बढी हुयी आय का उपयोग जहाँ एक तरफ मूलभूत सुविधाओं में सुधारकर जीवन स्तर को अच्छा करने हेतु किया गया है, वहीं दूसरी तरफ इससे शिक्षा, स्वास्थ, मनोरंजन, कृष्येत्तर क्षेत्रों में पूँजी निवेश आदि में भी वृद्धि हुयी है। इससे लोगों के पारम्परिक और रूढिवादी विचारों में सुधार देखा जा रहा है जिससे बहुत सी सामाजिक कुरीतियों के समाज पर वर्चस्व में शिथिलता आयी है। वर्तमान अध्याय के इस अंश में कृषि विकास के परिणामस्वरूप सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण के इन विविध पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

4.9.1 कृषि विकास एवं गरीबी उन्मूलन :–

जनपद में कृषि में अभिनव तकनीक के प्रयोग के साथ–साथ ज्यों–ज्यों कृषि का विकास हुआ है, क्षेत्र में गरीबी में कमी आयी है। यह अध्ययन क्षेत्र के चयनित गॉवों में भोजन, पेयजल, अवास और मनोरंजन आदि की सुविधाओं के सर्वेक्षण के आधार पर जाना गया है। यह सर्वेक्षण शोधकर्ता द्वारा प्रतिदर्श गाँवों में जाकर किया गया है। इसमें दो वर्षो क्रमशः जुलाई 1990 एवं 1996 में संग्रहीत साक्ष्यों का उपयोग किया गया है। 1990 के साक्ष्य सर्वेक्षणकर्ता द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से जानकारी एकत्रित कर प्राप्त किये गये हैं। एतदर्थ कुल 262 परिवारों का उपयोग किया गया है जिसमें 71 परिवार सवर्णो (UC), 89 परिवार पिछड़ी जातियों (OBC), 75 परिवार अनुसूचित जातियों (SC) तथा 27 परिवार अल्पसंखक संमुदाय (मुसलमानों) से सम्बन्धित हैं।

(अ) आहार एवं पोषाहार :–

सारणी 4.6A से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के कुल सर्वेक्षित 262 परिवारों में रोटी एवं चावल का उपयोग शत प्रतिशत, सब्जी का 53.82%, दाल का 33.21%, सलाद का 7.25%, चटनी, अचार का 68.32% और दूध, दही का 64.89%, परिवारों में उपयोग किया जाता है।

जुलाई 1996 में किये गये भोजन सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि सवर्णो के 71 परिवारों में से

सारणी 4.6 A

आहार एव पोषाहार, 1996 (प्रतिशत में)

परिवार संख्या	रोटी	चावल	सब्जी	दाल.	सलाद, चटनी, अचार	चटनी, अचार	दूध, दही
सवर्ण – 71	100	100	88.73	54.00	14.08	74 65	74.65
पिछड़ी जातियां – 89	100	100	60.67	38.20	6.74	58.43	68.54
अनुसूचित जातिया – 75	100	100	18 67	14 67	2.67	66 67	53 33
मुसलमान – 27	100	100	37.04	11 11	3 70	85.18	59.26
कुल परिवार – 262	100	100	53.82	33 21	7 25	68 32	64.89

सारणी 4.6 B

आहार एवं पोषाहार, 1990, (स्मृति पर आधारित आंकडो के आधार पर) (प्रतिशत में)

परिवार संख्या	रोटी	चावल	सब्जी	दाल	सलाद, चटनी, अचार	चटनी, अचार	दूध, दही
सवर्ण – 71	100	100	39.44	39 28	4.22	55.00	42.25
पिछडी जातियां – 89	100	100	28.09	16.85	–	30.34	44.94
अनुसूचित जातियां – 75	100	100	6.67	4.00	–	40.00	24.00
मुसलमान – 27	100	100	7.41	7.41	–	37.04	25.90
कुल परिवार – 262	100	100	22 90	15.27	1 14	40.45	36.26

स्रोत :– निजी सर्वेक्षण, जुलाई, 1996

सभी (100%) परिवार रोटी और चावल का तथा 88.73% परिवार सब्जी, 54% परिवार दाल, 14.08% परिवार सलाद, चटनी, अचार तथा 74.65% परिवार चटनी, अचार और 74.65% परिवार दूध, दही का प्रयोग भोजन में करते है। सारणी 4.6B के अनुसार इन्ही परिवारों के सदस्यों की स्मृति के आधार पर सन् 1990 के साक्ष्यों के आधार पर इन लोगों में शत प्रतिशत परिवार रोटी और चालव, 39.44% परिवार सब्जी, 39.28% परिवार दाल, 4.22% परिवार सलाद, चटनी, अचार तथा 55% परिवार चटनी, अचार का तथा 42 25% परिवार भोजन में दूध, दही का सेवन करते थे।

जुलाई 1996 के सर्वेक्षण के आधार पर पिछडी जातियों के 89 परिवारों मे से सभी परिवार अपने भोजन में रोटी और चावल, 60.67% परिवार सब्जी, 38.20% परिवार दाल, 6.74% सलाद, चटनी, अचार, 58.43% परिवार चटनी, अचार और 68 54% परिवार दूध, दही का सेवन करते थे जबकि इन्हीं परिवारों में सन् 1990 में शत प्रतिशत परिवार रोटी और चावल, 28.09% परिवार सब्जी, 16.85% परिवार दाल, 30.34% परिवार चटनी, अचार तथा 44.94% परिवार दूध, दही का उपयोग करते थे।

इसी तरह जुलाई 1996 के सर्वेक्षण के आधार पर अनुसूचित जातियों के 75 परिवारों में से सभी परिवार भोजन में रोटी और चावल, 18 67% परिवार सब्जी, 14.67% परिवार दाल, 2.67% परिवार सलाद, चटनी, अचार, 66.67% परिवार चटनी, अचार तथा 53.33% परिवार दूध, दही का सेवन करते थे। 1990 में इन्हीं परिवारों मे शत प्रतिशत परिवार रोटी एवं चावल, 6.67% परिवार सब्जी, 4% दाल, 40% परिवार चटनी, अचार तथा 24% परिवार दूध, दही का सेवन करते थे।

इसी प्रकार जुलाई 1996 के आधार पर 27 मुस्लिम परिवारों में से सभी परिवार रोटी और चावल, 37.04% परिवार सब्जी, 11 11% परिवार दाल, 3.70% परिवार सलाद, चटनी, अचार, 85.18% परिवार चटनी, अचार 59.26% परिवार दूध, दही का सेवन करते थे। जबकि 1990 मे रोटी और चावल के अतिरिक्त 7.41% परिवार सब्जी, 7.41% परिवार दाल, 37.04% परिवार, चटनी, अचार (चटनी का अधिक सेवन) तथा 25.90% परिवार दूध, दही का सेवन करते थे। सन् 1990 में इन परिवारों के केवल 74.07% परिवारों द्वारा चिकन, मटन तथा अण्डे का भोजन में सेवन नियमित व अनियमित रूप में किया जाता था वहीं सन् 1996 में इनका प्रतिशत बढ़कर शत प्रतिशत हो गया।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि कृषि में जैसे-जैसे सुधार हो रहा है लोगों के आर्थिक स्तर के ऊपर उठने के साथ-साथ खान-पान के स्तर में भी वृद्धि हो रही है तथा भोजन में सब्जियों, मांस तथा अण्डों आदि का उपयोग बढ रहा है। गॉवों में पढे-लिखे परिवारों में एक अभिजात वर्ग भी उभर रहा है जो संतुलित पोषाहार के प्रति जागरूक हो रहा है, परन्तु इसके साथ ही साथ लघु सीमान्त कृषकों और भूमिहीन श्रमिकों का एक ऐसा समूह भी है जिनके भोजन का स्तर सन्तोषप्रद नहीं है।

(ब) पेयजल की व्यवस्था :–

जिस तरह से लोगों के भोजन स्तर में सुधार हुआ है उसी तरह से ग्रामीण अंचलों में पीने के पानी की व्यवस्था में भी सुधार हुआ है परन्तु अभी भी उतना सुधार नहीं हुआ है जितना कि अपेक्षित है। यह तथ्य सारणी 4.7A के विश्लेषण से और भी स्पष्ट हो जाता है। प्रतिदर्श अध्ययन हेतु चयनित कुल 262 परिवारों में पीने के पानी हेतु अभी भी 83.97% परिवार कुएं का, 6.11% परिवार हैण्डपाइप का तथा 9.92% परिवार कुए और हैण्डपाइप दोनों का उपयोग कर रहे हैं।

इन 262 परिवारों में से सवर्णों के 71 परिवारों में से आज भी 83.10% परिवार कुएं के पानी का सेवन परम्परागत ढंग से करते है जबकि 5.63% परिवार हैण्डपाइप तथा 11.27% परिवार कुएं और हैण्डपाइप दोनों के ही पानी का उपयोग करते हैं। पिछड़ी जातियों के 89 परिवारों में से 80. 90% परिवार आज भी कुएं के पानी का प्रयोग पीने के लिए करते हैं तथा मात्र 6.74 % परिवार हैण्डपाइप तथा 12.36% परिवार कुआं और हैण्डपाइप दोनों के पानी का प्रयोग करते हैं। अनुसूचित जातियों के 75 परिवारों में से 82.67% परिवार कुएं के पानी का, 8% परिवार हैण्डपाइप तथा 9. 33% परिवार कुआं और हैण्डपाइप दोनों के पानी का सेवन करते हैं। मुसलमानों (अल्पसंख्यकों) के 27 परिवारों में से शत प्रतिशत परिवार आज भी कुओं के पानी का पेयजल हेतु उपयोग करते हैं।

सर्वेक्षण के दौरान पेयजल के सम्बन्ध मे एक तथ्य जो उभरकर सामने आया, वह यह था कि आज अध्ययन क्षेत्र में नागरिकों द्वारा जल की शुद्धता व स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ रही है। यद्यपि यह प्रतिशत आज भी बहुत कम है तथापि यह विश्वास किया जा सकता है कि शिक्षा के स्तर में उन्नयन के साथ–साथ भविष्य में इसमें अवश्य बड़े पैमाने पर सुधार होगा। सारणी 4.7B के अनुसार सर्वेक्षण किये गये कुल 262 परिवारों में से 12.21% परिवार पानी को उबालकर, 25. 19% परिवार पानी को छानकर उपयोग मे लाते हैं जबकि 62.60% परिवार आज भी पानी का प्रयोग बिना छाने, उबाले ही करते है।

इन 262 परिवारों में से सवर्णो के 71 परिवारों में से मात्र 1.41% परिवार पानी का सेवन उबाल कर 35.21% परिवार छानकर तथा शेष 63.38% परिवार सीधे ही करते हैं। इसी तरह पिछडी जातियों के 89 परिवारों में से 1.12% परिवार पानी का प्रयोग उबालकर, 23.60% परिवार छानकर तथा शेष 75.28% परिवार सीधे ही करते हैं। अनुसूचित जातियों के 75 परिवारों में से 5. 33% परिवार जल का उपयोग उबालकर, 25.33% छानकर तथा 69.34% परिवार बिना छाने, उबाले ही करते हैं। इसी तरह मुसलमानों के 27 परिवारों में से 96.30% परिवार पानी का सेवन उबालकर तथा शेष 3.70% परिवार छानकर करते है।

सर्वेक्षण के दौरान शोधकर्ता द्वारा यह पूँछने पर कि क्या आज से 5–6 वर्ष पूर्व भी आप लोग जल की शुद्धता व स्वच्छता पर ध्यान देते थे। मुसलमानों के 27 परिवारों को छोडकर शेष परिवारों

सारणी 4 7 A

पेयजल व्यवस्था, 1996 (प्रतिशत में)

परिवार संख्या	कुऑ	हैण्डपाइप	कुऑ + हैण्डपाइप	योग प्रतिशत
सवर्ण – 71	83.10	5.63	11.27	100
पिछडी जातियां – 89	80.90	6.74	12.36	100
अनुसूचित जातियां – 75	82.67	8.00	9.33	100
मुसलमान – 27	100.00	–	–	100
कुल परिवार – 262	83.97	6 11	9 92	100

सारणी 4.7 B

पेयजल का सेवन, 1996 (प्रतिशत मे)

परिवार संख्या	उबालकर	छानकर	बिना छाने, बिना उबाले	योग प्रतिशत
सवर्ण – 71	1.41	35.21	63.38	100
पिछडी जातियां – 89	1.12	23.60	75.28	100
अनुसूचित जातियां – 75	5.33	25.33	69.34	100
मुसलमान – 27	96.30	3.70	–	100
कुल परिवार – 262	12.21	25.19	62.60	100

स्रोत :– निजी सर्वेक्षण, जुलाई, 1996

का उत्तर नकारात्मक ही था। इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि अध्ययन क्षेत्र के लोगो मे शुद्ध पेयजल के प्रति जागरूकता बढी है तथापि मुस्लिम समुदाय को छोडकर शेष लोगो का एक बडा वर्ग कच्चे पानी का उपयोग कर रहा है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। अत आज आवश्यकता इस बात की है कि अध्ययन क्षेत्र के शिक्षित एवं जागृत लोगों द्वारा ग्रामीण लोगो को शुद्ध पेयजल के सेवन के महत्व के बारे मे स्पष्ट करना चाहिए ताकि उन्हें जल से उत्पन्न विभिन्न रोगों से बचाया जा सके।

(स) आवासीय सुविधायें :-

जुलाई 1996 में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर इस तथ्य की जानकारी भी प्राप्त की गयी कि अध्ययन क्षेत्र के कितने परिवार स्वय के मकानो मे निवास करते है तथा कितने परिवार किराये के मकानों मे रहते है। इस तथ्य का आकलन इस बात से भी किया गया है कि जनपद के कितने परिवार पक्के मकानो में निवास करते हैं।

सारणी 4 8A के अनुसार चयनित कुल 262 परिवारो में से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र मे 98.86% परिवार निजी मकानो मे 0 38% परिवार किराये के मकानों में तथा शेष 0.76% परिवार गृहविहीन है।

कुल 262 परिवारों में से सवर्णो के 71 परिवारों में शत प्रतिशत परिवार निजी मकानों मे रहते है। पिछडी जातियो के 89 परिवारो में से 98 88% परिवार निजी मकानो में तथा 1.12% परिवार किराये के मकानों मे निवास करते है। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों के 75 परिवारों में शत प्रतिशत परिवार निजी मकानो में निवास करते है। यह विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं तथा अन्य सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के निवास गृह हेतु कार्यान्वित की गयी विभिन्न योजनाओं के फलस्वरूप ही सम्भव हो सका है। ध्यातव्य है कि मुसलमानों के 27 परिवारों में से 92 59% परिवार निजी मकानो में तथा शेष 7.41% परिवार गृहविहीन हैं। सर्वेक्षण के समय तक ऐसे परिवार किसी परिचित, मित्र व सगे सम्वन्धी के साथ निवास करने के लिए प्रयास कर रहे थे। ऐसे निराश्रित परिवारों के निवास हेतु सस्ते मूल्य पर भूमि उपलब्ध कराकर उन्हें मकान बनाने हेतु ऋण आदि की सरकारी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार निवास गृह और आर्थिक स्थिति का आंकलन गृह निर्माण में लगी लागत के आधार पर किया गया है। सारणी 4 8B के अनुसार कुल सर्वेक्षित 262 परिवारों में से 132 परिवारो ने मकानों के निर्माण में पक्की ईटो का उपयोग किया है जिसमें 9.09% परिवारों द्वारा भवन निर्माण में 8,000 रूपये तक 15.91% परिवारों द्वारा 12,000 रू0 तक 3.03% परिवारों द्वारा 16,000 रू0 तक 13.64% परिवारों द्वारा 20,000 रू0 तक तथा शेष 58.33% परिवारों द्वारा 20,000 रू0 से भी अधिक की धनराशि को खर्च किया गया है।

सारणी 4 8 A

आवासीय व्यवस्था, 1996 (प्रतिशत मे)

परिवार संख्या	स्वय के/निजी गृह में	किरायेदार	गृहविहीन	योग प्रतिशत
सवर्ण – 71	100.00	–	–	100
पिछडी जातियां – 89	98.88	1.12	–	100
अनुसूचित जातियां – 75	100 00	–	7.41	100
मुसलमान – 27	92.59	–	7 41	100
कुल परिवार – 262	98.86	0.38	0 76	100

सारणी 4 8 B

गृहनिर्माण मे लगी लागत, 1996 (प्रतिशत मे)

परिवार संख्या (रू0)	सवर्ण – 71 38 परिवार	पिछडी जातियां – 89 45 परिवार	अनुसूचित जातियां – 75 33 परिवार	मुसलमान – 27 16 परिवार	कुल परिवार – 262 132 परिवार
2000 – 8000	–	6.67	24.24	6.25	9.09
8000–12000	10.53	15.56	24.24	12.50	15.91
12000–16000	2.63	–	6.06	6.25	3.03
16000–20000	13.16	8.89	15.15	25.00	13.64
> 20000	73.68	68 88	30.31	42.59	58.33

स्रोत :– निजी सर्वेक्षण, जुलाई, 1996

कुल 262 परिवारों मे सवर्णों के 71 परिवारों में से 38 परिवारों ने अपने मकान पक्की ईंटों के बनवाये, जिनमे 10.53% परिवारों ने 12,000 रू0 तक, 2.63% परिवारों ने 16,000 रू0 तक, 13.16% परिवारों द्वारा 20,000 रू0 तक तथा 73.68% परिवारों ने 20,000 रू0 से अधिक की लागत पर मकान निर्मित करवाया है। इसी तरह पिछडी जातियों के 89 परिवारों में से 45 परिवारों ने मकान निर्माण कराया, जिनमें 6.67% परिवारों ने 8,000 रू0 तक 15.56% परिवारों ने 12,000 रू0 तक, 8.89% परिवारों ने 20,000 रू0 तक तथा शेष 68.88% परिवारों ने 20,000 रू0 से अधिक धनराशि का उपयोग किया है। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों के 75 परिवारों में से 33 परिवारों ने भवन निर्मित करवाया, इनमें 24.24% परिवारों ने 8,000 रू0 तक 24.24% परिवारों ने 12,000 रू0 6.06% परिवारों ने 16,000 रू0 तक, 15.15% परिवारो ने 20,000 रू0 तक तथा 30.31% परिवारों ने 20,000 रू0 से अधिक की लागत के मकान बनवाये है। मुसलमानों के 27 परिवारों में से 16 परिवारों ने अपना मकान बनवाया है। इनमें से 6.25% परिवारों ने 8,000 रू0 तक, 12.50% परिवारों द्वारा 12,000 रू0 तक, 6.25% परिवारों द्वारा 16,000 रू0 तक, 25% परिवारों ने 20,000 रू0 तक और शेष 42.59% परिवारों ने 20,000 रू0 से अधिक की लागत के भवनों का निर्माण करवाया है तथा 7.41% परिवार गृहविहीन है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि कृषि विकास से अध्ययन क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। वास्तव में मानव रोटी की समस्या से फुर्सत पाने के उपरान्त मकान की तरफ आकृष्ट हुए हैं, क्योंकि यह मानव की द्वितीय महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

(द) मनोरंजन की सुविधाये :—

जुलाई 1996 के सर्वेक्षण के आधार पर यह तथ्य भी स्पष्ट हुआ है कि कृषि विकास के परिणामस्वरूप लोगों के मनोरंजन के साधनों में भी वृद्धि हुयी है। सारणी 4.9 से स्पष्ट हुआ है कि कुल 262 परिवारों में से 8.02% परिवारों के पास टी0 वी0, 9.54% परिवारों के पास टेप रिकार्डर 31.68% परिवारों के पास रेडियो और 0.76% परिवारों के पास वी0 सी0 आर0 की सुविधाये उपलब्ध हैं। इस प्रकार 49.98% परिवार मनोरंजन के किसी न किसी साधन से युक्त हैं तथा शेष 52 02% ऐसे परिवार हैं जो किसी भी साधन से वचित है।

इन 262 परिवारों को यदि जाति के आधार पर परिकलित करें तो स्पष्ट होता है कि सवर्णो के 71 परिवारों में से 11.27% परिवारों के पास टी0 वी0, 12.68% परिवारों के पास टेप रिकार्डर 33.81% परिवारों के पास रेडियों तथा मात्र 2.82% परिवारों के पास वी0 सी0 आर0 उपलब्ध है। इस तरह 60.58% परिवार किसी न किसी मनोरंजन के साधन का उपयोग करते है। ध्यातव्य है कि सवर्णो के 8 परिवारों के पास टी0 वी0, टेप रिकार्डर एवं रेडियो तीनों ही सुविधाये उपलब्ध हैं। इसी तरह पिछड़ी जातियों के 89 परिवारों में से 6.74% परिवारों के पास टी0 वी0, 10.11% परिवारों के

सारणी 4.9
मनोरंजन के साधन, 1996
(प्रतिशत में)

परिवार संख्या	टी0 वी	टेप रिकार्डर	रेडियो	वी. सी. आर.	मनोरंजन साधन विहीन परिवार
सवर्ण – 71	11.27	12 68	33.81	2.82	39.42
पिछडी जातियां – 89	6.74	10.11	39.32	—	43.83
अनुसूचित जातिया – 75	5.33	8.00	28.00	—	58 67
मुसलमान – 27	11.11	3.70	11.11	—	74 08
कुल परिवार – 262	8.02	9.54	31.68	0.76	50.02

स्रोत :– निजी सर्वेक्षण, जुलाई, 1996

सारणी 4.10
सामाजिक रीतियॉं, 1996 (प्रतिशत में)

कुल परिवार संख्या 262	भूत–प्रेत में विश्वास	बालिका शिक्षा	बाल विवाह	विधवा विवाह	अन्तर्जातीय विवाह	स्त्रियों की नौकरी/ आत्मनिर्भरता	तलाक प्रथा	जाति प्रथा एवं छुआछूत	धार्मिक सद्भाव/ मेल मिलाप	परिवार नियोजन
हाँ	57.63	87.79	4.96	75.57	3.05	66.41	62.21	60.69	53.82	93.13
नहीं	42.37	12.21	95.04	24.43	96.95	33.59	37 79	39.31	46.18	6.87

स्रोत :– निजी सर्वेक्षण, जुलाई, 1996

पास टेप रिकार्डर तथा 39 32% परिवारो के पास रेडियो उपलब्ध है। इस प्रकार कुल 56.17% परिवार मनोरंजन के साधनों से युक्त है जबकि शेष 43.83% परिवार आज भी इन साधनों से विपन्न है। इनमें 6 परिवार ऐसे हैं जिनके पास टी0 वी, टेप रिकार्डर तथा रेडियो सुलभ है। अनुसूचित जातियों के कुल 75 परिवारों मे से 5.33% परिवारों के पास टी0 वी0, 8% परिवारों के पास टेप रिकार्डर तथा 28% परिवारो के पास रेडियो उपलब्ध है। इस तरह कुल 41.33% परिवारों के पास मनोरंजन के साधन उपलब्ध है। जबकि 58 67% परिवार मनोरंजन के साधनो से रहित है। इनमें 4 परिवार ऐसे हैं जिनके पास टी0 वी0, टेप रिकार्डर और रेडियो तीनों ही साधन सुलभ है। मुसलमानों के कुल 27 परिवारों में से 11.11% परिवारों के पास टी0 वी0, 3.7% परिवारों के पास टेप रिकार्डर तथा 11.11% परिवारों के पास रेडियो सुलभ है। इस तरह कुल मुस्लिम परिवारों के 25.92% परिवारों के पास मनोरंजन के साधन हैं जबकि 74.08% परिवार ऐसे हैं जिनके पास मनोरंजन का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। इनमें मात्र एक परिवार ऐसा है जिसके पास टी0 वी, टेप रिकार्डर एवं रेडियो तीनों साधन सुलभ है।

इसके विपरीत प्रतिदर्श हेतु चयनित उपर्युक्त 262 परिवारों के पास वर्ष 1990 में मनोरंजन के साधनों में कुछ परिवारों के पास ही ट्रांजिस्टर/रेडियो सेट उपलब्ध थे, वह भी इतनी कम संख्या में कि इनकी गणना लगभग न के बराबर ही थी।

जुलाई 1996 के सर्वेक्षण से एक तथ्य तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि मनोरंजन के साधनों, में अधिकांश परिवारों के पास ट्रांजिस्टर/रेडियो है। इसके बाद क्रमश. टेप रिकार्डर, टी0 वी0 और वी0 सी0 आर0 का स्थान है। ट्राजिस्टर/रेडियो के सर्वाधिक संख्या में उपलब्ध होने का प्रमुख कारण मनोरंजन के विभिन्न साधनों से इसका सबसे सस्ता होना है। इसके विपरीत वी0 सी0 आर0 सबसे मंहगा साधन है इसीलिए यह सबसे कम मात्रा में (मात्र 0.76%) लोगों के पास सुलभ है। लेकिन इस सबके बावजूद इतना तो सुस्पष्ट है कि कृषि विकास के फलस्वरूप होने वाले आर्थिक विकास के कारण लोग रोटी, कपडा और मकान जैसी मौलिक आवश्यकताओं के उपरान्त मनोरंजन के साधनो के उपयोग पर ध्यान दे सके हैं। इससे आर्थिक प्रगति, यद्यपि मन्द गति से, का स्पष्ट संकेत मिलता है।

4.9.2 कृषि विकास एवं सामाजिक कुरीतियों का समापन :—

अध्ययन क्षेत्र में जैसे—जैसे कृषि विकास हो रहा है वैसे—वैसे कृषकों के सोचने—समझने के तरीकों, उनके रहन—सहन और खान—पान के स्तर आदि में भी सुधार हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का अवसर मिला है (सारणी 4.10)।

(अ) भूत—प्रेत में विश्वास :—

इस सामाजिक कुरीति के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों में भूत—प्रेत पर विश्वास

(अन्ध विश्वास) की भावना का उल्लेख किया जा सकता है। शोधकर्ता द्वारा जुलाई 1996 में किये गये 262 परिवारों के सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ है कि आज भी अध्ययन क्षेत्र के 57.63% परिवार भूत–प्रेत में विश्वास करते हैं। शेष 42.37% परिवार भूत–प्रेत में विश्वास नहीं करते है। हाल के वर्षो में भूत–प्रेत में विश्वास न करने वालों का प्रतिशत 50 तक पहुँच गया है जो लोगों के मानसिक एवं सामाजिक विकास का स्पष्ट प्रमाण है।

(ब) बालिका शिक्षा :–

एक अन्य सामाजिक कुरीति के रूप में बालिका शिक्षा को ले सकते हैं। आज भी गॉव में लोग बालिकाओं की अपेक्षा बालकों की शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं परन्तु हाल के वर्षो इस अभिवृत्ति में काफी सुधार हुआ है। सर्वेक्षण किये गये कुल 262 परिवारों में से 87.79% परिवार ऐसे हैं जो बालिका शिक्षा के पक्ष में तथा मात्र 12.21% परिवार ही बालिका शिक्षा के विपक्ष में अपना मन्तव्य देते हैं। स्पष्ट है कि आज ग्रामीण समाज में भी बालिका शिक्षा के महत्व को समझा जा रहा है। यह माता–पिता, विभिन्न सामाजिक संगठनों तथा सरकार द्वारा विभिन्न संचार साधनों के माध्यम से इसकी आवश्यकता को स्पष्ट करने से सम्भव हो सका है।

(स) बाल–विवाह :–

तीसरी मुख्य सामाजिक कुरीति बाल–विवाह है। ध्यांतव्य है कि वर्तमान परिस्थितियों में इसमें भी काफी सुधार हुआ है। शोधकर्ता द्वारा जुलाई 1996 में किये गये सर्वेक्षण से प्राप्त परिणामों के अनुसार कुल 262 परिवारों मे से मात्र 4.96% ही ऐसे परिवार हैं जो इसे उचित बताते हैं जबकि शेष 95.04% परिवार बाल–विवाह के विपक्ष में अपना मन्तव्य देते हैं। यद्यपि दहेज आदि कुप्रथाओं के कारण आज भी इसका प्रचलन पूर्णतः समाप्त हुआ है।

इस तरह यह स्पष्ट है कि बालिका शिक्षा की ही तरह लोगों के बाल–विवाह से सम्बन्धित विचारों में भी आमूलचूल परिवर्तन आया है जो कम उम्र में बच्चों के विवाह करने से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी के फलस्वरूप सम्भव हो सका है।

(द) विधवा–विवाह :–

वर्तमान समय में अध्ययन क्षेत्र मे अन्य कुरीतियों की ही भाँति विधवा–विवाह जैसी कुरीति के सम्बन्ध में भी जन साधारण के विचारों में महत्वपूर्ण परिर्वतन देखे गये हैं, उदाहरणार्थ–जुलाई 1996 मे सर्वेक्षण किये गये कुल 262 परिवारों में से 75.57% परिवार विधवा–विवाह को उचित बताते हैं जबकि शेष 24.43% परिवार इसको सहमति नहीं प्रदान करते हैं। शिक्षा के प्रसार के साथ–साथ लोगों के मनोभावों में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। स्त्री शिक्षा के बढ़ने के साथ–साथ

महिलाओं में जागरूकता एवं स्वावलम्बन की भावना का विकास हुआ है। जहाँ पहले लोग किसी विधवा को देखना तक पाप समझते थे तथा उसे किसी भी मांगलिक कार्य में शामिल नहीं किया जाता था, वहीं आज विधवा–विवाह करवाने में कोई आपत्ति नहीं है।

(य) अन्तर्जातीय विवाह :–

जुलाई 1996 के सर्वेक्षण के आकड़ों से स्पष्ट है कि आज भी अध्ययन क्षेत्र में अन्तर्जातीय विवाह को ग्रामीण समाज की सहमति नहीं प्राप्त है। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि मात्र 3.05% परिवारों ने ही इसके पक्ष में विचार दिया है जबकि शेष 96.95% परिवार इसे गलत बताते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विवाह के संबध में आज भी लोग कट्टर रूढ़िवादी हैं और हिन्दू समाज में जाति प्रथा की जड़े काफी गहरी हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग भी अपनी जाति से बाहर विवाह के पक्ष में नहीं हैं।

(र) स्त्रियों की नौकरी/आत्मनिर्भरता :–

नये सामाजिक परिवर्तन के अन्तर्गत महिलाओं की शिक्षा के साथ–साथ उनकी आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता पर बल दिया जा रहा है ताकि पुरुष प्रधान समाज में उन्हें पुरुषों के उत्पीड़न से बचाया जा सके। अध्ययन क्षेत्र में किये गये कुल 262 परिवारों के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि जनपद में 50% से भी अधिक (66.41%) परिवार आज महिलाओं की नौकरी के पक्ष में तथा 33.59% इसके विपक्ष में विचार देते हैं। यह एक अच्छे सामाजिक परिवर्तन का संकेत है जिसमें शिक्षा तथा आर्थिक बाध्यता का प्रमुख योगदान है। स्वतंत्रता के पूर्व स्त्री शिक्षा की भारी कमी थी तथा लोग स्त्रियों का घर से बाहर निकलना नहीं पसन्द करते थे। स्त्रियों में भी शिक्षा की प्रगति के साथ अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है तथा उच्च एवं मध्यम वर्ग की शिक्षित महिलायें विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।

(ल) तलाक–प्रथा :–

अध्ययन क्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान तलाक–प्रथा के बार में जानकारी प्राप्त करने पर यह ज्ञात हुआ है कि 62.21% परिवार इसके पक्ष में तथा 37.79% परिवार इसके विपक्ष में हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा आदि के प्रसार के साथ–साथ तलाक–प्रथा के सम्बन्ध में भी लोगों के विचारों में परिवर्तन आया है क्योंकि पहले तो इस प्रथा को सिर्फ मुस्लिम समाज में ही मान्यता प्राप्त थी तथा हिन्दू समाज में इसे अच्छा नहीं माना जाता था। हिन्दुओं में यह मान्यता थी कि लड़की डोली में बैठकर ससुराल जाती है और अर्थी से ही बाहर निकती है। विवाह के असफल होने के बावजूद वह सभी प्रकार के उत्पीड़न को सहन करते हुए जीवन पर्यन्त वैवाहिक बन्धन से जुड़ी

रहना चाहती थी। आज इन मान्यताओ मे काफी परिवर्तन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप 62.21% परिवारो का मानना है कि यदि स्त्री के ससुराल की परिस्थितियां उसके प्रतिकूल हैं तो उसे तलाक ले लेना चाहिए।

(व) जाति–प्रथा एवं छुआ–छूत :–

हिन्दू समाज में जाति–प्रथा एवं छुआ–छूत (अरपृश्यता) एक बड़ा अभिशाप है जिससे विश्व मे उसे गर्हित किया जाता रहा है। यद्यपि अध्ययन क्षेत्र में इस कुप्रथा के पूर्णतः समाप्ति में अभी लम्बा समय लगने की सम्भावना है परन्तु धीरे–धीरे लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ रही है। सर्वेक्षण में प्राप्त आकडों के आधार पर ज्ञात होता है कि आज भी 60.69% परिवार इस कुप्रथा को उचित बताते है जबकि शेष 39 31% परिवार इसके विपक्ष में है किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि जहॉ पहले शत प्रतिशत परिवार इस प्रथा को उचित बताते थे वहॉ आज यह प्रतिशत घटकर 60 69 हो गया है। इससे इस धारणा को बल मिलता है कि भविष्य में जाति–प्रथा एवं छुआ–छूत से रहित समाज के निर्माण में मदद मिलेगी।

(श) धार्मिक सद्भाव /मेल–मिलाप :–

भारत एक विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं एवं सम्प्रदायों का मिला–जुला देश है। अध्ययन क्षेत्र में भी ये विशेषताये पायी जाती है। यद्यपि सदियों से ही यहाँ विभिन्न सम्प्रदायों तथा पन्थों के लोग एक साथ रहते आ रहे हैं एवं उनमे पूर्ण सौहार्द रहा है परन्तु ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजों की 'फूट डालों और राज करो' की नीति, स्वातन्त्र्योत्तर काल में कुछ राजनीतिक पार्टियों की अल्पसंख्यक तुष्टीकरण नीति एवं वोट बैक राजनीति के कारण धार्मिक सद्भाव एवं समरसता के समुचित वातावरण के निर्माण में रूकावट आयी है। अध्ययन क्षेत्र में किये गये सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि यहॉ 53.82% परिवार विभिन्न समुदायों के बीच मेल–मिलाप एवं सद्भाव के पक्षधर हैं जबकि शेष 46.18% परिवार विभिन्न धर्मो के बीच दूरी रखने के पक्ष में हैं। इससे स्पष्ट है कि निकट भविष्य में विभिन्न धार्मिक समुदायो को एक–दूसरे के अधिक निकट जाने का अवसर प्राप्त होगा जिससे एक धर्मनिरपेक्ष भारतीय समुदाय के निर्माण में मदद मिलेगी।

(ष) परिवार नियोजन :–

धार्मिक विचारधारा से परिवार नियोजन का गहरा सम्बन्ध है। इसे हिन्दू और मुस्लिम दोनों समुदायो द्वारा खुलकर मान्यता न दिये जाने के कारण सरकार के हर प्रयास के बावजूद सफल नहीं बनाया जा सका है। अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण परिवेश के सर्वेक्षण से प्राप्त साक्ष्यों के विश्लेषण करने से ज्ञात हुआ है कि 93.13% परिवार आज परिवार नियोजन को अपनाना उचित समझते हैं

जबकि 6 87% परिवार इसे अपनाने को उचित नही मानते हैं। इससे यह स्पष्ट होता कि शिक्षा के प्रसार के साथ–साथ धीरे–धीरे लोग छोटे परिवार के महत्व को समझने लगे हैं। यह जन साधारण के विचारो में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन कहा जा सकता है क्योंकि आज से लगभग दो दशक पहले परिवार को भगवान व अल्ला मिया की देन समझकर परिवार नियोजन को अधार्मिक एवं असामाजिक माना जाता था लेकिन आज इसके महत्व को लोग शनै–शनैः समझते जा रहे है और परिवार को छोटा रखने के विभिन्न तरीको को अपनाने लगे है। स्त्री शिक्षा ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान किया है।

उपर्युक्त सामाजिक कुरीतियो के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास के परिणामस्वरूप होने वाले आर्थिक विकास तथा शिक्षा के प्रसार आदि के कारण जनसाधारण के विचारो मे क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है। वर्तमान समाज में गहन मंथन हो रहा है। वह नयी सामजिक–आर्थिक परिस्थितयो के अनुसार अपने को ढालने का प्रयास कर रहा है। वास्तव में एक नूतन समाज के निर्माण की शुरूआत हो चुकी है जो वर्गविहीन, शोषणरहित होकर सभी को सामजिक न्याय प्रदान कर सकेगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास एवं सम्मानपूर्ण जीवन जीने का भरपूर अवसर प्राप्त हो सके।

4.9.3 कृषि विकास एवं कृषि नवाचारों/प्रौद्योगिक विकास का प्रसरण :–

आज कृषि क्षेत्र मे नयी–नयी तकनीको एवं विधियों का उपयोग हो रहा है इनमें उत्तम सिचन व्यवस्था, उत्तम किस्म के बीजो का उपयोग, नये किस्म के कृषि यन्त्रों का उपयोग, कीटनाशक दवाओं का उपयोग, उर्वरको का समुचित उपयोग तथा अनाज विपणन व्यवस्था आदि का उल्लेख किया जा सकता है। कृषि के इन क्षेत्रों में हुयी प्रगति का स्पष्टीकरण शोधकर्ता द्वारा जुलाई 1996 में किये गये सर्वेक्षण से होता है (सारणी 4 11)–

(अ) सिंचाई के साधन :–

जनपद में सिंचाई का कार्य मुख्यतः नहर, नलकूप तथा निजी नलकूपों से किया जाता है। सर्वेक्षण किये गये 262 परिवारो में से 56.87% परिवार नहरों से 24.05% नहकूपों से एवं शेष 19 08% परिवार निजी नलकूपों से फसलों की सिचाई करते है, इनमे 16.79% परिवार नहर, नलकूप, व निजी नलकूप तीनों ही साधनों से सिंचाई का कार्य करते हैं। इससे स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र की कृषि की वर्षा जल पर निर्भरता में कमी आयी है। इसके साथ ही साथ सिंचाई के पारम्परिक साधनो (तालाबों, पोखरों, कुओ) के स्थान पर नये साधनों का प्रयोग बढ़ रहा है। इसका असर कृषि उत्पादन और कृषि विकास पर भी पड रहा है। वास्तव में उन्नत किस्म के बीजों और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग पूर्णतः आश्वस्त सिंचाई के आधार पर ही किया जा सकता है।

सारणी 4 11

जनपद फतेहपुर : कृषि–विकास, 1996 (प्रतिशत)

परिवार संं0	सिंचित साधन नहर	नलकूप	निजी नलकूप	नहर नलकूप निजी नलकूप	उन्नतशील बीजों का उपयोग	कृषि यंत्रों का उपयोग ट्रैक्टर भाडे का	टैक्टर निजी	थ्रेसर	कीटनाशको का उपयोग	रासायनिक उर्वरको का उपयोग	फसल विपणन व्यवस्था स्थानीय बाजार	व्यापारी घर से
सवर्ण–71	45.07	21.13	33.80	21.13	59.15	9.86	1.41	100	85 92	90.14	1.41	67.61
पिछडी जातिया–89	44.95	32.58	22.47	38.20	48 31	6 74	–	95 51	84 27	83.15	20 25	42 70
अनुसूचित जातियां–75	66 67	25 33	6.67	11.33	32 00	9 33	–	73 33	65 33	48 00	5 33	13 33
मुस्लिम–27	92.59	–	–	15.70	18.89	37.04	3.70	92.59	92.59	92.59	–	18.52
कुल परिवार –262	56.87	24.05	19.08	16.79	50.76	77.63	0.76	90.08	79.77	75.95	2.67	38.55

स्त्रोत :– निजी सर्वेक्षण, जुलाई,1996

कुल 262 परिवारों मे सामाजिक स्तर पर किये गये सर्वेक्षण के आधार पर सवर्णो के 71 परिवारों में से 45.07% नहरों से, 21.13% नलकूपों से, 33.80% निजी नलकूपों से सिचाई का कार्य करते हैं, इनमें 21.13% परिवार ऐसे है जो नहर, नलकूप तथा निजी नलकूप तीनो सिंचाई के साधनों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार पिछडी जातियो के 89 परिवारों में से 44.95% नहरो से, 32.58% नलकूपों से, 22.47% निजी नलकूपों से सिंचाई का कार्य करते हैं, इनमें 38.20% परिवार उपर्युक्त तीनों साधनों का मिला–जुला उपयोग करते है। अनुसूचित जातियों के 75 परिवारों में से 66.67% नहरो से, 25.33% नलकूपों से, 6.67% निजी नलकूपों से सिंचाई का कार्य करते हैं, इनमें 11.33% परिवार सिचाई के मिले–जुले साधनों का उपयोग करते हैं। मुसलमानो के कुल 27 परिवारों में से 92.59% परिवार नहरों द्वारा सिंचन कार्य करते हैं। 15.70% परिवार नहर, सरकारी नलकूप तथा निजी नलकूप तीनों ही साधनों का उपयोग सिंचाई हेतु करते है, इनमें 3.71% परिवार या तो भूमिहीन है या फिर अत्यल्प भूमि होने के कारण भूमि को बटाई दे कर पूरी तरह मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते है।

सिंचाई सम्बन्धी उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा होती है। द्वितीय स्थान पर सरकारी नलकूप तथा तृतीय स्थान पर निजी नलकूप है। कृषकों में आर्थिक प्रगति के साथ–साथ निजी साधनो के प्रयोग की सम्भावना बढ रही है। चकबन्दी आदि के भूमि सुधारों से भी निजी नलकूपो की संख्या मे वृद्धि हो रही है।

(ब) उन्नतशील बीजों का उपयोग :–

कृषि क्षेत्र में सिंचित साधनों के साथ–साथ उत्तम किस्म के बीजों का उपयोग भी फसलोत्पादन की वृद्धि में महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। सामान्यतया कृषकों द्वारा घरेलू बीजों का उपयोग किया जाता है किन्तु आज कृषि क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों तथा नूतन शोधों के फलस्वरूप कृषक भी जागरूक हुआ है अतः घरेलू बीजों के स्थान पर वह प्रयोगशाला द्वारा विकसित उत्तम किस्म के बीजों के प्रयोग की तरफ उन्मुख हुआ है। गेहूँ आदि के क्षेत्र में आने वाली 'हरित क्रान्ति' पूर्णतः इन्हीं उत्तम बीजों, रासायनिक उर्वरको एवं सिंचाई का प्रतिफल है। इसका स्पष्टीकरण शोधकर्ती द्वारा जुलाई 1996 में किये कये सर्वेक्षण द्वारा संग्रहीत साक्ष्यों के विश्लेषण से भी हो जाता है। कुल 262 परिवारों में से 50.76% परिवार उन्नतशील बीजों का उपयोग कृषि में करते हैं।

उन्नतशील बीजों के उपयोग का यदि सामाजिक स्तर पर विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि सवर्णों के 71 परिवारों में से 59.15% परिवार उन्नतशील बीजों का उपयोग करते हैं जो अध्ययन क्षेत्र के औसत प्रतिशत (50.76) से अधिक है। इसी प्रकार पिछडी जातियों के 89 परिवारों में से 48.31% परिवार उन्नतशील बीजो का उपयोग करते हैं। जो औसत प्रतिशत 50.76 से मात्र

2.45% कम है। अनुसूचित जातियों के 75 परिवारो में से 32% परिवार उन्नतशील बीजों का उपयोग फसलोत्पादन वृद्धि हेतु करते हैं, जो सम्भवतः उनकी निम्न आर्थिक स्थिति का परिचायक है। मुसलमानों के 27 परिवारों मे से मात्र 18.89% परिवार उन्नतशील बीजों का उपयोग कृषि मे करते है। यह इनके निम्न आर्थिक एव शैक्षणिक स्तर तथा नवाचारों के प्रति कम ग्रहणशीलता का परिचायक है।

उपर्युक्त विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र में लोग धीरे–धीरे पारम्परिक कृषि पद्धति के स्थान पर नवीन कृषि पद्धति को अपनाने की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं। रेडियो तथा दूरदर्शन आदि जनसंचार के साधनों के प्रसार के साथ–साथ किसानों को कृषि के क्षेत्र मे होने वाले नवीनतम शोधों के बारे में जानने का अवसर मिल रहा है। यदि विकास की यह धारा अविच्छिन्न रही तो सम्भवतः प्रयोगशाला को सीधे कृषि क्षेत्र से जोडने के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत कठिनाई नहीं होगी।

(स) कृषि यन्त्रों का उपयोग :–

आज कृषि क्षेत्र मे नये–नये कृषि यन्त्रों का विकास हुआ है जिससे कृषि कार्य शीघ्रता से समय पर समाप्त करने में मदद मिली है और कृषि की मानव श्रम पर निर्भरता कम हुयी है। इन कृषि यन्त्रों में जुताई के लिए ट्रैक्टर, मडाई, के लिए थ्रेसर तथा अनाज परिवहन हेतु ट्रैक्टर का उपयोग आदि प्रमुख है। पजाब आदि के कृषि की दृष्टि से विकसित क्षेत्रों में तो कटाई के लिए हारवेस्टर का भी प्रयोग शुरू हो गया है।

अध्ययन क्षेत्र में संग्रहीत साक्ष्यो के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि यहॉ आज भी ट्रैक्टर का उपयोग बहुत कम होता है। कुल 262 परिवारो में से मात्र 7.63% परिवार ही ट्रैक्टर का उपयोग कृषि मे करते हैं तथा 92.37% परिवार आज भी कृषि कार्य में पशु शक्ति (बैल, बैलगाडी) का उपयोग करते है। निजी ट्रैक्टर उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत अत्यल्प (0.76) है। इससे जनपद की कमजोर आर्थिक स्थिति का आभास मिलता है। वास्तव में अध्ययन क्षेत्र में बहुत कम सख्या में सम्पन्न एवं बड़ी जोत वाले किसान हैं जो ट्रैक्टर खरीद सकते हैं अथवा जिनके पास ट्रैक्टर के प्रयोग हेतु पर्याप्त भूमि मौजूद है।

सामाजिक संरचना के आधार पर साक्ष्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सवर्णो के कुल 71 परिवारों में से 9.86% परिवार भाडे के ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं तथा मात्र 1.41% परिवार निजी तौर पर ट्रैक्टर के मालिक हैं। इसी प्रकार पिछडी जातियों के 89 परिवारो मे से मात्र 6.74% परिवार भाडे के ट्रैक्टर का उपयोग करते है। इनमें निजी ट्रैक्टर का अभाव मिलता है। अनुसूचित जातियों के 75 परिवारों में से मात्र 9 33% परिवार भाडे के ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। इनमें भी पिछडी जातियों की भॉति ही निजी ट्रैक्टर रखने वालो का अभाव मिलता है। मुसलमानों के कुल

27 परिवारो मे से 37.04% परिवार भाडे के ट्रैक्टर का उपयोग कृषि में करते है। इनमें 3.70% परिवारों के पास निजी ट्रैक्टर है, जिन्हे इन्होंने मध्यपूर्व आदि देशों में जाकर अर्जित पूँजी के आधार पर संग्रहीत किया है। ये लोग कृषि के साथ–साथ अन्य कार्य, जैसे– ईट भट्ठों में ईट पथाई का कार्य तथा शहरो में जाकर विभिन्न तरह की मेहनत–मजदूरी का कार्य भी करते हैं। अतः कृषि के समय घर पर केवल महिलायें एवं बच्चे ही रह जाते हैं जो ट्रैक्टर से खेत को जोतवा कर फसल की बुआई करवा देते हैं जिससे इन परिवारों को भोजन हेतु खाद्यान्न प्राप्त हो जाता है साथ ही नगर से पुरुष सदस्यों द्वारा नकद रूपया प्राप्त हो जाता है जिससे अन्य जातियों की अपेक्षा अध्ययन क्षेत्र में इनका रहन–सहन अच्छा हो जाता है।

इस विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र मे ट्रैक्टर का उपयोग यद्यपि सीमित मात्रा में ही मिलता है किन्तु इसकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वास्तव में साधारण किसान के लिए ऐसे ट्रैक्टरों को विकसित करने की जरूरत है जो सस्ते हो, जिन्हें वह आसानी से खरीद सके तथा जिसका उपयोग मध्यम आकार की जोतों में सफलता पूर्वक किया जा सके। सरकार द्वारा सहकारी समितियों के कार्यालय पर ट्रैक्टर आदि कृषि यन्त्रों को रखा जा सकता है जिसे सामान्य कृषक अल्प भाडा देकर अपने कृषि मे उपयोग कर सके।

दूसरा प्रमुख कृषि यन्त्र मडाई हेतु थ्रेसर है। सर्वेक्षण से संग्रहीत साक्ष्यों के आधार पर अध्ययन क्षेत्र मे 90.08% किसान परिवारों द्वारा थ्रेसर का उपयोग किया जा रहा है, मात्र 9.92% परिवार ही पारम्परिक ढंग से मडाई में बैलों का उपयोग करते हैं।

सामाजिक आधार पर साक्ष्य विश्लेषण से स्पस्ट होता है कि सवर्णो में पूरे–पूरे 100% परिवारों द्वारा मडाई का कार्य थ्रेसर द्वारा होता है। पिछड़ी जातियों में यह प्रतिशत 95.51, अनुसूचित जातियों मे 73.33 तथा मुसलमानों 92.59 है।

इस तरह स्पष्ट है कि कृषि यन्त्रों में थ्रेसर एक सर्वाधिक लोकप्रिय यंत्र है। इससे फसल की शीघ्र मडाई हो जाने के कारण श्रम और समय दोनो की ही बचत होती है। इससे बरसात तथा कीडों–मकोडों द्वारा होने वाले अनाज के ह्रास की मात्रा को भी कम किया जा सकता है।

(द) कीटनाशक दवाओं का उपयोग :–

आज का कृषक काफी जागरूक हो गया है। वह न केवल विभिन्न फसल की बीमारियों और कीडे–मकोडों द्वारा होने वाली क्षति को रोकने के लिए प्रयुक्त विभिन्न कीटनाशी औषधियों से परिचित हो रहा है वरन् उनका फसल रक्षा तथा अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भी प्रयोग कर रहा है। जुलाई 1996 में किये गये सर्वेक्षण से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार कुल 262 परिवारों में से 79.77% परिवार कीटाणुनाशक दवाओ का उपयोग करते हैं। केवल 30.23% परिवार ही है जो नके उपयोग के प्रति उदासीन है।

सामाजिक आधार पर आकडो के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सवर्णों के 85.92%, पिछडी जातियों के 84.27%, अनुसूचित जातियो के 65.33% एव मुसलमानों के 92.59% परिवार कीटनाशी दवाओं का प्रयोग फसल सुरक्षा हेतु करते हैं।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के कृषकों में कीटनाशी दवाओं का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ रहा है। वह फसल सुरक्षा तथा फसल से अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सतत क्रियाशील है।

(य) रासायनिक उर्वरकों का उपयोग:–

सिंचित साधनों की उत्तम व्यवस्था, उन्नतशील बीजों का उपयोग, कृषि में विभिन्न यन्त्रों का उपयोग आदि जिस तरह फसलोत्पादन वृद्धि मे सहायक है उसी तरह भरपूर फसलोत्पादन हेतु उर्वकों का उपयोग अत्यन्त आवश्यक है। जुलाई 1996 में किये गये सर्वेक्षण से प्राप्त साक्ष्यो से ज्ञात होता है कि क्षेत्र में घरेलू एवं रासायनिक दोनों ही उर्वरकों का उपयोग हो रहा है किन्तु हाल के वर्षो में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग मे वृद्धि हुयी है। अध्ययन क्षेत्र के कुल 262 चयनित परिवारो मे से 75.95% परिवार रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं।

सामाजिक आधार पर विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि सवर्णों के 71 परिवारों में से 90 14% परिवार रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं। पिछडी जातियों में यह प्रतिशत 83. 15 अनुसूचित जातियों में 48 तथा मुसलमानों में 92 59 मिलता है।

इस विवरण से स्पष्ट है कि सवर्ण, पिछडी जाति और मुस्लिम कृषकों द्वारा रासायनिक उर्वरकों का प्रतिशत जनपदीय औसत (75.95) से काफी अधिक है परन्तु अनुसूचित जातियों में आज भी इनका उपयोग कम (48%) हो रहा है। इसका प्रमुख कारण इनमें आर्थिक विपन्नता का पाया जाना है जिसके कारण ये महगें उर्वरकों का उपयोग नहीं कर पा रहे है।

(र) फसल विपणन व्यवस्था :–

यहाँ अनाज विपणन से तात्पर्य मुख्यतः कृषकों द्वारा अनाज के विक्रय से सम्बन्धित है। जुलाई 1996 के सर्वेक्षण से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार अधिकांश कृषकों का फसलोत्पादन पारिवारिक भरण–पोषण के लिए ही प्रयोग किया जाता है। जो भी कुछ कृषक फसल का विक्रय करते है वे दो माध्यम से करते हैं, प्रथम–स्थानीय बाजार में फसल ले जाकर विक्रय करते है, द्वितीय –व्यापारी कृषक के घर से आकर अनाज क्रय करके ले जाता है। यह द्वितीय व्यवस्था ही अध्ययन क्षेत्र में अधिक प्रचलित देखी जाती है। प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार मात्र 2.67% परिवार ही ऐसे हैं जो स्थानीय बाजार में जाकर अपने कृषि उत्पादन का स्वयं विक्रय करते हैं जबकि 38.55% कृषक परिवार ऐसे हैं जिनके गृह से स्वयं व्यापारी क्रय करके ले जाते है। सामाजिक आधार पर विश्लेषण करने से

स्पष्ट होता है कि सवर्णों के मात्र 1.41% कृषक परिवार स्थानीय बाजार में फसल विक्रय करते हैं जबकि 67.61% कृषक परिवारों के घर से व्यापारी स्वयं फसल क्रय करके ले जाते हैं। पिछडी जातियों में यही प्रतिशत क्रमशः 20.25 और 42.70 तथा अनुसूचित जातियों में 5.33 और 13.33 मिलता है जबकि मुसलमानों में 18.85% कृषक परिवारों के यहाँ से व्यापारी स्वयं फसल क्रय करके ले जाते है, इनमें स्थानीय बाजार में फसल विक्रय का अभाव मिलता है।

इससे स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के 41.22% कृषक परिवार फसलों का विक्रय करते हैं तथा शेष 58.78% कृषक परिवार ऐसे हैं जिनकी आयाधिक्य नहीं है और वे सिर्फ किसी तरह पारिवारिक भरण–पोषण हेतु ही अनाज उत्पादित कर पाते हैं।

इस विवरण से ज्ञात होता है कि जनपद के कृषि क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप कृषक अपने भरण–पोषण से अतिरिक्त भी फसलोत्पादन कर रहे हैं। फलत उनके जीवन स्तर में उन्नयन हुआ है और भविष्य में इसमें और अधिक प्रगति की सम्भावना है।

REFERENCES :

Athawale, A.G. 1966 : Some New Methods of Crop Combination, Geograhical Review of India, Vol. 28, No.4, p 29-30.

Ayyar, N.P. 1969 : Crop Combination Regions of Madhya Pradesh : A Study and Methodology, Geographical Review of India, Vol. 31, No.1, p. 15.

Banerjee, B. 1964 : Changing Crop Land of west Bengal, Geographical Review of India, Vol. 24, No 1.

Buck, J. L. 1976 : Land Utilization in China, Vol.1, University of Nonking.

Chauhan, V.S. 1971 : Crop Combination in the Jamuna Hindotract, Geographical Observer, Vol. 8, pp. 66-72.

Coppack, J.T 1964 : Crop, Live Stock Enterprise Combination in England and Wales, Economic Geography, Vol. 40, pp. 65-81.

Datt, D. 1988 : Changing Pattern of Landuse in the Bino Basin U.P. Himalya National Geographer Vol. 13, No. 2, p. 157.

Doi, Kirkikazu, 1957 : The Industrial Structure of Japanese Prefectures, Tokyo, Proceeding of International Geographical Union, Regional Conference in Japan, pp 310-316.

Johnson, B.L.C. 1958 : Crop Combination Regions in East Pakistan, Geography, Vol. 43. pp. 86-103.

Jones, W.D. and Finch 1925 : Detailed Field Mapping of American Cities, Geographer. Vol. 15.

Marsh, G.P. 1864 : Man and Nature, Physical Geography as Modified by Human Action, NewYork.

Nityanand, 1972 : Crop Combination on in Rajasthan, Geographical Review of India. Vol. 34, No.1, pp. 46-60.

Pownall, L.L. 1953 : The Functions of Newzealand Towns, Annals of the Asociation of American Geographers, Vol. 43, pp. 332-350.

Roy, K. 1989 : Fatehpur District : A Study in the Rural Settlement Geography, Unpublished D. Phil. Thesis, Geography Department, Allahabad University, p. 42

Saur, C O. 1919 . The Utilization of Land, Geographical Review, Vol 4, NewYork.

Shafi, M 1962-1972 · Measurement of Agricultural Productivity of Great Plains, The Geographer, Vol 36, pp 296-305.

Sharma, T C. 1972 Pattern of Crop Land use in Utter Pradesh, Deccan Geographer, Vol 1. pp 1-17

Singh, Harpal 1965 . Crop Combination Regions in the Malwa Tract of Panjab, Deccan Geographer, Vol. 3, No. pp. 21-30.

Singh, R L and Singh, K.N 1968 · Eastern Uttar Pradesh in India : A Regional Studies, Edited by R L Singh (Culcutta . Indian National Committee for Geography), p 87.

Stamp, D. 1962 The Land of Britain, Its Use and Misuse, III Edition London

Thomas, D. 1963 Agriculture in Wales, During the Nepoleonic War, Wales University press, pp. 80-81

Tripathi, V B and Agrawal, V 1968 Changing Pattern of Crop Landuse in the Lower Ganga- Yamuna Doab, The Geographer, Vol. 15, pp. 128-140.

Weaver, J.C 1954 Crop Combination Regions in the Middle West, The Geographical Review, Vol. 41, pp 175-200.

कुरूक्षेत्र अगस्त 1994 : ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली, अंक 10, अगस्त, पृ0 11.

तिवारी, रामचन्द्र एवं सिंह ब्रह्मानन्द, 1998 . कृषि भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पृ0 364

समाजार्थिक समीक्षा, जनपद फतेहपुर, 1994 -95, संख्या प्रभाग, राज्यनियोजन संस्थान, उ0 प्र0, पृ0 6

सिह, वृजभूषण, 1988 : कृषि भूगोल, ज्ञानोदय प्रकाशन, गोरखपुर, पृ0 151.

अध्याय 5
औद्योगिक विकास एवं सामाजिक—आर्थिक रूपान्तरण

5.1 प्रस्तावना :—

आर्थिक सम्पन्नता एव समृद्धि के लिए औद्योगिक विकास आवश्यक है। आज विश्व में वही देश विकसित माने जाते है जहॉ पर औद्योगीकरण अत्यधिक हुआ है। औद्योगीकरण देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, उसके स्तर को ऊँचा करने तथा उसमें सतुलन स्थापित करने मे सहायक होता है (बुचानन एव इलिस, 1980, पृ0 105)। 'उद्योग' का शब्दार्थ 'उद्यम' होता है किन्तु यहॉ पर इसका आशय वस्तु के उत्पादन से है। मनुष्य के अभियान्त्रिकी प्रक्रिया में हस्त कौशल द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन या वस्तुओ का रूपान्तरण उद्योग है। इसीलिए इसके अन्तर्गत अतिसूक्ष्म, जैसे—सूई से लेकर अतिविशाल जलयान,वायुमान, उपग्रह और मिशाइल इत्यादि का निर्माण सभी कुछ सम्मिलित है। आज राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, आर्थिक क्षेत्रों के मध्य सतुलन स्थापित करने, बेरोजगारी दूर कर आर्थिक—सामाजिक स्तर को उन्नत करने के लिए उद्योगो का सतत विकास किया जा रहा है। फतेहपुर जनपद कानपुर के औद्योगिक क्षेत्र और इलाहाबाद के नगरीय क्षेत्र के मध्य स्थित होने के बावजूद औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक पिछडा हुआ है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से वर्गीकृत जनपदों में फतेहपुर जनपद 'अ' श्रेणी के जनपदों अर्थात सबसे पिछड़े जनपदों की श्रेणी में आता है (औद्योगिक प्रेरणा, फतेहपुर, 1990—91, पृ0 14)। प्रस्तुत अध्याय मे फतेहपुर जनपद में औद्योगीकरण के विभिन्न आयामों के साथ—साथ औद्योगिक विकास के ग्रामीण समाज मे होने वाले सामाजिक—आर्थिक रूपान्तरण पर प्रभाव का विवेचन किया गया है।

5.2 औद्योगिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :—

फतेहपुर जनपद को एक उद्योग शून्य जनपद की श्रेणी में रखा गया है। यही कारण है कि यहॉ स्थापित किये जाने वाले उद्योगों को विशेष सुविधाये प्रदान की जाती है, जैसे—25% केन्द्रीय पूँजी उपादान, मार्जिन मनी ऋण तथा नियन्त्रित एवं दुर्लभ कच्चामाल उपलब्ध कराया जाना आदि। उत्तर प्रदेश विकास निगम द्वारा मलवां में औद्योगिक आस्थान तथा जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड में एक—एक मिनी औद्योगिक आस्थान स्थापित किये जा रहे हैं। बिन्दकी रोड (जिसे चौडगरा के नाम से भी जाना जाता है) तथा बरौरा नामक ग्राम दोनों ही मलवां विकासखण्ड मे हैं। इन दोनों ही स्थानों में औद्योगिक आस्थान स्थापित किये जा चुके हैं। इस प्रकार जनपद में औद्योगिक विकास हेतु सतत प्रयास किये जा रहे हैं। ऐतिहासिक विकास पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि जनपद में पहले भी उद्योग विकसित थे किन्तु ये बिखरे हुए तथा

अति लघु पैमाने पर थे। दलेल उल्ला खॉ तहसीलदार फतेहपुर के हस्तलेख सन् 1850 से ज्ञात होता है कि उस समय अध्ययन क्षेत्र के जहानाबाद नगर मे कोडा (चाबुक), खजुहा में तीर कमान, आविदगढ और किशुनपुर में छीट, फर्श, पलगपोश आदि बहुत अच्छे बनते थे। कोट के कसगर, अमरोहा की भॉति मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कोडा जहानाबाद में रकाबी और मिट्टी के ढोता बनते थे। मयदा सराय, शिवराजपुर, चुरियानी और फतेहपुर में शोरा की मण्डियां थीं।

इसके बाद अध्ययन क्षेत्र के तत्कालीन कलेक्टर एफ0 एस0 ग्राउस का 1885–86 में लिखा हुआ उद्योग का ऐतिहासिक विवरण मिलता है। ग्राउस ने कला की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि फतेहपुर नगर में भी पुराने भारतीय ढंग से बांस की छडी के कोड़ा (चाबुक) बनते थे। इनमें कुछ कोडो चॉदी के मुट्ठे वाले तथा कुछ सुनहरे धागे वाले भी होते थे। इन कोडो को सन् 1911 में इलाहाबाद प्रदर्शनी में रखा गया, जहॉ इन्हें बहुत सराहा गया था। दूसरा कलापूर्ण उद्योग छपाई का था। ग्राउस महोदय ने जाफरगंज के पलंगपोशों की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि इनका आलेखन बहुत ही सुन्दर एवं कलापूर्ण था। कलम से डिजाइन बनाई जाती थी तथा किनारे पारस शैली के होते थे। ये पलंगपोश सन् 1886 में लखनऊ तत्पश्चात इण्लैंण्ड की प्रदर्शनी में बहुत सराहे गये। वस्त्र की छपाई–रंगाई, किशुनपुर में होती थी जहॉ छपाई करने वालो के 20 घर थे। इस समय इन स्थानों पर छपाई का काम बन्द हो गया है। तीसरा उल्लेख गंजीफा का दिया है, जिसे खजुहा के मीरगाजी बहुत सुन्दर बनाते थे। गंजीफा बनाने का कार्य भी अब समाप्त हो गया है। इनके अतिरिक्ति खजुहा, जहानाबाद और बिन्दकी में धातु के बर्तन, दरियाबाद, कल्यानपुर और बिल्लौर में ताला, जहानाबाद में सूतफेनी, कसरांव मे सरौता बनाये जाने का उल्लेख मिलता है। चमडे के जूते 20–25 वर्ष पूर्व तक बसौनापुर मे बनते थे जिन्हें कृषकगण बहुत पसन्द करते थे। वर्तमान समय में फतेहपुर में 69 हस्तकला उद्योग भी चल रहे है जिनमें 29 हस्तकला उद्योग 1986–87 में ही स्थापित किये गये हैं (प्रगति चक्र, फतेहपुर, 1987, पृ0 22–23)।

1951 के जनगणना (Cencus, 1951) के आधार पर जनपद में केवल 10 पंजीकृत कारखाने थे जिसमें 6 कारखाने चावल और आटे के, 2 स्वदेशी ढंग से चीनी बनाने के, 1 मोटरवाहन की मरम्मत तथा 1 चर्म उद्योग के प्रशिक्षण में संलग्न थे। सन् 19961 में जनपद में कुल 2,845 कारखाने और दुकाने (Work Shops) थे, इनमें पंजीकृत और बिना पंजीकृत किये हुए दोनों ही प्रकार के कारखाने शामिल थे। इनमें 2,290 ग्रामीण क्षेत्रो में और 555 नगरीय क्षेत्र में स्थित थे जबकि उत्तर प्रदेश सरकार का प्रत्येक जनपद के लिए 4,460 कारखाने का औसत था। इस प्रकार फतेहपुर जनपद में 2,845 कारखाने औद्योगीकरण की दृष्टि से जनपद के पिछडे होने का प्रतीक है। जनपद में विभिन्न प्रकार के उद्योगों में सन् 1975 में निम्नलिखित प्रकार का औद्योगिक विकास दृष्टिगत होता है (जिला गजेटियर, फतेहपुर, 19980, पृ0 89–93)–

इंजीनियरिंग एवं धातु उद्योग :–

इनमें कृषि उपकरण, रसोई के बर्तन, स्टील फर्नीचर, प्रेस बटन, घिरनी या चरखी और माप तौल के बांट आदि की 93 इकाइयॉ जनपद के नगरीय क्षेत्रों– फतेहपुर, बिन्दकी, खागा, जहानाबाद और विजयनगर में कार्यरत थे, इनमें 602 श्रमिक संलग्न थे।

रसायन और सहायक उद्योग :–

इनमें साबुन, दन्त मंजन, मोमबत्ती, वैक्स और स्याही आदि की 48 इकाइयॉ सम्मिलित हैं जो फतेहपुर, खागा, बिन्दकी, जहानाबाद, बहुआ और हथगॉव में स्थापित थी, इनमें 176 श्रमिक कार्यरत थे।

परिशोधन उद्योग :–

जनपद में बड़ी संख्या में लघु स्तरीय उद्योग के रूप में धान, गेहूँ, अरहर, चना, मूँग, मसूर, उडद, गन्ना और लाही आदि को संशोधित करने की मिलें पायी जाती हैं। चावल, आटा, दाल, खाण्डसारी और तेल 118 इकाइयो द्वारा उत्पादित होता था, इनमें 678 श्रमिक कार्यरत थे। ये सभी इकाइयां फतेहपुर, खागा, बिन्दकी और जहानाबाद में स्थापित थी।

लकड़ी उद्योग :–

इनमें लकड़ी के फर्नीचर, बल्ली, तराजू का डण्डा (Beam)] दरवाजे,खिड़कियां और गाडी (बैलगाड़ी) आदि के निर्माण में 48 इकाइयां थीं जो फतेहपुर, खागा, बिन्दकी, जहानाबाद, ललौली और किशुनपुर मे कार्यरत थीं, इनमें 228 श्रमिक संलग्न थे।

चमड़ा उद्योग :–

इसके अन्तर्गत जूता, झोला, बटुआ आदि चमड़े के सामानों के उत्पादन की 19 इकाइयां कार्यरत थीं जो फतेहपुर, बिन्दकी, खागा, कोरा, अल्लीपुर और थरियांव में स्थापित थीं, इनमें 274 श्रमिक कार्यरत थे।

ईंट भट्ठा उद्योग :–

इनकी कुल 53 इकाइयां क्रमश फतेहपुर, खागा, बिन्दकी, जहानाबाद, बहुआ, भिटौरा, हुसैनगंज और हसवा में स्थापित थीं, इनमें 2,254 श्रमिक संलग्न थें।

बुनाई उद्योग :–

इनमें होजरी सामान, हैण्डलूम वस्त्र और बिस्तरबन्द आदि निर्माण की 17 इकाइयां क्रमशः

बिन्दकी, चक और बुढवा में स्थापित थी जिनमें 574 श्रमिक कार्यरत थे।

अन्य उद्योग :-

इन उद्योगों के अतिरिक्त साइकिल और रिक्शे के फ्रेम, आटोमोबाइल के लिए लैम्प, सुरखी, हॉथ के बने हुए पेपर और फाइल कवर, रेडियो और ट्राजिस्टर के सेट इकट्ठा करने, फाउन्टेन पेन, प्लास्टिक सामान, पाइप, माप तौल बाट और साइकिल पार्ट्स आदि की विभिन्न इकाइयों को मिलाकर जनपद में कुल 70 इकाइयां अन्य उद्योगों के अन्तर्गत कार्यरत थीं। ये सभी मलवां, बहेरा, असोथर, तेलियानी, हसवा, भिटौरा, ऐरायां, अमौली, विजयीपुर, फतेहपुर, खागा, बिन्दकी, जहानाबाद और गाजीपुर में स्थापित थीं, इनमें 1975 तक 1,758 श्रमिक संलग्न थे।

ध्यातव्य है कि अध्ययन क्षेत्र में सन् 1978 में जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना के साथ ही औद्योगिकरण का विकास प्रमुख रूप से अभिसरित हो रहा है।

5.3 उद्योगों का वर्गीकरण :-

उद्योगों की परिभाषा समय-समय पर परिवर्तित होती रही है। इसीलिए भिन्न-भिन्न समय में औद्योगीकरण हेतु नयी-नयी औद्योगिक नीति बनती रही है। प्रस्तुत औद्योगिक वर्गीकरण नवीनतम औद्योगिक नीति (1990)के आधार पर किया गया है।

5.3.1 बृहद एवं मध्यम स्तरीय उद्योग :-

वे उद्योग जिनमें 2 करोड रू0 से अधिक पूँजी विनियोजित होती है, बृहद स्तरीय उद्योग कहलाते है। इसी प्रकार वे उद्योग जिनमें 60 लाख रू0 से 2 करोड़ रू0 तक पूँजी विनियोजित होती है उन्हें मध्य स्तरीय उद्योग कहा जाता है। ऐसी औद्योगिक इकाइयां डाइरेक्टर जनरल, टेक्निकल डेवलपमेन्ट एवं केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती हैं। इन उद्योगों का नियमन केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित की गयी नीतियों के अन्तर्गत और समय-समय पर घोषित लाइसेन्सिंग प्रक्रियाओं द्वारा होता है।

5.3.2 लघु स्तरीय उद्योग :-

ऐसी औद्योगिक इकाइयां जिनकी मशीनरी एवं सयम में विनियोजित धन 60 लाख रू0 तक या इससे कम होता है, लघु स्तरीय उद्योग के अन्तर्गत आते हैं। इनका पंजीकरण महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/खादी ग्रामोद्योग संगठन द्वारा होता है।

5.3.3 पूरक उद्योग :-

ऐसे उद्योग जिनमें स्थिर परिसम्पत्तियों के रूप में, यन्त्र एवं संयन्त्र पर कुल 75 लाख रू0 से

सारणी 5.1

जनपद फतेहपुर : खादी/ग्रामोद्योग से सम्बन्धित उद्योग

1.	ग्रामीण चर्म उद्योग	2.	अनाज दाल प्रशोधन
3.	ग्रामीण काष्ठ कला उद्योग	4.	ग्रामीण लौह कला उद्योग
5.	साबुन उद्योग	6.	ताड़ गुड़ उद्योग
7.	रेशा उद्योग	8	ग्रामीण तेलघानी उद्योग
9.	कुटीर दियासलाई उद्योग	10.	गड तथा खांडसारी उद्योग
11.	फल संरक्षण उद्योग	12.	कुटीर चूना उद्योग
13.	मधुमक्खी पालन	14.	अगरबत्ती उद्योग
15.	बांस तथा बेंत उद्योग	16	गोबर गैस
17.	अल्युमिनियम के घरेलू बर्तन बनाना	18.	हस्त निर्मित कागज उद्योग
19.	नलसाजी	20.	धोबी, नाई, सिलाई उद्योग
21.	गोंद उत्पादन उद्योग	22.	डीजल इंजन मरम्मत
23.	विद्युत उपकरण तथा मरम्मत	24.	रेग्जीन पी. वी. सी. उद्योग
25.	लाख उत्पादन उद्योग	26.	कत्था उत्पादन उद्योग
27.	औषधि प्रयोजनों हेतु वनों तथा जंगली जड़ी–बूटियों के संग्रह उद्योग		

स्रोत :– औद्योगिक–प्रेरणा, जिला उद्योग केन्द्र, फतेहपुर, 1990–91, पृ0 25 एवं 47

कम की पूँजी विनियोजित हो तथा जो अपने उत्पादन से अन्य वस्तुओं के उत्पादनार्थ दूसरी इकाइयों को अपने कुल उत्पादन या सेवाओ का 50% भाग दे रहे हों, पूरक उद्योग हैं, किन्तु ऐसे पूरक उद्योग सिर्फ वे ही होते हैं जो किसी अन्य अधिष्ठान का सहायक उपक्रम या उसके स्वामित्व अथवा नियन्त्रण में न हों। ये पूरक उद्योग भी लघु उद्योग के अन्तर्गत आते हैं।

5.3.4 लघुत्तर उद्योग :–

वे उद्योग जिनमें 2 लाख रू0 तक की पूँजी का विनियोजन प्लान्ट एवं मशीनरी के रूप किया गया हो, उन्हें लघुत्तर उद्योग माना जाता है। वर्तमान समय में भारत सरकार इस विनियोजन सीमा को 5 लाख रू0 तक किये जाने पर विचार कर रही है।

5.3.5 खादी एवं ग्रामोद्योग :–

औद्योगिक इकाइयां जिनका निर्धारण खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा होता है, खादी एवं ग्रामोद्योग कहलाते हैं। इन्हें 10,000 से कम जनसख्या वाले ग्रामों में लगाया जाता है। इसके अन्तर्गत आने वाले उद्योगों को सारणी 5.1 में प्रदर्शित किया गया है।

5.4 औद्योगिक विकास का स्थानिक प्रतिरूप :–

जैसा कि पूर्वोल्लिखित है कि जनपद फतेहपुर औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। इसके पिछड़ेपन का मुख्य कारण इसका दो विकसित महानगरों के मध्य स्थित होने के साथ–साथ जनपद में औद्योगिक कार्य–कलापों हेतु वांछित कच्चे माल का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध न होना तथा कुशल कारीगरों का अभाव है। अर्थात ये महानगर इस क्षेत्र से कच्चे माल का दोहन कर लेते हैं तथा कुशल कारीगर भी इन्हीं महानगरों में पलायन कर जाते हैं किन्तु वर्तमान समय में विभिन्न राज्य स्तरीय एवं केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण आज यह जनपद भी उद्योग की दिशा में अभिसरित हो रहा है और आशा है कि निकट भविष्य में यह जनपद भी अपना औद्योगिक स्थिति में अभीप्सित प्रगति करने में समर्थ हो सकेगा। जनपद के कुछ प्रमुख वृहद, मध्य में एवं लघु/लघुस्तरीय उद्योग चित्र 5.1 प्रदर्शित किये गये हैं। अध्ययन क्षेत्र में औद्योगिक विकास का स्थानिक प्रतिरूप अग्रलिखित है (सारणी 5.2 एव 5.3)–

5.4.1 पारिवारिक/कुटीर उद्योग :–

पारिवारिक उद्योगों के अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग द्वारा स्थापित की जाने वाली इकाइयां आती हैं। 1988–89 से 1994–95 तक खादीग्रामोंद्योग द्वारा स्थापित की गयी औद्योगिक इकाइयां तथा दस्तकारी इकाइयों का विस्तृत विवरण निम्नवत है–

सारणी 5.2

जनपद फतेहपुर · उत्तर प्रदेश ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्थापित इकाइया वर्ष 1988–89 से 1994–95

(धनराशि लाख रुपयों में)

विकासखण्ड	1988–89			1989–90			1990–91			1991–92			1992–93			1993–94			1994–95			कुल याग		
	इकाइया	पूँजी	रोजगार	इकाइया	पूँजी	रोजगार	इकाइया	पूँजी	रोजगार	इकाइया	पूँजी	रोजगार	इकाइया	पूँजी	रोजगार	इकाइया	पूँजी	रोजगार	इकाइया	पूँजी	रोजगार	इकाइया	पूँजी	रोजगार
1. देवमई	22	1.43	44	24	1 495	46	24	1 68	48	26	1.95	52	28	2 24	56	29	2 465	58	31	3 10	62	184	14 36	366
2. मलवा	22	1.43	44	23	1 495	46	24	1 68	48	26	1 95	52	28	2 24	56	29	2 465	58	31	3 10	58	183	14 43	368
3 अमौली	22	1 43	44	23	1.495	46	24	1 68	48	25	1 875	50	28	2 24	56	29	2 465	58	30	3 10	62	181	14 185	364
4 खजुहा	22	1 43	44	23	1 495	46	24	1 68	48	25	1 875	50	27	2 16	54	29	2 465	58	31	3 10	58	181	14 205	362
5 तेलियानी	22	1 43	44	23	1 56	48	25	1 75	50	26	1 95	52	28	2 24	56	30	2.55	60	31	3 10	62	186	14 58	372
6. भिटौरा	22	1.43	44	23	1 495	46	24	1 68	48	26	1 95	52	28	2.24	56	29	2 465	58	31	3 10	62	183	14 36	366
7. हसवा	22	1.43	44	23	1.495	46	24	1.68	48	25	1.875	50	28	2.24	56	29	2.465	58	30	3.10	62	181	14 185	364
8. बहुआ	22	1.43	44	23	1.495	46	24	1 68	48	25	1.875	50	28	2.24	56	29	2.465	58	31	3.10	62	182	14.285	364
9. असोथर	22	1.43	44	23	1.495	46	24	1 68	48	25	1.875	50	28	2 24	56	29	2.465	58	30	3.10	62	181	14 185	362
10.हथगॉव	22	1.43	44	23	1.495	46	24	1 68	48	25	1.875	50	27	2.16	54	29	2.465	58	31	3.10	58	181	14 205	362
11.ऐरायां	22	1.43	44	23	1.495	46	25	1.75	50	26	1.95	52	28	2.24	56	29	2 465	58	31	3.10	58	184	14 43	368
12.विजयीपुर	22	1 43	44	23	1.495	46	24	1 68	48	25	1.875	50	27	2.16	54	29	2.465	58	31	3.10	58	181	14 205	362
13.धाता	22	1 43	44	23	1.495	46	24	1.68	48	25	1.875	50	27	2 16	54	29	2 465	58	31	3 10	58	181	14.205	362
जनपद	286	18.59	572	300	19 50	600	314	22 05	628	330	24.75	660	360	28 80	720	378	32 13	756	400	40 30	782	2,369	185 82	4,740

स्रोत :– एक्शन प्लान, जिला उद्योग केन्द्र, फतेहपुर, वर्ष 1988–89 से 1994–95, पृ0 30

सारणी 5 3

जनपद फतेहपुर : दस्तकारी इकाइयां, वर्ष 1998—89 से 1994—95

क्रम	विकासखण्ड	1988—89	1989—90	1990—91	1991—92	1992—93	1993—94	1994—95	कुल योग
1.	फतेहपुर शहर	40	40	40	40	40	40	40	280
2.	बिन्दकी शहर	40	40	40	40	40	40	40	280
3.	देवमई	40	40	40	40	40	40	40	280
4.	मलवां	40	40	40	40	40	40	40	280
5.	अमौली	40	40	40	40	40	40	40	280
6.	खजुहा	40	40	40	40	40	40	40	280
7.	तेलियानी	40	40	40	40	40	40	40	280
8.	भिटौरा	40	40	40	40	40	40	40	280
9.	हसवा	40	40	40	40	40	40	40	280
10.	बहुआ	40	40	40	40	40	40	40	280
11.	असोथर	40	40	40	40	40	40	40	280
12.	हथगाँव	40	40	40	40	40	40	40	280
13.	ऐरायां	40	40	40	40	40	40	40	280
14.	विजयीपुर	40	40	40	40	40	40	40	280
15.	धाता	40	40	40	40	40	40	40	280
	योग जनपद	600	600	600	600	600	600	600	4,200

स्रोत :— एक्शन प्लान, जिला उद्योग केन्द्र, फतेहपुर, वर्ष 1988—89 से 1994—95, पृ0 32

(अ) देवमई विकासखण्ड :–

उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड द्वारा देवमई में 1988–89 से 1994–95 तक कुल 183 इकाइयां स्थापित की गयीं, इनमें 64.36 लाख रू0 का विनियोजन हुआ तथा 366 लोगों के लिए रोजगार का सृजन हुआ। सारणी 5.2 के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि यहाँ पर 1988–89 से 1994–95 तक स्थापित इकाइयों में प्रतिवर्ष निरन्तर वृद्धि हुई है।

(ब) मलवां विकासखण्ड :–

उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड द्वारा मलवां विकासखण्ड में कुल 184 इकाइयां स्थापित की गयी। इनमें 14.43 लाख रू0 का विनियोजन किया गया है जिससे कुल 368 व्यक्तियों को रोजगार मिला है। यहाँ पर भी देवमई की भाँति सन् 1988–89 से 1994–95 तक प्रतिवर्ष स्थापित इकाइयों की संख्या, विनियोजित धनराशि तथा लोगों की रोजगार मे संलग्नता की संख्या में शाश्वत वृद्धि हुयी है।

(स) अमौली विकासखण्ड :–

उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड द्वारा अमौली विकासखण्ड में 1988–89 से 1994–95 तक कुल 181 इकाइयां स्थापित की गयी। इनको स्थापित करने में 14.185 लाख रू0 की लागत आयी तथा 362 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सका। यहाँ भी प्रतिवर्ष स्थापित इकाइयों की संख्या तथा विनियोजित धनराशि और लोगों के लिए प्रतिवर्ष उपलब्ध रोजगारों के अवसरों में निरन्तर वृद्धि हुयी है।

(द) खजुहा विकासखण्ड :–

उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड द्वारा यहाँ पर 1988–89 से 1994–95 तक कुल 181 इकाइयां स्थापित की गयी। इनमें 14.205 लाख रू0 का विनियोजन हुआ है तथा 362 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस विकासखण्ड में भी अन्य विकासखण्डों की भाँति स्थापित इकाइयों की संख्या, विनियोजित धनराशि और रोजगार उपलब्धता में वृद्धि हुयी है।

(य) तेलियानी विकासखण्ड :–

उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड द्वारा पारिवारिक उद्योगों को बढ़ावा देने की दृष्टि से इस विकासखण्ड में कुल 186 इकाइयां स्थापित की गयी। इनमें 14.58 लाख रू0 का विनियोजन किया गया तथा इनके माध्यम से कुल 372 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। सारणी 5.2 से स्पष्ट है कि यहाँ भी 1988–89 से 1994–95 तक की समयावधी में प्रतिवर्ष स्थापित इकाइयों, विनियोजित

धनराशि तथा उपलब्ध रोजगार श्रमिकों की संख्या मे बढोत्तरी हुयी है।

(र) भिटौरा विकासखण्ड :–

उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड द्वारा 1988–89 से 1994–95 तक इस विकासखण्ड में कुल 183 औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किया गया जिनमे 14.36 लाख रू0 विनियोजित किये गये। इन इकाइयो के द्वारा कुल 366 लोगों को रोजगार दिलाया गया। यहाँ पर भी स्थापित इकाइयों की सख्या, विनियोजित धनराशि और रोजगार श्रमिकों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हुयी है।

(ल) हसवा विकाखण्ड :–

उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड द्वारा स्थापित की जाने वाली इकाइयों की योजना के अन्तर्गत 1988–89 से 1994–95 तक कुल 181 इकाइयां स्थापित की गयी जिनमें 14.185 लाख रू0 की लागत आयी तथा 364 लोगों को रोजगार दिलाया गया। यहॉ पर भी प्रतिवर्ष स्थापित इकाइयों में निरन्तर वृद्धि हुयी है साथ ही साथ श्रमिको की संख्या में भी वृद्धि हुयी है।

(व) बहुआ विकासखण्ड :–

उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड द्वारा जनपद में पारिवारिक उद्योगों को बढ़ावा देने की दृष्टि से बहुआ में 1988–89 से 1994–95 तक कुल 182 इकाइयां स्थापित की गयी जिनमें 14.285 लाख रू0 की लागत आयी तथा 364 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इस विकासखण्ड में भी प्रतिवर्ष स्थापित इकाइयो की संख्या, विनियोजित धनराशि तथा श्रमिकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुयी है।

(श) असोथर विकासखण्ड :–

उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड द्वारा असोथर विकासखण्ड में 1988–89 से 1994–95 तक कुल 181 इकाइयां स्थापित की गयीं। इनकी स्थापना में 14.185 लाख रू0 की लागत आयी तथा कुल 362 लोगों के रोजगार की व्यवस्था हुयी। इस विकासखण्ड में भी प्रतिवर्ष स्थापित इकाइयों की संख्या में बढोत्तरी हुयी है तथा विनियोजित धनराशि और रोजगार प्राप्त श्रमिकों की संख्या में भी प्रतिवर्ष वृद्धि हुयी है।

(ष) हथगाँव विकासखण्ड :–उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड द्वारा 1988–89 से 1994–95 तक कुल 181 इकाइया स्थापित की गयी। इनको स्थापित करने में कुल 14.205 लाख रू0 का विनियोजन किया गया। इनसे कुल 362 लोगों को रोजगार दिलाया गया। इस विकासखण्ड में भी अन्य विकासखण्डों की ही तरह प्रतिवर्ष स्थापित इकाइयों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुयी है तथा विनियोजित राशि

और श्रमिकों की संख्या मे भी निरन्तर बढोत्तरी देखी गयी है।

(स) ऐरायां विकासखण्ड :–

उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड द्वारा पारिवारिक उद्योगों को समृद्ध बनाने के दृष्टिकोण से ऐरायां विकासखण्ड में 1988–89 से 1994–95 तक कुल 184 इकाइयों की स्थापना की गयी। इनमें कुल 14 43 लाख रू0 का नियोजन किया गया और 368 लोगों को रोजगार दिलाया गया। अन्य विकासखण्डों की ही तरह यहॉ पर भी स्थापित की गयी इकाइयों की संख्या, धनराशि और रोजगार उपलब्ध लोगों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हुयी है।

(ह) विजयीपुर विकासखण्ड :–

उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड द्वारा 1988–89 से 1994–95 तक यहॉं पर कुल 181 इकाइयां स्थापित की गयी जिनमें 14 205 लाख रू0 का विनियोजन हुआ। इनसे कुल 362 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। यहॉ पर भी प्रतिवर्ष स्थापित इकाइयों की संख्या, विनियोजित धनराशि और उपलब्ध कराये गये रोजगारो की संख्या मे निरन्तर वृद्धि हुयी है।

(क्ष) धाता विकासखण्ड :–

उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड द्वारा 1988–89 से 1994–95 तक धाता विकासखण्ड में कुल 181 इकाइया स्थापित की गयी जिनमें 14 205 लाख रू0 का विनियोजन हुआ जिससे कुल 362 लोगों को रोजगार सृजित किया गया। यहॉ पर भी अन्य सभी विकासखण्डों की ही तरह प्रतिवर्ष इकाइयो की संख्या में बढोत्तरी हुयी है और स्थापित की गयी इकाइयों की विनियोजित धनराशि में भी प्रतिवर्ष वृद्धि हुयी, साथ ही साथ ही प्रतिवर्ष रोजगार प्राप्त श्रमिकों की संख्या में भी वृद्धि हुयी है।

इस तरह सारणी 5.2 से स्पष्ट है कि पारिवारिक उद्योगों को बढावा देने की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश से खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जनपद फतेहपुर के सभी 13 विकासखण्डों में 1988–89 से 1994–95 तक कुल 2,369 इकाइयां स्थापित की गयी है। इनकी स्थापना में कुल 185.82 लाख रू0 का विनियोजन किया गया और इन समरत इकाइयों द्वारा 4,740 श्रमिकों को रोजगार दिलाया गया। स्मरणीय है कि इन पारिवारिक उद्योगों में सलग्न खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्थापित इकाइयों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनमें ग्रामीण तेलघानी, कुम्हार गिरी, बढ़ई गिरी, लोहार गिरी, हथकरघा, मधुमक्खी पालन, फल संरक्षण, अनाज–दाल प्रशोधन, दियासलाई, ग्रामीण चर्मद्योग, ताड गुड उद्योग, अखाद्य तेल एवं साबुन उद्योग, ब्रेकरी, कत्था उत्पादन उद्योग, गोंद उत्पादन उद्योग, बांस एवं बेत उद्योग, खादी वस्त्र उद्यौग, लौह एवं काष्ठ कला उद्योग, ग्रामीण रेशा उद्योग, लाख उत्पादन उद्योग, अल्युमिनियम के घरेलू बर्तन बनाने का

उद्योग और जंगली जडी–बूटियों के संग्रह का उद्योग इत्यादि का प्रमुख स्थान है (सारणी 5.1)।

इसी प्रकार सारणी 5.3 से स्पष्ट है कि जनपद में पारिवारिक उद्योगों को बढ़ावा देने की दृष्टिकोण से सन् 1988–89 से 1994–95 तक 2 शहरी क्षेत्रों क्रमशः फतेहपुर और बिन्दकी तथा कुल 13 विकासखण्डों क्रमश. देवमई, मलवां, अमौली, खजुहा, तेलियानी, भिटौरा, हसवा, बहुआ, असोथर हथगॉव, ऐरायां, विजयीपुर और धाता आदि प्रत्येक विकासखण्ड में 40 दस्तकारी इकाइयां स्थापित की गयी है। जिससे इस समयावधि में 4,200 दस्तकारी इकाइयां स्थापित हो सकी तथा 4200 लोगों को रोजगार दिलाया जा सका। इनमें लगभग उन सभी वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनका खादी ग्रामोंद्योग द्वारा होता है।

5.4.2 लघु/उघुत्तर उद्योग :–

पारिवारिक उद्योगों की तरह ही जनपद में औद्योगिक विकास की दृष्टि से अनेक लघु इकाइयो का विकास किया गया है जिससे सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र लघु उद्योगों के विकास से समान रूप से लाभान्वित हो सके। जनपद मे लघु उद्योगो के विकास का विस्तृत विवरण अग्रलिखित है (सारणी 5.4)–

(अ) फतेहपुर शहरी क्षेत्र :– लघु उद्योगों के अन्तर्गत फतेहपुर शहरी क्षेत्र में 1988–89 से 1994–95 तक कुल 275 लघु/लघुत्तर इकाइयां स्थापित की गयी हैं। इनमें 1988–89 से 1994–95 तक प्रतिवर्ष क्रमशः 30, 31, 38, 40, 42, 44, और 46 इकाइयां स्थापित की गयी हैं। इस प्रकार प्रतिवर्ष स्थापित लघु इकाइयो मे बढोत्तरी हुयी है। इन लघु इकाइयों में राइस मिल, दाल मिल, लौह एवं स्पात की धुलाई, कोल्ड स्टोरेज तथा आइस प्लान्ट, जनरल इन्जीनियरिंग वर्क्स, आइस कैन्डी, लकडी के फर्नीचर, ईट भट्ठा, आरा मशीने, चमड़े के जूते और चप्पल बनाना, अंग्रेजी दवाइयां, आयल एक्सपेलर तथा कृषि यन्त्र सुधार आदि का प्रमुख स्थान है (एक्शन प्लान, फतेहपुर, 1988–89 से 1994–95, पृ0 18–19)।

(ब) बिन्दकी शहरी क्षेत्र :–

इस शहरी क्षेत्र में वर्ष 1988–89 से 1994–95 तक कुल 256 लघु/लघुत्तर इकाइयां स्थापित की गयी हैं। इस समयावधि में प्रतिवर्ष स्थापित इकाइयों की संख्या क्रमशः 30, 31, 37, 38, 39, 40 और 41 रही है। इस प्रकार शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की दृष्टि से जनपद में फतेहपुर के बाद बिन्दकी शहरी क्षेत्र का द्वितीय स्थान है। इन इकाइयों में राइस मिल, दाल मिल, जनरल इन्जीनियरिंग वर्क्स, प्रिटिंग प्रेस, स्टील फर्नीचर, स्टील आलमारी और बाक्स, आइस कैण्डी, लकडी के फर्नीचर, ईट भट्ठे, आरा मशीनें, चमड़ें के जूते–चप्पल बनाना, कृषि यंत्र तथा आयल एक्सपेलर आदि का प्रमुख स्थान है।

सारणी 5 4

जनपद फतेहपुर लघु/लघुत्तर इकाइया, वर्ष 1998–89 से 1994–95

क्रम	विकासखण्ड	1988–89	1989–90	1990–91	1991–92	1992–93	1993–94	1994–95	योग
1.	फतेहपुर शहर	30	31	38	40	42	44	46	275
2	बिन्दकी शहर	30	31	37	38	39	40	41	256
3.	खागा शहरी क्षेत्र	30	31	37	38	39	40	41	256
4.	जहानाबाद शहरी क्षेत्र	25	26	28	29	30	31	32	201
5	किशुनपुर शहरी क्षेत्र	15	16	17	18	19	20	21	126
6.	बहुआ शहरी क्षेत्र	15	16	17	18	19	20	21	126
7.	देवमई	20	29	22	23	24	25	26	169
8.	मलवां	20	21	13	14	15	16	25	124
9.	अमौली	15	16	17	18	19	20	21	126
10.	खजुहा	15	16	17	18	19	20	20	125
11.	तेलियानी	20	21	22	23	24	25	26	161
12.	भिटौरा	15	16	17	18	19	20	21	126
13.	हसवा	15	16	17	18	19	20	21	126
14.	बहुआ	15	15	16	17	18	19	20	120
15.	असोथर	15	16	17	18	19	20	21	126
16.	हथगॉव	10	11	12	13	14	15	16	91
17.	ऐरायां	20	21	13	14	15	16	17	116
18.	विजयीपुर	10	11	13	14	15	16	17	96
19.	धाता	10	10	12	13	14	15	16	90
	योग जनपद	345	370	382	402	422	442	469	2,832

स्रोत :— एक्शन प्लान, जिला उद्योग केन्द्र, फतेहपर, वर्ष 1988—89 से 1994—95, प0 31

(स) खागा शहरी क्षेत्र :–

खागा में भी बिन्दकी की ही तरह 1988–89 से 1994–95 तक कुल 256 लघ/लघुत्तर इकाइयां स्थापित की गयी है। इनमें 1988–89 से 1994–95 तक प्रतिवर्ष स्थापित की गयी इकाइया क्रमश· 30, 31, 37, 38, 39 ,40 एवं 41 की सख्या मे रही है। इस शहरी क्षेत्र की इकाइयों में राइस मिल, जनरल इन्जीनियरिंग वर्क्स, प्रिटिग प्रेस, आइस कैण्डी, लकडी के फर्नीचर, चमडे के जूते तथा कृषि यन्त्र आदि प्रमुख है।

(द) जहानाबाद शहरी क्षेत्र :–

यहॉ पर 1988–89 से 1994–95 तक कुल 201 लघु/लघुत्तर इकाइयां स्थापित की गयी हैं। इस समयावधि में प्रतिवर्ष स्थापित की गयी इकाइयों में क्रमशः 25, 26, 28, 29, 30, 31 और 32 हैं। इन इकाइयों में प्रमुख रूप से राइस मिल, दाल मिल, जनरल इन्जीनियरिंग वर्क्स, प्रिटिग प्रेस, लकडी के फर्नीचर, चमडे के जूते, आयल एक्सपेलर और कृषि यंत्र आदि उल्लेखनीय है।

(य) किशुनपुर शहरी क्षेत्र :– इस शहरी क्षेत्र में उपर्युक्त शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम अर्थात 1988–89 से 1994–95 तक कुल 126 इकाइया स्थापित की गयी हैं। इस समयावधि में प्रतिवर्ष स्थापित इकाइयों की संख्या 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 रही है। अन्य शहरी क्षेत्रों की ही भॉति यहॉ पर भी उन सभी लघु/लघुत्तर इकाइयों को स्थापित किया गया है जो क्षेत्रीय जनता की आवश्यकताओ की पूर्ति मे सहायक है।

(र) बहुआ शहरी क्षेत्र :–

यहॉ पर भी किशुनपुर शहरी क्षेत्र की तरह 1988–89 से 1994–95 तक कुल 126 लघु इकाइया स्थापित की गयी हैं। यहॉ पर प्रतिवर्ष स्थापित की गयी इकाइयां क्रमशः 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 रही है। यहॉ पर प्रमुख लघु/लघुत्तर इकाइयों में जनरल इन्जीनियरिंग वर्क्स, प्रिटिंग प्रेस, स्टील, फर्नीचर, स्टील आलमारी एवं बाक्स, आइस कैण्डी, लकड़ी के फर्नीचर, ईंट भट्ठे, आरा मशीनें आयल एक्सपेलर, कृषि यत्र तथा मोटर–पार्ट्स आदि का प्रमुख स्थान है।

उपर्युक्त सभी शहरी क्षेत्रों मे लघु उद्योगों के विकास की दृष्टि से फतेहपुर, बिन्दकी और खागा के लिए आवागमन एवं परिवहन सुविधायें प्रमुख रूप से सहायक है इनमें फतेहपुर और खागा को तो स्थानीय रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग और जनपद के एकाकी रेलवे मार्ग की सुविधा है जबकि बिन्दकी शहरी क्षेत्र को यह सुविधा थोड़ी दूरी पर (बिन्दकी रोड) प्राप्त है किन्तु यह बिन्दकी रोड औद्योगिक क्षेत्र की समीपता के कारण खागा की तुलना में अधिक विकसित है। इनके अतिरिक्त जहानाबाद शहरी क्षेत्र में लघु इकाइयों को स्थापित करने के लिए प्रमुख रूप से सहायक कारकों में कानपुर महानगर की निकटता, सस्ता मानव श्रम और व्यावसायिक प्रवृत्ति के लोगों की

अधिकता है। किशुनपुर शहरी क्षेत्र में लघु इकाइयो को स्थापित करने में प्रमुख रूप से बादा जनपद की निकटता और खागा शहरी क्षेत्र से भलीभॉति सम्बद्धता है। ध्यातव्य है कि इस शहरी क्षेत्र को आवागमन एवं परिवहन की सुविधा अन्य शहरी क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम है अतः औद्योगिक दृष्टि से तथा लोगों की सुविधा की दृष्टि से यहाँपर प्रथमतः आवागमन एवं परिवहन की सुविधा का विकास अति आवश्यक है। बहुआ शहरी क्षेत्र में लघु औद्योगिक इकाइयों के विकसित होने का प्रमुख कारण राजकीय राजमार्ग द्वारा बांदा व रायबरेली आदि से सीधा सम्पर्क, इसके अतिरिक्त अन्य सभी कानपुर, दिल्ली और लखनऊ आदि शहरों से सम्बद्धता आदि है। बहुआ शहरी क्षेत्र अपना व्यापारिक कार्य कानपुर औद्योगिक महानगर से ही सम्पन्न करता है। आवागमन एवं परिवहन सुविधाओं के साथ–साथ क्षेत्र के सभी शहरी क्षेत्रों में बड़े एवं छोटे पूँजीपतियो की सुविधा है साथ ही इसे आस–पास के क्षेत्रो से सस्ता मानव श्रम भी उपलब्ध हो जाता है।

(ल) देवमई विकासखण्ड :–

ग्रामीण क्षेत्रों में लघु/लघुत्तर औद्योगिक इकाइयों के विकास की दृष्टि 1988–89 से 1994–95 तक कुल 169 लघु इकाइया देवमई विकासखण्ड मे स्थापित की गयी है। इस समयावधि में क्रमशः 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 इकाइयां स्थापित की गयी। यहॉ लघु/लघुत्तर इकाइयों में प्रमुख रूप से ईट भट्ठे, आरा मशीनें, धान से चावल निकालने वाली मशीने, आयल एक्सपेलर तथा गेहूँ से आटा तैयार करने वाली मशीने आदि है। यहॉ पर लघु/लघुत्तर इकाइयो के विकास में प्रमुख रूप से परिवहन का योगदान है जो कानपुर औद्योगिक महानगर तथा जहानाबाद शहरी क्षेत्र से सीधा सम्पर्क स्थापित करने में मदद करता है। इससे यहॉ बडे एवं छोटे बाजारो की भी सुलभता है साथ ही सस्ता मानव श्रम भी उपलब्ध है।

(व) मलवां विकासखण्ड :–

मलवां विकासखण्ड औद्योगिक विकास की दृष्टि से जनपद का सर्वाधिक विकसित विकासखण्ड है। यहॉ पर 1988–89 से 1994–95 तक कुल 124 लघु/लघुत्तर इकाइयां स्थापित की गयी है। इन स्थापित इकाइयो में क्रमशः 20, 21, 13, 14, 15, 16 और 25 लघु इकाइयों का स्थान है। यहॉ पर लघु/लघुत्तर इकाइयो के अन्तर्गत ईट भट्ठे, आरा मशीनें, धान मशीन, आटा मशीनो, जाब वर्क्स, टी0 वी0 असेम्बलिंग, प्लास्टिक शील्ड, टिन, कन्टेनर्स, लौह इस्पात की धुलाई आदि का प्रमुख स्थान है। यहॉ पर इन उद्योगों के विकास का श्रेय इस विकासखण्ड की स्थिति को दिया जाता है, अर्थात यह औद्योगिक केन्द्र राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है साथ ही इसे रेलवे मार्ग की भी सुविधा प्राप्त है। इसकी कानपुर महानगर से अतिसमीपता है जो राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा सम्बद्ध है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित्त होने के कारण ही इसका कानपुर के अतिरिक्त कलकत्ता

और दिल्ली से सीधा सम्पर्क है जिससे इसे कच्चा माल प्राप्त करने एवं तैयार माल को दूर–दूर तक पहुँचाने में कोई परेशानी नहीं होती है।

(श) अमौली विकासखण्ड :–

अमौली विकासखण्ड औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर 1988–89 से 1994–95 तक कुल 126 लघु एव लघुत्तर औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किया गया है। इनकी संख्या क्रमशः 15, 16, 17, 18, 19, 20 तथा 21 है। इन लघु/लघत्तर इकाइयों में ईट भट्ठे, आरा मशीनें, आयल एक्सपेलर, धान मशीने, आटा मशीनें, आइस कैण्डी, लकडी के फर्नीचर आदि का प्रमुख स्थान है। इस विकासखण्ड में औद्योगिक विकास का प्रमुख कारण आवागमन एवं परिवहन सुविधा की उपलब्धता है। यद्यपि इसे मलवां की तरह राष्ट्रीय राजमार्ग एवं रेलमार्ग की सुविधायें नहीं है तथापि यहॉ पर अन्य सडको का अच्छा विकास हुआ है जिससे यह कानपुर महानगर, हमीरपुर और बादा के साथ--साथ अध्ययन क्षेत्र के अन्य शहरी क्षेत्रों, यथा–जहानाबाद, बिन्दकी और बहुआ आदि सभी से भलीभॉति जुडा हुआ है। यहॉ सस्ता मानव श्रम भी उपलब्ध है। ध्यातव्य है कि इन सब सुविधाओ के बावजूद विकासखण्ड में अपेक्षित विकास नहीं हो सका है जिसका प्रमुख कारण यमुना नदी की बाढ से कुप्रभावित होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या का असमान वितरण है।

(ष) खजुहा विकासखण्ड :–

इस विकासखण्ड में 1988–89 से 1994–95 तक कुल 126 लघु एवं लघुत्तर औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गयी हैं। ये प्रतिवर्ष क्रमशः 15, 16, 17, 18, 19, 20 तथा 20 की संख्या में स्थापित की गयी है। इस विकासखण्ड मे ईट भट्ठे, आरा मशीनें, धान मशीनें तथा आयल एक्सपेलर आदि की औद्योगिक इकाइयो का प्रमुख स्थान है। इन इकाइयों के विकास हेतु इस विकासखण्ड में परिवहन सुविधा के साथ–साथ बिन्दकी शहरी क्षेत्र की सुविधा प्राप्त है जो इसे क्षेत्र में बाजार की सुविधा प्रदान करता है साथ ही आस पास के क्षेत्रो से इसे सस्ता मानव श्रम भी उपलब्ध हो जाता है।

(स) तेलियानी विकासखण्ड :–

तेलियानी विकासखण्ड में 1988–89 से 1994–95 तक कुल 161 लघु/लघुत्तर इकाइयां स्थापित की गयी। इनके अन्तर्गत प्रतिवर्ष क्रमशः 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 इकाइयो की स्थापना की गयी। यहाँ पर स्थापित की गयी इकाइयों में ईट भट्ठे, आरा मशीनें, आयल एक्सपेलर, आटा मशीने, धान कुटाई की मशीनें और लकड़ी के फर्नीचर तथा स्टील के बाक्स आदि का प्रमुख

स्थान है। यहॉ पर लघु/लघुत्तर इकाइयो के विकास का प्रमुख कारण फतेहपुर क्षेत्र की लगभग स्थानीय स्थिति तथा बिन्दकी रोड औद्योगिक क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा सम्बद्धता है जो इसे कच्चा माल एवं उत्पादित माल को बाजार तक पहुँचाने में प्रमुख रूप से सहायक है। इसे कुशल एवं प्रशिक्षित मजदूरों की भी सुविधा है।

(ह) भिटौरा विकासखण्ड :–

भिटौरा विकासखण्ड में 1988–89 से 1994–95 तक कुल 126 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गयी हैं। इनमें प्रतिवर्ष स्थापित की गयी इकाइयों के अन्तर्गत 15, 16, 17, 18, 19, 20 तथा 21 इकाइयां स्थापित की गयी हैं। यहॉ पर लघु/लघुत्तर इकाइयों में प्रमुख रूप से ईंट भटठे, आरा मशीने, धान मशीनें, आयल एक्सपेलर, जनरल इन्जीनियरिंग वर्क्स आदि का स्थान है। यहॉ पर इन इकाइयो के विकसित होने का प्रमुख कारण आवागमन एवं परिवहन सुविधायें है। औद्योगिक दृष्टि से इसे राजकीय राजमार्ग की सुविधा उपलब्ध है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग की सन्निकटता भी प्राप्त है। इसके अतिरिक्त यह सडको द्वारा भी जनपद के विभिन्न भागों से सम्बन्धित है। साथ ही फतेहपुर शहरी क्षेत्र की समीपता भी इसे प्राप्त है, जिससे इसे बाजार की स्थानीय सुविधा व कुशल श्रम प्राप्त हो जाता है।

(क्ष) हसवा विकासखण्ड :–

इस विकासखण्ड मे 1988–89 से 1994–95 तक कुल 126 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गयी। वर्षवार स्थापित इकाइयों की संख्या 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 रही। यहॉ पर लघु/लघुत्तर इकाइयों के अन्तर्गत ईट भट्ठे, आरा मशीनें, धान मशीनें, आटा मशीनें, आयल एक्सपेलर आदि का अधिकाधिक विकास हुआ है। यद्यपि इसे आवागमन एवं परिवहन में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं रेलवे मार्ग दोनों की ही सुविधाये प्राप्त हैं तथापि यहॉ पर अपेक्षित औद्योगिक विकास नहीं हो सका है, जिसका मुख्य कारण फतेहपुर शहरी क्षेत्र की सन्निकटता कही जा सकती है क्योंकि कुंशल एवं प्रशिक्षित तथा सस्ते मानव श्रम के इस शहरी क्षेत्र की ओर आकर्षित होने से यहॉ के औद्योगिक विकास में विपरीत प्रभाव पडता है।

(त्र) बहुआ विकासखण्ड :–

बहुआ विकासखण्ड में 1988–89 से 1994–95 तक कुल 120 लघु/लघुत्तर औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गयी हैं। इस समयावधि में प्रतिवर्ष स्थापित इकाइयों में क्रमशः 15,15, 16, 17, 18, 19 और 20 हैं। इस विकासखण्ड में मुख्य रूप से सर्वाधिक प्रचलित लघु/लघुत्तर इकाइयों में ईट भट्ठे, आरा मशीनें, आटा मशीनें, धान मशीनें, आयल एक्सपेलर, लकड़ी के फर्नीचर, स्टील

के बाक्स आदि हैं। यहॉ पर औद्योगिक सुवधिा की दृष्टि से आवागमन एवं परिवहन साधनों जैसे–राजकीय राजमार्ग और अन्य राजमार्गों का अच्छा विकास हुआ है। ध्यातव्य है कि यदि यहॉ पर रेलवे मार्ग का विकास हो जाय तो यह विकासखण्ड आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित विकासखण्ड होगा।

(ज्ञ) असोथर विकासखण्ड :–

इस विकासखण्ड मे 1988–89 से 1994–95 तक कुल 126 लघु/लघुत्तर इकाइयां स्थापित की गयी। प्रतिवर्ष के आधार पर इकाइयो की सख्या क्रमश· 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 रही। यहॉ पर स्थापित लघु/लघुत्तर इकाइयों मे क्रमश. ईट भट्ठे, लकडी चिराई, धान कुटाई, आटा पिसाई और तेल पेराई के सयन्त्र है। ध्यातव्य है कि यहॉ पर औद्योगिक विकास हेतु सुविधाओं मे परिवहन का अच्छा विकास नहीं हुआ है। यद्यपि राजकीय राजमार्ग इस विकासखण्ड से होकर गुजरता है किन्तु अन्य सडक मार्गों का बहुत ही कम विकास हुआ है। इस क्षेत्र का प्रतिवर्ष यमुना की चपेट में आना भी इसकी आर्थिक प्रगति में बाधा है जिसके फलस्वरूप यहॉ औद्योगिक रूची रखने वाले पूँजीपतियो का अभाव मिलता है। यद्यपि यहॉ पर जीविकोपार्जन साधनों के अभाव में सस्ता श्रम सुलभ है परन्तु रोजगार के कम अवसर उपलब्ध होने के कारण इसका पलायन समीप के बडे नगरों में हो जाता है।

(क) हथगाँव विकासखण्ड :–

यहाँ अन्य विकासखण्डो की तुलना मे कम लघु/लघुत्तर इकाइयां स्थापित की गयी हैं। वर्ष 1988–89 से 1994–95 तक कुल 91 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गयी है। स्थापित की गयी इकाइयों की संख्या क्रमशः 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 रही हैं। इस विकासखण्ड में विकसित होने वाली प्रमुख औद्योगिक इकाइया ईट भट्ठे, आरा मशीनें, आटा मशीनें, धान की मशीनें, आयल एक्सपेलर, आदि हैं। यहाँ औद्योगिक विकास कम होने का प्रमुख कारण परिवहन मार्गों की असुविधा का पाया जाना है। यदि इसे मुरांव नामक स्थान से लेकर रजीपुर छिवलहा होते हुये पट्टीशाह और बैंगाव से होकर जाने वाले राजमार्ग का विकास कर खागा से सीधे रायबरेली और प्रतापगढ के लिए जाने वाले राजमार्ग से जोड दिया जाय तो कुछ हद तक इसकी परिवहन असुविधा को दूर किया जा सकता है।

(ख) ऐरायां विकासखण्ड :–

इस विकासखण्ड मे 1988–89 से 1994–95 तक कुल 116 लघु/लघुत्तर औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गयी हैं। इन स्थापित इकाइयों का वर्षवार विवरण क्रमशः 20, 21, 13, 14,

15, 16 और 17 है। यहॉ पर विकसित लघु/लघुत्तर इकाइयों में ईंट भट्ठे, आरा मशीनें, धान मशीने, आटा मशीने और आयल एक्सपेलर आदि का प्रमुख स्थान है। इस विकासखण्ड को हथगॉव की तुलना में अधिक राजमार्गीय सुविधा प्राप्त है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग तथा रेलवे मार्ग की भी सुविधा प्राप्त है किन्तु खागा शहरी क्षेत्र के विकसित होने से पूँजीपति प्रमुख रूप से इसकी ओर ही आकर्षित होते हैं जिसके फलस्वरूप इस विकासखण्ड का भरपूर औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ ये शहरी क्षेत्र इनके विकास में सहायक भी हैं क्योंकि यहॉ से इन इकाइयों से सम्बन्धित उद्योगपतियों को आवश्यक जानकारी एवं सयंत्रों आदि की प्राप्ति होती है।

(ग) विजयीपुर विकासखण्ड :–

इस विकासखण्ड मे लघु/लघुत्तर इकाइयो के अन्तर्गत 1988–89 से 1994–95 तक कुल 96 इकाइयां स्थापित की गयी है। प्रतिवर्ष क्रमश 10, 11, 13, 14, 15, 16 तथा 17 इकाइयां स्थापित की गयी है। यहॉ पर स्थापित होने वाली लघु/लघुत्तर इकाइयों में क्रमशः ईंट भट्ठे, आरा मशीने, आयल एक्सपेलर, धान मशीनें, आटा मशीनें और प्रिंटिंग प्रेस आदि प्रमुख है। इस विकासखण्ड में औद्योगिक विकास के लिए सहायक कारकों अर्थात परिवहन विकास का अभाव है। यहॉ पर विकसित किशुनपुर शहरी क्षेत्र इसे दक्षिण की ओर बांदा जनपद से सम्बद्ध करता है तथा आन्तरिक रूप से खागा शहरी क्षेत्र से जोडता है। किन्तु अधिकाधिक परिवहन के विकसित न होने के कारण औद्योगिक विकास में पूर्णत. नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

(घ) धाता विकासखण्ड :–

औद्योगिक विकास की दृष्टि से धाता विकासखण्ड जनपद का सबसे पिछडा हुआ विकासखण्ड है। लघु/लघुत्तर इकाइयों की स्थापना में 1988–89 से 1994–95 की समयावधि मे सबसे कम (90) औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गयी है। इन इकाइयों का वर्षवार विवरण क्रमशः 10, 10, 12, 13, 14, 15 और 16 है। यहॉ पर विकसित लघु/लघुत्तर उद्योगों में भी ईंट भट्ठे, आरा मशीनें, आयल एक स्पेलर, आटा मशीनें, धान मशीनें आदि प्रमुख हैं। यहॉ पर औद्योगिक विकास पिछड़ा होने का प्रमुख कारण विकासखण्ड का इलाहाबाद शहर की सन्निकटता है अर्थात सस्ता मानव श्रम इस नगर मे पलायन कर जाता है साथ ही अन्य सभी विकासखण्डों की तुलना में यहॉ पर परिवहन सुविधा का पूर्ण रूप से अभाव है।

उपर्युक्त सम्पूर्ण लघु/लघुत्तर इकाइयों के विवरण से स्पष्ट होता है कि प्रशासन द्वारा सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र की लघु/लघुत्तर इकाइयों के विकास के लिए सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं किन्तु सिर्फ प्रशासन के प्रयास से ही यह सब सम्भव नहीं है वरन् इसके लिए आवश्यक है कि स्वयं सेवी सगठन एवं युवा संगठन आदि मिलकर प्रयास करें अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर उन्हें उद्योग

स्थापित करने के लिए प्रेरित करें तथा उन्हे यथा सम्भव सहायता दें जिससे प्रेरित होकर पूँजीपति स्वयं औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में सहायक हो।

5.4.3 वृहद एवं मध्यम उद्योग :—

जैसा कि पूर्वोल्लिखित है कि जनपद फतेहपुर औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसलिए वर्तमान समय में प्रशासन पारिवारिक/कुटीर उद्योग, लघु/लघुत्तर उद्योग के विकास के साथ—साथ वृहद एव मध्यम उद्योगों के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। सारणी 5. 5 एवं चित्र 5.1 से स्पष्ट है कि इस प्रयास के फलस्वरूप प्रशासन को वृहद एवं मध्यम स्तर के उद्योगों की स्थापना मे बहुत कुछ सफलता मिली है यद्यपि यह अपेक्षित विकास से बहुत कम है। इसका विस्तृत विवरण निम्नवत है (औद्योगिक—प्रेरणा, फतेहपुर, 1990—91, पृ0 43)।

(अ) मेसर्स इण्डिया इन्सुलेटर प्रा0 लि0, बरौरा, मलवां, फतेहपुर :—

यह जनपद का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित अर्थात मलवां विकासखण्ड के बरौरा नामक ग्राम में स्थापित है। इसको स्थापित करने में 3.12 करोड रू0 की पूँजी विनियोजित की गयी। इसके द्वारा 100 श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हुआ है। इस औद्योगिक इकाई द्वारा इन्सुलेटर के उत्पादन का कार्य होता है।

(ब) मेसर्स यू0 पी0 स्टेट कताई मिल, फतेहपुर :—

यह फतेहपुर शहरी क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाई है। इसमें 11.75 करोड़ रू0 का पूँजी विनियोजन हुआ है तथा 1,579 लोगो को रोजगार मिला है। इस औद्योगिक इकाई द्वारा काटन यार्न का उत्पादन होता है।

(स) मेसर्स स्वास्तिक गियर्स औद्योगिक आस्थान चौडगरा, मलवां :—

यह मलवां विकासखण्ड में स्थित चौडगरा (बिन्दकी रोड), जो कि वृहद एवं मध्यम उद्योगों हेतु सुविख्यात क्षेत्र है, में स्थित है। इस इकाई को स्थापित करने में 1.84 करोड़ रू0 का विनियोजन किया गया है। इससे 100 व्यक्तियो को रोजगार प्राप्त हुआ है, इसमें गियर्स बनाये जाते है।

(द) मेसर्स शा0 वैलेस एण्ड कम्पनी औद्योगिक आस्थान, चौडगरा :—

यह चौडगरा (मलवां विकासखण्ड) में स्थित इकाई है। इसकी स्थापना में 4.20 करोड़ रू0 का निवेश किया गया है। इसके द्वारा 123 लोगों को रोजगार मिला हुआ है, इसमें डिटर्जेन्ट केक का निर्माण किया जाता है।

सारणी 5 5

जनपद फतेहपुर वृहद एव मध्यम उद्योग

क्रम सं0	इकाई के नाम	उत्पाद	पूँजी निवेश (करोड रू0)	रोजगार सृजन
1.	मे0 इण्डिया इन्सुलेटर प्रा0 लि0, बरौरा, मलवा	इन्सुलेटर	3 12	100
2	मे0 यू0 पी0 स्टेट कताई मिल कारपोरेशन, फतेहपुर	काटन यार्न	11 75	1,579
3.	मे0 स्वास्तिक गियर्स औद्योगिक आस्थान, चोडगरा	गियर्स	1 84	100
4	मे0 शॉ वालेस एण्ड कं0 औद्योगिक आस्थान चौडगरा	डिटर्जेट केक	4.20	123
5.	मे0 क्वालिटी स्टील ट्यूब्स, बिन्दकी रोड (चोडगरा)	स्टील पाइप	1 85	345
6.	मे0 भारत वर्ज लि0 मलवां, फतेहपुर	वी पी./जी सी शीट्स	19 45	217
7	मे0 कारपोरेशन इलेक्ट्रानिक्स, रावतपुर, चौडगरा	पोटेन्शियोमीटर	1.59	39
8	मे0 महादेव फर्टिलाइजर्स लि0 बरौरा, मलवा	फर्टिलाइजर्स	12 87	205
9.	मे0 सिडको लेदर लि0, कौडिया, फतेहपुर	लेदर बोर्ड	10.00	300
10.	मे0 रोल ट्यूब्स लि0 बिन्दकी रोड, फतेहपुर	स्टील पाइप्स एण्ड ट्यूब्स	113.00	80
11.	मे0 त्रिवेणी साल्वेक्स	साल्वेन्ट एक्सटरजन	2.00	50
12.	मे0 मधुं चन्द्रा टेक्नोकेम काम्पलेक्स प्रा0 लि0, चौडगरा, फतेहपुर	क्षारीय क्रोमियम सल्फेट बाई प्रो0	1.00	110
13.	मे0 श्याम फ्लोर मिल्स प्रा0 लि0, गोपाल नगर, फतेहपुर	मैदा, सूजी, आटा उत्पादन	0.61	9

स्रोत :– औद्योगिक–प्रेरणा, जिला उद्योग केन्द्र, फतेहपुर, 1990–91, पृ0 43

MAIN LARGE AND MEDIUM SCALE INDUSTRIES

A	M/S India Insulater Pvt LTD.,Baroara
B	M/S U P State Spinning Mill Corp.,Fatehpur
C	M/S Swastic Giyars Industrial Place,Bindki Road
D	M/S Sha Vallase and Company J.P. Choadagara
E	M/S Quality Steel Tubes ,Bindki Roads
F	M/S Bharat Varge Ltd.,Malwan
G	M/S Corporation Electronics RawatpurChoadagara,Fatehpur
H	M/S Mahadewa Fertilizer Ltd Baroara Industrial Place,Malwan
I	M/S Rol Tubes Ltd Bindki Road, Fatehpur
J	M/S Madhuchandra Techonocane Complex Pri Ltd Choadagara Fatehpur
K	M/S Shyam Flour Mills Ptd Gopal Nagar, Fatehpur

MAIN SMALL AND SMALLEST INDUSTRIES

1	Rice mill	7	Steel Firniture and Almari, Box	13	Alopathic Medicenes
2	Pulse mill	8	Ice Candi	14	TV Assembling
3	Washing of Iron and Steel	9	Wood Furniture	15	Plastic Sheets
4	Cold Storage and Ice Plant	10	Brick (Enta) Industry	16	Tin Containers
5	General Engineering Workshop	11	Arra Machines	17	Oil Expelleres
6	Printing Press	12	Leather Shoes	18	Agricultural Instruments

Fig. 5.1

(य) मेसर्स क्वालिटी स्टील ट्यूब्स बिन्दकी रोड :–

बिन्दकी रोड (मलवां) में स्थित इस औद्योगिक इकाई की स्थापना में 1.85 करोड़ का निवेश किया गया है। इससे 345 श्रमिकों को रोजगार मिला है। यहाँ स्टील पाइप बनाये जाते है।

(र) मेसर्स भारत वर्ज लि0, मलवां, फतेहपुर :–

यह औद्योगिक इकाई मलवां में स्थापित है। इस औद्योगिक इकाई की स्थापना में 19 45 करोड रू0 का निवेश हुआ है। इससे 217 श्रमिकों को रोजगार मिला है। इस इकाई द्वारा वी0 पी0/जी0 सी0 शीट्स उत्पादित होता है।

(ल) मेसर्स कारपोरेशन इलेक्ट्रानिक्स रावतपुर, चौडगरा, फतेहपुर :–

यह रावतपुर, चौडगरा में स्थापित इकाई है। इस इकाई में 1.49 करोड रू0 का निवेश हुआ है तथा मात्र 39 श्रमिकों को ही रोजगार मिला है। इसमें पोटेन्शियोमीटर बनाये जाते हैं।

(व) महादेव फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बरौरा, मलवां :–

यह औद्योगिक इकाई बरौरा नामक औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित है। इस इकाई में 12.87 करोड रू0 का निवेश हुआ है, जिससे 205 श्रमिकों को रोजगार मिला है। इस इकाई में फर्टिलाइजर्स (रासायनिक खाद) का उत्पादन होता है।

(श) गेसर्स सिडको लेदर लि0 कौड़िया, फतेहपुर :–

अध्ययन क्षेत्र के देवमई विकासखण्ड के कौड़िया नामक औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित है। इसमें 10 करोड रू0 की लागत आयी है, जिसमें 300 श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है, इस इकाई में लेदर का उत्पादन होता है।

(ष) मेसर्स रोल ट्यूब्स लि0 बिन्दकी रोड, फतेहपुर :–

इस इकाई की स्थापना बिन्दकी रोड (मलवां) में हुयी है। इसमें 113 करोड रू0 का निवेश हुआ है। इसमें 80 लोगों को रोजगार मिला है। इसके द्वारा स्टील पाइप और ट्यूब्स बनाये जाते हैं।

(स) मेसर्स त्रिवेणी साल्वेक्स :–

इस इकाई की स्थिति भी बिन्दकी रोड में है। इसमें 2 करोड़ रू0 का निवेश हुआ है। इससे 50 लोगों को रोजगार मिला है। इस इकाई में साल्वेन्ट एक्सटरजन का उत्पादन होता है।

(ह) मेसर्स मधुचन्द्रा टेक्नोकेम काम्पलेक्स प्रा0 लि0 चौडगरा, फतेहपुर :–

यह इकाई भी चौडगरा में स्थापित है। इस इकाई मे 1 करोड रू0 का निवेश किया गया है। इससे 110 श्रमिको को रोजगार मिला हुआ है। इस इकाई में क्षारीय क्रोमियम सल्फेट का निर्माण होता है।

(क्ष) मेसर्स श्याम फ्लोर मिल्स प्रा0 लि0 गोपाल नगर, फतेहपुर :–

यह फतेहपुर शहरी क्षेत्र मे स्थापित दूसरी अत्यन्त महत्वपूर्ण इकाई है। इस इकाई को स्थापित करने मे 0.61 करोड रू0 का निवेश हुआ है। इसमें 9 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसके द्वारा मैदा, सूजी और आटा आदि का उत्पादन होता है।

उपर्युक्त वृहद एवं मध्यम स्तर के उद्योगो के विवरण से स्पष्ट है कि यहाँ पर इस स्तर के उद्योग अध्ययन क्षेत्र मे बहुत कम विकसित हुए है। दूसरा तथ्य जो स्पष्ट होता है वह यह कि यहाँ पर वृहद स्तर के मुख्यत. दो क्षेत्र बरौरा औद्योगिक क्षेत्र (मलवां) और न्दिकी रोड/चौडगरा (मलवां) विकसित हुए है। इनका विस्तृत विवरण निम्नवत् है (औद्योगिक–प्रेरणा, फतेहपुर, 1990–91, पृ0 29–30)–

(अ) औद्योगिक आस्थान : वरौरा (मलवां) :–

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम ने औद्योगिकरण के क्रियान्वयन हेतु अध्ययन क्षेत्र के मलवा विकासखण्ड के अन्तर्गत बरौरा नामक ग्राम में 545.42 एकड़ क्षेत्र पर एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की है। इसमे अब तक 41 प्लाट विकसित किये गये है जो 1,800 वर्ग मीटर से 5,400 वर्ग मीटर तक के हैं। इसमें निम्नलिखित इकाइयां उत्पादन कार्य मे क्रियारत हैं–

(1) मेसर्स इण्डिया इन्सुलेटर प्रा0 लि0 बरौरा

(2) मेसर्स महादेव फटिलाइजर लि0 बरौरा

(3) मेसर्स एसोसिएट पिग्मेन्ट्स लि0 बरौरा

(4) मेसर्स न्यू इण्डिया राइस एण्ड दाल मिल लि0 बरौरा

.इन इकाइयों मे क्रमशः इन्सुलेटर, फर्टिलाइजर, लेड आक्साइड और चावल का उत्पादन होता है इन चार औद्योगिक इकाइयों के अतिरिक्त यहाँ पर 12 इकाइयां प्रस्तावित हैं जो केमिकल्स, ब्रास, शीट्स और रोलिंग मिल्स आदि से सबंधित हैं।

(ब) औद्योगिक आस्थान : बिन्दकी रोड/चौडगरा (मलवां) :–

यह जनपद फतेहपुर का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित स्थान है यहाँ पर 10 शेड एवं 50 प्लाट हैं। ये सभी शेड एवं प्लाट आवंटित हो चुके हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र की कुल भूमि 6.

92 हे0 है। अभी तक यहॉ पर 17 इकाइयां स्थापित हो चुकी है, जबकि 12 नयी इकाइयां प्रस्तावित है। इस औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित 17 औद्योगिक इकाइयां निम्नवत हैं–

(1) मेसर्स राजू इन्जीनियरिंग वर्क्स, औद्योगिक आस्थान बिन्दकी, चौडगरा, फतेहपुर

(2) मेसर्स कनौडिया पालीकेम प्रा0 लि0, औ0 आस्थान बिन्दकी, चौडगरा, फतेहपुर

(3) मेसर्स बंसल कन्टेनर्स प्रा0 लि0, औ0 आस्थान बिन्दकी, चौडगरा, फतेहपुर

(4) मेसर्स ए0 के0 टिन इण्डरट्रीज प्रा0 लि0, औ0 आस्थान बिन्दकी, चौडगरा, फतेहपुर

(5) मेसर्स मोबीन इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, औ0 आस्थान बिन्दकी, चौडगरा, फतेहपुर

(6) मेसर्स टेक्नों इण्टरप्राइजेज प्रा0 लि0, औ0 आस्थान बिन्दकी, चौडगरा, फतेहपुर

(7) मेसर्स शा वैलेस एण्ड कम्पनी प्रा0 लि0, औ0 आस्थान बिन्दकी, चौडगरा, फतेहपुर

(8) मेसर्स मरकरी कण्टेनर्स प्रा0 लि0, औ0 आस्थान बिन्दकी, चौडगरा, फतेहपुर

(9) मेसर्स गंगा केमिकल्स प्रा0 लि0, औ0 आस्थान बिन्दकी, चौडगरा, फतेहपुर

(10) मेसर्स सत्या प्रिण्टर्स प्रा0 लि0, औ0 आस्थान बिन्दकी, चौडगरा, फतेहपुर

(11) मेसर्स मधु चन्द्रा इन्जीनियरिंग प्रा0 लि0, औ0 आस्थान बिन्दकी, चौडगरा, फतेहपुर

(12) मेसर्स महेश आइस फैक्ट्री प्रा0 लि0, औ0 आस्थान बिन्दकी, चौडगरा, फतेहपुर

13. मेसर्स बी0 एस0 इन्जीरियरिंग वर्क्स प्रा0 लि0, औ0 आस्थान बिन्दकी, चौडगरा, फतेहपुर

14. मेसर्स बहादुर इलेक्ट्रानिक वर्क्स प्रा0 लि0, औ0 आस्थान बिन्दकी, चौडगरा, फतेहपुर

15. मेसर्स जी0 के0 वी0 पालीमर्स प्रा0 लि0, औ0 आस्थान बिन्दकी, चौडगरा, फतेहपुर

16. मेसर्स शीला एक्यूमीनियम प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0, औ0 आस्थान बिन्दकी, चौडगरा, फतेहपुर

17. मेसर्स रूमी इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, औ0 आस्थान बिन्दकी, चौडगरा, फतेहपुर

उक्त समस्त औद्योगिक इकाइयों में क्रमशः टेलीवीजन, पोलीथिन बैग, कन्टेनर्स, गन स्प्रिंग, गन मेटल ब्रश, सिंथेटिक डिटर्जेन्ट केक, कन्टेनर्स, अखाद्य एवं खाद्य तेल, प्रिंटिग प्रेस, इलेक्ट्रिक मोटर, आइस, कन्ड्यूप पाइप, विद्युत पेंच, स्क्रेप प्रोसेसिंग, एल्यूमीनियम यूरेन्सिल्स और क्लाथ का उत्पादन होता है (औद्योगिक–प्रेरणा, फतेहपुर, 1990–91, पृ0 29–30)।

उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि जनपद फतेहपुर में औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बरौरा और बिंदकी रोड (चौडगरा) विकसित हुए है। ये दोनो ही मलवां विकासखण्ड में स्थित हैं, इनके औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित होने के लिए कई सहायक कारक हैं जिनमें प्रथम तो विकसित परिवहन विकास है, उदाहरणार्थ– ये स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग (N. H.2) पर स्थित हैं। साथ ही यहॉ से रेलवे मार्ग होकर जाता हैं जिससे इन्हें कच्चा माल मंगाने तथा तैयार माल भेजने में बहुत ही सुविधा होती है। द्वितीय सहायक कारक के रूप में कानपुर महानगर की सन्निकटता हैं जिससे इन्हें कुशल एवं प्रशिक्षित श्रम तो मिलता ही है साथ हीं कानपुर महानगर के रूप में अतिसमीप विस्तृत बाजार की भी सुविधा सुलभ हो जाती हैं। आस–पास के क्षेत्रों से इन्हें सस्ता मानव श्रम भी

उपलब्ध हो जाता है। तृतीय प्रमुख सुविधा पूँजी का विनियोजन अर्थात यहाँ की अनुकूल परिस्थितियों के कारण न सिर्फ स्थानीय पूँजीपति वरन् आस–पास के क्षेत्रों के तथा कानपुर आदि के पूँजीपति भी पूँजी–विनियोजन करने हेतु आधिकाधिक उत्साहित रहते हैं, परिणामस्वरूप दोनों ही औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहे हैं।

5.4.4 पारिवारिक और गैर पारिवारिक उद्योग में संलग्न श्रमिकों की संख्या :–

(अ) पारिवारिक उद्योग :– सारणी 5.6 तथा चित्र 5.2A के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र के 13 विकासखण्डों मे से पारिवारिक उद्योगों में संलग्न श्रमिकों का सर्वाधिक प्रतिशत (4.25) हथगॉव विकासखण्ड मे मिलता है, चित्र में इसे 4–6 के मध्य दर्शाया गया है। द्वितीय स्थान पर भिटौरा विकासखण्ड (2.42%) है, जो चित्र में 2–4 के मध्य मिलता है। इन दोनों के अतिरिक्त शेष समस्त 11 विकासखण्डों क्रमश. देवमई, मलवां, अमौली, खजुहा, तेलियानी, हसवा, बहुआ, असोथर, ऐरायां, विजयीपुर और धाता में पारिवारिक उद्योगों में संलग्न श्रमिको का प्रतिशत 0–2 के मध्य मिलता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में पारिवारिक उद्योगों का बहुत ही कम विकास हुआ है जो जनपद की बेरोजगारी एवं गरीबी में पूर्णतः सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करते हैं। अतः क्षेत्र की इस भीषण समस्या से बचने के लिए आवश्यक है कि पारिवारिक उद्योगों का अधिक से अधिक विकास किया जाय।

(ब) गैर पारिवारिक उद्योग :–

सारिणी 5.6 और चित्र 5.2B से स्पष्ट है कि गैर पारिवारिक उद्योगों मे संलग्न श्रमिकों का सर्वाधिक प्रतिशत 2–3 के मध्य मलवा, अमौली, खजुहा और तेलियानी में मिलता है। इनके अतिरिक्त भिटौरा विकासखण्ड मे 1–2 के मध्य तथा शेष 8 विकासखण्डों क्रमशः देवमई, हसवां, बहुआ, असोथर, हथगॉव, ऐरायां, विजयीपुर और धाता इत्यादि सभी में यह 0–1 के मध्य मिलता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि गैर पारिवारिक उद्योगों में भी अध्ययन क्षेत्र में बहुत कम श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। जिसका प्रमुख कारण क्षेत्र में इन उद्योगों का सीमित संख्या में स्थापित होना है किन्तु वर्तमान परिवेश में किसी भी क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास में औद्योगिक सम्पन्नता अत्यन्त आवश्यक है अतः आज सभी सम्भव प्रयासों से जनपद को औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध बनाने की विशेष आवश्यकता है।

5.5 नवीन औद्योगिक नीति और उद्यमियों को प्राप्त सुविधाये :–

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को सतत गति प्रदान करने के उद्देश्य से समय–समय पर औद्योगिक नीतियों को निर्धारित किया गया है किन्तु इन नीतियों का

सारणी 5.6

जनपद फतेहपुर : पारिवारिक एवं गैर पारिवारिक उद्योगों में संलग्न श्रमिक

(प्रतिशत में)

क्रम सं0	विकासखण्ड	पारिवारिक उद्योग	गैर पारिवारिक उद्योग
1.	देवमई	1.01	0.95
2.	मलवां	1.52	2.57
3.	अमौली	1.42	2.02
4.	खजुहा	1.43	2.57
5.	तेलियानी	1.16	2.29
6.	भिटौरा	2.42	1.08
7.	हसवा	1.63	0.55
8.	बहुआ	1.61	0.88
9.	असोथर	1.47	0.47
10.	हथगाँव	4.25	0.98
11.	ऐरायां	1.79	0.68
12.	विजयीपुर	1.11	0.56
13.	धाता	1.26	0.49
	ग्रामीण	1.70	1.28
	नगरीय	2.80	5.07
	योग जनपद	1.80	1.59

स्रोत :— सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1993, पृ0 24

N
A
DISTRICT FATEHPUR
HOUSEHOLD INDUSTRIES
1991
RIVER
GANGA
RIVER YAMUNA
PER CENT OF TOTAL
WORKERS
4 - 6
2 - 4
0 - 2
10 0 10 20
km
N
B
DISTRICT FATEHPUR
NON-HOUSEHOLD INDUSTRIES
1991
RIVER
GANGA
RIVER YAMUNA
PER CENT OF TOTAL
WORKERS
2 - 3
1 - 2
0 - 1
10 0 10 20
km

Fig. 5.2

समुचित क्रियान्वयन न हो सकने के कारण हमारा राज्य अब भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग में ही आता है। इसी तथ्य को दृष्टिगत करके ही अप्रैल, 1990 में राज्य सरकार द्वारा एक नवीन औद्योगिक नीति घोषित की गयी। इस नीति मे औद्योगिक विकास का केन्द्र बिन्दु विकासखण्ड को माना गया है, क्योंकि इस नीति का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक विकास को ग्रामोन्मुख बनाना है। वर्तमान समय में जनपद के उद्यमियों को मिलने वाली प्रमुख औद्योगिक सुविधाये अग्रलिखित हैं (किसान विकास एवं औद्योगिक विकास प्रदर्शनी, फतेहपुर, पृ0 4–9)–

5.5.1 जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उपलब्ध सुविधाये :–

औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उद्योगपतियों को प्राप्त सुविधाये निम्नवत हैं–

(अ) उद्योगों का चयन :–

किसी भी उद्योग की सफलता एवं असफलता उद्योग के सही चयन पर निर्भर करती है। जनपद में उद्योगों की सम्भावना, मांग व कच्चे माल की उपलब्धता को देखते हुए सम्भावित उद्योगों की जानकारी उद्यमियों को जिला उद्योग केन्द्र द्वारा दी जाती है।

(ब) प्रस्तावित पंजीकरण :–

जिला उद्योग केन्द्र एवं शासन से उन्हीं उद्यमियों को सुविधाये दी जाती है जो प्रस्तावित उद्योग का पंजीकरण जिला उद्योग केन्द्र में कराकर प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेते है। यह पंजीकरण मात्र एक वर्ष का होता है अतः इसका प्रतिवर्ष नवीनीकरणं कराना पड़ता है। पंजीकरण के पश्चात ही शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाये, जैसे–उद्योग स्थापना में भूमि, राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण, किराया क्रम पद्धति पर मशीनों की उपलब्धता, विद्युत की स्वीकृति और कार्यशाला के निर्माण हेतु भवन सामग्री, जैसे–लोहा, सीमेन्ट इत्यादि प्राप्त की जा सकती है।

(स) भूमि भवन :–

अध्ययन क्षेत्र में त्वरित औद्योगिक विकास तथा भूखण्डों की बढ़ती हुयी मांग को देखते हुए ग्राम बरौरा (मलवां विकासखण्ड) जो फतेहपुर से कानपुर की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, में एवं जहाँ 71 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गयी है, इसे विकसित किया जा रहा है। यह भूमि उद्योग लगाने वाले उद्योगपतियों को आवंटित की जायेगी।

(द) भवन निर्माण सामग्री :–

उद्योगशाला बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, जैसे– सीमेन्ट, लोहा, नालीदार चादर इत्यादि

सभी का आवंटन जिला उद्योग केन्द्र द्वारा किया जाता है।

(य) किराया क्रय पद्धति पर मशीनों की आपूर्ति :– इस योजना के अन्तर्गत आसान किस्तो पर मशीनो की आपूर्ति उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम, कानपुर तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नई दिल्ली द्वारा जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से करायी जाती है। इसमें उद्यमियों को 10% राशि नकद देनी पडती है तथा शेष राशि 5 से 8 वर्षो के बीच किस्तो मे चुकानी पडती है।

(र) वित्तीय सुविधाये :– उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, इलाहाबाद से भूमि क्रय करने हेतु तथा कार्यशाला निर्माण एवं मशीनो के क्रय करने हेतु ऋण जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। योजना की लागत का 15 से 25% तक की धनराशि उद्यमी को स्वयं ही वहन करनी पड़ती है तथा ऋण की अदायगी 7 से 10 वर्षो में करनी पडती है। इसमें 2 लाख तक के ऋण जिला उद्योग केन्द्र द्वारा स्वीकृत किये जाते है जिसका वितरण उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा किया जाता है।

(ल) मार्जिन मनी ऋण :–

किसी भी उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा योजना का अधिक से अधिक 80% ऋण के रूप में स्वीकृत किया जाता है तथा शेष 15 से 20% उद्यमी को स्वय ही वहन करना पडता है लेकिन जो लोग इसे नही वहन कर सकते उन्हें 10% तक मार्जिन मनी ऋण प्राप्त हो सकता है। शिक्षित बेरोजगारों व प्राविधिक योग्यता सम्पन्न उद्यमियों के लिए भी इस प्रकार की मार्जिन मनी ऋण की व्यवस्था है। अल्पसंख्यक वित्त निगम द्वारा अल्प संख्यक वर्ग के लघु उद्यमियों के लिए शेष मार्जिन मनी ऋण योजना के अन्तर्गत इस वर्ग के उद्यमियों को केवल 5% मार्जिन मनी अपने साधनो से लगानी होगी। शेष मार्जिन मनी ऋण के रूप में अल्पसंखक निगम द्वारा प्रदान की जायेगी।

(व) विद्युत आपूर्ति की सुविधा :–

किसी भी उद्योग की क्रियाशीलता में विद्युत आपूर्ति सर्वप्रमुख आवश्यकता है। आवश्यकता के अनुसार 25 अश्वशक्ति तक की विद्युत आपूर्ति जिला स्तर पर हो जाती है तथा शेष 25 से 100 अश्वशक्ति तक की मांग की स्वीकृति मण्डलीय स्तर पर गठित समिति द्वारा की जाती है। 100 अश्वशक्ति से ऊपर की मांग के आवेदन पत्र जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संस्तुति सहित उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश कानपुर को अग्रसारित किये जाते हैं और ऐसे सभी मामलों को राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ द्वारा उद्योग निदेशालय की संस्तुति पर विद्युत स्वीकृत की जाती है।

(श) खादी ग्रामोद्योग :–

खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत लोहारगीरी, बढ़ईगीरी, मधुमक्खी पालन, ऊनी, सूती खादी

उद्योग, माचिस, ताड़गुड़, अनाज–दाल प्रशोधन, तेलघानी, चर्मशोधन और कुम्हारी आदि 24 प्रकार के उद्योग आते हैं। इन उद्योगों की स्थापना के लिए सरकारी समितियों तथा व्यक्तिगत इकाइयों को कम ब्याज की दर पर आर्थिक सुविधा ऋण के रूप में प्रदान की जाती है तथा कुछ उद्योगों में अनुदान भी दिया जाता है।

(ष) फल संरक्षण :–

इस उद्योग के लिए राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऋण व अनुदान के रूप में वित्तीय सुविधाये उपलब्ध हैं। 25,000 रू0 तक के ऋण जिला स्तर पर ही गठित वित्तसमिति द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। इसमें ब्याज की दर 4% वार्षिक रखी गयी है।

(स) हथकरघा योजना :– इस योजना के अन्तर्गत हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाता है। इस योजना से लोगों को वित्तीय सुविधाये सुलभ हो सकती है। लगभग सभी सुविधाएं बुनकरों को औद्योगिक सरकारी समितियों के माध्यम से ही दी जाती हैं। इस योजना के द्वारा हिस्सा पँजी, कारखाना बनाने की सहूलियत, रंगाईघर खोलने की सहूलियत और बिक्री इत्यादि की सुविधाये दी जाती हैं।

(ह) ट्राइसेम योजना :–

गाँवों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लघु/लघुत्तर सीमान्त कृषक व भूमिहीन मजदूर एवं कारीगरों के बच्चों (नवयुवकों एवं नवयुवतियों 18 से 35 वर्ष) को आई0 आर0 डी0 पी0 योजना के अन्तर्गत चयन करके विभिन्न ट्रेनिंग संस्थाओं में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है। ये संस्थायें आई0 टी0 आई0 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, जी0 आई0 टी0 आई0 नेहरू युवा रोजगार केन्द्र, आकांक्षा समिति, मानव कल्याण प्रतिष्ठान, अवध लोक सेवा आश्रम आदि हैं। प्रशिक्षण के दौरान उद्यमियों को छात्रवृत्ति भी दी जाती है। प्रशिक्षण की अवधि अधिकतम 6 माह की होती है।

(क्ष) उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम :–

जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड में 6 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सरकारी/अर्ध सरकारी /निगमों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से जनपद एवं तहसील स्तर पर 15 दिवसीय, 30 दिवसीय एवं 45 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान उद्यमियों को तकनीकी परामर्श, प्रोजेक्ट की जानकारी, उद्योगों के चयन, उद्योग विभाग द्वारा दी जाने वाली सहायता एवं सुविधाये, अन्य विभागों/निगमों के द्वारा उद्यमियों को दी जाने वाली सुविधाओं एवं वित्तीय निगमों

की जानकारी प्रदान करायी जाती है। इससे प्रशिक्षित नवयुवकों को धन उपलब्ध कराकर उद्योग स्थापित कराये जाते है।

5.5.2 औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े फतेहपुर जनपद में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध होने वाली विशेष सुविधाये :-

इसके अन्तर्गत फतेहपुर में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्राप्त होने वाली विशेष सुविधाये निम्नवत है –

(अ) पूँजी उत्पादन :-

अप्रैल 1983 के पश्चात नव स्थापित इकाइयों द्वारा किये गये स्थायी पूँजी विनियोजन पर 25% का अनुदान, जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रू0 है, दी जा सकती है।

(ब) बिक्री कर छूट :-

इसमें नव स्थापित इकाइयों की, जिन्होंने 3 लाख रू0 या उससे अधिक पूँजी विनियोजन भूमि, भवन व मशीनों पर किया है, को सात वर्ष तक बिक्री कर में छूट का प्रावधान है। यदि औद्योगिक इकाई भारतीय कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है तो 3 लाख से कम पूँजी विनियोजन पर भी यह सुविधा उपलब्ध हो सकती है। यह सुविधा कच्चे माल अथवा उत्पादन किसी एक में ली जा सकती है। सामान्य जनपदों में यह सुविधा पांच वर्ष तक लागू है।

(स) ब्याजमुक्त बिक्रीकर ऋण :-

इस ऋण योजना में पिकप द्वारा 5 वर्ष की अवधि में दिये गये बिक्रीकर के बराबर धनराशि जो स्थायी पूँजी विनियोजन से 75% से अधिक न हो, बिना ब्याज ऋण दिया जाता है। ऋण की अधिकतम सीमा 50 लाख रू0 है। सामान्य जनपद में यह राशि तीन वर्ष में दिये गये बिक्रीकर और स्थायी पूँजी का 50% की सीमा तक है।

(द) क्रेडिट गारन्टी योजना :-

इसके अन्तर्गत ऐसी इकाइयां जिनका पूँजी विनियोजन एक करोड़ रू0 तक है, को पिकअप क्रेडिट गारन्टी देता है जबकि सामान्य जनपदों में 50 लाख रू0 की सीमा है। यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0/पिकप नई दिल्ली लि0 कम्पनियों को अन्डर राइटिंग फैसेलिटी की सुविधा देता है, इस पर मात्र 1.25% कमीशन लिया जाता है। इसके अतिरिक्त क्रेडिट कमिटमेंट चार्ज सामान्य के विपरीत आधा प्रतिशत लिया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने एवं अन्य कन्सलटेन्सी के रूप में व्यय की गयी धनराशि का 75% अनुदान किये जाने का प्रावधान है जबकि सामान्य जनपदों में यह

छूट मात्र 50% है।

(य) आयकर में छूट :—

इसके अन्तर्गत पिछड़े जनपदों में लगे उद्योगों को आयकर की छूट दी जाती है। यह छूट आयकर अधिनियम की धारा 80 के अनुसार लाभांश में 20% डिडक्शन कर 10 वर्षो तक दी जाती है।

(र) सावधि ऋण में उदारता :—

इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा पिछड़े जनपदों में सामान्य जनपदों की तुलना में 1.5% कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाता हैं।

5.5.3 'पायनियर' तथा 'प्रेस्टिज' इकाइयों को विशेष पूँजीगत उपादान तथा बिक्रीकर से छूट की सुविधा :—

प्रदेश के औद्योगीकरण की गति को बढावा दिये जाने तथा प्रत्येक जनपद में कम से कम एक भारी उद्योग की स्थापना की राज्य सरकार की नीति की सफलता को सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में 'पायनियर' तथा 'प्रेस्टिज' इकाइयों की व्यवस्था लागू की गयी है। इस योजना मे ऐसी औद्योगिक इकाई जो जनपद में तहसील स्तर पर सर्वप्रथम स्थापित की जाय तथा जिसका अचल पूँजी विनियोजन एक करोड़ रू0 से अधिक हो, 'पायनियर' इकाई मानी जायेगी। इसी प्रकार ऐसी औद्योगिक इकाई जिसका अचल पूँजी विनियोजन 25 करोड़ रू0 से अधिक हो 'प्रेस्टिज' इकाई मानी जायेगी। 'पायनियर' इकाई के स्थायी विनियोजन पर राज्य सरकार द्वारा 15% की दर से विशेष राज्य पूँजी उपादान दिये जाने की योजना है। जिसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रू0 होगी। ऐसी पायनियर इकाई का उत्पादन करने के दिनांक से प्रथम 7 वर्ष की अवधि के लिए निर्मित माल की बिक्री पर बिक्री कर से छूट की सुविधा प्रदान की जायेगी। पायनियर इकाइयों की ही तरह उपर्युक्त सभी सुविधाये प्रस्टिज इकाइयों को भी अनुमन्य होंगी।

5.5.4 प्रमुख निगमों/संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सहायता, एवं सुविधाये :—

प्रमुख निगमों और संस्थाओं द्वारा औद्योगिक विकास हेतु दी जाने वाली विभिन्न सुविधाये निम्नलिखित हैं —

(अ) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर :—

यह निगम भूमि, भवन एवं मशीनरी पर लघु औद्योगिक इकाइयों को सावधि ऋण प्रदान

करता है।

(ब) उत्तर प्रदेश लघु राज्य औद्योगिक विकास निगम कानपुर :–

इस निगम द्वारा औद्योगिक इकाइयो की स्थापना हेतु उद्यमियों को सर्वसाधन सम्पन्न भूमि एव भूखण्डो को उपलब्ध कराया जाता है।

(स) उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर :–

इस निगम द्वारा औद्योगिक इकाइयो को किराया क्रय पद्धति के आधार पर मशीनरी उपलब्ध करायी जाती है तथा लघु उद्योग इकाइयो को उचित मूल्य पर कच्चे माल की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है।

(द) प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन (पिकप) उत्तर प्रदेश लखनऊ :–

इसके द्वारा लघु, मध्यम एवं वृहद औद्योगिक इकाइयो को सावधि ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। यह केन्द्र/राज्य वित्तीय संस्थानों अथवा बैंक के साथ संयुक्त रूप से मिलकर 30 लाख रू0 से ऊपर वाली औद्योगिक निवेश की इकाइयों को ऋण की सुविधा प्रदान करता है।

(य) उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम कानपुर :–

इस निगम द्वारा बुनकरों को उचित मूल्य पर बनी ऊनी धागे एवं उनसे बने कपडों की बिक्री मे सहायता दी जाती है।

(र) उत्तर प्रदेश निर्यात निगम कानपुर :–

निर्यात निगम द्वारा वस्तुओं के निर्यात में मुख्य रूप से सुविधा दी जाती है। यह कालीन बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से उद्यमियों को प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराता है।

(ल) उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लखनऊ :–

इस निगम द्वारा अल्पसख्यक वर्ग के उद्यमियो को उद्योग सेवा एवं व्यवसाय के लिए मार्जिन मनी की सुविधा 7.5% वार्षिक ब्याज की दर पर उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त ब्याज रहित वजीफा ऋण योजना, मैन पावर एक्सपोर्ट योजना में पंजीकरण, पुलिस एवं सेना में भर्ती हेतु प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है।

(व) उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल कन्सलटेन्ट लि0 कानपुर :–

इसके द्वारा दो महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न होते हैं, प्रथम– लघु, मध्यम एवं वृहद औद्योगिक इकाइयों के लिए योजना तैयार करने हेतु उद्यमियों को मदद मिलती है। द्वितीय–उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

(श) उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेन्ट एवं मार्केटिंग कारपोरेशन आगरा :–

इसके द्वारा चर्म उद्योग में संलग्न उद्यमियों एवं कारीगरों को सहायता एवं सुविधा प्रदान की जाती है।

(ष) नेशनल स्माल [illegible]यल कारपोरेशन दिल्ली :–

इसके द्वारा किराया क्रय पद्धति के आधार पर उद्यमियों को मशीन एवं उपकरण उपलब्ध कराया जाता है।

उपर्युक्त विस्तृत विवेचना से स्पष्ट है कि प्रशासन द्वारा अध्ययन क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु अनेकानेक सुविधाये एवं सहायताये उपलब्ध करायी जा रही हैं किन्तु उनका पूरा–पूरा लाभ लाभार्थी उद्यमी नहीं ले पा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण साक्षरता एवं जागरूकता का अभाव है अतः आज आवश्यकता है कि क्षेत्र के सभी साक्षर युवा छोटे–छोटे संगठन बना कर गाँव–गाँव जा कर गोष्ठी का आयोजन कर साक्षरता के प्रति उनका रूझान लाने में मदद करे और सरकार द्वारा औद्योगिक विकास हेतु दी जा रही विभिन्न सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दें ताकि ये साक्षर हो और अपने लिए किये जा रहे प्रशासन के प्रयासों का लाभ ले सकें तथा स्वयं भी सहयोगी बन सकें।

5.6. औद्योगिक विकास एवं सामाजिक –आर्थिक रूपान्तरण :–

अध्ययन क्षेत्र के उपर्युक्त औद्योगिक विकास विवेचना से स्पष्ट है कि जनपद में ग्रामीण विकास की परिकल्पना में ग्रामीण औद्योगीकरण की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूमि पर जनसंख्या दबाव बढ़ने और भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटने के कारण यह अधिक आवश्यक हो गया है कि ग्रामोद्योग का प्रसार किया जाय। वर्तमान समय में विभिन्न योजनाकाल मे ग्रामोद्योग के प्रसार हेतु सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं। आवागमन एवं परिवहन तथा संचार साधनों एवं विद्युत आपूर्ति में वृद्धि से औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने में विशेष सुविधा हुयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक/कुटीर उद्योगों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्थापित इकाइयों तथा दस्तकारी इकाइयों एवं लघु/लघुस्तरीय इकाइयों के विकास से जनपद में औद्योगिक समृद्धि हुयी है। कुछ वृहद एवं मध्यम स्तर के उद्योगों का विकास भी हुआ है किन्तु यह विकास न के बराबर ही है। इन अनेक स्तर की औद्योगिक इकाइयों के विकास से जनपद के लोगों के

सामाजिक–आर्थिक जीवन में दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है, यह सुधार निम्नलिखित रूपों में परिलक्षित है –

5.6.1 रोजगार के अवसर :–

अध्ययन क्षेत्र के औद्योगिक विवरण से ज्ञात होता है कि कृषि के पश्चात ग्रामीण उद्योग ही ऐसा माध्यम है जो ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करने में सूक्ष्म है। वर्तमान परिस्थितियो मे ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि के अन्तर्गत रोजगार के अवसरो का निरन्तर ह्रास हो रहा है जबकि दूसरी ओर ग्रामीण जनसख्या मे तेजी से वृद्धि हो रही है अतः इस बढती हुयी जनसंख्या के लिए रोजगार के लाभप्रद अवसर कृष्येतर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास द्वारा ही उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

ग्रामीण औद्योगीकरण हेतु अपनायी जाने वाली किसी भी व्यूह रचना में सर्वाधिक महत्व लघु औद्योगिक क्षेत्रो के ही दिया जा सकता है क्योकि अध्ययन क्षेत्र में 1988–89 से 1994–95 तक कुल पारिवारिक/कुटीर औद्योगिक इकाइयां क्रमश. उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग द्वारा जनपद में 2,369 इकाइयां स्थापित की गयीं और इनसे 4,740 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इसी तरह इस समयावधि में 4,200 दस्तकारी इकाइयो की स्थापना करके 4,200 लोगों को रोजगार दिलाया गया (ऐक्शन प्लान, फतेहपुर, 1990–91, पृ0 30–33)। इसी प्रकार 1988–89 से 1994–95 तक कुल 2,832 लघु/लघुत्तर इकाइया स्थापित की गयीं जिनसे 14,285 श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार सारणी 5.5 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में वृहद एवं मध्यम स्तर के उद्योगों का विकास भी हुआ है। इनके अतिरिक्त पारिवारिक एवं अन्य उद्योग भी स्थापित हुए हैं जिनसे अधिक संख्या में श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हुए है। जनपद फतेहपुर में कुछ सम्भावित उद्योग भी है, जिनसे लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ होगें, इनमें– लघुस्तरीय उद्योगों से सलगभ 768 श्रमिको को रोजगार मिलेगा तथा वृहद एव मध्यम स्तरीय उद्योगों से लगभग 1,906 श्रमिकों को रोजगार सुलभ होगा (औद्योगिक–प्रेरणा, फतेहपुर, 1990–91, पृ0 51–53)।

ध्यातव्य है कि विभिन्न स्तर के औद्योगिक विकास से लोगों का रोजगार के नये–नये अवसर सुलभ हो रहे हैं जिससे लोगों की आय में वृद्धि हो रही है परिणामस्वरूप इनके जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है।

5.6.2 शिक्षा प्रसार :–

सर्वविदित तथ्य है कि जब लोगों के रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है तो उनकी आमदनी में वृद्धि होती है और जब आमदनी में वृद्धि होती है तभी लोग खान–पान, रहन–सहन और शिक्षा–दीक्षा के स्तर को अच्छा से अच्छा करने की सोच पाते हैं। अध्ययन क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार

हो रहा है। यह तथ्य इससे स्पष्ट होता है कि सन् 1981 में जनपद की कुल साक्षरता 26% थी, इस समय 44.4% ग्रामीण तथा 41 7% नगरीय साक्षरता थी जो 1991 में बढकर 44.7% हो गयी। इसी प्रकार सन् 1991 में ग्रामीण एव नगरीय साक्षरता का क्षेत्रीय प्रतिशत बढकर क्रमशः 42.9 और 61 हो गया है। इसी तरह 1981 मे पुरुषो की कुल साक्षरता 38.9% थी, इसमे 36.8% ग्रामीण और 50. 5% नगरीय साक्षरता का प्रतिशत था। सन् 1991 मे पुरुषों की कुल साक्षरता बढकर 59.9% हो गयी और पुरुषो का ग्रामीण तथा नगरीय साक्षरता का प्रतिशत क्रमश· 58.6 और 71.6 हो गया। इसी प्रकार 1981 मे स्त्रीयो की कुल साक्षरता 12 4% थी, इसमें 10.6% ग्रामीण और 31.6% नगरीय सारक्षता थी। 1991में स्त्रीयो की कुल साक्षरता बढकर 27.2% हो गयी, इसमे ग्रामीण और नगरीय साक्षरता का प्रतिशत क्रमशः 24.9 और 48.7 हो गया। इस विवरण से स्पष्ट है कि जैसे–जैसे लोगो के रोजगार और आय में वृद्धि हो रही है, अध्ययन क्षेत्र में शिक्षा का स्तर ऊँचा उठ रहा है।

5.6.3 स्वास्थ्य और स्वच्छता परिवर्धन :–

शिक्षा की तरह ही स्वास्थ्य और स्वच्छता का लोगों के रोजगार के अवसरों तथा आमदनी में हुयी वृद्धि से सीधा सम्बन्ध हैं क्योकि जब तक व्यक्ति के पास उसकी मूलभूत आवश्यकओं आहार, वस्त्र और आवास की आपूर्ति हेतु पर्याप्त साधन सुलभ नहीं होते तब तक वह अन्य आवश्यकताओं, जैसे–शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य जीवनोपयोगी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सोच भी नहीं सकता। किन्तु जैसे ही मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वह इन आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु स्वयंमेव उन्मुख हो जाता है। यद्यपि वर्तमान समय में जनपद में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं में पर्याप्त वृद्धि हुयी है तथापि यह पूर्णता से बहुत कम है, उदाहरणार्थ – 1981 प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों की संख्या 1.8 थी जो 1991 में बढ़कर 3.2 पहुँच गयी। इसी प्रकार 1981 में प्रति लाख जनसंख्या पर उपलब्ध चिकित्सालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सख्या 7.3 थी तो 1991 मे बढकर 13.8 हो गयी। इसी तरह 1981 में ग्राम में ही उपलब्ध चिकित्सालयों का कुल प्रतिशत 1.85 था जो 1991 में बढकर 4 07% हो गया। इसी तरह 1981 में ग्राम में ही आयुर्वेदिक चिकित्सालयों कुल प्रतिशत 1.27 था जो 1991 मे बढकर लगभग 2% हो गया। 1981 में ग्राम में ही परिवार कल्याण केन्द्रों और उपकेन्द्रों का कुल प्रतिशत 19.42 था जो 1991 में बढ़कर 24.57% हो गया। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जैसे–जैसे अध्ययन क्षेत्र में औद्योगीकरण का विकास हो रहा है, स्वास्थ सुविधाओं का प्रसार भी हो रहा है।

5.7 औद्योगिक सम्भाव्यता एवं प्रस्तावित नूतन उद्योग :–

किसी भी क्षेत्र का औद्योगिक विकास कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा संसाधनों की सुलभता, उच्च आवागमन एवं परिवहन अभिगम्यता, सस्ता श्रम, कुशल तकनीक एवं आधुनिकीकरण और

पूँजी इत्यादि सभी तत्वों पर समान रूप से निर्भर करता है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के पिछले विवरण से स्पष्ट है कि धरातलीय विभिन्नता, शक्ति के संसाधनो की कमी और खनिज पदार्थो के अभाव के फलस्वरूप अध्ययन क्षेत्र मे जो विभिन्न प्रकार के उद्योग विकसित हुए हैं उनमें अधिकांश का स्थानीकरण नगरीय क्षेत्रों मे ही हुआ है जिससे इन उद्योगो का ग्रामीण क्षेत्रों मे बहुत कम विकास हो सका है। अतः अध्ययन क्षेत्र में कुछ ऐसे उद्योगों को विकसित करने की आवश्यकता है जिससे नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रो की औद्योगिक दृष्टि से बढती खाई को कम किया जा सके। इसके लिए उद्योगो को दो वर्गो में रखा जा सकता है—

5.7.1 संसाधनों पर आधारित उद्योग :—
5.7.2 मांग पर आधारित उद्योग :—

अध्ययन क्षेत्र मे ससाधन या कच्चे माल की दृष्टि से कृषि उत्पाद, पशु उत्पाद, वनोत्पाद, रेह, ककड और यमुना घाट की बालू की बहुलता है, जिन पर आधारित उद्योग विकसित हो सकते है। दूसरे स्थानीय माग की दृष्टि से उर्वरक, कृषि यत्र, प्रिटिंग प्रेस, सिलाई, कढाई, जाब वर्क्स, लौहकला अथवा लोहार कला, कुम्हार कला, मोमबत्ती, अगरबत्ती, गुड व खाण्डसारी, डलिया, सूप और झाडू आदि सभी उद्योगों के विस्तृत एव लघु दोनो ही पैमाने पर सफल होने के व्यापक अवसर विद्यमान है। जनपद में वृहद एव मध्यम स्तर के उद्योगों का विकास अत्यन्त सीमित मात्रा मे तथा कुछ सीमित स्थानों पर ही हुआ है अत क्षेत्र के विकास के लिए यह आवश्यक है कि यहॉ पर वृहद एव मध्यम स्तर के उद्योगों का और अधिक विकास किया जाय साथ ही इनका विकेन्द्रीकरण भी किया जाय जिससे अध्ययन क्षेत्र के अन्य स्थान भी वृहद एवं मध्यम स्तर के औद्योगिक अधिष्ठानो के लाभ से पूर्ण हो सके। सारणी 5 7 एव 5 8 तथा चित्र 5.3 में प्रस्तावित उद्योगों को प्रदर्शित किया गया है।

5.7.1 संसाधनों पर आधारित उद्योग :—
(अ) कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योग :—

अध्ययन क्षेत्र पूर्णत कृषि आधारित क्षेत्र है क्योकि इसके लगभग तीन चौथाई क्षेत्र पर आज भी कृषि की जाती है जिसके परिणामस्वरूप जनपद में 1991—92 में 285,267 मी0 टन गेहूँ, 112,592 मी0 टन चावल, 89,590 मी0 टन दाल, 14,651 मी0 टन तिलहन, 454,055 मी0 टन गन्ना, और 74,355 मी0 टन आलू का उत्पादन हुआ (सांख्यकीय पत्रिका, फतेहपुर, 1993, पृ0 49)। अतः इन उत्पादनों पर आधारित अनेक प्रकार के उद्योग, जैसे— आटा मिल, चावल मिल, दाल मिल, चीनी मिल, आयल एक्सपेलर/तेलघानी और आलू से सम्बन्धित चिप्स एवं पापड़ आदि उद्योगों को यहॉ पर स्थापित किया जा सकता है। अध्ययन क्षेत्र में इस प्रकार के उद्योग प्रमुखतः

सारणी 5.7

जनपद फतेहपुर · प्रस्तावित पजीकृत वृहद एवं मध्यम स्तरीय उद्योग

क्रम सं0	उद्योग का नाम	पँजी विनियोजन (करोड रू0)	रोजगार सृजन
1.	मोनो क्लोरो एसिटिक एसिड (कार्बोक्सी) मिथाइल सेल्यूलोज	2.50	60
2.	फ्लोर मिल	1.25	80
3.	फोरजिन प्लांट	1.70	75
4.	एल्यूमीनियम कोलायसिविल ट्यूब्स	1.30	80
5.	एल्यूमीनियम मिल्क केन	1.60	80
6.	बेसिक क्रोम सल्फेट	1.50	70
7.	इडिबिल आयल रिडनिंग	2.25	110
8.	पी. एफ. इम्प्रूवमेन्ट केपेसिटर्स	1.00	110
9.	जी. एल एस. लैम्पस एवं फ्लोरोसेन्ट ट्यूब्स	3.37	165
10.	स्पेशल रिलेज	1.41	206
11.	प्रिंटेड सर्किट बोर्ड	1.55	100
12.	टोफेन्ड ग्लास	1.25	28
13.	पी. वी. सी. फोम लेदर	1.20	112
14.	ग्लेज्ड टाइल्स	3.20	263
15.	अपथालमिक ग्लासेज	4.21	87
16.	मेग्नेटिंग रिकार्डिंग ट्यूब्स	1.00	100
17.	पी ई. टी. पोटल्स	1.50	120
18.	कैल्शियम लेक्टेट	1.50	60

स्रोत :– औद्योगिक–प्रेरणा, जिला उद्योग केन्द्र, फतेहपुर, 1990–91, पृ0 51

सारणी 5.8

जनपद फतेहपुर . प्रस्तावित पजीकृत लघु स्तरीय उद्योग

क्रम स0	उद्योग का नाम	पूॅजी विनियोजन (लाख रू0)	रोजगार क्षमता
प्रथम	अभियांत्रिक उद्योग (इंजीनियरिंग आधारित उद्योग)		
1	एल्यूमीनियम के बर्तन (घरेलू)	10.52	12
2.	इन्सेक्टिसाइड स्पेयर्स	20.00	60
3.	गैस लाइटर्स	1.50	8
4.	राइस एव दाल मिल मशीनरी	25.70	16
5	सिलाई मशीन (घरेलू तथा औद्योगिक)	12.60	20
6.	कृषि यंत्र	3 25	17
7	स्टील वेयर्स	4.89	14
8	बोतल वायर्स (ब्रश)	1.18	13
9	सीट कुशन्स	2.93	8
10.	रोलिग शटर्स	4.63	8
द्वितीय	खाद्य आधारित उद्योग		
1.	ब्रेड	3.80	12
2	चूडा	2.70	12
3	तेल सरसो	17.50	29
4.	सेन्टेड टोबेको (सुर्ती)	1.10	6
5.	निजेलित सब्जियां	13.01	35
6.	अचार,चटनी,मुरब्बा	2.13	9
7.	मिष्ठान	0.56	6
8	बिस्कुट	34.64	25
9.	मुर्गी दाना	10.58	6
10.	पिसे मसाले	6.53	11
तृतीय	रसायन तथा चीनी मिट्टी उद्योग		
1.	एसिड स्लरी	8.90	16
2.	क्षारीय रेजिन	10.00	15
3.	ब्लाउन बिटूमिन	15.00	15
4.	इपोक्सी रेजिन	43.00	20

क्रमशः....

5.	फ्युमरिक एसिड	11.00	14
6.	प्रयोग रसायन तथा अभिकर्मक	2.50	10
7.	आप्टिकल वाइटनिंग एजेन्ट	30.75	25
8.	पेस्टीसाइड्स	14.00	22
9.	प्लास्टिक मोल्डेड आइटम	32.00	40
10.	पॉलिस्टर सीट	6.20	10
11.	पी.वी.सी. फुटवियर	5.00	6
12.	सिलिका जेल	8.30	20
13.	शू–पॉलिस	1..90	8
14.	टायर रिट्रीडिंग यूनिट	7.85	10
15.	वेक्स कोटेड पेपर (मोम मंडित कागज)	5.90	15
16.	प्लास्टिक आफ पेरिस (सर्जिकल ग्रेड)	11.00	25
17.	फर्श टाइल्स	8.28	34
18.	चाक	0.48	11
19.	नेफ्थलीन की गोलियां	11.30	14
20.	अगरबत्ती	10.06	21
21.	जन्तुओं से निर्मित सरेस	13.50	8
22.	धुलाई का साबुन	6.43	16
चतुर्थ	चमड़े पर आधारित उद्योग		
1.	चमडे के पर्स, हैण्डबैग	3.30	16
2	चमड़े के जूते, चप्पल	1.96	12
3.	चमड़े के वाशर, फीते	43.28	38

स्त्रोत :– औद्योगिक–प्रेरणा, जिला उद्योग केन्द्र, फतेहपुर, 1990–91, पृ0 52–53

FATEHPUR DISTRICT
PROPOSED INDUSTRIES
N
GANGA
RIVER
YAMUNA
RIVER
Deomai
Amauli
Khajuha
Malwan
Bhitaura
Telyane
FATEHPUR
Bahuwa
Haswa
Hathgoan
Asothar
Airayan
Bijaipur
Dhata
Index
F FLOUR MILL
R RICE MILL
P PULSE MILL
S SUGAR MILL
O OIL MILL
G GUR AND KHANDSARI UNIT
POTATO WAFERS UNIT
SOOTFAINI UNIT
L LEATHER UNIT
X PAPER MILL
SOAP UNIT
C CANDLE UNIT
A AGRICULTURAL IMPLEMENTS
+ COLD STORAGE
10 0 10 20
km

Fig. 5.3

देवमई विकासखण्ड में कोडा जहानाबाद में फेनी मिल, आटा मिल, चावल मिल, दाल मिल, चीनी मिल, देवमई में चावल मिल, बकेवर मे आटा मिल व चावल मिल, मलवां विकासखण्ड में शिवराजपुर मे ग्रामीण तेलघानी और गुड व खाण्डसारी, कल्यानपुर में आटा मिल, दाल मिल, अमौली विकासखण्ड मे चांदपुर मे आटा व दाल मिल, खजुहा विकासखण्ड में जोनिहा में दाल व आटा मिल, चावल मिल, जाफराबाद मे चिप्स व पापड, तेलियानी विकासखण्ड में आटा मिल, भिटौरा विकासखण्ड में तारापुर और हुसैनगंज मे आटा व चावल मिल, हसवा मे आटा व दाल मिल, बहुआ मे चीनी मिल शाह व गाजीपुर मे आटा, दाल व तेलघानी तथा चिप्स एवं पापड असोथर विकासखण्ड मे ललौली मे दाल व आयल एक्सपेलर, हथगॉव विकासखण्ड में छिवलहा में फेनी मिल, चावल मिल, ऐरायां मे बहरामपुर में आटा मिल, मुहम्मदपुर गौंती में चावल मिल तथा ग्रामीण तेलघानी, विजयीपुर में रामपुर में आटा और दाल मिल तथा धाता विकासखण्ड के पौली नामक स्थान पर कृषि उत्पाद आधारित इसी प्रकार की छोटी एव बडी सुविधानुसार औद्योगिक इकाइयों के साथ–साथ अनाज–दाल प्रशोधन केन्द्र तथा मसाला पीसने की लघु इकाइयों की स्थापना भी इन विकासखण्डो में की जा सकती है, जिससे जनपद की उपभोक्ता वस्तुओं की मांग को क्षेत्रीय इकाइयों से ही पूरा किया जा सकेगा। ध्यातव्य है कि इन औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए स्थानों का चयन विकासखण्डों में सर्वाधिक विकसित स्थानों व परिवहन साधनों के विकास तथा सस्ते मानव श्रम की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। यदि उपर्युक्त ढंग से उद्योगों को जनपद में स्थापित किया जायेगा तो कालान्तर मे औद्योगिक विकास के साथ–साथ विकेन्द्रीकरण को बढावा मिलेगा जिससे सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र समान रूप से लाभान्वित हो सकेगा।

(ब) पशु एवं पशु उत्पाद पर आधारित उद्योग :–

प्रचीन समय में पशुओं का उपयोग प्रमुख रूप से कृषि व घरेलू दुग्ध आपूर्ति हेतु होता था किन्तु आज इनका उपयोग कृषि और बृहद स्तर पर दुग्ध आपूर्ति के साथ–साथ भोजन व दुग्ध से अनेक प्रकार के खाद्य एवं पेय पदार्थ, जैसे–पनीर, मक्खन व काफी आदि तैयार करने हेतु भी व्यापक तौर पर उपयोग हो रहा है। यही कारण है कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में पशुपालन के बहुमूल्य योगदान को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय योजना में इनके विकास को उच्च प्राथमिकता दी गयी है। राष्ट्रीय पशु नीति का उद्देश्य पशुओं की चुनी हुयी नस्लों की उत्पादकता बढ़ानी है। राज्यों में इस राष्ट्रीय नीति को अपनाकर पशु संवर्धन के अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे है (योजना , जून 1997, पृ0 31)। इसी के परिणामस्वरूप अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 1988 में की गयी पशुगणना के अनुसार 417,184 गोवंशीय शुद्ध 9,287 गोवंशीय क्रासबीड, 324,948 महिषवंशीय, 96,205 भेड देशी, 24,855 बकरा और बकरी 3,272 घोडे एवं टट्टू, 71,324 सुअर देशी, 3,291 सुअर क्रासबीड, 82,623 अन्य पशु, 104,398 कुल मुर्गे, मुर्गियां एवं कुक्कुट और 3,268 अन्य कुक्कुट प्राप्त हुए हैं

(सारणी 4 5)। वर्तमान समय मे पशु उत्पाद के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली अनेक वस्तुये, जैसे–अस्थि, बाल, ऊन, चर्म, अण्डा, मत्स्य और अमिष इत्यादि है। पशुओं की बढती मांग को दृष्टिगत करते हुए अध्ययन क्षेत्र में पशु आहार उत्पाद इकाइयो को स्थापित करना आवश्यक हो गया है। इसके साथ ही साथ ऊनी वस्त्रोत्पादक केन्द्र, ताजा मांसोत्पादक केन्द्र, चर्मशोधक केन्द्र और पशु उत्पाद उर्वरक केन्द्र इत्यादि सभी की स्थापना औद्योगिक दृष्टि से की जानी चाहिए। सन् 1995 के अनुसार जनपद में कुल 319 डेयरी समितिया स्थापित थीं जिनमें क्रमशः देवमई में 54, मलवां में 38, अमौली में 64, और खजुहा मे 63 हैं ये सभी बिन्दकी तहसील में है। इसी तरह तेलियानी में 5, भिटौरा में 18, हसवां मे 9 बहुआ में 22 और असोथर में 10 डेयरी समितियां है। ये सभी फतेहपुर तहसील में हैं इसी प्रकार खागा तहसील के अन्तर्गत विजयीपुर 10, और धाता 26 डेयरी समितियां है (कार्यालय दुग्ध उत्पादक, सहकारी संघ लि0, फतेहपुर)। इस विवरण से स्पष्ट है कि खागा तहसील के अन्तर्गत आने वाले हथगॉव और ऐरायां दोनो ही विकासखण्डों में एक भी दुग्ध समिति नहीं है, दूसरे बिन्दकी तहसील की तुलना मे फतेहपुर और खागा तहसील में सीमित संख्या में है दुग्ध समितियां उपलग्ध है किन्तु आज मानव प्रगति को कुपोषण रूपी महामारी से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से अत्यधिक मात्रा मे दुग्ध की आपूर्ति आवश्यक है अतः उपर्युक्त दोनों विकासखण्डों (हथगॉव और ऐरायां) में दुग्ध समितियो को स्थापित करने के साथ–साथ बिन्दकी तहसील की तरह ही अन्य दोनों तहसीलो में भी समान दुग्ध समितियां स्थापित की जानी चाहिए। जनपद मे यद्यपि लघु पैमाने पर कई क्षेत्रों मे चमडे के सामान बनाने के कारखाने स्थापित है किन्तु अध्ययन क्षेत्र की बढती मांग को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक चर्म इकाइयां स्थापित करने की आवश्यकता है। ये चर्म इकाइयां जनपद में अमौली में गोहरारी, खजुहा में जोनिहां, भिटौरा में फरीदपुर, हसवा में रामपुर, बहुआ में शाखा, महना, असोथर में ललौली और कोर्राकनक, हथगॉव में छिवलहा, सवते और पट्टीशाह, ऐरायां में बहादुरपुर, विजयीपुर में किशुनपुर शहरी क्षेत्र, खखरेरू और धाता में जाम और कोट आदि सभी स्थानो पर अधिकतर छोटी तथा कुछ बडी इकाईयां भी स्थापित की जा सकती है। इसके द्वारा अध्ययन क्षेत्र की चर्म से विनिर्मित सामानों की बढ़ती मांग, उदाहरणार्थ–जूता, चप्पल, झोला और बेल्ट इत्यादि को पूरा किया जा सकेगा। इनके अतिरिक्त जनपद में मांस को विस्तृत पैमाने पर उत्पादित एव संरक्षित करके इसके निर्यात द्वारा इच्छुक उद्यमी अपेक्षित धनोपार्जन कर सकते है।

(स) वनोत्पाद आधारित उद्योग :–

मानव जीवन में अनादि काल से ही वनों का बड़ा महत्त्व रहा है क्योंकि ये सदा से ही मानव जीवन को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूपों मे लाभान्वित करते रहे हैं। आज भी हमारे देश की लगभग 70% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है (योजना, अप्रैल 1997, पृ0 20)। जिसकी बहुत सी

आवश्यकताए, जैसे—जलौनी लकडी, पशुओ के लिये चारा, गृह निर्माण हेतु इमारती लकडी तथा कृषि उपकरणों हेतु लघु काष्ठ आदि वनों एव वृक्षों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से ये सम्पूर्ण मानव प्रजाति व अन्य जीवधारियो के लिये प्राणवायु, औषधियां तथा जलवर्षण में सहायक होते हैं जिससे कृषि विकास सकारात्मक रूप मे प्रभावित होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव जीवन वृक्षों व वनस्पतियो के अभाव मे सम्भव ही नहीं है।

वनोत्पाद आधारित उद्योगों के अन्तर्गत प्राकृतिक तथा मानव द्वारा आरोपित उद्यानोत्पाद दोनों को ही शामिल किया जाता है। जनपद मे वन वृक्षों के अन्तर्गत आम, महुआ, नीम, पीपल, बरगद, जामुन, शीशम, अमरूद, करौदां, नीबू, कटहल आंवला, धाक, बांस, बबूल इत्यादि बहुतायत से मिलते है। इन वृक्षों में फलदार वृक्षों से फल प्राप्त होते है। बबूल की छाल से चर्मशोधन का कार्य होता है। बांस का उपयोग गृह सज्जा, कागज व दैनिक उपयोग की वस्तुओं के निर्माण मेंहोता है। शीशम व आम की लकडियों का उपयोग मनुष्य अपने निवास गृह की खिड़की, चौखट, कुर्सी, मेज, तखत इत्यादि अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करता है।

स्मरणीय तथ्य है कि जनपद में कागज निर्माण की एक भी औद्योगिक इकाई नहीं है जबकि यहॉ पर विद्यार्थियों की सख्या में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है जिसकी स्थापना अत्यंत आवश्यक है जो सर्वप्रथम मलवां में स्थापित की जा सकती है क्योकि यहॉ पर परिवहन साधन अत्यंत विकसित अवस्था में है साथ ही काष्ठ उद्योग को विस्तृत पैमाने पर विस्तारित करने की आवश्यकता है ताकि मांग की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर की जा सके।

5.7.2 मांग पर आधारित उद्योग :–

औद्योगिक जगत में कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिन्हें कच्चे माल की अपेक्षा स्थानीय मांग अधिक प्रभावित करती है। इन उद्योगों में अगरबत्ती, मोमबत्ती, धूपबत्ती, कृषि यंत्र, कृषि रसायनों, विद्युत उपकरण तथा पुस्तकें आदि प्रमुख है। इन उद्योगों के लिए उपयोगी संसाधनों की आपूर्ति क्षेत्रीय संसाधनों से हो पाना असम्भव है किन्तु उत्पादित माल की अत्यधिक स्थानीय मांग के परिणामस्वरूप उत्पादित माल में व्यय धनराशि या निवेश की गयी धनराशि यद्यपि अधिक होगी तथापि अत्यधिक मांग के कारण इन इकाइयो को अवश्य लाभ होगा। जनपद में औद्योगिक इकाइयों को पारिवारिक/कुटीर उद्योग तथा लघु एवं लघुत्तर तथा वृहद एवं मध्यम सभी स्तर की इकाइयों को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थापित किया जाना आवश्यक है।

स्वतंत्रता के 50 वर्ष पश्चात भी जनपद औद्योगिक दृष्टि से पूर्णतया पिछड़ा हुआ है। अत: अब राष्ट्रीय व राजकीय दोनों स्तर के प्रशासन को चाहिए कि वह कुछ इस प्रकार की औद्योगिक नीति निर्धारित करे जिससे 'अ' श्रेणी (अधिक पिछड़े) के औद्योगिक क्षेत्रों को औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध बनाया जा सके। औद्योगिक समृद्धि की दृष्टि से जनपद में सारणी 5.7 और 5.8 तथा चित्र

53 में प्रस्तावित उद्योगों को स्थापित किया जाना चाहिए जिससे लोगो में आर्थिक सम्पन्नता आयेगी। फलस्वरूप लोगों में आत्मनिर्भरता बढेगी जिससे बेरोजगारी की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। प्रशासन ने अपने उद्यमियों हेतु अनेक प्रकार की औद्योगिक सुविधाओं की व्यवस्था की है किन्तु उसके उद्यमी अज्ञानतावश उनका भलीभाँति लाभ नहीं अर्जित कर पा रहे हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इन सुविधाओं की प्राप्ति हेतु उन्हे जागरूक बनाया जाय तथा उद्यमियों को भी चाहिए कि वह अपने लिए प्रदत्त सुविधाओं के प्रति जागरूक हों। इससे अध्ययन क्षेत्र के औद्योगीकरण मे बहुत अधिक सहायता मिल सकेगी और जनपद औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न एवं समृद्ध हो सकेगा।

5.8 औद्योगीकरण एवं नवीन सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण :–

किसी भी क्षेत्र में औद्योगीकरण के फलस्वरूप महत्वपूर्ण नवीन सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन होते हैं चाहे ये क्षेत्र ग्रामीण हो या नगरीय। कृषि पर आधारित समाज निश्चित ही औद्योगिक समाज की तुलना में पिछडा हुआ होता है यह तथ्य औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व के समाज के अध्ययन से और भी स्पष्ट हो जाता है। इस समय समाज में विभिन्न क्षेत्रों, जैसे–पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक आदि सभी में विकास के बहुत कम अवसर उपलब्ध थे। इस समय मानव संयुक्त परिवारों मे ही रहता था। परिवार नियोजन के प्रति उसकी प्रतिकूल धारणा थी। स्त्रियों का घर पर रहना ही पसन्द करता था। उनकी शिक्षा व नौकरी दोनों ही उनकी दृष्टि में नगण्य थे। बाल–विवाह को प्राथमिकता देता था। जाति–प्रथा और अस्पृश्यता का कट्टरता से अनुसरण करता था। राजनीतिक समाज के प्रति अनभिज्ञ था किन्तु औद्योगीकरण के फलस्वरूप उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में नवीन परिवर्तन स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। शोधकर्ती द्वारा जुलाई 96 मे किये गये ग्रामीण अंचलों के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि पारिवारिक एवं लघुस्तरीय सभी प्रकार के उद्योगों से पारिवारिक आय में वृद्धि हुयी है जिससे आर्थिक स्तर में उन्नयन हुआ है और इस आर्थिक स्तर में उन्नयन के परिणामस्वरूप उसके उपर्युक्त समस्त क्षेत्रों में सोच–समझ में परिवर्तन आया है। आज औद्योगीकरण के बढावा मिलने के फलस्वरूप पारिवारिक दृष्टिकोंण में जो परिवर्तन आया है उससे प्रचीन संयुक्त परिवारो के स्थान पर विखण्डित मूल परिवार प्रवृत्ति को बढावा मिला है अर्थात उसकी दृष्टि में परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी और बच्चों से ही रह गया है जबकि पहले इसमें माता–पिता, भाई–बहन आदि सभी शामिल हुआ करते थे। इसी प्रकार परिवार नियोजन को अपनाने की धारणा बढ़ी है। स्त्रियों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है जिससे उनकी शिक्षा में व्यापक सुधार हुआ है। आज स्त्रियां घर की संकुचित सीमा से बाहर आकर नौकरी व उद्यम द्वारा अपना जीविकोपार्जन करके परिवार की आय–वृद्धि में सहायक हो रही हैं। इसके अतिरिक्त बाल–विवाह के स्थान पर वयस्क विवांह, प्रेम विवाह, अन्तर्जातीय विवाह तथा

विवाह विच्छेद आदि को बढावा मिला है।

सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से जहॉ पहले समाज का जाति के आधार पर बंटवारा होता था वहीं आज समाज का बटवारा उसकी उपलब्धियों के आधार पर हो रहा है जिससे समाज में धनी और निर्धन के जीवन शैली मे अन्तर बढ रहा है। औद्योगीकरण से गन्दी बस्तियो का विकास हुआ है जिससे पर्यावरण प्रदूषित हुआ है। सामाजिक अपराधों को प्रश्रय मिला है जिससे लोगों की शारीरिक क्षमता और आयु मे ह्रास हुआ है। औद्योगीकरण से व्यक्ति की धर्मनिष्ठा में परिवर्तन आया है क्योकि औद्योगिक विकास भौतिकतावाद को बढावा देता है और भौतिकतावाद, धर्मनिष्ठा व नैतिकता का शत्रु है अतः जहॉ भौतिकता होगी वहॉ नैतिकता नहीं होगी, इससे मानव मूल्यों का तीव्रता से ह्रास हुआ है। अब धार्मिक रूढिवादिता और धार्मिक अंधविश्वास के स्थान पर तर्क, विवेक एवं व्यवहारिकता को प्रश्रय मिला है। औद्योगीकरण के कारण ही पहले के तानाशाही शासन के विपरीत आज औद्योगिक दृष्टि से विकसित एवं विकासशील संसार के सभी देशों में सबको समान अधिकार प्रदान करने वाली प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली विकसित हुयी है साथ ही आज के मानव को सम्पूर्ण विश्व के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी रहती है जो औद्योगीकरण के फलस्वरूप विभिन्न संचार साधनों–दूरदर्शन, चलचित्र, आकाशवाणी, दूरभाष, पेजर सेवाये, डाक सेवाये, तार सेवाये इत्यादि के विकास से सम्भव हो सका है। औद्योगीकरण के फलस्वरूप समाज के सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन आया है जिसके लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन, चलचित्र, नौटंकी, ड्रामा, नाटक, नुक्कड नाटक और मेला आदि सभी समान रूप से सहायक हुए है। ग्रामीण स्तर पर मेला का संस्कृति विकास में बहुत प्रभाव पडता है। वह इन सभी से मनोरंजन तो करता ही है साथ ही मानव के ज्ञानार्जन में भी पूर्णत. सहायक है। ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान समय में औद्योगीकरण के प्रश्रय के फलस्वरूप चलचित्र निर्देशक व्यावसायिक फिल्में बनाना पसन्द करते है जिससे अधिकाधिक धनी किया जा सके। इसके लिए ये फिल्मों में अजीबोगरीब दृश्यों को शामिल करते हैं जिसके परिणामस्वरूप युवा वर्ग की मनोवृत्ति प्रभावित हो रही है, नैतिकता का हनन हो रहा है, यौन अपराध बढ रहे हैं, भौतिकता व हिंसा समाज में बढ़ रही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सांस्कृतिक विकास के नाम पर बढ़ावा देने का ढिढोरा पीटना मात्र एक ढकोसला ही प्रतीत होता है।

इससे स्पष्ट है कि औद्योगिक विकास ग्रामीण क्षेत्रों में आय वृद्धि के साथ–साथ उनके जीवन के प्रत्येक पहलू पर अच्छा व खराब दोनों ही तरह का प्रभाव डालता है। इसकी अच्छाई तो यह है कि औद्योगीकरण से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है किन्तु औद्योगीकरण के फलस्वरूप ही भौतिकतावाद को बढावा मिला है, नैतिकता का हनन हुआ है, जो एक स्वस्थ एवं सभ्य समाज के लिए अत्यत हानिकारक है। अतः आज की सर्वप्रमुख आवश्यकता यह है कि औद्योगिक क्षेत्र में इस प्रकार से नियोजन किया जाय जिससे आर्थिक समृद्धि के साथ–साथ नैतिकता का ह्रास न हो सके तथा मानव सुलभ गुणों के विकास का भरपूर अवसर मिल सके। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन को नियंत्रित करने में औद्योगीकरण की एक कारगर एवं सक्रिय भूमिका हो सकेगी।

REFERENCES :

Buchanan, N S. and Ellis, H S 1980 Approaches to Economic Development, S Chand Co Ltd , New Delhi, p.105

Mishra, P 1980 : Uttar Pradesh District Gogetteers, Fatehpur District, Govt. of U P Lucknow, p. 89

एक्शन प्लान, 1988–89 से 1994–95 . जिला उद्योग केन्द्र, फतेहपुर, पृ0 18–19,

औद्योगिक पेरणा, 1990–91 'जिला उद्योग केन्द्र, फतेहपुर, पृ0 31.

कार्यालय दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लि0 फतेहपुर, 1993.

किसान विकास एव औद्योगिक विकास प्रदर्शनी, जिला उद्योग–केन्द्र, फतेहपुर, पृ0 49.

प्रियदर्शी, अशोक 1987 : प्रगति चक्र, जनपद फतेहपुर, पृ0 22–23.

योजना, 1997 : सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, अंक 3, पृ0 31.

सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर,1993 सख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान उ0 प्र0, पृ0 59–64

अध्याय 6
आवागमन एवं संचार साधनों का विकास और सामाजिक – आर्थिक रूपान्तरण

6.1 प्रस्तावना :–

किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का आधार वहॉ की परिवहन व्यवस्था होती है। क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था जितनी ही अच्छी होगी, क्षेत्र का व्यापार उतना ही विकसित होगा और आर्थिक स्थिति उतनी ही सुदृढ होगी। गॉवों का विकास पूर्णत· सडक मार्गो पर आधारित है, क्योंकि ग्रामीणवासी अपना अनाज, साग–सब्जियां एवं दुग्ध इत्यादि सडक मार्गो द्वारा ही शहर एवं स्थानीय मन्डियों में ले जाकर विक्रय करते हैं। सडको का उचित विकास न होने के कारण उन्हें अपना माल मजबूरीवश कम दामों पर ही स्थानीय साहूकारों को बेचना पडता है। शीघ्र नष्ट होने वाली उपभोक्ता वस्तुओं के संदर्भ में और भी कठिनाई होती है। इसी प्रकार रेलमार्गो का आवागमन के साधनों में महत्वपूर्ण स्थान है, इनका सडक मार्गो की अपेक्षा अधिक महत्व है क्योंकि इन्होने औद्योगीकरण की दिशा मे अपना अधिकाधिक योगदान दिया है। सत्य तो यह है कि औद्योगीकरण के साथ–साथ रेलमार्गो का तेजी से विकास हुआ है क्योंकि उद्योगों द्वारा उत्पादित माल उपभोक्ता क्षेत्रों तक पहुॅचाने और उद्योग के.न्द्रों तक कच्चा माल पहुॅचाने में सडक की अपेक्षा रेलमार्ग अधिक सस्ता एवं सुविधाजनक होता है। ध्यातव्य है कि आवागमन एवं संचार साधनों ने विश्व को एक बाजार के रूप मे परिवर्तित करके सम्पूर्ण विश्व के राष्ट्रों को एक–दूसरे के सन्निकट ला दिया है। विश्व के किसी भी कोने में खाद्यान्न, वस्त्र, उपयोगी वस्तुएं, उन्नत औद्योगिक उत्पाद, उत्तम अभियांत्रिकी यंत्र और अद्यतन आविष्कारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिसंचरण आवागमन एवं संचार व्यवस्था के द्वारा ही सम्भव हो पाता है। पर्यटन करने के लिए, दैवी आपदा से बचने के लिए तथा पारिवारिक जीवन से लेकर युद्ध तक प्रत्येक स्थान हेतु प्रतिक्षण आवागमन एवं संचार माध्यम महत्वपूर्ण योगदान करते है। आवागमन एव संचार साधनों से ही एक जन समुदाय को दूसरे के सम्पर्क में आने का मौका मिलता है, उसका उत्संस्करण होता है एवं समन्वित संस्कृति के विकास में मदद मिलती है। इससे नये विचारों, नवीन प्रौद्योगिकी, नवीन जीवन पद्धति के विकास के साथ–साथ सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन का अवसर मिलता है। स्पष्ट है कि मानव जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र, जैसे–सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य विभिन्न नवीन परिवर्तनों में आवागमन एवं संचार साधन अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वर्तमान समय में तो यह शत प्रतिशत सत्य है कि जिस देश की आवागमन एवं संचार व्यवस्था जितनी ही अधिक विकसित होगी वह देश या क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित होगा।

प्रस्तुत अध्याय में फतेहपुर जनपद की आवागमन एवं संचार सुविधाओं की वर्तमान स्थिति

के विश्लेषण एवं संश्लेषण के अतिरिक्त क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण पर इसके प्रभाव के अध्ययन का प्रयास किया गया है।

6.2 परिवहन तन्त्र का विकास :–

आवागमन एव परिवहन के साधन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं–

6 2 1 स्थल परिवहन

6.2.2 जल परिवहन

6.2.3 वायु परिवहन

जनपद में केवल स्थल परिवहन का ही विकास हो पाया है। यद्यपि जनपद की उत्तर और दक्षिण की दोनों ही सीमाओं के सहारे क्रमश गंगा और यमुना सततवाहिनी नदियों का प्रवाह होता है तथा वर्षपर्यन्त जलधारक नहर भी उपलब्ध है तथापि जल परिवहन का उपयोग अत्यंत सीमित स्थानीय क्षेत्रों में ही हो पाया है। किसी हवाई अड्डा के न होने के कारण वायु परिवहन की दृष्टि से जनपद का स्थान नगण्य है। फतेहपुर जनपद का सम्पूर्ण भूभाग समतल मैदान के रूप में है जिसके परिणामस्वरूप स्थलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है। फिर भी आज की औद्योगिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के संदर्भ में इसकी अपर्याप्तता स्वतः स्पष्ट हो जाती है।

6.3 जनपद के सड़क परिवहन का ऐतिहासिक प्रतिरूप :–

जनपद में सन् 1947 में कुल पक्की संडकों की लम्बाई 320 किमी0 थी जिसमें 180 किमी0 सडके सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन थी। सन् 1976 में पक्की सड़कों की कुल लम्बाई 557 किमी0 हो गयी। इसके अतिरिक्त जनपद में 309 किमी0 कच्ची सडके भी थी (जिला गजेटियर, फतेहपुर, 1980, पृ0 274)। इसके बाद सडकों की लम्बाई में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही जो सन् 1984–85 में 763 किमी0, 1985–86 775 किमी0, 1986–87 में 845 किमी0, 1987–88 में 878 किमी0, 1988–89 में 926 किमी0, 1989–90 में 981 किमी0, 1990–91 में 1,078 किमी0, तथा 1991–92 में यह लम्बाई बढकर 1,130 किमी0 तक हो गयी। इसमें 1984–85 में 732 किमी0, 1985–86 में 744 किमी0, 1986–87 में 814 किमी0, 1987–88 में 847 किमी0, 1988–89 में 895 किमी0, 1989–90 में 938 किमी0, 1990–91 में 965 किमी0 तथा 1991–92 मे 1,005 किमी0 सडके सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संरक्षित थी तथा शेष में से 1984–85 से 1988–89 तक 11 किमी0 तथा 1989–90 से 1991–92 तक 12 किमी0 सड़कें जिला परिषद द्वारा संरक्षित थी। इसी प्रकार 1984–85 से 1989–90 तक 20 किमी0, 1990–91 में 90 किमी0 तथा 1991–92 में 102 किमी0 सडकें महापालिका/नगरपालिका/नगरक्षेत्र समिति तथा कैंट की देख–रेख में थी। इसके अतिरिक्त 1990–91 से 1991–92 तक 11 किमी0 सडके अन्य विभागों द्वारा संरक्षित थी (सांख्यिकीय

पत्रिका, फतेहपुर, 1986 (पृ0 69), 1989 (पृ0 91), 1991 (पृ0 86), 1993 (पृ0 87)) ।

6.4 सड़क परिवहन :–

जनपद फतेहपुर में तीन प्रकार की सडके मिलती हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है –

6.4.1 राष्ट्रीय राजमार्ग :–

राष्ट्रीय राजमार्ग जनपद को देश के दूरस्थ स्थित क्षेत्रों से जोड़ने वाला राजमार्ग है। जनपद मे यह राष्ट्रीय राजमार्ग–2 (N H 2) के रूप में स्थापित है। प्राचीन समय से ही इस राजमार्ग को अनेकानेक नामों व उपनामो से अभिहित किया जाता रहा है, जैसे–उत्तरापथ, राजा मुराव के समय में श्रेष्ठ राजमार्ग और ब्रिटिश शासन काल में ग्राण्ड ट्रंक रोड इत्यादि। वर्तमान समय मे भी इसी नाम (ग्राण्ड ट्रंक रोड - G T. Road) से जाना जाता है। यह जनपद के पूर्व में स्थित कौशाम्बी जनपद की सिराथू तहसील की तरफ से फतेहपुर की सीमा में प्रवेश करता है और खागा शहरी क्षेत्र, फतेहपुर शहरी क्षेत्र व बिन्दकी तहसील के मलवां विकासखण्ड से गुजरता हुआ कानपुर औद्योगिक महानगर में प्रवेश कर जाता है। यह सम्पूर्ण जनपद में कुल 90 किमी0 की लम्बाई में विस्तृत है। इसकी देख–रेख एव मरम्मत का उत्तरदायित्व केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा केन्द्र सरकार करती है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग जनपद को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सामरिक दृष्टियों से देश के विभिन्न भागों से संयुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

6.4.2 राजकीय राजमार्ग :–

जनपद में मात्र एक राजकीय राजमार्ग है जिसे राजकीय राजमार्ग–13 (S. H. 13) के रूप में जाना जाता है। यह अध्ययन क्षेत्र को बांदा एवं रायबरेली से सीधे जोड़ता है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग को समकोण पर विभक्त करता है। फतेहपुर में इसकी कुल लम्बाई 60 किमी0 है। इसके निर्माण एवं मरम्मत का भार राज्य सरकार पर है।

6.4.3 अन्य सड़के :–

उपर्युक्त राष्ट्रीय एवं राजकीय स्तर की सड़कों के अतिरिक्त जनपद फतेहपुर कई सड़कों द्वारा क्षेत्र के विभिन्न कस्बों, बाजार केन्द्रों एवं बडे अधिवासों से सम्बद्ध हैं। वर्ष 1991–92 में जनपद में सड़कों की कुल लम्बाई 1,130 किमी0 थी, जिसमें से राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गो की कुल लम्बाई क्रमशः 90 किमी0 और 60 किमी0 थी। इस प्रकार जनपद में अन्य सड़कों की कुल लम्बाई 980 किमी0 थी। अतः जनपद के आन्तरिक आवागमन एवं परिवहन में इन सडकों का

महत्वपूर्ण योगदान है। इन सड़को की देख–रेख एवं मरम्मत का उत्तरदायित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर पालिका, जिला परिषद तथा कैनटोनमेन्ट बोर्ड आदि पर होता है। जनपद में सडक मार्गो की मार्ग संगमता का विश्लेषण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है –

(अ) विभिन्न तहसील मुख्यालय से सडक मार्ग द्वारा संयुक्त विकासखण्ड मुख्यालयों की दूरी किमी0 मे ।

(ब) जनपद मुख्यालय से सडक मार्ग द्वारा संयुक्त जनपद के कुल 6 नगरीय केन्द्रों की दूरी किमी0 में।

(स) कच्ची सड़कें और अन्य मार्ग।

(अ) विभिन्न तहसील मुख्यालयों से सड़क मार्ग द्वारा संयुक्त विकासखण्ड मुख्यालयों की दूरी किमी0 में :–

जनपद में तीन तहसीलें क्रमश. बिन्दकी, फतेहपुर और खागा है जिन्हें विकासखण्ड मुख्यालयों से जोडने वाली सडकों का विवरण निम्नवत है (सारणी 6.1A एवं चित्र 6.1)–

बिन्दकी तहसील :–

यह तहसील जनपद के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके अन्तर्गत 4 विकासखण्ड क्रमशः देवमई, मलवां, अमौली और खजुहा आते हैं। इन विकासखण्डों के मुख्यालय बिन्दकी तहसील मुख्यालय से निम्न सडकों द्वारा सम्बद्ध है–

(1) बिन्दकी से देवमई :–

बिन्दकी से देवमई की सडक मार्ग से कुल दूरी लगभग 22 किमी0 है। यह मार्ग खजुहा विकासखण्ड होकर जाता है। इस प्रकार देवमई, खजुहा से सीधा जुडा हुआ है।

(2) बिन्दकी से मलवां :–

मलवा विकासखण्ड, जो कि औद्योगिक दृष्टि से जनपद का एकमात्र अतिविकसित क्षेत्र है तथा राष्ट्र राजमार्ग–2 (N. H. 2) पर स्थित है, तहसील मुख्यालय से लगभग 26 किमी0 लम्बी सडक द्वारा जुडा हुआ है।

(3) बिन्दकी से अमौली :–

अमौली विकासखण्ड मुख्यालय तहसील मुख्यालय से लगभग 40 किमी0 लम्बी सड़क द्वारा सम्बद्ध है। यह रास्ता भी खजुहा विकासखण्ड से होकर गुजरता है। अतः इन दोनों

सारणी 6.1

जनपद फतेहपुर तहसील – विकासखण्ड मार्ग संगमता

A विभिन्न तहसीलो से सम्बद्ध उनके विकासखण्ड

तहसील मुख्यालय	विकासखण्ड मुख्यालय	सडक मार्ग दूरी (किमी0)
बिन्दकी	देवमई	22.0
	मलवा	26.0
	अमौली	40.4
	खजुहा	7.0
फतेहपुर	तेलियानी	4.8
	भिटौरा	13.6
	हसवा	12.4
	बहुआ	26.0
	असोथर	40.0
खागा	हथगॉव	16.0
	ऐराया	5.2
	विजयीपुर	13.0
	धाता	36.0

B. जनपद मुख्यालय : नगरीयक्षेत्र मार्ग संगमता

जनपद मुख्यालय	नगरीय क्षेत्र	जनपद मुख्यालय—नगरीय क्षेत्र (दूरी किमी0)
फतेहपुर	फतेहपुर	0.0
फतेहपुर	बिन्दकी	32.0
फतेहपुर	खागा	34.0
फतेहपुर	जहानाबाद	56.4
फतेहपुर	बहुआ	26.0
फतेहपुर	किशुनपुर	54.0

स्रोत – परिवहन विभाग, जनपद फतेहपुर, 1996

FATEHPUR DISTRICT
TRANSPORT SYSTEM
1991-92
N
FROM KANPUR
FROM GHATAMPUR
Jahanabad
Khajuha
BINDKI
Malwan
TO LALGANJ
GANGA
TO RAE BARELI
Bhitaura
SH-13
RIVER
Amauli
FATEHPUR
Hathgaon
Sah
NH-2
Bahuwa
Ghazipur
KHAGA
FROM BANDA
Asothar
TO ALLAHABAD
Bijaipur
YAMUNA
RIVER
Kishunpur
Dhata
NATIONAL HIGHWAY
STATE HIGHWAY
METTALED ROAD
UNMETTALED ROAD
CART TRACK
RAILWAY LINE
10
0
10
20
km

Fig. 6.1

विकासखण्डों के बीच सीधा सडक सम्पर्क है।

(4) बिन्दकी से खजुहा :–

चूँकि तहसील मुख्यालय इसी विकासखण्ड के अन्तर्गत स्थित है अतः यह विकासखण्ड मुख्यालय से अत्यधिक नजदीक है। इस सड़क मार्ग की लम्बाई मात्र 7 किमी0 है किन्तु इतना छोटा सड़क मार्ग भी वर्षा ऋतु में जलभराव के कारण परिवहन योग्य नहीं रह जाता है।

फतेहपुर तहसील :–

इस तहसील के अन्तर्गत जनपद के 5 विकासखण्ड क्रमशः तेलियानी, भिटौरा, हसवा, बहुआ और असोथर समाहित है। फतेहपुर नगर की स्थिति जनपद के ठीक मध्य में पायी जाती है। इसकी विभिन्न विकासखण्ड मुख्यालयों से जोडने वाली सड़क मार्गो का विवरण निम्न प्रकार है–

(1) फतेहपुर से तेलियानी :–

फतेहपुर की स्थिति तेलियानी विकासखण्ड में ही पायी जाती है इसी कारण इनके मुख्यालयों के बीच पारस्परिक दूरी मात्र 4.8 किमी0 है। इस समीपता के कारण ही तेलियानी विकासखण्ड मुख्यालय में अपेक्षित विकास सेवाओं का केन्द्रीकरण नहीं हो पाया है क्योंकि यह फतेहपुर नगर के उपान्त का भाग बन गया है। यहॉ के निवासी अपनी विभिन्न आवश्कताओं की पूर्ति हेतु फतेहपुर नगर पर ही आश्रित है।

(2) फतेहपुर से भिटौरा :–

यहॉ तहसील और विकासखण्ड मुख्यालयों के मध्य सड़क मार्ग की कुल दूरी लगभग 13. 6 किमी0 है। इस विकासखण्ड का एकमात्र सर्वाधिक विकसित क्षेत्र छेऊॅंका उर्फ हुसैनगंज है।

(3) फतेहपुर से हसवा :–

हसवा विकासखण्ड मुख्यालय तहसील मुख्यालय से लगभग 12.4 किमी0 लम्बे सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा है, जिसके कारण यह विकासखण्ड तहसील में उपलब्ध सुविधाओं का समुचित लाभ आसानी से प्राप्त कर लेता है।

(4) फतेहपुर से बहुआ :–

बहुआ और फतेहपुर 26 किमी0 लम्बे सड़क मार्ग द्वारा परस्पर जुड़े हुए हैं, जो राजकीय राजमार्ग–13 (S. H. 13) का भाग है।

(5) फतेहपुर से असोथर :–

इस विकासखण्ड का मुख्यालय तहसील मुख्यालय से लगभग 40 किमी0 लम्बी सडक मार्ग द्वारा जुडा हुआ है। इसका लगभग आधा भाग राजकीय राजमार्ग–13 द्वारा बनाया जाता है। यह सडक मार्ग भी बहुआ विकासखण्ड से होकर जाता है।

खागा तहसील :–

यह तहसील जनपद फतेहपुर के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इसके अन्तर्गत 4 विकासखण्ड क्रमशः हथगॉव, ऐरायां, विजयीपुर और धाता सम्मिलित हैं। इस तहसील से इन विकासखण्ड मुख्यालयों को सम्बद्ध करने वाली विभिन्न सडक मार्गो का विवरण अग्रलिखित है–

(1) खागा से हथगाँव :–

हथगॉव विकासखण्ड मुख्यालय तहसील केन्द्र से लगभग 16 किमी0 लम्बे सड़कमार्ग द्वारा संयुक्त है। इस विकासखण्ड का विकसित स्थान रजीपुर छिवलहा है जो इसी सड़क मार्ग पर स्थित है।

(2) खागा से ऐरायां :–

खागा तहसील मुख्यालय इसी विकासखण्ड मे स्थित है जो विकासखण्ड मुख्यालय से मात्र 5.2 किमी0 लम्बे सडक मार्ग द्वारा जुडा हुआ है।

(3) खागा से विजयीपुर :–

खागा तहसील मुख्यालय से विजयीपुर विकासखण्ड मुख्यालय लगभग 13 किमी0 लम्बी सडक मार्ग द्वारा सम्बद्ध है। किशुनपुर शहरी क्षेत्र इसी विकासखण्ड में स्थित है।

(4) खागा से धाता :–

इस विकासखण्ड का मुख्यालय तहसील से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है जो लगभग 36 किमी0 लम्बे सडक मार्ग द्वारा तहसील केन्द्र से सम्बद्ध है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि जहॉ जनपद के सभी विकासखण्ड मुख्यालयों को उनके समीपस्थ तहसील मुख्यालयों से सडक मार्गो द्वारा सम्बद्ध किया गया है जिससे उनके बीच समुचित प्रशासनिक व्यवस्था कायम हो सके, वहीं दूसरी तरफ ऐसी सड़कों का अभाव है जो एक विकासखण्ड मुख्यालय को दूसरे से एवं विकासखण्ड मुख्यालयोंको ग्राम्य–नगरों अथवा केन्द्रीय ग्रामों से जोड़ती है। वास्तव में विकासखण्डों का नियोजनात्मक तन्त्र पिछले तीन चार दशकों की

जुडा हुआ है । यह सडक मार्ग बिन्दकी नगरीय क्षेत्र से होकर गुजरता है । यह नगरीय क्षेत्र देवमई विकासखण्ड में स्थित हैं ।

(5) फतेहपुर–बहुआ सड़क मार्ग :–

बहुआ नगरीय क्षेत्र फतेहपुर जनपद मुख्यालय से लगभग 26 किमी0 लम्बी सडक द्वारा सम्बद्ध है जो राजकीय राज मार्ग–13 का भाग है । यह नगरीय क्षेत्र बहुआ विकासखण्ड मुख्यालय में ही विकसित हुआ है ।

(6) फतेहपुर–किशुनपुर सड़क मार्ग :–

किशुनपुर नगरीय क्षेत्र जनपद मुख्यालय से लगभग 56 किमी0 लम्बे सडक मार्ग द्वारा सम्बद्ध है । यह मार्ग खागा नगरीय क्षेत्र से होकर गुजरता है । इस मार्ग में भी सामान्य सडक तथा राष्ट्रीय राजमार्ग–2 दोनों का ही योगदान है । ध्यातव्य है कि यह शहरी क्षेत्र सबसे कम विकसित है जिसका प्रमुख कारण जनपद मुख्यालय से अपेक्षाकृत अधिक दूरी, परिवहन साधनों के अभाव तथा इसके पश्च क्षेत्र का पिछडा होना है । इसकी स्थिति विजयीपुर विकासखण्ड में है ।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि जनपद के कुल 6 नगरीय क्षेत्रों में से तीन क्रमश. फतेहपुर, बिन्दकी और खागा अधिक विकसित तथा शेष तीन–कोडा जहानाबाद, बहुआ और किशुनपुर कम विकसित अवस्था मे है, जिसमें सडक मार्गो की अभिगम्यता एवं मार्ग संगमता का महत्वपूर्ण योगदान है ।

(स) कच्ची सड़कें और अन्य मार्ग :–

उपर्युक्त राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग एवं अन्य पक्की सड़कों केअतिरिक्त फतेहपुर जनपद में खडन्जा लगी और कच्ची सड़कों का भी एक जाल सा बिछा हुआ है । ये मार्ग ग्रामीण क्षेत्रों को कस्बों एवं पक्की सडकों को जोडते हैं । ये सम्पर्क मार्ग वर्षा ऋतु में उपयोग में नहीं लाये जा सकते क्योंकि जलभराव के कारण प्राय· आवागमन हेतु अयोग्य हो जाते हैं । वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व्यापक सडक निर्माण अभियान चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत 1,500 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गॉवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना है । इन्ही सडक मार्गो के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र कस्बों एवं विकासखण्ड मुख्यालयों से जुड रहे हैं, फलस्वरूप ग्रामीण आवागमन एवं परिवहन में काफी विकास हुआ है जिससे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन की गति को तेज करने में मदद मिली है । सारणी 6.2 से स्पष्ट है कि फतेहपुर जनपद में आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990–95) के अन्तर्गत सड़कों की कुल लम्बाई 1,304.3 किमी0 का लक्ष्य रखा गया, जिसके लिए 730.50 लाख रू0 खर्च करने का प्रावधान किया

सारणी 6 2

जनपद फतेहपुर · राजमार्गों के विकास हेतु परिव्यय

क्रम स0	मद/विषय	1990–95		1995–2000	
		लक्ष्य/खर्च किया गया धन (लाख रू0)	किमी0	लक्ष्य/खर्च किया गया धन (लाख रू0)	किमी0
1	पक्के राजमार्ग, अन्य ग्रामीण राजमार्ग (किमी0)	730 50	1,304 3	1,385.70	1,690
2	कुल खर्च किया गया धन	722.30	–	1,279.80	–
2 1	जनपद सेक्टर (Coverd Under M N P)	499 70	–	929.30	–
2 2	राजकीय सेक्टर (Not Coverd Under M N P)	222 53	–	350.50	–

Source Fatehpur District Development Plan, 1990 - 2000, General and Sectoral Profile, State Planning Institute, Lucknow, Fatehpur, 1990

गया था। इसमें से 722.30 लाख रू0 ही खर्च किये गये। इस धनराशि में 499.77 लाख रू0 Minimum Need Programme (M N P) के अन्तर्गत जनपद सेक्टर द्वारा तथा 222.3 लाख रू0 राजकीय सेक्टर द्वारा खर्च किये गये। इसी प्रकार नवीं पचवर्षीय योजना (1995–2000 ई0) के अन्तर्गत सडकों की कुल लम्बाई 1,690 किमी0 करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 1385. 70 लाख रू0 खर्च करने का प्रावधान है। इस धनराशि मे से 929.30 लाख रू0 Minimum Need Programme के अन्तर्गत जनपद सेक्टर द्वारा तथा 350 50 लाख रू0 राजकीय सेक्टर द्वारा खर्च किये जायेंगे। स्मरणीय है कि राजनैतिक सकट के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना का समय सन् 1992–97 तथा नवीं पंचवर्षीय योजना का समय सन् 1997–2002 तक निर्धारित कर दिया गया है।

इस विवरण से स्पष्ट है कि वर्तमान समय मे जनपद में राजमार्गो के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे विकास सुविधाओ के सुवितरण से ग्रामीण वासियों के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने मे मदद मिलेगी।

6.5 परिवहन तन्त्र का स्थानिक प्रतिरूप :–

इसके अन्तर्गत जनपद में सडक अभिगम्यता, सडक धनत्व, आवागमन प्रवाह, रेलमार्ग और रेलमार्ग अभिगम्यता आदि का अध्ययन किया गया है।

6.5.1 सड़क–अभिगम्यता :–

समतल मैदानी धरातल होने के कारण अध्ययन क्षेत्र में सडकों का अच्छा विकास हुआ है। जनपद में 15.25% ग्राम ऐसे हैं जिन्हें पक्की सडको तक पहुँचने के लिए 5 किमी0 से अधिक की दूरी तय करनी पडती है जबकि 30.47% ग्रामों को ग्राम में ही पक्की सड़कों की सुविधा उपलब्ध है इसी प्रकार 9.76% ग्रामों को बस स्टाप/बस स्टेशन की सुविधा प्राप्त है जबकि 37.35 ग्रामों को अभी भी बस स्टाप/बस स्टेशन की सुविधा 5 किमी0 से अधिक की दूरी पर उपलब्ध है (सारणी 6.3)।

अध्ययन क्षेत्र में सडक अभिगम्यता को चित्र 6 2 से स्पष्ट किया गया है। चित्र के निरीक्षण से ज्ञात होता है कि सड़कों की दृष्टि से सर्वाधिक अभिगम्य क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग–2 एवं राज्य राजमार्ग–13 के सहारे स्थित हैं। अभिगम्यता के सन्दर्भ में अध्ययन क्षेत्र को तीन क्षेत्रों में बांटा जा सकता है –

(अ) उच्च अभिगम्यता :–

इसके अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र के वे भाग आते है जिनकी स्थिति सड़क मार्गो से 2.5 किमी0

सारणी 6 3

जनपद फतेहपुर · ग्रामीण आवागमन एव परिवहन सुविधाये (प्रतिशत मे)

आवागमन एवं परिवहन के विभिन्न साधन	ग्राम में	1 किमी0 से कम	1 – 3 किमी0	3 – 5 किमी0	5 किमी0 से अधिक	कुल प्रतिशत
बस स्टाप	9.76	3.85	22.04	27.00	37 35	100 %
रेलवे स्टेशन	0.74	0.30	4.36	8 58	86.02	"
पक्की सडकें	30.47	4.73	28 85	20 71	15 24	"

स्त्रोत — सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर 1993, पृ0 120—123

सारणी 6.4

यातायात प्रवाह

क्रम सं0	राजमार्ग	भारी वाहन	हल्के वाहन	दोपहिया वाहन	योग
1.	फतेहपुर से कानपुर जाने वाले वाहन (N.H. - 2)	62	65	120	247
2.	कानपुर से इलाहाबाद जाने वाले वाहन (N.H. - 2)	76	65	112	253
3.	फतेहपुर से कानपुर जाने वाले वाहन (N.H. - 2) बाई पास	113	10	17	140
4.	फतेहपुर से इलाहाबाद जाने वाले वाहन (N H.- 2) बाई पास	107	12	13	132
5.	फतेहपुर से बांदा जाने वाले वाहन (S.H. - 13) बांदा सागर रोड	59	47	260	366
6.	बांदा से फतेहपुर आने वाले वाहन (S H. - 13) बांदा सागर रोड	66	53	235	354

स्रोत :— निजी सर्वेक्षण, 7—9 अगस्त 1996, समय 11.00 A M. to 2 00 P.M

FATEHPUR DISTRICT
TRANSPORT SYSTEM
ACCESSIBILITY BY ROADS
1991-92
N
GANGA RIVER
YAMUNA RIVER
FATEHPUR
Bindki
Khaga
in km
< 2 5 High
2.5 – 5 0 Medium
> 5.0 Low
10 0 10 20
km

Fig. 6.2

से कम दूरी पायी जाती है। इसमे पश्चिम मे स्थित बिन्दकी तहसील का सर्वोपरि स्थान है। इसके बाद फतेहपुर एवं खागा तहसीलो का अनुक्रम है। इस उच्च अभिगम्यता में परिवहन मार्गो के विकास के साथ–साथ कानपुर महानगर के प्रभाव का स्पष्ट संकेत मिलता है।

(ब) मध्यम अभिगम्यता :–

इसके अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र के वे भाग समाहित हैं जो सामान्यतया पक्की सड़कों से 2.5 से 5 किमी0 की दूरी के बीच स्थित हैं। ऐसे क्षेत्रों का भी सर्वाधिक सकेन्द्रण जनपद के पश्चिमी एवं केन्द्रीय भाग (जनपदीय मुख्यालय के चतुर्दिक) मे पाया जाता है।

(स) निम्न अभिगम्यता :–

निम्न सडक अभिगम्यता के अर्न्तगत अध्ययन क्षेत्र के वे भाग आते हैं जिनकी स्थिति सडक मार्गो से 5 किमी0 से अधिक दूरी पर पायी जाती है। चित्र 6.2 से स्पष्ट है कि ये क्षेत्र यमुना एवं गंगा नदियों के छार एवं कटावग्रस्त भागो तथा जनपद के पूर्वी भागों (हथगाँव, विजयीपुर, भिटौरा, हसवा एवं असोथर विकासखण्डों) में अवस्थित हैं, जहॉ जलभराव एवं ऊसर क्षेत्रों की अधिकता के कारण सडकों का पर्याप्त विकास नही हो पाया है।

6.5.2 सड़क–घनत्व :–

फतेहपुर जनपद मे सडको के घनत्व का आंकलन प्रति लाख जनसंख्या पर कुल पक्की सडको की लम्बाई के आधार पर किया गया है (चित्र 6.3A)। चित्र से स्पष्ट होता है कि जनपद में सर्वाधिक सडक घनत्व मलवां विकासखण्ड में पाया जाता है, जो 80.8 किमी0/लाख व्यक्ति है। इसके विपरीत सबसे कम घनत्व 39.8 किमी0/लाख व्यक्ति बहुआ विकासखण्ड में है। जनपद के सडक घनत्व का प्रामाणिक विचलन 14.08 है तथा क्षेत्र के सडक का औसत 58.55 किमी0/लाख व्यक्ति है। जनपद के 6 विकासखण्ड क्रमशः मलवां, देवमई, तेलियानी, अमौली, विजयीपुर, और ऐरायां आदि विकासखण्डों में सडक घनत्व क्षेत्रीय औसत (58.55 किमी0/लाख व्यक्ति) से अधिक है तथा शेष विकासखण्ड क्रमशः हसवा असोथर, धाता, खजुहा, भिटौरा, हथगाँव, और बहुआ ऐसे है जिनमें सड़क घनत्व औसत (58.55 किमी0/लाख व्यक्ति) से कम है।

चित्र 6.3A से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में मलवां (80.8 किमी0), देवमई (80.4 किमी0) और तेलियानी (76.1 किमी0) सर्वाधिक सडक घनत्व वाले विकासखण्ड हैं। यहाँ पर घनत्व माध्य + 1 प्रामाणिक विचलन से माध्य + 2 प्रामाणिक विचलन के बीच मिलता है। द्वितीय वर्ग में अमौली (67 7 किमी0), विजयीपुर (63.4 किमी0) और ऐराया (63.3 किमी0) विकासखण्ड आते हैं। यहाँ पर घनत्व माध्य एंव माध्य + 1 प्रामाणिक विचलन के बीच मिलता है। तृतीय वर्ग ऐसा है जो माध्य 1

(A)

DISTRICT FATEHPUR
LENGTH OF PUCCA ROADS
1991-92

N

RIVER GANGA

RIVER YAMUNA

LENGTH: KILOMETRES/ LAKH POPULATION

73.02 - 86.71
58.55 - 73.02
44.47 - 58.55
30.39 - 44.47

10 0 10 20
km

(B)

DISTRICT FATEHPUR
LENGTH OF PUCCA ROADS
1991-92

N

RIVER GANGA

RIVER YAMUNA

LENGTH IN KMS/ 1000 km^2 OF AREA

314.16 - 379.04
249.28 - 314.16
184.40 - 249.28
119.52 - 184.40

10 0 10 20
km

Fig. 6.3

प्रामाणिक विचलन एवं माध्य के बीच का है इसमें हसवा (56.7 किमी0), असोथर (52.3 किमी0), धाता (49.2 किमी0) और खजुहा (48 2 किमी0) विकासखण्ड सम्मिलित हैं। चतुर्थ वर्ग में भिटौरा (43 किमी0), हथगॉव (40 2 किमी0) और बहुआ (39.8 किमी0) विकासखण्ड ऐसे है, जहॉ पर सबसे कम सडक घनत्व मिलता है। ये माध्य – 2 प्रामाणिक विचलन एवं माध्य + 1 प्रामाणिक विचलन के अन्तर्गत आते हैं।

फतेहपुर जनपद में सडक घनत्व का विश्लेषण प्रति हजार वर्ग किमी0 क्षेत्र पर कुल पक्की सडकों की लम्बाई के आधार पर भी प्रदर्शित किया गया है (चित्र 6.3B)। इस दृष्टि से मलवां विकासखण्ड का जनपद में सर्वोपरि स्थान है। यहॉ पर सडक घनत्व 371.6 किमी0/1000 वर्ग किमी0 है जबकि बहुआ विकासखण्ड का स्थान सबसे नीचे (सड़क घनत्व 169.2 किमी0/1000 किमी0) मिलता है। जनपद में क्षेत्रीय आधार पर सडकों का औसत घनत्व 249.28 किमी0/1000 वर्ग किमी0 मिलता है। अध्ययन क्षेत्र के सडक घनत्व का प्रामाणिक विचलन 64.88 है। जनपद में 5 विकासखण्डों क्रमशः मलवा, देवमई, तेलियानी, ऐरायां और हसवा में प्रति हजार वर्ग किमी0 पर सडकों की लम्बाई का औसत क्षेत्रीय औसत (249.28 किमी0/1000 वर्ग किमी0) से अधिक है। इसके विपरीत 8 विकासखण्ड क्रमश· अमौली, विजयीपुर, हथगॉव, धाता, खजुहा, भिटौरा, असोथर और बहुआ ऐसे विकासखण्ड है जहॉ प्रति हजार वर्ग किमी0 क्षेत्र पर सड़कों की लम्बाई का औसत क्षेत्रीय औसत (249.28 किमी0/1000 वर्ग किमी0) से कम है।

चित्र 6.3B के अनुसार जनपद में मलवां (371.6 किमी0), देवमई (369.2 किमी0) और तेलियानी (324.3 किमी0) ऐसे विकासखण्ड है, जहॉ प्रति हजार वर्ग किमी0 क्षेत्र पर सडकों की लम्बाई का औसत माध्य + 1 प्रामाणिक विचलन से माध्य + 2 प्रामाणिक विचलन के मध्य प्राप्त होता है। द्वितीय वर्ग के अन्तर्गत ऐरायां (276.2 किमी0) और हसवा (255.8 किमी0) विकासखण्ड सम्मलित हैं। इनमें सडक घनत्व माध्य +1 प्रामाणिक विचलन के बीच पाया जाता है। तृतीय वर्ग में अमौली (239.4 किमी0) विजयीपुर (225.8 किमी0), हथगॉव (215.4 किमी0) धाता (210.6 किमी0), खजुहा (206.2 किमी0), भिटौरा (192.2 किमी0) और असोथर (184.7 किमी0) आदि हैं। इनमें सडक घनत्व माध्य – 1 प्रामाणिक विचलन और माध्य के बीच मिलता है। चतुर्थ वर्ग में एकमात्र बहुआ विकासखण्ड है। जिसका सडक घनत्व सबसे कम मिलता है। इसका सडक घनत्व माध्य – 2 प्रामाणिक विचलन से माध्य – 1 प्रामाणिक विचलन के मध्य मिलता है।

6.5.3 यातायात प्रवाह :–

यातायात एवं परिवहन प्रवाह से तात्पर्य किसी क्षेत्र की विभिन्न सड़कों पर गुजरने वाले वाहनों की संख्या से है। इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष में विभिन्न सड़कों में से किसी सड़क विशेष के परिवहन का तुलनात्मक महत्व प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि

किस सड़क पर अधिक वाहन चलते है और किस सड़क पर सबसे कम।

उपलब्ध आकड़ों के आधार पर जनपद फतेहपुर का फतेहपुर– खागा–कौशाम्बी–इलाहाबाद और फतेहपुर–बिन्दकी रोड–कानपुर सर्वाधिक व्यस्त राजमार्ग है। ध्यातव्य है कि यह राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग–2 का भाग है। फतेहपुर–बहुआ–बांदा–और फतेहपुर–भिटौरा–रायबरेली सड़क मार्गो का द्वितीय स्थान है। यह राजमार्ग भी राजकीय राजमार्ग–13 का भाग है। जनपद के अन्य महत्वपूर्ण सड़क मार्गो में फतेहपुर–चक्की नाका– बिन्दकी तथा जाहानाबाद–मुसाफा–कानपुर आदि सड़के परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग –2 (N. H. 2) और राजकीय राजमार्ग–13 (S. H. 13) में यातायात प्रवाह का सबसे विकसित स्वरूप पाया जाता है। इस तथ्य की पुष्टि शोधकर्ता द्वारा क्रमशः 7, 8, एवं 9 अगस्त 96 में 11 बजे से 2 बजे के बीच संग्रहित साक्ष्यों द्वारा की जा सकती है (सारणी 6.4)। ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय राजमार्ग–2 पर सर्वाधिक ट्रक परिवहन के कारण ही जनपद के कई क्षेत्रों में बाई पास की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार यातायात प्रवाह की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग–2 और राजकीय राजमार्ग–13 जनपद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यस्त राजमार्ग हैं।

6.5.4 रेल मार्ग :–

स्थल मार्गो में रेलमार्गो का सर्वप्रमुख स्थान है। इनके माध्यम से सड़को की अपेक्षा सामान एवं यात्रियों का परिवहन तीव्र गति से किया जा सकता है। यही कारण है कि किसी क्षेत्र के आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण में रेलमार्गो की प्रमुख भूमिका होती है। बड़े पैमाने पर तो ये औद्योगीकरण की धुरी माने जाते हैं।

(अ) जनपद में रेलमार्ग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :–

जनपद में रेल परिवहन का प्रारम्भ ईस्ट इण्डियन रेलवे के अधीन कानपुर–इलाहाबाद रेलमार्ग के निर्मित होने के उपरान्त हुआ। इस रेलवे पर यातायात की शुरूआत 3 मार्च 1859 को हुयी। स्वतन्त्रता के बाद रेलवे के राष्ट्रीयकरण और पुनर्समूहन के उपरान्त 14 मई 1952 से यह रेलमार्ग उत्तर रेलवे का भाग बन गया (जिला गजेटियर, फतेहपुर, 1980, पृ0 117)। यह रेलमार्ग हावड़ा (कलकत्ता) – दिल्ली मुख्य लाइन का भाग है जो देश का सबसे व्यस्त रेलमार्ग है। यह विद्युतीकृत दोहरी लाइन वाला रेलमार्ग है जिस पर औसतन प्रति 10 मिनट पर ट्रेनों का गमनागमन होता रहता है। जनपद में इसकी कुल लम्बाई 88 किमी0 है (एक्शन प्लान, फतेहपुर,1988–89 से 1994–95, पृ0 3)। फतेहपुर में यह रेलमार्ग कौशाम्बी जनपद को छोड़ते ही प्रवेश कर जाता है जो खागा, फतेहपुर और बिन्दकी रोड (चौडगरा) होते हुए पश्चिम में कानपुर महानगर से जोड़ता है। इस तरह यह रेलमार्ग जनपद को पश्चिम में स्थित प्रदेश में मुख्य औद्योगिक महानगर कानपुर से

N
FATEHPUR DISTRICT
TRANSPORT SYSTEM
ACCESSIBILITY BY RAILWAYS
1991-92
FROM KANPUR
GANGA RIVER
FATEHPUR
TO ALLAHAHABD
YAMUNA RIVER
in km
< 2.5 High
2.5 - 5.0 Medium
5.0 - 7.5 Low
> 7.5 Very Low
10 0 10 20
km

Fig. 6.4

तथा पूर्व में स्थित प्रदेश के मुख्य शैक्षणिक एव प्रशासनिक केन्द्र इलाहाबाद से सम्बद्ध करता है। इस रेलमार्ग पर जनपद में कुल 12 रेलवे स्टेशन क्रमशः कटोघन, खागा, सतनरैनी, रसूलाबाद, फैजुल्लापुर, रमवां, फतेहपुर, औग, बिन्दकी रोड, कंसपुर गुगौली, मलवां और कुरूस्तीकलां स्थित है। सन् 1980 तक इनकी संख्या केवल 11 थी जो बाद में रमवां स्टेशन के विकसित होने के उपरान्त बढकर 12 हो गयी। ये स्टेशन औसत रूप से 8 किमी0 की दूरी पर स्थित हैं।

ध्यातव्य है कि जनपद के कुल 13 विकासखण्डों में से यह रेलमार्ग 8 विकासखण्डों (देवमई, मलवां, तेलियानी, भिटौरा, हसवा, ऐराया, विजयीपुर तथा धाता) से गुजरता है। शेष 5 विकासखण्ड (अमौली, खजुहा, बहुआ, असोथर और हथगॉव) रेल सुविधा से वंचित है। इस तरह स्पष्ट है कि जनपद में इस रेलवे लाइन के साथ–साथ अन्य रेलवे लाइन का विकास अत्यावश्यक है जिससे जनपद के प्रत्येक विकासखण्ड को रेलवे मार्ग की सुविधा उपलब्ध हो सके तथा सामाजिक–आर्थिक विकास को बढावा मिल सके।

(ब) रेल अभिगम्यता :–

चूँकि जनपद में एकाकी रेलमार्ग का विकास हुआ है अतः यहाँ पर रेल अभिगम्यता बहुत ही निम्न स्तर की मिलती है। सारणी 6.3 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के 86.02% ग्रामों के निवासियों को आज भी रेलवे स्टेशन की सुविधा 5 किमी0 से अधिक दूरी पर उपलब्ध है। चित्र 6.4 के अनुसार जनपद का समूचा मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग रेल सुविधा से वंचित है। चित्र से स्पष्ट पता चलता है कि जनपद के कुल 8 विकासखण्डों– देवमई, मलवां, तेलियानी, भिटौरा, हसवा, ऐरायां, विजयीपुर और धाता आदि जिन–जिन से होकर रेलमार्ग जाता है, में उच्च रेल अभिगम्यता (< 2.5 किमी0) मिलती है लेकिन यह उच्च अभिगम्यता रेलवे मार्ग के पास के क्षेत्रों में ही सुलभ है। इन उच्च अभिगम्यता से संलग्न क्षेत्रों में मध्यम अभिगम्यता (2.5–5 किमी0) भी मिलती है। इसी प्रकार निम्न अभिगम्यता (5–7.5) का क्षेत्र विस्तार प्रथम क्षेत्र की अपेक्षा अधिक है। अमौली, खजुहा, बहुआ, असोथर और धाता आदि विकासखण्डों में यह अभिगम्यता >7.5 किमी0 से भी अधिक मिलती है। इसके अलावा भिटौरा, हथगॉव और ऐरायां विकासखण्डों के मध्यवर्ती क्षेत्र से उत्तर में गगा नदी तक सम्पूर्ण उत्तरी क्षेत्र तथा देवमई के दक्षिणी–पश्चिमी क्षेत्र में यह अभिगम्यता अत्यधिक निम्न (>7.5 किमी0) पायी जाती है। इसका प्रमुख कारण इन क्षेत्रों का रेलमार्ग से सर्वाधिक दूर स्थित होना है।

6.6 संचार प्रतिरूप :–

देश और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि समाज का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रीय नवनिर्माण में भागीदार हो, राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि में सहायक हो, स्वस्थ और दीर्घजीवी

सारणी 6.5

फतेहपुर जनपद . आवागमन एव संचार सुविधायें, 1992–93

क्रम सं0	विकासखण्ड	डाकघर	तारघर	दूरभाष	सार्वजनिक दूरभाष	रेलवे स्टेशन	बस स्टेशन	मिश्रित सूचकाक	कोटि
1.	देवमई	–1.29	–	–0.33	+0.02	–	+0.04	–1.56	12
2.	मलवां	0	+0.11	–0.05	+0.18	+2.96	–0 57	+2 63	2
3.	अमौली	0	–	–0 32	–1.12	–	+2 19	+0.75	5
4.	खजुहा	–0 78	–	–0 32	–0.95	–	+1 72	–0.78	9
5	तेलियानी	–1.56	–	–0 31	–0.46	+0 13	–0.26	–2 46	13
6.	भिटौरा	–0 26	+0 11	–0.32	–0.30	–	+0 96	+0.19	6
7.	हसवा	+0.78	+0.11	–0.23	–0.14	+2.02	+0.96	+3.50	1
8.	बहुआ	–0.26	+0.11	–0.26	+1.15	–	+0.04	+0.78	4
9.	असोथर	+0.78	–	–0.29	–0 30	–	–0.57	–0.38	7
10.	हथगाँव	+2.08	+0.11	–0.31	–0.46	–	+0.35	+1.77	3
11.	ऐरायां	–0.52	–	–0.32	+1.15	+0.02	–1.18	–0.85	10
12.	विजयीपुर	+0.78	–	–0.29	–030	+0.02	–0.87	–0.66	8
13.	धाता	+1.29	–	–0.24	–0.95	–	–1.18	–1.08	11
14.	नगरीय	–1.04	+3.73	+3.59	+2.76	+1 23	–1.18	+9.09	1

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका. जनपद फतेहपुर, 1993, पृ0 88

हो, खुशहाल रहे, अपनी संतान का भविष्य बनाने में मददगार हो, उसकी अपनी मूल आवश्यकताओ–भोजन, वस्त्र और आवास की आसानी से पूर्ति हो सके तथा स्वावलम्बी एव सुखी होकर सम्मान की जिन्दगी बसर कर सके। यह सब तभी सम्भव है जब शिक्षा, परिवार नियोजन और सरकार द्वारा उपलब्ध विभिन्न आर्थिक एवं प्रशासनिक सुविधाओं आदि के प्रति ग्रामीणवासी जागरूक हों। इस तरह की जागरूकता लाने में संचार माध्यमों की प्रमुख भूमिका होती है। इनके माध्यम से ही किसी क्षेत्र में नवीन विचारो, नवाचारों और नवोन्मेषणों को दूर–दूर तक स्थित गॉवों मे पहुँचाना संभव हो पाता है, साथ ही इनके द्वारा मुद्रा तथा समय दोनों की ही बचत होती है। इन संचार माध्यमों में डाकघर, तारघर, दूरभाष, रेडियो, दूरदर्शन और चलचित्र (सिनेमा) आदि को सम्मिलित किया जाता है। इन जनसंचार माध्यमों द्वारा सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा एवं दिशा निर्देश मिलता है।

6.6.1 संचार तन्त्र का स्थानिक प्रतिरूप :–

जनपद फतेहपुर के आवागमन एवं संचार सुविधाओं के विश्लेषण के लिए डाकघर, तारघर, दूरभाष, सार्वजनिक दूरभाष (P.C.O), रेलवे स्टेशन एवं बस स्टाप/बस स्टेशन आदि सभी की संख्या विकासखण्ड स्तर पर ली गयी है। सूचकांक हेतु प्रत्येक सुविधाओं के लिए जेड स्कोर (Z Score) की गणना की गयी है। जेड स्कोर से संयोजित करने से जो मिश्रित सूचकांक प्राप्त हुआ है उसके अनुसार नगरीय क्षेत्रों का सर्वप्रथम स्थान (9.09) है। ग्रामीण क्षेत्रां में सर्वप्रमुख स्थान हसवा विकासखण्ड का है जिसका प्राप्तांक 3.50 है तत्पश्चात दूसरा स्थान मलवां (2.63) का है। इनके बाद हथगॉव (1.77) बहुआ (0.78), अमौली (0.75), भिटौरा (0.19), असोथर (–0.38), विजयीपुर (–0.66), खजुहा (–0 78), ऐरायां (–0.85), धाता (–1.08), देवमई (–1.56), तेलियानी (–2.46) आदि सभी विकासखण्डों का क्रमिक स्थान है (सारणी 6.5)।

(अ) डाकघर :–

डाकघर संचार व्यवस्था का एक सस्ता और लोकप्रिय माध्यम है। ईसा पूर्व में भी इसकी व्यवस्था थी जबकि राजा महाराजा लोग अपने दूतो या हरकारों के माध्यम से संवादों और सूचनाओं को सम्प्रेषित करते थे। अध्ययन क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के पूर्व सार्वजनिक संचार का कार्य जमीनदारों द्वारा संपादित होता था लेकिन डाक की सुरक्षा और संचार की नियमितता दोनों ही दृष्टि से यह पद्धति सफल नहीं थी। सन् 1843 में थार्नटन महोदय ने जनपद में प्रभावशाली एवं नियमित डाकसेवा की नींव रखी लेकिन उसका विकास तब हुआ जब जनपदीय डाक के अन्तर्गत सरकारी विभाग और स्थानीय सेवाओं तथा कार्यालयों आदि सभी का इसके अन्तर्गत विलय हो गया। वर्तमान शताब्दी के दूसरे दशक में सभी डाकघर सरकारी व्यवस्था के अन्तर्गत थे। अगले कुछ

सारणी 6.6

फतेहपुर जनपद : आवागमन एवं संचार सुविधायें, 1992—93

क्रम सं0	विकासखण्ड	डाकघर	तारघर	दूरभाष	सार्वजनिक दूरभाष	रेलवे स्टेशन	बस स्टेशन
1.	देवमई	13	—	2	10	—	10
2.	मलवां	18	1	79	11	4	8
3.	अमौली	18	—	4	3	—	17
4.	खजुहा	15	—	4	4	—	14
5.	तेलियानी	12	—	7	7	1	9
6.	भिटौरा	17	1	6	8	—	13
7.	हसवा	21	1	29	9	3	13
8.	बहुआ	17	1	20	16	—	10
9.	असोथर	21	—	14	8	—	8
10.	हथगाँव	26	1	7	7	—	11
11.	ऐरायां	16	—	6	16	1	6
12.	विजयीपुर	21	—	14	8	1	7
13.	धाता	23	—	26	4	—	6
	नगरीय	14	6	1,073	27	2	6
	योग जनपद	252	11	1,291	138	12	138

स्रोत :— सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1993, पृ0 88

सारणी 6.7

जनपद फतेहपुर · डाकघर अभिगम्यता (प्रतिशत में)

क्रम सं0	विकासखण्ड	ग्राम में	1 किमी0 से कम	1–3 किमी0	3–5 किमी0	5 किमी0 से अधिक	कुल प्रतिशत
1.	देवमई	15 12	16.28	34.88	23.26	10.46	100%
2.	मलवां	16.58	4.60	53.33	33.02	7 34	"
3.	अमौली	18.18	2 02	36 37	30.30	13 13	"
4.	खजुहा	15.00	3 00	19.00	39 00	24 00	"
5	तेलियानी	11.88	5 94	28.71	27.73	25 74	"
6.	भिटौरा	11.57	2 04	31 29	44.22	10 88	"
7	हसवा	25 00	3.57	36.90	25 00	9.53	"
8.	बहुआ	19.10	4.50	39.39	32.58	4.50	"
9.	असोथर	37.50	1.79	28.57	28.57	3.57	"
10.	हथगॉव	15.29	1.76	31.77	32.94	18.24	"
11.	ऐरायां	14.82	2.78	35.19	34.25	12.96	"
12.	विजयीपुर	22.34	4.26	28.72	24.47	20.21	"
13.	धाता	21.10	1.83	36.70	29.36	11 01	"
	जनपद	17.60	3.92	32.84	31.88	13.76	"

स्रोत :— सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1993, पृ0 121

दशको में कुछ उप डाकघर तथा शाखा डाकघर अन्य स्थानों पर भी स्थापित किये गये। फतेहपुर जनपद में प्रधान डाकघर के साथ–साथ 27 उप डाकघर तथा 154 शाखा डाकघर कार्यरत है (जिला गजेटियर, फतेहपुर, 1980, पृ0 118)। वर्ष 1986–87 में अध्ययन क्षेत्र में डाकघरों की कुल संख्या 225 थी जो 1987–88 मे बढकर 232, 1988–89 में 234, 1989–90 में 235, 1991–92 में 249 और 1992–93 मे 252 पहुँच गयी। इस संख्या में 1986–87 से 1992–93 तक नगरीय क्षेत्रों के 14 डाकघर भी सम्मिलित है (सांख्यिकीय पत्रिका, फतेहपुर, 1989 (पृ0 93), 1991 (पृ0 87), 1993 (पृ0 88))।

(1) डाकघर का स्थानिक प्रतिरूप :–

सारणी 6.6 से स्पष्ट है कि फतेहपुर जनपद में सर्वाधिक डाकघर (26) हथगॉव विकासखण्ड मे उपलब्ध हैं। इसके बाद क्रमशः धाता (23), विजयीपुर (22), हसवा (21), असोथर (21), मलवां (18), अमौली (18), भिटौरा (17), बहुआ (17), ऐरायां (16), खजुहा (15), देवमई (13) और तेलियानी (12)विकासखण्डों का स्थान है।

सारणी 6.7 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जनपद में मात्र 17.60% ग्रामों को ही स्थानीय स्तर पर डाकघरों की सुविधा प्राप्त है। 3.92% ग्रामों को 1 किमी0 से कम, 32. 84% ग्रामों को 1 किमी0, 31.88% ग्रामों को 3–5 किमी0 और 13.76% ग्रामों को 5 किमी0 से भी अधिक की दूरी पर डाकसेवा उपलब्ध है। स्थानीय स्तर पर असोथर विकासखण्ड में डाकघरों की स्थानीय सुविधा का स्तर सर्वाधिक (37.50%) है। इसके उपरान्त क्रमशः हसवा (25%), विजयीपुर (22.34%) और धाता (21.10%) विकासखण्डों का स्थान है। इन 4 विकासखण्डों के अतिरिक्त शेष 9 विकासखण्डों के 20% से भी कम ग्रामों को स्थानीय स्तर पर डाकघरों की सुविधा प्राप्त है। इसके विपरीत तेलियानी और खजुहा विकासखण्डों मे आज भी क्रमशः 25.74% और 24% ग्रामों को डाकघर की सुविधा हेतु 5 किमी0 से भी अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है जबकि असोथर और बहुआ विकासखण्डों मे ऐसे ग्रामों का प्रतिशत मात्र 3.57 और 4.50 है। इन दोनों विकासखण्डों में क्रमशः 57.14% और 71.97% ग्रामों की अवस्थिति डाकघरों से 1–5 किमी0 के बीच पायी जाती है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश ग्रामों की दूरी डाकघरों से सामान्यतया 1–5 किमी0 के मध्य मिलती है। आज भी मलवां, हसवा, बहुआ और असोथर आदि विकासखण्डों को छोड़कर शेष 9 विकासखण्डों में 10% से भी अधिक ग्रामों को इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए 5 किमी0 से भी अधिक दूर जाना पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि अध्ययन क्षेत्र में इस प्राचीन संचार व्यवस्था का और अधिक विकास किया जाय जिससे जनपद के शत प्रतिशत ग्रामों को इसकी सुविधा 1 किमी0 से भी कम दूरी पर उपलब्ध करायी जा सके।

सारणी 6.8

जनपद फतेहपुर : तारघर अभिगम्यता (प्रतिशत मे)

क्रम सं0	विकासखण्ड	ग्राम में	1 किमी0 से कम	1—3 किमी0	3—5 किमी0	5 किमी0 से अधिक	कुल प्रतिशत
1.	देवमई	—	—	6 98	9.30	83.72	100%
2.	मलवां	10.92	—	8.26	15.59	75 23	"
3.	अमौली	—	—	—	1.01	98.99	"
4.	खजुहा	—	—	1.00	4.00	95 00	"
5.	तेलियानी	—	—	0.99	5.94	93 07	"
6.	भिटौरा	0.68	—	5 44	14.29	79 59	"
7.	हसवा	1.19	—	9.52	4.76	84 53	"
8.	बहुआ	1.12	2 25	8.99	11.24	76.40	"
9.	असोथर	—	—	—	—	100	"
10.	हथगॉव	0.59	—	—	—	99.41	"
11.	ऐरायां	—	1.85	5.55	5.55	87.05	"
12.	विजयीपुर	—	1.06	4.26	11.70	82.98	"
13.	धाता	—	—	—	—	100	"
	जनपद	0 37	0.37	3.77	6.51	88.99	"

स्त्रोत :— सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1993, पृ0 121

(ब) तारघर :—

तार, डाक संचार व्यवस्था की ही तरह सूचना सम्प्रेषण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। डाक व्यवस्था की तुलना में तार संचार व्यवस्था सूचना को अधिक शीघ्रता से सम्प्रेषित करती है। परिणामस्वरूप आज भी शीघ्र सूचना प्रेषण हेतु तार संचार माध्यम का उपयोग करते हैं। अध्ययन क्षेत्र में तारघरों की कुल संख्या 1985—86 में 8 थी जो 1991—92 में 10 और 1992—93 में बढकर 11 पहुँच गयी। इसमें 1986—87 से 1992—93 के बीच नगरीय क्षेत्रों के 6 तारघर भी शामिल हैं (सांख्यिकीय पत्रिका, फतेहपुर 1986 (पृ0 70), 1989 (पृ0 93), 1991 (पृ0 87), 1993 (पृ0 88))।

(1) तारघर का स्थानिक प्रतिरूप :—

सारणी 6.6 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 5 तारघर क्रमशः मलवां, भिटौरा, हसवा, बहुआ और हथगॉव में अवस्थित हैं।

सारणी 6.8 से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र के मात्र 0.37% ग्रामों को तार सेवाओं की स्थानीय सुविधा उपलब्ध है 88.98% ग्रामों के निवासियो को आज भी यह सुविधा 5 किमी0 से अधिक की दूरी पर सुलभ है। जनपद में केवल मलवां विकासखण्ड के 10.92% ग्रामों को स्थानीय स्तर पर तार सेवाओं की सुविधा है जबकि हसवा (1.19%), बहुआ (1.12%), भिटौरा (0.68%) और हथगॉव (0.59%) में यह प्रतिशत बहुत ही कम है। जनपद में असोथर और धाता दो ऐसे विकासखण्ड हैं जिनके शत प्रतिशत ग्रामों को तार संचार सुविधा हेतु 5 किमी0 से अधिक दूर जाना पड़ता है। इसी प्रकार हथगॉव, अमौली, खजुआ और तेलियानी आदि विकासखण्डों के 90% से अधिक ग्रामों को 5 किमी0 से अधिक दूरी पर यह सुविधा प्राप्त है। अध्ययन क्षेत्र के शेष 7 विकासखण्डों के 80% ग्रामों को भी तार—संचार सुविधा हेतु 5 किमी0 से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है।

इस विवरण से स्पष्ट होता है कि जनपद में तार—संचार व्यवस्था का समुचित विकास नहीं हो सका है जो इसकी पिछड़ी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का द्योतक है। अतः प्रथम वरीयता के आधार पर तार—संचार व्यवस्था को मजबूत बनाने की आवश्यकता है जिससे अध्ययन क्षेत्र के प्रत्येक तहसील एवं विकासखण्ड मुख्यालय में यह सुविधा उपलब्ध हो।

(स) सार्वजनिक दूरभाष :—

दूरभाष वर्तमान संचार व्यवस्था का सबसे अच्छा साधन है। यद्यपि विभिन्न संचार साधनों में यह अत्यधिक खर्चीला साधन है किन्तु मात्र कुछ क्षणों में ही इसके माध्यम से आवश्यक सूचना या संवाद का प्रेषण हजारों किमी0 दूर स्थित एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जा सकता है। अतः वर्तमान समय की अत्यधिक व्यस्त जिन्दगी में यह संचार का एक सशक्त माध्यम है। अध्ययन क्षेत्र में 1985—86 में 67, 1989—90 में 69, 1991—92 एवं 92—93 में 138 सार्वजनिक दूरभाष संबन्धन

सारणी 6.9

जनपद फतेहपुर : सार्वजनिक दूरभाष अभिगम्यता (प्रतिशत मे)

क्रम सं0	विकासखण्ड	ग्राम में	1 किमी0 से कम	1—3 किमी0	3—5 किमी0	5 किमी0 से अधिक	कुल प्रतिशत
1.	देवमई	11.63	6.98	15.12	26.74	39.53	100%
2.	मलवा	10.09	3.67	—	—	86.24	"
3.	अमौली	3.03	5.05	8.08	21 21	62 63	"
4.	खजुहा	4.00	—	5.00	12.00	79 00	"
5.	तेलियानी	6.93	3.96	—	—	89.11	"
6.	भिटौरा	5.44	3.40	54.42	20.41	16.33	"
7.	हसवा	10.71	2.38	71.14	14.29	65.48	"
8.	बहुआ	17.98	3.37	22.47	33.71	22.47	"
9.	असोथर	14.29	1.79	26.78	28.57	28.57	"
10.	हथगाँव	4.12	2.35	1.18	4.70	87.65	"
11.	ऐरायां	14.81	6.48	12.96	23.16	42 59	"
12.	विजयीपुर	8.51	2.13	5.32	8.51	75.53	"
13.	धाता	3.67	—	9.17	16.51	70.65	"
	जनपद	8.21	3.18	13.17	15.01	60.43	"

स्त्रोत :— सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1993, पृ0 122

थे। इनमें 1985–86 से 1990–91 के बीच 9 तथा 1991–92 से 1992–93 के बीच 27 नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक दूरभाष संबन्धन भी समिलित है।

(1) सार्वजनिक दूरभाष सेवा का स्थानिक प्रतिरूप :–

सारणी 6.6 से स्पष्ट है कि सार्वजनिक दूरभाष के सर्वाधिक संबन्धन बहुआ और ऐरायां विकासखण्डों (प्रत्येक में 16) में उपलब्ध है। तत्पश्चात क्रमशः मलवां (11), देवमई (10), हसवा (9), भिटौरा (8), असोथर (8), विजयीपुर (8), तेलियानी (7), हथगॉव (7), खजुहा (4), धाता (4) और अमौली (3) विकासखण्डो का स्थान है।

सारणी 6.9 के अनुसार अध्ययन क्षेत्र मे मात्र 8.21% ग्रामों को ग्राम में ही सार्वजनिक दूरभाष की सुविधा उपलब्ध है जबकि 60.43% ग्रामों को आज भी यह सुविधा 5 किमी0 से अधिक की दूरी पर सुलभ है। स्थानीय स्तर पर बहुआ विकासखण्ड के 17.98% ग्रामों को सार्वजनिक दूरभाष सेवा प्राप्त है, जो जनपद के समस्त विकासखण्डों में सर्वाधिक है। इसके पश्चात क्रमशः ऐरायां (14.81%), असोथर (14.29%), देवमई (11 63%), हसवा (10.71%) और मलवां (10.09%) विकासखण्डों का स्थान है। जनपद के शेष 7 विकासखण्डो में यह प्रतिशत 10 से भी कम मिलता है। तेलियानी विकासखण्ड मे आज भी 89.11% ग्रामों को इस सुविधा हेतु 5 किमी0 से अधिक की दूरी तय करनी पडती है। हथगॉव, मलवां, खजुहा, विजयीपुर, तथा धाता आदि विकासखण्डों के 70% से भी अधिक ग्रामों को सार्वजनिक दूरभाष की सुविधा 5 किमी 0 से अधिक की दूरी पर उपलब्ध है। भिटौरा विकासखण्ड मे सबसे कम 16.33% ग्राम सार्वजनिक दूरभाष सुविधा की दृष्टि से 5 किमी0 से भी अधिक की दूरी पर स्थित है। भिटौरा में 74.83%, बहुआ में 56.18%, असोथर में 55.35% और देवमई में 41.86% ग्रामो को यह सुविधा 1–5 किमी0 की दूरी के मध्य सुलभ है। शेष 9 विकासखण्डों के 30% से कम ग्रामों को यह सुविधा 1–5 किमी0 की दूरी के मध्य प्राप्त है।

इस विवरण से यह स्पष्ट है कि जनपद में दूरभाष सेवा का यथोचित विकास नहीं हो पाया है तथा प्रत्येक न्यायपंचायत को सार्वजनिक दूरभाष की सुविधा से सम्पन्न कराना एक दिवा स्वप्न की भॉति है। दूरभाष आदि सुविधाये आज लोगों के व्यक्तिगत जीवन के साथ–साथ आर्थिक विकास हेतु परम आवश्यक है। इसके बिना सुदृढ आर्थिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः यह अपेक्षित है कि ग्रामीण अंचलों में नये टेलीफोन एक्सचेंजों को निर्मित कर इसके प्रसारण की समुचित व्यवस्था की जाय।

(द) अन्य संचार साधन :–

रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र (सिनेमा) और समाचार पत्र जनसंचार के अन्य महत्वपूर्ण माध यम है। यद्यपि अध्ययन क्षेत्र में रेडियो और दूरर्शन की सुविधाये सर्वत्र सुलभ हैं तथापि निर्धनता,

सारणी 6.10

अन्य जनसचार साधन

(प्रतिशत मे)

स0	परिवार संख्या	दूरदर्शन	रेडियो	चलचित्र (सिनेमा)
	सवर्ण—71	67.61	81.69	69.01
	पिछडी जातियां—89	67 42	67.42	70.79
	अनुसूचित जातियां—75	72 00	89.33	17.33
	मुसलमान—27	14 81	11.11	11.11
	कुल परिवार—262	63 36	71.76	48.85

: — निजी सर्वेक्षण, जुलाई 1996

निरक्षरता और उत्साह की कमी के कारण शत प्रतिशत जनता इनकी सेवाओं से भरपूर लाभान्वित नहीं हो पा रही है। फतेहपुर जनपद मुख्यालय मे दूरदर्शन का रिले केन्द्र कार्यरत है किन्तु इसकी सुविधा मात्र एक चौथाई जनता ही उठा पाती है। अध्ययन क्षेत्र में आकाशवाणी का कोई केन्द्र नहीं है परन्तु लखनऊ, कानपुर आदि समीप के केन्द्रो से होने वाले प्रसारण यहाँ भलीभाँति सुने जा सकते है। दूरदर्शन की अपेक्षा रेडियो प्रसारण ग्रामीण अंचलों में अधिक लोकप्रिय है। इसकी पुष्टि क्षेत्रीय सर्वेक्षण से भी हो जाती है (सारणी 6.10)।

शोधकर्ता द्वारा जुलाई 1996 मे सर्वेक्षण किये गये कुल 262 परिवारों से प्राप्त साक्ष्यों द्वारा ज्ञात होता है कि जनपद में औसतन 63.36% परिवार दूरदर्शन के कार्यक्रम देखते है जबकि 71. 76% लोग रेडियो सुनते है। सामाजिक स्तर पर सवर्णो के 71 परिवारों में से 67.61% परिवार दूरदर्शन देखते है जबकि पिछडी जातियों के 89 परिवारों में से 67.42% तथा अनुसूचित जातियों के 75 परिवारो में से 72% और मुसलमानो के 27 परिवारों में से 14.81% परिवार दूरदर्शन देखते हैं। मुसलमानों में दूरदर्शन की कम लोकप्रियता उनके पिछड़े स्तर, निरक्षरता और संकीर्णता से सम्बद्ध है। इसी तरह सवर्णो के 71 परिवारों मे से 81.69% लोग रेडियो सुनते हैं जबकि पिछड़ी जातियों में 67.42% और अनुसूचित जातियों में 89.33 तथा मुस्लिम परिवारों में मात्र 11% परिवार रेडियो सुनते है। इस प्रकार रेडियो प्रसारण सवर्ण और अनुसूचित जातियों के लोगों में अधिक लोकप्रिय है। इसके विपरीत पिछडी जातियों व मुसलमानों में अपेक्षतया कम लोकप्रिय है। मुसलमानों में इसकी लोकप्रियता कम होने का मुख्य कारण इनमें जीविका निर्वाह के साधनों की कमी तथा शैक्षणिक पिछडापन है।

चलचित्र (सिनेमा) लोक मनोरजन एवं सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। इसके द्वारा मनोरंजन के साथ–साथ सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण में सहायता मिलती है। अध्ययन क्षेत्र में चलचित्रगृहों (12) की भारी कमी है। गॉव के अलावा कई कस्बो में भी चलचित्रगृह नहीं है। दूरदर्शन के विकास के साथ–साथ चलचित्र की लोकप्रियता कम हुयी है।

जुलाई 1996 में सर्वेक्षित कुल 262 परिवारों में से मात्र 48.85% परिवार ही चलचित्र देखते हैं। सामाजिक स्तर पर सवर्णो के 69.01% पिछड़ी जातियों के 70.79%, अनुसूचित जातियों के 17.33% और मुसलमानों के मात्र 11.11% परिवार चलचित्र को मनोरंजन के रूप में उपयोग करते हैं। ध्यातव्य है कि सवर्णो और पिछडी जातियों में चलचित्र की लोकप्रियता उनके ऊँचे आर्थिक और शैक्षिक स्तर के कारण है। अनुसूचित जातियों और मुसलमानों की विपन्नता तथा उनका निचला सामाजिक स्तर चलचित्र के कम लोकप्रियता का मुख्य कारण है। आज भी पारम्परिक ग्रामीण समाज में चलचित्र को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि जनसंचार के इन सशक्त माध्यमों को अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में धनाभाव, शिक्षा की कमी, रूढिवादिता आदि के कारण समुचित लोकप्रियता नहीं

प्राप्त है। समाज के आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से विपन्न लोगों में इन्हें अधिक लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। इन संचार एवं मनोरंजन के साधनों का विकास आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से अग्रणी तथा नगरीय अभिजात वर्गो को ध्यान में रखकर नये कार्यक्रमों को बनाने की जरूरत है, जिससे इन्हें ग्रामीण अंचलों में समुचित लोकप्रियता प्राप्त हो सके। रेडियो में प्रसारित कृषि कार्यक्रम एक सही उदाहरण हो सकता है।

6.7 परिवहन एवं संचार तन्त्र तथा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण :–

किसी भी क्षेत्र के सामाजिक–अर्थिक परिवर्तन में परिवहन एवं संचार तन्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्तमान समय में तो इनका और भी अधिक महत्व हो गया है। विभिन्न नगरों एवं महानगरों की ओर ग्रामीण वासियों का विविध उद्देश्यों, जैसे–जीविकोपार्जन हेतु नौकरी की तलाश, विभिन्न वस्तुओं के क्रय–विक्रय हेतु उपभोक्ता वस्तुओं, औद्योगिक कच्चा माल, औद्योगिक उत्पादों के परिवहन, आकस्मिक दुर्घटना और प्राकृतिक आपदा आदि में जीवन रक्षण हेतु विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने, शीघ्र नाशवान वस्तुओं को शीघ्रातिशीघ्र उपभोक्ता केन्द्रों तक पहुँचाने, सूचनाओं, संवादों, नवाचारों एवं नयी गवेषणाओं के शीघ्र प्रेषण, मनोरंजन, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन तथा स्वस्थ प्रगतिशील एवं शोषण रहित समाज के निर्माण, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सद्भाव, सहयोग और सौहार्द कायम करने आदि में परिवहन और संचार साधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। आज के विश्व में परिवहन, संचार एवं विकास एक–दूसरे के पर्याय बन गये हैं। तेजी से बदलते विश्व परिदृश्य में द्रुत से द्रुततर और द्रुततम परिवहन एवं संचार साधनों का विकास हो रहा है। विकसित देशों के अतिरिक्त विकासशील देशों में भी अध: संरचना के ये महत्वपूर्ण अवयव, हैं इनके बिना विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लघु एवं कुटीर कोई भी देशी या विदेशी उद्योगपति इनके अभाव में पूँजी लगाने को उद्यत नहीं है। यही कारण है कि भारत जैसे विकासशील देश में भी हाल के वर्षो में इन पर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है। परिवहन एवं संचार के साधनों में नित्य प्रति सुधार हो रहा है तथा क्षेत्रीय तन्त्र राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय से जुड़ते जा रहे हैं, उदाहरणस्वरूप– आज पैदल, साइकिल, मोटरगाड़ी तथा रेलगाडी के अलावा डाक सेवा में वायुयानों एवं भू–उपग्रहों का उपयोग किया जा रहा है। अध्ययन क्षेत्र के प्रधान डाकघर में हाल ही में साधारण डाक सेवा के अतिरिक्त द्रुत गति डाक सेवा (Speed Post) का विकास हुआ है जिसके माध्यम से पत्र एवं डाक पैकेट देश के बड़े नगरों में 24 घण्टे के अन्दर वितरित कर दिये जाते हैं। जनपद के मुख्यालय में स्थापित नवीन इलेक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्र के क्रियाशील हो जाने के कारण अध्ययन क्षेत्र का सीधा सम्बन्ध देश–विदेश से सीधी तरह जुड गया है। सरकार की नयी नीति द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत को सार्वजनिक दूरभाष सुविधा उपलब्ध कराने की योजना का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। इन संचार माध्यमों के साथ ही साथ रेडियो,

दूरदर्शन और चलचित्र आदि सभी सार्वजनिक सूचना, मनोरंजन, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है, जैसे–कृषकों को क्षेत्रीय भाषाओं में रेडियों एवं दूरदर्शन आदि संचार माध्यमो द्वारा विभिन्न फसलो के बीजारोपण के तरीके, मौसम की जानकारी, उर्वरको और कीटाणुनाशक दवाओ का समय एव मात्रानुसार उपयोग तथा विभिन्न उत्पादनों के विक्रय हेतु कृषि मण्डियों में मूल्यो की जानकारी आदि दी जाती है। इनके द्वारा पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, सुअरपालन आदि तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों हेतु आवश्यक जानकारी (प्रशिक्षण, ऋण प्राप्ति, बीमा योजना, विक्रय प्रणाली आदि) इन्हीं संचार–साधनों द्वारा दी जाती है। रेडियो, दूरदर्शन और चलचित्र द्वारा विभिन्न सामाजिक बुराइयों, जैसे–जातिप्रथा, अस्पृश्यता, अशिक्षा, बाल–विवाह, सती–प्रथा, विधवा–विवाह, बाल–श्रम तथा जनसंख्या आदि को दूर करने में आवश्यक सफलता मिल सकती है। इनके माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को समान नागरिक अधिकार प्रदान कराने, महिलाओ को सम्मानजनक बराबरी का स्थान दिलाने, गरीबो एव दलितों के आर्थिक उन्नयन करने मे मदद मिलती है। इस तरह आज आवागमन एवं सचार साधनो का पिछडे और विपन्न क्षेत्रों के उन्नयन में सक्रिय योगदान है। इन साधनों के साथ ही साथ अन्य विभिनन संचार–साधनों, यथा– दृश्य–श्रृव्य संचार साधन, प्रदर्शन, नाटक, कहानी, वार्ता, नुक्कड नाटक, चुटकुलों, नारों, भेंटवार्ता, आध्यात्मिक परिसंवाद तथा समाचार पत्रों के आलेखों, चित्रों, व्यंगचित्रों, कविताओं लोकगीतों और लोक कथाओं आदि के माध्यम से भी सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन हेतु प्रयास किये जा सकते है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि परिवहन एव संचार तन्त्र किसी क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन को न केवल स्वतः निरूपित करते है वरन् एक वर्गविहीन, शोषण रहित तथा स्वस्थ समाज के निर्माण में भी मदद करते हैं। यही कारण है कि जिस क्षेत्र के ये साधन जितना ही विकसित अवस्था में होते हैं, वह क्षेत्र उतना ही विकसित और अग्रणी होता है। आज व्यक्ति, समाज, देश एवं विश्व के सभी स्तरों पर इनकी उपादेयता निर्विवादित है। भोजन से लेकर मनोविनोद, इष्ट मित्रों से सम्पर्क, विश्व राजनीति, राष्ट्रो के बीच सम्बन्ध एवं युद्ध की सफलता सभी कुछ इनके बिना पूरी नहीं की जा सकती है। विकासशील देशों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन का सपना इनके बिना कभी भी नहीं पूरा किया जा सकता है।

RERERENCES :

Fatehpur, District Development Plan 1990 - 2000AD, General and Sectoral Profile, Jan.1990 · State Planning Institute, Lucknow.

Mishra, P. 1980 : Uttar Pradesh District Gazetteers, Fatehpur Dist., Govt of U.P Lucknow, pp. 117-214

एक्शन प्लान, 1988–89 से 1994–95 : जिला उद्योग केन्द्र, फतेहपुर, पृ0 3.

सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1986 (पृ0 69), 1989 (पृ0 1), 1991 (पृ0 86), 1993 (पृ0 87), सख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0 प्र0,

सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1986 (पृ0 70), 1989 (पृ0 93), 1991 (पृ0 87), 1993 (पृ0 88), सख्या प्रभाग, राज्य नियोजन सस्थान, उ0 प्र0

अध्याय 7
अधः संरचनात्मक सुविधायें और सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण

7.1 प्रस्तावना :–

मानव एक सामाजिक प्राणी है। अत. उसे अपनी मूल आवश्यकताओं (भोजन, वस्त्र और आवास) की पूर्ति हेतु प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण से अनुकूलन करना पडता है। एतदर्थ अधः संरचनात्मक तंत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, परिवहन, संचार, स्वच्छ जलापूर्ति, बैंक और विद्युत आपूर्ति आदि आधुनिक जीवन की प्रमुख सुविधाये सम्मिलित है। ये सभी अधः संरचनात्मक सुविधाये किसी व्यक्ति एवं समाज के जीवन स्तर को उन्नत बनाने में योगदान करती हैं। ये गरीबी उन्मूलन मे सहायक होती हैं तथा ग्रामीण विकास के लक्ष्य को सुनिश्चित करती हैं।

प्रस्तुत अध्याय में फतेहपुर जनपद मे उपर्युक्त आधारभूत सुविधाओं के स्थानिक एवं कालिक प्रतिरूप के साथ–साथ उनके सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण में योगदान का विवरण दिया गया है।

7.2 शिक्षा :–

किसी राष्ट्र की सम्पन्नता या विकास का स्तर वहॉ के निवासियों के, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं चिन्तन में परिलक्षित होता है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यक्ति एवं राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक हैं। शिक्षित मानव राष्ट्र के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हरित क्रान्ति और औद्योगिक क्रान्ति उच्च शिक्षा की ही देन हैं। शिक्षा से नवाचार प्रसरण में सहायता मिलती है जिससे जनसंख्या नियन्त्रण एवं रूढिवादिता का समापन सम्भव हो पाता है। प्राचीन भारत में शिक्षा की उपयोगिता को उजागर करने के लिए ही 'विद्या विहीनः पशुः' उक्ति कही गयी थी।

7.3 शैक्षिक सुविधाओं का ऐतिहासिक स्वरूप :–

प्राचीन समय मे भारतवर्ष में शिक्षा प्रणाली गुरूकुल पद्धति की थी। मुस्लिम काल में यही शिक्षा प्रणाली 'मक्तब' नाम से प्रचलित हुयी। यही अंग्रेजों के शासनकाल में धार्मिक शिक्षा केन्द के रूप में,संस्कृत शिक्षणार्थ 'पाठशाला' एवं उर्दू शिक्षण के लिए 'मक्तब' के रूप में तथा अंग्रेजी शिक्षण हेतु स्कूल, कालेज के रूप में विकसित हुई।

किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति (15 अगस्त 1947) के बाद शिक्षा के विकास के लिए तत्कालीन प्रशासकों द्वारा अनेकानेक प्रयास किये गये, जिनमें डा0 एस0 राधाकृष्णन की अध्यक्षता में

विश्वविद्यालय शिक्षा समिति (1948–49), डा0 ए0 एल0 स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता मे माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (1952–53), सस्कृत आयोग (1956–57), स्त्री शिक्षा समिति (1957–59), धार्मिक एव नैतिक शिक्षा समिति (1959), बाल कल्याण समिति (1961–62), शारीरिक शिक्षा एव राष्ट्रीय योजना समिति (1964), कन्या शिक्षा समिति (1963–65), डी0 एस0 कोठारी की अध्यक्षता मे शिक्षा आयोग (1964–67), बेसिक शिक्षा अधिनियम (1972) और नयी शिक्षा नीति (1986) विशेष उल्लेखनीय है।

उपर्युक्त समस्त समितियों एव आयोगों के गठन से ज्ञात होता है कि भारत सरकार द्वारा शिक्षा स्तर के उन्नयन हेतु समय–समय पर बराबर प्रयास किये जाते रहे हैं। इसी के फलस्वरूप आज देश की साक्षरता का प्रतिशत बढकर 52.11 हो गया है जो कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय मात्र 18% था। इतना होते हुए भी विकास की गति धीमी है। इतनी धीमी गति से शिक्षा का प्रसार होने का प्रमुख कारण अत्यधिक तेजी से जनसख्या में वृद्धि का होना है।

जनपद फतेहपुर मे शैक्षिणिक विकास के ऐतिहासिक स्वरूप के अन्तर्गत फतेहपुर गजेटियर 1906 जो कि एच0 आर0 नेविल द्वारा लिखा गया था, के अनुसार सन् 1845 में जनपद में 364 ऐसे स्कूल थे जिनमे संस्कृत परसियन की सामान्य लिखने–पढने की शिक्षा दी जाती थी तथा कुछ व्यवहार गणित भी सिखाई जाती थी। इनमे कुल 2,886 छात्र थे। जनपद में सबसे पहला सरकारी स्कूल सन् 1855 किशुनपुर मे खुला। 1861 की रिर्पोट के अनुसार नेविल महोदय ने लिखा कि जनपद में 7 परगना स्कूल, 54 ग्राम पाठशालायें और 442 गैरसहायता प्राप्त स्कूल थे। जिनकी छात्र संख्या 5,104 थी। सन् 1862 के पश्चात जनपद में एक हाईस्कूल प्रारम्भ हुआ, जिसे 1867 में निम्न श्रेणी के जनपद स्कूल की मान्यता मिली। सन् 1871 तक सरकारी मदरसों की संख्या 144 हो गयी। इनमें 7 स्कूल बालिकाओ के थे, किन्तु स्त्री शिक्षा का विस्तार न हो सकने से सन् 1881 तक ये बालिका विद्यालय समाप्त हो गये। सन् 1905 में फतेहपुर, हथगॉव, हसवा, किशुनपुर, बिन्दकी, जहानाबाद, शाह, हुसैनगज (छेऊँका) खजुहा और मंडवा में टाउन स्कूल स्थापित किये गये। इनमे छात्रावास की सुविधा थी तथा इन सभी की अन्तिम परीक्षा वर्नाक्यूलर परीक्षा के रूप में होती थी। बालिकाओं के लिए गाड़ल स्कूल फतेहपुर, सातों, देवमई और कोट में थे। जनपद में शिक्षा का प्रसार अत्यन्त धीमी गति से हो रहा था क्योकि सन् 1871 में जो विद्यालयों की संख्या 144 थी, वह 1905 तक मात्र 185 हो सकी, जिनमे छात्रों की कुल संख्या 6,967 और छात्राओं की मात्र 185 थी। 1917 के पूरक गजेटियर के अनुसार 1915 मे स्कूलों की संख्या 182 और छात्र संख्या 11,698 तथा छात्राओं की संख्या 404 थी। सन् 1920–21 में स्कूलों की संख्या 269, छात्र संख्या 14,523 तथा छात्रायों की संख्या 1,040 थी। सन् 1933–34 में स्कूलों की संख्या 294, छात्र संख्या 17,053 तथा छात्रायें 1,250 परिगणित की गयीं (विकास वर्तिका, फतेहपुर, 1990, पृ0 22–24)। आगे आने वाले वर्षो में विद्यालयों की श्रेणियां बन गयी जो क्रमशः प्राइमरी शिक्षा, उच्चतर

माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, स्त्री शिक्षा व हरिजन शिक्षा के रूप मे प्रचलित हैं, जिनका विस्तृत विवरण निम्नवत है–

7.4 शैक्षिक सुविधाओं का वर्तमान प्रतिरूप :–

7.4.1 प्राइमरी शिक्षा :–

जब बालक किसी विद्यालय के माध्यम से अपना विद्याध्ययन आरम्भ करता है तो यह ही उसकी प्राथमिक शिक्षा होती है। इसका विद्यार्थी के जीवन में विशेष महत्व हैं क्योंकि यह शिक्षा का आधार है जिस पर उच्च शिक्षा का भवन निर्मित होता है। भारतीय संविधान में 14 वर्ष तक के सभी बालको व बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा का दायित्व राज्य सरकारों पर है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा मुख्य रूप से स्थानीय निकायों, जिला परिषदों और नगर निकायों के हॉथ में है, जो राज्यानुदानित हैं (विकास वर्तिका, फतेहपुर 1990, पृ0 26)। वर्तमान समय में जनपद फतेहपुर में 1092 जूनियर बेसिक स्कूल है। इनमे 999 ग्रामीण क्षेत्र में और शेष 93 स्कूल नगरीय क्षेत्र में स्थित है (सारणी 7.1)। स्थानीय स्तर पर सर्वाधिक जूनियर बेसिक स्कूल (96) मलवां विकासखण्ड मे हैं। द्वितीय स्थान पर अमौली (90), और तृतीय स्थान पर खजुहा (83) है। तत्पश्चात क्रमश. हसवा (82), भिटौरा (81), विजयीपुर (80), देवमई (74), बहुआ (72), असोथर (72), धाता (71), हथगॉव (69), तेलियानी (65) और ऐरायां में सबसे कम (64) स्कूल मिलते हैं।

चित्र 7.1A से स्पष्ट है कि प्रति लाख जनसंख्या पर जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या सबसे अधिक देवमई और अमौली में 71–80 के मध्य मिलती है। इसके बाद क्रमशः मलवां, तेलियानी, विजयीपुर मे इनकी संख्या 61–70 के बीच मिलती है। खजुहा, भिटौरा हसवा, बहुआ, असोथर और धाता में प्रति लाख जनसंख्या पर स्कूलो की संख्या 51–60 के मध्य प्राप्त होती है। जनपद के शेष दो विकासखण्डो क्रमशः हथगॉव और ऐरायां में इन स्कूलों की संख्या सबसे कम 40–50 के मध्य मिलती है।

सारणी 7.2 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के कुल 71.76% ग्रामों को ग्राम में ही जूनियर बेसिक स्कूलों की सुविधा उपलब्ध है। 5.47% ग्रामों को 1 किमी0 से कम, 19.01% ग्रामों को 1–3 किमी0 और 3.85% ग्रामों को 3–5 किमी0 की दूरी पर स्कूलों की सुविधा प्राप्त है। जनपद में असोथर विकासखण्ड में शत प्रतिशत जूनियर बेसिक स्कूलों की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है जबकि हथगॉव विकासखण्ड के सबसे कम (40%) ग्रामों को स्थानीय जूनियर स्कूलों की सुविधा प्राप्त है। अतः इस विकासखण्ड मे स्थानीय स्तर पर और अधिक विद्यालयों को स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। यद्यपि यह प्रशंसनीय तथ्य है कि किसी भी विकासखण्ड को जूनियर बेसिक स्कूलों की सुविधा हेतु 5 किमी0 से अधिक दूरी नहीं तय करनी पड़ती है।

जनपद में 273 सीनियर बेसिक स्कूल (कक्षा 6–8 तक) हैं। इसमें 240 ग्रामीण क्षेत्र में और

सारणी 7.1

जनपद फतेहपुर शिक्षण सस्थाये, 1991—92

क्रम सं0	विकासखण्ड	जूनियर बेसिक स्कूल	सीनियर बेसिक स्कूल		हायर सेकेन्ड्री स्कूल		महाविद्यालय	विश्वविद्यालय
			कुल	बालिका	कुल	बालिका		
1.	देवमई	74	16	3	9	—	—	—
2.	मलवां	96	23	5	8	1	—	—
3.	अमौली	90	30	3	10	1	—	—
4.	खजुहा	83	21	4	5	—	—	—
5.	तेलियानी	65	18	4	7	1	—	—
6.	भिटौरा	81	13	3	7	—	—	—
7.	हसवा	82	22	4	3	—	—	—
8.	बहुआ	72	18	5	7	—	—	—
9.	असोथर	72	16	5	6	—	—	—
10.	हथगॉव	69	15	3	4	—	1	—
11.	ऐरायां	64	12	4	6	1	—	—
12.	विजयीपुर	80	13	3	6	—	—	—
13.	धाता	71	23	4	9	—	—	—
	योग ग्रामीण	999	240	50	87	4	1	—
	नगरीय	93	33	11	19	5	3	—
	योग जनपद	1,092	273	61	106	9	4	—

स्रोत :— सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1993, पृ0 73

सारणी 7.2

जनपद फतेहपुर जूनियर बेसिक स्कूल (मिश्रित) अभिगम्यता

(प्रतिशत में)

क्रम सं0	विकासखण्ड	ग्राम में	1 किमी0 से कम	1—3 किमी0	3—5 किमी0	5 किमी0 से अधिक	कुल प्रतिशत
1.	देवमई	86.05	9.30	4.65	—	—	100 %
2.	मलवां	88.07	0.92	10.09	0.92	—	,,
3.	अमौली	90.91	—	5.05	4.04	—	,,
4.	खजुहा	83.00	5 00	12.00	—	—	,,
5.	तेलियानी	61.39	10 89	27.72	—	—	,,
6.	भिटौरा	55.10	2.04	34.70	8.16	—	,,
7.	हसवा	95.24	2.38	—	2.38	—	,,
8.	बहुआ	77.54	1.12	16.85	4.49	—	,,
9.	असोथर	100.00	—	—	—	—	,,
10.	हथगाँव	40.00	13.53	31.18	15.29	—	,,
11.	ऐरायां	59.26	7.41	32 41	0.93	—	,,
12.	विजयीपुर	79.79	6.38	13.83	—	—	,,
13.	धाता	65.15	5.50	27.52	1.83	—	,,
	जनपद	71.67	5 47	19.01	3.85	—	

स्रोत :— सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1993, पृ0 115

N
A
DISTRICT FATEHPUR
JUNIOR BASIC SCHOOLS
1991-92
RIVER
GANGA
RIVER YAMUNA
NUMBER OF SCHOOLS/
LAKH POPULATION
71 - 80
61 - 70
51 - 60
40 - 50
10 0 10 20
km

N
B
DISTRICT FATEHPUR
SENIOR BASIC SCHOOLS
1991-92
RIVER
GANGA
RIVER YAMUNA
NUMBER OF SCHOOLS/
LAKH POPULATION
21 - 25
16 - 20
11 - 15
5 - 10
10 0 10 20
km

Fig. 7.1

सारणी 7 3

जनपद फतेहपुर . सीनियर बेसिक स्कूल अभिगम्यता (छात्र)

(प्रतिशत मे)

क्रम सं0	विकासखण्ड	ग्राम में	1 किमी0 से कम	1—3 किमी0	3—5 किमी0	5 किमी0 से अधिक	कुल प्रतिशत
1.	देवमई	15.12	13.95	38.37	27.91	4.65	100 %
2	मलवां	16.51	12 84	30.28	33.03	7 34	"
3.	अमौली	27.27	12.12	33.33	12.12	15.15	"
4.	खजुहा	17.00	12.00	15.00	42 00	14 00	"
5.	तेलियानी	13.86	11.88	34.65	25.75	13.86	"
6.	भिटौरा	6.80	8.16	31 97	32.66	20.41	"
7.	हसवा	21.43	14.29	30.95	21.43	11.90	"
8.	बहुआ	14.61	16.85	28 09	31.46	8 99	"
9.	असोथर	19.65	8.93	23.21	26.79	21.43	"
10.	हथगॉव	7.06	10.59	32.94	31.76	17.65	"
11.	ऐरायां	7.41	14.81	41.67	24.07	12.04	"
12.	विजयीपुर	10.64	17.02	35.11	22.34	14.89	"
13.	धाता	17.43	13.76	22.94	33.03	12.84	"
	जनपद	14.05	12.65	30.99	28.55	13.76	"

स्रोत :— सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1993, पृ0 116

33 नगरीय क्षेत्र मे स्थित है। सारणी 7.1 से स्पष्ट है कि सबसे अधिक सीनियर बेसिक स्कूल (30) अमौली विकासखण्ड में है, जबकि द्वितीय स्थान मे मलवा और धाता में क्रमशः 23, 23 स्कूल है। तृतीय स्थान हसवा विकासखण्ड (22) का है। इसके बाद क्रमशः खजुहा (21), तेलियानी (18), बहुआ (18), देवमई (16), असोथर (16), हथगॉव (15), भिटौरा (13), विजयीपुर (13) और सबसे कम ऐराया (12) में है।

चित्र 7.1B से स्पष्ट है कि प्रति लाख जनसख्या पर सर्वाधिक सीनियर बेसिक स्कूल अमौली मे 21–25 के मध्य हैं। देवमई, तेलियानी और धाता मे इन स्कूलों की संख्या 16–20 के मध्य मिलती है। मलवां, खजुहा, हसवा, बहुआ और असोथर आदि में इनकी संख्या 11–15 के मध्य प्राप्त है। भिटौरा, ऐरायां, विजयीपुर तीनो विकासखण्डों में प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम स्कूलो की संख्या 5–10 के मध्य उपलब्ध है।

सारणी 7.3 के अनुसार जनपद में केवल 14.05% ग्रामों को स्थानीय सीनियर बेसिक स्कूलो की सुविधा उपलब्ध है। 12.65% ग्रामों को 1 किमी0 से कम, 30.99% ग्रामों को 1–3 किमी0, 28.55% ग्रामो को 3–5 किमी0 और 13.76% ग्रामों को 5 किमी0 से अधिक दूरी पर सीनियर बेसिक स्कूलो की सुविधा सुलभ है। जनपद मे सबसे अधिक (27.27%) स्थानीय अभिगम्यता अमौली विकासखण्ड में मिलती है। जबकि सबसे कम (6.80%) अभिगम्यता भिटौरा विकासखण्ड में पायी जाती है। ध्यातव्य है कि जनपद में सीनियर बेसिक स्कूलों का सर्वाधिक केन्द्रीकरण (59. 54%) 1–5 किमी0 की दूरी पर हुआ है। दूसरे जनपद में जूनियर बेसिक स्कूलों की तुलना में सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या अपर्याप्त है।

7.4.2 उच्चतर माध्यमिक शिक्षा :–

माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के पश्चात तथा उच्च शिक्षा के पूर्व होती है अतः यह प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को जोडने की कडी है। यह विद्यार्थी के किशोरावस्था से सम्बन्धित होने के कारण उसके शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन को तीव्र गति से प्रभावित करती है तथा शिक्षण क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षमता को प्रदर्शित करती है। इस तरह माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा के लिए आधारशिला का कार्य करती है। इसके परिणामस्वरूप ही सन् 1921 मे माध्यमिक शिक्षा परिषद (Board of High School and Intermediate Education) का गठन किया गया था।

सारणी 7.1 के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में कुल 106 हायर सेकेन्ड्री स्कूल (Higher Secondary School) हैं। इनमें सर्वाधिक अमौली विकासखण्ड (10) में है। द्वितीय स्थान में देवमई और धाता में क्रमशः 9, 9 स्कूल है जबकि मलवां का तृतीय स्थान (8) है। तत्पश्चात क्रमशः तेलियानी (7), भिटौरा (7), असोथर (6), ऐरायां (6), विजयीपुर (6), खजुहा (5), हथगाँव (4), और हसवा में

सारणी 7.4

जनपद फतेहपुर : हायर सेकेन्ड्री स्कूल अभिगम्यता (छात्र)

(प्रतिशत में)

क्रम सं0	विकासखण्ड	ग्राम में	1 किमी0 से कम	1—3 किमी0	3—5 किमी0	5 किमी0 से अधिक	कुल प्रतिशत
1.	देवमई	4 65	8.14	15.12	20.93	51.16	100 %
2.	मलवां	6.42	1 83	22.94	36 70	32 11	"
3.	अमौली	6.06	1.01	11 11	28.28	53 54	"
4.	खजुहा	5.00	—	10.00	22 00	63.00	"
5.	तेलियानी	4.95	2.97	15 84	19 80	56.44	"
6.	भिटौरा	4.08	1.36	20 41	27.21	46.94	'
7.	हसवा	3.57	1.19	9.52	20.24	65.48	"
8.	बहुआ	6.74	4 49	13.48	30.34	44 95	"
9.	असोथर	8.92	1.79	17.86	26.79	44.64	"
10.	हथगाँव	2.36	1.76	14.12	25.29	66.47	"
11.	ऐरायां	2.78	2.78	12.96	29.63	51.85	"
12.	विजयीपुर	4.26	1.06	23.40	18.09	53.19	"
13.	धाता	8.26	1.83	22.02	31.19	36.70	"
	जनपद	4.96	2.22	16.20	26.10	50.52	"

स्रोत :— सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1993, पृ0 117

सबसे कम (3) स्कूल स्थित है।

चित्र 7.1C से स्पष्ट है कि प्रतिलाख जनसंख्या पर सर्वाधिक हायर सेकेन्ड्री स्कूल अमौली, तेलियानी और धाता में 7–9 के मध्य मिलते है तथा 6 विकासखण्डों क्रमशः देवमई, मलवां, खजुहा, भिटौरा, बहुआ, असोथर और विजयीपुर में 4–6 के मध्य स्कूल मिलते हैं, शेष 3 विकासखण्डों क्रमशः हसवा, हथगॉव और ऐरायां में सबसे कम स्कूल 1–3 के मध्य उपलब्ध हैं।

सारणी 7.4 के अनुसार जनपद में मात्र 4.96% ग्रामों को ग्राम मे हायर सेकेन्ड्री स्कूलों की सुविधा सुलभ है। 2.22% ग्रामों को 1 किमी0 से कम, 16.02% ग्रामों को 1–3 किमी0, 26.10% ग्रामों को 3–5 किमी0 और 50.52% ग्रामो को 5 किमी0 से भी अधिक की दूरी पर इन स्कूलों की सुविधा उपलब्ध है। जनपद में सबसे अधिक स्थानीय स्कूलों की सुविधा असोथर विकासखण्ड में 8.92% है जबकि सबसे कम स्थानीय सुविधा हथगाँव विकासखण्ड में 2.36% मिलती है। जनपद में 8 विकासखण्डों क्रमशः देवमई, अमौली, खजुहा, तेलियानी, हसवा, हथगाँव, ऐरायां और विजयीपुर में जनपद के कुल प्रतिशत (50.52) से भी अधिक ग्रामों को हायर सेकेन्ड्री स्कूलों की सुविधा हेतु 5 किमी0 से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है जबकि शेष 5 विकासखण्डों क्रमशः मलवां, भिटौरा, बहुआ, असोथर, और धाता के जनपदीय प्रतिशत (50.52) से कम ग्रामों को 5 किमी0 से अधिक की दूरी पर सुलभ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्षेत्र मे हायर सेकेन्ड्री स्कूलों की संख्या अपर्याप्त है जिनमें वृद्धि करने की नितान्त आवश्यकता है।

7.4.3 महाविद्यालयी/विश्वविद्यालयी शिक्षा :–

महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में प्राप्त की गयी शिक्षा को ही उच्च शिक्षा के रूप में जाना जाता है। इस स्तर की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। इस शिक्षा का अन्य उद्देश्य उच्च शिक्षा हेतु विद्यार्थियों को वाणिज्य, कृषि, उद्योग, राजनीति और प्रशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण देना है। इन उद्देश्यों की आपूर्ति करने पर ही इस स्तर की शिक्षा सफल मानी जाती है।

अध्ययन क्षेत्र में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, केवल 4 महाविद्यालय हैं जो कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं। इन 4 महाविद्यालयों में से 3 नगरीय क्षेत्र–2 फतेहपुर में और 1 बिन्दकी में तथा 1 ग्रामीण क्षेत्र – हथगॉव विकासखण्ड के रजीपुर छिवलहा नामक स्थान पर स्थित है। फतेहपुर शहर में स्थापित महात्मा गाँधी महाविद्यालय सबसे प्राचीन महाविद्यालय है। इसकी स्थापना सन् 1961 में की गयी थी (जिला गजेटियर, फतेहपुर, 1980 पृ0 204)। यह सिर्फ बालकों की शिक्षा हेतु है। इसके अतिरिक्त फतेहपुर शहर में सन् 1990 में बालिकाओं की शिक्षा सुविधा को ध्यान में रखते हुए 1 राजकीय महिला महाविद्यालय स्थापित किया गया। इसी प्रकार सन् 1996 में बिन्दकी नगरीय क्षेत्र में एक अन्य महिला महाविद्यालय की स्थापना की गयी। ग्रामीण

N
C
DISTRICT FATEHPUR
HIGHER SECONDARY SCHOOLS
1991-92
RIVER
GANGA
NO OF HIGHER SECONDARY
SCHOOLS / LAKH POPULATION
7 - 9
4 - 6
1 - 3
RIVER
YAMUNA
10 0 10 20
km
N
D
DISTRICT FATEHPUR
LITERACY SCHEDULED CASTES AND
SCHEDULED TRIBES
1991-92
RIVER
GANGA
RIVER
YAMUNA
PER CENT OF TOTAL
SC/ST POPULATION
41 - 50
31 - 40
20 - 30
10 0 10 20
km

Fig. 7.1

सारणी 7 5

जनपद फतेहपुर प्राविधिक, औद्योगिक और शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान

क्रम स0	विषय	1990–91	1991–92	1992–93
1	प्राविधिक शिक्षा संस्थान	पालीटेक्निक	–	–
1.1	सख्या	1	1	1
1.2	सीटों की संख्या	60	60	60
1 3	भर्ती	62	82	79
2.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान			
2 1	संख्या	2	2	2
2 2	सीटों की सख्या	420	605	605
2 3	भर्ती	485	578	492
3	शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान			
3.1	सख्या	2	1	1
3.2	सीटों की संख्या	50	18	50
3 3	भर्ती			
3.3.1	पुरूष	15	9	8
3.3.2	महिला	35	9	32

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका, फतेहपुर जनपद, 1993 पृ0 79

शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षको और शिक्षा ग्रहण करने वाले प्रौढ़ों दोनों में ही उत्साह की कमी का पाया जाना है।

7.4.6 स्त्री शिक्षा :–

स्त्री शिक्षा के महत्व को युग दृष्टा महात्मा गॉधी ने भलीभॉति समझते हुए कहा था कि जब आप एक बालक को शिक्षित करते है तो केवल एक व्यक्ति का विकास होता है पर जब एक बालिका को शिक्षित करते हैं तो एक पूरे परिवार का विकास होता है। एक शिक्षित मॉ निरक्षता को कभी भी पनपने नहीं देती है। महात्मा गॉधी के इस कथन से स्पष्ट है कि स्त्री को पुरुषों की तरह समाज का सक्रिय सदस्य बनाने के लिए स्त्री को शिक्षित करना नितान्त आवश्यक है। नगरीय क्षेत्रों की तुलना मे ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकाधिक पिछडेपन का प्रमुख कारण वहॉ पर स्त्री शिक्षा का सर्वथा अभाव है। स्त्री शिक्षा के महत्व को समझते हुए ही सरकार व विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे है जिनमें माध्यमिक स्तर तक नि.शुल्क शिक्षा की व्यवस्था तथा रोजगार व राजनीति मे महिलाओं के लिए स्थानो का आरक्षण इत्यादि उल्लेखनीय है किन्तु अध्ययन क्षेत्र में स्त्री शिक्षा सन्तोषप्रद नहीं है (सारणी 7.1)। जनपद मे आज भी मात्र 61 सीनियर बेसिक स्कूल बालिकाओं के लिए है जिनमे 50 ग्रामीण क्षेत्र मे और 11 नगरीय क्षेत्र में है। इसी प्रकार क्षेत्र में मात्र 9 हायर सेकेन्ड्री स्कूल बालिकाओं के लिए है जिनमें 4 ग्रामीण क्षेत्रों और 5 नगरीय क्षेत्रों में है। महाविद्यालय स्तर की शिक्षा सुविधा की दृष्टि से जनपद में 4 महाविद्यालय स्थित है। इन महाविद्यालयो में 2 राजकीय महिला महाविद्यालय हैं जबकि ग्रामीण महाविद्यालय में सहशिक्षा प्रचलित है। यद्यपि महाविद्यालयी स्तर की शिक्षा की दृष्टि से स्त्री शिक्षा की स्थिति अच्छी है क्योकि 4 महाविद्यालयां में से लगभग ढाई महाविद्यालय बालिकाओं के लिए ही हैं किन्तु ग्रामीण क्षेत्र में महिला महाविद्यालय का अभाव है अत इनसे सिर्फ नगरीय बालिकायें ही लाभन्वित हो पाती है और ग्रामीण बालिकायें उच्च शिक्षा से वचित रह जाती हैं।

स्त्री शिक्षा के पिछडेपन का द्वितीय उदाहरण जनपद में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं की संख्या के रूप में ले सकते हैं। जनपद में प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8 तक) के अन्तर्गत जहॉ कुल 169,210 बालक अध्ययनरत है, इनमें 152,590 बालक ग्रामीण और 16,620 नगरीय बालक है, वहीं प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कुल 93,130 बालिकायें अध्ययनरत हैं। इनमें 81,401 ग्रामीण और 11,729 बालिकायें नगरीय है। हायर सेकेन्ड्री स्कूल (कक्षा 9 से 12 तक) में जहॉं कुल 31,391 बालक अध्ययनरत है, इनमें 20,809 ग्रामीण और 10,582 नगरीय बालक हैं, वही हायर सेकेन्ड्री स्कूलों में अध्ययनरत कुल बालिकायें 7,542 है, जिनमे 3,832 ग्रामीण और 3,710 नगरीय बालिकायें हैं। महाविद्यालय स्तर की शिक्षा में जहॉ कुल 2,935 बालक अध्ययनरत है इनमें 700 ग्रामीण और 2,235 नगरीय बालक हैं, वहीं महाविद्यालयों में अध्ययनरत कुल बालिकायें 857 हैं इनमें मात्र 103

ग्रामीण है और 754 नगरीय बालिकायें है (साख्यिकीय पत्रिका, फतेहपुर, 1993, पृ0 74–76)।

अध्ययन क्षेत्र में स्त्री शिक्षा के पिछडेपन को साक्षरता स्तर से भी स्पष्ट किया जा सकता है (सारणी 2.10)। इस सारणी के अनुसार जनपद मे कुल साक्षरता 44.7% मिलती है। इसमें 42.9% ग्रामीण और 61% नगरीय साक्षरता है। ज्ञातव्य है कि क्षेत्र में पुरुषों की कुल साक्षरता 59.9% है। इसमें 58.6% ग्रामीण और 71.6% नगरीय पुरुष साक्षरता है। पुरुषोंकी तुलना में जनपद में स्त्रियों की साक्षरता बहुत कम (27.2%) है। इसमें 24.9% ग्रामीण और 48.7% नगरीय स्त्री साक्षरता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जनपद में नगरीय साक्षरता की तुलना में ग्रामीण साक्षरता कम है और पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की साक्षरता बहुत कम है।

इस विवरण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में स्त्री शिक्षा की स्थिति उपयुक्त नहीं है इसका प्रमुख कारण सामाजिक परिवेश हैं जिसमें पुरुषो की तुलना में स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए आज आवश्यकता ऐसे सामाजिक परिवेश की है जिसमें स्त्री स्वतन्त्र होकर शिक्षा ग्रहण कर सके जिससे वह आत्मविकास के साथ–साथ क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास में भरपूर सहयोग कर सके।

7.4.7 हरिजन शिक्षा :–

स्त्री शिक्षा की भॉति ही सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए हरिजन शिक्षा भी अत्यन्त आवश्यक है। इस महत्व को समझते हुए ही सरकार एवं सामाजिक संगठनों द्वारा हरिजन शिक्षा के विकास के लिए बराबर प्रयास किये जाते रहे है क्योंकि आर्थिक विपन्नता व सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के कारण ये नियमित ढग से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। सरकारी प्रयासों में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा शैक्षिक उत्थान के लिए इस वर्ग को पूर्ण शुल्क मुक्ति, मुफ्त पुस्तकीय सुविधा और छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अध्ययन क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा कक्षा 1 से 5 तक लगभग 24,000 अनुसूचित जाति तथा जनजाति और लगभग 4,000 पिछड़ी जाति के बालक–बालिकाओं को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान कीजाती है। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 तक के 10,000 अनुसूचित जाति एवं 3,000 पिछडी जाति के बालक–बालिकाओं को तथा कक्षा 9 से 10 तक के लगभग 4,000 अनुसूचित जाति एवं 2,000 पिछड़ी जाति के बालक–बालिकाओं को और कक्षा 11 से 12 तक लगभग के 3,000 अनुसूचित जाति एवं 1,600 पिछड़ी जाति के बालक–बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। आई0 टी0 आई0 में कुल 70 बालकों को छात्रवृत्ति दी जाती है (समाजार्थिक समीक्षा, फतेहपुर, 1994–95, पृ0 41)।

इस प्रकार के प्रयासों के परिणास्वरूप ही आज क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कुल 45,374 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालक अध्ययनरत हैं, इनमें 42,427 ग्रामीण एवं 2,947 नगरीय बालक हैं। इसी प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत 21,691 बालिकायें अध्ययनरत हैं,

इनमे 20,074 ग्रामीण बालिकाये एव 1,617 नगरीय बालिकायें हैं। हायर सेकेन्ड्री स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कुल बालक 4,808 हैं, इनमें 3,550 ग्रामीण और 1,258 नगरीय बालक है। हायर सेकेन्ड्री स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कुल बालिकायें 506 हैं, इनमे 279 ग्रामीण और 227 नगरीय बालिकायें हैं। महाविद्यालय मे कुल 726 बालक अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अध्ययनरत है, इनमें मात्र 162 ग्रामीण और 664 नगरीय बालक हैं। महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत अनुसूचित जाति व जनजाति की कुल 82 बालिकाये हैं, इनमें 21 ग्रामीण क्षेत्र मे और 61 नगरीय क्षेत्र मे अध्ययनरत हैं (सांख्यिकीय पत्रिका, फतेहपुर, 1993, पृ0 74–76)। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्तमान समय मे हरिजन शिक्षा में यद्यपि सुधार हुआ है तथापि यह प्रगति पर्याप्त नहीं है।

चित्र 7.1D के अवलोकन से ज्ञात होता है कि स्थानिक दृष्टि से देवमई, मलवां, और अमौली तीन विकासखण्डो मे अनुसूचित जाति व जनजाति के साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है जो 41–50 के मध्य मिलता है। खजुहा, तेलियानी, हसवा, बहुआ, असोथर और धाता में इनका साक्षरता प्रतिशत 31–40 के बीच प्राप्त है। शेष 4 विकासखण्डों क्रमशः भिटौरा, हथगॉव, ऐरायां, और विजयीपुर में यह साक्षरता प्रतिशत सबसे कम 20–30 के मध्य मिलता है।

इस विवरण से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से अब तक क्षेत्र में अनुसूचित जाति व जनजाति की शिक्षा में सराहनीय सुधार हुआ है किन्तु देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सास्कृतिक इत्यादि सभी क्षेत्रों में समुन्नित हेतु सभी का समान रूप से शिक्षित होना आवश्यक है। इस दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जाति एव जनजाति की शिक्षा स्तर में और अधिक सुधार अपेक्षित है।

7.5 शिक्षा एवं सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण :–

शिक्षा सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा से स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण और सामाजिक न्याय प्राप्त करने मे मदद मिलती है। यही कारण है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति यथा–पुरुष, महिला, अनुसूचित जाति व पिछडी जाति आदि सभी का समान रूप से शिक्षित होना आवश्यक है। घर की चहारदीवारी में बन्द वाह्य पर्यावरण से अपरिचित होने के कारण ही स्त्रियां 'अबला' कही जाती हैं। शिक्षा के अभाव में ही ये प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों (कृषि, उद्योग और शिक्षा आदि) में दी गयी विभिन्न सुविधाओं के लाभ से वंचित रह जाती है क्योंकि अशिक्षा के कारण इन्हें इन सबकी जानकारी ही नहीं हो पाती है किन्तु वर्तमान समय मे क्षेत्र में किये गये अनेकानेक प्रयासों के परिणामस्वरूप काफी हद तक अशिक्षा की समस्या से छुटकारा पाया जा सका है। शिक्षा के प्रसार के लिए निःशुल्क शिक्षा, पुस्तकीय सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, गोष्ठी सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, स्लाइड, बैनर, पोस्टर, मुद्रित सामग्री, मेला, वाद–विवाद प्रतियोगिता, पहेली, गीत–नाटक कैसेट, आल्हा, कजरी, लोकगीत, लोकनृत्य तथा

आधुनिक दृश्य–श्रव्य माध्यम, जैसे– चलचित्र, दूरदर्शन, रेडियो आदि सभी का प्रयोग व्यापक पैमाने पर हो रहा है। शिक्षा के प्रसार से सामाजिक–आर्थिक विकास के साथ–साथ व्यक्ति में आत्मनियन्त्रण, आत्म परीक्षण, दया, करूणा, सहानुभूति एव सहिष्णुता के परम मानवीय गुणो का विकास होता है जिसके परिणामस्वरूप शान्ति एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक है।

7.6 स्वास्थ्य सुविधायें :– स्वास्थ्य मनुष्य के सर्वागीण विकास हेतु आधार प्रस्तुत करता है अत. स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाये मनुष्य के विकास के लिए अति आवश्यक हैं। स्वास्थ्य हेतु समुचित भोजन, मनोरजन, आवास एव स्वास्थ्य सुविधाये आवश्यक हैं। स्वस्थ शरीर द्वारा ही मनुष्य समस्त सुखो का उपभोग कर सकता है। समाज की प्रगति का सीधा सम्बन्ध व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं क्रियाशीलता से है। इन सब तथ्यो को दृष्टिगत करके ही प्रशासन ने सफाई एवं स्वास्थ्य सुविधाओ की उन्नति हेतु कई चरणो मे प्रयत्न किये हैं जिसके फलस्वरूप मृत्युदर में कमी और जीवन प्रत्याशा में सुधार आया है। सन् 2000 तक जन्मदर 21 व्यक्ति प्रति हजार और मृत्युदर 9 व्यक्ति प्रति हजार करने का लक्ष्य प्रशासन द्वारा निश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त अल्माआटा प्रस्ताव द्वारा सन् 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य रखा गया है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रशासन लोगो में शैक्षणिक उन्नयन, संचार व्यवस्था में समृद्धि, भोजन की गुणवत्ता में वृद्धि और स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक एव शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति बराबर जागरूकता उत्पन्न कर रहा है।

7.7 स्वास्थ्य सुविधाओं का ऐतिहासिक स्वरूप :–

प्राचीन समय में अध्ययन क्षेत्र मे ठग, पादरी और ओझा आदि इलाज का कार्य करते थे। वैज्ञानिक युग में सर्वप्रथम आयुर्वेद चिकित्सा का प्रयोग लोगों की बीमारियों को दूर करने के लिए किया गया, इससे सम्बन्धित चिकित्सको को वैद्य के रूप में जाना गया जो अपनी चिकित्सा धर्म और दैवीय कर्तव्य समझ कर करते हुए प्राय· अपने रोगियों से फीस नहीं लेते थे। क्षेत्र में 13वीं शताब्दी में मुसलमानों के बसने के साथ ही यूनानी चिकित्सा प्रणाली का आरम्भ हुआ जिन्हें 'हाकिम' कहा जाता था। 19वीं शताब्दी मे ही एलोपैथिक चिकित्सा का शुभारम्भ हुआ जिसने अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रियता प्राप्त की, जिसका प्रमुख कारण विदेशी शासकों द्वारा इसे संरक्षण प्रदान करना था। ब्रिटिश शासकों द्वारा जनपद में पहला एलोपैथिक चिकित्सालय सन् 1857 में स्थापित किया गया। तत्पश्चात सन् 1881 में जनपद चिकित्सालय तथा 1893 में महिला चिकित्सालय की स्थापना की गई। इनके अतिरिक्त कुछ विभागीय चिकित्सालय/औषधालय, जैसे– जेल और पुलिस लाइन में स्थित चिकित्सालय केन्द्र आदि। जनपद मुख्यालय के अतिरिक्त दो अन्य शाखा चिकित्सालय क्रमश· बिन्दकी और खागा में स्थापित किये गये। स्वतन्त्रता प्राप्ति के

सारणी 7.6

जनपद फतेहपुर चिकित्सालय औषधालय 1991

क्रम सं0	विकासखण्ड	एलोपैथिक चिकित्सालय (स0)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (सं0)	आयुर्वेदिक चिकित्सालय (स0)	यूनानी चिकित्सालय (स0)	होम्यो0 चिकि0 (स0)
1.	देवमई	—	3	2	1	—
2.	मलवां	—	4	4	—	1
3.	अमौली	1	6	3	—	—
4.	खजुहा	—	4	2	1	—
5.	तेलियानी	—	4	2	—	2
6.	भिटौरा	—	5	1	—	1
7.	हसवा	1	3	1	—	—
8.	बहुआ	—	3	1	—	2
9.	असोथर	—	4	1	1	—
10.	हथगॉव	1	5	1	—	—
11.	ऐरायां	—	3	1	—	3
12.	विजयीपुर	1	3	1	1	—
13.	धाता	—	4	1	1	1
	योग ग्रामीण	4	51	22	5	10
	नगरीय	13	4	3	—	2
	योग जनपद	17	55	25	5	12

स्त्रोत :— सांख्यिकीय पत्रिका जनपद फतेहपुर, 1993, पृ0 81—82

URBAN HOSPITAL

G	General Hospital
M	Maternity and Children Hospital
E	Eye Hospital
TB	T B Hospital
P	Police Hospital
D	Prison Hospital
PAC	PAC Hospital
C	Christan Hospital
B	Primary Health Centre (URBAN)

PRIMARY HEALTH CENTRE (RURAL)

A	Allopathic
U	Ayurvedic
H	Homeopathic
R	Unani

बाद प्रशासन द्वारा क्षेत्र में अनेक चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, और मातृ शिशु कल्याण केन्द्र स्थापित किये गये। फलस्वरूप जनपद में 8 एलोपैथिक चिकित्सालय, 13 औषधालय, 3 होम्योपैथिक और 7 आयुर्वेदिक औषधालय अस्तित्व में आये (जिला गजेटियर, फतेहपुर, 1980, पृ0 213)। वर्तमान समय मे जनपद मे 17 एलोपैथिक चिकित्सालय, 21 आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 5 यूनानी चिकित्सालय, 12 होम्योपैथिक चिकित्सालय, 55 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1 कुष्ठ रोग चिकित्सालय, 1 क्षयरोग चिकित्सालय, 1 नेत्ररोग चिकित्सालय हैं। क्षेत्र में 789 शैय्याये हैं तथा 2,407 व्यक्तियों पर शैय्याओं का औसत मात्र 1 है। यहाँ पर 35 व्यक्ति प्रति हजार जन्मदर तथा 11 व्यक्ति प्रति हजार मृत्युदर है (समाजार्थिक समीक्षा, फतेहपुर, 1994—95, पृ0 36—37)।

7.8 स्वास्थ्य सुविधाओं का वर्तमान प्रतिरूप :—

स्वास्थ्य सुविधाओ के वर्तमान प्रतिरूप के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सालय का स्थानिक वितरण निम्नवत है (सारणी 7.6 एव चित्र 7.2)—

7.8.1 एलोपैथिक चिकित्सालय :—

अध्ययन क्षेत्र में कुल 17 चिकित्सालय हैं इनमें 4 ग्रामीण क्षेत्र में और 13 नगरीय क्षेत्रों में स्थित हैं। ग्रामीण क्षेत्र मे स्थित ये चिकित्सालय क्रमश. अमौली, हसवा, हथगॉव और विजयीपुर प्रत्येक विकासखण्ड में 1 चिकित्सालय स्थित है। इस प्रकार जनपद के कुल 13 विकासखण्डों में से 4 विकासखण्डों को ही ऐलोपैथिक चिकित्सालय की सुविधा प्राप्त है तथा शेष सभी इस सुविधा से वचित हैं।

7.8.2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र :—

वर्तमान समय में जनपद में कुल 55 स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है, इनमे 51 ग्रामीण क्षेत्र में और 4 नगरीय क्षेत्र में स्थित है। सारणी 7.6 से स्पष्ट है कि कुल 13 विकासखण्डों में से सबसे अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (6) अमौली में पाये जाते है जबकि सबसे कम (3) विजयीपुर में हैं। इनके अतिरिक्त भिटौरा और हथगॉव प्रत्येक में 5, मलवां, खजुहा, तेलियानी, असोथर तथा धाता आदि प्रत्येक विकासखण्ड में 4, देवमई, हसवा, बहुआ और ऐरायां आदि प्रत्येक विकासखण्ड में 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध है।

चित्र 7.3A के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र में प्रति लाख जनसंख्या पर सर्वाधिक चिकित्सालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या अमौली विकासखण्ड में 6—8 के मध्य मिलती है। भिटौरा और हथगॉव मे प्रति लाख जनसंख्या पर इनकी संख्या 4—6 के बीच

A
DISTRICT FATEHPUR
HOSPITALS, DISPENSARIES AND
PRIMARY HEALTH CENTRES
1991-92
RIVER
GANGA
RIVER YAMUNA
NUMBER/LAKH POPULATION
6 - 8
4 - 6
2 - 4
10 0 10 20
km
B
DISTRICT FATEHPUR
HOSPITALS, DISPENSARIES AND
PRIMARY HEALTH CENTRES
1991-92
RIVER
GANGA
RIVER YAMUNA
NUMBER OF BEDS/
LAKH POPULATION
> 30
21 - 30
10 - 20
10 0 10 20
km

Fig 7.3

सारणी 7 7

जनपद फतेहपुर . एलोपैथिक चिकित्सालय एव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अभिगम्यता

(प्रतिशत मे)

क्रम सं0	विकासखण्ड	ग्राम में	1 किमी0 से कम	1—3 किमी0	3—5 किमी0	5 किमी0 से अधिक	कुल प्रतिशत
1.	देवमई	3 49	6 98	13.95	38 37	37 21	100 %
2.	मलवां	3.67	4.59	23 85	39.45	28.44	"
3.	अमौली	7.07	2 02	26 27	30.30	34 34	"
4.	खजुहा	4.00	5.00	23 00	42.00	26 00	"
5.	तेलियानी	3.96	0.99	11.88	34 65	48.52	"
6.	भिटौरा	3.40	2.72	23.81	33.33	36.74	"
7.	हसवा	4.76	1.19	14.29	22.62	57.14	"
8.	बहुआ	3.37	7.87	21.34	39.33	28.09	"
9.	असोथर	7.14	3.57	8.93	32.14	48.22	"
10.	हथगॉव	3.53	1.76	13.53	31.18	50.00	"
11.	ऐरायां	2.78	2.78	23.15	24.07	47.22	"
12.	विजयीपुर	4.26	3.19	14.89	28.72	48.94	"
13.	धाता	3.67	0.92	8.26	28.44	58.71	"
	जनपद	4.07	3.18	17.82	32.62	42 31	"

स्रोत :— सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1993, पृ0 118

मिलती है। शेष समस्त 10 विकासखण्डो क्रमश· देवमई, मलवां, खजुहा, तेलियानी, हसवा, बहुआ, असोथर, ऐरायां, विजयीपुर, और धाता मे प्रति लाख जनसंख्या पर इनकी संख्या सबसे कम 2–4 के मध्य पायी जाती है। स्पष्ट है कि यहॉ पर चिकित्सालयों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है।

चित्र 7.3B से स्पष्ट है कि जनपद में हथगॉव विकासखण्ड में प्रति लाख जनसंख्या पर ऐलोपैथिक चिकित्सालय एव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर उपलब्ध शैय्याओं की संख्या 30 से भी अधिक है। द्वितीय स्थान अमौली विकासखण्ड का है जहॉ पर प्रति लाख जनसंख्या पर उपलब्ध शैय्याओ की संख्या 21–30 के मध्य पायी जाती है। शेष 11 विकासखण्डों क्रमशः देवमई, मलवां, खजुहा, तेलियानी, भिटौरा, हसवा, बहुआ, असोथर, ऐरायां,विजयीपुर, और धाता मे इनकी सख्या 10–20 के मध्य प्राप्त है।

सारणी 7 7 से स्पष्ट है कि जनपद मे मात्र 4.07% ग्रामों को स्थानीय ऐलोपैथिक चिकित्सालयो एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सुविधा है। 3.18% ग्रामों को 1 किमी0 से कम, 17. 82% ग्रामो को 1–3 किमी0, 32.62% ग्रामो को 3–5 किमी0 और शेष 42.31% ग्रामों को 5 किमी0 से भी अधिक की दूरी पर इनकी सुविधा उपलब्ध है। अमौली और असोथर दो ऐसे विकासखण्ड है जिनमे यह सुविधा स्थानीय तौर पर सर्वाधिक (क्रमश· 7.07% और 7.14%) है जबकि ऐरायां विकासखण्ड में यह सुविधा सबसे कम (2.78%) मिलती है, जो क्षेत्र के कुल प्रतिशत से भी कम है। आज भी अध्ययन क्षेत्र में हसवा, हथगॉव, और धाता 3 ऐसे विकासखण्ड है, जिनके 50% या उससे अधिक ग्रामों को ऐलोपैथिक चिकित्सालयों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सुविधा 5 किमी0 से अधिक की दूरी पर उपलब्ध है। अत· आज जनपद में इन सुविधाओं के विकास की अत्यन्त आवश्यकता है जिससे इनकी कमी की पूर्ति हो सके।

7.8.3 आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सालय :–

(अ) आयुर्वेदिक चिकित्सालय :–

सारणी 7.6 के अनुसार जनपद में कुल 25 आयुर्वेदिक चिकित्सालय है। इनमें 22 ग्रामीण क्षेत्र में और 3 नगरीय क्षेत्र मे स्थित है। ग्रामीण क्षेत्र में मिलने वाले इन चिकित्सालयों का वितरण असमान है यथा जनपद में सबसे अधिक आयुर्वेदिक चिकित्सालय (4) मलवा में पाये जाते हैं। द्वितीय स्थान अमौली (3) का है। देवमई, खजुहा, और तेलियानी प्रत्येक में 2 आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थित है। शेष 8 विकासखण्डों क्रमश· भिटौरा, हसवा, बहुआ, असोथर, हथगॉव, ऐरायां, विजयीपुर और धाता आदि प्रत्येक में 1 चिकित्सालय स्थापित है।

आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के वितरण की असमानता की ही तरह उपलब्ध शैय्याओं की संख्या में भी असमानता मिलती है। जनपद में कुल शैय्याऐं 117 है। इनमें 52 ग्रामीण क्षेत्रों में एवं

सारणी 7.8

जनपद फतेहपुर आयुर्वेदिक चिकित्सालय अभिगम्यता

(प्रतिशत में)

क्रम सं0	विकासखण्ड	ग्राम में	1 किमी0 से कम	1–3 किमी0	3–5 किमी0	5 किमी0 से अधिक	कुल प्रतिशत
1.	देवमई	1 16	5.82	6.98	13.95	72.09	100 %
2.	मलवां	3.67	1.83	21.10	23 85	49 55	"
3.	अमौली	3 03	2 02	8.08	20 20	66 67	"
4.	खजुहा	2 00	5 00	13.00	16 00	64 00	'
5.	तेलियानी	1.98	0 99	8.91	12 87	75 25	"
6.	भिटौरा	0 68	0.68	5 44	12.93	80.27	"
7.	हसवा	1 19	—	9.52	8.33	80.96	"
8.	बहुआ	1.12	—	6.74	5.62	86.52	"
9.	असोथर	1.79	3.57	17.85	16.07	60.72	"
10.	हथगाँव	0.59	0.59	3.53	10.00	85.29	"
11.	ऐरायां	—	—	—	—	100.00	"
12.	विजयीपुर	—	1.07	6.38	14 89	77 66	"
13.	धाता	0.92	—	—	—	99.08	"
	जनपद	1 33	1 48	7 62	11.69	77.88	"

स्रोत :— सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1993, पृ0 119

सारणी 7 9

जनपद फतेहपुर : यूनानी चिकित्सालय/औषधालय अभिगम्यता

(प्रतिशत मे)

क्रम सं0	विकासखण्ड	ग्राम में	1 किमी0 से कम	1—3 किमी0	3—5 किमी0	5 किमी0 से अधिक	कुल प्रतिशत
1.	देवमई	1.16	1.16	5.82	3.48	88 37	100 %
2.	मलवां	—	—	—	—	100.00	,,
3.	अमौली	—	—	—	—	100.00	,,
4.	खजुहा	1.00	2.00	10 00	26 00	61 00	,,
5.	तेलियानी	—	—	—	—	100 00	,,
6.	भिटौरा	—	—	—	—	100.00	,,
7.	हसवा	—	—	—	—	100.00	,,
8.	बहुआ	—	—	—	—	100.00	,,
9.	असोथर	1.78	—	3.57	5.36	89.29	,,
10.	हथगाँव	—	—	—	—	100.00	,,
11.	ऐरायां	—	—	—	—	100.00	,,
12.	विजयीपुर	1.06	—	3 19	10.64	85.11	,,
13.	धाता	0.92	—	5.50	8.26	85.32	,,
	जनपद	0.37	0.22	1.92	3.77	93.72	,,

स्त्रोत :— सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1993, पृ0 119

65 नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इन चिकित्सालयों में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या सबसे अधिक (12) मलवा में है। द्वितीय स्थान अमौली (8) का है। तत्पश्चात क्रमशः खजुहा, तेलियानी, भिटौरा, हसवा, बहुआ, असोथर, हथगॉव और धाता आदि प्रत्येक विकासखण्ड में 4 शैय्याये उपलब्ध हैं। शेष 3 विकासखण्ड क्रमश: देवमई, ऐरायां और विजयीपुर में एक भी शैय्या नहीं सुलभ है।

सारणी 7.8 से स्पष्ट है कि जनपद मे आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की स्थानीय सुविधा मात्र 1.33% है। 1 48% 1 किमी0 से कम, 7.62% 1–3 किमी0, 11.69% 3–5 किमी0 और 77 88% ग्रामो को यह सुविधा 5 किमी0 से भी अधिक की दूरी पर उपलब्ध है। जनपद में मलवां, और अमौली विकासखण्डों मे क्रमशः 3 67% और 3 03% ग्रामो को इन चिकित्सालयों की स्थानीय सुविधा उपलब्ध है जबकि ऐरायां मे एक भी ग्राम को स्थानीय सुविधा नहीं प्राप्त है। क्षेत्र में ऐरायां और धाता 2 ऐसे विकासखण्ड है, जिनमें लगभग शत प्रतिशत ग्रामों को 5 किमी0 से अधिक की दूरी पर इन चिकित्सालयो की सुविधा उपलब्ध है। अतः स्पष्ट है कि सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र में इन चिकित्सालयो का लगभग अभाव है जिन्हें विकसित किया जाना आवश्यक है।

(ब) यूनानी चिकित्सालय :–

सारणी 7.6 के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में कुल 5 युनानी चिकित्सालय हैं और ये सभी ग्रामीण क्षेत्रो मे स्थित हैं। देवमई, खजुहा, असोथर, विजयीपुर और धाता आदि प्रत्येक विकासखण्ड में 1 यूनानी चिकित्सालय स्थित है। धाता को छोडकर प्रत्येक विकासखण्ड में 4 शैय्यायें उपलब्ध है। इस प्रकार जनपद में कुल 16 शैय्यायें ही सुलभ है।

सारणी 7.9 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जनपद में मात्र 0.37% ग्रामों में ही यूनानी चिकित्सालय हैं। 0.22% ग्रामों को 1 किमी0 से कम 1.92% ग्रामों को 1–3 किमी0, 3.77% ग्रामों को 3–5 किमी0 और शेष 93.72% ग्रामों को 5 किमी0 से अधिक की दूरी पर यूनानी चिकित्सालयों की सुविधा उपलब्ध है। जनपद के 8 विकासखण्डों क्रमशः मलवा, अमौली, तेलियानी, भिटौरा, हसवा, बहुआ, हथगॉव और ऐरायां के शत प्रतिशत ग्रामों को यूनानी चिकित्सालयों की सुविधा 5 किमी0 से अधिक की दूरी पर सुलभ है। अतः यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में जनपद में यूनानी चिकित्सा की सुविधा न के बराबर पायी जाती है जिसे विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि इस चिकित्सा के लाभार्थी व्यक्ति को कम से कम दूरी तय करनी पड़े।

(स) होम्योपैथिक चिकित्सालय :–

सारणी 7.6 के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में कुल 12 होम्योपैथिक चिकित्सालय हैं। इनमें 10 ग्रामीण क्षेत्र में और 2 नगरीय क्षेत्र में स्थित है। जनपद में इनका वितरण असमान हैं, यथा– सबसे

अधिक होम्योपैथिक चिकित्सालय (3) ऐरायां विकासखण्ड में हैं। तेलियानी और बहुआ प्रत्येक में 2, मलवा, भिटौरा और धाता प्रत्येक मे 1 होम्योपैथिक चिकित्सालय स्थित है। शेष 7 विकासखण्ड क्रमश: देवमई, अमौली, खजुहा, हसवा, असोथर, हथगॉव, और विजयीपुर इस सुविधा से वंचित है। ज्ञातव्य है कि जहॉ पर भी इन चिकित्सालयों की सुविधा है, उनमें शैय्याओं की सुविधा नहीं हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्तमान समय मे ऐलोपैथिक चिकित्सा का महत्व बढा है किन्तु आज आयुर्वेदिक, यूनानी व होम्योपैथिक सभी चिकित्सा क्षेत्रो को विकसित करने की आवश्यता है ताकि ऐलोपैथिक चिकित्सा के बोझ को कम किया जा सके।

7.9 अन्य अध: संरचनात्मक सुविधायें :–

अध्ययन क्षेत्र में शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं के अतिरिक्त भी अनेक प्रकार की सुविधायें ग्रामीण वासियों के लिए उपलब्ध है। इनमें बैक, विद्युत और भण्डारण आदि का प्रमुख स्थान है। इनका विवरण निम्नवत है –

7.9.1 बैंक :–

'भारत गॉवों का देश हैं' इस अवधारणा से प्रेरित होकर सन् 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति हेतु सरकार ने सन् 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तत्पश्चात 'अग्रणी बैंक' (Lead Bank) का प्रादुर्भाव हुआ। फतेहपुर जनपद में बड़ौदा बैक अग्रणी बैक के रूप में कार्यरत है। इन बैंकों का प्रमुख कार्य जनपद में हर तरह के विकास हेतु सहायता प्रदान करना है, जैसे–जनपद का आर्थिक–सामाजिक सर्वेक्षण करना, बैंक सुविधा से शून्य क्षेत्रों में बैक शाखायें स्थापित करने हेतु सम्भावित केन्द्र निर्धारित करना, अग्रणी जनपदों की आर्थिक क्षमताओं के गहन उपयोग हेतु पर्याप्त शाख विस्तार करना और सम्भावित कार्य विधियो का निर्धारण करना। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रशासन ने 14 अप्रैल 1989 से 'सेवा क्षेत्र' अवधारणा प्रारम्भ की, जिसने प्रत्येक बैंक शाखा को कुछ निश्चित ग्राम आवंटित किये जाते हैं। इन शाखाओं का कार्य आवंटित ग्रामों का क्रमबद्ध एवं नियोजित विकास करना है।

अध्ययन क्षेत्र में 18 दिसम्बर 1905 में सबसे पहला बैंक, सहकारी बैंक स्थापित किया गया। तत्पश्चात जो बैंक स्थापित हुए वे क्रमश इलाहाबाद बैंक बिन्दकी (1938), इलाहाबाद बैंक फतेहपुर (1944), पंजाब नेशनल बैंक फतेहपुर (1951), भारतीय स्टेट बैंक फतेहपुर (1955), भारतीय स्टेट बैंक बिन्दकी (1960), भारतीय स्टेट बैक खागा (1966), बड़ौदा बैंक फतेहपुर (1971), भारतीय सेन्ट्रल बैंक अमौली (1971), बडौदा बैंक बिन्दकी (1972), बड़ौदा बैंक हुसैनगंज (1972), बड़ौदा बैंक किशुनपुर (1972), बड़ौदा बैंक हसवा (1972), भारतीय सेन्ट्रल बैंक जहानाबाद (1972), बड़ौदा बैंक हथगॉव (1973), बडौदा बैंक मलवां (1976) और बड़ौदा बैंक जहानाबाद (1976)

सारणी 7 10

जनपद फतेहपुर अनुसूचित व्यावसायिक बैंक तथा ग्रामीण बैंक

(प्रतिशत मे)

क्रम स0	विकासखण्ड	राष्ट्रीयकृत बैक (स0)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (स0)	अन्य व्यावसायिक राष्ट्रीयकृत बैक (सं0)
1	देवमई	2	4	1
2	मलवा	2	4	1
3	अमौली	2	4	2
4.	खजुहा	3	6	4
5	तेलियानी	–	5	2
6	भिटोरा	4	4	1
7.	हसवा	2	5	2
8	बहुआ	2	4	1
9	असोथर	4	3	2
10	हथगॉव	4	2	2
11	ऐराया	2	3	3
12	विजयीपुर	5	2	1
13.	धाता	3	6	1
	योग ग्रामीण	35	52	23
	नगरीय	16	3	12
	योग जनपद	51	55	35

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1993, पृ0 89

A	State Bank of India (Baraura is only Industrial Bank)
B	Bank of Baroda
C	Allahabad Bank
D	Central Bank
E	Punjab National Bank
F	Regional Rural Bank
G	Land Development Bank
H	D C B District Co operative Bank

इत्यादि है। सन् 1976 मे फतेहपुर जनपद में सहकारी बैंक की 10 शाखायें क्रमशः बिन्दकी, खागा, फतेहपुर, जहानाबाद, हसैनगज, मलवा, थरियांव, असोथर, किशुनपुर और हथगॉव मे थी। उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि विकास बैक जनपद के तहसील मुख्यालयो क्रमशः फतेहपुर, बिन्दकी और खागा प्रत्येक मे 1 स्थित है (जिला गजेटियर, फतेहपुर, 1980, पृ0 100–101)।

सारणी 7.10 और चित्र 7 4 से स्पष्ट है कि वर्तमान समय में अध्ययन क्षेत्र मे 51 राष्ट्रीयकृत बैक, 55 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 35 अन्य व्यावसायिक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं जिनका विस्तृत विवरण अग्रलिखित है–

(अ) राष्ट्रीयकृत बैंक :–

सारणी 7.10 के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में कुल 51 राष्ट्रीयकृत बैंक है। इनमें 35 ग्रामीण क्षेत्र मे तथा 16 नगरीय क्षेत्र में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों मे स्थापित बैकों में सबसे अधिक (5) विजयीपुर विकासखण्ड में स्थित है। इसके अतिरिक्त भिटौरा, असोथर और हथगॉव प्रत्येक में 4, तथा खजुहा और धाता में क्रमशः 3, 3 बैंक स्थापित है। शेष 6 विकासखण्डों क्रमशः देवमई, मलवां, अमौली, हसवा, बहुआ और ऐरायां आदि प्रत्येक मे 2 बैक सुलभ हैं। ध्यातव्य है कि तेलियानी विकासखण्ड में एक भी राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, जिसका प्रमुख कारण फतेहपुर नगर की संलग्नता है, जिससे इस विकासखण्ड के निवासियों को इसकी सुविधा प्राप्त हो जाती है।

(ब) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :–

सारणी 7.10 से स्पष्ट है कि जनपद मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या 55 है। इसमें 52 ग्रामीण क्षेत्रों में और 3 नगरीय क्षेत्रों में स्थित है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सर्वाधिक संख्या खजुहा और धाता में क्रमशः 6, 6 मिलती है। तत्पश्चात तेलियानी और हसवा प्रत्येक में 5, देवमई, मलवां, अमौली, भिटौरा, और बहुआ, प्रत्येक में 4, असोथर और ऐरायां प्रत्येक में 3, हथगॉव और विजयीपुर विकासखण्ड में क्रमशः 2, 2 बैंक स्थित हैं। स्पष्ट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की संख्या जनपद में पर्याप्त नहीं है। अतः प्रत्येक विकासखण्ड में इनकी संख्या कम से कम 8 तक विकसित की जानी आवश्यक है।

(स) अन्य व्यावसायिक राष्ट्रीयकृत बैंक :–

अध्ययन क्षेत्र में इस श्रेणी के कुल 35 बैंक हैं, जिनमें 23 ग्रामीण क्षेत्रों में और 12 नगरीय क्षेत्रों में मिलते हैं। सारणी 7.10 के अनुसार ये बैंक सबसे अधिक (4) खजुहा में मिलते हैं। द्वितीय स्थान ऐरायां (3) का है। अमौली, तेलियानी, हसवा, असोथर और हथगाँव प्रत्येक में 2, देवमई, मलवां, भिटौरा, बहुआ, विजयीपुर और धाता आदि प्रत्येक विकासखण्ड में 1 अन्य व्यावसायिक

N
A
CO-OPERATIVE BANK
1991-92
RIVER
GANGA
RIVER
YAMUNA
POPULATION/ BANK
> 20,0000
15001 - 20,0000
10,000 - 15,000
10 0 10 20
km
N
B
ELECTRIFIED VILLAGES
1992-93
RIVER
GANGA
RIVER
YAMUNA
PER CENT OF TOTAL VILLAGES
76 - 100
51 - 75
25 - 50
10 0 10 20
km

Fig. 7.5

सारणी 7.11

जनपद फतेहपुर · व्यावसायिक/ग्रामीण/सहकारी बैक अभिगम्यता

(प्रतिशत में)

क्रम सं0	विकासखण्ड	ग्राम में	1 किमी0 से कम	1—3 किमी0	3—5 किमी0	5 किमी0 से अधिक	कुल प्रतिशत
1.	देवमई	9.30	4.65	27.91	37.21	20.93	100 %
2.	मलवां	7 34	2.75	22.02	24.77	43 12	"
3.	अमौली	9.09	3 03	15 15	22.22	50 51	"
4.	खजुहा	10 00	4.00	16 00	36 00	34.00	"
5.	तेलियानी	6.93	1.98	11.88	13 86	65.35	"
6.	भिटौरा	6.12	6.80	17 01	21.77	48 30	"
7.	हसवा	10.71	—	25.00	20.24	44 05	"
8.	बहुआ	7.87	2.25	25.84	24.72	39 32	"
9.	असोथर	16.07	5.36	32.15	23.21	23.21	"
10.	हथगॉव	4.71	2.35	22.35	20.59	50.00	"
11.	ऐरायां	7.41	2.78	23.15	25.92	40.74	"
12.	विजयीपुर	8.51	2 13	18.08	32.98	38.30	"
13.	धाता	9.17	0.92	22.93	27.52	39.46	"
	जनपद	8.14	3.03	20.93	25.07	42.83	"

स्त्रोत :— सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1993, पृ0 124

बैंक स्थापित है। इससे ज्ञात होता है कि क्षेत्र में अन्य व्यावसायिक बैंकों का वितरण भी असमान है फलतः सम्पूर्ण क्षेत्र को समान रूप से इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

चित्र 7.5A से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में प्रति व्यावसायिक बैंक शाखा पर मलवां, अमौली, तेलियानी, हसवा, बहुआ, हथगॉव और ऐराया आदि विकासखण्डों में 20,000 से भी अधिक जनसंख्या है। देवमई, खजुहा, भिटौरा, असोथर और विजयीपुर इत्यादि विकासखण्डों में यह 15,001–20,000 के मध्य मिलती है। जनपद के एकमात्र विकासखण्ड धाता में यह 10,000–15,000 के बीच मिलती है।

सारणी 7.11 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में 8.14% ग्रामों को ग्राम में ही व्यावसायिक बैंकों की सुविधा उपलब्ध है। 3.03% ग्रामों को 1 किमी0 से कम, 20.93% ग्रामों को 1–3 किमी0, 25. 07% ग्रामों को 3–5 किमी0 और 42.83% ग्रामों को 5 किमी0 से अधिक दूरी पर व्यावसायिक बैंकों की सुविधा है। जनपद मे सबसे अधिक स्थानीय व्यावसायिक बैंकों की सुविधा (16.07%) असोथर विकासखण्ड में मिलती है। इसके अतिरिक्त खजुहा और हसवा दो ऐसे विकासखण्ड हैं जहॉ पर 10% ग्रामों को इन बैंकों की स्थानीय सुविधा उपलब्ध है। शेष 10 विकासखण्डों में 10% से भी कम ग्रामो को यह सुविधा स्थानीय तौर पर प्राप्त है। जनपद में अमौली, तेलियानी और हथगॉव 3 ऐसे विकासखण्ड हैं जहॉ पर 50% से भी अधिक ग्रामों को 5 किमी0 से अधिक की दूरी तय करनी पडती है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के पिछड़ेपन में बैंकों का असमान वितरण बहुत अधिक सहायक रहा है। क्योंकि ग्रामीण वासियो को अपने कृषि विकास हेतु इन बैंकों से ऋण प्राप्त होता है। अतः बैंकों के दूर स्थित होने पर ये समय पर ऋण प्राप्त नहीं कर पाते, साथ ही दूर बैंक सुविधा हेतु साधन की आवश्यकता होती है, इससे भी कृषकों को समस्या का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं के निवारणार्थ क्षेत्र में बैंकों का समान रूप से विकसित किया जाना आवश्यक है।

7.9.2 ग्रामीण विद्युतीकरण :–

कृषि, औद्योगिक विकास तथा जलापूर्ति आदि सभी विद्युत की उपलब्धता पर आश्रित हैं। सार्वजनिक प्रकाश एवं घरेलू प्रकाश व्यवस्था में भी विद्युत का उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में आवागमन एवं परिवहन क्षेत्र में भी इसका महत्व बहुत बढ़ रहा है। विद्युत के इस महत्व को देखते हुए विद्युत की सुविधा का जनपद में विस्तृत विवरण आवश्यक है। चित्र 7.5B से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में देवमई, मलवां, अमौली, खजुहा, तेलियानी, भिटौरा, हसवा, बहुआ, असोथर और विजयीपुर में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत सबसे अधिक 76–100 के मध्य पाया जाता है। देवमई, अमौली और खजुहा, विकासखण्डों के तो शत प्रतिशत ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है।

मलवा मे यह प्रतिशत 99.1 तक पहुँच गया है। ऐराया और धाता विकासखण्डों में विद्युतीकृत ग्रामो का प्रतिशत 51–75 के मध्य मिलता है। जनपद मे एकमात्र विकासखण्ड हथगॉव में यह प्रतिशत सबसे कम 25–50 के बीच मिलता है। स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है किन्तु हथगॉव विकासखण्ड की स्थिति संतोषजनक नहीं है अतः यहॉ पर विद्युत का और अधिक विकास किया जाना आवश्यक है।

7.9.3 भण्डारण :–

अध सरचनात्मक सुविधाओ मे भण्डारण का प्रमुख स्थान है क्योंकि इन भण्डारों/गोदामों मे बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, खाद्य पदार्थ आदि को लम्बे समय तक सुरक्षित रखा जा राकता है। अध्ययन क्षेत्र में भण्डारों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है (सांख्यिकीय पत्रिका, फतेहपुर, 1993, पृ0 56–57) –

(अ) बीज गोदाम/उर्वरक डिपो :–

अध्ययन क्षेत्र में कुल 51 बीज गोदाम उपलब्ध हैं। इनमें 39 ग्रामीण क्षेत्रो में और 12 नगरीय क्षेत्र में हैं। इनकी भण्डारण क्षमता क्रमशः 4,750 मी0 टन और 2,069 मी0 टन है। विकासखण्ड स्तर पर इनकी सबसे अधिक संख्या (5) अमौली विकासखण्ड में मिलती है जहॉ कुल भण्डारण क्षमता 542 मी0 टन है। हसवा, बहुआ और हथगॉव प्रत्येक में 4 गोदाम मिलते है जिनकी भण्डारण क्षमता क्रमश 491, 507 और 506 मी0 टन है। देवमई, मलवां, भिटौरा और असोथर प्रत्येक में 3 गोदाम मिलते हैं जिनकी भण्डारण क्षमता क्रमशः 315, 350, 312 और 450 मी0 टन है तथा शेष 5 विकासखण्डों क्रमशः खजुहा, तेलियानी, ऐरायां, विजयीपुर और धाता आदि प्रत्येक में 2 गोदाम मिलते है। इनकी भण्डारण क्षमता क्रमश 218, 220, 283, 281 और 275 मी0 टन है। यद्यपि क्षेत्र में बीज गोदामो की अच्छी सुविधा है तथापि इन्हें और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है।

(ब) ग्रामीण गोदाम :–

अध्ययन क्षेत्र में कुल 150 ग्रामीण गोदाम है। ये सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थित है। इनकी कुल भण्डारण क्षमता 25,000 मी0 टन है। स्थानिक वितरण की दृष्टि से सबसे अधिक ग्रामीण गोदामों का सकेन्द्रण (18) ऐरायां विकासखण्ड में मिलता है इनकी भण्डारण क्षमता 43,000 मी0 टन है। तत्पश्चात क्रमशः तेलियानी विकासखण्ड में 15 गोदाम और 1,500 मी0 टन भण्डारण क्षमता, देवमई और अमौली में क्रमशः 13,13 गोदाम और 1,300, 1,300 मी0 टन0 भण्डारण क्षमता, बहुआ और हथगॉव में 12, 12 गोदाम और 1,200, 1,200 मी0 टन भण्डारण क्षमता है। मलवां, भिटौरा, हसवा, विजयीपुर और धाता प्रत्येक में 10 गोदाम हैं जिनमें मलवां विकासखण्ड के गोदामों

की भण्डारण क्षमता 3,500 मी0 टन है, को छोडकर शेष सभी विकासखण्डों मे से प्रत्येक गोदाम की भण्डारण क्षमता 1,000 मी0 टन है। जनपद के खजुहा और असोथर विकासखण्डों में गोदामों की सख्या क्रमश· 9 और 8 है। इनकी भण्डारण क्षमता क्रमशः 3,400 और 3,300 मी0 टन है। स्पष्ट है कि जनपद में मलवां, खजुहा और असोथर 3 ऐसे विकासखण्ड हैं जिनकी भण्डारण क्षमता सबसे अधिक है। अतः आज की आवश्यकता को देखते हुए क्षेत्र के सभी विकासखण्डों के गोदामो की भण्डारण क्षमता बढाने की आवश्यकता है ताकि कृषकों की बढती आवश्यकता की आपूर्ति की जा सके।

(स) कीटनाशक डिपो :–

जनपद में कुल 14 कीटनाशक डिपो है, इनमें 10 ग्रामीण क्षेत्रों में और 4 नगरीय क्षेत्रो में स्थित है। इनकी भण्डारण क्षमता क्रमशः 346 और 286 मी0 टन है। इस प्रकार इनकी कुल भण्डारण क्षमता 632 मी0 टन है। ग्रामीण क्षेत्रो मे क्रमश· देवमई, मलवां, अमौली, खजुहा, भिटौरा, हसवा, असोथर, हथगॉव, विजयीपुर और धाता आदि प्रत्येक विकासखण्ड में 1 कीटनाशक डिपो पाया जाता है। इनकी भण्डारण क्षमता क्रमश 30, 45, 35, 60, 20, 35, 41, 40, 20, और 20 मी0 टन है। स्पष्ट है कि तेलियानी बहुआ और ऐरायां आदि तीनों ही विकासखण्डों में एक भी कीटनाशक डिपो नहीं है, फलतः कृषकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इन विकासखण्डों में कीटनाशक डिपो स्थापित करने के साथ–साथ इनकी भण्डारण क्षमता में भी वृद्धि करने की आवश्यकता है जिससे स्थानीय लोगो की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके।

(द) शीत भण्डार :–

अध्ययन क्षेत्र मे कुल 6 शीत भण्डार है जिनमें 4 ग्रामीण क्षेत्र मे और 2 नगरीय क्षेत्र में स्थित हैं। इनकी भण्डारण क्षमता क्रमशः 10,500 और 6,000 मी0 टन है। इस प्रकार इनकी कुल भण्डारण क्षमता 16,500 मी0 टन है। विकासखण्ड स्तर पर इनमें से 2 शीत भण्डार मलवां विकासखण्ड में तथा तेलियानी और हसवा में क्रमशः 1, 1 शीत भण्डार उपलब्ध है। इनकी भण्डारण क्षमता क्रमशः 4,000 मी0 टन, 45,000 मी0 टन और 2,000 मी0 टन है। इन 3 विकासखण्डों के अतिरिक्त शेष सभी 10 विकासखण्डों (देवमई, अमौली, खजुहा, भिटौरा, बहुआ, असोथर, हथगॉव, ऐरायां, विजयीपुर और धाता) में एक भी शीत भण्डार नहीं पाया जाता है, जिससे कृषकों को अपने कृषि उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष कठिनाई उठानी पडती है। अत प्रत्येक विकासखण्ड में कम से कम एक शीत भण्डार अवश्य विकसित किया जाना चाहिए साथ ही इनकी भण्डारण क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए।

7.10 अधः संरचनात्मक सुविधायें एवं सामाजिक—आर्थिक रूपान्तरण :—

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवरण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में स्वतन्त्रता के उपरान्त शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक, विद्युत व भण्डारण आदि सभी दृष्टि से समुन्नति हुयी है जिनसे लाभान्वित होकर लोगों का आर्थिक और सामाजिक स्तर ऊँचा उठा है। आर्थिक स्तर सुदृढ़ होने का आंकलन इस तथ्य से भी होता है कि आज इन क्षेत्रों में विकास से लोगों के रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुयी है। इससे ग्रामीण अंचल में प्रत्येक परिवार को दो वक्त का भोजन आसानी से उपलब्ध हो रहा है। क्षेत्र में लोगों के सामाजिक स्तर में भी सुधार हुआ है। इस तथ्य का स्पष्टीकरण सारणी 4.10 से होता है। इस सारणी के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में लोगों के अन्ध विश्वास में कमी आयी है। बालिका शिक्षा, बाल—विवाह, विधवा—विवाह, स्त्रियों की नौकरी, तलाक प्रथा, धार्मिक मेल—मिलाप आदि सभी में लोगों के विचारों में सुधार देखा गया है और 50% से भी अधिक लोग इन सब क्षेत्रों में सकारात्मक विचार रखते है। परिवार नियोजन जैसे तथ्य पर तो सकारात्मक विचारों का प्रतिशत 90 से भी अधिक पहुँच गया है। इससे स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य सुविधायें व्यक्ति को स्वस्थ रखने में सहयोग करती है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है फलतः वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए उत्सुक होता है। शिक्षा ही मानव को एक सच्चा राष्ट्र भक्त और अपने कर्तव्य का बोध कराती है। शिक्षा से ही मानव की पहचान होती है और शिक्षित लोगों पर ही बैंक, विद्युत और भण्डारण जैसी सुविधाओं का विकास निर्भर है, जिनका किसी भी क्षेत्र के आर्थिक—सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है।

REFERENCES :

Mishra, P. 1980 : Uttar Pradesh District Gazetteers, Fatehpur Dist., Govt. of U.P. Lucknow. pp. 100-101

जिला संख्याधिकारी कार्यालय, जनपद फतेहपुर से प्राप्त जानकारी

विकास वर्तिका, 1990 : जिला विकास कार्यालय, विकास भवन फतेहपुर, अक्टूबर, शिक्षा विशेषांक, पृ0 22–24.

सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1993 : संख्या प्रयाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0 प्र0, पृ0 74–76.

समाजार्थिक समीक्षा, जनपद फतेहपुर, 1994–95 : संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0 प्र0 पृ0 36–37.

(ब) उद्योग

(स) जनसंख्या

(द) शिक्षा

(य) स्वास्थ एवं परिवार कल्याण

(र) आवागमन एवं संचार साधन

उपर्युक्त 6 अवयवों के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण विकास स्तर को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तुत अध्याय में वर्ष 1980–81 तथा 1990–91 के साक्ष्यों के आधार पर अग्रलिखित सूचकांकों का सहयोग लिया गया है–

(अ) कृषि विकास के सूचकांक :–

(1) कृषि घनत्व

(2) शस्य–गहनता

(3) सकल सिंचित क्षेत्रफल से शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत

(4) शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल से शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का प्रतिशत

(5) प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपभोग

(6) प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन

(ब) औद्योगिक विकास के सूचकांक :–

(1) कुल कर्मकरों से पारिवारिक उद्योगो में लगे कर्मकरों का प्रतिशत

(2) कुल कर्मकरों से औद्योगिक श्रमिकों का प्रतिशत

(3) कुल जनसंख्या में औद्योगिक श्रमिकों का प्रतिशत

(4) उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोंद्योग बोर्ड द्वारा स्थापित की जाने वाली इकाइयों की संख्या

(5) उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोंद्योग बोर्ड द्वारा स्थापित की जाने वाली इकाइयों में पूँजी विनियोजन

(6) उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोंद्योग बोर्ड द्वारा स्थापित की जाने वाली इकाइयों में रोजगार सृजन

(स) जनरांख्या विकास के सूचकांक :–

(1) जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में

(2) जनसंख्या घनत्व

(3) आयु –लिंग अनुपात

(4) अनुसूचित जाति तथा जनजाति की कुल जनसंख्या में आयु–लिंग अनुपात

(5) कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति तथा जनजाति का प्रतिशत

(द) शैक्षिक विकास के सूचकांक :–

(1) प्रति 100 वर्ग किमी0 क्षेत्र में जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या

(2) प्रति लाख जनंसख्या पर जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या

(3) ग्राम मे ही जूनियर बेसिक स्कूलो की सुविधा प्राप्त ग्रामों का कुल आबाद ग्रामो से प्रतिशत

(4) प्रति 100 वर्ग किमी0 क्षेत्र मे सीनियर बेसिक स्कूलो की संख्या

(5) प्रति लाख जनसंख्या पर सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या

(6) ग्राम में ही सीनियर बेसिक स्कूलो की सुविधा प्राप्त ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत

(7) प्रति 100 वर्ग किमी0 क्षेत्र में हायर सेकेन्ड्री स्कूलों की संख्या

(8) प्रति लाख जनसंख्या पर हायर सेकेन्ड्री स्कूलों की संख्या

(9) ग्राम मे ही हायर सेकेन्ड्री स्कूलों की सुविधा प्राप्त ग्रामों का कुल आबाद ग्रामो से प्रतिशत

(10) सम्पूर्ण साक्षरता

(11) पुरुष साक्षरता

(12) स्त्री साक्षरता

(य) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विकास के सूचकांक :–

(1) प्रति लाख जनसंख्या पर ऐलोपैथिक चिकित्सालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

(2) प्रति लाख जनसंख्या पर ऐलोपैथिक चिकित्सालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शैय्याओं की संख्या

(3) प्रति लाख जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

(4) ग्राम में ही चिकित्सालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सुविधा सम्पन्न ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत

(5) ग्राम में ही आयुर्वेदिक चिकित्सालय की सुविधा सम्पन्न ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत

(6) ग्राम मे ही परिवार कल्याण केन्द्र/उपकेन्द्र की सुविधा सम्पन्न ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत

(र) आवागमन एवं संचार साधनों के विकास के सूचकांक :–

(1) प्रति 1000 किमी0 क्षेत्र में पक्की सड़कों की लम्बाई

(2) प्रति लाख जनसंख्या पर पक्की सड़कों की लम्बाई

(3) पक्की सड़कों से सयुक्त ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत

(4) ग्राम में ही बस स्टाप/बस स्टेशन की सुविधा सम्पन्न ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत

(5) प्रति 100 वर्ग किमी0 क्षेत्र में डाकघरों की संख्या

(6) प्रति लाख जनसंख्या पर डाकघरों की संख्या

(7) ग्राम में ही डाकघर की सुविधा सम्पन्न ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत

उपर्युक्त सम्पूर्ण सूचकांकों के आधार पर जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में विकसित, विकासशील और पिछड़े क्षेत्रों की पहचान की गयी है तथा इनके स्थानिक प्रतिरूप को स्पष्ट किया गया है।

(3) ग्राम में ही जूनियर बेसिक स्कूलो की सुविधा प्राप्त ग्रामों का कुल आबाद ग्रामो से प्रतिशत

(4) प्रति 100 वर्ग किमी0 क्षेत्र में सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या

(5) प्रति लाख जनसंख्या पर सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या

(6) ग्राम में ही सीनियर बेसिक स्कूलो की सुविधा प्राप्त ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत

(7) प्रति 100 वर्ग किमी0 क्षेत्र में हायर सेकेन्ड्री स्कूलों की संख्या

(8) प्रति लाख जनसंख्या पर हायर सेकेन्ड्री स्कूलों की संख्या

(9) ग्राम मे ही हायर सेकेन्ड्री स्कूलों की सुविधा प्राप्त ग्रामों का कुल आबाद ग्रामो से प्रतिशत

(10) सम्पूर्ण साक्षरता

(11) पुरुष साक्षरता

(12) स्त्री साक्षरता

(य) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विकास के सूचकांक :–

(1) प्रति लाख जनसंख्या पर ऐलोपैथिक चिकित्सालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

(2) प्रति लाख जनसंख्या पर ऐलोपैथिक चिकित्सालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शैय्याओं की संख्या

(3) प्रति लाख जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

(4) ग्राम में ही चिकित्सालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सुविधा सम्पन्न ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत

(5) ग्राम में ही आयुर्वेदिक चिकित्सालय की सुविधा सम्पन्न ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत

(6) ग्राम मे ही परिवार कल्याण केन्द्र/उपकेन्द्र की सुविधा सम्पन्न ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत

(र) आवागमन एवं संचार साधनों के विकास के सूचकांक :–

(1) प्रति 1000 किमी0 क्षेत्र में पक्की सड़को की लम्बाई

(2) प्रति लाख जनसंख्या पर पक्की सडकों की लम्बाई

(3) पक्की सड़कों से सयुक्त ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत

(4) ग्राम में ही बस स्टाप/बस स्टेशन की सुविधा सम्पन्न ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत

(5) प्रति 100 वर्ग किमी0 क्षेत्र में डाकघरों की संख्या

(6) प्रति लाख जनसंख्या पर डाकघरों की संख्या

(7) ग्राम में ही डाकघर की सुविधा सम्पन्न ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत

उपर्युक्त सम्पूर्ण सूचकांकों के आधार पर जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में विकसित, विकासशील और पिछड़े क्षेत्रों की पहचान की गयी है तथा इनके स्थानिक प्रतिरूप को स्पष्ट किया गया है।

8.3 ग्रामीण विकास का स्थानिक प्रतिरूप :–

8.3.1 कृषि विकास का स्थानिक प्रतिरूप :–

जनपद फतेहपुर पूर्णत· ग्रामीण जनपद है अतः यहाँ की आर्थिक समुन्नति प्रमुखतः कृषि पर आधारित है। इसीलिए यहाँ के कृषि विकास की प्रवृत्ति परिकलित करने के लिए कृषि सम्बन्धी 6 सूचकांकों को उपयोग में लिया गया है और इन सूचकांकों की क्रमबद्धता के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के समस्त 13 विकासखण्डों को 3 वर्गों में रखा गया है। चित्र 8.1 A से स्पष्ट है कि मलवां, तेलियानी, हथगॉव और ऐरायां आदि विकासखण्डों में उच्च कृषि–घनत्व, उच्च शस्य–गहनता, अधिक उर्वरक उपभोग आदि के कारण कृषि विकास की दर तीव्र रही है जबकि भिटौरा, हसवा, बहुआ, विजयीपुर और धाता विकासखण्डों मे विकास की गति मध्यम स्तर की पायी जाती है। शेष 4 विकासखण्डों क्रमश· देवमई, अमौली, खजुहा और असोथर आदि सभी में धरातलीय संरचना, बाढ ग्रसित क्षेत्र तथा अल्प सिंचन सुविधा और निम्न साक्षरता स्तर प्राप्त है, जिसके कारण इनमें कृषि विकास अत्यन्त मन्द गति से हो रहा है। इस क्षेत्र में कृषि विकास अत्यन्त मन्द होने के अन्य प्रमुख कारण अधिक संख्या में लघु एवं भूमिहीन कृषकों का होना, आर्थिक विपन्नता तथा विभिन्न सामाजिक कुरीतियां आदि हैं।

8.3.2 औद्योगिक विकास का स्थानिक प्रतिरूप :–

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने में उद्योग पूर्णतः सहायक होते हैं क्योंकि कृषि में छुपे रूप से बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराकर यह उद्योग कृषि को लाभयुक्त बनाता है। दूसरे शब्दों में ये न केवल आर्थिक रूप से लाभ पहुँचाते है वरन इनके माध्यम से स्थानीय एवं ग्राम्य संसाधनों का अधिकतम उपभोग किया जाता है तथा अधिकाधिक संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में 6 सूचकांकों के आधार पर किये गये अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जनपद का औद्योगिक विकास अत्यन्त सीमित है। चित्र 8.1B से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में मात्र 4 विकासखण्ड क्रमशः मलवां, अमौली, तेलियानी और हथगॉव आदि विकासखण्ड औद्योगिक दृष्टि से अधिक विकसित हैं। इनमें एकमात्र मलवां विकासखण्ड वृहद एवं मध्यम औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है तथा शेष लघु एवं कुटीर उद्योगों के रूप में विकसित हुए हैं। इनके अतिरिक्त खजुहा, भिटौरा, हसवा, बहुआ आदि विकासखण्ड लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में मध्यम गति से विकसित हुए हैं तथा शेष 5 विकासखण्ड देवमई, असोथर, ऐरायां, विजयीपुर और धाता आदि आज भी औद्योगिक दृष्टि से पूर्णतः पिछड़े हुए क्षेत्र हैं क्योंकि यहाँ पर प्रशिक्षित, कुशल एवं औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियों का सर्वथा अभाव है।

8.3.3 जनसंख्या विकास का स्थानिक प्रतिरूप :–

जनसंख्या, ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है क्योंकि बढ़ती हुयी

N
A
DISTRICT FATEHPUR
TRENDS IN AGRICULTURAL DEVELOPMENT
1980-81–1990-91
RIVER
GANGA
RIVER YAMUNA
INDEX
> - 10
+00 - 10
-05 - 00
10 0 10 20
km
N
B
DISTRICT FATEHPUR
TRENDS IN INDUSTRIAL DEVELOPMENT
1980-81 –1990-91
RIVER
GANGA
RIVER YAMUNA
INDEX
> - +0.5
0.0 - +0.5
00 - -0.5
10 0 10 20
km

Fig. 8.1

जनसख्या ग्रामीण विकास को अवरूद्ध कर देती है। जनसंख्या बढ़ने से एक तरफ उपभोक्ता वस्तुओं की मॉग बढती है तो दूसरी तरफ इनकी बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सरकार को भी आवंटित राशि का अधिकांश भाग सामाजिक सेवाओं में खर्च करना पड़ता है अतः वास्तविक ग्रामीण विकास के लिए 'हम दो हमारे दो' के सिद्धान्त को किसी भी धर्म से सम्बन्धित व्यक्ति के लिए समान रूप से एवं प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। चित्र 8.1C अध्ययन क्षेत्र के 5 सूचकांकों के आधर पर तैयार किया गया है जिससे स्पष्ट है कि यहॉ पर बढ़ती जनसंख्या में काफी नियन्त्रण पा लिया गया है। अध्ययन क्षेत्र में मात्र ऐरायां विकासखण्ड में तीव्र जनसंख्या विकास मिलता है जिसका प्रमुख कारण तीव्र जनसख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व अधिक और कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की संख्या अधिक तथा निम्न साक्षरता स्तर रहा है। इसके अतिरिक्त तेलियानी, हसवा, बहुआ तथा विजयीपुर आदि विकासखण्डो में मध्यम स्तर का जनसंख्या विकास मिलता है जबकि शेष 8 विकासखण्डों क्रमशः देवमई, मलवां, अमौली, खजुहा, भिटौरा, असोथर, हथगॉव और धाता आदि में समुचित जनसख्या वृद्धि की गति मन्द है। यहॉ आयु–लिंग अनुपात में कमी तथा बाढ ग्रसित क्षेत्र होने के कारण जीविका निर्वहन साधनो में कमी तथा उच्च एवं मध्यम शैक्षिक विकास के फलस्वरूप अत्यन्त मन्द गति से जनसंख्या वृद्धि प्राप्त हुयी है। इस तरह स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि में बहुत कुछ नियन्त्रण पा लिया गया है तथापि अभी कुछ क्षेत्रों में इसमें और अधिक नियन्त्रण अपेक्षित है जिसके लिए प्रशासन को सम्बन्धित क्षेत्र में उच्च शैक्षिक विकास करना होगा। इसमें स्वयं सेवी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इन दोनों के सम्मिलित प्रयासों से शिक्षित जनसख्या स्वय ही जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों को समझ सकेगी तथा स्वयं मेव परिवार नियोजन अपनाने के लिए उत्सुक होगी।

8.3.4 शैक्षिक विकास का स्थानिक प्रतिरूप :–

किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए उसका शैक्षिक दृष्टि से सशक्त होना आवश्यक होता है क्योंकि इससे सम्बन्धित क्षेत्र समृद्ध एवं शक्तिशाली तो होता ही है साथ ही सम्बन्धित क्षेत्र के समाज में आत्मविश्वास व नैतिक विकास में वृद्धि भी होती है। इन महत्वपूर्ण तथ्यों को दृष्टिगत करके ही अध्ययन क्षेत्र में शैक्षिक विकास की स्थानिक प्रवृत्ति को स्पष्ट करने के लिए 12 सूचकांकों की सहायता ली गयी है। इन सूचकांकों के सहयोग से निर्मित चित्र 8.1D से स्पष्ट है कि अमौली, खजुहा, तेलियानी और धाता आदि विकासखण्डों में प्रति 100 वर्ग किमी0 क्षेत्र पर जूनियर, सीनियर और हायर सेकेन्ड्री स्कूलों की संख्या अधिक होने तथा ग्राम में स्कूलों की सुविधा उपलब्ध होने के कारण शैक्षणिक विकास तीव्र गति से हुआ है। ध्यातव्य है कि अमौली विंकासखण्ड में यह विकास सर्वाधिक (+ 2.2) हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप ही यहॉ जनसंख्या वृद्धि में कमी (- 0.2) तथा कृषि (+ 4.8), उद्योग (+ 0.7), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (+ 1.0) तथा आवागमन एवं संचार

साधन (+0.7) आदि सभी क्षेत्रो में समुचित विकास सम्भव हो सका है। अतः स्पष्ट है कि उच्च शैक्षिक विकास किसी भी क्षेत्र में विकास के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है क्योंकि शिक्षित समाज अपने अधिकारों एव कर्त्तव्यों दोनों के प्रति ही जागरूक होता है। इसी तरह हसवा, बहुआ और असोथर आदि विकासखण्डो में सम्बन्धित शैक्षिक सूचकांकों की दृष्टि से शैक्षिक विकास मध्यम गति से हो रहा है। शेष 6 विकासखण्डों क्रमशः देवमई, मलवां, भिटौरा, हथगॉव, ऐरायां और विजयीपुर इत्यादि सभी मे प्रति 100 वर्ग किमी0 क्षेत्र पर जूनियर, सीनियर और हायर सेकेन्ड्री स्कूलो की सख्या कम होने तथा प्रति लाख जनसख्या पर जूनियर, सीनियर और हायर सेकेन्ड्री स्कूलो की संख्या कम होने के कारण इनका शिक्षा स्तर अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। स्मरणीय है कि इन विकासखण्डों मे शैक्षिक विकास अत्यन्त मन्द होने के अन्य प्रमुख कारण इन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति तथा जनजाति की संख्या अधिक तथा जागरूकता की नितान्त कमी का होना है।

8.3.5 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विकास का स्थानिक प्रतिरूप :–

प्राचीन कहावत है कि स्वस्थ शरीर मे ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है अतः ग्रामीण विकास एवं सामाजिक समुन्नति के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति का स्वस्थ होना आवश्यक है इसीलिए किसी भी क्षेत्र के स्थानिक विकास के ज्ञान में स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचकांक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर लाल महोदय ने कहा है कि सामाजिक विकास मे स्वस्थ समुदाय का होना एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अध्ययन क्षेत्र में 6 सूचकांकों के आधार पर स्थानिक विकास को विश्लेषित किया गया है। चित्र 8.1E से स्पष्ट है कि अमौली, असोथर तथा हथगॉव आदि तीनों ही विकासखण्डों मे प्रति लाख जनसंख्या पर चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सख्या और उपलब्ध शैय्याओं की संख्या आदि की दृष्टि से तथा ग्राम में एलोपैथिक चिकित्सालय, आयुर्वेदिक चिकित्सालय तथा परिवार कल्याण केन्द्रों और उपकेन्द्रों आदि सभी की संख्या में वृद्धि हुयी है जिसके फलस्वरूप इनमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी सुविधाओं में तीव्र गति से विकास हुआ है। इनके अतिरिक्त मलवां, तेलियानी, भिटौरा, बहुआ, ऐरायां, विजयीपुर और धाता आदि विकासखण्डों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी विकास मध्यम स्तर का रहा है तथा शेष 3 विकासखण्डों देवमई, खजुहा और हसवा आदि में यह विकास अत्यन्त मन्द गति का मिलता है। इसके प्रमुख कारण स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं का कुछ एक स्थानों पर केन्द्रीकरण तथा ग्रामीण समाज की गरीबी, लाचारी, तथा अशिक्षा आदि है। आज भी अशिक्षित होने के कारण लोगों को यह ज्ञान नहीं है कि सरकारी चिकित्सालय में छोटी सी दवा से लेकर बडे–बडे ऑपरेशन की व्यवस्था मुफ्त होती है। इस अज्ञानता के कारण ही ग्रामीण समाज के लोग इन चिकित्सालयों में भी पैसा देते हैं जिससे घूसखोरी को बढ़ावा मिलता है। अतः आज शिक्षित होने के नितान्त आवश्यकता है ताकि वे अपने प्रति हो रहे बेईमानी व दुव्यवहारों से लड

N
F
DISTRICT FATEHPUR
TRENDS IN TRANSPORT AND
COMMUNICATION DEVELOPMENT
1980-81–1990-91
RIVER
GANGA
RIVER YAMUNA
INDEX
> - 10
+ 0.5 - 1.0
+ 0.0 - 0.5
10 0 10 20
km

Fig. 8.1

सके एवं एक स्वस्थ समाज के निर्माण मे सहयोग कर सके।

8.3.6 आवागमन एवं संचार साधनों के विकास का स्थानिक प्रतिरूप :-

परिवहन एवं संचार सुविधायें किसी भी क्षेत्र के विकास में ठीक उसी तरह कार्य करती है जिस तरह व्यक्ति के शरीर मे रक्त कार्य करता है स्पष्ट है, कि आवागमन एवं संचार साधन भारतीय अर्थव्यवस्था की शिराएं एव धमनियाँ है, इनके अभाव में रक्त संचार रूक जायेगा तथा अर्थव्यवस्था मरणासन्न हो जायेगी । अत. यदि गावों में ये दोनों ही साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दिये जांय तो ग्रामीण गरीब अपना विकास अपने आप कर लेगा। इसी महत्व को ध्यान में रखकर अध्ययन क्षेत्र में आवागमन एवं संचार सम्बन्धी पूर्वोल्लिखित 7 सूचकांकों के आधार पर तैयार चित्र 8.1F मे सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र को तीन वर्गो में रखा गया है जिसमें मात्र मलवां और विजयीपुर विकासखण्डों में इन साधनों का तीव्र विकास हुआ है। इनके अतिरिक्त देवमई, अमौली, तेलियानी, हरसवा, बहुआ, असोथर हथगांव, ऐराया और धाता में आवागमन एवं संचार साधनो का विकास मध्यम गति से हुआ है तथा शेष 2 विकासखण्डों—खजुहा और भिटौरा में यह विकास अत्यन्त मन्द गति से हुआ है जिसका प्रमुख कारण प्रति लाख जनसंख्या पर कुल पक्की सडको की लम्बाई/सड़क घनत्व, पक्की सडकों से संयुक्त ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत तथा प्रति लाख जनसंख्या पर डाकघरों की संख्या आदि का न्यून होना है।अतः स्पष्ट है कि यदि सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र में वास्तव में विकास चाहते हैं तो सर्वप्रथम आवागमन एवं संचार साधनों के क्षेत्र में प्रगति परमावश्यक है क्योंकि यदि इन क्षेत्रों में विकास हो जायेगा तो अन्य सभी क्षेत्रों में स्वयंमेव विकास हो जायेगा। इस विकास में राष्ट्रीय,राजकीय तथा स्थानीय प्रशासन के अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों आदि का सहयोग लिया जा सकता है।

8.4 ग्रामीण विकास एवं सामाजिक—आर्थिक रूपान्तरण का समायोजित संकेतांकः—

जनपद फतेहपुर के पूर्वोल्लिखित 6 क्षेत्रों के विकास के स्थानिक—प्रतिरूप के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण क्षेत्र में समान रूप से विकास नहीं हो सका है वरन् इसका कुछ भाग कृषि की दृष्टि से, कुछ भाग औद्योगिक दृष्टि से, कुछ भाग समुचित जनसंख्या की दृष्टि से, कुछ भाग शैक्षिक दृष्टि से,कुछ भाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सुविधाओं की दृष्टि से तथा कुछ भाग आवागमन एवं सचार सुविधाओं की दृष्टि से अधिक विकसित हुआ है । इस तरह यह कह सकते हैं कि जिस क्षेत्र में जो सुविधा सकेन्द्रित है वह उसी सुविधा के लिए विकसित हो सका है तथापि इस विवरण से अध्ययन क्षेत्र के समायोजित विकास का स्थानिक प्रतिरूप स्पष्ट नहीं हो पाता है अतः जनपद के विकास के समायोजित रूप को स्पष्ट करने के लिए पूर्वोक्त समस्त 6 विकास

DISTRICT FATEHPUR
TRENDS IN RURAL DEVELOPMENT
1980-81–1990-91
N
RIVER GANGA
RIVER YAMUNA
INDEX
> 3 Developed
3 – 6 Developing
0 – 3 Backward
10 0 10 20
km

Fig. 8.2

सूचकांकों के आधार पर तैयार अलग–अलग स्थानिक विकास प्रतिरूपों को संश्लेषित करके क्षेत्रीय विकास के समायोजित विकास प्रतिरूप को स्पष्ट किया गया है। इस समायोजित विकास प्रतिरूप के तीन वर्ग निर्धारित किये गये हैं जो जनपद के विकसित,विकासशील एवं पिछडे क्षेत्र के द्योतक हैं, इन्हें चित्र 8.2 के द्वारा दर्शाया गया है।

8,4,1 विकसित क्षेत्रः–

चित्र 8.2 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के मलवां और तेलियानी दोनों ही विकासखण्ड विकसित क्षेत्र में आते हैं। इन दोनों ही विकासखण्डों की सीमाएं परस्पर सम्बद्ध हैं तथा ये क्रमशः बिन्दकी और फतेहपुर तहसीलों से सम्बद्ध हैं। यह विकसित क्षेत्र सम्पूर्ण जनपद की 15.33% जनसंख्या तथा 14.56 क्षेत्र को अपने में समाहित किये हुए है। इस तरह समस्त अध्ययन क्षेत्र का लगभग सातवां भाग ही विकसित श्रेणी में आ पाता है। ध्यातव्य है कि इन दो विकासखण्डों के पूर्णतः विकसित होने का प्रमुख श्रेय औद्योगीकरण को दिया जा सकता है। मलवां विकासखण्ड औद्योगिक दृष्टि से जनपद का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो वृहद एवं मध्यम स्तर के उद्योगों में अपना वर्चस्व बनाये हुए है । इसी तरह तेलियानी विकासखण्ड ने लघु एवं कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में प्रगति की है। ये दोनों विकासखण्ड क्रमशः बिन्दकी शहरी क्षेत्र व फतेहपुर शहरी क्षेत्र से सम्बद्ध है। इन विकासखण्डों के विकसित श्रेणी में आने के अन्य कारणों में कृषि क्षेत्र में अच्छा विकास,समुचित जनसंख्या वृद्धि,शैक्षिक विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आवागमन एवं संचार सुविधाओं का अच्छा विकास आदि है। आवागमन की दृष्टि से इन दोनों ही विकासखण्डों को रेलवेमार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की सुविधाये प्राप्त है। इस प्रकार इन्हें विकसित क्षेत्रों के रूप में लाने का श्रेय प्रमुख रूप से आवागमन एवं संचार साधन तथा शैक्षिक विकास आदि को दिया जा सकता है।

8.4.2 विकासशील क्षेत्रः–

चित्र 8.2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में 6 विकासखण्ड क्रमशः अमौली, हसवा, बहुआ, हथगाँव, ऐरायां और विजयीपुर आदि विकासशील क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। इनमें मात्र अमौली को छोड़कर शेष समस्त विकासखण्डों की सीमाएं एक–दूसरे से सम्बद्ध हैं। इनमें अमौली बिन्दकी तहसील में, हसवा और बहुआ फतेहपुर तहसील में तथा हथगाँव,ऐरायां और विजयीपुर आदि खागा तहसील के अन्तर्गत समाहित हैं। यह सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र के 46.55% जनसंख्या 46.90% क्षेत्र को समाहित किये हुए है। ध्यातव्य है कि विकासशील क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विकासखण्डों में से कुछ विकासखण्डों में कुछ सुविधाओं का प्रचुर मात्रा में विकास हुआ है जबकि उन्हीं सुविधाओं का कुछ अन्य विकासखण्डों में नितान्त अभाव मिलता है, उदाहरणार्थ

–चित्र 8.1A से स्पष्ट है कि अमौली मे कृषि विकास निम्न स्तर का, हसवा, बहुआ और विजयीपुर मे मध्यम स्तर का तथा हथगॉव और ऐरायां में उत्तम स्तर का है। चित्र 8.1B के अनुसार औद्योगिक विकास की दृष्टि से अमौली और हथगॉव विकासखण्ड तीव्र विकास की श्रेणी में आते हैं। हसवा और बहुआ मे मध्यम तथा एंराया और विजयीपुर में निम्न स्तर का औद्योगिक विकास मिलता है। इसी तरह चित्र 8.1C से स्पष्ट है कि अमौली और हथगॉव में जनसंख्या वृद्धि में ह्रास हुआ है। हसवा बहुआ और विजयीपुर मे जनसंख्या वृद्धि की गति मध्यम स्तर की है जबकि ऐरायां विकासखण्ड में तीव्र गति से जनसंख्या का विकास हुआ है। इसका प्रमुख कारण खागा शहरी क्षेत्र तथा कौशाम्बी जनपद से इस विकासखण्ड की सीमा सम्बद्धता है। चित्र 8.1D जो कि शैक्षिक विकास से सम्बन्धित है, से स्पष्ट है कि अमौली विकासखण्ड शैक्षिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित है जबकि हसवा और बहुआ में शैक्षिक विकास मध्यम स्तर का तथा हथगॉव,ऐरायां और विजयीपुर में निम्न स्तर का पाया जाता है। इसी प्रकार चित्र 8.1E से ज्ञात होता है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विकास में अमौली, हथगॉव और असोथर सर्वाधिक अग्रणी हैं जबकि बहुआ,ऐरायां और विजयीपुर में मध्यम स्तर का तथा हसवा मे निम्न स्तर का स्वास्थ्य विकास मिलता है। इसी तरह चित्र 8.1F से स्पष्ट है कि आवागमन एवं संचार सुविधा विकास की दृष्टि से विजयीपुर की विकास गति सर्वोत्तम है जबकि अमौली, हसवा, बहुआ, हथगॉव और ऐरायां में यह विकास मध्यम स्तर का ही है । इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है विकासशील क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 6 विकासखण्डों में से कोई एक क्षेत्र में अधिक विकसित हुआ है तो दूसरा अन्य क्षेत्र में। यही कारण है कि ये समस्त विकासखण्ड विकासशील क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाते हैं।

8.4.3 पिछड़े क्षेत्र :–

चित्र 8.2C के अवलोकन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में देवमई, खजुहा, भिटौरा, असोथर और धाता आदि विकासखण्ड पूर्णतः पिछडे हुए क्षेत्र हैं। इनमे देवमई, जखुआ और असोथर आदि की सीमाये एक–दूसरे से सम्बद्ध है जबकि भिटौरा और धाता दोनों ही विकासखण्ड दूर–दूर स्थित हैं। इनमें देवमई और खजुहा बिन्दकी तहसील में, भिटौरा और असोथर फतेहपुर तहसील में तथा धाता खागा तहसील के अन्तर्गत आते हैं। पिछडे क्षेत्र आज भी सम्पूर्ण जनपद की 38.12% जनसख्या के साथ 38.55% क्षेत्र पर विस्तृत हैं। उपर्युक्त 6 विकास सूचकांकों के अनुसार तैयार चित्रों (8.1 A B C D E F) के अध्ययन से यह कहा जा सकता है कि पिछड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले इन पॉचो विकासखण्डो में प्रत्येक क्षेत्र में अत्यल्प विकास हुआ है, केवल अपवाद स्वरूप ही कुछ क्षेत्रों मे तीव्र विकास देखा जाता है। यह तथ्य उस विवरण से और भी स्पष्ट हो जाता है। कृषि विकास (चित्र 8.1A) की दृष्टि से क्षेत्र में देवमई, खजुहा और असोथर निम्न स्तर तथा भिटौरा और धाता मध्यम स्तर के अन्तर्गत आते हैं। औद्योगिक विकास (चित्र 8.1B) के रूप में

क्षेत्र में देवमई, असोथर और धाता निम्न स्तर तथा खजुहा और भिटौरा मध्यम स्तर के विकास को प्रदर्शित करते हैं। जनसंख्या विकास (चित्र 8.1C) की दृष्टि से देवमई, खजुहा, असोथर, भिटौरा तथा धाता आदि समस्त विकासखण्डों में जनसंख्या ह्रास हुआ है जिससे इन क्षेत्रों में अनुकूलतम जनसंख्या विकास का पता चलता है। शैक्षिक विकास (चित्र 8.1D) के रूप में देवमई और भिटौरा निम्न, असोथर मध्यम तथा खजुहा और धाता तीव्र गति से विकसित हुए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विकास (चित्र 8.1E) की दृष्टि से क्षेत्र में देवमई और खजुहा निम्न, भिटौरा और धाता मध्यम तथा असोथर तीव्र गति से विकसित हुए है। आवागमन एवं संचार सुविधाओं (चित्र 8.1F) की दृष्टि से खजुहा और भिटौरा निम्न गति से तथा देवमई, असोथर और धाता मध्यम गति से विकसित हुए हैं। इस तरह स्पष्ट है कि पिछडे क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पॉचों विकासखण्डों में प्रत्येक क्षेत्र का विकास निम्न एवं मध्यम स्तर का ही है केवल शिक्षा (खजुहा और धाता) तथा स्वास्थ्य (असोथर) में विकास गति तीव्र रही है जिसे अपवाद ही कहा जा सकता हैं।

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवरण से स्पष्ट है कि आज भी जनपद की लगभग 38% जनसंख्या और 38% क्षेत्र पिछड़े हुए हैं तथा अध्ययन क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्र (46.55% जनसंख्या तथा 46.90% क्षेत्र) विकासशील क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शेष 15.33% जनसंख्या तथा 14.56% क्षेत्र पूर्णतः विकसित है। ध्यातव्य है कि अध्ययन क्षेत्र में विकास के स्तर–तीव्र, मध्यम एवं मन्द गति का निर्धारण क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में किया गया है, न कि प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अतर्राष्ट्रीय विकास मानक के आधार पर।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में भी जनपद का बहुत ही सीमित क्षेत्र (14.90%) तथा जनसंख्या (15.33%) विकसित श्रेणी में आ सका है जिसका प्रमुख कारण सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का सही रूप से क्रियान्वयन का न हो पाना तथा क्षेत्रीय जनसंख्या में साक्षरता स्तर की कमी है। समेकित ग्रामीण विकास हेतु सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में गाय, भैंस, मुर्गी पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन तथा मत्स्य और अन्य छोटा–मोटा व्यवसाय करने के लिए व्यावसायिक बैंको द्वारा ऋण उपलब्ध कराना आदि है। इसी श्रृंखला में 28 अप्रैल 1989 को भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गॉधी ने जवाहर रोजगार योजना का शुभारम्भ ग्रामीण गरीबों के कल्याणार्थ किया। भारत में पहली बार 2,100 करोड रू0 का सीधा प्रावधान ग्रामीण विकास के लिए किया गया। इतनी बडी रकम किसी सरकार ने पंचायतों को पहले कभी नहीं दी थी (योजना, 1–15 मार्च, 1991, पृ0 10)किन्तु ये सभी योजनाये सही मायने पर क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं क्योंकि ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं का निर्माण पॉच सितारा होटल में उन लोगों द्वारा होता है जिन्होंने गॉवों की गलियों को कभी देखा तक नहीं हैं। इन योजनाओं के सही तरह से लागू करने के लिए ग्रामीण अंचलों में न तो आधारभूत सुविधायें उपलब्ध हैं और न ही अनुकूल परिस्थितियाँ। अतः गाँवों के

सही ढंग से विकास के लिए योजनाओं को दिल्ली में नहीं वरन् गाँवों की गलियों में बैठकर बनाना चाहिए जिससे ग्रामीण समस्याओं के अनुरूप योजनाये बन सकें। ग्रामीणों को समझाना होगा कि किस तरह वे इन योजनाओं का लाभ उठा सकते है, जिसके लिए सर्वप्रथम उनका शिक्षित होना आवश्यक है क्योंकि शिक्षा के अभाव में ही उनका सम्पूर्ण हक बिचौलिये खा जाते हैं तथा सभी ग्रामीण कार्यक्रम अनुत्पादक सिद्ध होकर रह जाते हैं। अशिक्षित होने के कारण ग्रामीण नवयुवक बेरोजगार होते हैं और बेरोजगार होने के कारण ही गरीब होते जा रहे हैं, अर्थात गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी तथा फिर गरीबी का यह दुष्चक्र उनके जीवन का स्थायी अंग बन गया है। बेरोजगारी इनके जीवन को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों ही रूपो मे प्रभावित करती है। अतः कहा जा सकता है कि ग्रामीण बेरोजगारी एक प्रदूषण है, एक घातक जहर है जो ग्रामीण अंचलों को बुरी तरह प्रभावित कर रही है।

स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे—कृषि, उद्योग, जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आवागमन एवं सचार साधन आदि सभी में आवश्यकता योजना तैयार करने की नहीं बल्कि योजनाओ को व्यवस्थित, ईमानदारी एवं शक्ति से क्रियान्वित करने की है तथा इन योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्रामीणो की भागीदारी की है। इस तरह न केवल अध्ययन क्षेत्र में वरन् सम्पूर्ण प्रदेश तथा सम्पूर्ण राष्ट्र का भरपूर विकास हो सकेगा। जब योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में ग्रामीण खुलकर हिस्सा लेंगे तथा उन्हें अवसर दिया जायेगा तभी ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक एव सामाजिक विकास होगा। जब गॉवों का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास अपने आप हो जायेगा क्योंकि भारत चन्द शहरो में नहीं वरन् गॉवों में बसता है।

8.5 ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन :—

8.5.1 जाति—प्रथा :—

प्राचीन समय मे वैदिक काल में समाज का विभाजन उनके कर्म के आधार पर क्रमशः चार वर्णो— ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में किया जाता था। वैदिक काल में 'जाति' जैसे किसी शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है किन्तु उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की उदार नीति जातिगत व्यवस्था की संकीर्णता में बदलने लगी। अस्पृश्यता का जन्म जाति व्यवस्था की 'विभाजन की नीति' का ही परिणाम है। इस कुप्रथा से छुटकारा पाने के लिए आधुनिक काल में अत्यधिक सराहनीय प्रयास हुए हैं जिसके अन्तर्गत गॉधी जी का प्रयास विशेष सराहनीय है जिन्होंने सर्वप्रथम इस समस्या की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया तथा इसके निवारणार्थ शूद्रों को 'हरिजन' नाम देते हुए सन् 1932 मे 'हरिजन सेवक संघ' की स्थापना की। इसके बाद डा0 भीमराव अम्बेदकर जिन्होंने 'आल इण्डिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन' की स्थापना की, का नाम लिया जा सकता है। इसी श्रंखला में सन् 1906 एवं 1909 मे वी0 आर0 शिन्द्रे द्वारा 'डिप्रेस्ड क्लासेज' मिशन

सारणी 8.1

जनपद फतेहपुर : सामाजिक रीतिया

(प्रतिशत में)

परिवार संख्या		जाति–प्रथा	पर्दा–प्रर्था	बाल–विवाह	बाल–श्रमिक	रूढिवादिता (भूत–प्रेत मे विश्वास)	स्त्रियों कर सामाजिक स्थिति (बालिका शिक्षा)	(स्त्री नौकरी)
सवर्ण –71	हॉ	91.55	53.52	1.41	7.04	57.75	94 37	87.32
	नहीं	8.45	46.48	98 59	92.96	42 25	5 63	12 68
पिछडी जाति – 89	हॉ	70.79	28 09	6.74	10 11	62.92	82 02	57.30
	नहीं	29.21	71.91	93.26	89.89	37 08	17 98	42.70
अनुसूचित जाति–75	हाँ	22.67	36.00	4.00	21.33	68.00	85 33	52 00
	नहीं	77 33	64.00	96.00	78.67	32.00	14.67	48.00
मुस्लिम – 27	हॉ	51.85	29.62	11.11	22.22	11.11	96.30	81.48
	नहीं	48.15	70.38	88.89	77.78	88.89	3.70	18.52
कुल परिवार	हाँ	60.69	37.40	4.96	13.74	57.63	87.79	66.41
262	नहीं	39.31	62.60	95.04	86.26	42.37	12.21	33.59

स्त्रोत :– निजी सर्वेक्षण, जुलाई 1996

सोसायटी की स्थापना बम्बई और मद्रास में की गयी, सन् 1920 में रामस्वामी नायर द्वारा 'आत्मसम्मान आन्दोलन, सी0 एन0 मुदालियर, टी0 एम0 नायर एवं पी0 टी0 चेन्नी द्वारा 'जस्टिस पार्टी' आदि का संगठन तथा उनके कृतित्व द्वारा ही वर्तमान समय में जाति–प्रथा तथा अस्पृश्यता जैसी दलगत भावना से काफी कुछ ऊपर उठ सके हैं जिसका स्पष्टीकरण अध्ययन क्षेत्र में जुलाई 1996 मे शोधकर्ता द्वारा 262 परिवारों के सर्वेक्षण से प्राप्त साक्ष्यों से हो जाता है (सारणी 8.1)।

अध्ययन क्षेत्र के कुल 262 परिवारों मे से 60 69% परिवार ऐसे हैं जो आज भी जाति–प्रथा को उचित बताते है तथा 39.31% परिवार इस प्रथा को अनुचित बताते हैं। अलग–अलग जातियों के आधार पर सवर्णों के 71 परिवारों में से 91.55% परिवार आज भी जाति–प्रथा को संरक्षण प्रदान करते है जो जनपदीय प्रतिशत (60 69) से काफी अधिक है तथा मात्र 8.45% परिवार ही इस कुप्रथा को अनुचित मानते हैं यह जनपद के कुल प्रतिशत (39.32) से बहुत कम है। इसी तरह पिछडी जातियों में 89 परिवारो में से 70.79% परिवार इस सामाजिक कुप्रथा को उचित तथा 29. 21% परिवार इसे अनुचित बताते हैं। यह प्रतिशत सकारात्मक प्रतिशत (60.69) से अधिक तथा नकारात्मक प्रतिशत (39.31) से बहुत ही कम है। लेकिन अनुसूचित जाति में यह प्रतिशत पूर्णतः विपरीत मिलता है क्योंकि इन्हें ही इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा है। सर्वेक्षण किये गये कुल 75 परिवारो में से मात्र 22.67% परिवार जाति–प्रथा को उचित बताते हैं जो सकारात्मक प्रतिशत (60. 69) से बहुत ही कम है। शेष 77.33% परिवार इस प्रथा को अनुचित बताते है। यह प्रतिशत (77. 33) औसत प्रतिशत (39.31) से बहुत अधिक है। इसी तरह मुस्लिम समाज के 27 परिवारों मे से 51.85% परिवार इस प्रथा को उचित तथा 48.15% परिवार अनुचित बताते हैं। इस तरह इस समाज मे इस प्रथा के पक्ष और विपक्ष में लगभग बराबर का मत प्राप्त है जो मुस्लिम समाज की ऊहापोह स्थिति का द्योतक है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि आज इस कुप्रथा के सम्बन्ध में लोगों के विचारों में काफी परिवर्तन आया है। अध्ययन क्षेत्र में 39.31% परिवार जाति–प्रथा को अनुचित बताते हैं यह उसकी जागरूकता व सामाजिक विचारो के परिवर्तन का प्रतीक है। शेष 60.69% परिवार जो इस प्रथा को आज भी उचित बताते हैं उसमें बहुत कुछ हॉथ राजनेताओं का है जिन्होंने अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए विभिन्न जातियों के मध्य ईर्ष्या, द्वेष और घृणा का भाव उत्पन्न कर इस कुप्रथा को समाप्त करने के बजाय इसे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में बढाया दिया है जिससे समाज में जातीयता का जहर घुल गया है। इसके कारण समाज के विभिन्न वर्ग राष्ट्रीय कल्याण के बजाय अपनी जाति और स्वयं अपने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने लगे हैं। यही कारण है कि 'अब चुनाव किसी ठोस कार्यक्रम के आधार पर नहीं जीते जाते बल्कि जातीय समीकरणों के हेर–फेर से जीते जाते हैं (सेगल, 1982, पृ0 247)। इसके साथ में राजनीतिक आरक्षण, विभिन्न सरकारी नौकरियों में आरक्षण, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण और जातीय आधार पर चुनाव क्षेत्रों का आरक्षण आदि इस प्रथा को

चिर आधार प्रदान कर रहे है। यह भारतीय समाज एवं राष्ट्रीय अखण्डता दोनों ही के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हुयी है। फलतः राष्ट्रीय अखण्डता के लिए बहुत बडा संकट खडा हो गया है।

इस विवरण से स्पष्ट है कि आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता सम्पूर्ण मानव समाज का शिक्षित होना है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति जाति–प्रथा और उससे संलग्न सामाजिक कोढ रूपी अस्पृश्यता की दलगत भावना से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनैतिक विकास मे अपना पूरा सहयोग देते हुए राष्ट्रीय अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने में सहायक सिद्ध हो सके।

8.5.2 पर्दा–प्रथा :–

ग्रामीण समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों मे पर्दा–प्रथा प्रमुख कुरीति है। यद्यपि प्राचीन समय (ऋग्वैदिक काल) में स्त्रियो की दशा अच्छी थी क्योंकि उस समय पर्दा–प्रथा जैसी कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं थी। उस समय स्त्रियॉ (गार्गी, अपाला, विश्ववारा, घोषा और मुद्रा आदि) राजदरबार में बैठकर शास्त्रार्थ तक करती थीं किन्तु मध्यकाल के आते–आते स्त्रियों की दशा अत्यन्त दयनीय होने लगी लगी। उस समय तक स्त्रियों के साथ (खासकर सुन्दर स्त्रियों के साथ) बहुत अधिक अभद्र व्यवहार होंने लगा था। जिसका प्रमुख उदाहरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रानी पद्मावती के साथ किया हुआ दुर्व्यवहार है। इन घटनाओं से प्रेरित होकर ही हिन्दू समाज में इस प्रथा को सामाजिक मान्यता दे दी गयी तथा मुस्लिम समाज मे इसे धार्मिक अनिवार्यता प्राप्त हो गयी। वर्तमान समय में ग्रामीण समाज मे इस प्रथा का रूप अत्यन्त विकृत हो गया है जिसका स्पष्ट उदाहरण अध्ययन क्षेत्र में मिलता है। इसके कारण यहॉ की काफी महिलाओं को प्राथमिक स्तर पर ही शिक्षा समाप्त कर देनी पडती है तथा विवाहोपरान्त सास–श्वसुर जैसे सम्बन्धों में पर्दा करने को बाध्य होती हैं। आज इस प्रथा को अध्ययन क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण माना जाता है, इसका स्पष्टीकरण 262 परिवारों के क्षेत्रीय सर्वेक्षण से हो जाता है।

अध्ययन क्षेत्र के कुल 262 परिवारो मे से 37.40% परिवार पर्दा–प्रथा को उचित बताते हैं जबकि 62.60% परिवार इस प्रथा को पूर्णत अनुचित बताते हैं। अलग–अलग जातियों के आधार पर सवर्णों के 71 परिवारों में से 53.52% परिवार आज भी पर्दा–प्रथा को उचित बताते हैं। जो क्षेत्रीय प्रतिशत (37.40) से काफी अधिक है जबकि 46.48% परिवार इस कुप्रथा के विपक्ष में विचार देते हैं। इसी प्रकार पिछडी जातियों के 89 परिवारों में से 28.09% परिवार इस प्रथा को उचित तथा 71.91% परिवार इसे अनुचित बताते हैं। अनुसूचित जातियों के 75 परिवारों में से 36% परिवार इस प्रथा के पक्ष में तथा 64% परिवार इस प्रथा के विपक्ष में विचार व्यक्त करते हैं। मुस्लिम समाज के 27 परिवारों में से 29.62% परिवार इसके पक्ष में तथा 70.38% इसके विपक्ष में विचार देते हैं। इस तरह स्पष्ट है कि सवर्णो के अतिरिक्त अन्य सभी जातियो तथा मुसलमानों के पर्दा–प्रथा

के विपक्ष मे विचार अधिक मिलते है जिसका प्रमुख कारण इनकी सम्पन्नता एवं विपन्नता है। पर्दा–प्रथा के विपक्ष में विचार देने वालों का कहना है कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम अपनी स्त्रियों को परदे में रख कर उनका भरण–पोषण कर सकें इसलिए इन्हे खेतो में कार्य करने के अतिरिक्त अन्य तमाम प्रकार के छोटे–बडे कार्य करने पडते है।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि क्षेत्र में पर्दा–प्रथा जैसी कुप्रथा का काफी हद तक (62.60%) उन्मूलन हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो मुस्लिम समाज में मिलता है जिसमें इस प्रथा से सम्बन्धित विचारों मे आमूलचूल परिवर्तन आया है। जहॉ पहले मुसलमानों में पर्दा–प्रथा अनिवार्य थी वहीं आज अध्ययन क्षेत्र में इसका समर्थन मात्र 29.62% परिवार ही करते है तथा 70.38% परिवार इसका विरोध करने लगे हैं जो सरकार, विभिन्न सामाजिक संगठनो तथा संचार माध्यमों द्वारा महिलाओ के हित में किये गये अनेकानेक प्रयासों का परिणाम है। ध्यातव्य है कि अध्ययन क्षेत्र में उन स्त्रियो की स्थिति अच्छी है जिनका किसी न किसी तरह नगरीय क्षेत्रों से सम्बन्ध है। अत· आज की सर्वप्रमुख आवश्यकता है कि ये शिक्षित स्त्रियां गॉव–गॉव में जाकर पर्दा–प्रथा जैसी कुरीति के सम्बन्ध में लोगों को समझायें तथा शिक्षा के प्रति उन्हें उत्साहित करें जिससे वे जागरूक होकर अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सचेत होकर पर्दा–प्रथा जैसी अनेक सामाजिक बुराइयों से मुक्ति पा सके।

8.5.3 बाल–विवाह :–

बाल–विवाह ग्रामीण समाज की अनेकानेक सामाजिक समस्याओं में से एक हैं। इस समस्या को प्रोत्साहित करनें में जो तथ्य विशेष रूप से जिम्मेदार हैं उनमें कृषि आधारित जीवन निर्वाह व्यवस्था, अशिक्षा, रूढिवादिता, अभिभावको द्वारा विवाह को एक भारपूर्ण जिम्मेदारी समझने की मानसिकता तथा दहेज–प्रथा इत्यादि का सर्वप्रमुख स्थान है। बाल–विवाह समाज का एक ऐसा कलंक है जो व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास को अवरुद्ध कर देता है क्योंकि इससे उनकी शिक्षा और शारीरिक तथा मानसिक विकास आदि सभी पूर्णत. प्रभावित होते हैं जिससे वे आजीविका की कठिनाई तथा जीवन शैली की नासमझी से अपनी आने वाली पीढ़ी को संस्कारों से पुष्ट नहीं कर पातें हैं तथा स्वयं भी आर्थिक विचलता के कारण बदहाल जीवन जीने को विवश हो जाते हैं। इस तरह पूरी की पूरी पीढ़ी अकर्मण्यता तथा अशिक्षा का शिकार होकर परिवार, समाज तथा राष्ट्र सब के लिए संकटपूर्ण बन जाती है। दूसरी तरफ बालिकायें अल्पायु में ही बार–बार बच्चे को जन्म देने के कारण कुपोषित हो जाती हैं, साथ ही कभी–कभी प्रथम प्रसव की पीडा के साथ ही अकाल काल का ग्रास बन जाती हैं। इस तरह इस सामाजिक व्यवस्था में पति–पत्नी दोनों ही कमजोर एवं कुन्ठाग्रस्त होकर स्वभाव से चिड़चिडे हो जाते हैं तथा आपसी मन–मुटाव के कारण पारिवारिक बिखराव का कारण बनते हैं। इस प्रकार बाल–विवाह अनेक तरह से समाज के लिए हानिप्रद है।

कानूनी रूप से बाल–विवाहों को रोकने हेतु समय–समय पर बराबर प्रयास किये जाते रहे हैं। इसमें केशवचन्द्र सेन का प्रयास 'देशी बाल–विवाह अधिनियम 1872 विशेष सराहनीय है। तत्पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा एस0 एस0 बगाली के सहयोग से 'एज आफ कन्सेंट 1891' जिससे 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगायी गयी थी। इसी प्रकार शारदा एक्ट 1930 द्वारा बालिका की विवाह की आयु 14 वर्ष तथा बालक की 18 वर्ष निश्चित की गयी। वर्तमान समय (स्वर्गीय राजीव गॉधी के प्रधानमंत्रित्व कार्य–काल) में यह आयु बढ़ाकर क्रमशः 18 वर्ष और 21 वर्ष कर दी गयी है। इस तरह इस समस्या से निपटने के लिए बराबर प्रयास किये जाते रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप ही आज इस कुप्रथा के सम्बन्ध में ग्रामीणों के विचारों में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन आया है। जुलाई 1996 मे कुल 262 परिवारों के किये गये सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र में मात्र 4.96% परिवार बाल–विवाह के पक्ष में अपना विचार देते हैं।

इन 262 परिवारों मे से अलग–अलग जाति के आधार पर सवर्णो के 71 परिवारों में से 1.41% परिवार ही इस प्रथा को उचित बताते है जबकि 98.59% परिवार इसको पूर्णतः अनुचित प्रथा मानते हैं। पिछड़ी जातियों के 89 परिवारो में से 6.74% परिवार इस प्रथा के पक्ष में तथा 93.26% परिवार इसके विपक्ष में मत देते हैं। अनुसूचित जातियो के 75 परिवारों में से मात्र 4% परिवार इसके पक्ष में तथा 96% परिवार इसके विपक्ष मे मत देते हैं। मुसलमानों के 27 परिवारों में से 11.11% परिवार इस प्रथा को उचित ठहराते हैं तथा 88.89% परिवार बाल–विवाह के कट्टर विरोधी हैं।

इस तरह स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में बाल–विवाह जैसी कुप्रथा को लोग भलीभाँति समझ गये हैं अतः वे इसके घोर विरोधी बन गये है। उपर्युक्त विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि संवर्ण और अनुसूचित जातियों द्वारा दिये गये विपक्ष सम्बन्धी विचार क्षेत्रीय नकारात्मक प्रतिशत (95.04) से भी अधिक (क्रमशः 98.59 और 96%) हैं। अतः यह कह सकते हैं कि यह सरकार द्वारा किये गये विभिन्न प्रयासों तथा लोगों की जागरूकता का ही प्रतिफल है। ध्यातव्य है अध्ययन क्षेत्र के 4.96% परिवार आज भी इस कुप्रथा को उचित ठहराते हैं। वर्तमान समय में यह प्रतिशत भी बहुत अधिक है क्योंकि आज के विकसित समाज मे इस प्रथा को समूल नष्ट हो जाना चाहिए था। इस तरह स्पष्ट है कि किसी भी कुप्रथा के विनाश के लिए केवल सरकारी प्रयास ही नही वरन् जन–आन्दोलनों की आवश्यकता होती है और जन–आन्दोलनों के लिए लोगों का शिक्षित होना आवश्यक होता है ताकि वे लोग समाज के उन पिछडे हुए लोगों को समझा सकें कि बच्चों का अबोध उम्र में विवाह करना उनके शारीरिक, मानसिक एवं जीवनोपयोगी आदि समस्त दृष्टियों से कितना हानिकारक है। इस तरह स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों ही रूपों में शिक्षा ही वह प्रबल अस्त्र है जिसके माध्यम से भविष्य में हम इस कुप्रथा से पूर्ण मुक्ति पा सकते हैं।

8.5.4 बाल–श्रमिक :–

14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल–श्रमिक की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों और निर्बल वर्ग की बस्तियों के प्रायः छोटे बच्चों को कृषि, उद्योग, व्यापार तथा घरेलू कार्यों में मजदूरी करने के लिए भेज दिया जाता है जिससे कच्ची उम्र में ही बच्चे मेहनत मजदूरी के कुचक्र में ऐसे फसते हैं कि उनका बचपन ही उनसे नहीं छिनता वरन् उनका मानसिक और शारीरिक विकास भी रुक जाता है। ऐसे बाल श्रमिकों के हॉथों में कलम और किताबों के स्थान पर हंसिया, फावड़ा और श्रम के निशान सदैव दिखाई देते हैं। हमारे देश में बालक और बालिकायें दोनों ही बाल–श्रमिक के रूप में मिलते हैं। अधिकांश बालक जहाँ बोझा ढोते, पशु चराते, पॉलिश करते, अखबार बेचते तथा उद्योग व्यापार और होटलों में कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं अधिकांश बालिकायें कृषि, कुटीर उद्योगों तथा घरेलू कार्यों में मजदूरी करती मिलती है। बाल–श्रमिकों को बढ़ावा देने में निहित स्वार्थो के कारण उद्योगपतियों, पूँजीपतियों, सम्पन्न कृषकों और विचौलियों की विशेष भूमिका होती है क्योंकि ये लोग कम मजदूरी देकर अधिक काम लेने के विचार से बाल–श्रमिकों को आकर्षित करते हैं। इस तरह सस्ते श्रम में काम निकालने की दूषित मनोंवृत्ति बाल–श्रमिक प्रथा को प्रोत्साहित करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रतिवेदन के अनुसार विश्व में सबसे अधिक बाल–श्रमिक भारत में हैं। विश्व के कुल बाल–श्रमिकों का लगभग पाचवां हिस्सा भारत में पाया जाता है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल–श्रमिकों की संख्या लगभग 1 करोड़ 23 लाख थी। श्रम मन्त्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर तीसरे परिवार में एक बाल–श्रमिक है और 5 से 14 वर्ष की आयु का हर चौथा बच्चा बाल–श्रमिक है (कुरूक्षेत्र, अप्रैल, 1994, पृ0 31)।

वर्तमान समय में भारत में बाल–श्रम की समाप्ति के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं किन्तु स्मरणीय तथ्य है कि इनके अधिकारों की रक्षा का प्रश्न नया नहीं है वरन् इसका विकास संविधान निर्माताओं की अभिशंसा और जागरूकता के कारण हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना अपराध है। संवैधानिक संरक्षा व्यवस्था के साथ–साथ बाल–कल्याण के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर अनेक नियम बनाये गये हैं जिनमे बाल अधिनियम 1933, बाल–रोजगार अधिनियम 1938, भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1940, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कारखाना अधिनियम् 1948, मोटर यातायात अधिनियम 1952, बाल–श्रमिक अधिनियम 1961, प्रशिक्षु अधिनियम 1961, बीड़ी और शिगार एक्ट 1966, बंधित श्रम पद्धति 1975 और बाल–श्रमिक कानून 1986 आदि प्रमुख हैं (कुरूक्षेत्र, जनवरी, 1995, पृ0 22)। इनमें सर्वाधिक प्रभावशाली 1986 का बाल–श्रमिक कानून है जिससे बाल–श्रमिकों का शोषण करने वालों के विरूद्ध कठोर दण्ड की व्यवस्था की गयी है तथा इसके अनुसार बीड़ी, सीमेन्ट, कालीन, माचिस,बुनाई, रंगाई, छपाई तथा भवन–निर्माण आदि उद्योगों में 14 वर्ष से कम आयु के

बच्चो को श्रम पर नहीं लगाया जा सकता है (कुरूक्षेत्र, अप्रैल, 1994 पृ0 32)।

ध्यातव्य है कि उपर्युक्त प्रयासों के फलस्वरूप ही अध्ययन क्षेत्र में बाल–श्रम जैसी कुप्रथा के सम्बन्द्ध मे लोगो के विचारों में आमूलचूल परिवर्तन आया है। अध्ययन क्षेत्र में कुल 262 परिवारों में से लगभग 13.74% परिवार ही बाल–श्रम के पक्ष में मत देते हैं जबकि 86.26% परिवार इसके कट्टर विरोधी है।

इन 262 परिवारो का अलग–अलग जाति के अनुसार बाल–श्रम के सम्बन्ध मे पूछे गये प्रश्न कि बाल–श्रम उचित है या अनुचित ? मे दिये गये उत्तर के अनुसार सवर्णो के 71 परिवारों मे से मात्र 7 04% परिवारो ने इसे उचित बताया तथा 92 96% परिवारों ने अनुचित बताया है। इसी प्रकार पिछडी जातियों के 89 परिवारो मे से 10.11% परिवारों ने इसे उचित तथा 89.89% परिवारो ने अनुचित माना है। अनुसूचित जातियों के 75 परिवारों में से 21.33% परिवारों ने बाल–श्रम पद्धति के पक्ष मे तथा 78.67% परिवारों ने इसके विपक्ष में अपना मत दिया है। मुसलमानों के 27 परिवारो मे से 22 22% परिवारों ने बाल–श्रम के पक्ष में तथा 77.78% परिवारों ने इसके विपक्ष में मत व्यक्त किया है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि सवर्णो में इसके पक्ष में 7.04% तथा पिछड़ी जातियों में 10.11% मिलता है। ये दोनों ही प्रतिशत क्षेत्रीय प्रतिशतः (13.74) से कम हैं जो इनके शिक्षित होने व जागरूकता का परिचायक है। यही प्रतिशत अनुसूचित जाति व मुस्लिम समाज मे क्रमशः 21.33 तथा 22 22 मिलता है जो इनके अशिक्षित, बेरोजगार व विपन्नता को प्रदर्शित करता है। इस समाज के लोगों का यह भी तर्क है कि यदि हम अपने बच्चों से श्रम न करवायें तो क्या खाये।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्तमान समय में बाल–श्रम के सम्बन्ध में लोगों के विचार बदल रहे हैं। समाज स्वयं अब यह समझ चुका है कि बालकों को अपना बचपन गिरवी रखकर कमाऊ मजदूर बनने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। अतः व्यावहारिक रूप से देखने पर स्पष्ट होता है कि इस कुप्रथा को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। बाल–श्रम की समस्या का प्रमुख कारण गरीबी और अशिक्षा है। इसलिए बच्चो को 14 वर्ष तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उनके व्यक्तित्व का स्वस्थ निर्माण हो सके। बाल श्रमिकों के अनपढ़ माता–पिता के लिए भी प्रौढ़ शिक्षा आवश्यक है जिससे वे बच्चों के भविष्य के विषय में स्वयं चिंतन कर सकें। यदि पढाई के साथ–साथ निर्धन परिवार के बच्चों को कुछ कमाई भी मिल जाय तो बालकों के माता–पिता उनको मजदूरी में भेजने के लिए विवश नहीं होगे। इसके लिए बालकों को स्कूल में रोजगार उन्मुख शिक्षा देते हुए कार्य लिया जा सकता है। साथ ही गॉवों में ऐसा वातावरण बनाया जाय जिससे छोटा परिवार रखकर बालकों को बाल–श्रम के शिकन्जे से बचाया जा सके और उन्हें विकास के समुचित अवसर प्रदान किये जा सकें।

8.5.5 रूढ़िवादिता :–

समनर महोदय ने लोकाचार को स्पष्ट करते हुए कहा है कि "लोकाचार समूह की जनरीतियां हैं। लोकाचार का तात्पर्य कार्य करने के ऐसे तरीकों तथा व्यवहारों से है जिन्हें समूह कल्याण के लिए आवश्यक समझा जाता है। यद्यपि इन्हें किसी सर्वमान्य सत्ता द्वारा लागू नहीं किया जाता लेकिन यह व्यक्ति को अपने अनुरूप व्यवहार करने में बाध्य करते हैं।" स्पष्ट है कि लोकाचार या रूढिवादिता बुजुर्गों द्वारा बनाई गयी लीक पर चलना है, जो पीढी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होते रहते है। लोकाचारों या रूढिवादिता के अन्तर्गत हमारे समाज में शाकाहारी भोजन करना, यौनिक पवित्रता बनाये रखना, स्त्रियो, गुरुजनों, वृद्धो के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना, माता–पिता की सेवा व सहायता तथा सम्मान करना आदि सभी अच्छाई के तथ्य सम्मिलित हैं किन्तु ग्रामीण समाज ने इन तमाम अच्छाई के तथ्यों के साथ–साथ रूढ़िवादिता से सम्बन्धित अनेक गलत तथ्यों को भी अपना रखा है जिनका प्रतिकूल प्रभाव ग्रामीण समाज के अनेक पक्षों, जैसे–स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक विकास पर पड़ता है। इनको अनेक अनुष्ठानों, संस्कारों और प्रथाओं के द्वारा प्रभावपूर्ण बनाने की कोशिश की जाती है। इनमें विवाह, विभिन्न त्योहार, जातक कर्म और मृतक कर्म आदि का प्रमुख स्थान है। इनमें अनेक अवसरों पर मात्र दिखावा के लिए अधिक से अधिक धन व्यय किया जाता है जिनका ग्रामीण समाज पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पडता है। इन रूढ़ियों के साथ–साथ ग्रामीण समाज अन्य अनेकानेक लोकाचारों एवं रूढ़ियों से ग्रसित है जिनमें अंधविश्वास, जादू–टोना तथा झाड–फूक आदि प्रमुख है। अन्धविश्वास से तात्पर्य भूत–प्रेत में विश्वास करने से है जिसका स्पष्टीकरण क्षेत्र में जुलाई 1996 में कुल 262 परिवारों के किये गये सर्वेक्षण से प्राप्त साक्ष्यों से भी हो जाता है। कुल 262 परिवारों में से 57.63% परिवार भूत–प्रेत में विश्वास करने वालों का है जबकि शेष 42.37% परिवार भूत–प्रेत में विश्वास नहीं करते हैं।

इन 262 परिवारों का जाति के आधार पर विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि सवर्णो के 71 परिवारों में से 57.75% परिवार इनमें विश्वास करते हैं किन्तु 42.25% परिवार आज इनमें विश्वास नहीं करते है। पिछडी जातियों के 89 परिवारों मे से 62.92% परिवार भूत–प्रेत में विश्वास करते हैं जबकि 37.08% परिवार इनमें विश्वास नहीं करते हैं। अनुसूचित जातियों के 75 परिवारों में से 68% परिवार इनमें विश्वास करने वालो का तथा 32% परिवार विश्वास न करने वालों का है। मुस्लिम समाज के 27 परिवारों में यह प्रतिशत क्रमशः 11.11 तथा 88.89 मिलता है।

इस विवरण से स्पष्ट है कि हिन्दू समाज में आज भी लोग भूत–प्रेत के अंधविश्वास में फंसे पडे हैं किन्तु मुस्लिम समाज में इससे सम्बन्धित विचारो में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखा जाता है। आज इनमें विश्वास करने वालों का प्रतिशत मात्र 11.11 है जो क्षेत्रीय प्रतिशत (57.63) से बहुत कम है किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जहाँ पहले लोग पूर्णतः (शत प्रतिशत) अंध

ाविश्वासी थे वहॉ आज यह प्रतिशत आधे से भी अधिक (57.63%) पहुँच गया है। जो लोग आज भी इस अधविश्वास मे फंसे पडे है वे विभिन्न प्रकार की व्याधियों का उपचार कुशल डाक्टरों व वैद्यों से न कराकर तांत्रिकों व ओझाओं द्वारा झाड–फूक के माध्यम से कराते हैं। इस तरह के दुर्विचारों से ग्रसित होने के कारण ही आज भी समय पर उचित उपचार न होने से अक्सर बीमार काल–कवलित हो जाते है। अत. ऐसे अधविश्वासों से छुटकारा पाने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता सामाजिक जागरूकता की है जो शैक्षिक विकास द्वारा ही सम्भव है। इसके लिए न सिर्फ सरकारी प्रयास ही आवश्यक है वरन् विभिन्न सामाजिक सगठनों का सहयोग भी अत्यन्त आवश्यक एवं उपयोगी है।

8.5.6 स्त्रियों की सामाजिक स्थिति :–

'भारत गॉवों का देश है' अत. यहॉ का समाज पूर्णतः ग्रामीण समाज है। अध्ययन क्षेत्र देश का ही एक अंश है जिससे यहॉ का समाज स्वभावत· ग्रामीण समाज ही है। सर्वविदित है कि ग्रामीण समाज में स्त्री को पुरूष की समानता में द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना जाता है। भारतीय समाज में एक बालिका जन्म से लेकर विवाह तक अपने माता–पिता के संरक्षण में, विवाहोपरान्त पति के संरक्षण में तथा वृद्धावस्था गें स्वपुत्र के सरक्षण मे रहती है। यही कारण है कि ग्रामीण समाज बालिकाओं को बालकों के समान खेलने–कूदने, शिक्षा ग्रहण करने, घूमने–फिरने तथा नौकरी करने का अधिकार नहीं देता है। इसीलिए बचपन से ही उसे घर के काम–काज में लगा दिया जाता है तथा विवाहोपरान्त पति को देवस्वरूप स्वीकार करने तथा उसके अनुचित व्यवहार को भी सहन करने के लिए बाध्य होना पडता है। वृद्धावस्था में वह पुत्र व पुत्रवधू के गलत आक्षेपों को भी बर्दास्त करती है किन्तु वर्तमान समय मे स्त्रियों की इस दयनीय स्थिति में सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं। उसे सरकार व विभिन्न सामाजिक सगठनो द्वारा पुरुष के समान अधिकार दिलाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। यद्यपि प्राचीन भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी जो इस उक्ति से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है–

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः।

मुगल काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में काफी गिरावट आयी। ब्रिटिश शासन के दौरान भी इसे सुधारने का प्रयास नहीं किया गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त इसमें सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं। पंडित नेहरू आदि मूर्धन्य नेताओं ने इसे भलीभाँति समझा था। उन्होंने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (1945) में कहा था कि "अपनी शिखर की प्रतिष्ठा से भारत के पतन का कारण कम से कम आंशिक रूप में भारत मे महिलाओं की स्थिति और प्रतिष्ठा में गिरावट है।"

इस प्रकार स्त्रियों की स्थिति किसी भी समाज की परिपक्वता और विकास का महत्वपूर्ण नियामक है स्त्रियों के इसी महत्व को ध्यान मे रखते हुए अध्ययन क्षेत्र में लोगों के विचार स्त्रियो की शिक्षा तथा नौकरी के प्रति अत्यधिक लचीले व अनुकूल हुए है जिसका स्पष्टीकरण अध्ययन क्षेत्र मे 262 परिवारो के किये गये सर्वेक्षण से होता है। कुल 262 परिवारों में से 87.79% परिवार बालिका शिक्षा के पक्ष मे तथा 12.21% परिवार इसके विपक्ष में अपना मन्तव्य देते हैं, क्योंकि उनके अनुसार बालिकाओं की शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है।

इन 262 परिवारों का अलग-अलग जाति के आधार पर आंकलन करने से स्पष्ट होता है कि सवर्णों के 71 परिवारों में से 94.37% परिवार कहते हैं कि बालिकाओं को शिक्षा अवश्य दिलानी चाहिए जबकि 5.63% परिवार आज भी बालिका शिक्षा के विरोधी हैं। पिछड़ी जातियों के 89 परिवारों में से 82.02% परिवार बालिका शिक्षा के पक्ष में तथा 17.98% परिवार बालिका शिक्षा के विपक्ष में अपना मत व्यक्त करते है। अनुसूचित जातियों के 75 परिवारों में से 85.33% परिवार बालिकाओं को शिक्षित करने तथा शेष 14 67% परिवार अशिक्षित रखने में विश्वास करते हैं। अध्ययन क्षेत्र के मुसलमानों में भी बालिका-शिक्षा के प्रति बहुत अधिक जागरूकता आयी है, इनमें 96.30% परिवार इनकी शिक्षा के पक्ष मे तथा 3 70% परिवार विपक्ष में विचार देते हैं।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्रामीण समाज में महिलाओं की शिक्षा के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है। इसमे बालिका शिक्षा के विपक्ष में 20% से अधिक मत किसी भी जाति या धर्म का नहीं मिलता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य सर्वेक्षण से उभरकर सामने आया है वह स्त्री शिक्षा के पक्ष में मुस्लिम समाज का भारी समर्थन (96.30%) है। हिन्दुओं में सवर्णो में 94.37%, पिछडी जातियों (82.02%), तथा अनुसूचित जातियों में 85.33% तथा पिछडी जातियों के परिवार स्त्री शिक्षा के पक्ष के समर्थक है। यह ग्रामीण समाज के बदलते सामाजिक स्वरूप को प्रदर्शित करता है।

इसी प्रकार अध्ययन क्षेत्र के कुल 262 परिवारों से यह पूंछने पर कि महिलाओं का नौकरी करना उचित है या अनुचित ? 66.41% परिवारो ने इसके पक्ष में तथा 33.59% परिवारों ने इसके विपक्ष मे मत दिया है।

इन 262 परिवारों का अलग-अलग जाति के आधार पर अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि सवर्णों के 71 परिवारों मे से 87.32% परिवार इसके पक्ष में तथा 12.68% परिवार इसके विपक्ष में मत देते हैं। यह अभिव्यक्ति कुल धनात्मक प्रतिशत (66.41) से अधिक तथा ऋणात्मक औसत प्रतिशत (33.59) से कहीं कम है। पिछडी व अनुसूचित जातियों में स्त्री नौकरी के पक्ष में प्रतिशत क्षेत्रीय औसत से कम मिलता है पिछडी जातियों में यह प्रतिशत 57.30 तथा अनुसूचित जातियों में 52% मिलता है जबकि इन्हीं जातियों में स्त्री नौकरी के विपक्ष में दिये गये विचारों का प्रतिशत क्रमश. 42.7 तथा 48 है। मुस्लिम समाज में स्त्री नौकरी के प्रति बहुत अधिक वैचारिक परिवर्तन

आया है। इनके कुल 27 परिवारों में से 81.48% परिवार महिलाओं को नौकरी करवाना उचित समझते हैं जबकि मात्र 18.52% परिवार ही इसके विपक्ष में मत देते हैं। ध्यातव्य है कि मुसलमनों के पक्ष का प्रतिशत (81.48) क्षेत्रीय सकारात्मक प्रतिशत (66.41) से बहुत अधिक है।

जनसमुदाय का महिलाओं के सामाजिक विकास के प्रति यह उदारीकरण एक अच्छा संकेत है। इसमें सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों का महत्वपूर्ण योगदान है। इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप ही महिलाये आज घर के काम–काज के साथ–साथ खेती–बाडी में भी बढ–चढ कर हिस्सा ले रही हैं। शिक्षित होने से वे अपने कार्यो को और भी अच्छी तरह से सम्पन्न कर रही हैं। डा0 स्वामीनाथन ने तो महिलाओं के इसी महत्व को स्वीकार करते हुए अपनी पुस्तक में लिखा है कि "विकासशील देशो में कई पहाडी और दूर–दराज के क्षेत्रों में खेती का काम ज्यादातर महिलाओं के हॉथों में हैं क्योंकि पुरुष, परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए काम की तलाश में शहर चले जाते हैं। इसको देखते हुए महिलाओं को पूरी तरह शामिल किये बिना भूमि–प्रबन्ध की वैकल्पिक व्यवस्था, बीजों की अच्छी किस्मे और खेती के दूसरे उन्नत तरीकों को लोकप्रिय बनाना सम्भव नहीं होगा" (योजना, जनवरी, 97, पृ0 86)।

24 अप्रैल 1993 में 73 वें सविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज की नयी व्यवस्था में महिलाओ के लिए एक तिहाई स्थान का आरक्षण स्त्री–सुधार की ओर बढाया गया एक अच्छा कदम है। इसके अतिरिक्त स्त्री–सुधार हेतु कई प्रयास किये जा रहे हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में आई0 आर0 डी0 पी0, ट्राइसेम, ड्वाकरा, जवाहर रोजगार योजना, महिला समृद्ध योजना, 14 वर्ष तक के बालक–बालिकाओं के लिए अनवार्य शिक्षा तथा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए महिला आयोग का गठन आदि प्रमुख है।

इस विवरण से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से अब तक के किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ है किन्तु अभी इस स्थिति में और अधिक सुधार की आवश्यकता है। इसमें प्रमुख बाधा महिलाओ के अशिक्षित होने, पर्दा–प्रथा तथा उनमें अपर्याप्त जागरूकता आदि हैं। इन्हीं के कारण महिलाये स्वयं अपनी स्थिति में सुधार करने में समुचित कदम नहीं उठा पा रही हैं। कई क्षेत्रो में तो महिलाओं के शोषण, उत्पीड़न और दुरावस्था में स्वयं महिलाओ का योदान देखा गया है। आज की सर्वप्रमुख आवश्यकता है कि ग्रामीण महिलाओं में यह जागरूकता उत्पन्न की जाये जिससे वे इन सभी बाधाओं को हटाते हुए अपने सामाजिक विकास में पहल कर सकें। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि ग्रामीण समाज महिलाओं के प्रति अधिक उदारवादी दृष्टिकोण अपनाये तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को पर्याप्त महत्व प्रदान करे। इन सब प्रयासों के फलस्वरूप ही भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति में समुचित सुधार लाया जा सकता है जो देश के सर्वागीण विकास में सहायक होगा।

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि अध्ययन क्षेत्र का

सामाजिक–आर्थिक प्रतिरूप एक सक्रमणकालीन स्थिति से गुजर रहा है जिसमें परिवर्तन के स्पष्ट संकेत उभरकर सामने आ रहे है। एक स्वस्थ एवं विकासोन्मुख समाज के निर्माण हेतु परिवर्तन की इस गति को तीव्र करने की आवश्यकता है। वास्तव में समाज स्वयं परिवर्तन को जन्म देता है एवं यदि वर्तमान परिस्थितियों द्वारा उसे लम्बे काल तक बाधित किया जाय तो यह क्रान्ति एवं जनाक्रोश को जन्म देने लगता है जिसके परिणाम भयंकर होते हैं।

RERERENCES :

Lal, N 1989 . Rural Development and Planning cough Publication Allahabad p 170.

Majumdar and Madan An Introduction to Social Anthropology. p 221

Segal, R 1982 · Crisis of India, Publication Department, New Delhi. p 247

कुरूक्षेत्र, 1994 · ग्रामीण क्षेत्र एव रोजगार मत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली, अंक 6, अप्रैल, पृ0 31–32

कुरूक्षेत्र, 1995 · ग्रामीण क्षेत्र एव रोजगार मत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली, अंक 3, जनवरी, पृ0 22.

योजना, 1991 : सूचना और प्रसारण मत्रालय, नई दिल्ली, अक 10,1–15 मार्च, पृ0 10.

योजना, 1997 : सूचना और प्रसारण मत्रालय, नई दिल्ली, अंक 10, जनवरी, पृ0 46

अध्याय 9
ग्रामीण विकास एवं सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण हेतु नवीन व्यूह नीति

9.1 प्रस्तावना :–

भारत में नियोजन के कर्णधार प0 जवाहर लाल नेहरू माने जाते हैं उन्हीं की अध्यक्षता में 1938 ई0 मे आयोजन समिति (Planning Committee) नियुक्त की गयी थी। नियोजन का विचार पूर्व सोवियत संघ से लिया गया था।

ध्यातव्य है कि नियोजन और योजना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं इसीलिए योजना का आधार नियोजन से सम्बद्ध माना गया है। नियोजन एक ऐसी तकनीक है जो किसी भी क्षेत्र या समाज में उपलब्ध संसाधनों का अभिज्ञान करके और उनका लक्ष्य निर्धारित करके उनके इष्टतम उपयोग का ढांचा प्रस्तुत करती है तथा इसी प्रक्रिया द्वारा भविष्य में संसाधनों के उपयोग की संभावना को भी स्पष्ट करती है। इस प्रकार नियोजन का प्रमुख उद्देश्य वर्तमान और भविष्य के सन्दर्भ में मानव का सम्पूर्ण विकास करना है।

भारत मे आयोजकों ने आयोजन के चार प्रमुख उद्देश्य बताये हैं –

1 उत्पादन को अधिकतम सम्भव सीमा तक बढ़ाना ताकि राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय के उच्च स्तर की प्राप्ति की जा सके।

2 पूर्ण रोजगार प्राप्त कराना

3. आय तथा सम्पत्ति की असमानताओ को कम करना तथा

4. सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना।

स्पष्ट है कि भारत में नियोजन से तात्पर्य कृषि, उद्योग, आवागमन एवं संचार अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक समानता इत्यादि सभी क्षेत्रों में न्याय के साथ विकास करना है।

प्रस्तुत अध्याय में अनुसूचित जातियों, महिलाओं, बालकों, अल्पसंख्यकों लघु एवं सीमान्त कृषकों भूमिहीन श्रमिकों, कृषि, उद्योग, आवागमन एवं संचार साधन, विकासशील और पिछड़े क्षेत्रों, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा, सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय और ग्रामीण सामुदायिक विकास से सम्बन्धित तथ्यों पर विचार करते हुए उनके नियोजन हेतु समुचित व्यूह नीति का सुझाव दिया गया है।

9.2 लक्ष्य समूहों हेतु नियोजन :–

9.2.1 अनुसूचित जातियां :–

जाति व्यवस्था जो कि पहले कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था के रूप में प्रचलित थी, कालान्तर

में जन्म से जाति व्यवस्था की संकीर्ण विचारधारा में परिवर्तित हो गयी। वर्तमान समय में राजनीतिक संरक्षण मिलने के कारण जाति भावना इस तरह से बढी है कि इसकी चरम सीमा जाति भक्ति तक पहुँच गयी है जो जातीय संघर्ष का कारण बन गयी है। इस अन्धानुकरण के समक्ष समुदाय, राष्ट्र व देश गौढ हो गये है। एक दृष्टि से यदि यह लोकतन्त्र के लिए अभिशाप है तो दूसरी तरफ इसने आज तक दबी कुचली जातियों मे राजनीतिक चेतना जागृति कर लोकतन्त्र के आधार को व्यापक भी बनाया है (प्रतियोगिता दर्पण, सितम्बर 1997, पृ0 279–280)।

अनुसूचित जातिया जिन्हे भारतीय वर्ण व्यवस्था मे सर्वाधिक निम्न स्थान प्राप्त है, के लिए सामाजिक व्यवहार में 'हरिजन' तथा वैधानिक व्यवहार मे 'अनुसूचित जाति' जैसे शब्द का प्रयोग होता है। समाज में इन्हें अन्य जातियो के समक्ष लाने के लिये भारतीय संविधान द्वारा कुछ विशेष अधिकार और सुविधाये दी गयी हैं। एतदर्थ, मण्डल आयोग द्वारा इन्हें शिक्षा तथा नौकरी आदि क्षेत्रों मे विशेष सुविधा (आरक्षण की सुविधा) है तो संविधान में अनुच्छेद 14, 15, 17, 19, 23, 25, 46, 76, 330, 332, 334, 335 आदि सभी का सम्बन्ध अनुसूचित जाति–जनजाति तथा सामाजिक रूप से पिछडे वर्गो के कल्याण से सम्बन्धित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए 65 वें संविधान संशोधन द्वारा एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है।

उपरोक्त सवैधानिक संरक्षण देने के परिणाम स्वरूप ही अनुसूचित जातियों में विकास के विभिन्न क्षेत्रों (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सास्कृतिक तथा धार्मिक) में परिवर्तन आया है और लोगों का इनके प्रति नजरिया भी परिवर्तित हुआ है। यह परिवर्तन ग्रामों की अपेक्षा नगरों तथा अशिक्षितो की अपेक्षा शिक्षित क्षेत्रों में अधिक देखा गया है। प्रतिदर्श अध्ययन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वेक्षण (सारणी 8.1) से प्राप्त परिणामानुसार आज भी 60.69% परिवार जाति प्रथा व अस्पृश्यता को उचित बताते हैं। स्पष्ट है कि मात्र प्रशासनिक व संवैधानिक व्यवस्था ही इनके कल्याण हेतु पर्याप्त नहीं है वरन् विभिन्न सामाजिक संगठनो को भी एतदर्थ आगे आना होगा। यद्यपि कई सामाजिक संगठन कार्यरत हैं किन्तु इन्हें अपने कार्य में और अधिक तक्षिणता व पारदर्शिता लानी होगी जिसके लिए निम्नलिखित नियोजनो की आवश्यकता है –

(अ) सर्वप्रथम तो समाज से 'जाति' जैसे शब्द का जड से उन्मूलन करना होगा तथा प्रत्येक व्यक्ति को जाति बोधक शब्दों को हटाने के लिए प्रेरित करना होगा। विश्व समष्टि में विशिष्ट पहचान हेतु भारतीय एवं आर्य ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है।

(ब) दूसरे पिछले 50 वर्षो से संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत लागू आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने की आवश्यकता है। इससे न सिर्फ जातीय संघर्ष की समाप्ति होगी वरन् इससे आरक्षित वर्गो में भी अधिकाधिक स्वावलम्बन एवं प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास हो सकेगा।

(स) अनुसूचित जातियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज भी इनका शिक्षा स्तर अन्य जातियों की तुलना में अत्यधिक निम्न है। अध्ययन क्षेत्र के कुल 262 परिवारों के सर्वेक्षण

से प्राप्त साक्ष्यों के परिणामानुसार जहाँ सवर्णो (71 परिवार, कुल जनसंख्या 543) के 79% लोग शिक्षित और 21 % अशिक्षित है वहीं अनुसूचित जातियों (75 परिवार, कुल जनसंख्या 490) में 49. 59% लोग शिक्षित और 50.41% अशिक्षित है (सारणी 9.1)।

(द) शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसूचित जातियो एव जनजातियों में प्राथमिक पाठशाला से विश्वविद्यालय स्तर तक निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, निःशुल्क पुस्तकीय व्यवस्था, शिक्षत हेतु मुफ्त कोचिंग व्यवस्था तथा मुफ्त पोशाक और परिवहन व्यवस्था आदि के प्रावधान की आवश्यकता है।

(य) शिक्षण संस्थाओं मे व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी जिससे सामान्य शिक्षा के साथ–साथ लोग व्यवसाय भी सीख सकेंगे। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा देते समय कुछ धन (रूपया) भी इन्हे देना होगा जिससे ये आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकें। यदि इसके पश्चात भी अभिभावक इन्हें स्कूलो में न भेजें तो दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए जिसके भय से ये अपने बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें।

(र) इनकी आर्थिक स्थिति समृद्ध करने के लिए प्रत्येक परिवार में से कम से कम एक व्यक्ति को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक है।

(ल) पट्टे पर आवंटित भूमि सख्ती के साथ पट्टेदारों को कब्जा दिलवाना आवश्यक है जिससे इनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार किया जा सके।

(व) गरीबो के उत्थान हेतु 'अम्बेदकर रोजगार योजना' की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पहली बार सुश्री मायावती के कार्यकाल में की गयी थी। 60 करोड रू0 की इस योजना द्वारा 6 लाख ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलेगा जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की सम्भावना है। इस योजना को सही तरीके से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।

(श) इन्हे परिवार नियोजन अपनाने के लिए अनेकानेक प्रलोभनों, जैसे– रोजगार, आवास तथा अन्य अधः संरचनात्मक सुविधाये आदि उपलब्ध करानी होंगी। परिवार नियोजन से सम्बन्धित विभिन्न लाभ–हानि को जन सचार माध्यमो–नुक्कड नाटक, कथा, वार्ता, गोष्ठियों और शिक्षित युवा समूहों द्वारा स्वयं गॉव–गॉव जाकर प्रचारित करने की आवश्यकता है जिससे ये स्वयं ही इसे अपनाने को उत्सुक हों और आगे आये।

(ष) अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु ग्रामीण सामूहिक शौचालय की व्यवस्था करनी होगी तथा उसके सफाई की व्यवस्था सरकारी तौर पर की जानी चाहिए। इससे इनके आस–पास का वातावरण स्वच्छ रह सकेगा तथा ये स्वयं भी स्वस्थ रह सकेगे।

उपर्युक्त नियोजन सम्बन्धी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक समस्या की जड अनुसूचित जातियों में शैक्षिक विकास का अभाव है अत. जब तक शिक्षा के स्तर को नहीं उठाया जायेगा तब तक इनके सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण को समुचित दिशा नहीं मिल सकेगी।

9.2.2 धार्मिक अल्पसंख्यक :–

हमारा राष्ट्र तथा इसकी संस्कृति सहिष्णु एव सर्वग्राही रही है। इसके आंचल मे सभी धर्मो जातियो, वर्गों और रगों इत्यादि के व्यक्तियों को वात्सल्य एव सम्मानपूर्वक आश्रय प्राप्त हुआ है। इसी का प्रतिफल है कि हमारा देश एवं संस्कृति विविधताओं से परिपूर्ण है। हिन्दू, जैन,बौद्ध तथा सिक्ख आदि धर्मो की जडे भारत भूमि मे ही निहित है। शक, कुषाण, पल्लव, हूण और यवन आदि जातियो ने भारत के सास्कृतिक संघात से अपने पृथक अस्तित्व को खो दिया किन्तु इसाई तथा इस्लाम आदि धर्मावलम्बी अपने पृथक अस्तित्व को बनाये रखने मे सफल रहे जिसका प्रमुख कारण अंग्रेजों की कूट नीति रही। यद्यपि इन धर्मो के अनुयायी सर्वथा अल्प सख्या में रहे, तथापि इतिहास के हर युग में हमारे समाज में विविधता में एकता का स्वरूप दृष्टिगोचर होता रहा। समाज मे कभी भी बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक का स्पष्ट विभेद देखने में नहीं आया (प्रतियोगिता दर्पण, अक्टूबर 97, पृ0 467–470)।

'अल्पसंख्यक' शब्द को सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय ने सन् 1957 में स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसा समूह जिसकी संख्या 50% से कम हो अल्पसख्यक की श्रेणी मे रखा जा सकता है लेकिन यह प्रतिशत राज्य की जनसख्या के सन्दर्भ में हो। संविधान मे इन्हे अनुच्छेद 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28 तथा 326 इत्यादि के अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त है। साथ ही सविधान के मौलिक अधिकारों के अध्याय भाग 4 के अन्तर्गत अनु0 29(1), 29(2), 30(1), 30(2) आदि तथा अध्याय 16 में अनु0 331 और 333 भी इनके संरक्षण व्यवस्था से सम्बन्धित हैं।

संवैधानिक उपबन्धों के साथ–साथ प्रशासन द्वारा अल्पसख्यकों के 'तथाकथित कल्याण' हेतु कदम उठाये जाते रहे हैं। मई 1983 से समाज कल्याण मन्त्रालय द्वारा अल्पसंख्यको हेतु 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत साम्प्रदायिक सौहार्द, अल्पसंख्यकों मे विश्वास की भावना उत्पन्न कर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा मे जोडना, विविध सार्वजनिक पदों तथा संस्थाओ मे अल्पसख्यकों के समुचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना, उनके परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा रोजगारोन्मुखी शिक्षा का प्रावधान करना आदि सभी कार्यक्रम सम्मिलित हैं। ध्यातव्य है कि इन प्रयासों के साथ ही जनवरी 1978 मे एक अल्पसख्यक आयोग गठित किया गया है। इस प्रकार प्रशासनिक एवं संवैधानिक स्तर पर इनके सरक्षण हेतु अनेक प्रयत्न किये गये हैं तथापि वर्तमान सामयिक परिप्रेक्ष्य में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है जिसके लिए निम्न प्रस्तावों का उल्लेख किया जा सकता है–

(अ) वर्तमान समय में अल्पसंख्यक के नाम पर राजनीतिक कुचक्र का प्रणयन तीव्रता के साथ हो रहा है। अत. आज अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक के इस कृत्रिम विभाजन को पूर्णतया खत्म करना आवश्यक है तथा प्रत्येक नागरिक में यह भावना जागृत करना चाहिए कि वह भारत का नागरिक है एवं उसका प्रथम धर्म भारतीयता है।

(ब) अल्पसख्यको के सन्दर्भ मे किन्हीं विशेष प्रावधानो की आवश्यकता नहीं है। हमारे संविधान के विविध सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत अल्पसख्यको के अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाते है। यद्यपि यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति तथा वर्ग को धर्मपालन तथा अपनी भाषा एव लिपि को बनाये रखने का अधिकार हो तथापि इस सन्दर्भ मे विशेष अधिकारो को समाप्त करना आवश्यक है।

(स) इसी प्रकार 'अल्प सख्यक आयोग' को समाप्त कर 'अन्याय के विरूद्ध कार्य करने वाला आयोग' अथवा 'मानवाधिकार आयोग' का गठन करना चाहिए जिससे अल्पसख्यक एव बहुसख्यक के बीच के अलगाव की दुर्भावना को कम किया जा सके। इस आयोग को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह धर्म, जाति तथा लिंग आदि के आधार पर भेदभाव एव उत्पीडन के विरूद्ध सख्त कार्यवाही कर सके।

(द) अल्पसंख्यकों के गरीब एव पिछडे वर्ग के लोगो को अनुसूचित जातियो की भॉति नि शुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, व्यावसायिक शिक्षा तथा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे इनके सामाजिक–आर्थिक स्तर मे उन्नयन कर इन्हे बहुसख्यक समुदाय के बराबर राष्ट्रीय विकास मे समान भूमिका के लिए तैयार किया जा सके। ध्यातव्य है कि इस प्रकार की रियायतें धर्म या जाति के आधार पर न देकर केवल आर्थिक पिछडेपन के आधार पर सम्पूर्ण मानव समुदाय को एक जाति मानकर दी जानी चाहिए।

(य) अध्ययन क्षेत्र में किये गये 27 मुस्लिम परिवारो के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि इनमें आज भी लगभग 50% लोग निरक्षर हैं (सारणी 9.1)। अत स्पष्ट है कि शिक्षा के अभाव में इन्हे आर्थिक योजनाओं का भरपूर लाभ नहीं मिल पाता है तथा ये शीघ्र ही धार्मिक उन्याद के शिकार हो जाते है, इसीलिए सर्वप्रथम क्षेत्र मे इनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दने की आवश्यकता है।

(र) अल्पसख्यकों की गरीबी से मुक्ति के लिए प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को स्थायी रोजगार व स्वरोजगार की व्यवस्था आवश्यक है जिससे ये आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके और अपनी सामाजिक–सांस्कृतिक विकास स्वयंमेव कर सके।

(ल) न्यायालय एव सरकार को अल्पसंख्यकों के उत्पीडन को रोकने के लिए सतर्कता एवं निष्पक्षता के साथ कार्य करना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि अल्पसंख्यको के नाम पर राजनीति करने वालो के विरूद्ध समुचित निषेधात्मक एव दण्डात्मक कार्यवाही की जा सके।

उपर्युक्त सुझावों को अपनाकर अध्ययन क्षेत्र के अल्संख्यको की विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है, जिससे ये समाज में अन्य लोगो की तरह एक अच्छी जिदगी व्यतीत कर सके तथा अल्पसंख्यक अथवा बहुसंख्यक के कृत्रिम विभाजन से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता की भावना से अनुप्राणित हो सके।

9.2.3 महिला विकास एवं महिला कल्याण :–

वस्तुत किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए मानव ससाधन की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि पूँजी की। ध्यातव्य है कि मानव ससाधन म ॰ ॰ व पुरुष दोनो का समावेश होता है। जिस प्रकार किसी भी वाहन के चलने के लिए दो पहियो की आवश्यकता होती है उसी प्रकार सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए स्त्री व पुरुष के सम्मिलित सहयोग की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय मे देश की कुल जनसख्या 90 करोड से भी अधिक हो गयी है जिसमे महिलाओ और पुरुषो की सख्या क्रमश 43 7 और 47 करोड है। प्रति हजार पुरुषो पर स्त्रियो की सख्या 927 है जबकि पारिस्थितिकी सतुलन के लिए यह सख्या समान होनी चाहिए।

वर्तमान समय मे प्रशासनिक एव सवैधानिक स्तर पर महिलाओ के विकास के लिए अनेक व्यवस्थाये की गयी है, उदाहरणार्थ–अनुच्छेद 15, 16 (मौलिक अधिकार) अनुच्छेद 38 और 39 (राज्य के नीति निर्देशक तत्व)। इनके अतिरिक्त अनेक अधिनियमो का प्रावधान किया गया है, यथा–बाल विवाह निषेध 1929, हिन्दू उत्तराधिकार 1929, शरियते कानून 1937, हिन्दू महिलाओ के सम्पत्ति के अधिकार 1937, सिनेमाटोग्राफी 1952, विशेष विवाह 1954, हिन्दू विवाह 1955, हिन्दू दत्तक एव भरण–पोषण 1956, हिन्दू उत्तराधिकार 1956, अनैतिक व्यापार दमन 1956, दहेज निषेध 1961, मातृत्व लाभ 1961, गर्भ समापन 1971, समान पारिश्रमिक 1976, अश्लील चित्रण निषेध 1986 और पचायती राज अधिनियम आदि उल्लेखनीय हैं।

उपर्युक्त सभी अधिनियमो के माध्यम से स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष लाने का तथा सामाजिक–आर्थिक रूप से स्वतन्त्र विकास के अवसर दिलाने का प्रयास किया गया है और इस प्रकार विभिन्न समस्याओ का समाधान करने का प्रयत्न किया गया है। इन प्रयत्नो के साथ–साथ केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, महिला और बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय और ग्रामीण विकास मन्त्रालय आदि स्त्रियो के विकास के लिए प्रयासरत हैं। महिलाओ की आर्थिक स्थिति सुदृढ करने हेतु आई0 आर0 डी0 पी0, ट्राइसेम, ड्वाकरा, राष्ट्रीय महिला कोष, इन्दिरा महिला योजना, महिला समृद्धि योजना और स्टेप नोराड योजना आदि कार्यक्रम चलाये जा रहे है। इन सभी प्रयत्नो के फलस्वरूप ही महिलाओ पर अत्याचार रोकने तथा सामाजिक चेतना और जागरूकता लाने मे बहुत कुछ सफलता मिली है। इसके लिए जनसचार माध्यमों तथा स्वय सेवी सामाजिक सगठनो ने भी बहुत हद तक सहयोग किया है लेकिन वर्तमान समय तक महिलाओ के विकास के लिए जितने कदम उठायें गये है उनकी तुलना में उनका विकास बहुत ही कम हुआ है अत आज उनके विकास एवं कल्याण के लिए निम्नलिखित नियोजनों को अपनाना आवश्यक होगा–

(अ) अध्ययन क्षेत्र के सर्वेक्षण से प्राप्त साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ है कि ग्रामीण महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना का सर्वथा अभाव है अतः उनके लिए रोजगार तथा उनकी शिक्षानुसार स्थायी रोजगार

सारणी 9 1

जनपद फतेहपुर शैक्षिक विकास

(प्रतिशत मे)

रिवार ंख्या	कुल जनसंख्या	साक्षर	प्राथमिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा	स्नातक एव स्नातकोत्तर	तकनीकी एव व्यावसायिक शिक्षा	कुल शिक्षित	कुल अशिक्षित	कुल जनसख्या मे स्त्री स0	स्त्री जनसख्या मे शिक्षित स्त्रिया	कुल जनसख्या मे शिक्षित स्त्रिय
		1–5	6–9	10–12	14–16						
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
सवर्ण–71	543	29.10	25 41	18.97	5 52	–	79 00	20 01	49 35	71 26	35 17
पिछडी जातियां–89	660	25 61	22 88	8 18	1 36	–	58.03	41 97	50.00	41 81	20 91
अनुसूचित जातियां–75	490	20.41	17 35	7 96	3.88	–	49 59	50 41	46 73	29 26	13 67
मुस्लिम–27	186	38.71	7.53	3 76	–	–	50 00	50.00	44 62	53 01	23 66
कुल परिवार स0–262	1879	26.56	20.65	10.80	3.09	–	61.10	38.90	48.43	48 35	23 42

स्रोत :– निजी सर्वेक्षण, जुलाई 1996

की व्यवस्था करनी चाहिए।

(ब) महिलाओ को शिक्षित एवं जागरूक करने की आवश्यकता है जिससे वे प्रशिक्षित होकर प्रशासनिक व सामाजिक संगठनों द्वारा किये जा रहे विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों को जान सकें। स्वतन्त्रता के बाद के 50 वर्षो के बावजूद आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में शिक्षा का स्तर काफी नीचा है। अध्ययन क्षेत्र में कुल स्त्री संख्या में शिक्षित स्त्रियों का प्रतिशत 48.35 है। क्षेत्र में सवर्णो की 71.26% महिलायें शिक्षित है। पिछडी जातियो में 41.81%, अनुसूचित जातियों में 29.26% और मुसमानों (अल्पसंख्यको) मे 53 01% महिलायें शिक्षित है (सारणी 9.1)। इस प्रकार सवर्ण और मुस्लिमों में जहॉ शिक्षा का स्तर ऊँचा है वहीं पिछड़ी और अनुसूचित जातियों में यह प्रतिशत बहुत कम है। इसे बढाकर शत प्रतिशत करने की आवश्यकता है।

(स) महिलाओं में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करने के लिए विभिन्न प्रलोभनों, जैसे–आवास, वस्त्र तथा रोजगार की व्यवस्था का उपयोग किया जा सकता है। इससे वे शिक्षित होकर विभिन्न सामाजिक समस्याओं, यथा–अशिक्षा, बाल–विवाह, विधवा–विवाह, पर्दा–प्रथा और बेरोजगारी आदि के समाधान में सक्रिय सहयोग कर सकेगी।

(द) महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी समुचित जानकारी दी जानी चाहिए। इससे ये न केवल अपने परिवार वरन् क्षेत्र एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पायेंगी।

(य) महिलाओं को परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों की जानकारी देते रहना चाहिए जिसके लिए जनसंचार साधनों के साथ–साथ सामाजिक संगठनों तथा शिक्षित युवक–युवतियों के समूहों का सहयोग लिया जा सकता है। ग्रामीण महिलाओं के समीप बैठकर, समझ कर या नाटक, कविता, कहानी, वार्ता और चुटकला आदि के माध्यम से इन कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रो में लोकप्रिय एवं सफल बनाया जा सकता है।

(र) श्रमिक सम्बन्धी कार्यक्रमों मे लगी महिलाओ के शोषण से रक्षा हेतु कुछ ऐसे कानून बनाने व लागू करने चाहिए जिससे सम्बन्धित अपराधी को सख्त से सख्त सजा दी जा सके एवं महिलाओं को पुरुषों की तरह विकास का अवसर मिल सके।

(ल) अब तक के प्रयत्नों के बावजूद विभिन्न नौकरियों में महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम रहा है। अतः वर्तमान परिस्थितियो की आवश्यकता को देखते हुए नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था कर देनी चाहिए किन्तु जैसे ही इनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार दृष्टिगत हो आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए अन्यथा अनुसूचित जातियों व जनजातियों, पिछडी जातियों तथा अल्पसंख्यकों की तरह ही महिलायें भी आरक्षणवादी व्यवस्था की आदी हो जायेगी और तब एक नवीन महिला–पुरुष संघर्ष का जन्म होगा जिससे छुटकारा पाना मुश्किल होगा।

उपर्युक्त सम्पूर्ण सुझावों के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास को नयी

दिशा दी जा सकेगी।

9.2.4 बाल विकास एवं बाल कल्याण :—

बाल विकास जैसे तथ्य के उजागर होते ही मस्तिष्क में भावी राष्ट्र निर्माता का ख्याल आता है क्योकि आज का प्रत्येक बालक कल का राष्ट्र निर्माता है। अतः इनके संतुलित मानसिक शारीरिक विकास हेतु समुचित व्यूह नीति तैयार की जानी चाहिये। भारतीय संविधान मे राज्य के नीति—निर्देशक तत्वो के अन्तर्गत यह सकल्प किया गया है कि "राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालक की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पडे जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों। बालक को स्वतन्त्र एव गरिमापूर्ण वातावरण मे स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधायें प्रदान की जाये। बालको और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाय।" इस संवैधानिक प्रतिबद्धता का अनुसरण करके ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाल नीति 1974, निश्चित की। इस नीति के अतिरिक्त बाल विकास एव बाल कल्याण की दृष्टि से कई अधिनियम बालकों के शोषण एवं बाल श्रम रोकने हेतु बनाये गये है जिनमें बाल अधिनियम 1933, बाल रोजगार अधिनियम 1938, भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1940, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, बागान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, मोटर यातायात अधिनियम 1952 तथा बाल श्रमिक अधिनियम 1986 इत्यादि उल्लेखनीय है।

वर्तमान समय में बाल विकास की दृष्टि से ही मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा समन्वित बाल विकास सेवाओं का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, चिकित्सीय परामर्श सेवायें, पूरक पोषाकार, 3—6 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा तथा स्वास्थ्य और महिलाओं को पोषाहार इत्यादि का समावेश है (कुरूक्षेत्र, जनवरी, 95, पृ0 30—31)। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बाल विकास कार्य योजना 1992 और राष्ट्रीय बालिका कार्य योजना 1991—2000 ई0 तैयार की गयी है। इनका प्रमुख उद्देश्य बालक एवं बालिकाओं के बेहतर भविष्य को विनिर्मित करना है। इन तमाम प्रयत्नो के परिणामस्वरूप देश में 1960 की 146 की तुलना में 1990 में शिशु मृत्युदर घटकर मात्र 80 रह गयी तथा 2000 ई0 तक इसे 60 करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार सन् 1951 की 38% की तुलना में 1989 में प्राथमिक स्कूल स्तर पर बच्चों की प्रवेश दर 94% हो गयी (कुरूक्षेत्र, जनवरी, 1995, पृ0 22)।

यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर अवश्य ये साक्ष्य उपलब्ध हैं किन्तु अध्ययन क्षेत्र में आज भी बालकों की स्थिति अच्छी नहीं है जिसका प्रमुख कारण इनके अभिभावको का निरक्षर एवं गरीब होना है जिसके लिये निम्नलिखित नियोजनों का प्रावधान किया जा सकता है—

जहाँ1970–71 में जोत आकार का औसत 2 28 हेक्टेयर था वह 1990–91 में घटकर मात्र 1.57 हेक्टेयर हो गया। इस तरह इस अवधि के दौरान जोत आकार में 31% की गिरावट आयी। जोत के आकार में निरन्तर ह्रास का प्रमुख कारण देश की बढती हुयी आबादी, उत्तराधिकार का वर्तमान नियम, सयुक्त परिवार प्रणाली का विखण्डन, हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग का ह्रास तथा महाजनी ऋण और कृषकों का स्वभूमि के प्रति अनुरक्त होना आदि है (दत्ता एवं सुन्दरम्, 1997, पृ0 363–373)। ध्यातव्य है कि ये सभी कारण जोत आकार को कुप्रभावित करते हैं जिससे कृषि का स्तर तो घटता ही है साथ ही इससे लघु और सीमान्त कृषकों (जोत आकार 0.40 हेक्टेयर) की संख्या में वृद्धि होती है। इस जोत का आकार इतना छोटा होता है कि इस पर न तो आधुनिक कृषि यन्त्रो का उपयोग कर पाते हैं और न ही इसके लिए अन्य संसाधन (बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं) ही उपलब्ध करा पाते हैं। इनकी कृषि आर्थिक दृष्टि से घाटे वाली होती है जिससे उनका भरण–पोषण करना ही मुश्किल होता है। लघु एवं सीमान्त कृषको के आर्थिक–सामाजिक उन्नयन हेतु निम्नलिखित नियोजनों की आवश्यकता है–

(अ) सर्वप्रथम क्षेत्र में ही नहीं वरन् समूचे देश मे जोत की अधिकतम एवं न्यूनतम सीमा निश्चित की जानी चाहिए। जहाँ अच्छी जोतो के मालिको की अतिरिक्त भूमि को लेकर भूमिहीनो एवं लघु जोत वाले कृषकों को ही दी जानी चाहिए, वहीं छोटी जोतों के पुनर्निमाण को रोकने के नवीन अधिनियम बनाये जाने चाहिए। एतदर्थ कई लघु जोतो को मिलाकर सहकारी या सामूहिक खेती की व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

(ब) छोटे कृषकों को सहकारी समितियों द्वारा विकास खण्ड स्तर पर नवीन कृषि यन्त्रों, जैसे–ट्रैक्टर, हारवेस्टर और थ्रेसर आदि नि·शुल्क या कम किराये पर उपलब्ध कराने चाहिए जिससे कृषि कार्य को शीघ्र और अच्छा बनाया जा सके।

(स) कृषि यन्त्रों की तरह ही लघु एव सीमान्त कृषको को उन्नतशील बीज, रसायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवायें आदि कम दाम पर तथा आसान ऋण के रूप मे उपलब्ध कराने चाहिए जिससे कृषि उत्पादन बढ सके एवं इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

(द) लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन विकास हेतु सस्ती दर पर बैंक ऋण की व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए जिससे कृषि मे पूँजी विनियोग कर उसको आधुनिक एवं लाभदायक बनाया जा सके।

(य) कृषकों की फसल के बीमें की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे दैवीय विपत्तियों (फसल को जला देना या जानवरों द्वारा नष्ट करा देना) से हानि होने पर समुचित मुआवजा मिल सके तथा आर्थिक तंगी की परिस्थिति को रोका जा सके।

(र) कृषि के साथ–साथ स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना चाहिए। कृषि के सह व्यवसाय के रूप में बागवानी फूलों, मसालों औषधीय पौधों की खेती, डेयरी, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य

पालन, रेशम कीटपालन आदि को लघु एव सीमान्त कृषकों में लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। एतदर्थ उन्हे ग्रामसभा एव विकासखण्ड से वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इससे इन कृषकों को वर्ष भर काम मिल सकेगा।

(ल) लघु एवं सीमान्त कृषको को कृषि के अतिरिक्त दुकान तथा पारिवारिक एव लघु उद्योग हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। एतदर्थ समुचित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना चाहिए।

उपर्युक्त सभी नियोजनों को क्रियान्वित कर लघु एवं सीमान्त कृषकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति मे निश्चित ही सुधार हो सकेगा।

9.2.6 भूमिहीन श्रमिक :–

भूमिहीन श्रमिक वे श्रमिक होते हैं जो अपने श्रम से कृषि कार्य को सम्पादित करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है परन्तु उनके पास स्वयं की तृण मात्र भूमि नहीं होती। इनका उदभव एवं विकास शताब्दियों से चलने वाली दासता और शोषण की व्यवस्था पर आधारित है। भूमिहीन श्रमिकों को 4 श्रेणियो में वर्गीकृत किया गया है (दत्ता एवं सुन्दरम्, 1997, पृ0 535–542)।

1. जमींदारो से बंधे हुए भूमिहीन श्रमिक,
2. व्यक्तिगत रूप से स्वतन्त्र किन्तु पूर्णत. औरों के लिए काम करने वाले भूमिहीन श्रमिक;
3. छोटे किसान जिनके अधीन अत्यन्त छोटे–छोटे खेत हैं अतः वे अपना अधिकांश समय औरों के लिये काम करने में लगाते हैं,
4. वे किसान जो आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त जोतों के स्वामी है किन्तु जिनके एक–दो बालक या आश्रित अन्य समृद्ध किसानों के यहॉ काम करते है।

इन चारों वर्गो में से प्रथम वर्ग के भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है क्योंकि ये गुलामों की सी जिंदगी जीते हैं। इन्हें ही बधुआ मजदूर कहा जाता है क्योंकि ये अपने मालिकों की नौकरी छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जा सकते हैं। कृषि श्रमिकों या भूमिहीन श्रमिकों की अधिकांश संख्या अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछडे वर्गो से सम्बद्ध है।

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है देश में भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। जिसके लिये अनेक कारण उत्तरदायी है, यथा–इनकी निम्नतर सामाजिक स्थिति, निरक्षरता, बेरोजगारी, गरीबी और अशिक्षा आदि हैं। इसलिये आज के सभ्य समाज की सर्वप्रमुख आवश्यकता इनकी स्थिति में सुधार करने की है जिसके लिये निम्नलिखित नियोजन सर्वथा उपर्युक्त होंगे–

(अ) सर्वप्रथम इन्हें शिक्षित करने की आवश्यकता है जिसके लिये न केवल प्रशासनिक प्रयास व सुविधाये वरन विभिन्न सामाजिक संगठनों तथा युवा समूहों का सहयोग अपेक्षित है। इनके शिक्षित हो जाने पर महाजनों द्वारा अंगूठा लगवाकर इनकी मूल्यवान वस्तुयें (भूमि, पशु, व आभूषण) हडप लेने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी साथ ही मूक एवं असहाय बनकर अत्याचार सहन

करने की प्रवृत्ति का भी उन्मूलन हो सकेगा। शिक्षित होने पर ये भूमिहीन श्रमिकों का संघ बनाकर अपनी किसी भी मांग को सम्मिलित स्वर मे उठा सकेंगे जिससे दासता एवं शोषण जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने में सहायता मिलेगी।

(ब) इन भूमिहीन श्रमिकों को क्षेत्र में मौसमी रोजगार उपलब्ध होता है तथा वर्ष के शेष दिनों में इन्हें बेरोजगारी एवं बेकारी की समस्या का सामना करना पडता है। इससे इनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती है। एतदर्थ इन्हें कृषि से जुडे विभिन्न व्यवसायों—बागवानी, पुष्पोत्पादन, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन से सम्बद्ध करने की आवश्यकता है। सडक निर्माण, नहर निर्माण, सरकारी भवनों का निर्माण एवं मरम्मत ऐसे कार्यो मे इन्हे नौकरी देकर इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। इनमें से अधिकांश लोग अप्रशिक्षित श्रमिक हैं जिन्हें विभिन्न व्यवसायों हेतु प्रशिक्षण देकर इनकी कार्यक्षमता एवं दैनिक मजदूरी की धनराशि मे वृद्धि की जा सकती है।

(स) क्षेत्र में बहुफसली कृषि को प्रोत्साहित करके इनकी बेरोजगारी को दूर करने हेतु प्रयास किया जा सकता है। इससे इनको वर्ष पर्यन्त रोजगार के अवसर सुलभ हो सकेंगे। साथ ही इससे कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हो सकेगी।

(द) इनके पारिश्रमिक में वृद्धि कर तथा कार्य करवाने के पश्चात पारिश्रमिक का भुगतान न करने पर निर्धारित दण्ड की व्यवस्था द्वारा भी भूमिहीन श्रमिकों की आर्थिक—स्थिति को सुधारा जा सकता है।

(य) भूमि आंवटन द्वारा भी भूमिहीन श्रमिकों की दशा सुधारी जा सकती है। इसके लिए कई प्रावधान हैं— (1) नई सुधरी हुई भूमि इनमें बाट दी जाये। (2) बड़े किसानों से सीलिंग में अधिग्रहीत अतिरिक्त भूमि को इनमें बांट दिया जाये।(3) बडे भूपतियों द्वारा स्वेच्छा से भूमिहीनों को भूमि दे दी जाये। भूदान आन्दोलन (आचार्य बिनोवा भावे) इसी प्रकार की व्यवस्था से सम्बन्धित था।

(र) भूमिहीन श्रमिकों में कुछ स्वयं का कोई रोजगार शुरू करना चाहते है अथवा कुछ पेशेवर कारीगर (जातिगत जैसे, लोहार, कुम्हार और नाई इत्यादि) हैं। इनके पास पूँजी तथा प्रशिक्षण का अभाव होता हैं फलस्वरूप ये कृष्येतर पेशों में नहीं लग पाते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हे प्रशिक्षण देकर एवं अल्प व्याज पर धन और सयत्र आदि उपलब्ध कराकर इनकी स्थिति को सुधारा जा सकता है। इससे स्वरोजगार को बढावा मिलेगा।

(ल) भूमिहीन श्रमिकों के लिए शिक्षा को व्यवहारपरक बनाना होगा। इनकी प्रतिभा, रुचि, मानसिक प्रवृत्ति एवं योग्यता की जांच कर इन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि इन्हें सार्वजनिक, निजी एवं स्वरोजगार व्यवसायों में संलग्न किया जा सके।

(व) प्रशासन ने इनकी स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रावधान किये हैं, उदाहरणस्वरूप— न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, श्रम सहकारी समितियों का संगठन तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सुनिश्चित रोजार कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार

योजना आदि। इन प्रशासन प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही इनकी आर्थिक स्थिति में आज कुछ सुधार हो सका है। भविष्य में इन सभी कार्यक्रमो को और अधिक उत्साह के साथ कार्यान्वित कर इनकी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार लाना चाहिए।

उपर्युक्त सभी नियोजनो द्वारा अध्ययन क्षेत्र में भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन लाया जा सकता है बशर्ते कि इन उपायों को संतुलित ढंग से इमानदारी, आत्मसयम और कर्तव्यनिष्ठा के साथ क्रियान्वित किया जाय साथ ही इनमें परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमो को शाश्वत प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

9.3 खण्डीय नियोजन हेतु व्यूह नीति :–

9.3.1 कृषि :–

कृषि का इतिहास वास्तव में मानव सभ्यता का इतिहास रहा है। इसीलिये कृषि को सभी सभ्यताओं की जननी कहा गया है अर्थात 'Agriculture is the Culture of All Cultures'. कृषि के इसी महत्व को दृष्टिगत करके स्वतन्त्रता पश्चात भारत में क्रियान्वित की गयी आठ पचवर्षीय योजनाओ में कृषि विकास को सर्वाधिक प्रमुखता दी गयी है जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन को 1950–51 के 5 करोड 10 लाख टन से बढाकर 1994–95 में 19 करोड 20 लाख टन के स्तर तक पहुँचाया जा सका (योजना, सितम्बर 96, पृ0 20)। अध्ययन क्षेत्र में भी कृषि उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि के संकेत मिले हैं, उदाहरणस्वरूप–1982–83 में खाद्यान्न उत्पादन 454,547 मी0 टन था जो 1991–92 में बढकर 500,980 मी0 टन तक हो गया (सांख्यिकीय पत्रिका, फतेहपुर,1986 और 1993)।

स्मरणीय है कि पंचवर्षीय योजनाओ में कृषि विकास को नियोजित ढंग से विकसित करने के प्रयास से ही ये परिणाम सम्भव हो सके है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास की गति को और भी तीव्र करने के लिए निम्न व्यूह नीति का सुझाव दिया गया है –

(अ) सर्वप्रथम अध्ययन क्षेत्र में गहन मृदा सर्वेक्षण एवं मृदा परिशोधन की आवश्यकता है ताकि मिट्टी की न्यून उर्वरा शक्ति के कारणो को समझकर उनको दूर करने के सही उपाय अपनाये जा सकें।

(ब) अध्ययन क्षेत्र में भूमि संरक्षण की विशेष आवश्यकता है जिससे परती एव बंजर भूमि के निरन्तर बढाव को रोका जा सके।

(स) भूमि संरक्षण के साथ–साथ अध्ययन क्षेत्र में वनारोपण/सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। क्षेत्र में 1970–71 में जो वन का प्रतिशत 1.66 था वह 1992–93 में घटकर मात्र 1.2% ही रह गया है। क्षेत्र के दो विकासखण्ड अमौली और असोथर दोनों ही पूर्णतः बाढ़ प्रभावित (यमुना सततवाहिनी नदी) क्षेत्र है। इसका प्रमुख कारण यहाँ पर बाग, वृक्ष एवं

झाडियों का कम पाया जाना है। एतदर्थ सडकों, नहरों व तालाबों आदि के किनारे स्थित बजर भूमि का उपयोग किया जा सकता है।

(द) अध्ययन क्षेत्र में सिचाई की उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी क्योंकि यहॉ पर अभी तक कुल शुद्ध सिचित क्षेत्र 50.72% ही है इसमे 21 72 नहरों तथा 27.74% नलकूप और शेष 1.26% अन्य साधनों द्वारा सिंचित है। इन सिंचाई के साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करने के साथ–साथ ऐसी सिंचाई प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता है जिससे कम सिंचाई से ही कृषि क्षेत्र लाभान्वित हो सके, यथा–फौव्वारा सिंचाई प्रणाली।

(य) क्षेत्र मे कृषि वैविघ्य को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। पारम्परिक कृषि प्रणाली से हटकर फार्मिंग सिस्टम की कृषि पद्धति को अपनाने की जरूरत है। इस कृषि पद्धति के अन्तर्गत फसल पद्धति + पशुपालन, फसल पद्धति + डेयरी उद्योग, फसल पद्धति + मौन पालन, फसल पद्धति + बागवानी आदि की कृषि उल्लेखनीय है।

(र) कृषकों को समय–समय पर रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवायें और उन्नतशील बीज सस्ते दाम पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। साथ ही इन सबके उचित मात्रा और समय पर उपयोग की जानकारी जनसंचार माध्यमो, गोष्ठियों और सभाओं आदि द्वारा प्रदान की जानी चाहिए।

(ल) कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषकों को सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्हें नवीन कृषि यन्त्रो के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

(व) कृषि उत्पादों के विपणन की कुशल एव उपयुक्त व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे कृषकों की उपजों को बिचौलिए के बिना आसानी से अच्छी कीमत पर बेंचा जा सके।

उपर्युक्त प्रस्तावों द्वारा क्षेत्र मे कृषि विकास की गति में वृद्धि की जा सकती है।

9.3.2 उद्योग–धन्धे :–

कृषि विकास के साथ–साथ देश मे औद्योगिक विकास का भी विशेष महत्व है। जहॉ कृषि हमे भोजन व विभिन्न उद्योगों हेतु कच्चा माल प्रदान करती है वहीं औद्योगिक विकास हमें समस्त विश्व के विकास की तीव्र गति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की क्षमता प्रदान करता है, उदाहरणर्थ–पहले हमें सुई तक आयात करनी पडती थी किन्तु आज सुई से लेकर बड़े–बड़े युद्ध पोते, जलपोत तथा वायुयान आदि का निर्माण देश में ही कर लिया जाता है। स्वतन्त्रता उपरान्त औद्योगिक विकास हेतु विशेष ध्यान दिया गया है जिसके लिए क्रमशः 6 अप्रैल 1948, 3 अप्रैल 1956, 31 मई 1990 और 24 जुलाई 1991 में औद्योगिक नीतियां बनायी गयी। यद्यपि इन नीतियों के चलते सम्पूर्ण देश में औद्योगिक विकास का अवसर मिला है किन्तु अध्ययन क्षेत्र अभी तक औद्योगिक विकास में न सिर्फ पिछड़ा है वरन् इसे औद्योगिक शून्य (श्रेणी 'अ') जनपदों की श्रेणी में

गिना जाता है। अतः क्षेत्र में औद्योगिक विकास हेतु निम्न नियोजन प्रस्तावों का सुझाव दिया जाता है –

(अ) फतेहपुर जनप में बृहद एव मध्यम स्तर के सीमित औद्योगिक क्षेत्र को विस्तृत करने की आवश्यकता है। अर्थात मलवां विकासखण्ड के अतिरिक्त इन्हें बहुआ नगरीय क्षेत्र और देवमई विकासखण्ड के जहानाबाद नगरीय क्षेत्र ने विकसित करना चाहिए। इन विकासखण्डों में से बहुआ को राजकीय राजमार्ग जो (S. H 13) तथा जहानाबाद को नगरीय क्षेत्र के गौरव के साथ–साथ कानपुर महानगर की सन्निकटता की सुविधा प्राप्त है। इस कारण यहॉ पर वृहद एवं मध्यम स्तर के उद्योगों को भलीभॉति विकसित किया जा सकता है।

(ब) वृहद एवं मध्यम स्तर के उद्योगों को क्षेत्र में बढावा देने के लिए बडे धनाढ्य उद्योगपतियों को आकर्षित करने हेतु कम ब्याज दर पर बैक ऋण की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही इन्हें विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति ऋण आदि की सुविधायें कम दर पर दिलवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(स) अध्ययन क्षेत्र में लघु एवं कुटीर उद्योगो को बढावा देने के लिए प्रत्येक विकासखण्ड में इन उद्योगों की कम से कम एक–एक यूनिट स्थापित की जानी चाहिए। एतदर्थ नये उद्यमियों को कुछ रियायतें देकर आकृष्ट करना चाहिए।

(द) अध्ययन क्षेत्र के कुटीर उद्योगों के विकास हेतु कुशल एव प्रशिक्षित मजदूरों की संख्या में वृद्धि करनी होगी जिसके लिए मुफ्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, इसमे ग्रामीण वासियों को प्रशिक्षण हेतु स्वयं सामने आना चाहिए। इन उद्योगों के विकास में शिक्षित बेरोजगार युवकों का सहयोग लिया जा सकता है।

(य) औद्योगिक विकास हेतु जितना महत्व पूॅजी, श्रम और कच्चे माल का होता है उससे कहीं अधिक महत्व आवागमन, परिवहन तथा संचार के साधनों का होता है, उदाहरणार्थ–कच्चा माल लाने तथा तैयार माल ले जाने में परिवहन साधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक इसी प्रकार कौन माल किस समय पहुॅचना है इस बात की जानकारी विभिन्न संचार माध्यमों विशेषकर टेलीफोन आदि से आसानी से प्रेषित की जा सकती है।

औद्योगिक विकास हेतु उपर्युक्त प्रस्तावों के क्रियान्वयन से औद्योगिक विकास में वृद्धि की सभावना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगो को रोजगार उपलब्ध कराकर जहॉं एक ओर इन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा सकेगा वहीं दूसरी ओर ग्रामीण श्रम के शहर पलायन पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इससे क्षेत्र मे सामाजिक–आर्थिक उन्नयन को नयी दिशा दी जा सकेगी।

9.3.3 आवागमन एवं संचार साधन :–

किसी क्षेत्र की समुन्नति एवं समृद्धि के लिए कृषि और उद्योग के साथ–साथ आवागमन एवं

संचार साधन अति महत्वपूर्ण स्थान रखते है। इनकी आपूर्ति से सामाजिक–आर्थिक विकास को नयी दिशा मिल सकेगी। आवागमन एवं संचार के इस महत्व को दृष्टिगत करते हुए अध्ययन क्षेत्र में इनके विकास की अति आवश्यकता है जिसके लिए हम निम्न नियोजनों का सहयोग ले सकते हैं–

(अ) अध्ययन क्षेत्र में रेलमार्गो एवं सडक मार्गो को विकसित करने की आवश्यकता है। क्षेत्र मे रेलमार्गो का विकास अति आवश्यक है, उदाहरणार्थ–आज सम्पूर्ण देश में रेलमार्गो की कुल लम्बाई 62,600 किमी0 है जबकि जनपद में इसकी लम्बाई मात्र 88 किमी0 ही है।

(ब) दूसरे अध्ययन क्षेत्र में कुल 13 विकासखण्डो में से आज भी 5 विकासखण्ड (अमौली, खजुहा, बहुआ, असोथर और हथगॉव) रेलमार्गो की सुविधा से वंचित है। प्रस्तावित रेलमार्ग (चित्र 3.4) के निर्माण से इस कमी का पूरा किया जा सकता है। एक अन्य रेलमार्ग को बिन्दकी रोड स्टेशन से खजुहा और अमौली होते हुए कानपुर तक निर्मित करने की आवश्यकता है।

(स) जनपद में आज भी मात्र 9.67% ग्रामो को स्थानीय स्तर पर बस स्टाप की सुविधा प्राप्त है तथा 37.35% ग्रामों के निवासियो को आज भी यह सुविधा 5 किमी0 से अधिक दूर पर उपलब्ध है (सारणी 6 3)। नये बस मार्गो एवं बसों की सख्या मे वृद्धि कर इस कमी को पूरा करने की आवश्यकता है जिससे किसी भी ग्राम की बस स्टाप से दूरी 5 किमी0 से अधिक न हो सके।

(द) अध्ययन क्षेत्र के 30.47% ग्रामों को स्थानीय स्तर पर सडक सुविधा प्राप्त है जबकि 15.24% ग्रामो को आज भी इस सुविधा हेतु 5 किमी0 से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है। स्पष्ट है कि जनपद में सडकों का विकास अति आवश्यक है। चित्र 3.4 में कुछ नये सड़क मार्गो का प्रस्ताव किया गया है। इनके निर्माण से अध्ययन क्षेत्र मे सडक परिवहन की स्थिति को सुधारा जा सकता है।

(य) डाक संचार साधन जो कि ग्रामीण जनता के लिए सबसे सस्ता साधन है, की जनपद मे कुल संख्या 252 है। इसमें 14 नगरीय क्षेत्र के डाकघर सम्मिलित हैं (सारणी 6.6)। इनमें से मात्र 17.60% ग्रामो को स्थानीय स्तर पर डाकघर की सुविधा प्राप्त है तथा 13.76% ग्रामों को 5 किमी0 से भी अधिक दूर पर यह सुविधा उपलब्ध होती है (सारणी 6.7)। इसीलिए क्षेत्र में इस संचार साधन को और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है जिसके लिए प्रत्येक विकासखण्ड में कम से कम 25 डाकघर स्थापित करने चाहिए। वर्तमान समय में असोथर, हथगाँव, विजयीपुर और धाता को छोडकर शेष सभी विकासखण्डों मे डाकघरों की संख्या 20 से भी कम पायी जाती है। इन नये डाकघरों की स्थिति के चयन के समय यह ध्यान रखना होगा कि किसी भी गाँव को डाकघर की सुविधा के लिए 5 किमी0 से अधिक की दूरी न तय करनी पड़े।

(र) अध्ययन क्षेत्र में तारघर संचार साधन की अति दयनीय स्थिति है। अब तक जनपद में कुल 11 तारघर हैं (सारणी 6.6), जिनमें मात्र 5 ग्रामीण क्षेत्र मे स्थित हैं। क्षेत्र के मात्र 0.37% ग्रामों को

इनकी सुविधा स्थानीय तौर पर उपलब्ध है जबकि 88.99% ग्रामों को आज भी इसके लिए 5 किमी0 से अधिक की दूरी तय करनी पडती है (सारणी 6.8)। ध्यातव्य है कि इस संचार सुविधा द्वारा अति महत्वपूर्ण सूचनाओ को कम से कम समय मे भेजने की सुविधा होती है। अतः इस सुविधा को क्षेत्र मे तत्काल विकसित करना चाहिए जिसके लिए लगभग प्रत्येक विकासखण्ड में 2 नये तारघर अविलम्ब स्थापित करने की आवश्यकता है।

(ल) अध्यय क्षेत्र में सार्वजनिक दूरभाष बूथो की संख्या अति न्यून (मात्र 138) है। इसमें 27 नगरीय बूथ सम्मिलित हैं (सारणी 6 6)। दूरभाष सवाद प्रेषण का एक सशक्त माध्यम है तथा आधुनिक जीविका का महत्वपूर्ण अंग है। एतदर्थ नगरीय क्षेत्रो के अलावा प्रत्येक तहसील केन्द्र पर एक आधुनिक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेज स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विकासखण्ड मे कम से कम 10 सार्वजनिक टेलीफोन बूथ लगाये जाने चाहिए जिससे ग्रामवासियों को इस सुविधा हेतु अधिक दूरी एव समय न नष्ट करना पडे।

उपर्युक्त सभी नियोजन तथ्यो के आधार पर जनपद में आवागमन एवं संचार साधनों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है जिसका अनुकूल असर क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास पर पडेगा।

9.4 स्थानिक नियोजन हेतु व्यूह नीति :–

9.4.1 विकासशील क्षेत्र :–

चित्र 8.2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में अमौली, हसवा, बहुआ, हथगॉव, ऐराया, विजयीपुर आदि विकासखण्ड विकासशील क्षेत्र के अन्तर्गत आते है। इन विकासशील क्षेत्रों को निम्न प्रकार के नियोजन प्रस्तावो द्वारा विकसित किया जा सकता है –

(अ) चित्र 8.1A के अनुसार सर्वप्रथम विकासशील क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी 6 विकासखण्डों में कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। एतदर्थ –

(1) सिचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध करानी होगी।

(2) कृषि सम्बन्धी (ट्रैक्टर और थेसर) नवीन उपकरणों के प्रयोग में समुचित वृद्धि करनी होगी।

(3) यमुना के बाढ प्रकोप (अमौली एव विजयीपुर विकासखण्ड) से बचाव हेतु प्रभावी योजना बनानी होगी।

(4) कुशल एवं प्रशिक्षित कृषको की सख्या मे वृद्धि करनी होगी।

(5) कृषि विकास के लिए ग्रामीण बाजारो का विकास करना होगा जिसके लिये नियमित मण्डियां एवं उपमण्डिया विकसित करनी होगी जिसमे कृषि वस्तुओं की बिक्री नियमित रूप से हो सकेगी।

(ब) चित्र 8.1B से स्पष्ट है कि ऐरायां, विजयीपुर, हसवा और बहुआ आदि सभी विकासखण्डों में औद्योगिक विकास को प्रथमिकता देने की आवश्यकता है। इसके लिये क्षेत्र में निम्न प्रकार के

नियोजन किये जा सकते है–

(1) कच्चे माल की स्थानीय सुविधा होनी आवश्यक है अर्थात ऐसे उद्योग विकसित किये जाये जिनके लिए कच्चा माल समीप ही उपलब्ध हो।

(2) लाइसेस प्रक्रिया में इस प्रकार के नियम बनाये जायं जिससे उन वस्तुओं (अगरबत्ती, मोमबत्ती और साबुन आदि) जिनका उत्पादन लघु एव कुटीर उद्योगों द्वारा हो रहा है, से सम्बन्धित लाइसेंस वृहद एवं मध्यम उद्योगो को न दिये जायं।

(3) इन उद्योगो से उत्पादित वस्तुओ की लागत को कम करने के लिए इन्हें (लघु एवं पारिवारिक उद्योग) कम कीमत पर भूमि, पानी व विद्युत की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।

(4) इनके लिए परिवहन एव संचार की सुविधा मे वृद्धि करनी चाहिए जिससे तैयार माल व कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुँचाया जा सके।

(5) भण्डारण की सुविधा तथा छोटे स्थानो पर भी बिल्टी की सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

(6) अध्ययन क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए पूँजीपतियों व उद्योगपतियों को विभिन्न अधः सरचनात्मक सुविधाये, यथा–स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन तथा कम व्याज पर ऋण आदि उपलब्ध कराकर नवीन क्षेत्रों में उद्योग हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(स) चित्र 8.1C से स्पष्ट है कि हसवा, बहुआ और विजयीपुर में मध्यम तथा ऐरायां में तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हुयी है, यह वृद्धि नैसर्गिक नहीं वरन् प्रवास से सम्बन्धित है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं –

(1) ऐसे कारणों का पता लगाया जाय जिनके कारण प्रवास को बढ़ावा मिल रहा है। इनमें बेरोजगारी, गरीबी और असुरक्षा की भावना की मुख्य भूमिका है। इसे स्वरोजगार को बढ़ावा देकर और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा आदि उपलब्ध कराकर रोका जा सकता है।

(2) इसके अतिरिक्त जनसंख्या प्रवास को रोकने हेतु सम्बन्धित क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योग विकसित किये जाय जिससे ग्रामीण युवको को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध हो सके एवं उन्हें नौकरी की तलाश में बाहर न जाना पडे।

(3) ग्रामीण सम्पन्न वर्ग विशेषकर उच्च वर्गो द्वारा महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र (कृषि, उद्योग और व्यापार) के कार्यो मे सहभागिता का अवसर देना होगा जो अभी तक इसे अपनी सामाजिक हीनता के रूप में देखते हैं।

(4) सम्बन्धित क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए विभिन्न सरकारी एवं सामाजिक संगठनों द्वारा सभाओ एवं गोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए।

(5) परिवार नियोजन अपनाने हेतु इन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों, यथा–मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा रोजगार आदि का सहयोग लिया जा सकता है।

(द) चित्र 8.1D से स्पष्ट है कि हसवा, बहुआ, हथगॉव, ऐराया और विजयीपुर में शैक्षिक विकास

निम्न स्तर का है। चूँकि शिक्षा के विकास से प्रत्येक क्षेत्र का विकास प्रभावित होता है अतः इस विकसित करने की अति आवश्यकता है जिसके लिए निम्न कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए–

(1) सम्बन्धित क्षेत्र मे और अधिक विद्यालय स्थापित किये जाने चाहिए, उदाहरणस्वरूप– सम्पूर्ण जनपद मे राजकीय बालिका जूनियर हाई स्कूल की संख्या मात्र 3 (फतेहपुर, बहुआ और खजुहा) है। कम से कम प्रत्येक विकासखण्ड मे एक राजकीय बालिका विद्यालय अवश्य स्थापित किया जाना चाहिए।

(2) जनपद मे हायर सेकेन्ड्री स्कूलो की कुल सख्या 106 है। इनमें 19 नगरीय स्कूल भी सम्मिलित है अत. इनमे भी समुचित वृद्धि आवश्यक है।

(3) अध्ययन क्षेत्र में कुल 4 महाविद्यालय है जिनमे विकासशील क्षेत्र में 1 हथगॉव विकासखण्ड में है अत. यहॉ पर अमौली और बहुआ प्रत्येक विकासखण्ड में 1 नया महाविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए।

(4) सामाजिक संगठनों द्वारा शिविरों, मेलो और प्रदर्शिनियों आदि का आयोजन कर लोगों को शैक्षिक विकास हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।

(य) चित्र 8.1E से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य सुविधा एव परिवार कल्याण का विकास हसवा, बहुआ, ऐरायां और विजयीपुर आदि विकासखण्डों मे निम्न स्तर का है। इसके लिए निम्न नियोजन नीति अपनायी जानी आवश्यक है–

(1) सम्बन्धित क्षेत्र के ग्रामीण निवासियो को संतुलित पोषाहार के संदर्भ में विस्तृत जानकारी देना चाहिए। इसके लिए शिविरों आदि का आयोजन किया जा सकता है।

(2) लोगों को विभिन्न बीमारियों के बारे मे बताया जाना चाहिए जिससे वे उन बीमारियों से सम्बन्धित कारणों को जानकर प्राथमिक स्तर पर ही उनसे बचाव या निदान का प्रयास कर सकें।

(3) विकासशील क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो की कुल संख्या (23) बहुत ही कम है। इनकी संख्या दोगुनी करने की जरूरत है। इन केन्द्रो पर आपरेशन की मुफ्त सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

(4) अधिकार प्राप्त स्थानीय प्रतिनिधियो द्वारा प्राथमिक केन्द्रों का निरीक्षण किया जाना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार को रोककर स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रभावशाली बनाया जा सके।

(र) चित्र 8.1F से स्पष्ट है कि अमौली, हसवा, बहुआ, हथगाँव और ऐरायां में आवागमन एवं संचार सुविधाओं का समुचित विकास नहीं हो सका है जिसके लिए निम्न प्रकार के नियोजनों की आवश्यकता है –

(1) सर्वप्रथम विकासशील क्षेत्र में सड़क घनत्व में वृद्धि करने की आवश्यकता है। इसे नयी सडकों का निर्माण कर प्रतिलाख जनसंख्या पर कुल पक्की सडकों की लम्बाई 100 किमी0 तक करने की

आवश्यकता है।

(2) जनपद में एक रेलमार्ग उपलब्ध है। नये रेलमार्गो को विकसित करने की आवश्यकता है ताकि दूर—दराज के पिछडे क्षेत्रो को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

(3) विकासशील क्षेत्र में डाकघरों, तारघरों की कुल संख्या क्रमशः 119 और 3 (हसवा, बहुआ और हथगॉव प्रत्येक में 1) है अतः आज इस संख्या मे पर्याप्त वृद्धि करने की आवश्यकता है जिसके लिए जनपद फतेहपुर प्रधान डाकघर के अतिरिक्त सभी तहसीलों (फतेहपुर, बिन्दकी, खागा) में तहसील स्तर के प्रधान डाकघर तथा प्रत्येक विकासखण्ड मे 30 नये शाखा डाकघर विकसित किये जाने चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक विकासखण्ड मे कम से कम 2 नये तारघर स्थापित किये जाने चाहिए।

उपर्युक्त सभी सुझावो को अपनाकर विकासशील क्षेत्र को निश्चित ही विकसित क्षेत्र में परिवर्तित किया जा सकेगा।

9.4.2 पिछड़ा क्षेत्र :—

चित्र 8.2 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में देवमई, खजुहा, भिटौरा असोथर और धाता आदि विकासखण्ड पूर्णतः पिछडे हुए क्षेत्र है। यहॉ कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवागमन तथा संचार साधनों का अत्यन्त न्यूनतम विकास हुआ है। इसी कारण ये क्षेत्र पिछडे क्षेत्र में आते है। इस क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित नियोजन प्रस्ताव लागू किये जा सकते हैं —

(अ) कृषि विकास के लिए यहॉ पर विकासखण्ड स्तर पर स्थापित सहकारी समितियों द्वारा उत्तम किस्म के बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाये आदि कृषकों को उधार या कम दाम पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए। इसी प्रकार नवीन कृषि यन्त्रों के प्रयोग से होने वाले लाभों से कृषको को अवगत कराया जाना चाहिए जिससे वे इन यन्त्रों के प्रयोग के प्रति आकर्षित हो सकें।

(ब) औद्योगिक विकास विशेषकर लघु एव कुटीर उद्योगों के लिए सस्ती दर पर ऋण सुविधा, प्रशिक्षिण सुविधा तथा कच्चे माल की सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

(स) यद्यपि इस पिछडे क्षेत्र में जनसख्या की पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है तथापि ग्रामीणो को जनसंख्या नियोजन के कार्यक्रमों एवं लाभों के बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।

(द) शैक्षिक विकास के लिए पिछडे क्षेत्र में प्रत्येक स्तर के अर्थात जूनियर हाई स्कूल (सं0 381), सीनियर हाई स्कूल (सं0 89), हायर सेकेन्ड्री स्कूल (स0 29) के वर्तमान स्कूलों की संख्या बहुत कम है। इसमें वृद्धि करना नितान्त आवश्यक है।

(य) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विकास की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र में एक भी चिकित्सालय नहीं है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (सं0 20), आयुर्वेदिक (सं0 7), होम्योपैथिक (सं0 2) तथा यूनानी चिकित्सालयों की संख्या (स0 20) बहुत कम है। इनमें वृद्धि करने की अति आवश्यकता है।

(र) आवागमन एवं सचार साधनो की दृष्टि से इस क्षेत्र में प्रति लाख जनसंख्या पर सडक का घनत्व 43 किमी0 (भिटौरा) से 80 4 किमी0 (देवमई) के मध्य पाया जाता है। इसे 100 किमी0 तक करने की आवश्यकता है। पक्की सडकों द्वारा प्रत्येक ग्रामसभा को जोडने के कार्यक्रम पर तेजी से अमल किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त विकासशील एवं पिछडे क्षेत्रो से सम्बन्धित नियोजनों द्वारा ही क्रमशः विकसित एवं विकासशील क्षेत्र के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। स्मरणीय है कि इसी प्रकार जनपद के विकसित क्षेत्र (मलवां, तेलियानी) को अतिविकसित क्षेत्र के रूप में परिवर्तित करने के प्रयास किये जाने चाहिए जिससे फतेहपुर जनपद प्रदेश एव देश के सन्दर्भ मे एक विकसित क्षेत्र का स्थान ग्रहण कर सके। यहाँ पर (अध्ययन क्षेत्र) विकसित, विकासशील एवं पिछडे क्षेत्र के सन्दर्भ मे प्रस्तुत विवरण स्थानीय परिप्रेक्ष्य से सम्बन्धित है न कि प्रदेश एवं देश के सन्दर्भ में। इस सम्पूर्ण विवरण से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि किसी भी क्षेत्र में अचानक विकास नहीं किया जा सकता है अतः विकास की व्यूह नीति को दीर्घकाल को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए।

9.4.3 सेवा केन्द्र नियोजन :–

किसी भी क्षेत्र के विकासात्मक कार्यो में सेवा केन्द्रों का विशेष महत्व होता है। ग्रामीण विकास में ये सेवा केन्द्र अतिमहत्वपूर्ण भूमिका निभाते है इसीलिए ग्रामीण विकास हेतु विनिर्मित की जाने वाली सभी योजनाओ में इन सेवा केन्द्रों पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। इस प्रकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा तकनीकी विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले नवीन परिवर्तनो तथा आविष्कारों को इन्हीं सेवा केन्द्रो के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुॅचाया जा सकता है। सेवा केन्द्रों का नियोजन करते समय निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक है–

(अ) सर्वप्रथम सेवा केन्द्रों के नियोजन के समय सम्बन्धित क्षेत्र को ध्यान में रखना होगा अर्थात सेवा केन्द्रों के चयन में क्षेत्रीयता को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए।

(ब) सम्पूर्ण क्षेत्र में उपलब्ध सभी सेवाओ का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए।

(स) क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है तथा उसमे से कितनी तृतीयक कार्यो में संलग्न है, का ज्ञान होना आवश्यक है।

(द) चूॅकि सेवा केन्द्रों का नियोजन सदैव पदानुक्रम में होता है अतः इनमें उपलब्ध सेवाओं की संख्या को ध्यान में रखना आवश्यक है अर्थात प्रथम क्रम के सेवा केन्द्र में सबसे उच्च स्तरीय सेवायें, द्वितीय क्रम में उससे कम स्तर तथा पचम क्रम में सबसे निचले स्तर की सेवाओं की आवस्थापना की जानी चाहिए।

इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर सन् 2021 (सारणी 3.6 एवं चित्र 3.4) तक के लिए 269

सेवा केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं। जबकि वर्तमान समय में 135 (सारणी 3.1 एवं चित्र 3 1) सेवा केन्द्र है। ध्यातव्य है कि प्रस्तावित सेवा केन्द्रों मे पूर्वविकसित और प्रस्तावित दोनों ही प्रकार के सेवा केन्द्र सम्मिलित हैं।

अध्ययन क्षेत्र में प्रथम श्रेणी का 1 सेवा केन्द्र फतेहपुर जनपद मुख्यालय होगा जिससे जनपद स्तर को सभी सेवाये व सुविधाये उपलब्ध करायी जानी चाहिए। द्वितीय श्रेणी में 6 सेवा केन्द्र है जो तहसील मुख्यालय, विकासखण्ड मुख्यालय तथा कस्बा क्षेत्रों में स्थित हैं। यहॉ तहसील स्तरीय प्रशासनिक, आन्तरिक सुरक्षा, शैक्षणिक, आवागमन एवं संचार, विपणन आदि की सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहिए। तृतीय श्रेणी के 19 सेवा केन्द्र नियोजित किये गये है। ये प्रमुख रूप से विकासखण्ड मुख्यालय, प्रमुख बाजार केन्द्र और परिवहन केन्द्रों के रूप में विकसित हैं। यहाँ विकासखण्ड स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण, आवागमन एवं संचार, बैंक, विपणन और भण्डारण आदि सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। चतुर्थ श्रेणी में 56 सेवा केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं यहॉ बाजार, आवागमन एव संचार, बैंक, पुलिस चौकी, डाकघर मातृ एव शिशु कल्याण केन्द्र, सीनियर बेसिक स्कूल तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों आदि सुविधाओं का एकत्रीकरण किया जाना चाहिए। पंचम श्रेणी के 187 सेवा केन्द्र ग्रामीण बाजार स्तर के हैं। यहॉ बाजार, औषधालय उर्वरक, कीटनाशक दवाओ आदि के वितरण केन्द्र न्याय पंचायत और शाखा डाकघर तथा पारिवारिक उद्योग आदि सुविधाओं को विकसित किया जाना चाहिए।

सेवा केन्द्र नियोजन विवरण से स्पष्ट है कि इनके चयन में तमाम बातों का ध्यान रखना पडता है साथ ही ये सेवा केन्द्र अपने स्तर के अनुकूल ही सेवायें उपलब्ध कराते हैं।

9.5 सामाजिक नियोजन हेतु व्यूह नीति :–

9.5.1 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता :–

स्वास्थ्य और स्वच्छता परस्पर अर्न्तसम्बन्धित है अर्थात यदि स्वच्छता होगी तो लोग स्वतः ही स्वस्थ होंगे और जब स्वस्थ होंगे तो क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास में अपनी कारगर भूमिका निभा सकेंगे। इस प्रकार जनस्वास्थ्य और विकास दोनों ही किसी भी क्षेत्र के लिए परमावश्यक है। अतः स्वास्थ्य नियोजन हेतु अध्ययन क्षेत्र मे निम्न प्रकार की व्यूह नीति अपनायी जा सकती है –

(अ) सर्वप्रथम क्षेत्र में सरकारी एवं सामुदायिक दोनों ही स्तरों पर शिक्षित एवं जागरूक लोगों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे शिविर लगाये जाने चाहिए जो लोगों को स्वच्छता के सम्बन्ध में समुचित जानकारी देकर स्वच्छ रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकने में समर्थ हो।

(ब) आज स्वच्छता हेतु विभिन्न जनसंचार माध्यमों, यथा–टी0 वी0, रेडियो व वी0 सी0 आर0 आदि की सहायता से अनेकानेक कार्यक्रमों को प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है परन्तु ये साधन

सम्पन्न वर्ग के पास ही उपलब्ध होते हैं। अत ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जातियों तथा पिछडें वर्गों के लिए सामूहिक टी0 वी0 व रेडियो सेट आदि पचायत घरों तथा युवक मंगल केन्द्रों में उपलब्ध कराये जाय, जो लोगों को मनोरंजन के साथ–साथ स्वास्थ्य और स्वच्छता से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करें। साथ ही कविता, नाटक, वार्ता, कहानियो व चुटकुलो के माध्यम से भी इनके सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए।

(स) जनपद में स्वास्थ्य केंद्रो का नितान्त अभाव है, उदाहरणस्वरूप–ग्रामीण क्षेत्र मे मात्र 4 चिकित्सालय उपलब्ध हैं जो क्रमश. अमौली, हसवा, असोथर, तथा विजयीपुर में स्थित है। अतः जनपद के प्रत्येक विकासखण्ड में एक चिकित्सालय स्थापित किया जाना चाहिए।

(द) जनपद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सख्या अत्यन्त सीमित (सं0 55) है। इनमें 51 ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इनमे अमौली विकासखण्ड को छोडकर शेष सभी विकासखण्डों में 6 से भी कम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। स्वास्थ्य केन्द्रो की इस कमी हो देखते हुए क्षेत्र के सभी विकासखण्डों में इनकी संख्या 6 करने की आवश्यकता है। ये सभी केन्द्र आपरेशन कक्ष की सुविधायुक्त, शैय्याओं, दवाओ तथा कुशल प्रशिक्षित डॉक्टरों से सम्पन्न होंने चाहिए।

(य) स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए न सिर्फ सरकारी व्यवस्था पर आश्रित होना चाहिए वरन् स्वयं सेवी संगठनों को भी इस क्षेत्र में आगे आना होगा जो ग्रामीण समाज के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभा सकते है।

(र) सभी राजकीय चिकित्सालयों में मुफ्त स्वास्थ्य सुविधायें (दवा, इंजेक्शन, आपरेशन आदि) दी जाती है किन्तु अध्ययन क्षेत्र के चयनित ग्रामो के कुल 262 परिवारों के सर्वेक्षण से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार शत प्रतिशत लोगों को इनमे भुगतान करके ही दवा प्राप्त हो पाती है। अतः स्थानीय एवं प्रान्तीय प्रशासन को समय–समय पर समस्त चिकित्सालयों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आकस्मिक निरीक्षण करना चाहिए। इस निरीक्षण व्यवस्था के लिए स्थानीय चुने हुए जन प्रतिनिधियों का सहयोग श्रेयस्कर होगा। इस प्रकार विभाग द्वारा मिलने वाली समस्त सुविधाओं को ग्रामीण निवासियो हेतु सही तरीके एवं समय पर मुहैया कराया जाना चाहिए।

उपर्युक्त नियोजन व्यवस्था द्वारा ही जनपद मे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है। स्मरणीय है कि राष्ट्र या क्षेत्र के विकास के लिए गरीब–अमीर, महिला–शिशु आदि सभी का समान रूप से होना आवश्यक है।

9.5.2 शिक्षा :–

शिक्षा के सम्बन्ध में यह मत प्रचलित है कि शिक्षा चाहे जैसी भी हो, यह मानव जीवन की एक सामान्य प्रक्रिया है जो व्यक्ति को पशुता से उठाकर मानव बनाने, असुन्दरता से सुन्दरता, अकल्याण से कल्याण तथा असत्य से सत्य की ओर ले जाने की प्रेरणा तथा क्षमता प्रदान करती है। आज की

विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं का निराकरण शिक्षा द्वारा ही सम्भव है। शिक्षा के इसी महत्व को दृष्टिगत करके अध्ययन क्षेत्र में निम्न नियोजनों का प्रस्ताव किया गया है–

(अ) सर्वप्रथम जनपद में स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिसका प्रतिशत अत्यन्त निम्न (मात्र 27.2%) है। यह एक चिन्तनीय तथ्य है। इसे नये विद्यालयों एवं प्रौढ शिक्षा केन्द्रों आदि के माध्यम से शत प्रतिशत के स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है।

(ब) ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा में सुधार के अतिरिक्त उनमें व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा को भी लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है जिससे उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने और सम्मानपूर्ण जीवन जीने में सहायता मिलेगी।

(स) ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के प्रति व्याप्त दुर्भावना को समाप्त करने की जरूरत है जिसके कारण उन्हें पराया माना जाता है अथवा बालकों के समान अधिकार नहीं दिये जाते। इस दृष्टि से बालिका समृद्धि योजना (2 अक्टूबर 1997) दो बालिकाओं तक 500 रू0 शिक्षा हेतु सरकार व्यय करती है, एक प्रशंसनीय कदम माना जा सकता है। इसे भविष्य में 1000 रू0 तक करने की योजना है। बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कारगर कदम हो सकते हैं।

(द) अध्ययन क्षेत्र में नगरीय पुरुष साक्षरता का प्रतिशत 71.6 है जबकि ग्रामीण पुरुष साक्षरता का प्रतिशत 58.6 है। इन दोनों के मध्य इतना वैषम्य होने का प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का अभाव, गरीबी और बेरोजगारी है। ध्यातव्य है कि नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः व्यावसायिक परिवार, उच्चस्थ पद पर कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षा को महत्व प्रदान करने वाले परिवार निवास करते हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्णतः कृषक वर्ग की बहुलता होती है जिनमें से अधिकांश अल्प आय वर्गी (कृषक, मजदूर, लघु एवं सीमान्त कृषक एवं भूमिहीन श्रमिक आदि) एवं स्वयं अशिक्षित है। अज्ञानता तथा आर्थिक तंगी के कारण ये लोग अपने बच्चों को कृषि कार्यो व मजदूरी में संलग्न कर देते हैं, जिससे इनका शिक्षा का कार्य बाधित हो जाता है। इस आय की क्षति पूर्ति कर इन्हें अनिवार्य रूप से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बाध्य करना चाहिए। नियम बनाकर इसे दण्डनीय अपराध घोषित किया जा सकता है।

(य) सभी को बुनियादी शिक्षा और बाल विकास एवं बाल कल्याण की दिशा में स्कूलों में 'दोपहर का भोजन' कार्यक्रम एक कारगर कदम साबित हो सकता है। किन्तु भोजन का वितरण समुचित रूप से न करने के कारण व्यवहार में यह कार्यक्रम भोजन और गरीबी का उपहास मात्र बनकर रह गया है। समय–समय पर विकासखण्ड के अधिकारियों एवं ग्रामसभा के सदस्यों को विद्यालयों एवं उनमें चलाये जाने वाले कार्यक्रमों की जॉच करनी चाहिए।

(र) अध्ययन क्षेत्र में शैक्षिक स्तर के निम्न होने का महत्वपूर्ण कारण विद्यालयों की नितान्त सीमित

सख्या का होना है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रो मे बालिकाओं के स्कूल दूर–दूर स्थित हैं, जिसके कारण वे शिक्षा से वचित रह जाती है। ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक ग्राम में प्राइमरी स्कूल, ग्राम सभा में जूनियर हाई स्कूल एव न्याय पंचायत में हायर सेकेन्ड्री स्कूल तथा विकासखण्ड स्तर पर कालेज, महाविद्यालय एवं व्यावसायिक संस्थानों की सुविधा बालक और बालिकाओं के लिए समान रूप से प्राप्त हो।

(ल) अध्ययन क्षेत्र में उच्च शिक्षा का स्तर अत्यन्त निम्न है जिसका सर्वप्रमुख कारण जनपद में महाविद्यालयों की सीमित संख्या (4) है। क्षेत्र में जनपद मुख्यालय की भाँति बिन्दकी और खागा तहसील मुख्यालय में भी एक महिला और एक पुरुष महाविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता है तथा इन महाविद्यालयों को छोडकर ग्रामीण क्षेत्र मे प्रत्येक विकासखण्ड में एक बालिका एवं बालक महाविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। ये महाविद्यालय बिन्दकी तहसील में अमौली और औंग, फतेहपुर तहसील में बहुआ, हसवां, भिटौरा तथा खागा तहसील में खखरेरू और धाता आदि में स्थापित किये जा सकते है।

(व) क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के प्रौढ लोंगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गयी है किन्तु उषाकाल से सायंकाल तक कृषि कार्यों में व्यस्त रहने के कारण ये लोग इस योजना के लाभ से वंचित रह जाते है। शिक्षित युवक और युवतियों के समूहों के माध्यम से शिक्षा के महत्व को समझाने की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे आश्वासन अथवा वित्तीय सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए जिनसे आकृष्ट होकर ये स्वयं ही इन केन्द्रों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु आने लगें।

(श) स्कूलों में सामान्य शिक्षा के साथ–साथ व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। अभी तक जनपद में 1 पॉलिटेक्निक, 2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 2 शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। अत· आज इनकी संख्या में वृद्धि के साथ–साथ प्रत्येक तहसील में एक नया पॉलिटेक्निक सस्थान तथा प्रत्येक विकासखण्ड में एक नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थपित किया जाना चाहिए। ये पॉलिटेक्निक संस्थान क्रमशः बिन्दकी तहसील में अमौली, फतेहपुर में बहुआ, तथा खागा तहसील में छिवलहा में स्थापित किये जा सकते है।

(ष) अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जातियो–जनजातियो और पिछड़ी जातियों सभी के लिए प्राथमिक स्तर से लेकर महाविद्यालयी स्तर तथा व्यावसायिक शिक्षा आदि सभी में मुफ्त शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। अन्य शैक्षिक संस्थानों (कोचिंग इन्सटीट्यूट), पुस्तकों, वाहनों और पोशाकों आदि की मुफ्त व्यवस्था होनी चाहिए जिससे ये लोग समाज के अन्य लोगों की तरह सहज रूप से शिक्षा ग्रहणकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें तथा सम्मानपूर्ण जिन्दगी जी सकें। ध्यातव्य है कि इन सुविधाओं को उपलब्ध कराकर आरक्षण व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाना चाहिए इससे जातीय संघर्ष को समाप्त करने में मदद मिल सकेगी।

उपर्युक्त समस्त प्रस्तावित नीतियो से अध्ययन क्षेत्र के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के सम्यक् विकास का अवसर प्राप्त हो सकेगा। यह प्रयास किये जाने की आवश्यकता है कि सन् 2010 तक शत प्रतिशत शिक्षा की अवस्था प्राप्त हो जाय।

9.5.3 सामाजिक समानता :—

सामाजिक समानता के लिए समाज का ज्ञान आवश्यक है। समाज एक ऐसी संस्था है जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले लोग एक सूत्र में बंधकर अपना कर्तव्य पालन करते हुए जीवन निर्वाह करते हैं। इस समाज को जब निहित स्वार्थों हेतु वर्गों, जातियों, धर्मों आदि में विभाजित किया जाता है तो इससे व्यक्ति—व्यक्ति में भेद बढता है तथा सामाजिक असमानता और शोषण को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार सामाजिक समानता एक अनिवार्य आवश्यकता है, इसके द्वारा ही समाज के सभी वर्गो के सहयोग से एक स्वस्थ प्रगतिशील समाज का निर्माण किया जा सकता है। अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने हेतु निम्न व्यूह नीति तैयार की जा सकती है —

(अ) सर्वप्रथम अध्ययन क्षेत्र में धर्म, जाति एवं अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों को समाप्त कर एक निरपेक्ष सामाजिक समानता वाले समाज के रचना की आवश्यकता है जिसके लिए लोगों को प्रेरित करने की जरूरत है। एतदर्थ विभिन्न संचार माध्यमों—सभा, नाटक, वार्ता, गोष्ठी आदि का सहयोग लिया जाना चाहिए।

(ब) सामाजिक समानता के लिए प्रत्येक व्यक्ति के अन्तःकरण में करूणा व संवेदनशीलता के भाव को जागृत करने की जरूरत है। संवेदनशीलता मानव के हृदय में प्रेम व ममता के रूप में विद्यमान रहती है। प्रेम ही इस समस्या की अचूक औषधि है। जब मानवीय हृदय में प्रेम जन्म लेता है, तो विभेद पलायन कर जाता है और विषमता समाप्त होकर समानता में बदल जाती है।

(स) अछूत और सवर्ण, बालिका और बालक, स्त्री और पुरुष, गरीब और अमीर, ग्रामीण और नगरीय, मुसलमान और हिन्दू, इसाई, जैन, सिक्ख, पारसी और बौद्ध आदि के बीच पारस्परिक मेल—मिलाप और एक—दूसरे की समस्याओं एवं परिस्थितियों के समझने के अवसर प्रस्तुत किये जाने चाहिए। जिससे सामाजिक सद्भाव की भावना का विकास होगा।

(द) स्त्री—पुरुषों में समानता लाने में शैक्षिक विकास कारगर भूमिका अदा कर सकता है लेकिन इसके लिए सिर्फ साक्षरता ही काफी नहीं है वरन् बालिकाओं को सुशिक्षित बनाकर आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है।

(य) सामाजिक समानता के लिए यह आवश्यक है कि महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिलाने के उपाय किये जाय जिससे बालक—बालिका के बीच भेद—भाव जैसी परम्परागत धारणा समाप्त हो सके। इस सम्बन्ध में प्रत्येक स्तर पर चेतना जागृत करने की आवश्यकता है।

(र) स्त्री–पुरुष के मध्य असमानता से घर में अन्याय बढता है, हिंसा होती है तथा पारिवारिक विकास कुंठित हो जाता है। इसका बुरा असर बच्चो पर पडता है। समाज भी इसके कुप्रभाव से अछूता नहीं रह जाता है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी से यह बात उभरकर सामने आयी है कि ग्रामीण क्षेत्रों की औरतें भी बुद्धिमान हैं परन्तु शिक्षा और अनुभव की कमी के कारण परिवार एव समाज के प्रमुख निर्णयों में वे महत्वपूर्ण योगदान नहीं कर पाती है। ग्राम पंचायत जैसी संस्थाओं की सहभागिता से इसमें सकारात्मक परिर्वतन की सम्भावना है।
(ल) सामाजिक समानता को बढावा देने के लिए समेकित बाल–विकास योजना द्वारा क्षेत्र मे सभी शिशुओं को समान रूप से पोषाहार, रोग प्रतिरोधक टीके, स्वास्थ्य जांच, निर्दिष्ट रैफरल चिकित्सा सेवाये, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा तथा सभी माताओं को समान रूप से स्वास्थ्य और पोषाहार शिक्षा दी जानी आवश्यक है।
(व) गरीब और अमीर के मध्य के खाई को पाटने के लिए सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढावा देना होगा तथा सस्ती दर पर बैंक ऋण की व्यवस्था करनी होगी। इससे निर्बल आय वर्ग के लोग महाजनों के चंगुल से बच सकेगें। साथ ही विकासखण्ड स्तर पर सहकारी समितियों में उर्वरक, दवाएं तथा कृषि यन्त्रों की सुविधा कम दाम पर या उधार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे इन पिछडे वर्गो की कृषि आय मे वृद्धि हो सके तथा ये सामाजिक–आर्थिक विकास की मुख्य धारा से सम्बद्ध हो सके।
(श) सामाजिक समानता में अन्तर्जातीय विवाह की प्रमुख भूमिका हो सकती है। इसके लिए सरकार और सामाजिक संस्थाओं को उचित परिस्थितिया निर्मित करने की आवश्यकता है। इससे विभिन्न जातियों के बीच के अन्तर को समाप्त करने मे मदद मिलेगी एवं एक समरस समाज का निर्माण हो सकेगा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि समाज में अलगाव की भावना समाप्त कर समाज के समस्त लोगो को परस्पर संगठित करने का संकल्प सबके मन में दृढ करने का नाम ही सामाजिक समानता है। सामाजिक समानता के संवर्धन मे उपर्युक्त समस्त नियोजनो का सहारा लिया जा सकता है और इनके परस्पर सहयोग से शोषण एवं वर्ग विहीन समाज के निर्माण में मदद मिलेगी।

9.5.4 सामाजिक न्याय :–

जैसा कि सामाजिक न्याय शब्द से ही अभिव्यक्त होता है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक स्तर पर चाहे वह ग्राम पंचायत हो, तहसील स्तर के न्यायालय हो, जनपद स्तर के न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हों या फिर उच्चतम न्यायालय हो, सभी जगह उसे न्याय मिलने में समानता हो अर्थात उसके न्याय मे कही भी अमीर और गरीब की बात न आये। इस दृष्टि से 73वां संविधान संशोधन उल्लेखनीय है, यह ग्रामीण स्तर पर आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण का

मार्ग प्रशस्त करता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण समाज को समान रूप से राजनीतिक सत्ता को सौपना है, जिससे सभी वर्ग के लोगो को समान न्याय मिल सके। ग्रामीण समाज को समान रूप से सामाजिक न्याय दिलाने हेतु निम्नलिखित सुझाव कारगर हो सकते हैं—

(अ) न्याय मिलने में व्यक्ति का सामाजिक–आर्थिक स्तर बाधक नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के स्तर से तात्पर्य जाति–प्रथा तथा अस्पृश्यता, लिग व धर्म तथा गरीब और अमीर से है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति का क्यों न हो, स्त्री हो या पुरुष हो, वह किसी भी धर्म का हो, गरीब हो या अमीर हो उसे न्याय मिलने का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

(ब) न्याय दिलाने वाली सस्थाओं को इस बात की विशेष व्यवस्था करनी चाहिए कि समाज के कमजोर वर्ग की पहुँच उच्चस्तरीय न्यायलय तक बिना किसी बाधा के हो सके।

(स) न्यायपालिका एव कार्यपालिका को ऐसे नियम एवं कानून बनाने चाहिए जिससे समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का सबल वर्ग द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न को रोका जा सके।

(द) वर्तमान समय में सरकार ने पंचायत स्तर पर न्याय की व्यवस्था करके सामाजिक न्याय के क्षेत्र मे एक प्रशंसनीय कदम उठाया है। इससे गरीबो को कम खर्च में न्याय मिल सकेगा।

(य) पंचायत स्तर ही ऐसी चलती–फिरती अदालतो की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे लोगों को कम समय में दरवाजे पर ही न्याय दिया जा सके।

(र) समाज में सबसे निम्न स्तर के लोगों मे सबसे अधिक आपराधिक प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है और जब इन्हें इन अपराधों हेतु दण्ड दिया जाता है तो उनमें यह प्रवृत्ति और प्रबल होती है। अतः ऐसे अपराधियों को कठोर दण्ड देने के बजाय अच्छे व्यवहार द्वारा मानसिक तौर पर सुधारा जाना चाहिए जिससे उनकी आपराधिक प्रवृत्ति कम हो सके। उसके अपराधों के कारणों की जांच कर उनके निदान का प्रयास करना चाहिए।

(ल) सामाजिक परिवर्तन के साथ–साथ न्यायिक प्रक्रिया में परिर्वतन लाना आवश्यक है। एतदर्थ ऑख के बदले ऑख लेने की प्रवृत्ति मे परिवर्तन कर व्यक्ति को सुधार का अवसर दिया जाना चाहिए।

(व) न्याय मिलने में किसी भी व्यक्ति को गरीबी या अमीरी के स्तर पर न्याय निर्भर नहीं होना चाहिए। अर्थात कुछ धनवान व्यक्ति न्यायविदों को धन की आपूर्ति कर अथवा न्याय व्यवस्था को विलम्बित कर समूची न्याय प्रणाली को निष्क्रिय बना देते हैं। अतः ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे त्वरित एवं सही न्याय मिल सके।

अतः स्पष्ट है कि राष्ट्र में सामाजिक न्याय सम्बन्धी योजनाओं की रचना इस रूप मे की जानी चाहिए जिससे समाज में प्रत्येक वर्ग के लोगों को उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का समान अवसर प्राप्त हो सके। तभी कहा जा सकता है कि भारतीय समाजिक न्याय की अवधारणा में खरा उतरता है। अध्ययन क्षेत्र में समाज मे समान न्याय प्रक्रिया लाने हेतु उपर्युक्त सभी नियोजनों

का सहारा लिया जा सकता है।

9.5.5 ग्रामीण सामुदायिक विकास :–

ग्रामीण सामुदायिक विकास के लिए गॉधी जी के विचार उल्लेखनीय हैं क्योंकि गॉधी जी एक वर्गविहीन शोषण रहित, शान्तिपूर्ण तथा प्रजातान्त्रिक आदर्श समाज के पोषक थे। उन्होंने लिखा है कि "मैं एक ऐसे भारत के निर्माण हेतु कार्य करूँगा जिसमें निर्धनतम व्यक्ति भी यह गौरव अनुभव करेगा कि यह देश उसका है और इसके निर्माण में उसकी प्रभावपूर्ण आवाज है। मैं ऐसे भारत की रचना चाहूँगा जिसमें, ऊँच–नीच का भेद–भाव न हो। वह भारत ऐसा होगा जिसमें सभी वर्ग प्रेम से रह सकें। ऐसे भारत में छुआछूत और मद्यपान तथा नशीली वस्तुओं के सेवन हेतु कोई स्थान नहीं होगा। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार होगें। सभी देशों से मैत्री रखने के कारण हम विश्व के देशों के साथ शान्तिपूर्वक रह सकेगे। हम न किसी का शोषण करेंगे और न कोई हमारा शोषण करेगा। हमारे देश में कम से कम सेना रहेगी। करोडों की संख्या में मूक जनता के हितो का ध्यान रखा जायेगा। व्यक्तिगत रूप से मैं देशी और विदेशी के भेद को घृणा की दृष्टि से देखता हूँ। मेरी कल्पना का भारत यही है।"

गॉधी जी ने ग्रामीण सामुदायिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक अन्य स्थान पर लिखा है कि "भारत का हृदय कलकत्ता की गलियों में नहीं है और न ही बम्बई की गगनचुम्बी अट्टालिकाओं में है। उसका हृदय देहात मे है, किसानों की टूटी–फूटी झोपडियो में है। हरे–भरे खेतो को देखकर ही उसे शान्ति मिलती है।" ग्रामीण सामुदायिक विकास की दृष्टि से ग्राम पंचायतो के संगठन की बात सर्वप्रथम गॉधी जी का ही विचार था। आपके अनुसार गॉवों में पंचायतों की स्थापना करनी होगी जिन्हें स्थानीय शासन और न्याय विकास के लिए उत्तरदायी बनाना होगा किन्तु उसके साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत को एक समतावादी संगठन के रूप में स्वीकार किया है जिसका आधार सहयोग और आपसी एक जुटता होगी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि गॉधी जी आजीवन ग्रामीण सामुदायिक विकास पर बल देते रहे और इसके सम्बन्ध में अपने महत्वपूर्ण विचार समय–समय पर व्यक्त करते रहे। अध्ययन क्षेत्र में भी ग्रामीण सामुदायिक विकास हेतु निम्न प्रकार के सुझाव दिये जा सकते हैं–

(अ) विकास के लिए सभी वर्गो की सामूहिक सहभागिता होनी आवश्यक है क्योंकि इस सामूहिक सहभागिता से प्रत्येक क्षेत्र के सभी वर्गो का समान रूप से विकास सम्भव हो सकेगा।

(ब) इस विकास से प्राप्त सामाजिक–आर्थिक लाभ सभी वर्गों में समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। इस प्रकार भेद–भाव से परे समाज का निर्माण हो सकेगा।

(स) विकास के समस्त कार्यक्रमों को सबसे निचले स्तर अर्थात ग्रामसभा एव न्याय पंचायत स्तर पर निर्मित किया जाना चाहिए साथ ही इनके निर्माण एवं क्रियान्वयन में समूचे ग्रामीण समाज की

महत्वपूर्ण सहभागिता होनी चाहिए।

(द) इन कार्यक्रमों की देख–रेख एवं संरक्षण सम्बन्धी सभी कार्य शिक्षित एवं जागरूक ग्रामीण निवासी युवा वर्ग द्वारा सम्पन्न किये जाने चाहिए। इसके लिए सहकारिता ऐसे प्रतिष्ठानों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है जिसमें सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व हो।

(य) ग्रामीण समाज के सभी वर्गों के लिए विकास के समान अवसर उपलब्ध कराये जाने चाहिए जिससे गरीब–अमीर, स्त्री–पुरुष तथा बालक–बालिका आदि सभी समान रूप से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अपना बहुमूल्य योगदान देकर एक मजबूत एवं विकसित ग्रामीण समाज का निर्माण कर सकेंगे।

(र) वर्तमान समय में वांछनीय विकास की आवश्यकता है अर्थात ऐसा ग्रामीण सामुदायिक विकास जो पर्यावरण विकास के लिए अवरोधक न हो। ग्रामीण लोगों को जनसंचार माध्यमों आदि के द्वारा पर्यावरण के महत्व के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को रोकने अथवा स्वस्थ पर्यावरण के निर्माण में ग्रामीण समाज के सभी वर्गों का सहयोग लिया जाना चाहिए।

(ल) ग्रामीण समाज में पंचायत जैसी संस्थाओं को पुनः पुष्ट करने की आवश्यकता है इनमे ऐसे उत्सवों आदि का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे ग्रामीण समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच परस्पर सहयोग एवं सामुदायिकता की भावना का विकास हो सके।

उपर्युक्त सुझावों को अपनाने से अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में एक वर्गविहीन, शोषण रहित एवं परस्पर सहयोग की भावना पर आधारित समाज का निर्माण किया जा सकता है जिसकी क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

RERERENCES :

कुरूक्षेत्र, 1995 : ग्रामीण क्षेत्र एव रोजगार मत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली, अंक 3, जनवरी, पृ0 30–31.

दत्ता, रुद्र एव सुन्दरम्, 1997 : भारतीय अर्थ व्यवस्था, एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि0 रामनगर, नई दिल्ली, पृ0 363–373.

प्रतियोगिता दर्पण, 1997 : उपकार प्रकाशन, आगरा, द्वितीय अंक, सितम्बर, पृ0 279–280.

प्रतियोगिता दर्पण, 1997 : उपकार प्रकाशन, आगरा, तृतीय अंक, अक्टूबर, पृ0 467–470.

योजना, 1996 · सूचना और प्रसारण मत्रालय, नई दिल्ली, अक 13, गणतन्त्र दिवस विशेषांक, पृ0 33

योजना, 1996 : सूचना और प्रसारण मत्रालय, नई दिल्ली, अंक 6, सितम्बर, पृ0 20.

सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद फतेहपुर, 1986 एवं 1993, पृ0 49, संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0 प्र0.

सारांश एवं निष्कर्ष

यह सर्वविदित है कि ग्राम प्रधान भारत का समग्र विकास ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक एव सामाजिक समुन्नति मे ही निहित है। इस तथ्य को दृष्टिगत करके ही स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रो के विकास हेतु अनेकानेक प्रयास किये हैं जिनमे विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओ का क्रियान्वयन विशेष उल्लेखनीय है किन्तु आज भी नगरीय क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र कम ही विकसित हो सके है। इसीलिए 'ग्रामीण' शब्द पिछड़ेपन का सूचक बन गया है जबकि 'नगरीय' शब्द प्रगति एव समुन्नति का द्योतक है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में फतेहपुर जनपद (उत्तर प्रदेश), जहॉ की 90.10% जनसख्या ग्रामीण तथा शेष 9.90% जनसंख्या नगरीय है, को प्रतिदर्श मानकर ग्रामीण विकास एवं सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण के निरूपण के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों के अभीप्सित विकास हेतु अनेकानेक सुझाव प्रस्तुत किये है।

अध्याय एक में ग्रामीण विकास और सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण के ऐतिहासिक और सैद्धान्तिक पक्ष को स्पष्ट किया गया है। इस अध्याय में सामाजिक–आर्थिक असमानता को कम करने के लिए सूक्ष्म स्तरीय नियोजन पर बल दिया गया है जिससे प्रशासन द्वारा सचालित की जा रही सभी विकास योजनाओ का ग्रामीण जनता को समुचित एव समान लाभ मिल सके तथा ग्रामीण विकास के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। यह भी मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है कि अब तक क्रियान्वित की जा रही तमाम योजनाये कहॉ तक सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण लाने में सफल रही हैं।

ग्रामीण विकास से आशय ग्रामीण क्षेत्रो के सर्वागीण विकास से है। ग्रामीण विकास का नवीन व्यापक अर्थ–कृषि, उद्योग, जनसख्या नियंत्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आवागमन एवं संचार साधनो इत्यादि सभी पहलुओं के विकास के सिद्धान्त पर आधारित है। ग्रामीण विकास का लक्ष्य इन सभी क्षेत्रो मे विकास करके देश के सबसे पिछडे क्षेत्रों को विकसित क्षेत्रो के समक्ष लाना है जिससे सम्पूर्ण देश का समान विकास हो सके। इसीलिए प्रस्तुत अध्याय में ग्रामीण विकास के निमित्त सम्पादित होने वाली समस्त योजनाओं के सूक्ष्मतम स्तर पर क्रियान्वित करने पर बल दिया गया है जिससे विकास किरणो का प्रकीर्णन उपरिमुखी (नीचे से ऊपर की ओर) हो सके और ग्रामीण क्षेत्र पूर्णतया विकसित हो सके। स्मरणीय तथ्य है कि जैसे–जैसे ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक समुन्नयन होगा, वैसे–वैसे ग्रामीण निवासियों के आहार, वस्त्र और आवास तथा सामाजिक क्रिया–कलापों मे स्वयं ही रूपान्तरण आ जायेगा। सामान्यतया आर्थिक स्तर से ही सामाजिक स्तर का निर्धारण होता है। इस प्रकार ग्रामीण विकास और सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है।

अध्याय दो अध्ययन क्षेत्र के भौगोलिक विश्लेषण से सम्बन्धित है। अध्ययन क्षेत्र निचली गंगा–यमुना दोआब के पूर्वी भाग मे 25° 26' उत्तरी अक्षांश से 26° 14' उत्तरी अक्षांश तथा 80° 13'

गंगा–यमुना दोआब के पूर्वी भाग मे 25° 26' उत्तरी अक्षाश से 26° 14' उत्तरी अक्षांश तथा 80° 13' पूर्वी देशान्तर से 81° 21' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसका सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल 4120.01 वर्ग किमी0 है। यह क्षेत्र 3 तहसीलों, 13 विकासखण्डों, 132 न्याय पंचायतों, 1,035 ग्राम सभाओं एवं 1,352 आबाद ग्रामों में विभक्त है। इस जनपद की उत्तरी सीमा का निर्धारण उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ जनपदों द्वारा दक्षिणी सीमा हमीरपुर, बांदा, पूर्वी सीमा कौशाम्बी तथा पश्चिमी सीमा कानपुर औद्योगिक महानगर द्वारा निर्धारित होती है।

सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र गंगा–यमुना दोआब में स्थित है फलस्वरूप इसमें जलोढ़ मिट्टी की बहुलता है। गंगा–यमुना दोनों ही सततवाहिनी नदियों के साथ–साथ रिन्द, नन, तथा ससुर खदेरी बडी एव छोटी आदि नदियां भी मिलती हैं जो उपर्युक्त सततवाहिनी नदियो की ही सहायक नदियां है। जनपद की जलवायु मानसूनी है। यहॉ पर औसत आर्द्रता 64% मिलती है। अध्ययन क्षेत्र मे न्यूनतम और अधिकतम औसत तापमान क्रमशः 19.5° सें0 ग्रे0 तथा 32.4° सें0 ग्रे0 है। यहॉ की वार्षिक वर्षा लगभग 88.5 सेमी0 है।

जनसंख्या की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है, उदाहरणार्थ, 1951 में क्षेत्र की कुल जनसंख्या 806,944 थी जो 1991 मे बढ़कर 1,899,241 हो गयी। इन दोनों वर्षो में वृद्धि दर क्रमशः 12.88% और 19 51% रही। सन् 1991 के अनुसार क्षेत्र की 90.10% जनसख्या ग्रामीण तथा 9 90% जनसंख्या शहरी है। क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व 461 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 है। यहॉ पर प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की कुल संख्या 881 है जबकि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की कुल संख्या क्रमशः 882 और 873 है। जनपद की कुल साक्षरता 44.7% है। इसमें ग्रामीण साक्षरता और नगरीय साक्षरता का प्रतिशत क्रमशः 42.9 और 61 है। जनपद में पुरुषों की कुल साक्षरता 59.9% है। इसमें ग्रामीण और नगरीय साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 58.6 और 71.6 है। जनपद में स्त्रियो की कुल साक्षरता 27.2% है। इनका ग्रामीण और नगरीय साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 24.9 और 48.7 है। व्यावसायिक संरचना की दृष्टि से जनपद की कुल जनसंख्या का केवल 38 09% भाग ही कार्यशील है। इस कार्यशील जनसंख्या में 51.31% कर्मकर कृषक, 22.74% कृषि श्रमिक, 13.76% सीमान्त कर्मकर, 9.59% अन्य कर्मकर तथा 2.60% व्यापार एवं वाणिज्य में संलग्न हैं। भाषा एवं धार्मिक सरचना की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र में हिन्दी भाषा–भाषायियों (91.55%) और हिन्दू धर्म (87.08%) का वर्चस्व है। दूसरा स्थान उर्दू भाषा (8.44%) और मुस्लिम धर्म (12.86%) का है। इन दोनों के अतिरिक्त अन्य भाषा–भाषायियों व धर्मावलम्बियों का स्थान लगभग नगण्य है।

अध्याय तीन में सेवा केन्द्रों का उल्लेख किया गया है। सेवा केन्द्रों में कुछ विशिष्ट आर्थिक क्रिया में समाहित होती हैं जिनसे उनके आस–पास के ग्रामीण क्षेत्र लाभान्वित होते हैं। इनके चयन हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन एवं सचार, वित्त एवं व्यापार तथा प्रशासन आदि से सम्बद्ध 37

केन्द्रीय कार्यों और तृतीयक कार्यों में संलग्न जनसंख्या को आधार के रूप में प्रयोग किया गया है। इनके आधार पर 135 सेवा केन्द्रों का चयन किया गया है। सेवा केन्द्रों के निर्धारण के पश्चात इनको 5 पदानुक्रमों में विभक्त किया गया है। इनमे प्रथम स्तर पर 1 सेवा केन्द्र फतेहपुर जनपद मुख्यालय, द्वितीय स्तर पर 3 सेवा केन्द्र (बिन्दकी, खागा, कोड़ा, जहानाबाद), तृतीय स्तर पर 15 सेवा केन्द्र, चतुर्थ स्तर पर 38 सेवा केन्द्र और पंचम स्तर पर 78 सेवा केन्द्र पाये जाते हैं।

सेवा केन्द्र ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रो के मध्य सेतु के रूप में कार्य करते हैं। इनमें नवीन तकनीको, आविष्कारो एवं नवाचारों का निरन्तर उद्भव होता रहता है और ये इन्हीं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा करके उनके सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन में सहायक होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र भी खाद्यान्न, हरी सब्जी, दुग्ध आदि द्वारा नगरीय क्षेत्रों की सेवा करते हैं। स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी विकास सम्बन्धी क्रियाओं का संचरण सेवा केन्द्रों के माध्यम से ही होता है। इसी तथ्य को दृष्टिगत करके सन् 2021 के लिए 269 सेवा केन्द्रों को प्रस्तावित किया गया है जिनके विकसित हो जाने पर अध्ययन क्षेत्र का समान एवं सतुलित सामाजिक–आर्थिक विकास सम्भव हो सकेगा। इसी तथ्य को दृष्टिगत करके अध्याय के अन्त में सेवा केन्द्र और सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण का विवरण दिया गया है।

अध्याय चार अध्ययन क्षेत्र के कृषि विकास का बोध कराता है जो कि ग्रामीण विकास का पर्याय कहा जाता है। जनपद की कृषि पद्धति पारम्परिक प्रकार की खाद्यान्न बहुल है। यहाँ पर कुल कृषि भूमि का 69.63% शुद्ध बोया गया क्षेत्र, 10.67% वर्तमान परती तथा अन्य परती भूमि, 3.18% कृषि योग्य बंजर भूमि, 3% कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि है। अध्ययन क्षेत्र में मुख्यतः दो फसलें क्रमश· रबी और खरीफ का उत्पादन किया जाता है किन्तु सीमित मात्रा में सिंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ जायद फसलो का उत्पादन भी कर लिया जाता है। रबी की फसल में गेहूँ, चना, मटर, आलू और तिलहन तथा खरीफ की फसल में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का और अरहर आदि प्रमुखतया उत्पादित होती है। जायद की फसल में सब्जी के साथ–साथ खरबूज और तरबूज का उत्पादन भी होता है। इस प्रकार गेहूँ, धान, दलहन और तिलहन आदि जनपद की प्रमुख फसलें हैं तथा गन्ना और आलू प्रमुख मुद्रादायिनी फसलें हैं। जनपद का 50.72% कृषित क्षेत्र सिंचित क्षेत्र के रूप में मिलता है जिसमे नलकूपों (27.74%) का प्रमुख स्थान है जबकि नहरो का द्वितीय स्थान (21.62%) और अन्य साधनों का तृतीय (1.29%) स्थान है। क्षेत्र में पशुओं के रूप में भैंसे, गायें और बकरियाँ पाली जाती हैं। साथ ही यहाँ पर मुर्गे, मुर्गियाँ एवं कुक्कुट का पोषण भी होता है। कृषि विकास एवं पशुपालन, जो कि मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार हैं, इनके विकसित होनें पर अध्ययन क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास को बल मिलेगा। इसीलिए अध्याय के अन्त में कृषि विकास के आधार पर सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण का आंकलन चयनित ग्रामों के सर्वेक्षण से प्राप्त साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय पाच मे अध्ययन क्षेत्र के औद्योगिक विकास और उसके सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण पर प्रभाव का मूल्याकन किया गया है। औद्योगिक दृष्टि से जनपद 'अ' श्रेणी अर्थात सबसे पिछडे जनपदो की श्रेणी मे आता है। यहॉ पर प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों को तीन वर्गो मे रखा गया है (1) वृहद एवं मध्यम उद्योग, (2) लघु एवं लघुत्तर उद्योग, तथा (3) पारिवारिक उद्योग। जनपद मे वृहद एवं मध्यम उद्योग अत्यन्त सीमित संख्या एवं क्षेत्र में उपलब्ध है। जनपद मे ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत मलवा विकासखण्ड मे बिन्दकी रोड (चौडगरा) तथा बरौरा नामक स्थान पर और कुछ शहरी क्षेत्रो में वृहद एव मध्यम उद्योग विकसित हो सके हैं। यहॉ इनकी लगभग 35 इकाइया केन्द्रित है। लघु/लघुत्तर उद्योग के अन्तर्गत लगभग 2832 इकाइयॉ स्थापित की गयी है। पारिवारिक उद्योग के अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग की इकाइयां और दस्तकारी इकाइया क्रमश 2,369 और 4,200 स्थापित की जा चुकी है। जनपद में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के प्रयत्न किये जा रहे है जिसके लिए जिलाउद्योग केन्द्र फतेहपुर द्वारा पुरुषों और स्त्रियों को जवाहर रोजगार योजना, ट्राइसेम तथा ड्वाकरा आदि योजनाओं के अन्तर्गत छोटे उद्योगो को शुरू करने के लिए सस्ती दर पर ऋण तथा मुफ्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप ही क्षेत्र मे रोजगार के नये–नये अवसर सुलभ हो रहे हैं, आय में वृद्धि हो रही है तथा शिक्षा का प्रसार हो रहा है। अत यह स्पष्टत. कहा जा सकता है कि यद्यपि कृषि विकास से देश की खाद्यान्न समस्या का समाधान होता है किन्तु पूर्ण आर्थिक समुन्नति तो औद्योगिक विकास से ही सम्भव हो पाती है।

अध्याय छ. में अध्ययन क्षेत्र के आवागमन एवं सचार साधनों के आर्थिक रूपान्तरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निरूपण प्रस्तुत किया गया है। आज कृषि, उद्योग तथा सामाजिक–आर्थिक विकास पूर्णतया परिवहन और सचार साधनों पर ही निर्भर है। सभी आर्थिक क्रियाओं का केन्द्र बिन्दु परिवहन ही है। ज़नपद मे जहॉ सडक मार्गो का सामान्य (1,130 किमी0) विकास हुआ है वहीं रेलमार्ग का नितान्त अभाव(मात्र 88 किमी0) है। जनपद में दो प्रमुख राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग–2 (N H 2) और राजकीय राजमार्ग–13 (S H 13) के रूप में विकसित है। राष्ट्रीय राजमार्ग की जनपद मे कुल लम्बाई 90 किमी0 है जो कि जनपद को पूर्व में कौशाम्बी से तथा पश्चिम में कानपुर महानगर से सम्बद्ध करता हैं। यह राजमार्ग रेलमार्ग के लगभग समानान्तर पाया जाता है। राजकीय राजमार्ग–13 की लम्बाई जनपद में 60 किमी0 है। यह जनपद को उत्तर में रायबरेली और दक्षिण में बांदा से सम्बद्ध करता है। यहॉ पर राष्ट्रीय व राजकीय राजमार्ग के अतिरिक्त अन्य सडक मार्गो की कुल लम्बाई 980 किमी0 है। स्पष्ट है कि जनपद में आवागमन एवं परिवहन का प्रमुख साधन सडक मार्ग हैं।

जनपद में कुल 252 डाकघर, 11 तारघर, 138 सार्वजनिक दूरभाष, 1 टी0 वी0 रिले सेण्टर, 12 रेलवे स्टेशन और 138 बस स्टाप/बस स्टेशन हैं। प्रतिदर्श अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि

जनपद के सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण में आवागमन एवं संचार के साधनों की प्रमुख भूमिका है। प्रमुख सडक मार्गो के सहारे आर्थिक बदलाव के स्पष्ट संकेत दिखलाई पड़ते हैं।

अध्याय सात में अध्ययन क्षेत्र की प्रमुख अध. संरचनात्मक सुविधाओं–शिक्षण संस्थाओं, स्वास्थ्य केन्द्रों, बैंक, विद्युत और भण्डारण का प्रमुख स्थान है। सम्प्रति जनपद मे 1092 जूनियर हाई स्कूल, 273 सीनियर बेसिक स्कूल, 106 हायर सेकेन्ड्री स्कूल तथा 4 महाविद्यालय हैं। इन स्कूलों मे 61 बालिका सीनियर बेसिक स्कूल, 9 हायर सेकेन्ड्री स्कूल और 2 राजकीय महिला महाविद्यालय है। इनके अतिरिक्त यहॉ पर 1,308 प्रौढ शिक्षा केन्द्र, 700 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र तथा 607 आंगनवाडी केन्द्र कार्यरत हैं। स्मरणीय तथ्य है कि बालिका विद्यालयो की संख्या में कमी के कारण अध्ययन क्षेत्र में बालिका शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है। इसीलिए जनपद में कुल साक्षरता प्रतिशत 44.7 मिलता है जिसमे मात्र 27.2% ही स्त्रियों की साक्षरता से सम्बन्धित है जबकि पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत 59.9 है।

सम्प्रति जनपद में 17 एलोपैथिक चिकित्सालय, 55 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 25 आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 5 यूनानी चिकित्सालय और 12 होम्योपैथिक चिकित्सालय हैं। जनपद मे 51 राष्ट्रीयकृत बैंक, 55 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 35 अन्य व्यावसायिक राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखायें हैं। बडौदा बैंक अध्ययन क्षेत्र का अग्रणी बैंक (Lead Bank) है। अभी तक जनपद के 82.5% ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। सर्वाधिक विद्युतीकरण (शतप्रतिशत ग्रामों का) देवमई, अमौली और खुजहा विकासखण्ड के तथा न्यूनतम (50% ग्रामों का) हथगाँव विकासखण्ड में हुआ है। अध्याय के अन्त में अध: संरचात्मक सुविधाओं के विकास तथा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण पर पडने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है।

अध्याय आठ में ग्रामीण विकास के विभिन्न घटकों–कृषि, उद्योग, जनसंख्या, शिक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आवागमन एवं संचार साधन से सम्बन्धित 6 विकास सूचकांको के आधार पर अध्ययन क्षेत्र की विकासात्मक प्रवृत्ति का आंकलन किया गया है। इसके लिए वर्ष 1880–81 तथा वर्ष 1990–91 के साक्ष्यो से परिगणित विभिन्न सूचकांकों के आधार पर अध्ययन क्षेत्र को विकसित, विकासशील और पिछडे क्षेत्र की तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में मलवां और तेलियानी विकासखण्ड विकसित प्रदेश के अन्तर्गत आते हैं। ये विकासखण्ड जनपद के 14.56% क्षेत्र और 15.33% जनसंख्या को समेटे हुए है। अमौली, हसवा, बहुआ, हथगाँव, ऐरायां और विजयीपुर आदि विकासखण्ड विकासशील क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जनपद के सर्वाधिक क्षेत्रफल (46.90%) और सर्वाधिक जनसंख्या (46.55%) को समाहित किये हुए है। शेष 5 विकासखण्ड क्रमशः देवमई, खजुहा, भिटौरा, असोथर और धाता पिछड़े क्षेत्र के परिचायक हैं। ये विकासखण्ड जनपद के 38 54% क्षेत्र तथा 38.12% जनसंख्या को समेटे हुए हैं। इस प्रकार जनपद का बहुत ही सीमित क्षेत्र और जनसंख्या (क्रमश. 14.56%,15.33%) विकसित श्रेणी के

अन्तर्गत आती है तथा शेष सम्पूर्ण क्षेत्रफल (85 44%) और जनसंख्या (84.67%) विकासशील व पिछडे क्षेत्र के द्योतक है। स्पष्ट है कि सम्पूर्ण जनपद मे कृषि, उद्योग, शिक्षा स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवहन एवं संचार साधनो का विकास संतुलित रूप से नहीं हुआ है जिसके कारण जनपद का कुछ क्षेत्र अधिक विकसित हो गया है तथा कुछ अल्पविकसित (विकासशील) व पिछडे हुए ही रह गये हैं। ध्यातव्य है कि अध्ययन क्षेत्र के विकसित, विकासशील एवं पिछडे क्षेत्र का निर्धारण स्थानीय मानक के आधार पर किया गया है न कि प्रादेशिक, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सर्वथा सत्य प्रतीत होता है कि यदि प्रादेशिक, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर। परिकलन किया जाय तो समस्त अध्ययन क्षेत्र एक पिछडी अर्थव्यवस्था का ही परिचायक सिद्ध होगा।

ग्रामीण समाज में अनेक कुप्रथाये, यथा–जाति–प्रथा, पर्दा–प्रथा, बाल–विवाह, बाल–श्रमिक, रूढिवादिता और स्त्रियो की सामाजिक स्थिति, आदि व्याप्त हैं जिनके कारण ग्रामीण क्षेत्रो की सामाजिक–आर्थिक समुन्नति नहीं हो पा रही है। यद्यपि प्रतिदर्श अध्ययन हेतु चयनित ग्रामों के आधार पर प्राप्त साक्ष्यों के परिणामों से इन कुप्रथाओ एव परम्पराओं के सम्बन्ध में ग्रामीण जनता के विचारों में परिवर्तन देखा गया है किन्तु अभी भी बहुत कुछ करना अवशिष्ट है।

अध्याय नौ अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण विकास एवं सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण हेतु नवीन व्यूह नीति का प्रस्ताव करता है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि अब तक प्रशासन ने अनुसूचित जातियों, महिलाओं, बालको, अल्पसख्यको लघु एवं सीमान्त कृषकों और भूमिहीन श्रमिकों के विकास के लिए अनेकानेक प्रयत्न किये हैं फिर भी इन वर्गों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका है। इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी है तथा अब किस प्रकार की व्यूह नीति अपनायी जाय कि अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके। इस अध्याय में कृषि, उद्योग तथा आवागमन एवं संचार साधनो के सम्यक् विकास हेतु नवीन व्यूह नीतियॉ प्रस्तावित की गयी हैं। इसमें यह भी स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है कि किस प्रकार अध्ययन क्षेत्र के विकासशील व पिछडे क्षेत्रों का विकास कर क्षेत्रीय असमानता को समाप्त किया जाय। इसी प्रकार क्षेत्र के स्थानिक नियोजन हेतु विकास केन्द्रों के एक तत्र का प्रस्ताव किया गया है। अध्याय नौ के अन्त में सामाजिक नियोजन हेतु नवीन व्यूह नीति पर बल दिया गया है जिससे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा, सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय और ग्रामीण सामुदायिक विकास हेतु महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास आज अनिवार्य ही नहीं वरन् अपरिहार्य है। आजादी के 50 वर्ष बाद आज भी हमारे गॉव उतना विकसित नही हो सके हैं जितना कि अपेक्षित हैं। ग्रामीण विकास ग्रामीण 'गरीबों' का आर्थिक और सामाजिक ढांचा तैयार करता है अतएव एक सशक्त विकास नीति की विशेष आवश्यकता है।ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और अशिक्षा ऐसे कारण हैं जो सम्पूर्ण ग्रामीण विकास को अवरूद्ध किये हुए हैं। इसीलिए देश की ग्रामीण विकास योजनाओं

में इन तथ्यो पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब तक प्रशासन एवं स्वयंसेवी संगठनों के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप ही अध्ययन क्षेत्र के लगभग सभी क्षेत्रो, यथा—कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण, आवागमन एवं संचार सुविधाओं तथा प्रमुख सामाजिक सुविधाओं आदि में वृद्धि के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रो के सामाजिक एव आर्थिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यद्यपि आंशिक परिवर्तन हुआ है तथापि इस विकास की गति बहुत मंद है।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि—

1. अध्ययन क्षेत्र पूर्णतः गंगा और यमुना सततवाहिनी नदियों द्वारा निर्मित समतल मैदानी भूभाग है।

2. अध्ययन क्षेत्र के सम्यक् स्थानिक कार्यात्मक नियोजन हेतु सेवा केन्द्रों के एक अविच्छिन्न सुदृढ तन्त्र का विकास अपेक्षित है जिससे सन् 2021 तक जनपद का समान एवं संतुलित विकास हो सके।

3. जनपद की 90.10% जनसंख्या ग्रामीण तथा 9.90% जनसंख्या नगरीय है। सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका एवं आय का प्रमुख साधन कृषि है। अतएव क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि हेतु कृषि विकास को अधिक महत्व दिये जाने की आवश्यकता है।

4. अध्ययन क्षेत्र में औद्योगिक विकास लगभग न के बराबर है अतः यहाँ पर औद्योगिक विकास को बढावा दिये जाने की अति आवश्यकता है। यहाँ पर जो उद्योग विकसित किये जायं उनमें कृषि आधारित उद्योगों को प्रमुखता दी जानी चाहिए। साथ ही स्वरोजगार योजना को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में ग्रामोद्योगों/पारिवारिक एवु लघु उद्योगों का विकास हो सकेगा। सम्भवतः इसीलिए 2 फरवरी 1953 को अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग के उद्घाटन के अवसर पर प0 नेहरू ने कहा था कि "मैं गॉधीवादी आदर्श के तौर पर नहीं वरन् इसलिए कह रहा हूँ कि छोटे उद्योग भारी उद्योगों को संतुलित करने की दृष्टि से आवश्यक हैं और इनसे विनियोग तथा उत्पादन के बीच बडे अन्तराल को रोका जा सकता है।"

5. अध्ययन क्षेत्र में विद्यालयों, उच्च शिक्षा सस्थाओं, प्राविधिक, व्यावसायिक और शिक्षण—प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या नितान्त सीमित है जिसके कारण यहाँ का शिक्षा स्तर निम्न है। इसे बढ़ाने की आवश्यकता है, विशेषकर व्यावसायिक शिक्षा और प्राविधिक इत्यादि रोजगारोन्मुख शिक्षा पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।

6. जनपद में चिकित्सालयो, परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का समुचित विकास नहीं हो सका है। इसे विकसित करने से जनस्वास्थ्य में सुधार हो सकेगा।

7 आवागमन एवं संचार सुविधाओ का भी क्षेत्र में सीमित विकास हुआ है। यद्यपि सड़क मार्गो का विकास क्षेत्र में संतुलित ढंग से हुआ है किन्तु रेलमार्ग का विकास स्थिर एवं एकांगी है। क्षेत्र में दूरभाष व तारघर की संख्या में भी वृद्धि की जानी चाहिए।

8. क्षेत्रीय सर्वेक्षण से प्राप्त साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वर्तमान समय में जाति–प्रथा, पर्दा–प्रथा, बाल–विवाह, तलाक–प्रथा, बालिका शिक्षा, बाल श्रमिकों और स्त्रियों की नौकरी/आत्मनिर्भता के प्रति लोगों के नकारात्मक विचारों मे कमी आयी है परन्तु अभी भी ग्रामीण समाज के अशिक्षित एवं निचले वर्ग के लोग अनेक रूढियों एव कुरीतियों से प्रभावित हैं। शिक्षा के प्रसार एवं जनसंचार माध्यमों की सक्रिय भूमिका से इनका निराकरण कर एक प्रगतिशील समाज का निर्माण किया जा सकता है।

9. यद्यपि प्रशासन द्वारा क्षेत्र की ग्रामीण जनता की आर्थिक स्थिति सुदृढ करने हेतु अनेक योजनायें एवं कार्यक्रम संचालित किये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप उनके आहार, वस्त्र और आवास की स्थिति में सुधार हुआ है तथापि यह आशिक ही कहा जा सकता है। हमारी नियोजन नीतियों में कहीं न कहीं कमी अवश्य है जिसके कारण समान एवं संतुलित ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसमे समुचित सुधार की आवश्यकता है।

उपर्युक्त विवेचन से प्राप्त परिणामों के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु आवश्यक है कि–

1 वर्तमान समय में ग्रामीण विकास के लिए हम केवल विनियोग की बडी मात्रा पर निर्भर नहीं कर सकते क्योंकि यह बात स्पष्ट हो गयी है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आर्थिक पहलू के साथ–साथ सामाजिक पहलू का भी बहुत महत्व होता है। अब तक क्रियान्वित की गयी योजनाओं में आर्थिक पहलू को महत्व दिया जाता रहा है जबकि सामाजिक पहलुओं की अवहेलना की जाती रही है। यही कारण है कि योजनाओं को आंशिक सफलता ही मिल सकी है। अत. आवश्यकता इस बात की है कि योजना बनाने की नीति में परिवर्तन लाया जाय और आर्थिक क्षेत्र की ही तरह सामाजिक क्षेत्र के विकास पर भी ध्यान दिया जाय।

2. ग्रामीण विकास की जब विस्तृत विवेचना की जाय तो इसे मात्र कृषि उत्पादन तक ही सीमित न रखा जाय वरन् कृषि, साख, विद्युतीकरण, कुटीर उद्योग और पशुपालन क्षेत्र को भी इसके अन्तर्गत शामिल किया जाना चाहिए।

3. ग्रामीण विकास हेतु जो भी औद्योगिक नीतियॉ बनायी जायं वे क्षेत्रीय संसाधनों और आवश्यकताओ के अनुरूप हों किन्तु इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जानी चाहिए। ग्रामीण औद्योगीकरण से जहॉ ग्रामो में रोजगार की उपलब्धि होगी वहीं ग्रामीण गरीबी को भी कम किया जा सकेगा एवं ग्रामीण क्षेत्रो से अनावश्यक पूॅजी एवं श्रम के पलायन पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

4. ग्रामीण विकास हेतु आवश्यक है कि सीमान्त एवं भूमिहीन श्रमिकों को मत्स्यपालन, कुक्कुट पालन एवं पशुपालन जैसे पूरक धन्धे अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाय जिससे वे अपनी आय बढ़ा सकें।

5. ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीणों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आहार, वेशभूषा एवं आवास तथा लोककल्याण जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं की आपूर्ति मे सुधार किया जाये।

6. ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि के नियन्त्रण हेतु इस प्रकार के कार्यक्रम संचालित किये जाये जिससे ग्रामीण लोग स्वयंमेव परिवार नियोजन अपनाने हेतु आगे आयें।

7. ग्रामीण जनता को अधिक से अधिक साक्षर बनाया जाय जिससे वह प्रत्येक समस्या को स्वयं समझ सके और उसके निदान हेतु अपने स्तर से समाधान ढूंढकर विकास में सक्रिय सहभागिता निभा सके।

8. ग्रामीण विकास हेतु योजनायें बनाने के लिए ऐसे बुद्धिजीवियों एवं नियोजन कर्ताओं का सहयोग अधिक लाभप्रद होगा जिन्होंने एक लम्बा समय ग्रामीण परिवेश में व्यतीत किया हो। एतदर्थ विश्वविद्यालय, शोध प्रतिष्ठानों एवं प्रयोगशालाओं को ग्रामीण क्षेत्रों से सीधे जोड़नें की आवश्यकता है।

9. ग्रामीण विकास हेतु योजनायें बनाते समय आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित शोध प्रबन्धों में ग्रामीण विकास हेतु प्रस्तावित सुझावों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा व्यावहारिक एवं विकास परक शोध अध्ययनों को पारितोषिकों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

10. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण विकास हेतु आवश्यक है कि जो भी योजनायें बनायी जांय उनका आधार सूक्ष्म स्तरीय नियोजन हो तथा इनमे ग्राम सभाओं एवं ग्रामीण युवकों की समान सहभागिता हो। इन योजाओं को अधिकतर स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए।

11. ग्रामीण विकास हेतु योजनायें बनाते समय ग्रामीण क्षेत्रों का उचित तरीके से सर्वेक्षण करके लोगो की आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनो का अभिज्ञान किया जाय तथा उसी के अनुरूप योजनायें निर्मित एवं सचालित की जाय।

12. नियोजित विकास हेतु कृषकों के लिए उनके संसाधनों और परिसम्पत्तियों के अनुरूप तकनीक विकसित कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाय जिससे विकास हेतु उन्हें सही दिशा–निर्देश उपलब्ध हो सके।

13. ग्रामीण विकास हेतु आवश्यक है कि ग्रामीण जनता के अधिकांश झगडों एवं विवादों को पंचायती स्तर पर ही समाप्त कर दिया जाय जिससे उन्हें न्यायालयों का चक्कर लगाने में धन एवं समय का व्यर्थ अपव्यय न करना पडे। इसके लिए सचल न्यायालय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास हेतु क्षेत्रीय परिपेक्ष्य में उपलब्ध संसाधनों और उनके समुचित उपयोग से ही लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में उन्नति लायी जा सकती है। इस समुन्नति हेतु सूक्ष्म स्तरीय नियोजन पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है जिसमें पंचायतों के आधार को अधिक सुदृढ़ करना अपेक्षित है।

परिशिष्ट—1

सारणी 3 6

जनपद फतेहपुर : प्रस्तावित सेवा केन्द्र, 2021 A. D.

पदानुक्रम	सख्या	सेवा केन्द्र का नाम
प्रथम क्रम	1	फतेहपुर
द्वितीय क्रम	6	कोडा जहानाबाद, बिन्दकी, हसवा, खागा, बहुआ, किशुनपुर
तृतीय क्रम	19	देवमई, औग, मलवा, अमौली, चॉदपुर, खजुहा, जोनिहॉ, तेलियानी, छेउँका उर्फ हुसैनगंज, बहरामपुर, शाह, असोथर, ललौली, रजीपुर छिवलहा, हथगॉव, मुहम्मदपुर गौती, पौली, विजयीपुर, धाता
चतुर्थ क्रम	56	मुसाफा, बकेवर बुजुर्ग, खदरा, कल्यानपुर, मौहार, अमौरा, शाहजहॉपुर, जफरापुर, कपिलनई किशुनपुर कापिल, बन्थरा, डिधरूआ, दपसौरा, गौरा, खूंटा, बारा, अजमतपुर, सनगाव, दमापुर, चकबरारी, तारापुर भिटौरा, असनी, मवई, बेरा गढीवा, पिलखिनी, रमुआ पन्थुआ, खेसहन, मुरांव, धरमपुर सातों, मौली, अयाह, गाजीपुर, चकस्करन, सुकेती, दतौली, देवलान, मुत्तौर, ऐझी, पट्टीशाह, सवन्त, बैगाव, योहन, ऐराया सादात, अल्लीपुर, कटोधन, कस्बा सोहन, खासमऊ, टेनी, अन्जना, भैरवं, गढा, खखरेरू, मुबारकपुर गेरिया, खैरई, जाम, अढौली, कोट इत्यादि।
पंचम क्रम	187	भैंसौली, आलमपुर, जाफरपुर, सिठौरा, शाहजहॉपुर खालसा, सरायलंगर, परसदेपुर, सुजावलपुर टिकरा, छिवली, बरिगवां, सराय बकेवर, अभयपुर बढहार, शिवराजपुर, गोधरौली, रामपुर, हरसिंहपुर, पहुर, शाहजहॉपुर, नानामऊ, साई, करनपुर गंगौली, गुनीर, रेवारी बुजुर्ग, महरहा, तेन्दुली, अकबरपुर, दरवेशपुर, चकमादा, गोपालगज, ओखरा कुअरपुर, इब्राहिमपुर, इटरौरा, पिलखिनी, कोटिया, बिरनई, जजमोइया, बुढवा, देवरी बुजुर्ग, गोहरानी, बिजौली, नरैचा, धमना खुर्द, सठिगवा, साल्हेपुर, अरईपुर मडरांव, सेलावन, गढ़ी, चक जाफरअली, छीछा, खुरमाबाद, बेंता, शिवरी, इसनापुर, दरियाबाद, तपनी, ओंझी, खरगसेनपुर भदवां, असवार तारापुर, चखेरी, वाहिदपुर, सरांस खरगू, मेवली बुजुर्ग, सूपा, अलादादपुर, बरारी, कोराई, बिलुदपुर, कोढ़ई, सहली, ढ़कौली, मलाका, जीखापुर, किशुनदासपुर, नौगाव, जमरावा, गनेशपुर, लकड़ी, लतीफपुर, बरनपुर, फरीदपुर, उसरैया, सराय मोहन, सलेमपुर औरेई, छिछनी, भैरवां, सातों पीट, नरैनी, लदगवां, रसूलपुर, बरौहा, खटौली, चुरियानी, बडागांव, पैना कलां, शाखा, लम्हेटा, सिंधाव, कोंडार, कधिया, बेंसडी, जमालमऊ, बेरूई, आनन्दीपुर, सरायं खलिस, हरनावा, सरकण्डी, अमिलियापाल, गौसपुर, चम्पतपुर, कुल्ली, निजामुद्दीन,

अकबरपुर चिरई, चक इटैली, सरौली, दरियापुर, गौरा, पैगम्बरपुर रिकौहा, चक बाकरपुर, मंगरेमऊ, मोहम्मदाबाद, रामपुर मवई, चक मूसेपुर, कासिमपुर, शाहपुर, लक्ष्मीपुर, डिघवारा, मऊयारा, सराय करमौन, सलेमपुर, कुल्हड़िया, त्योजा, जसराजपुर, मण्डवा, रतनसेनपुर गौंती, आशीषपुर, अफोई, सुल्तानपुर घोष, अल्लीपुर बहेरा, अल्लीपुर, बहलोलपुर, छीमी, कृपालपुर, बुदवन, संग्रामपुर सानी, बहादुरपुर खागा, शहजादपुर खागा, हरदो, कस्बा सोहन, मझिल गांव, पुरइन, अमावां, उमरा, नरौली, टेसाही बुजुर्ग, त्रिलोचनपुर, कूडा, सिल्मी गड़वा, शाहजहाँपुर, सेलहरा, रामपुर, पहाडपुर, सरौली, एकडला, दरियामऊ, आरामपुर गुरगौला, रक्षपालपुर, चर्चींडा, सोथरापुर, लोहारपुर, शिवपुरी, कुल्ली, गुरसण्डी, उकाथू, आलमपुर गेरिया, पुरमई, जहाँगीर नगर, डेण्डासई, शाहपुर, हरहासपुर, चक शाहजहाँपुर, अहमदपुर कुसुम्भा, कल्यानपुर कचरौली, नरसिंहपुर कबरड़ा, पल्लावा, बम्हरौली इत्यादि।